ा माला, खंड 5, अंक 6

बुधवार, 8 दिसम्बर, 2004
17 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 57
Dated 8/12/05

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 6, बुधवार, 8 दिसम्बर, 2004/17 अग्रहायण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 103	2–35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 104 से 120	36–69
अतारांकित प्रश्न संख्या 1150 से 1379	70–649
सभा पटल पर रखे गए पत्र	649–658
राज्य सभा से संदेश	658
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	658
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
प्रश्नकाल के पश्चात उठाए जाने वाले अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों के बारे में	659
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) दो केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बारे में..	659–666
(दो) बंगलौर में मैच के दौरान ब्राजील के फुटबाल खिलाड़ी, क्रिस्टयानों जूनियर के निधन के बारे में	683–685
नियम 377 के अधीन मामले	692–701
(एक) जम्मू और कश्मीर में पर्यटन स्थलों के तत्स्थानिक सर्वेक्षण और उनके विकास के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने हेतु एक उच्चस्तरीय दल गठित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मदन लाल शर्मा	692–693
(दो) संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के भवन निर्माण उपनियमों में वस्तुस्थितिपरक संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल	693
(तीन) कच्छ क्षेत्र में पेय जल की भारी कमी की समस्या के समाधान के लिए गुजरात सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	694

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) टिस्को के स्वामित्व वाली संरक्षित खदानों के श्रमिकों को कोयला मजूरी बोर्ड समझौते के अनुसार 15 प्रतिशत अंतरिम राहत का लाभ दिए जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रशेखर दूबे	694-695
(पांच) गुजरात में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत राज्य सरकार को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	695
(छह) महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धमनगांव, सिंधी और चंदूर रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश वाघमारे	695-696
(सात) मात्स्यिकी और पशुपालन क्षेत्रों का संतुलित और समान विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र मंत्रालय सृजित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती मनोरमा माधवराज	696
(आठ) सर्कस उद्योग को खेलकूद और मनोरंजन उद्योग के समान मानते हुए उसे प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अबदुल्लाकुट्टी	697
(नौ) उत्तर प्रदेश में हमीरपुर और कैमाहा राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों में बदलने और हमीरपुर-जोल्हुपुर, हमीरपुर-राठ और उरई होते हुए विलराया-पनवाड़ी राज्य राजमार्ग का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय राजमार्ग किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	697-698
(दस) झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-75 पर गढ़ी, सिंगरा और पतमी गांव पर पुलिया का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनोज कुमार	698
(ग्यारह) मजदूरी संदाय अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की अधिकतम सीमा 1600 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए किए जाने और इस बारे में राजपत्र अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री सी. कुप्पुसामी	698-699
(बारह) पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में रेलवे भूमि से हटाये जाने वाले कुलियों के पुनर्वास की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पाण्डा	699-700
(तेरह) कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक साथ गन्ना पेराई सीजन शुरू किए जाने के बारे में उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	700

विषय कॉलम

(चौदह) खेती को आकर्षक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को डीजल की खरीद पर सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अनुराधा चौधरी 701

(पन्द्रह) छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रदीप गांधी 701

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकार की विदेश नीति 701–718

श्री के. नटवर सिंह 701–712, 717–718

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) 2004-05 .... 718–810, 811–814

डा. करण सिंह यादव 717–722

श्रीमती सुमित्रा महाजन 722–727

श्री टी.के. हमजा 728–729

श्री रामजीलाल सुमन 729–731

श्री रघुनाथ झा 731–733

श्री ब्रजेश पाठक 733–735

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन 735–738

श्री अनंत गुढ़े 739–741

श्री के.वी. तंगबालु 742–746

श्री लक्ष्मण सेठ 747–748

श्री इलियास आजमी 748–749

श्री प्रकाश परांजपे 749–750

योगी आदित्यनाथ 750–757

श्री मित्रसेन यादव 757–758

श्री गणेश सिंह 758–759

श्री सांताश्री चटर्जी 759–764

श्री भवंर सिंह डांगावास 764

श्री ब्रह्मानंद पंडा 764–770

प्रो. रासा सिंह रावत 770–771

श्री प्रबोध पाण्डा 771–774

विषय	कॉलम
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	774–775
श्री सुग्रीव सिंह	775–777
श्री नंद कुमार साय	777
श्री भर्तृहरि महताब	777–780
चौधरी लाल सिंह	780–783
श्री रघुराज सिंह शाक्य	783–784
श्री ए.के.एस. विजयन	784
श्री पी.एस. गढ़वी	784–789
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	789–790
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	790
श्री गणेश प्रसाद सिंह	791–793
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	793–798
श्री शैलेन्द्र कुमार	798–801
श्री एन.एस.वी. चित्तन	801
श्री पवन कुमार बंसल	801–805
श्री राकेश सिंह	805–806
श्री जी. करुणाकर रेड्डी	807–808
श्री मंजुनाथ कुन्नुर	808–810
डा. एम. जगन्नाथ	811–814
श्री चंद्रकांत खैरे	814–816
श्री अबदुल्लाकुट्टी	817
श्री हेमलाल मुर्मू	817–819
श्री एस. मल्लिकार्जुनैया	819–820
श्री अनवर हुसैन	820–822
श्री हरिभाऊ राठौड	822–823
श्री अविनाश राय खन्ना	823–826
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई	826–729
श्री एम. शिवन्ना	829–830

विषय	कॉलम

श्री ए.वी. बेल्लारमिन 830-832

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 832-833

श्री फुरकान अंसारी 833-836

श्री एस.के. खारवेनथन 836-839

श्री आलोक कुमार मेहता 839

श्री थावरचन्द गेहलोत 840-841

श्री नवीन जिन्दल 842-844

श्री पारसनाथ यादव 844-846

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 846-848

श्री तूफानी सरोज 848-849

श्री रामदास आठवले 849-850

श्री लालू प्रसाद 851-864

कार्य मंत्रणा समिति

पांचवां प्रतिवेदन 810

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक 864-866

विचार करने के लिए प्रस्ताव 864

श्री लालू प्रसाद 864

खंड 2, 3 और 1 865-866

पारित करने के लिए प्रस्ताव 866

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका 867

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका 868-874

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका 875-876

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका 875-878

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

बुधवार, 8 दिसम्बर, 2004/17 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। हमेशा, हर सुबह मुझे ध्यान आता है कि आप सब लोगों ने मुझे पूर्ण सहयोग देने और सभा चलाने में मदद करने का भरोसा दिलाया है।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 101, श्री पी. राजेन्द्रन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मुझसे समय मांग रहे थे। आपको भविष्य में समय नहीं मिलेगा। मैं आप सबको देख रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): जीरो आवर में कहें।

अध्यक्ष महोदय: अभी तो जीरो आवर नहीं है। अपने नेता की बात तो सुनिये, चेयर की बात तो सुनते नहीं। आप अध्यक्ष की बात नहीं सुनते। अपने नेता की बात सुनिये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी. राजेन्द्रन।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र

***101. श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए देश के अलग-अलग भागों में नये क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र आरंभ करने की योजना बना रही है;

(ग) सरकार कैंसर की रोकथाम के लिए कौन-कौन से कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है;

(घ) मंत्रालय ने त्रिवेन्द्रम क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के लिए कौन-कौन सी नयी विकासात्मक गतिविधियां आरंभ की हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस समय, व्यापक कैंसर उपचार सुविधाओं तथा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त देश के विभिन्न भागों में 20 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची संलग्न अनुबंध में दी गई है। उन राज्यों, जहां कोई भी क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र नहीं है, में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को तथा घनी आबादी वाले राज्यों में अतिरिक्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से मान्यता देने की सरकार के पास योजना है।

देश में कैंसर की रोकथाम, इसकी शीघ्र पहचान तथा इसके उपचार के उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975

में शुरू किया गया। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गए हैं: (क) स्वास्थ्य शिक्षा तथा कैंसर की शीघ्र पहचान के माध्यम से निवारण हेतु जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम; (ख) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र/आंकोलाजी विंग/कोबाल्ट चिकित्सा योजनाओं के अंन्तर्गत उपचार सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों तथा अन्य संस्थाओं की सहायता करना। चूंकि तम्बाकू कैंसर का एक प्रमुख कारण है, इसलिए केन्द्र सरकार ने सभी तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल को निरुत्साहित करने के लिए एक विधान बनाया है।

यह मंत्रालय कैंसर उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम सहित विभिन्न क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सहायता भी कर रहा है। यह मंत्रालय उपस्कर के प्रापण तथा अनुसंधान हेतु प्रति वर्ष 75 लाख रुपए के अनुदान के साथ विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों की सहायता करता आ रहा है। संशोधित कार्यक्रम के अन्तर्गत, कैंस उपचार सुविधाओं का संवर्धन करने के लिए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजना के आधार पर 3 करोड़ रुपये की एक बारगी सहायता दी जा सकती है। इस संबंध में, हमें क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम सहित विभिन्न क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम ने वर्ष 2004-05 में वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित दो प्रस्ताव भेजे हैं: (1) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र योजना के अन्तर्गत 3.00 करोड़ रुपये का अनुदान, तथा (2) आंकोलाजी विंग विकास योजना के अन्तर्गत 2.00 करोड़ रुपये का अनुदान। इन प्रस्तावों पर इस मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। तकनीकी मूल्यांकन तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन सहायता प्रदान की जाएगी।

अनुबंध

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आंकोलाजी, बैंगलोर, कर्नाटक

रिजनल कैंसर इंस्टीट्यूट (डब्ल्यू आई ए), अडयार, चेन्नई, तमिलनाडु

आचार्य हरिहर रिजनल कैंसर सेंटर फार कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, कटक, उड़ीसा

रिजनल कैंसर कंट्रोल सोसाइटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश

कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

इंडियन रोटरी कैंसर इंस्टीट्यूट (ए.आई.आई.एम.एस.), नई दिल्ली

आर एस टी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर, महाराष्ट्र

पं. जे.एन.एम. मेडिकल कालेज, रायपुर, छत्तीसगढ़

रिजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम

गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद, गुजरात

एम एन जे इंस्टीट्यूट आफ आंकोलाजी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

पाण्डिचेरी रिजनल कैंसर सोसाइटी, जिपमेर, पाण्डिचेरी

डा. बी.बी. कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी, असम

टाटा मेमोरियल हास्पिटल, मुंबई, महाराष्ट्र

इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, पटना, बिहार

आचार्य तुलसी रिजनल कैंसर ट्रस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (आर सी सी), बीकानेर, राजस्थान

रिजनल कैंसर सेंटर, पं. बी.डी. शर्मा, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक, हरियाणा

सिविल हास्पिटल, आइजाल, मिजोरम

श्री पी. राजेन्द्रन: इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि इस सबसे खतरनाक बीमारी से अधिकाधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए तथा कैंसर अनुसंधान के लिए और अधिक धन आबंटित करने पर विचार करेगी। गत दो वर्षों में इसके लिए कितना आवंटन हुआ?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं भी माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। कैंसर का उपचार करना आज सबसे महंगा हैं। विद्यमान परिस्थितियों में यथा-धूम्रपान, पर्यावरण दशाओं और खानपान की आदतों के कारण सम्पूर्ण भारत में बहुत से लोग कैंसरग्रस्त हैं और उनमें से अधिकांश गरीब लोग हैं। सरकार इन रोगियों का उपचार करने के लिए उपलब्ध अवसंरचना तथा संसाधनों में सुधार लाने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है।

जहां तक दसवीं योजना बजट का प्रश्न है तो इस बीमारी से लड़ने के लिए 10वीं योजना के लिए 266 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस वर्ष के बजट में 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गत दो वर्षों के लिए इस बीमारी के लिए बजट आवंटन लगभग 114 करोड़ रुपए (2002-03 : 60 करोड़, 2003-04 : 54 करोड़ रुपए) है।

श्री पी. राजेन्द्रन: इस खतरनाक बीमारी के प्रसार और कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश में विशेषकर भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जो कि इस रोग से ज्यादा प्रभावित हैं, जिला और तालुका मुख्यालय में और अधिक निदान तथा उपचार केंद्र स्थापित करने पर विचार किया है।

डा. अंबुमणि रामदास: आज हमारे पास देश में कैंसर के निदान और उपचार दोनों के लिए लगभग 190 केंद्र हैं। उसमें से लगभग 90 केंद्र गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हैं। उपचार-वार यह अधिकांशत: कोबाल्ट और लीनियर एक्सेलेरेटर के द्वारा होता है। इन मशीनों का कैंसर रोगियों का उपचार करने हेतु प्रयोग किया जाता है। हमारे पास सम्पूर्ण देश में लगभग 300 मशीनें हैं। ये भी पर्याप्त नहीं हैं। हम आगामी वर्षों में सरकारी अस्पतालों पर केंद्रित कैंसर कार्यक्रम के उपचार हेतु मशीनों की संख्या में वृद्धि करेंगे।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मुझे आपकी अनुमति से दो प्रश्न पूछने हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे (क) और (ख) बनाएं।

श्रीमती मेनका गांधी: पहले, इस बात को ध्यान में रखकर कि स्तन कैंसर पंद्रह में से एक महिला को प्रभावित करता है और भारत में यह आठ में से एक को प्रभावित करता है, क्या यह सच है कि देश में कैंसर जागरूकता के लिए केवल 5 लाख रुपए रखे गए हैं? यह ऐसी चीज है जिसकी जागरूकता से रोकथाम की जा सकती है।

दूसरे, हम सिगरेट कंपनियों को सिगरेट की बिक्री करने से कभी नहीं रोक पाएंगे। फेफड़ों का कैंसर एक प्रमुख तरह का कैंसर है।

क्या यह संभव है कि सिगरेट कंपनियों से फेफड़ों के कैंसर के उपचार का अस्पताल शुरू कराया जाए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग के संबंध में भारत में महिलाओं में स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर सबसे अधिक हैं। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सी सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) कार्यकलाप चला रही है। हमने जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम नामक कार्यक्रम तैयार किया है जहां यह ग्रामीण क्षेत्रों तक जाएगा और जिला स्तर पर उपलब्ध गैर-सरकारी संगठनों के साथ सामंजस्य करके कितने ही शिविर लगाये जा सकते हैं। सरकार इन गैर-सरकारी संगठनों को स्क्रीनिंग के लिए 8000 रुपए प्रति शिविर दे रही है और वे कितने भी शिविर लगा सकते हैं। जहां तक आई ई सी और स्क्रीनिंग के प्रयोजन के लिए शिविरों की संख्या का प्रश्न है तो उसकी कोई सीमा नहीं है।

जहां तक प्रश्न का दूसरा भाग है, जो कि तम्बाकू कंपनियों के बारे में है, सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर धम्रूपान को रोकने और अवयस्कों को तम्बाकू उत्पाद बेचने और शिक्षण संस्थानों की 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेचने को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये सभी विनियम 1 मई तथा 1 दिसम्बर से लागू किए गए हैं और सरकार इसकी ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है।

फेफड़ों के कैंसर के अस्पताल के संबंध में, मैं समझता हूं कि हमें तम्बाकू कंपनियों को कहना पड़ेगा और अभी मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, रोकथाम हमेशा बेहतर होती है। तम्बाकू और गुटका कैंसर के कारण है। क्या सरकार की इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना है।

डा. अंबुमणि रामदास: जहां तक सरकार का संबंध है तो जैसा कि मैंने पहले कहा तम्बाकू के संबंध में बहुत से विनियम लागू किए हैं। छ: विनियमों की संस्तुति की गई है और हमने उनमें से चार विनियमों को लागू कर दिया है। शेष दो विनियमों के संबंध में लोगों को इन उत्पादों का प्रयोग करने से रोकने के लिए हम आगामी वर्षों में इन विनियमों को लागू करेंगे।

गुटका पर पहले से ही कुछ राज्यों में प्रतिबंध था। उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिबंध हटा लिया है जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत आया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस पर कोई कार्यवाही करने के लिए कहा है। महोदय, यदि मुझे गुटका पर प्रतिबंध लगाने के बारे में किसी राज्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, लिखित उत्तर और मौखिक उत्तर से पता चलता है कि सरकार कैंसर का मुकाबला करने के लिए वित्तीय रूप से बहुत कुछ कर रही है परन्तु अभी भी यह पर्याप्त नहीं है। हमें लगभग रोजाना कैंसर के उपचार हेतु प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत से अभ्यावेदन मिल रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि कुछ वर्ष पूर्व क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, त्रिवेन्द्रम ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न कीजिए। कृपया इसे प्रश्न के रूप में रखिये।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: *महोदय, मुझे भूमिका बतानी होगी क्योंकि कैंसर के उपचार में वित्तपोषक एक प्रमुख मुद्दा है।* कुछ वर्ष पूर्व क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, त्रिवेंद्रम ने 101 रुपए में कैंसर केयर फार लाइफ नामक कार्यक्रम तैयार किया था। इसकी प्रवर्तन स्टार्क कम्यूनिकेशंस नामक विज्ञापन एजेंसी के साथ क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र द्वारा किया गया था और बहुत से लोग इसमें शामिल हुए। मुझे पता नहीं कि क्या यह योजना अभी भी लागू है। शायद अब योजना के लिए और कुछ सौ रुपए की जरूरत होगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सभी कैंसर केंद्रों को इस तरह का कार्यक्रम बनाने का निर्देश देने पर विचार करेगी। या मंत्रालय के द्वारा स्वयं ऐसा कार्यक्रम बनाया जाएगा। यह एक बीमा कार्यक्रम नहीं है। इसमें एकमुश्त भुगतान किया जाता है और व्यक्ति को कवर किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: इस योजना के अंतर्गत यदि देश में उपचार उपलब्ध नहीं है तो प्रभावित व्यक्ति को विदेश भेजा जाएगा। क्या सरकार छात्रों, सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का नामांकन करके सम्पूर्ण राष्ट्र में इस तरह की योजना बनाने पर विचार कर रही है। क्या सरकार क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, त्रिवेन्द्रम के साथ परामर्श करके इस तरह की योजना तैयार करेगी? मेरा यही प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हम आर सी सी त्रिवेन्द्रम में चल रहे कार्यक्रम को देखेंगे और यदि यह व्यवहार्य है तो हम इस पर विचार करेंगे।

डा. आर. सेनथिल: महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया है, बहुत से क्षेत्रीय कैंसर केंद्र हैं। उसके बावजूद देश के बहुत से भागों में जैसे कि तमिलनाडु में धर्मपुरी जिले में लोगों को निकटतम कैंसर केंद्र तक पहुंचने के लिए 150 कि.मी. तक यात्रा करनी पड़ती है।

क्या सरकार कैंसर का पता लगाने की सुविधाएं तथा रेडियोथेरेपी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्तमान जिला अस्पताल का दर्जा बढ़ाने पर विचार करेगी? यह मेरा पहला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं आपको केवल एक प्रश्न की अनुमति दी गई है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी गंभीरता कम न करें।

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय सदस्य ने जो कि एक मेडिकल डाक्टर भी हैं एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब सरकार का उद्देश्य जिला स्तर तक जाने का है। हमारे पास राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में अर्बुद-विज्ञान कार्यक्रम नामक कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम जिला मुख्यालय स्तर पर सरकारी *अस्पतालों को लक्ष्य बना रहे हैं। हमारे पास कैंसर की पहचान और उपचार के लिए सुविधाएं बढ़ाने हेतु निधियां हैं।*

अध्यक्ष महोदय: बात केवल यह है कि इसे लागू किया जाना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: हम इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। हमारे साथ बजटीय समस्या भी है।

अध्यक्ष महोदय: आप भाग्यशाली हैं कि आपका भी वही दिन है जो प्रधानमंत्री का है।

श्री आलोक मेहता—उपस्थित नहीं।

यह विचित्र बात है।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया: अध्यक्ष महोदय, हमें जो सूची प्राप्त हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मात्र एक कमला नेहरू मेमोरियल होस्पिटल इलाहाबद में है। मैं आपको माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खास पर बुंदेलखंड क्षेत्र में अतिरिक्त कैंसर केन्द्र खोलने की योजना कब तक है?

डा. अंबुमणि रामदास: हमारे देश में 20 क्षेत्रीय कैंसर संस्थान हैं और हमारा प्रयास है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक क्षेत्रीय कैंसर संस्थान का लक्ष्य हो। उत्तर प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों में हम दो के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, उत्तर प्रदेश में एक और संस्थान स्थापित करने की सोच रहे हैं।

श्रीमती वी. राधिका सेलवी: महोदय, कैंसर रोगियों की कुल उपलब्ध संख्या केवल 2000 तक ही अद्यतन की गई थी। इसे उसके बाद भी क्यों वैधता नहीं दी गई? क्या इस मामले में कोई कार्य प्रगति पर है? दूसरी बात कि क्या दक्षिण तमिलनाडु में एक कैंसर अनुसंधान केन्द्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव या कार्यक्रम है?

डा. अंबुमणि रामदास: जैसा कि हम पा रहे हैं, प्रत्येक वर्ष सात से नौ लाख नए कैंसर के मामलों का पता लगाया जा रहा है। आज हमारे देश में लगभग 2 से 2.5 मिलियन कैंसर के रोगी हैं। इसमें से लगभग चार लाख लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं। माननीय सदस्य की चिंता के संबंध में कैंसर से सम्बंधित सर्वेक्षण को हम अद्यतन बनाने की कोशिश करेंगे। जहां तक दक्षिण तमिलनाडु में एक नया कैंसर अनुसंधान केन्द्र शुरू करने की बात है, हम इस अनुरोध पर विचार करने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: अध्यक्ष महोदय, गरीब परिवार के जो कैंसर से पीड़ित होते हैं, अगर संसद सदस्य उनकी सिफारिश करते हैं तो प्रधानमंत्री सहायता कोष में केवल 30,000 रुपए तक मदद देने का प्रावधान है। यहां प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप गरीब परिवार के जो लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और संसद सदस्य उनकी सिफारिश करके आपके पास उनकी मदद के लिए भेजते हैं, क्या आप उस राशि को बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत महंगा हो चुका है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इसका उत्तर नहीं दें। इस प्रश्न से यह सम्बंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमें सिर्फ यह जवाब मिल जाए कि क्या ये उस राशि को बढ़ाने जा रहे हैं या नहीं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसके लिए इन्हें चिट्ठी लिखिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: अगर चिट्ठी ही लिखनी है तो फिर यहां पूछने का क्या मतलब है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके प्रश्न की अनुमति नहीं दी है। क्या आप प्रसन्न हैं?

[हिन्दी]

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और उसकी चिकित्सा भी बहुत महंगी है। उसमें तीन तरह की ट्रीटमेंट होती हैं और ये तीनों बहुत महंगी हैं—पहला रेडीएशन थैरेपी, दूसरा कीमो थैरेपी और तीसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है और यह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर उपलब्ध होता है। अगर गांव के किसी गरीब आदमी को इस बीमारी का पता चलता है तो उसे 50 से ढाई सौ किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है। वह ट्रेवलिंग ही एफोर्ड नहीं कर पाता है तो महंगी ट्रीटमेंट कैसे एफोर्ड पर पाएगा। गरीब लोगों को कैंसर से राहत देने के लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझ सकता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, कैंसर का इलाज सबसे महंगे इलाजों में से एक है। लेकिन कैंसर के इलाज से सम्बंधित उपकरण भी बहुत महंगे हैं। कोबाल्ट मशीन की कीमत लगभग दो से तीन करोड़ रुपये है और लीनियर एक्सेलरेटर की कीमत चार से दस करोड़ रुपये के बीच है। इन मरीजों को मुफ्त इलाज करने के लिए इस ढांचागत सुविधा की स्थापना के लिए प्रारंभिक चरणों में सरकार सरकारी अस्पतालों को हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। चूंकि यह बहुत महंगा है, शुरू में हम राज्यों तथा जिला-मुख्यालयों का ही लक्ष्य बना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में दलित और कमजोर वर्गों के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। कैंसर जैसे भयानक रोगों से लड़ने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। विभिन्न रोगों का इलाज सरकारी खर्चे पर होता आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दलित और कमजोर वर्गों के लिए अलग से कैंसर के मुफ्त इलाज की व्यवस्था सरकार करने जा रही है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, राष्ट्रीय बीमारी राहत कोष प्रधानमंत्री राहत कोष तथा स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन कोष भी पहले से ही हैं। इसलिए, कैंसर और अन्य रोगों के गरीब मरीजों के इलाज के लिए हम काफी धन स्वीकृत कर रहे हैं।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: महोदय, मैंने मंत्री महोदय से अभी-अभी जाना कि कोबाल्ट यूनिट लगाना बहुत महंगा है और सरकार जिला स्तर तक इसे लगाने के लिए प्रयास कर रही है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और कराड़ एक तहसील है जहां लोगों ने सहकारिता के आधार पर धन एकत्र किया है और एक अस्पताल खोला है और वहां एक कोबाल्ट यूनिट पहले ही लग चुकी है। वे पहले ही लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं।

जबसे मैं लोक सभा में आया हूं, पिछले पांच वर्षों से, मैं एक ही मामले के लिए प्रयासरत हूं कि एक कोबाल्ट यूनिट के लिए कुछ सबसिडी दी जाए जिसे गैर-सरकारी लोगों द्वारा या सहकारी संस्थानों द्वारा पहले ही लगाया जा चुका है। मैंने माननीय मंत्री तथा विभाग को दस्तावेज सौंपा है लेकिन तकनीकी आधार पर इसे अब तक अस्वीकृत कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तहसील स्तर तक पहुंच पाना संभव होगा जहां एक चिकित्सा महाविद्यालय हो तथा एक अच्छा अस्पताल खोला जा सके तथा जहां पर कोबाल्ट मशीन द्वारा इलाज की सुविधा हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को कुछ वित्तीय राहत देने पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने निजी तौर पर पैसे एकत्र किये हैं तथा एक अस्पताल की स्थापना की है और इसमें कोबाल्ट यूनिट भी लगा रखी है। *...(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, मैं एक बार पुनः कहूंगा कि मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझ सकता हूं। हमारे पास कोबाल्ट योजना नामक एक योजना है। हाल ही में हमने अपने राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को उन्नत बनाया है। पूर्व में, हमारे पास एक ऐसी योजना थी जिससे हम कोबाल्ट यूनिट के लिए 1.5 करोड़ रुपये की सहायता सरकारी अस्पतालों को देते थे तथा गैर-सरकारी संगठनों या निजी क्षेत्र को इस शर्त पर कोबाल्ट मशीन के लिए 1 करोड़ रुपये देते हैं कि गैर-सरकारी संगठन या निजी क्षेत्र कुछ लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएंगे। लेकिन इसे उचित रूप में क्रियान्वित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, हम अपने देश के गरीब मरीजों के बारे में भी चिंतित हैं। हम सरकारी सुविधाओं को उन्नत बनाना चाहते हैं। हम सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ढांचागत सुविधा तैयार करना चाहते हैं जिससे कि बहुत से लोगों का मुफ्त इलाज किया जा सके। एक बार यदि ऐसा हो जाता है, इसके बाद हम गैर-सरकारी संगठनों को भी सहायता देने की योजना बना सकते हैं।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: मैंने एक खास मामले के बारे में आपको पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय: आप उनके पास जाएं और उनसे मिलें।

डा. अंबुमणि रामदासः यह नीति निर्धारण से सम्बंधित मामला है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः हमारी इलाहाबाद की एक समस्या है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप उनको सुझाव दीजिए कि वह आपसे मिलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया सहयोग कीजिए। मैं इस प्रश्न की महत्ता को समझता हूं। मैं सभी पक्षों को अवसर देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्नाः माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कैंसर एक भंयकर बीमारी है और बहुत से नीम हकीमों ने मजबूर पेशेंट्स की इस नाम से कि वे कैंसर का इलाज कर सकते हैं, लूट मचा रखी है। क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात है और केन्द्र सरकार उन नीम हकीमों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहती है? पंजाब एक बहुत अच्छा राज्य है, लेकिन उसमें अभी तक आर.सी.सी. नहीं है, क्या केन्द्र सरकार की और आपके मंत्रालय की पंजाब में आर.सी.सी. खोलने की कोई योजना है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बंध है, यदि हमें कुछ लोगों द्वारा की जा रही नीम हकीमी की सूचना मिलती है तो हम कार्रवाई करेंगे। हम यह औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) को बनाना चाहते हैं जो इससे सम्बंधित है। यह अधिक कड़ा है। हम उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

पंजाब के सम्बंध में मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय कैंसर सेंटर वाला कोई अस्पताल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय कैंसर सेंटर स्थापित करने की कोशिश में हैं, हम पी.जी.आई. चंडीगढ़ में क्षेत्रीय कैंसर सेंटर बना कर सुविधाओं को उन्नत करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार मांझीः अध्यक्ष महोदय, बिहार जैसी घनी आबादी वाले राज्य का मगध प्रमंडल हैडक्वार्टर गया में है जहां मेडिकल कालेज भी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां पर एक अतिरिक्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र खोलने का इरादा रखती है जोकि घनी आबादी वाले राज्य में अतिरिक्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को चरणबद्ध ढंग से मान्यता देने की केन्द्र सरकार की योजना के तहत आती है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, यदि बिहार में कोई क्षेत्रीय कैंसर सेंटर नहीं है तो निश्चिततौर पर वहां दो सेंटरों की स्थापना

की जाएगी क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स के बारे में अधिक चिंतित हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के निचले मानदंडों के अंतर्गत आते हैं खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और पूर्वोत्तर के राज्य। इसलिए, ये सभी राज्य मेरी प्राथमिकता में हैं और हम न केवल क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र खोलेंगे बल्कि अन्य सभी कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सदन का हर पक्ष इसके लिए चिंतित है। इसलिए, मंत्री महोदय को अनुमति दी जाए और उनके साथ हम सभी का सहयोग और सहानुभूति होगी। वे अधिकतम प्रयास कर रहे हैं और वे इसे आगे भी जारी रखेंगे। सभा का हर पक्ष और आप सभी चिन्तित हैं।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार झारखंड राज्य में कैंसर अनुसंधान केन्द्र खोलने सहित केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित रोग उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठा रही है? यदि हां, तो कब तक?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या झारखंड के लिए भी कोई कार्यक्रम है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: मैं इस प्रश्न का उत्तर इससे पूर्व सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में पहले ही दे चुका हूं। आज की स्थिति में झारखंड में कोई भी क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र नहीं है। हमें राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हम उस पर विचार कर रहे हैं। अगले वर्ष तक हम झारखंड में एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र आरम्भ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपको एक सकारात्मक उत्तर मिला है।

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: अध्यक्ष महोदय, देहात के लोगों को ज्यादातर कैंसर की बीमारी होती है। लेकिन आज देहात के किसी सिविल अस्पताल में कैंसर का इलाज नहीं हो पाता। उसके लिए लोगों को मुम्बई और पूना जैसी सिटी में जाना पड़ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा हर सिविल अस्पताल में एक कैंसर डिपार्टमैंट और उसके लिए डाक्टर और दवाइयों की सुविधा दी जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने जो पहले कहा था उसे पुनः दोहरा दें।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, कैंसर का उपचार तीन चरणों में होता है शल्य चिकित्सा 'रेडियोथैरेपी' और 'किमोथैरेपी'। इन प्रक्रियाओं के लिए अवसंरचना सहित पक्के भवन और आधुनिक सुविधाएं चाहिये। इसलिए हमारे पास दो कार्यक्रम हैं। एक है जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें मरीजों की जांच की जाती है और उन मरीजों को इन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र तथा इस कार्यक्रम में सहायता कर रहे अन्य सरकारी अस्पतालों में लाया जाता है जिससे इन केंद्रों पर बहुत सारे गरीब मरीजों का इलाज चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, नेहरू परिवार की यादगार से जुड़ा हुआ कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल इलाहाबाद, उ.प्र. में है। आपने अपने उत्तर में कई अस्पतालों के देय धन को दर्शाया है कि हम इतनी सहायता दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करेंगे अध्यक्षपीठ द्वारा उनका ख्याल रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: लेकिन कमला नेहरू अस्पताल के लिए कोई धन नहीं दर्शाया गया है जबकि पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग पान, खैनी और गुटखा खाते हैं जिससे लोगों को मुख का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल में करेंगे?

दूसरी बात, अभी हमारे ब्रजेश पाठक ने एक क्वैश्चन पूछा था तब आपने कहा कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह इसी क्वैश्चन से जुड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह उस क्वैश्चन से जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री का विवेकाधीन कोष बंद है, क्या केन्द्र सरकार कैंसर पीड़ितों की सम्पूर्ण धनराशि से आर्थिक मदद करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का ही उत्तर दें

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित कमला नेहरू स्मारक अस्पताल का प्रश्न है, यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि, हम उत्तर प्रदेश में एक और क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में देश में स्थित सभी क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों के आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु 25 लाख रुपये दिये गए हैं। हमने दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए सभी क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों की अवसंरचना के उन्नयन, उपकरण तथा अन्य सुविधाओं के लिए 3 करोड़ रु. की एकमुश्त राशि का प्रस्ताव किया है। हम इसके लिए पहले से ही धन उपलब्ध करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री राजगोपाल कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें और संगत अनूपूरक प्रश्न करें।

श्री एल. राजगोपाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार 'ऐस्वेस्टास' पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, क्योंकि यह कैंसर का एक प्रमुख कारण है?

दूसरा क्या तम्बाकू कम्पनियां कैंसर के उपचार और अनुसंधान के लिए किसी कोष में योगदान कर रही हैं। क्योंकि तम्बाकू कैंसर का एक प्रमुख कारण है?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के केवल प्रथम भाग का उत्तर दें।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जहां तक 'ऐस्बेस्टस' का प्रश्न है अधिकांश गरीब लोग इसका प्रयोग करते हैं जहां तक स्वास्थ्य की दृष्टि से 'ऐस्वेस्टास' पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न है, सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है। यह एक व्यावसायिक जोखिम है और ऐस्बेस्टास फैक्टरियों में काम करने वाले लोगों में फेफड़ों के कैंसर होने की सम्भावना बनी रहती है, परन्तु हम इसके प्रयोग की प्रचुरता के बारे में बात कर रहे हैं। गांवों में अधिकतर गरीब लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग की बात है, तम्बाकू उद्योग स्वास्थ्य विभाग को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आपने इसका उत्तर दे दिया है।

श्रीमती पी. सतीदेवी। इस विषय पर यह अन्तिम अनुपूरक प्रश्न होगा।

श्रीमती पी. सतीदेवी: क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में उपचाराधीन अधिकांश कैंसर रोगी केरल के उत्तरी जिलों से हैं। कन्नूर जिले के तेल्लीचेरी में स्थित मालाबार कैंसर केंद्र पर 'रेडियोथैरेपी' की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या तेलीचेरी स्थित मालाबार कैंसर केन्द्र पर रेडियोथैरेपी इकाई आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री उत्तर कैसे दे सकते हैं यदि अलग-अलग सदस्यगण विषय विशेष पर अलग-अलग प्रश्न पूछेंगे?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, 'कोबाल्ट स्कीम अनुदान' के अंतर्गत कन्नूर स्थित मालाबार कैंसर केन्द्र के लिए प्रस्ताव लम्बित है। जैसाकि मैंने पहले ही बताया, कि रोक दिया गया कोबाल्ट स्कीम अनुदान को निजी क्षेत्र में पहले ही रोक दिया गया है, और हम केवल सरकारी क्षेत्र पर ही ध्यान दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे क्षमा करें। मैंने इस विशेष प्रश्न पर 16 अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी है। 16 माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, हमें खुशी है कि आपने 16 माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

एड्स की दवा/टीका

*102 श्री वाई.जी. महाजन:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय एड्स के रोगियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में बनायी जा रही एड्स रोधी दवा/टीका अन्य देशों में बनायी जा रही एड्स की ऐसी ही दवाओं की तुलना में काफी सस्ती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) अक्तूबर, 2004 के अंत तक सूचित किए गए एड्स के रोगियों की देश में संचयी संख्या 91,080 है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एड्स के रोगियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में विनिर्मित की जा रही एंटी-रिट्रोवायरल दवाइयां अन्य देशों में विनिर्मित ऐसी दवाइयों की तुलना में लागत प्रभावी होती हैं। इन दवाइयों की तुलनात्मक लागत निम्नानुसार है:

एंटी-रिट्रोवायरल औषधें	भारतीय फार्मास्यूटिकल कम्पनियों द्वारा भारत सरकार को प्रति रोगी प्रति वर्ष प्रस्तुत मूल्य	अन्य देशों में प्रति रोगी प्रति वर्ष सदृश दवाइयों का मूल्य
लैमीव्यूडीन+स्टाव्यूडीन (30 मि.ग्रा.)+नेवीयरापाइन कंबीनेशन	5967.75 रुपए	9108 रुपए
लैमीव्यूडीन+स्टाव्यूडीन (40 मि.ग्रा.)+नेवीयरापाइन कंबीनेशन	6132.00 रुपए	9828 रुपए
लामीव्यूडीन+जिडोव्यूडीन+नेवीयरापाइन कंबीनेशन	10585.00 रुपए	15347 रुपए

एंडी-एड्स वैक्सीन अभी भी परीक्षण अधीन है और अभी तक संसार में इसका कहीं भी विपणन नहीं किया जा रहा है।

अनुबंध

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, भारत
भारत में एड्स रोगी (नाको को सूचित)
(31 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एड्स रोगी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	9549
2.	असम	225
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33
5.	बिहार	155
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	991
7.	दिल्ली	925
8.	दमन और दीव	1
9.	दादरा और नगर हवेली	0
10.	गोवा	463

1	2	3
11.	गुजरात	5152
12.	हरियाणा	385
13.	हिमाचल प्रदेश	199
14.	जम्मू-कश्मीर	2
15.	कर्नाटक	2043
16.	केरल	1769
17.	लक्षद्वीप	0
18.	मध्य प्रदेश	1260
19.	महाराष्ट्र	18494
20.	उड़ीसा	128
21.	नागालैंड	645
22.	मणिपुर	2866
23.	मिजोरम	97
24.	मेघालय	8
25.	पांडिचेरी	302
26.	पंजाब	292
27.	राजस्थान	1089
28.	सिक्किम	8
29.	तमिलनाडु	40214
30.	त्रिपुरा	5
31.	उत्तर प्रदेश	1383
32.	पश्चिम बंगाल	2397
	कुल	91080

[हिन्दी]

श्री वाई.जी. महाजन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या एड्स निर्यत्रण कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों को दानदाता एजेंसियों से भारी आर्थिक मदद मिल रही है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, एच.आई.वी. कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वतंत्र रूप से धन जुटाये जाने के संबंध में आज की स्थिति के अनुसार हमारे पास कोई ब्यौरा नहीं है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों को दिये जा रहे धन का ब्यौरा हमारे पास है। यदि माननीय सदस्य इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते है, हम उन्हें इसका ब्यौरा उपलब्ध करा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री वाई.जी. महाजन: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश के ऐसे स्थानों का पता लगाया है जो हाई-रिस्क ग्रुप्स के नाम से जाने जाते हैं? यदि हां, तो महाराष्ट्र के कौन से स्थान हैं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मुझे इसका अनुवाद नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय: श्री वाई.जी. महाजन, प्रश्न का अनुवाद उपलब्ध नहीं था। कृपया माननीय मंत्री से अपना प्रश्न पुनः पूछें।

[हिन्दी]

श्री वाई. जी. महाजन: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश के ऐसे स्थानों का पता लगाया है तो हाई-रिस्क ग्रुप्स के नाम से जाने जाते हैं? यदि हां, तो महाराष्ट्र के कौन से स्थान हैं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, "संकटासन्न राज्य" और "संकटासन्न व्यक्तियों" को वर्गीकृत कर लिया गया है। "संकटासन्न राज्य" अथवा "अधिक रोगग्रस्त रोगियों वाले राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं, "सामान्य रोगग्रस्त रोगियों वाले राज्यों" में गुजरात, पांडिचेरी और गोवा शामिल हैं। अन्य सभी राज्य अत्यंत सुभेद्य श्रेणी वाले राज्य हैं। कमर्शियल सेक्स वर्कर, ट्रक ड्राइवर और प्रवासी मजदूरों को हमने "अत्यंत जोखिम प्रवण समूह में वर्गीकृत किया है। वास्तव में, स्वास्थ्य कार्मिक, समलैंगिक और युवा वर्ग अत्यंत जोखिम वाली श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बंध है हम इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दे सकते, परन्तु हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में मुम्बई अत्यंत जोखिम वाले समूह की श्रेणी में आता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव—उपस्थित नहीं हैं। मैं श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी को बोलने का अवसर देता हूं।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं के अनैतिक उपयोग के बारे में जानकारी है जिसका एड्स रोगियों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और क्या सरकार ऐसे हथकंडों पर रोक लगाने के लिए किसी राष्ट्रीय नीति पर विचार कर रही है। दूसरा, क्या सरकार महिलाओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए विवाह के वक्त 'खून की जांच' को अनिवार्य करने पर विचार करेगी?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हमें ऐसे रोगियों जिन्हें यह एंटी-रेट्रोवायरल थेरापी दी गई पर हुई कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इस एंटी-रेट्रोवायरल थेरापी के अंतर्गत हमारे पास तीन व्यवस्थाएं हैं। यह बहु-औषध व्यवस्था है। सही मायने मे, हमारे पास उस बहु-औषध व्यवस्था में तीन व्यवस्थाएं हैं। हो सकता है, कुछ रोगियों पर ये प्रतिक्रियाएं हुई हों, परन्तु चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इस बाबत ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं हुई हैं; मात्र कुछ घटी प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई है। सही मायने में, सरकार एक हजार रोगियों को मुफ्त एंटी-रेट्रोवायरल थेरापी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उनके प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। यह एक सामाजिक मामला है। सभी की सहमति से हमें इस मामले पर और गहन रूप से विचार करना है, और तब ही, हम इस पर विचार कर सकते हैं। तब तक, मैं सोचता हूं कि हमें इस पर कोई विचार नहीं बनाना चाहिए।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी: जब राजग सरकार की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, ने बेल्लारी, कर्नाटक का दौरा किया तब उन्होंने मेरे ससंदीय क्षेत्र में 'एडस-मुक्त बेल्लारी कार्यक्रम' की घोषणा की। मैं माननीय मंत्री जी से इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यक्रमों, आवंटित धनराशि, खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा और अभी तक प्राप्त परिणामों की जानकारी चाहूंगा।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य को इन ब्यौरों के बारे में जानकारी दूंगा।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर एक विवरण रखा था जिसमें उन्होंने बताया कि मात्र 91,080 एड्स/एच.आई.वी. प्रभावित रोगी हैं। सामान्यतः, हम यह मानते रहे हैं कि एड्स एक बड़ी समस्या है। परन्तु इन आकड़ों पर नजर डालने से, यानि कि, 91,000 एड्स प्रभावित रोगी, ऐसा प्रतीत होती है कि यह कोई समस्या ही नहीं है। क्या यह आंकड़ें सही हैं? क्या सरकार यह पता लगाने के लिए कि रोगियों की संख्या जो यहां बताई गई हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा है कोई कार्रवाई करने पर विचार कर रही है यदि हमारे यहां 91,000 एड्स रोगी हैं, तब *91,000 से ज्यादा लोग अन्य सामान्य रोगों से* प्रभावित हैं।

एड्स के उपचार के लिए बताए गए दवाओं के प्रकार के बारे में और क्या देश में ये दवाएं उपलब्ध हैं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। जल्द ही, उत्पाद पेटेंट संबंधी एक विधेयक पर संसद में चर्चा होने वाली है। एक बार जब उत्पाद पेटेन्ट लागू हो जाएगा तो क्या कुछ दवाइयां जो हम रोगियों को लेने की सलाह देंगे। वहनीय मूल्य पर उपलब्ध न होने की संभावना है? क्या सरकार ऐसे प्रावधानों को लागू करेगी जहां एड्स रोगियों के लिए निर्देशित दवाएं बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं होंगी ताकि गरीब रोगी उससे वंचित न रह जाएं तथा दवाएं वहनीय मूल्य पर उपलब्ध हों?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य ने हमारे देश में इस रोग की भयावहता से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहां एच.आई.वी./एड्स के प्रकाश में आए लगभग 91,000 मामले हैं। इसके दो भाग हैं। एक प्रकाश में आए मामले और दूसरा आकलित मामले। वर्ष 1998 से पहले, हमारे पास प्रकाश में आए मामलों की ही रिपोर्ट थी। आज, संचित रूप में, हमारे देश में एड्स के प्रकाश में आए मामले 91,000 से कुछ ज्यादा हैं। हालांकि, हमारे देश में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, हमारे यहां एच.आई.वी./एड्स के 51 लाख आकलित मामले हैं। सिर्फ यही नहीं, अब हम एक स्वतंत्र एजेंसी से नाको के कार्यकरण सहित हमारे देश में एच.आई.वी./एड्स की वर्तमान स्थिति के लिए पुनर्राकलन कराने जा रहे हैं। एक बार इसकी रिपोर्ट आ जाए, माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमें ये आंकड़े आठ से दस महीने के समय में प्राप्त होंगे।

जहां तक एक दूसरे प्रश्न का सवाल है, एंट्री-रेट्रोवायरल थेरापी के लिए हमारे पास भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएं हैं जैसे स्टावुडाईन, लामीवुडाईन, नेवीरापाईन, जीडोवुजाईन जोश वाली दवाईयां हैं जो टी.बी. की दवाई हैं। मैं इन सभी दवाइयों की एक सूची दे सकता हूं। आज, लागतानुसार भारत में जेनेरिक ए.आर.डी. के भारतीय निर्माताओं के मूल्य विश्व में सबसे कम है। लोग दक्षिण अफ्रीका को कम महंगी दरों के कारण ही इसकी आपूर्ति करते हैं। इस बीच एक समस्या हो गई जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक निजी कंपनी को जैव-समतुल्यता परीक्षण में खरे न उतरने के कारण असूचीबद्ध कर दिया गया था। हाल ही में एक बार फिर, दो कंपनियों को असूचीबद्ध किया गया है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आपसी राजनीतिक उठा-पटक का परिणाम है जो उनके बीच

जारी है। हम अपने लोगों के लिए कम कीमत पर सर्वोत्तम दवा चाहते हैं। हम इस क्षेत्र को सरकारी उपयोग के लिए संरक्षित करने के संबंध में सभी उपाय करेंगे।

श्री पी. मोहन*: महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने देश में एड्स के प्रकाश में आए राज्यवार मामलों के संबंध में इस सभा को सूचना प्रदान की है। उन्होंने विस्तृत उत्तर दिया है तथा मैं यह जानकर दुखी और विस्मित हूं कि तमिलनाडु में एड्स के प्रकाश में आए मामले ज्यादा हैं, यह 40,000 से भी ज्यादा हैं। उस सूची में तमिलनाडु को शीर्ष पर देखकर मैं दुखित हूं। मेरे जैसे ही माननीय मंत्री जी तमिलनाडु से हैं। मैं भी समान रूप से दुखी हूं क्योंकि यह शर्मनाक प्रतिबिंबन है कि अभी पर्याप्त उपाय किए जाने बाकी हैं। जब हम सब यह चाहते हों कि तमिलनाडु विभिन्न क्षेत्रों में अगुआई करे और शीर्ष पर रहे तब यह आंकड़ा हमें शर्मशार और दुखी करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या तमिलनाडु में प्रकाश में आए मामलों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए कोई खास और क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रम एड्स से लड़ने के लिए शुरू किए जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, इसी भाषा में जवाब दिलवा दीजिए।

श्री पी. मोहन: *महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, एड्स के खिलाफ अभियान के रूप में दूरदर्शन पर दिखाएं जा रहे विज्ञापन हमारी संवेदनशीलता पर कुप्रभाव डाल रहे हैं। कंडोम के उपयोग द्वारा सेक्स को खुले रूप में बढ़ावा देना एक प्रकार से उन्मुक्त दृष्टिकोण को ही बढ़ावा देना होगा जो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस प्रकार के विज्ञापन भी इस रोग के प्रसार का कारण हो सकते हैं?

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर तमिल में दे सकता हूं परन्तु चूंकि यह एक तकनीकी मामला है, मैं इसका उत्तर अंग्रेजी में दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बहुत संक्षिप्त और तथ्यपरक उत्तर दें, हालांकि, अनुपुरक प्रश्न काफी लंबा था। यहां कई अन्य माननीय सदस्य हाथ उठा रहे हैं।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। असल में, वह मेरे राज्य से हैं, और हमारी समान जिम्मेदारी है। एच.आई.वी./एड्स समाज में एक बदनुमा दाग है जबकि ज्यादा लोग रिपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

तमिलनाडु में, जागरूकता उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। तमिलनाडु में कई लोगों ने इस रोग की जानकरी दी है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि तमिलनाडु में 40,000 मामले प्रकाश में आए जो देश में सबसे ज्यादा हैं, परन्तु इसलिए कि तमिलनाडु में कई मामलों की जानकारी दी गई है।

जहां तक एच.आई.वी./एड्स का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका मात्र इलाज किया जा सकता है और इसे रोका जा सकता है। इसलिए, सरकार उस दिशा में सारे उपाय कर रही है। इस सभा में पिछले सप्ताह जैसा मैंने कहा, एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम कई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। वस्तुतः एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु हमारे पहले ही कई कार्यक्रम हैं। हम मीडिया, दृश्य-श्रव्य, आल इंडिया रेडियो का उपयोग कर रहे हैं और इस मामले की जांच-पड़ताल हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयीय बैठक भी आयोजित की गई थी। हम इन कमजोर वर्गों की ओर ध्यान दे रहे हैं। युवाओं के स्तर पर हमारे 'स्कूल टाक एड' कार्यक्रम और 'यूनिवर्सिटी टाक एड' कार्यक्रम हैं। निश्चित रूप से हम एड्स के बारे में देश में सर्वत्र जागरूकता पैदा करने के लिए चार रेलगाड़ियों का उपयोग भी करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

डा. अंबुमणि रामदासः एच.आई.वी. के मामलों में, अगले छह से आठ माह के अन्दर-अन्दर इस बीमारी को रोकने हेतु हमारे देश में एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आरम्भ होने जा रहा है।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मेरे तीन बहुत ही सटीक प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय: तीनों प्रश्नों को समाहित करते हुए एक ही विस्तृत प्रश्न पूछिए।

श्री तथागत सत्पथी: एड्स एक सामाजिक समस्या है। अर्था मूलतः, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि, लोगों, विद्यालयों और महाविद्यालयों के नौजवान छात्रों को एड्स के बारे में बताए जाने की आवश्यकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय का छात्रों को एड्स के बारे में जागरूक करने और यौन शिक्षा के बारे में कोई कार्यक्रम है। दूसरा भाग ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई दूसरा भाग नहीं। हमें कुछ अनुशासन बनाए रखना चाहिए। यह क्या है? और कोई भाग नहीं। इस विषय पर बहुत से माननीय संसद सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं शीघ्रतापूर्वक प्रश्न पूछूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने विदेशी अनुसंधानकर्ताओं के साथ एड्स का टीका विकसित करने के क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी या आर्थिक सहायता हेतु समझौता किया है और क्या भारत विदेशी फर्मों के लिए यहां के एड्स रोगियों, जो एच.आई.वी. से संक्रमित हैं, पर उनके टीकों और दवाइयों के परीक्षण हेतु 'गिनी पिग' बना रहेगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री सत्पथी, यह ठीक नहीं है।

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय संसद सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर हमने पहले ही दे दिया है। हमारा 'स्कूल टाक एड' कार्यक्रम है, हमारा 'यूनिवर्सिटी टाक एड' कार्यक्रम है और हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ आरम्भिक चर्चा की है। हमने अंतर-मंत्रालयीय बैठक की है जिसमें हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विद्यालय के स्तर पर एच.आई.वी. के बारे में जागरूकता फैलाने तथा स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप जो कर चुके हैं उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

डा. अंबुमणि रामदास: एच.आई.वी. के बारे में जागरूकता फैलाना पर्यावरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों का हिस्सा होगा। हम इसे विद्यालयों और महाविद्यालयों के स्तर पर पाठ्यक्रम का भाग बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरा भाग अनुसंधान के बारे में है। 'इंटरनैशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव' आई.ए.वी.आई., भारत में आई.सी.एम.आई. के साथ समन्वय करके भारत में एक टीका बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यह प्रक्रिया चल रही है। इसमें, वर्तमान में दो टीकों पर काम चल रहा हैं। एक है 'एडिनो एसोसिएटिड वायरस वैक्सीन'। अगले वर्ष के आरम्भ में चरण-1 के चिकित्सकीय परीक्षण किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह उत्तर में भी दिया गया है जो कि आप पहले ही दे चुके हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: 'गिनी पिग' के संबंध में, भारत नैतिक मूल्यों तथा दिशानिर्देशों को ध्यान रखे बिना किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के किसी भी प्रकार के चिकित्सकीय परीक्षणों के लिए 'गिनी पिग' की भूमि नहीं बनने जा रहा है। हमारे यहां एक राष्ट्रीय आचार समिति है। हम इसे और भी कठोर और त्रुटिहीन बनाने जा रहे हैं। लोग मानदण्डों व प्रक्रियाओं का पालन किए बिना इस प्रकार के किसी भी परीक्षण हेतु भारत को हल्के से नहीं ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उनमें पांडिचेरी, दादरा नागर-हवेली का एक भी एड्स पेशेंट नहीं है। दमन-दीव एवं जम्मू-कश्मीर में दो पेशेंट्स हैं। इन स्टेट्स में इतने कम रोगियों का क्या इलाज किया गया है, वह बताएं?

दूसरा प्रश्न यह है कि जिस स्टेट से आप आते हैं वहां पर 40 हजार एड्स पेशेंट्स हैं और जिस स्टेट से मैं आता हूं वहां पर एड्स के 18 हजार पेशेंट्स हैं। इस मामले में पहला स्थान आपके स्टेट का है, दूसरा स्थान मेरे स्टेट का है, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है और चौथा स्थान गुजरात स्टेट का है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है? क्या आपको इस बात का दुख है कि आपका राज्य दूसरे स्थान पर है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: एड्स के रोगियों की संख्या कम करने के लिए सरकार की तफ से क्या प्रयास किये जा रहे हैं और जिन स्टेट्स में एड्स के रोगियों की संख्या ज्यादा है, उस संख्या को कम करने के लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है? पांडिचेरी, दादरा-नागर-हवेली में रोगियों की संख्या कम है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे यह सब कुछ ही बताते रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: वहां रोगियों की संख्या कम क्यों है और दूसरी जगहों पर एड्स के रोगियों की संख्या ज्यादा क्यों है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कहना चाहते हैं? वे यह कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में यह संख्या कम क्यों है।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: मैं यह पहले ही कह चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप कहते हैं कि आपकी कारगर कार्यवाही से ही यह संख्या कम है।

...(व्यवधान)

डा. पी.पी. कोया: महोदय, मेरा एक सटीक प्रश्न है। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सदस्यों की रुचि देख चुके हैं। एड्स एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी। यह जागरूकता सदस्यों से ही आरम्भ करनी पड़ेगी। केवल जबानी जमा-खर्च से काम नहीं चलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उनकी, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की भांति इस सम्मानित संसद के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता के लिए जिला स्तर पर समितियां बनाने जैसी कोई परियोजना है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं माननीय संसद सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह प्रश्न पूछा। मैं माननीय संसद सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि एच.आई.वी. सम्बन्धी संसदीय मंच ने जागरूकता फैलाने के बारे में बहुत अच्छा कार्य किया है। आपकी अनुमति से मैं यह कह सकता हूं कि हमने इस सप्ताह सभी संसद सदस्यों के लिए जागरूकता कैम्प लगाया है। सभी संसद सदस्यों के लिए संसदीय सौध में स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसका उद्घाटन किया है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सभी माननीय संसद सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे वहां जाएं। वह भी जागरूकता अभियान का ही एक हिस्सा है। मैं यह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या इसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से चलाया जा सकता है।

श्री अजय चक्रवर्ती: क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार हमारे देश के स्वास्थ्य केन्द्रों सहित सभी अस्पतालों में एड्स संक्रमित रोगियों को निःशुल्क औषधियां उपलब्ध कराने के साथ-साथ निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने पर भी विचार कर रही है?

डा. अंबुमणि रामदास: मैं पहले ही यह सूचना दे चुका हूं कि सरकार की आने वाले कुछ वर्षों में 1,00,000 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा कराने की योजना है। इसके लिए हम इस वर्ष के अंत तक 16 अस्पतालों की पहचान करने जा रहे हैं और अगले वर्ष की पहली छमाही की समाप्ति तक और 50 ऐसे अस्पतालों की पहचान की जाएगी जहां ऐसे रोगियों की चिकित्सा हो सके। इस हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इन रोगियों की किसी भी स्थिति में कहीं भी चिकित्सा करा सकें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही यह कह चुके हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जहां हम चिकित्सकों को प्रशिक्षण दे सकें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे पहले ही विस्तारपूर्वक इसका उत्तर दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कोई नया प्रश्न पूछिए।

श्री अजय चक्रवर्ती: मैंने यह पूछा है कि कि क्या इसमें सभी अस्पतालों को शामिल किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बताया है कि यह संभव नहीं है। केवल 16 अस्पतालों की पहचान की गई है।

श्री सुरेश अंगड़ि: इस देश के अधिकतर एड्स पीड़ित व्यक्ति गरीब और अशिक्षित हैं। क्या सरकार के पास ग्रामीण और कृषक समुदाय के लोगों को शिक्षित करने की कोई योजना है। मंत्री महोदय को इस बारे में जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपने जो कहा है उसे एक वाक्य में दोबारा बताये।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, अगले छह से आठ महीनों में अनेक क्षेत्रों और अनेक मंत्रालयों को समाहित करते हुए एक बहुत ही व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम शुरु किया जायेगा। जिसके माध्यम से हम एच.आई.वी. एड्स के बारे में ग्रामीण जनता और युवाओं सहित दूसरे लोगों में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने की योजना बनायी है।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि तमिलनाडु एड्स के मामले में पहले स्थान पर

है। ऐसा बताया गया है कि एड्स के कुल 91,080 रोगियों में से 40,240 रोगी अकेले तमिलनाडु में हैं।

तमिलनाडु के गैर-सरकारी संगठन वहां एड्स जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश से बड़ी मात्रा में सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है, और इस संबंध में चलाये जा रहे सारे कार्यक्रम कागजी हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास इस तरह के एड्स जागरूकता कार्यक्रम चलाने वाले इन फर्जी गैर-सरकारी संगठनों पर निगरानी रखने हेतु कोई तंत्र है।

डा. अंबुमणि रामदासः जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सरकार के माध्यम से निधियां प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी और उन पर नियंत्रण रखने का तंत्र हमारे पास है। लेकिन हमारे पास उन गैर-सरकारों संगठनों को नियंत्रित करने का कोई तंत्र नहीं है जिन्हें सीधे तौर पर निधियां प्राप्त होती हैं। एफ सी आर अनुमति मिल जाने के बाद गैर-सरकारी संगठनों पर नियंत्रण था कोई तंत्र हमारे पास नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता मानेः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि एड्स का प्राथमिक टैस्ट करने पर 800 रुपए से ज्यादा खर्चा आता है। क्या सरकार वह टैस्ट मुफ्त करने या कुछ कनसेशन देने का विचार कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता मानेः मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिस लड़की की शादी होने वाली होती है, उसे मालूम नहीं होता कि उसका पति एड्स का शिकार है। ऐसे में शादी के बाद उसे भी एड्स हो जाता है। क्या सरकार इसके इलाज के लिए कुछ पैसा या सुविधा देना चाहेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, आप इनके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दें।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, प्रश्न के पहले भाग के बारे में भी सरकार कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदयः आप पहले इसका जवाब दे चुके हैं।

डा. अंबुमणि रामदासः नहीं महोदय, हम परीक्षण के बारे में बातें कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। आप स्वेच्छा से पुनः पूरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, सरकार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नैको) के माध्यम से 1020 ब्लड बैंकों को सहायता दे रही है जिसके अंतर्गत इन ब्लड बैंकों को पूरे देश में निःशुल्क परीक्षण के लिए मुफ्त में एक एचआईवी किट दी जा रही है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह एक सामाजिक मुद्दा है, एक व्यापक परिदृश्य वाला मुद्दा है। इस विषय में हमें सामूहिक निर्णय लेने की जरूरत है। इस विषय पर अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय कोई निर्णय नहीं ले सकता है।

अध्यक्ष महोदयः वह उन लड़कियों को कुछ सुविधाएं दिये जाने के बारे में पूछ रही हैं जिनकी शादी होने जा रही है।

डा. अंबुमणि रामदासः हमारे देश में केवल स्वैच्छिक परीक्षण की अनुमति है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः स्वाभाविक है, जब यह बात है ही नहीं, तो प्रश्न कहां से उठता है।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदासः हमारे देश में केवल स्वैच्छिक परीक्षण की अनुमति है। इसलिए हम किसी से जबर्दस्ती नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदयः अब, डा. सुजान चक्रवर्ती बोलेंगे।

यह इस प्रश्न से संबंधित अंतिम अनुपूरक प्रश्न है। कृपया सीधा प्रश्न करें।

डा. सुजान चक्रवर्तीः महोदय, खुली अर्थव्यवस्था के इस दौरे में, इस संपूर्ण क्षेत्र में जब सेक्स भी एक व्यापार की वस्तु बन गयी है, तो सारे जागरूकता अभियानों के बावजूद इस तरह की परेशानियां तो होनी ही हैं।

मेरा सीधा प्रश्न यह है कि जो लोग एच आई वी/एड्स से प्रभावित है, सरकार उनके लिए किन पुनर्वास प्रस्तावों अथवा पैकेजों पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदयः इनका प्रश्न यह है कि जो लोग एच आई वी एड्स से पीड़ित हैं उनके लिए क्या कोई पुनर्वास पैकेज है?

डा. अंबुमणि रामदासः इस बारे में सरकार कई तरह से सहायता दे रही है। इस समय इसके लिए कई सामुदायिक देखभाल केन्द्र चलाये जा रहे हैं। लगभग ऐसे 51 सामुदायिक देखभाल केन्द्र पहले से ही चल रहे हैं जहां एच आई वी/एड्स रोगियों की देखभाल गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की जा रही है। ये संगठन रोगियों के उपचार और पोषणयुक्त भोजन का ध्यान रखते हैं। इनमें हर तरह की देखभाल की जाती है।

लेकिन पूरे देश में 51 केन्द्र पर्याप्त नहीं हैं। सरकार इनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

कयर उत्पादों का निर्यात

***103. श्री अवतार सिंह भडाना:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए कयर उत्पादों और उक्त अवधि के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा वर्षवार, राज्यवार और श्रेणीवार दें;

(ख) क्या संघ सरकार का प्रस्ताव कयर उत्पादों के न्यूनतम निर्यात मूल्य को बहाल करने का है जिन्हें विगत वर्ष रद्द कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) राज्यवार आज तक की स्थिति के अनुसार कयर उद्योग में कुल जनशक्ति कितनी है; और

(च) कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विगत तीन वर्ष के दौरान निर्यात किए गए कयर तथा कयर उत्पादों और अर्जित विदेशी मुद्रा (वि.मु.) की राशि वर्षवार तथा श्रेणीवार, निम्नानुसार प्रस्तुत है:

(मात्रा मी.ट. में) (विदेशी मुद्रा की राशि लाख रु. में)

मद	2001-02		2002-03		2003-04	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
हथकरघा मैट्स	26147.89	17009.85	33058.74	20711.80	36360.99	22133.69
टफटिड मैट्स	7129.54	4112.36	6429.05	3434.74	11772.50	6359.54
कयर यार्न	13206.90	3728.60	11482.48	2996.78	12364.43	3498.71
हथकरघा मैटिंग	4423.27	2921.03	4772.63	3191.41	4545.56	2838.66
कयर रग्स	1329.97	1039.77	1327.08	932.41	1694.56	1071.36
कयर पिथ	13725.65	1014.34	21064.19	1493.00	29179.35	1975.92
कयर भू वस्त्र	1752.05	780.13	2140.68	985.22	2599.54	1184.74
पावरलूम मैट्स	686.51	458.19	954.85	585.52	1026.28	672.13
रबड़युक्त कयर	454.54	350.37	535.29	403.42	461.75	334.67
पावरलूम मैटिंग	274.05	226.18	183.16	111.78	309.04	215.44
कयर फाइबर	1010.30	122.13	1036.87	103.80	1120.75	142.44
कयर रोप	348.64	108.04	332.40	102.05	308.88	111.46
कयर अदर सोर्टस	272.90	106.81	372.86	138.55	490.21	197.90
कलर्ड कयर	572.52	80.83	492.37	80.05	76.64	14.02
कुल	71334.81	32058.43	84182.59	35270.53	102256.48	40750.68

कयर निर्यात का राज्यवार ब्यौरा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ) कयर तथा कयर उत्पादों के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य का प्रतिबंध दिनांक 9 अप्रैल, 2002 को सरकार द्वारा हटा दिया गया। न्यूनतम निर्यात मूल्य का प्रतिबंध हटाने का निर्णय विभिन्न संगत मुद्दों पर उचित रूप से विचार करने के बाद कयर उद्योग के व्यापक हित में लिया गया था। निर्यात किए जा रहे, कयर एवं कयर उत्पादों सहित, किसी भी उत्पाद के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य का प्रतिबंध संघ सरकार की निर्यात-आयात नीति 2002-07 अथवा नवीनतम विदेश व्यापार नीति (सितम्बर, 2004-मार्च, 2009) में जारी नहीं रखी गई है। कयर और कयर उत्पादों के न्यूनतम निर्यात मूल्य का प्रतिबंध फिर से लगाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त हटाने के बाद कयर एवं कयर उत्पादों के निर्यात की कुल राशि और मात्रा इन दोनों में "ओवर आल" वृद्धि हुई है।

(ङ) कयर उद्योग में शामिल कामगारों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम.सं.	राज्य का नाम	रोजगार (कामगारों की संख्या)
1.	केरल	4,33,000
2.	तमिलनाडु	72,840
3.	आंध्र प्रदेश	41,400
4.	कर्नाटक	18,000
5.	उड़ीसा	6,520
6.	अन्य राज्य	14,900
	कुल	5,86,660

(च) कयर और कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(1) कयर क्षेत्र के लघु निर्यातकों को वित्तीय सहायता देने के लिए 'ब्राह्य विपणन विकास सहायता' नामक एक स्कीम 2000-01 में शुरू की गई है। यह सहायता विदेश में व्यापार मेला और प्रदर्शिनियों में निर्यातकों द्वारा भाग लेने के लिए हवाई यात्रा करने और स्टाल किराए पर लेने संबंधी व्यय के एक बड़े भाग की पूर्ति के लिए सरकारी अनुदान उपलब्ध कराती है। यह स्कीम विदेश में बिक्री-सह-अध्ययन दौरा करने और "बायर-सेलर मीट", व्यापार शिष्टमंडल, व्यापार मेले, प्रदर्शनी आदि में भाग लेने के लिए वैयक्तिक लघु निर्यातकों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है।

(2) इसी प्रकार सरकार का कयर बोर्ड विदेश में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, उत्पादों संवर्धन कार्यक्रमों और कैटलाग शो में भाग लेता है ताकि निर्यातक द्वारा जो उत्पाद प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे उत्पादों का निर्यात संवर्धन हो सके।

श्री अवतार सिंह भडाना: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दर्शाया है कि लगभग सभी प्रकार के कयर तथा कयर उत्पादों का निर्यात करके अच्छी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है लेकिन रबड़युक्त कयर और कलर्ड कयर के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा में बढ़ोत्तरी होने के स्थान पर कमी आई है। इसके क्या कारण हैं? भविष्य में उसकी पूर्ति के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रश्न के उत्तर में जो विस्तृत विवरण दिया गया जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे सम्पूर्ण कयर उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है और उसकी बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं और उसके क्या उपाय किये गये हैं। इसके अलावा सरकार ने कयर उद्योग को बढ़ाने के लिये कुछ योजनायें चलायी हैं। इनके नाम निर्यात बाजार संवर्द्धन, घरेलू बाजार संवर्द्धन, अनुसंधान और विकास, उत्पादन और विकास कयर योजना और महिला कयर योजना हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारे यहां कयर का उत्पादन कम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास ऐसा एक आंकड़ा है जिससे माननीय सदस्य को जानकारी हो जायेगी कि रोजगार बढ़ाने और कयर उद्योग में वृद्धि के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001-02 में 5.41 लाख व्यक्ति, 2002-03 में 5.56 लाख व्यक्ति और 2003-04 में 5.86 लाख व्यक्ति इस उद्योग में काम कर रहे हैं। जहां तक कायर उत्पाद का प्रश्न है, यह 2001-02 में 1320 करोड़ रुपये, 2002-03 में 1490 करोड़ रुपये और 2003-04 में 1750 करोड़ रुपये हुआ है। इसका कुल निर्यात इस उद्योग के माध्यम से 2001-02 में 320 करोड़ रुपये का हुआ है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने लिखित वक्तव्य में इसका उल्लेख कर चुके हैं। आप के वक्तव्य में ये आकंड़े दिये गये हैं।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े मूल प्रश्न में नहीं हैं, इसलिये अलग से दे रहा हूं। वर्ष 2002-03 में 352

करोड़ रुपए और वर्ष 2003-04 में 407 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है। हालांकि इस उद्योग में कई ऐसी समस्यायें हैं लेकिन कयर उद्योग प्रगति पर है और यह आगे बढ़ रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया समय का ध्यान रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अब श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील बोलेंगे।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटीलः अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मुझे खेद है, मुझसे चूक हो गयी। हां, श्री भड़ाना आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भड़ानाः अध्यक्ष महोदय, उत्तर में बताया गया है कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपको इसका विस्तार से उत्तर दे दिया गया है। छोड़िये ना।

अब श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटीलः महोदय, केरल एक ऐसा राज्य है जहां नारियल उद्योग और रबर उद्योग लघु उद्योग के रूप में कार्य कर रहे हैं और जिनमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं। इसलिए इस उत्पाद को निर्यात के लिए संबंधित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कायर बोर्ड के माध्यम से जिन चार एक्टिविटीज को लिया गया है, उसके अंदर ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशन्स द्वारा गत 6 महीने में सरकार की क्या परफौमेंस है?

श्री महावीर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में कयर उद्योग काफी प्रगति पर है। इसके अलावा मूल प्रश्न के उत्तर में सरकार ने आंकड़े दिये हैं, माननीय सदस्य पढ़ लेंगे तो उन्हें जानकारी हो जायेगी कि कयर उद्योग कैसे बढ़ा और इसमें कितनी प्रगति हुई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण दूरसंचार को बढ़ावा

***104. श्री के.एस. रावः**
श्री रायापति सांबासिवा रावः

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए "ट्राई" ने एक नीति तैयार की है जैसा कि 28 अक्टूबर, 2004 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दूरसंचार परियोजनाओं को किन-किन राज्यों में शुरू किया जाएगा;

(घ) वर्तमान में ग्रामीण और शहरी दूरसंचार सेवाओं के बीच कितना अंतर है; और

(ङ) देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कब तक दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 27 अक्तूबर, 2004 को "ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं का विकास" पर एक परामर्श-दस्तावेज जारी किया है, जिसके द्वारा 30 नवम्बर, 2004 तक स्टेकहोल्डरों के मत/टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

इस परामर्श-दस्तावेज में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं की उपलब्धता, शहरी और ग्रामीण टेली-घनत्व में बढ़ता अन्तर, ग्रामीण कनेक्टिविटी का "वायस एंड लो स्पीड डाटा ट्रान्सफर" से "ब्राडबैंड कनेक्टिविटी" में उन्नयन, इत्यादि जैसे ग्रामीण दूरसंचार से संबंधित मामले शामिल हैं।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी परामर्श-दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण दूरसंचार से संबंधित मामलों का उल्लेख किया गया है, न कि किसी विशेष राज्य के बारे में।

(घ) 30.9.2004 की स्थिति के अनुसार, 24.08% शहरी टेली-घनत्व की तुलना में ग्रामीण टेली-घनवत्व 1.66% है।

(ङ) सार्वभौमिक सेवा निधि के प्रशासन द्वारा हाल ही में अंतिम रूप से तैयार की गई निविदा शर्तों के अनुसार, नवम्बर, 2007 तक देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

पोषण संबंधी रक्तअल्पता

***105. डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्ष से कम आयु के 4 में से 3 बच्चे पोषण संबंधी रक्तअल्पता से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय पोषाहार नीति के क्रियान्वयन हेतु कोई बजटीय वचनबद्धता न होने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) भारत का महापंजीयक जनगणना कराने के लिए जिम्मेवार होता है। जनगणना में ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 1998-99 में कराए गए द्वितीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जजन, मृत्यु, परिवार नियोजन तथा पोषण, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य परिचर्या के महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में सूचना दी गई है। अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान ने सर्वेक्षण का समन्वय किया। इस सर्वेक्षण द्वारा 15 से 49 वर्ष की आयु वाली विवाहित 90,000 से अधिक महिलाओं के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि नमूने से सूचना एकत्र की गई।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, 3 वर्ष की आयु से नीचे के 5.9% बालक शिशु तथा 4.8% कन्या शिशु तीव्र रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। 6 से 11 माह, 12 से 13 माह तथा 24 से 35 माह के आयु वर्ग के क्रमश: 3.2%, 6.3% तथा 5.6% बच्चे तीव्र रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। 3 वर्ष से कम आयु के कुल 5.4% बच्चे तीव्र रक्ताल्पता से पीड़ित हैं।

पोषणिक रक्ताल्पता महत्वपूर्ण है क्योंकि पोषण वर्तमान तथा उत्तरवर्ती पीढ़ियों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य तथा विकास का मुद्दा है। उत्तम पोषण मानव संसाधन विकास का भौतिक आधार है। कम वजन के जन्में बच्चों में प्रतिरक्षा फंक्शन दुर्बल होता है और उनके उत्तरवर्ती जीवन में मधुमेह तथा हृदय रोग जैसे रोगों का जोखिम अधिक होता है। कुपोषित बच्चों में बुद्धिलब्धि (आई.क्यू.) निम्न होने की प्रवृत्ति होती है और इनमें संज्ञानात्मक क्षमता दुर्बल होती है जिससे उनके स्कूली प्रदर्शन तथा उनके उत्तरवर्ती जीवन में रचनात्मकता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए, सभी आयु वर्गों में पौषणिक स्वास्थ्य राष्ट्रीय आर्थिक संपत्ति को निरूपित करता है।

इस स्थिति में सुधार लाने के लिए, सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. रक्ताल्पता का पता लगाने के लिए सभी बच्चों की जांच तथा रक्ताल्प पाए गए बच्चों का उपयुक्त उपचार।
2. रक्ताल्पता का पता लगाने के लिए गर्भवती महिलाओं की व्यापक जांच।
3. रक्ताल्पता की व्याप्तता 25% तक कम करना तथा बच्चों में 50% तक सामान्य तथा तीव्र रक्ताल्पता को कम करना।

बच्चों के लिए मौजूदा कार्रवाईयां इस प्रकार हैं:

1. *प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम:* आयरन तथा फोलिक एसिड 0-2 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को दी जाती हैं।
2. *समेकित बाल विकास सेवा योजना:* 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनुपूरक पोषण दिया जाता है।
3. *प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना:* यह योजना 6 से 36 माह के आयु वर्ग के बच्चों को समय पर संपूरक आहार देने के लिए 2001 में शुरू की गई थी।

इन कार्यकलापों के कार्यान्वियन के लिए, राष्ट्रीय पोषण नीति बनाई गई।

(ख) राष्ट्रीय पोषण नीति में कहा गया है कि पोषण का विकास पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि विकास का पोषण पर पड़ता है। राष्ट्रीय पोषण नीति का मुख्य बल सरकार की विकास नीतियों तथा कार्यक्रमों में पौषणिक सरोकारों को शामिल करने पर था। इसमें सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे खाद्य उत्पादन, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, सूचना, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, विशेष जरूरतों वाले लोग और मानिटरिंग एवं निगरानी में की जाने वाली अनेक कार्रवाईयों की पहचान की गई। यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता थी। विभिन्न मंत्रालय/विभाग अपने-अपने कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण नीति के लक्ष्यों में योगदान देते रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों विशेषतया महिला और बाल विकास विभाग की समेकित बाल विकास सेवा योजना, परिवार कल्याण विभाग के प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता

विकार कार्यक्रम, बुनियादी शिक्षा तथा साक्षरता विभाग की प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, विभिन्न निर्धनता उपशमन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रमों की बजटीय सहायता में पिछले वर्षों के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है।

आयुर्वेद के लिए पेटेंट अधिकार

*106. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई देशों ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित कर लिए हैं और वे परंपरागत चिकित्सा प्रणाली पर पटेंट अधिकार प्राप्त करने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आयुर्वेद दवाओं हेतु पेटेंट अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) यद्यपि, आयुर्वेद बहुत से देशों में एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है तथापि, विदेशों में आयुर्वेद विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़ी कोई सूचना नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े व्यापार के उपबंधों के अनुसार उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा पेंटेट कराया जा सकता है जिससे गोपनीयता, औद्योगिक उपयोग और नवीनतम प्रदर्शित होती हो और यह पहले से विद्यमान जानकारी के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के परंपरागत ज्ञान का दुरुपयोग न होने देने के लिए भारत सरकार ने परंपरागत ज्ञान अंकीय पुस्तकालय (टी.के.डी.एल.) नामक परियोजना शुरू की है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित पादपों और औषध योगों के चिकित्सीय उपयोग को 5 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनी और जापानी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोपनीय करार के साथ पेटेंट कार्यालयों के संदर्भ के लिए परियोजना के अनुसार लिपिबद्ध किया जा रहा है जिससे कि असली सूचना दबाकर पेंटेट चाहने वाले आवेदनों को जांच-पड़ताल के स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जाए। 36,000 आयुर्वेदिक औषध योगों को लिपिबद्ध करने का काम प्रथम चरण में पहले ही पूरा हो चुका है।

दूषित रक्त

*107. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:**
श्री मोहन रावले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.के. ने भारत सहित 11 देशों को मानव को प्रभावित करने वाली 'मैड काउ' बीमारी से अत्यधिक दूषित हजारों की संख्या में रक्त उत्पाद नमूनों का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम से कम 5 से 6 देशों को रक्त उत्पादों से सबसे अधिक खतरा होने के रूप में पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन रिपोर्टों को किस हद तक सही पाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इन रिपोर्टों की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम सामने आए हैं;

(च) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस सम्बन्ध में कोई रिर्पोट मिली है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसे आयातों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) 28 सितम्बर, 2004 को भारत के विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों में ''यू के ने भारत को खराब रक्त भेजा'' शीर्षक से एक समाचार छपा था। इन समाचार-पत्रों में आरोप लगाया गया कि 1990 के अंतिम दिनों में ब्रिटेन ने 11 देशों को मेड काउ डिजीज के मानव रूप से दूषित मानव रक्त उत्पादों का निर्यात किया था और 5 से 6 देशों की उक्त रक्त उत्पादों से अत्यधिक जोखिम वाले देशों के रूप में पहचान की गई है।

तथापि, पूछताछ करने पर ब्रिटिश हाई कमीशन ने सूचित किया कि केवल कुछ मात्रा अर्थात् ह्यूमन नार्मल इम्यूनोग्लोबिन की 22 शीशियां, बैच संख्या वी जी सी 085 की 14 नवम्बर, 1997 की भारत में आपूर्ति की गई थी। भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में की गई है जहां जन स्वास्थ्य सावधानियों की आवश्यकता महसूस करते हुए नए यू.के. मानदंडों के अनुसार 'जोखिम वाली' सीमा पार करने के लिए किसी भी रोगी के लिए बैचों का संक्रामकता स्तर या तो बहुत कम था अथवा आपूर्ति की गई मात्रा

बहुत थोड़ी थी। इसलिए रिपोर्टें बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई प्रतीत होती हैं।

पूछताछ करने पर यह पता चला कि मैसर्ज बायो प्रोडक्टस लेबोरेटरी, यू.के. ने विगम-एस 5 ग्राम (ह्यूमन नार्मल इम्यूनोग्लोबिन) लाट सं. वी जी सी 085 विनिर्माण तारीख जुलाई 1997 और मियाद समाप्ति तारीख अगस्त 1999 की 22 शीशियों की मैसर्ज जेनेक्स कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एन-26, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17 को आपूर्ति की थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन से उपलब्ध सूचना के अनुसार रक्त उत्पादों के माध्यम से वेरियंट क्रूटजफोल्डर-जेकोब रोग (वी सी जे डी) के संचरण की कोई विश्वसनीय घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने भी सूचित किया है कि आज तक भारत से वी सी जे डी का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। अभी तक सरकार को इस देश में उत्पादों के माध्यम से वी सी जे डी की कोई घटना होने की सूचना नहीं मिली है।

इसके अलावा पूछताछ करने पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि वी सी जे डी के जोखिम से बचने के उद्देश्य से यू.के. में रक्त उत्पाद विनिर्माता 1998 से रक्त उत्पादों के विनिर्माण के लिए अब यू.एस.ए. से आयातित प्लाजमा का उपयोग कर रहे हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सुदृढ़ीकरण करना

***108. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:**
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद के अधिनियम 1957 के अन्तर्गत गठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सुदृढ़ीकरण करने के लिए निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ समूह गठित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की है। पिछले कुछ वर्षों से खादी क्षेत्र में रोजगार की तीव्र गिरावट और खादी की लगभग गतिरुद्ध (स्टेग्नेंट) बिक्री, केवीआईसी में आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था को लागू करने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में खादी उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता और केवीआईसी की स्कीमों, परियोजनाओं एवं अन्य कार्यकलापों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सरकार पैदा कर सके इसलिए यह जरूरी हो गया है। इस उद्देश्य से सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 से आयोग को भंग किया।

(ग) और (घ) दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 के आदेश के तहत सरकार ने भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मुख्य सचिव श्री डी.एम. सुकठनकर की अध्यक्षता में एक दस-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना से अब तक हुए कार्यनिष्पादन, कार्यप्रणाली और मौजूदा ढांचे की समीक्षा करना।

(2) खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 (1956 का 61), खादी और ग्रामोद्योग नियमावली, 1957 और इसके अधीन बनाये गये विनियमों की समीक्षा करना और इन विधानों में पुनर्गठन एवं संशोधन, यदि आवश्यक हों, के संबंध में सिफारिश करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के साधनों में वृद्धि करने और खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े उत्पादों के बाजार (निर्यात सहित) का विस्तार करने के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए (अ) खादी और ग्रामोद्योगों के विकास और (ब) मौजूदा खादी और ग्रामोद्योगों कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए और/अथवा नये कार्यक्रमों/स्कीमों की शुरुआत करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को और अधिक पेशेवर तथा प्रभावी निकाय बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

(3) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्निर्माण के लिए और नये उपयुक्त कार्यक्रमों/स्कीमों को आरंभ करने के लिए समिति द्वारा यथा आवश्यक उपायों को सुझाना।

समिति द्वारा अपनी पहली बैठक की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दिया जाना अपेक्षित है।

पीत-ज्वर के टीकों की कमी

***109. श्री जुएल ओराम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में पीत-ज्वर के टीकों की अत्यधिक कमी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी अस्पतालों में इसकी कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) देश में पीत-ज्वर (येलो फीवर) वैक्सीन की वार्षिक आवश्यकता लगभग 50,000 खुराक (डोजेज) है। जहां तक देशज उत्पादन का प्रश्न है, देश में पीत-ज्वर वैक्सीन का उत्पादन केवल केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आई.), कसौली में होता है। पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय अनुसंधान स्थान, कसौली में इस वैक्सीन का अधिकतम वार्षिक उत्पादन लगभग 18,000 खुराक प्रति वर्ष है। इसलिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में पीत-ज्वर वैक्सीन का उत्पादन देश की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके परिणामस्वरूप इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के माध्यम से विदेशों से खरीदा जाता है ताकि देश में इस वैक्सीन की कमी न हो। वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 खुराकें विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से खरीदी (प्रोक्यूर्ड) गई हैं जो केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में देशज वैक्सीन उत्पादन के अतिरिक्त हैं।

वर्ष 2004-05 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से खरीदी जाने वाली कुल 50,000 खुराकों में से वैक्सीन की 15,000 खुराकें पहले ही प्राप्त कर ली गई हैं। केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में होने वाले देशज उत्पादन के साथ-साथ उपरोक्त प्राप्ति सामान्य वार्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

किडनी रैकेट

***110. श्रीमती करूणा शुक्ला:**
श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुर्दा (किडनी) प्रत्यारोपण अधिनियम को संशोधित करने के लिए नया कानून बनाने का है, ताकि अवैध रूप से एक व्यक्ति का गुर्दा निकालकर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने के धंधे में लगे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, जैसा कि 02 अक्तूबर, 2004 के 'राष्ट्रीय सहारा' समाचार-पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में मानव अंगों के अवैध प्रत्यारोपण के मामले भी आए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या देश के कुछ प्रतिष्ठित अस्पताल भी उक्त ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है;

(च) क्या कई गिरोह चोरी-छिपे किडनी/अंगों के प्रत्यारोपण के धन्धे में लगे हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ज) गुर्दे के तथाकथित अवैध प्रत्यारोपण के कुछ मामले भारत सरकार की जानकारी में आए हैं। 2 अक्तूबर, 2004 के राष्ट्रीय सहारा में छपी रिपोर्ट में दिल्ली में गुर्दों के तथाकथित अवैध प्रत्यारोपण के बारे में ऐसे कुछ मामलों का उल्लेख है।

उक्त समाचार के संबंध में रिसर्च एंड रेफरल हास्पिटल, नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ अपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली और सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली में अवैध गुर्दा प्रत्यारोपण के बारे में दिल्ली पुलिस ने पांच प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की हैं। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस द्वारा दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस समय दिल्ली पुलिस द्वारा इन मामलों की जांच की जा रही है।

जहां तक दूसरी घटनाओं का संबंध है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत बम्बई अस्पताल, मुम्बई के एक डाक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यह मामला न्यायाधीन है। पंजाब सरकार ने भी राम सरन दास किशोरी लाल चेरीटेबल ट्रस्ट हास्पिटल, अमृतसर के विरुद्ध मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार ने समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए पंजाब सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया है तथा गुर्दा दान करने वाले व्यक्तियों को शोषण से बचाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मानव अंगों, जिनमें गुर्दे भी शामिल हैं, की बिक्री और खरीद मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रतिबंधित है। इस अधिनियम में ऐसा अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिए कड़े उपबंध हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अधिनियम में निहित प्रयोजन की पूर्ति के लिए

समुचित प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्तियां हैं जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की किसी भी शिकायत को जांच करने का अधिकार है जिसमें गुर्दे सहित मानव अंगों की बिक्री और खरीद भी शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। तथापि, राज्यों के संबंध में कार्रवाई मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा की जानी है।

जहां तक मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1944 में संशोधन का संबंध है, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के केस सं. डब्ल्यू पी (सी 813/2004 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत सितम्बर, 2004 में एक समिति गठित की गई है जो मानव अंग प्रत्यारोपण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी और इस बारे में सुधारात्मक उपायों का सुझाव देगी। इस समिति से अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2005 तक देने को कहा गया है।

रूस के साथ समझौता

***111. श्री मनोरंजन भक्त:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रूस के साथ दोनों देशों के बीच वीजा मानदंडों को उदार बनाने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन अन्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(च) ऐसे समझौतों से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां, दोनों देशों के बीच वीजा मानदण्डों को उदार बनाने के लिए एक करार संपन्न किया गया है।

(ख) महामहिम श्री ब्लादिमिर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान 3.12.2004 को भारत और रूसी परिसंघ के बीच राजनयिक और सरकारी (सेवा) पासपोर्टधारकों की पारस्परिक यात्रा व्यवस्था पर एक करार संपन्न किया गया।

(ग) अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में भी रूसी परिसंघ के साथ दो करार संपन्न किये गये हैं।

(घ) 3.12.2004 को रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग पर निम्नलिखित दो करार संपन्न किये गये:

(1) शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच करार।

(2) शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रूसी वैश्विक नौसंचालन उपग्रह प्रणाली "ग्लोनास" के संयुक्त विकास, प्रचालन और उपयोग के क्षेत्र में दीर्घावधिक सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच करार।

(ङ) रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये तथा साथ ही 3.12.2004 को शहरों के बीच सहयोग, बैंकिंग, ऊर्जा और संस्थागत सहयोग के क्षेत्रों में करार/समझौता ज्ञापन संपन्न किये गये।

(च) आशा है कि इन करारों/समझौता ज्ञापनों से संबंधित क्षेत्रों में आपसी लाभकारी सहयोग बढ़ेगा।

इराक में गुमशुदा भारतीय नागरिक

***112. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौकरी की तलाश में इराक गए भारतीय नागरिक वहां भारी संख्या में गुमशुदा हैं;

(ख) क्या नौकरी की तलाश में इराक गए काफी भारतीय नागरिकों का अपहरण भी कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने भारतीय नागरिक गुम हुए हैं और कितने नागरिकों का अपहरण हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा उनका पता लगाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस वर्ष चार भारतीय इराक में अगुवा कर लिए गए। अप्रैल, 2004 में एक भारतीय राष्ट्रिक के कुछ अन्य

देशों के राष्ट्रिकों के साथ अगुवा किए जाने की सूचना मिली थी और उन्हें कुछ घण्टों के बाद छोड़ दिया गया था। तीन भारतीय ट्रक ड्राईवरों को 21 जुलाई, 2004 को बंधक बना लिया गया था और उन्हें 1 सितम्बर, 2004 को छोड़ दिया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान इराक में भारतीयों के खोने या अगवा किए जाने की किसी अन्य घटना की सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हेपेटाइटिस-बी के मामले

***113. श्री किरिप चालिहाः**
श्री प्रकाश बापू वी. पाटिलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में हेपेटाइटिस-बी के बढ़ते मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हेपेटाइटिस-बी के मरीजों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है जैसाकि 3 अक्टूबर, 2004 के 'राष्ट्रीय सहारा' में खबर छपी है;

(घ) यदि हां, तो इस छपी खबर के तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अपने सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हेपेटाइटिस-बी के टीके के निःशुल्क वितरण हेतु देश में कुछ शहरों को चुना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन शहरों के नाम क्या हैं; और

(छ) आज की तिथि के अनुसार इसके उपचार हेतु देश में कुल कितने अस्पताल हैं तथा उक्त अस्पतालों में क्या सुविधाएं मुहैया करायी गयी हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) हाल ही में जयपुर में इण्डियन सोसाइटी आफ गेस्ट्रो-इन्टेरोलाजी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विचार-विमर्श को कवर करते हुए 'राष्ट्रीय सहारा' समाचार-पत्र ने 3 अक्टूबर, 2004 को यह छापा था कि हेपेटाइटिस-बी वायरस के रोगियों की संख्या के मामले में विश्व में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है और भारत में हेपेटाइटिस वायरस के रोगियों की अनुमानित संख्या लगभग 4.5 करोड़ है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि हेपेटाइटिस वायरस के वाहकों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान (चीन के बाद) है और भारत में हेपेटाइटिस-बी वायरस के वाहकों की अनुमानित संख्या 4.3 करोड़ है।

हेपेटाइटिस-बी असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित रक्ताधान, असुरक्षित इंजेक्शन आदि से फैलता है और यह इस वायरस का संचरण मां से बच्चे में भी होता है। यद्यपि, हेपेटाइटिस-बी के रोगियों का अलग से आंकड़ा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है तथापि, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान हेपेटाइटिस-बी सहित वायरल हेपेटाइटिस के सूचित राज्य-वार रोगियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

हेपेटाइटिस-बी को एहतियाती उपायों द्वारा रोका जा सकता है। सरकार ने केवल एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाने (प्रतिरक्षीकरण) के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण शुरू हो चुका है और वर्ष 2002-03 से 15 शहरों में तथा वर्ष 2003-04 से 32 जिलों और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में जारी है। इन शहरों/जिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इस परियोजना क्षेत्र में एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को हेपेटाइटिस-बी का टीका निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

हालांकि देश में सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली विभिन्न रोगों से निपटने के लिए सुसज्जित है, हेपेटाइटिस-बी को टीकाकरण सहित एहतियाती उपायों से प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। हेपेटाइटिस-बी के संक्रमण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

* केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कार्य कर रहे उच्च जोखिम वाले कार्मिक को हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाया (प्रतिरक्षित किया) जा रहा है। राज्य सरकारों को भी ऐसा ही कदम उठाने की सलाह दी गई है।
* सभी रक्त बैंकों में रक्त की अनिवार्य जांच करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित यौन संबंध को बढ़ावा देने की हिमायत की जाती है।
* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नान सटैराइल सिरिंजों एवं सुइयों के उपयोग के खतरे के बारे में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
* प्रत्येक इंजेक्शन के लिए अलग-अलग विसंक्रमित सिरिंजों का उपयोग करने के वास्ते राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

देश में हेपेटाइटिस-बी का टीका वहनीय (एफोर्डेबल) मूल्य पर उपलब्ध है।

विवरण I

वर्ष 2001-03 के दौरान हेपेटाइटिस-बी सहित वायरल हेपेटाइटिस के सूचित रोगियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2001	2002	2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	24530	16224	23094
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	299
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—
6.	गोवा	—	71	190
7.	गुजरात	124	2365	2752
8.	हरियाणा	3891	384	1645
9.	हिमाचल प्रदेश	2731	1648	1748
10.	जम्मू-कश्मीर	1275	6245	8432
11.	झारखंड	4226	—	—
12.	कर्नाटक	—	6663	23085
13.	केरल	26256	5323	7433
14.	मध्य प्रदेश	4532	5515	9599
15.	महाराष्ट्र	3267	29525	33515
16.	मणिपुर	39911	397	310
17.	मेघालय	1558	472	413
18.	मिजोरम	500	1111	744
19.	नागालैंड	1183	131	127
20.	उड़ीसा	144	648	2500
21.	पंजाब	7334	3141	5169
22.	राजस्थान	4881	1758	2076
23.	सिक्किम	2955	210	414
24.	तमिलनाडु	409	2320	—
25.	त्रिपुरा	1632	105	86

1	2	3		4
26.	उत्तरांचल	1784	.—	—
27.	उत्तर प्रदेश	—	518	2964
28.	पश्चिम बंगाल	1885	7032	6527
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	6303	368	467
30.	चंडीगढ़	536	235	398
31.	दादरा व नागर हवेली	310	232	227
32.	दमण व दीव	6	23	20
33.	दिल्ली	3159	5053	7476
34.	लक्षद्वीप	71	22	19
35.	पांडिचेरी	654	534	872
	कुल	146047	98273	142601

विवरण II

शहरों एवं जिलों की सूची

राज्य/संघ क्षेत्र	शहर (2002-03)	जिला (2003-04)
1	2	3
तमिलनाडु	चेन्नई	मदुरै
		नीलगिरी
		विरुधनगर
		रामनाथपुरम
केरल		अल्पुझा
		एर्नाकुलम
		पथनमथिट्टा
कर्नाटक	बंगलौर	कोदगू
		शिमोगा
		मैसूर
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	चित्तूर
		विजियानगरम

1	2	3
गोवा		गोवा
महाराष्ट्र	मुम्बई/पुणे	रत्नगिरी
		चन्द्रपुर
		सतारा
मध्य प्रदेश	भोपाल एवं इंदौर	बालाघाट
उड़ीसा		सुन्दरगढ़
पंजाब		रूपनगर
		होशियारपुर
हरियाणा		पंचकुला
		अम्बाला
हिमाचल प्रदेश		हमीरपुर
		सोलन
उत्तरांचल		नैनीताल
पांडिचेरी		पांडिचेरी
लक्षद्वीप		लक्षद्वीप
असम		जोरहाट
		सिबसागर
जम्मू-कश्मीर		राजौरी
		ऊधमपुर
गुजरात	अहमदाबाद एवं वड़ोदरा	सूरत
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
दिल्ली	दिल्ली	
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	
राजस्थान	जयपुर	
उत्तर प्रदेश	लखनुऊ एवं कानपुर	
बिहार	पटना	

राष्ट्रीय मातृत्व-प्रसुविधा योजना

***114. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय मातृत्व-प्रसुविधा योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को प्रसव-पूर्व तथा प्रसव पश्चात् कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह राशि जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच सके, कोई मानदण्ड निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के बारे में दूर-दराज के गांवों में जागरूकता पैदा करने के लिए इसके व्यापक प्रचार हेतु कोई व्यवस्था की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस वित्तीय सहायता से जरूरतमंद महिलाओं को कितना लाभ हो रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की 19 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की महिलाओं को पहले दो जीवित जन्मों के लिए 500 रुपए प्रति गर्भ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना मातृ एवं बाल-परिचर्या तथा गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर आहार की व्यवस्था से संबद्ध है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों और जिला प्राधिकारियों को परामर्श दिया गया है कि वे लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों के भुगतान का उनके बैंक खातों अथवा डाकघर अथवा वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों अथवा डाक मनीआर्डर के माध्यम से भुगतान करने को तरजीह दें। राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना के अंतर्गत नकद भुगतान की भी अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि यह भुगतान जन-सभाओं मूलतः गांव की ग्राम सभाओं और/अथवा आस-पास की समिति/मोहल्ला समिति की बैठकों में किया जाए।

(ङ) और (च) लोगों को इस योजना के प्रावधानों की जानकारी देने के वास्ते जिलाधीशों की अध्यक्षता में जिला स्तर की समितियों को इस योजना और इसकी कार्यविधियों का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए जिलों को मंजूर किए गए अनुदान का 4 प्रतिशत अनुदान इस योजना का व्यापक प्रचार करने जैसे कार्यकलापों पर होने वाले प्रशासनिक व्ययों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।

(छ) इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाले सहायता से गर्भावस्था की अवधि के दौरान गरीब महिलाओं को पोषणिक पूरक आहार प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

अनुमान है कि वर्ष 2001-02, जब यह योजना इस विभाग को सौंपी गई थी, से इस योजना के अंतर्गत लगभग 31 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

नए डाकघर खोलने के लिए मानदंडों में छूट

***115. प्रो. चन्द्र कुमार:**
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरवर्ती, पर्वतीय और सीमावर्ती राज्यों में शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंडों में छूट दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों में छूट दी जा रही है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शाखा डाकघर खोलने और उनके उन्नयन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(घ) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में दसवीं पंचवर्षीय यजोना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (च) सीमावर्ती राज्यों सहित पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दूरदराज के इलाकों में शाखा डाकघर खोलने के लिए निर्धारित जनसंख्या और आय संबंधी मानदंडों में सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानदंडों की तुलना में पहले ही अधिक छूट प्रदान की गई है। विशेष परिस्थितियों में दूरी संबंधी मानदंडों में छूट का भी प्रावधान है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

नौवीं योजना के दौरान, देश में 2598 शाखा डाकघर तथा 250 उप डाकघर खोलने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य में से 2154 शाखा डाकघर और 254 उप डाकघर खोले गए। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

दसवीं योजना के लिए योजना अवधि केवल पहले दो वर्षों अर्थात् 2002-03 तथा 2003-04 हेतु 450 शाखा डाकघर और 45 उप डाकघर का लक्ष्य स्वीकृत किया गया था। इनमें से 441 शाखा डाकघर और 45 उप डाकघर खोल दिए गए हैं। वर्तमान डाकघरों की पुनर्स्थापना के द्वारा 10वीं योजना अवधि के दौरान 34 उप डाकघर भी खोले गए हैं। नीति द्वारा निर्धारित पहुंच के स्तर को घटाए बिना औचित्य के आधार पर मौजूदा डाकघरों की पुनर्स्थापना के माध्यम से नए डाकघरों की जरूरत को लगातार पूरा किया जा रहा है।

विवरण I

डाकघर खोलने के मानदंड

1. **अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:**

1.1 **जनसंख्या:**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में:**

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:**

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 **दूरी:**

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 **अनुमानित आय:**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में:**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33^1/_3$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. **विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड:**

(क) **ग्रामीण क्षेत्रों में:**

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400 रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 48000 रु. है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) **शहरी क्षेत्रों में:**

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

विवरण II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शाखा डाकघर (बीओ) और विभागीय उप डाकघर (एसओ) खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
	शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर
1997-98	500	50	402	52
1998-99	598	50	598	50
1999-2000	500	50	386	49
2000-2001	500	50	363	52
2001-2002	500	50	405	51
कुल	2598	250	2154	254

[अनुवाद]

टेलीफोन सेवा की बिगड़ती स्थिति

*116. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता में गिरावट आई है जैसा कि दिनांक 13 अक्तूबर, 2004 के "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड सेवा मानदंडों की गुणवत्ता को पूरा नहीं कर पाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से जून, 2004 की तिमाही के दौरान, मोबाइल सेवा के प्रचालकों द्वारा ट्राई द्वारा निर्धारित बेंचमार्क (गुणवत्ता मानकों) के अनुपालन की स्थिति में सामान्यत: निरंतर सुधार हो रहा है। बुनियादी सेवा के प्रचालकों के मामले में, कार्य-निष्पादन में पिछली तिमाही की तुलना में गिरावट आई है। संबंधित रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) सेल्यूलर सेवा के संबंध में एमटीएनएल दिल्ली सर्किल में एक पैरामीटर (जारी किए गए प्रति 100 बिलों में बिलिंग संबंधी शिकायतें) को छोड़ कर अन्य सभी गुणवत्ता मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। जहां तक बीएसएनएल का संबंध है, इसके द्वारा अनेक सर्किलों में विभिन्न पैरामीटरों से संबंधित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। बुनियादी सेवा के संबंध में हालांकि एमटीएनएल और बीएसएनल ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता से संबंधित गुणवत्ता मानकों का पूर्णत: अनुपालन नहीं कर पाए हैं, तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में उनके कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है।

(घ) एमटीएनएल और बीएसएनएल के पास तांबे के तार पर आधारित पुराना नेटवर्क है जिसके अनुरक्षण में कठिनाई है तथा साथ ही यह पुराना और दोष-प्रवण भी है। बीएसएनएल की लगभग एक तिहाई दूरसंचार लाइनें और लगभग 79% टेलीफोन एक्सचेंज ग्रामीण, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित हैं जहां बिजली नहीं है या बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति नहीं है।

(ङ) एमटीएनल और बीएसएनएल दोनों ही दूरसंचार सेवाओं में और सुधार लाने के सतत उपाय कर रहे हैं। इनके द्वारा किए गए कुछ उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) अधिक संख्या में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना ताकि एक्सचेंज द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र को कम किया जा सके।

(2) भूमिगत पेपर कोर केबलों के स्थान पर चरणबद्ध रूप में जेली पूरित और आप्टिकल फाइबर केबलों, कार्डेक प्रणाली आदि का प्रयोग करना।

(3) खंभारहित नेटवर्क स्थापित करना।

(4) डब्ल्यूएलएल प्रणाली को लागू करना।

(5) जहां कही भी संभव हो, लाइन स्टाफ/फील्ड स्टाफ को पेजर उपलब्ध कराना।

(6) एसबीएम (सिंगल बेस माड्यूल) एक्सचेंजों को आरएसयू (रिमोट स्विचिंग यूनिटों) में बदलना।

(7) सी डाट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को एएन-आरएएक्स (एक्सेस नेटवर्क ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों) में बदलना।

(8) एक्सचेंजों में अनुरक्षण मुक्त बैटरी सेटों और इंजन आल्टरनेटरों की व्यवस्था करना।

(9) विश्वसनीय पारेषण माध्यम उपलब्ध कराना।

(10) वाणिज्यिक क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण।

(11) मोबाइल नेटवर्क को निरंतर अनुकूलतम बनाना और विस्तार करना।

विवरण

अप्रैल-जून 2004 की अवधि के लिए ट्राई रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

1. स्थिर सेवाओं की गुणवत्ता

(1.1) वस्तुपरक लेखा परीक्षा

(1) प्रचालकों की वस्तुपरक लेखा परीक्षा में, जिस पैरामीटर के अंतर्गत ट्राई द्वारा निर्धारित मानकों को किसी भी प्रचालक द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, वह है "पंजीकरण के पश्चात 7 दिनों के भीतर नए कनेक्शन प्रदान करना।"

(2) इसी प्रकार, "प्रति 100 उपभोक्ता/माह दोष दर" और "स्थानान्तरण अनुरोध" संबंधी पैरामीटरों के संबंध में क्रमशः मात्र चार प्रचालकों (टाटा-गुजरात, भारती-तमिलनाडु, भारती-कर्नाटक और टाटा-कर्नाटक) और दो प्रचालकों (श्याम-टेली-राजस्थान और बीएसएनएल-उत्तरपूर्व) ने बैंचमार्क के अनुरूप कार्य किया है।

(3) अगले कार्य दिवस तक दोष निवारण, दोष निवारण के लिए औसत समय आदि जैसे अन्य सभी मुख्य पैरामीटरों के संबंध में लगभग आधे से भी कम प्रचालकों ने ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानकों का अनुपालन किया है।

(4) पिछली तिमाही अर्थात् जनवरी-मार्च 2004 की तुलना में बैंचमार्क के अनुरूप कार्य करने वाले प्रचालकों की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित पैरामीटरों के मामलों में सुधार देखा गया:

* अगले कार्य दिवस तक दोष निवारण
* दोष निवारण के लिए औसत समय
* बिलिंग विवाद

(1.2) व्यक्तिपरक सर्वेक्षण

(1) जहां तक व्यक्तिपरक सर्वेक्षण का संबंध है, देश भर के अधिकांश सर्किलों में उपभोक्ता संतुष्टि की दर में पिछली तिमाही की तुलना में गिरावट आई है, केवल दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर जहां संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया है। अधिकतम गिरावट पश्चिमी (90% से 85% तक) और उत्तर (85% से 80% तक) क्षेत्रों में दर्ज की गई है। पूर्वी क्षेत्र में असंतुष्ट उपभोक्ताओं की संख्या (72%) अधिकतम है। मेट्रो और 'ख' सर्किल के प्रचालकों के संतुष्टि स्तर में पिछली तिमाही की तुलना में (क्रमश 84% से 76% तक और 83% से 79% तक) गिरावट आई है। तथापि, 'ग' सर्किल में संतुष्टि के स्तर में कुछ सुधार (74% से 77% तक) परिलक्षित हो रहा है।

(2) जिन मुख्य पैरामीटरों के संबंध में अधिकतम गिरावट आई है, वे निम्नलिखित हैं:

* नेटवर्क कार्य-निष्पादन
* रख-रखाव
* सहायता सेवाएं
* बिलिंग।

(2) जीएसएम मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता

(2.1) वस्तुपरक लेखा-परीक्षा

(1) सभी पैरामीटरों के लिए 50% से अधिक प्रचालक ट्राई द्वारा निर्धारित वस्तुपरक सेवा गुणवत्ता के बेंचमार्कों का अनुपालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन आंकड़ों की जनवरी-मार्च 2004 तिमाही के आंकड़ों से तुलना करने पर यह देखा जा सकता है कि इस तिमाही के दौरान मामूली सुधार हुआ है।

(2) तथापि, "बिलिंग संबंधी पैरामीटर" चिंता का विषय है क्योंकि 70 सेवा प्रदाताओं में से केवल 37 सेवा प्रदाता ही बेंचमार्क (निर्धारित मानकों) का पालन कर रहे हैं अर्थात जारी किए गए प्रति 100 बिलों में 0.1% से भी कम मामलों में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

(2.2) व्यक्तिपरक सर्वेक्षण

(1) एक समग्र स्तर पर अप्रैल-जून 2004 की अवधि के दौरान जीएसएम उपभोक्ताओं में संतुष्टि के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। कार्य निष्पादन में अधिकतम गिरावट महानगरों में आई है (86.8% से घटकर 78.1%) जो यह इंगित करती है कि दूरसंचार प्रचालकों को संसाधन उपयोग में वृद्धि करने, अर्थात काल सेंटर में कार्यपालकों की संख्या में वृद्धि करने, बेहतर नेटवर्क कवरेज, बिलिंग प्रणाली को उन्नत बनाने आदि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जीएसएम सेवा प्रदाताओं द्वारा लागू प्रशुल्कों और स्कीमों के पारदर्शिता स्तर में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है।

(2) जहां तक क्षेत्रवार कार्य-निष्पादन का संबंध है, दक्षिणी क्षेत्र, जहां पूर्व तिमाही की तुलना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है, को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है।

(3) आंकड़ों की तिमाही वार तुलना से यह पता चलता है कि महानगरों और 'ख' सर्किलों के उपभोक्ताओं में सेवा के प्रति असंतोष में लगातार वृद्धि हो रही है। तथापि, 'क' और 'ग' सर्किलों के उपभोक्ताओं में सेवा के प्रति संतुष्टि के स्तर में मामूली सुधार हुआ है।

(3) सीडीएमए आधारित सेवाओं की गुणवत्ता

(3.1) वस्तुपरक लेखा परीक्षा

पिछली तिमाही की तुलना में सीडीएमए प्रचालकों के कार्य निष्पादन में अधिकांश पैरामीटरों के संबंध में सुधार हुआ है।

(3.2) व्यक्तिपरक सर्वेक्षण

व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता के आकलन में 'क' सर्किल के उपभोक्ता (85.5%) और 'ख' सर्किलों के उपभोक्ता (77.7%), उन्हें दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता के प्रति अपेक्षाकृत अधिक संतुष्ट है जबकि महानगर के 68.6% उपभोक्ता और 'ग' सर्किल के 72.6% उपभोक्ता उन्हें प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता के प्रति संतुष्ट है।

[हिन्दी]

नेपाल में भारतीय व्यापार को पुनः आरम्भ करना

*117. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल में माओवादियों की धमकी के मद्देनजर कुछ भारतीय कंपनियां बंद हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त कंपनियों द्वारा व्यापार को पुनः आरम्भ करने के संबंध में नेपाल सरकार से कोई वार्ता की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) माओवादियों से संबद्ध आल नेपाल फेडेरेशन आफ ट्रेड यूनियंस (ए एन एफ टी यू) द्वारा दी गयी धमकी के फलस्वरूप नेपाल की 47 वाणिज्यिक इकाइयों ने दो चरणों में अस्थायी रूप से अपने व्यवसाय बंद कर दिये-12 इकाइयों ने 16 अगस्त, 2004 को और 35 इकाइयों ने 10 सितम्बर, 2004 को। एन एन एफ टी यू द्वारा विशेष रूप से इनके नाम लिये गये थे और ये उसके निशाने पर थीं। छह इकाइयां जिनमें भारत से विभिन्न स्तर के इक्विटी निवेश थे, वे हैं: सूर्या नेपाल प्रा. लि.; होटल सोआल्टी क्राउन प्लाजा; सूर्या नेपाल गारमेंट्स प्रा. लि.; बानेपा में डाबर नेपाल की इकाई; बाशुलिंगा सुगर मिल; और हिमाल गुडरिक टी गार्डेन।

2. 15 सितम्बर, 2004 को ए एन एफ टी यू द्वारा धमकी वापस ले लिये जाने के बाद इन इकाइयों ने अपने व्यवसाय बहाल कर लिये।

3. 28 अगस्त, 2004 को हेतौदा, नेपाल में अवस्थित नेपाल लीवर लि. (एन एल एल) के कारखानों पर हथगोले फेंके गये। एन एल एल में हिंदुस्तान लीवर की भागीदारी है। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इस निन्दात्मक कार्रवाई के लिए सीधे तौर पर माओवादियों को जिम्मेदार ठहराया। नेपाल की शाही सरकार ने कारखाने को तत्काल सुरक्षा मुहैया करायी। आवश्यक मरम्मत कार्यों के पश्चात एन एल एल ने पुनः कार्य आरंभ कर दिया।

4. भारत सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और नियमित रूप से नेपाल की शाही सरकार के संपर्क में है। भारतीय उपक्रमों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए नेपाल की शाही सरकार द्वारा आवश्यक उपाय किये गये हैं। काठमांडू स्थित हमारा दूतावास नेपाल के भारतीय वाणिज्यिक उपक्रमों के साथ नियमित संपर्क में हैं। इसके अतिरिक्त दूतावास नेपाल के वाणिज्य परिसंघों के साथ संपर्क में हैं और यह उन देशों के दूतावासों के साथ समन्वय कर रहा है जिनके नेपाल में महत्वपूर्ण व्यावसायिक हित हैं।

[अनुवाद]

दसवीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर

***118. श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री रमाकान्त यादव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग इस बात से आश्वस्त नहीं है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना (अवधि) के दौरान 8.1 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जा सकती है जैसाकि 11 सितम्बर, 2004 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कितनी विकास दर का अनुमान है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में कुछ समय पहले यह दर्शाया गया था कि 8.1 प्रतिशत की विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 8.1 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) इस समय दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन तैयार किया जा रहा है तथा योजना लक्ष्य में संभावित संशोधन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, तथापि दसवीं योजना के दौरान 8.1 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने की तुलना में पहले दो वर्षों (2002-03 और 2003-04) में विकास दर 6.4 प्रतिशत रही है। इसका अर्थ यह है कि समूची योजना अवधि के संबंध में 8.1 प्रतिशत के लक्ष्य की उपलब्धि के लिए योजना के शेष वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रतिवर्ष औसतन 9 प्रतिशत से अधिक की संवृद्धि दर अपेक्षित होगी।

(ङ) नियोजन विकास दर को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी 2002-03 और 2003-04 वर्षों के वार्षिक योजना दस्तावेजों में दी गई है, जिन्हें संसद के पुस्तकालय में रख दिया गया है। मध्यावधि मूल्यांकन सरकार की धारणा को आगे विस्तृत रूप से प्रतिपादित करेगा।

[हिन्दी]

भारत में आउटसोर्सिंग का बाजार

***119. श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा बाजार है;

(ख) इस समय भारत में आउटसोर्सिंग बाजार का कारोबार कितना है;

(ग) भारत में आउटसोर्सिंग व्यापार में संलग्न कम्पनियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या आउटसोर्सिंग में संलग्न भारतीय कम्पनियां इतनी बड़ी नहीं हैं कि वे इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों का मुकाबला कर सकें;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के समान विकसित करने के लिए बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी, हां।

(ख) भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के आउटसोर्सिंग बाजार का कारोबार वर्ष 2003-04 के दौरान 12.5 बिलियन अमेरिकी डालर है।

(ग) नैसकाम द्वारा तैयार किए गए डेटाबेस के अनुसार, लगभग 3000 कम्पनियां भारत में आउटसोर्सिंग का व्यवसाय कर रही हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

2. सीमा शुल्क की उच्चतम दर 20% पर बनी हुई है। कम्प्यूटरों तथा पेरिफरलों पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। सभी भण्डारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, माइक्रोप्रोसेसरों, डेटा प्रदर्श ट्यूबों तथा रंगीन मानिटरों के विक्षेपण संघटक पुर्जों पर 0% जारी है। कम्प्यूटरों के पुर्जों तथा स्विच मोड विद्युत आपूर्ति (एसएमपीएस) को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) में शामिल वस्तुओं पर सीमा शुल्क प्रतिबद्धता के अनुसार है। आसबाब के रूप में लाए गए लैपटाप को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क को 8% से घटाकर 0% कर दिया गया है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लापी डिस्क ड्राइवों, सीडी राम ड्राइवों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

3. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है।

4. निर्यात उन्मुखी इकाई (ईओयू)/साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड योजनाओं के अन्तर्गत सभी प्रकार की इलेक्ट्रानिक इकाइयों के मामले में कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

5. सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

6. निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

7. समर्थनकारी साफ्टवेयर विकासकर्ताओं को धारा एचएचई के लाभ प्राप्त हैं।

8. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ-9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में 'निर्यात गृह' का दर्जा प्राप्त करने के लिए दोहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

* विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

* सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

9. किसी उद्यम पूंजी निधि के लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय अथवा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए पूंजीनिवेश से उद्यम पूंजी कम्पनी की आय, जिसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके साफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, को अब कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सेबी को देशीय एवं विदेशीय दोनों ही उद्यम पूंजी निधि के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एकल बिन्दु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।

10. साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया है।

11. विदेशी बाजारों का अधिक लाभ प्राप्त करने तथा भारतीय उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे व्यापारिक प्रतिबंधों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता (जीटीईएस) के अनुसार बातचीत के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन

***120. डा. अरूण कुमार शर्मा:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय ऋण और अनुदानों सहित सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों दोनों के द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों का अंश और लाभ प्राप्तकर्ताओं के अंशदान का 10 प्रतिशत निर्धारित है;

(ख) यदि नहीं, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए 10% से अधिक की अपेक्षा है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में सरकार और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 10 प्रतिशत का यह मानदण्ड समान रूप से लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) में राज्यों के योगदान का प्रतिशत अंश प्रत्येक मंत्रालय में अलग-अलग है और कुछ मामलों में एक ही मंत्रालय में अलग-अलग स्कीमों में भी भिन्नता होती है जो स्कीम की प्रकृति और इसके कार्यान्वयन में प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित उद्देश्यों पर आधारित होती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्त इकाइयों की आवश्यकता

1150. श्री हेमलाल मुर्मु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत प्रति वर्ष अपनी रक्त आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर है;

(ख) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की विनिर्दिष्टताओं के अनुसार देश में कुल कितनी रक्त इकाइयों की आवश्यकता है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक स्वैच्छिक प्रतिस्थापनों के माध्यम से राज्यवार कुल कितनी इकाइयां एकत्र की गयीं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन के फार्मूले के अनुसार शैय्या-संख्या के आधार पर देश में प्रति वर्ष लगभग 6 मिलियन यूनिट रक्त की आवश्यकता होने का अनुमान है। देश में इस लक्ष्य को स्वैच्छिक रक्तदान और प्रतिस्थापन रक्तदान के माध्यम से संचित रक्त द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। तथापि, रक्त-संचयन में मौसमी बदलाव और कुछेक रक्त-बैंकों में रक्त-ग्रुप-विशिष्ट अपेक्षाओं के कारण कभी कभार रक्त की कमी हो सकती है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक रक्तदान और प्रतिस्थापन रक्तदान के माध्यम से संचित रक्त-यूनिटों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001			2002			2003		
		स्वैच्छिक	प्रतिस्थापन	कुल	स्वैच्छिक	प्रतिस्थापन	कुल	स्वैच्छिक	प्रतिस्थापन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अहमदाबाद एम ए सी एस	18293	47331	65624	55049	38227	93276	63944	44409	108353
2.	अंडमान निकोबार	2063	1210	3273	2387	1156	3543	2756	1022	3778
3.	आंध्र प्रदेश	87260	126708	213968	112287	162472	274759	140751	159871	300622
4.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	608	30	638	1370	54	1424
5.	असम	16956	10414	27370	8090	18481	26571	17171	26844	44015
6.	बिहार	27827	57446	85273	6592	13412	20004	14056	32740	46796
7.	चंडीगढ़	21473	21974	43447	22720	24823	47543	26560	21230	47790
8.	चेन्नई एम ए सी एस	39719	21120	60839	162	104	266	65190	25332	90522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	7266	19742	27008
10.	दमन और दीव	0	0	0	107	49	156	155	68	223
11.	दिल्ली	31722	131303	163025	63641	249101	312742	60422	185451	245873
12.	गोवा	2720	6088	8808	3321	5902	9223	5168	5728	10896
13.	गुजरात	166313	209951	376264	206240	183481	389721	241554	173312	414866
14.	हरियाणा	19705	64623	84328	19347	55147	74494	25984	67220	93204
15.	हिमाचल प्रदेश	6840	8997	15837	6075	4526	10601	8521	6987	15508
16.	जम्मू-कश्मीर	16485	15016	31501	1927	13022	14949	1276	3977	5253
17.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	313	3019	3332
18.	कर्नाटक	114574	149800	264374	131902	156095	287997	165285	169754	335039
19.	केरल	26158	64032	90190	59105	90808	149913	46270	72711	118981
20.	लक्षद्वीप	24	0	24	14	0	14	10	0	10
21.	मध्य प्रदेश	10516	57587	68103	12083	39277	51360	22574	51797	74371
22.	महाराष्ट्र	160063	54449	214512	190507	50486	240993	251010	56097	307107
23.	मणिपुर	714	9973	10687	1051	10636	11687	2337	14109	16446
24.	मेघालय	103	1719	1822	119	2305	2424	102	3062	3164
25.	मिजोरम	1705	5952	7657	3928	6630	10558	5913	6221	12134
26.	मुम्बई एम ए सी एस	74209	44304	118513	61130	73279	134409	100732	94892	195624
27.	नागालैंड	543	901	1444	921	1060	1981	934	699	1633
28.	उड़ीसा	7874	57207	65081	20807	90473	111280	25160	60383	85543
29.	पांडिचेरी	3513	9079	12592	5166	9845	15011	6654	10907	17561
30.	पंजाब	16634	72429	89063	13225	81291	94516	19886	114060	133946
31.	राजस्थान	18145	126550	144695	492	6982	7474	20131	99491	119622
32.	सिक्किम	34	734	768	74	1122	1196	188	1228	1416
33.	तमिलनाडु	112878	123735	236613	101153	75472	176625	166443	105658	272101
34.	त्रिपुरा	3106	8690	11796	1715	2825	4540	7515	7908	15423
35.	उत्तर प्रदेश	55346	123891	179237	57242	182340	239582	77076	219769	296845
36.	उत्तरांचल	2786	6509	9295	982	6183	7165	886	6905	7791
37.	पश्चिम बंगाल	289932	34339	324271	299388	78511	377899	386781	76465	463246
	योग	1356233	1674061	3030294	1469557	1735553	3205110	1988344	1949122	3937466

[हिन्दी]

राजस्थान में प्रतीक्षा सूची

1151. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनैक्शन चाहने वाले आवेदकों की प्रतीक्षा सूची में जिलावार कुल कितनी संख्या है;

(ख) संसद सदस्यों के कोटे के अन्तर्गत जिलावार कितने लोगों को अभी तक बारी से पहले टेलीफोन कनैक्शन प्रदान नहीं किये गये हैं;

(ग) राष्ट्रीय दूरभाष नीति का सफल कार्यान्वयन न हो पाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में गैर-सरकारी दोषी कंपनियों को दंडित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार ने प्रतीक्षा सूची में दर्ज ग्रामीण लोगों को टेलीफोन कनैक्शनों के शीघ्र आबंटन के लिए क्या कार्य योजना तैयार की है; और

(छ) राजस्थान में स्थापित किये जाने वाले डब्ल्यूएलएल टावरों का ब्यौरा क्या है और दूरभाष केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने के प्रस्ताव हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अपेक्षित संख्या में टेलीफोन कनैक्शन तथा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने में निजी बुनियादी सेवा प्रचालक असफल रहे हैं।

(घ) और (ङ) 8 करोड़ रु. की परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली निजी बुनियादी सेवा प्रचालक से की गई।

(च) और (छ) भारत संचार निगम लिमिटेड ने रिपोर्ट दी है कि इसने वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 180000 लाइनें प्रदान करने की योजना बनाई है। 150000 लाइनें डब्ल्यूएलएल पर तथा 30000 लाइनें वायरलाइन पर प्रदान करने का प्रस्ताव है। भारत संचार निगम लि. द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए 150000 लाइनों के उपकरण की योजना तैयार की गई है।

संस्थापित किये जाने वाले संभावित नए डब्ल्यूएलएल टावरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

मै. श्याम टेलीकाम	-	16
मै. रिलायंस इनफोकाम लि.	-	127
मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.	-	150
मै. भारत संचार निगम लि.	-	134

विवरण

क्र.सं.	जिला	31.10.2004 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची			संसद सदस्यों के कोटे के अन्तर्गत बिना बारी टेलीफोन कनेक्शनों की पैंडेंसी
		शहरी	ग्रामीण	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	1883	3421	5304	97
2.	अलवर	202	11425	11627	70
3.	बांसवाड़ा+डुंगरपुर	210	3583	3793	0
4.	बाड़मेर	228	5753	5981	205

1	2	3	4	5	6
5.	भरतपुर+धौलपुर	1040	4686	5726	76
6.	भीलवाड़ा	644	2467	3111	0
7.	बीकानेर	1519	1033	2552	14
8.	बूंदी	45	494	539	1
9.	चित्तौड़गढ़	526	2971	3497	1
10.	चूरू	1028	5417	6445	134
11.	झालवाड़ा	32	635	667	0
12.	झुंनझुनू	1260	8753	10013	26
13.	जैसलमेर	0	373	373	2
14.	जोधपुर	142	6188	6330	43
15.	जयपुर+दौसा	1888	12743	14631	78
16.	कोटा+बारन	2260	1787	4047	16
17.	नागौर	1214	10204	11418	33
18.	पाली	912	4307	5219	49
19.	सवाईमाधोपुर+कारौली	156	3080	3236	3
20.	सीकर	1055	12256	13311	92
21.	सिरोही+जालौर	233	4514	4747	4
22.	श्रीगंगानगर+हनुमानगढ़	385	4053	4438	109
23.	टोंक	196	1035	1231	1
24.	उदयपुर+राजसमंद	2080	7344	9424	0
	जोड़	19138	118522	137660	1054

[अनुवाद]

सिविल सेवा अधिकारियों के संबंध में व्यापक कानून

1152. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविल सेवा अधिकारियों को सीधे तौर पर संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उनसे संबंधित व्यापक कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कानून को कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेलगांव में स्टाफ क्वार्टर

1153. श्री सुरेश अंगड़िः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) द्वारा बेलगांव में निर्मित स्टाफ क्वार्टर लंबे समय से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें खाली रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने आई.सी.एम.आर. से इन क्वार्टरों को राज्य सरकार को सौंपने का आग्रह किया है ताकि बेलगांव में तैनात उनके अधिकारियों को आवासीय सुविधा प्रदान की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) यह कहना सही नहीं है कि बेलगांव में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) द्वारा निर्मित स्टाफ क्वार्टर लंबे समय से खाली पड़े हैं। आई सी एम आर के अनुसार, आर एम आर सी, बेलगांव के लिए राज्य (पी डब्ल्यू डी), कर्नाटक द्वारा निर्मित स्टाफ क्वार्टरों का परिषद द्वारा अधिग्रहण प्रभारी अधिकारी को पदनामित किए जाने के बाद 2004 में ही किया गया। बिजली का कनेक्शन 2004 के अंत में ही मिला। चल रहे सिविल निर्माण कार्यों को पूरा होने तथा अपेक्षित स्टाफ की तैनाती होने के साथ ही इन क्वार्टरों को संस्थान के स्टाफ को आबंटित कर दिया जाएगा। आई सी एम आर के अनुसार, क्वार्टरों के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्राम क्षेत्र

1154. श्री बी. विनोद कुमारः क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्राम क्षेत्रों की निरंतर मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ऐसे प्रस्तावों की व्यवहारिता पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इनके लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सरकार की यह नीति है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों के लिए सुविधाओं का प्रावधान किया जाए। इन सुविधाओं को विश्राम क्षेत्र भी कहा जाता है। इस नीति के तहत 21 सुविधाएं चालू की गई हैं जिनका विवरण संलग्न है। आंध्र प्रदेश में इलूरू के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर भी विश्राम क्षेत्र की मांग की जाती रही है।

(ग) से (ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चार लेन बनाने के लिए परियोजना रिपोर्टें तैयार करते समय राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्राम क्षेत्र का प्रावधान भी शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार इन विश्राम क्षेत्रों का निर्माण परियोजना के भाग के तौर पर किया जा रहा है और इसके लिए किसी अलग बजट प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्राम क्षेत्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	गोवा	1
4.	हरियाणा	1
5.	जम्मू-कश्मीर	1
6.	केरल	1
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	महाराष्ट्र	2
9.	उड़ीसा	1
10.	पंजाब	1
11.	राजस्थान	3
12.	तमिलनाडु	1
13.	उत्तर प्रदेश	3
14.	पश्चिम बंगाल	2
	जोड़	21

सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. का पुनरुद्धार पैकेज

1155. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.) ने सरकार को पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम ने पहले इस वर्ष अपने पुनरुद्धार का एक संशोधित पैकेज प्रस्तुत कर दिया था, जिसमें उसने कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति, कार्य-साधक पूंजी से जुड़ी आवश्यकताओं, अर्थोपायों से जुड़ी सहायता इत्यादि से संबंधित व्यय वहन करने हेतु 200 करोड़ रु. से अधिक धनराशि से युक्त निधि की आवश्यकता और मिला दी।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम के काम-काज के संचालन की सम्पूर्णत: समीक्षा कर ली है और यह पाया है कि उपर्युक्त निगम के पुनरुद्धार के पैकेज में हाल ही में अपेक्षित और निधि मिला देने पर भी उसका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता। इसलिए, सरकार उपर्युक्त निगम को पुनरुद्धार का अब और पैकेज देने के प्रति सहमत नहीं हुई है।

[हिन्दी]

ड्रेसर की नियुक्ति

1156. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 13.8.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य योजना में ड्रेसर की नियुक्ति के लिए स्नातक को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के मामले की जांच कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ड्रेसर के कुछ प्रतिशत पदों को शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरने के बजाय सीधी भर्ती से भरने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अभी तक नहीं।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) नर्सिंग परिचर्या/नर्सिंग अर्दली के समूह 'घ' पोषक पदों के लिए ड्रेसर एक पदोन्नति पद है और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में सीधी भर्ती द्वारा ड्रेसर के पद को भरने के किसी भी प्रस्ताव से पोषक संवर्ग के पदोन्नति के अवसर सीमित हो जाएंगे।

[अनुवाद]

गाय के मल-मूत्र संबंधी अनुसंधान

1157. श्री महबूब जाहेदी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में अनेक कीटनाशक दवाएं, साबुन और शैम्पू गाय के मल-मूत्र से बनाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अर्क के रूप में बेचा जाने वाला गाय का डिस्टिल्ड मूत्र पर अमरीकी पेटेन्ट है और क्या इससे रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा गाय के मल-मूत्र पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नयी औषधि का निर्यात

1158. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी भी नयी औषधी की प्रत्येक शिपमेंट (पोतलदान) के लिए भारत के औषध-नियंत्रक से विशिष्ट अनुमति लेनी पड़ती है चाहे उसी औषधि का निर्यात विगत में उसी कम्पनी ने क्यों न किया हो;

(ख) यदि हां, तो क्या चेमेक्सिल ने सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया है और एक विशिष्ट अवधि के लिए एकबारगी अनुमति देने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) वर्तमान मानकों के अनुसार भारत के औषध महानियंत्रक कार्यालय से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर ऐसी गैर-अनुमोदित औषधों का उत्पादन निर्यात हेतु करने की अनुमति है जिनका उत्पादन और विपणन देश में अन्यथा नहीं किया जा सकता। ऐसे 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' निर्यात आदेश के आधार पर जारी किए जाते हैं। केमेक्सिल ने केवल निर्यात के प्रयोजन से गैर-अनुमोदित औषधों के उत्पादन के लिए एकबारगी अनुमति दिए जाने का सुझाव दिया है। तथापि, उपर्युक्त गैर-अनुमोदित औषधों के उत्पादन के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुमोदन किसी निर्यात आदेश के लिए वैध होता है, इसलिए उत्पादक को कथित निर्यात आदेश विशेष के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।

अनुसूची एम का कार्यान्वयन

1159. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसूची एम के कार्यान्वयन के लिए लघु उद्योग इकाइयों की वास्तविक कठिनाइयों की जांच करने हेतु समिति गठित करने के लिए विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूची एम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से दवाइयों के मूल्य बढ़ जाएंगे और यदि अनुसूची एम का जल्दबाजी में कार्यान्वयन किया जाता है तो बहुत सी छोटी और लघु औषध इकाइयां बन्द जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की संशोधित अनुसूची 'ड' सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात दिसम्बर, 2001 में लागू हुई। तथापि, 11 दिसम्बर, 2001 से पूर्व लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं को अनुसूची 'ड' के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए 31 दिसम्बर, 2001 तक की छूट दी गई। प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर इस अनुसूची को आगे तर्कसंगत बनाया जा रहा है और दिनांक 8.11.2004 की एक राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 738(अ) को टिप्पणियों हेतु प्रकाशित किया गया है। अनुसूची 'ड' के कार्यान्वयन का उद्देश्य मूल्य स्थिरीकरण की बजाय देश में गुणवत्ता वाली औषधों का समान मानकीकरण तथा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है।

दिल्ली में रिंग रोड को आठ लेनों वाला बनाया जाना

1160. श्री अनन्त नायक: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली के रिंग रोड को चौड़ा करके आठ लेनों वाला बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) रिंग रोड को आठ लेनों में बदलने के कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारत सरकार मुख्यतः देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। संदर्भाधीन रिंग रोड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हेल्थ मिशन

1161. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 2 अक्तूबर, 2004 को हेल्थ मिशन संबंधी बैठक के दौरान, सभी 15 राज्यों ने प्रस्तावित हेल्थ मिशन के सभी घटकों अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए सर्वसम्मति से अधिक धनराशि की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। प्रस्तावित ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु कार्यनीति पर 22 राज्यों के साथ दिनांक 2.11.2004 को परामर्श किया गया था। राज्यों ने भवनों के निर्माण, रख-रखाव और उन्नयन सहित ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए अधिक वित्तपोषण के लिए मांग की थी।

(ग) राज्यों के सरोकारों को ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यनीति में शामिल किया जा रहा है।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

1162. **श्री काशीराम राणा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में जिलेवार कुल कितने लोगों के नाम दर्ज हैं;

(ख) इन लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार, गुजरात दूरसंचार सर्किल में टेलीफोन कनैक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 57,687 हैं। जिला-वार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) मार्च, 2006 तक प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों को कनैक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

(ग) अधिकांश प्रतीक्षा सूची दूर-दराज के क्षेत्रों में है जिन्हें कम खर्चे में भूमिगत केबल बिछाकर कवर नहीं किया जा सकता। अतः प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) प्रणाली संस्थापित करके टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने की योजना है। बीएसएनएल की नीति के अनुसार, प्रत्येक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में कम से कम एक डब्ल्यूएलएल बीटीएस प्रदान करने की योजना बनायी जा ही है। 69 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों को डब्ल्यूएलएल संवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। शेष अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में 2005-06 के दौरान उक्त सेवा प्रदान किए जाने की संभावना है।

विवरण

31.10.2004 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	दूरसंचार जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदक
1.	अहमदाबाद (गांधी नगर सहित)	3154
2.	अमरेली	584
3.	भरूच (नर्मदा सहित)	922
4.	भावनगर	2891
5.	भुज	3779
6.	गोधरा (दाहोद सहित)	2483
7.	हिम्मत नगर	3078
8.	जामनगर	3562
9.	जूनागढ़ (पोरबन्दर)	6735
10.	मेहसाना (पाटन)	4294
11.	नाडियाड (आनन्द)	4296
12.	पालनपुर	6085
13.	राजकोट	5423
14.	सूरत	2597
15.	सुरेन्द्रनगर	2026
16.	वड़ोदरा	1947
17.	वलसाड़ (दांग और नवसारी सहित)	3831
	कुल	57687

[अनुवाद]

एम्स में वृद्धों के लिए संस्थान

1163. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एम्स में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप वृद्ध लोग किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने दसवीं योजना की मध्यकालिक समीक्षा के लिए अपने प्रस्तावों में एक जराचिकित्सा रोग केन्द्र स्थापित करने सहित नई स्कीमों के लिए अतिरिक्त संसाधनों की मांग की है। वर्तमान में दसवीं योजना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में वृद्धों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजिंग) खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन सुविधाएं

1164. **श्री गिरिधारी यादव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में जिलेवार कितने गांव टेलीफोन सुविधाओं से युक्त हैं;

(ख) उपरोक्त राज्य में जिलेवार ऐसे कितने गांव हैं जहां अभी टेलीफोन सेवा प्रदान किया जाना शेष है;

(ग) सरकार ने ऐसे गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) इस संबंध में उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) बिहार राज्य के सभी 38,475 आबाद गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए गए हैं।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आतंकवादी गुटों के लिए कार्य कर रहे भारतीय युवक

1165. **श्री सीताराम सिंह:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों में जाने वाले युवाओं को आतंकवादी गुटों के लिए काम करने के लिए प्रलोभन दिया जाता है/बाध्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे भारतीय युवाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इन देशों में स्थित अपने दूतावासों को सुदृढ़ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों में जाने वाले युवाओं को आतंकवादी गुटों के लिए काम करने के लिए प्रलोभन दिए जाने/बाध्य किए जाने की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैलीलियो ग्लोबल पोजीशनिंग परियोजना

1166. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने गैलीलियो ग्लोबल पोजीशनिंग के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) गैलीलियो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए करार निष्पादित करने के उद्देश्य से भारत और यूरोपियन संघ (ई.यू.) के साथ बातचीत प्रगति में है।

रोगियों के प्रति निष्ठुरता का रवैया

1167. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की राष्ट्रीय राजधानी में स्थित अस्पतालों और राज्यों की राजधानियों में स्थित अस्पतालों में अन्य राज्यों से आने वाले रोगियों की उचित देखभाल नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अस्पतालों के अधिकारियों के लिए क्या निदेश जारी किये हैं; और

(ग) सरकार ने रोगियों के प्रति अस्पताल कर्मियों के निष्ठुर रवैये को बदलने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी में स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों में आने वाले सभी रोगियों को उपयुक्त उपचार प्रदान किया जाता है चाहे वे किसी भी स्थान से हों। तथापि, स्वास्थ्य राज्यों का विषय है इसलिए जहां तक राज्य सरकारी अस्पतालों में आ रहे रोगियों का संबंध है, यह संबंधित राज्य को सुनिश्चित करना होता है कि उनके अस्पतालों में रोगियों को उचित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

1168. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में जिलेवार कितनी ग्राम पंचायतों को अभी तक टेलीफोन सुविधा नहीं प्रदान की गयी है;

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान स्थानवार कितनी ग्राम पंचायतों को उक्त सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त सुविधा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने ग्राम पंचायतों को बेहतर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जम्मू और कश्मीर की 533 ग्राम पंचायतों में टेलिफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है। जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 2004-05 के दौरान, जम्मू और कश्मीर की 141 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। स्थान-वार ब्योरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा नवंबर, 2007 तक प्रदान करने की योजना है।

(घ) ग्राम पंचायतों को बेहतर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) दूरसंचार सुविधा प्रदान करने हेतु क्षेत्र को कवर करने के लिए कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) उपस्कर की स्थापना व्यापक रूप से की जा रही है।

(2) जो क्षेत्र स्थलीय प्रौद्योगिकी से कवर नहीं किए जा सके, उन क्षेत्रों में डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) की संस्थापना की जाएगी।

विवरण I

क्र.सं.	जिला	सुविधा रहित ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	अनंतनाग	105
2.	बारामूला	90
3.	बड़गाम	55
4.	कुपवाड़ा	53
5.	पुलवामा	52
6.	श्रीनगर	32
7.	जम्मू	0
8.	कठुआ	18
9.	उधमपुर	30
10.	डोडा	37
11.	राजोरी	0
12.	पुंछ	3
13.	लेह	30
14.	कारगिल	28
	जोड़	533

विवरण II

जम्मू और कश्मीर सर्किल के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के उन स्थानों का नाम जहां टेलीफोन सुविधा 2004-05 के दौरान प्रदान की जानी है

क्र.सं.	जिला	गांव का नाम
1	2	3
अनंतनाग		
1.	अनंतनाग	जबली पोरा
2.	अनंतनाग	हबलशी
3.	अनंतनाग	लरम जंगी पोरा

1	2	3
4.	अनंतनाग	पहलू
5.	अनंतनाग	ओरीयल
6.	अनंतनाग	शेहली पोरा
7.	अनंतनाग	अकिन गाम
8.	अनंतनाग	थामन कोटे
9.	अनंतनाग	हलसीदर
10.	अनंतनाग	कामर
11.	अनंतनाग	छातर गुल
12.	अनंतनाग	रेनचो गुंड
13.	अनंतनाग	कवारी गाम
14.	अनंतनाग	मांट पोरा
15.	अनंतनाग	रोहू
	बारामूला	
1.	बारामूला	चंदूसा
2.	बारामूला	सीर जागिर
3.	बारामूला	नोवलारी
4.	बारामूला	नाव पोरा हामल
5.	बारामूला	जेथन
6.	बारामूला	माटी पोरा
7.	बारामूला	चांदी लूरा
8.	बारामूला	गुल सावम (हरदू इचलू)
9.	बारामूला	बगनाह नूर खां
10.	बारामूला	शीरवानी पोरा (लाछी पोरा)
11.	बारामूला	शाहदरा
12.	बारामूला	बाना कूट
	बड़गाम	
1.	बड़गाम	हामची पोरा
2.	बड़गाम	ताला पोरा

1	2	3
3.	बड़गाम	खाग
4.	बड़गाम	नार बाल
5.	बड़गाम	पहारथान
6.	बड़गाम	सीता हरन
7.	बड़गाम	सोगाम
8.	बड़गाम	छदूरा
9.	बड़गाम	दादोम पोरा
10.	बड़गाम	दवेलथ पोरा
11.	बड़गाम	शुंगली पोरा
12.	बड़गाम	गोगजी पठारी
	कुपवाड़ा	
1.	कुपवाड़ा	टेकी पोरा
2.	कुपवाड़ा	चांदी गाम
3.	कुपवाड़ा	दारद पोरा
4.	कुपवाड़ा	देदी कूट
5.	कुपवाड़ा	नेगरीमाल पोरा
6.	कुपवाड़ा	मनिगाह
7.	कुपवाड़ा	राय पोरा
8.	कुपवाड़ा	शानु
9.	कुपवाड़ा	लचम पौरा
10.	कुपवाड़ा	वाडार पेन
11.	कुपवाड़ा	शाट गुंड बाला
12.	कुपवाड़ा	मावार
13.	कुपवाड़ा	हारेल
14.	कुपवाड़ा	नावगाम
15.	कुपवाड़ा	कराला पैरा
16.	कुपवाड़ा	रेन्गा पाठ
17.	कुपवाड़ा	कलाम अबाद (कलाम चकला)

1	2	3
18.	कुपवाड़ा	खाई पौडा
19.	कुपवाड़ा	काचलुकाजी पौरा
20.	कुपवाड़ा	औचूरा
21.	कुपवाड़ा	निहामा
22.	कुपवाड़ा	लाल पौड़ा
23.	कुपवाड़ा	सूद पौड़ा
24.	कुपवाड़ा	टाड
25.	कुपवाड़ा	चाम कूटे
26.	कुपवाड़ा	नावाराबेरा
27.	कुपवाड़ा	निचियन
28.	कुपवाड़ा	टीटवाल
पुलवामा		
1.	पुलवामा	खाना गुंड
2.	पुलवामा	मलांग पोरा
3.	पुलवामा	खाईगाम
4.	पुलवामा	तुजान
5.	पुलवामा	लिटार शिटार
6.	पुलवामा	मेमोनदार
7.	पुलवामा	नदी गाम
8.	पुलवामा	शेड पौड़ा बाला
9.	पुलवामा	चकोराह
10.	पुलवामा	अराहमा
11.	पुलवामा	केलरो
12.	पुलवामा	रोशनागरी
श्रीनगर		
1.	श्रीनगर	डारा
2.	श्रीनगर	तुलमुल्ला
3.	श्रीनगर	वेल
4.	श्रीनगर	मनीगाम
5.	श्रीनगर	हया पाल पौरा

1	2	3
6.	श्रीनगर	कंगन
7.	श्रीनगर	सोनामार्ग
8.	श्रीनगर	बलाहामा
9.	श्रीनगर	छतरा हमा
कठुआ		
1.	कठुआ	रौलका
2.	कठुआ	लवांग
3.	कठुआ	देग्गर
4.	कठुआ	कंथल
5.	कठुआ	चंदल
6.	कठुआ	फतेहपुर
7.	कठुआ	सुर्जन
8.	कठुआ	दुलानगल
उधमपुर		
1.	उधमपुर	उमराव
2.	उधमपुर	मांग
3.	उधमपुर	पेरनर्रा
4.	उधमपुर	पचौंद
5.	उधमपुर	जुद्दा
6.	उधमपुर	शीकरी
7.	उधमपुर	कालीमस्ता
8.	उधमपुर	धनोड़
9.	उधमपुर	बूधन
10.	उधमपुर	तुरू
11.	उधमपुर	कान्ति
12.	उधमपुर	भागन कोट
13.	उधमपुर	बाना
14.	उधमपुर	कांठन

1	2	3
15.	उधमपुर	चस्सोट
16.	उधमपुर	शेरगढ़ी
17.	उधमपुर	शाजरू
18.	उधमपुर	गुलाब गढ़
19.	उधमपुर	देवल
20.	उधमपुर	लद्दा
डोडा		
1.	डोडा	पांचाल
2.	डोडा	मरगी
3.	डोडा	इस्तहाली
4.	डोडा	चिंगम
5.	डोडा	लोपरा
6.	डोडा	नोपाची
7.	डोडा	चांदना
8.	डोडा	रिनाई
9.	डोडा	ज्वालापुर
10.	डोडा	बधात
11.	डोडा	मगोटा
12.	डोडा	ब्योली
13.	डोडा	बजरनी
14.	डोडा	महाला
15.	डोडा	दशानन
16.	डोडा	देसा
17.	डोडा	लोदना
पुंछ		
1.	पुंछ	फतेहपुर
लेह		
1.	लेह (लद्दाख)	तक्सी
2.	लेह (लद्दाख)	लिकिर
3.	लेह (लद्दाख)	फियांग
4.	लेह (लद्दाख)	साबू
5.	लेह (लद्दाख)	रुम्बक
6.	लेह (लद्दाख)	चूचट याक्मा
7.	लेह (लद्दाख)	शारा

प्रक्रिया को सरल बनाना

1169. श्री कैलाश बैठा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के अनेक औषधालयों को सरकार द्वारा प्राधिकृत नैदानिक केन्द्रों और अस्पतालों की जानकारी नहीं है, और यहां उपचार हेतु उनसे अनुमति प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुमति हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने और औषधालयों को सभी नैदानिक केन्द्रों और प्राधिकृत निजी अस्पतालों से अवगत कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की चिकित्सा जांच के लिए नैदानिक केन्द्रों और निजी अस्पतालों को प्राधिकृत करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सी.जी.एच.एस. से मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों और निदान केन्द्रों से सम्बन्धित सूचना सी.जी.एच.एस. औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

सी.जी.एच.एस. के तहत मान्यता प्राप्त अस्पतालों/निदान केन्द्रों में सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए उपचार हेतु रैफरल प्रक्रिया को पहले ही सरल बना दिया गया है।

सरलीकृत प्रक्रिया के अनुसार, सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों (सेवारत और पेंशनभोगी दोनों) के पास यह विकल्प होगा कि सेवारत लाभार्थी अपने कार्यालय/विभाग की पूर्वानुमति से

सी.जी.एच.एस. विशेषज्ञ/सरकारी अस्पताल/औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उपचार की प्रकृति सम्बन्धी अनुशंसा के बाद सी जी एच एस के तहत कवर किए गए विभिन्न शहरों में सी जी एच एस के तहत मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/निदान केन्द्रों पर सामान्य/विशेषज्ञ-उपचार प्रक्रिया का लाभ उठाएं तथा पेंशनभगी लाभार्थी सी जी एच एस औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुमति लेकर उपचार कराएं। तथापि, आपातकाल के दौरान लाभार्थी उपचार के लिए किसी भी निजी अस्पताल/क्लिनिक में जा सकते हैं।

(घ) सरकार ने सी जी एच एस लाभार्थियों की सुविधा के लिए सी जी एच एस के तहत निजी अस्पतालों और निदान केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है ताकि लाभार्थी अंतरंग उपचार करा सकें तथा सरकारी डाक्टरों की अनुशंसा के आधार पर जांच की जा सके।

पर्वतीय राज्यों में टेलीफोन सेवाएं

1170. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या संचार और **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्वतीय राज्यों, विशेषकर उत्तरांचल में संचार सेवाएं आरंभ करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ-साथ कुछ गैर-सरकारी कंपनियों को भी अनुमति प्रदान की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पर्वतीय राज्यों में अभिगम्यता सेवा लाइसेंस धारकों की सूची

30.9.2004 की स्थिति के अनुसार

सेवा क्षेत्र	सेवा प्रदाता का नाम	लाइसेंस
1	2	3
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) उत्तरांचल सहित	हचिसन एस्सार साऊथ लि. (जीएसएम आधारित) रिलायंस इंफोकाम लि. (सीडीएमए आधारित) टाटा टेलीसर्विसेज लि. (सीडीएमए आधारित) भारती सेल्यूलर लि. (जीएसएम आधारित)	एकीकृत अभिगम्यता
	एस्कोटेल मोबाइल कम्युनिकेशन्स (प्रा.) लि. (जीएसएम आधारित) भारत संचार निगम लि. (जीएसएम आधारित)	सेल्यूलर
	भारत संचार निगम लि. (सीडीएमए आधारित)	बुनियादी
पश्चिम बंगाल सिक्किम सहित	भारती सेल्यूलर लि. (जीएसएम आधारित) रिलायंस इंफोकाम लि. (सीडीएमए आधारित) टाटा टेलीसर्विसेज लि. (सीडीएमए आधारित) हचिसन एस्सार साऊथ लि. (जीएसएसएम आधारित) डिशनेट डीएसएल लि. (जीएसएम आधारित)	एकीकृत अभिगम्यता
	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि. (जीएसएम आधारित) भारत संचार निगम लि. (जीएसएम आधारित)	सेल्यूलर
	भारत संचार निगम लि. (सीडीएमए आधारित)	बुनियादी
असम	डिशनेट डीएसएल लि. (जीएसएम आधारित) भारती टेली-वेंचर लि. (जीएसएम आधारित)	एकीकृत अभिगम्यता
	भारत संचार निगम लि. (जीएसएम आधारित) रिलायंस टेलीकाम लि. (जीएसएम आधारित)	सेल्यूलर

1	2	3
	भारत संचार निगम लि. (सीडीएमए आधारित)	बुनियादी
	रिलायंस इंफोकाम लि. (सीडीएमए आधारित)	एकीकृत अभिगम्यता
	टाटा टेलीसर्विसेज लि. (सीडीएमए आधारित)	
	भारती सेल्यूलर लि. (जीएसएम आधारित)	
	डिशनेट डीएसएल लि. (जीएसएम आधारित)	
हिमाचल प्रदेश	रिलायंस टेलीकाम लि. (जीएसएम आधारित)	सेल्यूलर
	भारत संचार निगम लि. (जीएसएम आधारित)	
	एस्कार्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि. (जीएसएम आधारित)	
	भारत संचार निगम लि. (सीडीएमए आधारित)	बुनियादी
जम्मू-कश्मीर	भारती सेल्यूलर लि. (जीएसएम आधारित)	एकीकृत अभिगम्यता
	डिशनेट डीएसएल लि. (जीएसएम आधारित)	
	रिलायंस इंफोकाम लि. (सीडीएमए आधारित)	
	भारत संचार निगम लि. (जीएसएम आधारित)	सेल्यूलर
	भारत संचार निगम लि. (सीडीएमए आधारित)	बुनियादी
पूर्वोत्तर	डिशनेट डीएसएल लि. (जीएसएम आधारित)	एकीकृत अभिगम्यता
	रिलायंस टेलीकाम लि. (जीएसएम आधारित)	सेल्यूलर
	हेक्साकाम इंडिया लि. (जीएसएम आधारित)	
	भारत संचार निगम लि. (जीएसएम आधारित)	
	भारत संचार निगम लि. (सीडीएमए आधारित)	बुनियादी
	रिलायंस टेलीकाम लि. (जीएसएम आधारित)	सेल्यूलर
	भारत संचार निगम लि. (जीएसएम आधारित)	
	भारत संचार निगम लि. (सीडीएमए आधारित)	बुनियादी

कम्प्यूटर शिक्षा के लिए विश्व बैंक से ऋण

1171. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक की सहायता से कम्प्यूटर शिक्षा, स्कूलों को कम्प्यूटर आपूर्ति करने संबंधी किसी परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गांवों और सुदूर क्षेत्रों में स्कूलों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन स्कूलों की पहचान की है जिनमें कम्प्यूटर की आपूर्ति की जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस परियोजना की निगरानी और क्रियान्वयन हेतु कोई समिति बनाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो समिति की संरचना क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन उपलब्ध कराना

1172. **श्री परसुराम माझी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की प्रत्येक पंचायत में टेलीफोन उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार प्रत्येक पंचायत को टेलीफोन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय द्वारा अन्तिम रूप से तैयार की गई निविदा शर्तों के अनुसार, नवम्बर, 2007 तक प्रत्येक सेवा क्षेत्र/सर्किल के सभी पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(ग) सभी पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में अतिरिक्त वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) उपस्कर प्रदान करने की योजना है।

(2) उन दूरवर्ती और सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल सैटलाइनट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) लगाए जाएंगे जहां किसी भी स्थलीय प्रौद्योगिकी से टेलीफोन की सुविधा नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

स्टाम्प कवर की छपाई हेतु निर्धारित मानदंड

1173. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टाम्प कवर (लिफाफों) की छपाई हेतु सरकार द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मानदण्डों के उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) विशेष आवरण के जारी करने से संबंधित मार्गनिर्देश विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

''फिलैटली पुस्तिका'' से उद्धरण

विशेष आवरण जारी करने के लिए मार्ग-निर्देश

विशेष आवरण: यदि कोई घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उस पर स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी किया जाए अथवा जिसे वार्षिक विमोचन कार्यक्रम में समायोजित न किया जा सकता हो, उस पर विभाग द्वारा विशेष आवरण जारी किया जा सकता है जिसे विशेष रूप से किसी डाकघर को चुनकर वहां विशेष विरूपण द्वारा विरुपित किया जा सकता है। इन आवरणों पर किसी भी प्रकार का न्यूनतम डाक-शुल्क लगा होना चाहिए जो न्यूनतम अंतर्देशीय पत्र डाक दर के समकक्ष हो। सर्किल प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी घटना/संस्था/उद्‌घाटन उड़ान की याद में विशेष आवरण की संस्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

(क) प्रस्तावक प्रस्ताव पर विचार किए जाने के प्रयोजन से सर्किल प्रमुख को निम्नलिखित विवरण/सामग्री प्रदान करेगा:

(1) जारी करने की प्रस्तावित तिथि

(2) विशेष आवरण के लिए प्रस्तावित डिजाइन

(3) आवरण का प्रस्तावित विक्रय मूल्य

(4) आवरणों की प्रमात्रा (संख्या)

(5) उस डाकघर अथवा/और स्थान का नाम जहां से वह विशेष आवरण जारी किया जाएगा।

(ख) विशेष आवरण का डिजाइन आवरण के आधे हिस्से तक ही सीमित रहना चाहिए और आवरण के पते वाले हिस्से पर नहीं आना चाहिए। शीर्षक में मनाए जाने वाली घटना/अवसर का हिन्दी और अंग्रेजी में केवल नाम होना चाहिए।

(ग) विशेष आवरण का आकार विभाग द्वारा पत्र लिफाफों के लिए निर्धारित आकारों के अनुसार होना चाहिए। इस संबंध में

डाक विभाग द्वारा जारी 'डाक गाइड अंतर्देशीय सेवा' का संदर्भ सर्किलों द्वारा दिया जा सकता है।

(घ) विशेष आवरण का डिजाइन धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का होना चाहिए और ऐसी किसी प्रकार की भी बात से बचना चाहिए जो सरकार के लिए परेशानी का कारण बने।

(ङ) विशेष आवरण का मूल्य 5 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसमें आवरण पर लगने वाली डाक-टिकट के शुल्क की लागत शामिल नहीं है। डाक-टिकट का मूलयवर्ग न्यूनतम अंतर्देशीय पत्र डाक दर के समकक्ष होना चाहिए। प्रथम फ्लाइट कवर के मामले में यह बात लागू नहीं होती है जिसमें मूल्यवर्ग न्यूनतम विदेश पत्र डाक के समकक्ष होना चाहिए।

(च) प्रस्तावक को विशेष आवरण का मुद्रण सर्किल प्रमुख द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार करना होगा। प्रस्तावक मुद्रित किए हुए सभी आवरण मुख्य पोस्टरमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय को सौंप देगा।

(छ) सर्किल कार्यालय सभी आवरणों को संबंधित डाकघर को जारी करने के स्थान पर विक्रय के लिए सौंप देगा। सर्किल कार्यालय द्वारा अनुमोदित दरों पर इन विशेष आवरणों की बिक्री से हुई आय को प्रस्तावक को बेचे न जा सके शेष विशेष आवरणों सहित दे दिया जाएगा।

(ज) प्रस्तावक अपने खर्च पर विधिवत विरूपित 10 विशेष आवरण रिकार्ड रखने के लिए सर्किल कार्यालय को इनके जारी होने की तारीख से 10 दिन के अन्दर आपूरित करेगा। सर्किल कार्यालय इनमें से 5 आवरणों को निदेशक (फिलैटली) को राष्ट्रीय डाक-टिकट संग्रहालय में रखने के प्रयोजन से अग्रेषित करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तावक इन आवरणों को जारी करने वाले समारोह में आने वाले अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों में इनके निःशुल्क वितरण और एलबम में प्रस्तुतीकरण के प्रयोग के लिए अपने खर्च पर इनकी व्यवस्था करेगा क्योंकि विभाग ऐसे समारोहों का आयोजन नहीं करता है।

(झ) निदेशालय विशेष आवरणों के ऐसे सभी प्रस्तावों को अनुमोदन देना जारी रखेगा जो भारत के अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंधों के बारे में हों।

(ञ) सर्किल प्रमुख द्वारा अनुमोदित प्रत्येक मामले को निदेशालय को सूचित किया जाएगा ताकि फिलैटलीविदों के हित में देशभर में समाचार-पत्र/वेबसाइट के मध्यम से घटना का प्रचार करने के संबंध में काराई की जा सके।

(ट) विशेष आवरण प्राधिमानतः 176 जीएसएम के मैपलिथो कागज का प्रयोग करते हुए आफसेट प्रक्रिया से मुद्रित किया जाए।

(ठ) प्रस्तावक फिलैटलिक ब्यूरो के पास 200 खाली आवरण जमा करेगा जो कि विशेष विरूपण जारी करता है। ये जारी होने की तारीख से एक माह के लिए विभाग द्वारा निर्धारित कीमत पर बिक्री के लिए रखे जाएंगे और इन आवरणों की बिक्री से प्राप्त राशि सरकारी खाते में जमा की जाएगी।

(ड) विरूपण की तारीख से एक माह पश्चात बचे हुए और न बिके आवरण प्रस्तावक को लौटा दिए जाएंगे। आवरण की उपलब्धता के संबंध में संबंधित सूचना को ब्यूरो सबी फिलैटलिक ब्यूरो में पहले ही परिचालित करेगा, प्राधिमानतः जारी होने की तारीख से दो सप्ताह पहले।

विशेष विरूपण के लिए प्रभार: प्रस्ताव के अनुमोदित होने पर प्रस्तावक विभाग को निम्नलिखित शुल्क अदा करेगाः

(1) कार्य-दिवसों पर विशेष विरुपण/आवरण उपलब्ध कराने पर प्रति डाकघर को प्रतिदिन 1500 रु. यदि यह प्रस्तावक के परिसर में ही उपलब्ध कराना हो तो 3000 रु. प्रतिदिन का शुल्क अदा करना होगा।

(2) रविवार तथा डाक अवकाश वाले दिनों में विशेष विरूपण/आवरण उपलब्ध करवाने के लिए 3000 रु. प्रति दिन प्रत्येक डाकघर को देने होंगे तथा यदि प्रस्तावक के परिसर में उसे उपलब्ध कराया जाना है तो 6000 रु. प्रति दिन शुल्क अदा करना होगा। विरूपण/आवरण डाकघरों के सामान्य कार्यों के घटों में उपलब्ध होंगे। परन्तु सर्किल के अध्यक्ष, जिला, राज्य तथा सर्किल व राष्ट्रीय स्तर की फिलैटलिक प्रदर्शनी, यदि उसका आयोजन विभाग द्वारा नहीं हो रहा है तो विशेष विरूपण की दरों में 150% तक की छूट दे सकते हैं।

[हिन्दी]

दौरे पर गए अधिकारियों को चिकित्सा सुविधाएं

1174. प्रो. महादेवराव शिवनकरः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** दिनांक 18 अगस्त, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2925 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लंबे समय तक दौरे पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार आवास परिसर बसंत विहार में रहने वाले लोक सभा और राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों को दौरे पर रहने तथा कार्यालय में देर रात तक काम करने के कारण ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को सी.बी.आई. क्वार्टर, सी जी एच काम्पलेक्स, बसंत विहार स्थित सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी के विस्तार पटल केन्द्र से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सचिवालयों के कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों हेतु आपातकालीन सेवाओं के साथ शाम के समय उक्त विस्तार केन्द्र खोलने की व्यवस्था करने हेतु क्या अन्य वैकल्पिक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 30.9.99 के का.ज्ञा. सं. एस. 11011/7/99-सी जी एच एस (पी) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारी (लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों के कर्मचारियों सहित) जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्डधारक हैं, यात्रा अथवा दौरे के दौरान अप्रत्याशित आपातकाल में किसी भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय/मान्यताप्राप्त अस्पताल में अथवा गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र की स्थिति में प्राधिकृत चिकित्सक/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) से (ङ) संसाधनों तथा कार्मिक शक्ति की कमी के कारण आपातिक सेवाओं के साथ-साथ सांयकाल में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्वार्टर, सी जी एच काम्प्लेक्स, बसंत विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय का विस्तार केन्द्र खोलने का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही उक्त विस्तार केन्द्र में लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों के कर्मचारियों, जो समीपवर्ती कालोनियों में रहते हैं, को सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं क्योंकि बसंत विहार में पूर्ण विकसित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का अनुमोदन नहीं है। विस्तार केन्द्र में वर्तमान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्वार्टरों में रहने वाले लाभार्थियों के लिए है और विस्तार केन्द्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा केवल सीमित स्टाफ संख्या के साथ चलाया जा रहा है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं. 50, आर.के. पुरम-3 से हटा दिया गया है। इसलिए, समीपवर्ती स्थित कालोनियों में रहने वाले केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को उक्त विस्तार केन्द्र से सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

पंचायत संचार एजेंट

1175. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में कितने पंचायत संचार एजेंट कार्यरत हैं;

(ख) क्या उन्हें काम की तुलना में कम वेतन का भुगतान किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पंचायत संचार एजेंटों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) देश में अभी 7697 पंचायत संचार सेवा एजेंट हैं।

(ख) से (घ) पंचायत संचार सेवा योजना को ग्रामीण इलाकों में बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करने का किफायती माध्यम समझा जाता था। अत:, पंचायत संचार एजेंटों को डाक-टिकट और डाक लेखन सामग्री की बिक्री तथा पंजीकृत-पत्रों को बुक करने का दायित्व सौंपा गया है। कुछ मामलों में उन्हें साधारण डाक के वितरण का भी दायित्व सौंपा गया है। इसके लिए उनको 600.00 रु. मासिक भत्ता और बेचे गए डाक-टिकटों के मूल्य का 5% की कमीशन तथा बुक की गई प्रति पंजीकृत वस्तु पर 0.50 रु. का कमीशन प्रदान किया जाता है।

पंचायत संचात सेवा एजेंटों के भत्ते को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उनके पास अपने कारोबार को बढ़ाने और इस प्रकार इससे मिलने वाली कमीशन से अपनी कमाई में वृद्धि करने की गुंजाइश रहती है। इसी उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से इन पदों का सृजन किया गया है।

सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के संबंध में सर्वेक्षण

1176. प्रो. एम. रामदास: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में हाल ही में किए गए सामाजिक-आर्थिक पहलुओं संबंधी सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) आवासीय स्थितियों, ऋण, निवेश और भूमि, पशुधन धारिता जोत आदि पर ऐसे सर्वेक्षण के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पांडिचेरी में अवसंरचना क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 20 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की परियोजनाओं तथा पांडिचेरी पर उनके कार्य निष्पादन/प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा.प्र.सर्वे.) के विभिन्न दौरों के माध्यम से पांडिचेरी सहित पूरे देश में संचालित किए गए सामाजिक-आर्थिक पहलुओं संबंधी हाल के कुछ सर्वेक्षण निम्नानुसार हैं:

रा.प्र.सर्वे. 58वां दौर (जुलाई-दिसम्बर 2002) उपभोक्ता व्यय, रोजगार-बेरोजगारी, अशक्त व्यक्तियों, आवासीय स्थिति, ग्रामीण सुविधाओं और मलिन बस्ती ब्यौरों संबंधी सर्वेक्षण।

रा.प्र.सर्वे. 59वां दौर (जनवरी-दिसम्बर 2003) उपभोक्ता व्यय, रोजगार-बेरोजगारी, भूमि एवं पशुधन जोत, ऋण एवं निवेश तथा किसानों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण संबंधी सर्वेक्षण।

रा.प्र.सर्वे. 60वां दौर (जनवरी-जून 2004) उपभोक्ता व्यय, रोजगार-बेरोजगारी, अस्वस्थता और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सर्वेक्षण।

(ख) संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के संदर्भ में नवीनतम उपलब्ध परिणाम नीचे दिए गए हैं। अवधाराणाएं एवं परिभाषाएं मंत्रालय के वेबसाइट (mospi.nic.in) पर उपलब्ध संबंधित रा.प्र.सर्वे. रिपोर्टों में उपलब्ध हैं।

विषय: आवास स्थिति

श्रेणीवार आवासीय इकाइयों का प्रतिशत वितरण

ग्रामीण			शहरी		
पक्का	अर्ध-पक्का	कच्चा	पक्का	अर्ध-पक्का	कच्चा
26	20	54	70	15	15

(स्रोत: रा.प्र.सर्वे. रिपोर्ट सं. 488: भारत में आवास स्थिति, रा.प्र.सर्वे. 58वां दौर; जुलाई-दिसम्बर 2002)

विषय: ऋण एवं निवेश, भूमि तथा पशुधन जोत

रा.प्र.सर्वे. 59वें दौर (जनवरी-दिसम्बर 2003) के माध्यम से इन विषयों पर एकत्र आंकड़ों का विधायन किया जा रहा है। तथापि, पिछले सर्वेक्षण (रा.प्र.सर्वे. 58वां दौर: जनवरी-दिसम्बर 1992) पर आधारित मुख्य परिणाम नीचे दिए गए हैं:

संदर्भ अवधि 1.7.91 से 30.6.92 के दौरान प्रति हजार परिवारों में नकद ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या:

ग्रामीण क्षेत्र में 145 तथा शहरी क्षेत्र में 231

(स्रोत: रा.प्र.सर्वे. रिपोर्ट सं. 431 (भाग-1): 1.7.91 से 30.6.92 के दौरान पारिवारिक ऋण तथा चुकौती: रा.प्र.सर्वे. 48वां दौर: जनवरी-दिसम्बर 1992)

1.7.91 से 30.6.92 तक की संदर्भ अवधि के दौरान स्थाई पूंजी व्यय की व्यापक मदें सूचित करने वाले परिवार

निम्नलिखित में स्थाई पूंजी व्यय

क्षेत्र	आवासीय प्लाट, भवन एवं अन्य निर्माण		फार्म बिजनेस		नान-फार्म बिजनेस		कोई मद	
	पी	ए	पी	ए	पी	ए	पी	ए
ग्रामीण	15	217	93	233	7	61	108	511
शहरी	35	1256	16	42	12	103	63	1428

टिप्पणी: पी - प्रति हजार परिवार स्थाई पूंजी व्यय की मद प्रस्तुत करने वाले परिवारों की संख्या; ए - प्रति परिवार तदनुरूप व्यय का औसत मूल्य (रु.)
(स्रोत: रा.प्र.सर्वे. रिपोर्ट सं. 437: 1.7.91 से 30.6.92 के दौरान परिवार पूंजी व्यय; रा.प्र.सर्वे. का 48वां दौर: जनवरी-दिसम्बर 1992)

प्रचालन जोतों के आकार वर्ग के अनुसार परिवारों का प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	परिवार प्रचालन जोत का आकार वर्ग (हेक्येटर में)							
	शून्य	0.002 से कम	0.002-0.20	0.21-1.00	1.01-2.00	2.01-5.00	5.01 और इससे अधिक	सभी आकार
ग्रामीण	32.76	3.43	40.08	15.21	5.49	2.09	0.94	100
शहरी	63.51	4.08	28.88	3.01	0.41	0.12	0	100

(स्रोत: रा.प्र.सर्वे. रिपोर्ट सं. 408: परिवार प्रचालन जोत में पशुधन तथा कृषीय साधन; रा.प्र.सर्वे. का 48वां दौर: जनवरी-दिसम्बर 1992)

प्रति 100 परिवारों के पास विभिन्न प्रकार के पशुधनों की संख्या

क्षेत्र	मवेशी	भैंस	भेड़ एवं बकरी	सुअर	कुक्कुट
ग्रामीण	43	1	25	0	86
शहरी	9	4	3	0	35

(स्रोत: रा.प्र. सर्वे. रिपोर्ट सं. 408: परिवार प्रचालन जोत में पशुधन तथा कृषीय साधन; रा.प्र. सर्वे. का 48वां दौर: जनवरी-दिसम्बर 1992)

(ग) और (घ) आधारिक संरचना क्षेत्र में विद्युत, कोयला, स्टील, रेलवे, रोड, जहाजरानी एवं बंदरगाह, नागरिक उड्डयन, दूर संचार, उर्वरक, सीमेंट तथा पेट्रोलियम शामिल हैं। वर्तमान समय में 20 करोड़ या इससे अधिक की लागत वाली कोई नई परियोजना नहीं है। वर्तमान परियोजना के निष्पादन के संबंध में संबंधित मंत्रालयों से ब्यौरें संगृहीत किए जा रहे हैं जो उपलब्ध होने पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

मोबाइल फोन डायरेक्टरी

1777. **श्री विजय कृष्णा:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेल्यूलर आपरेटरों ने मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं की एक डायरेक्टरी निकालने के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) "ट्राई' द्वारा अपने आदेशों को लागू कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी स्टेकहोल्डरों और उपभोक्ता संगठनों को दूरभाष निर्देशिका प्रकाशित करने और निर्देशिका पूछताछ सेवाओं के लिए एक परामर्श-दस्तावेज जारी किया था। परामर्श-दस्तावेज के प्रत्युत्तर में, स्टेकहोल्डरों से बड़ी संख्या में टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। सेल्यूलर आपरेटर्स एसोशिएशन आफ इंडिया (सीओएआई), एसोशिएसन आफ यूनीफाइड टेलीकाम सर्विस प्रोवाइडर्स आफ इंडिया (एयूएसपीआई) और कुछ अन्य संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस मामले पर अभी खुले सत्र का आयोजन किया जाना है। अत: परामर्श-प्रक्रिया पूरी नहीं है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यूटीआई म्युचुअल फंड स्कीम

1178. श्री कीर्ति वर्धन सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने डाकघरों से यूटीआई एम एफ स्कीम का वितरण करने हेतु यूटीआई म्युचुअल फंड के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों के बीच क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) डाक विभाग ने यूटीआई म्युचुअल फंड से करार किया है, जिसके अंतर्गत सितंबर 2004 से अगले छह महीनों के दौरान देश के 17 डाक सर्किलों के अधीन देश भर में फैले 50 डाकघरों के माध्यम से चुनिंदा म्यूचुअल फंड योजनाओं की बिक्री की जानी है। विभाग केवल यूटीआई म्युचुअल फंड के मास्टरशेयर, वेरियेबल इन्वेस्टमेंट प्लान, चिल्ड्रेन कालेज एंड कैरियर प्लान, महिला यूनिट स्कीम और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूएलआईपी) योजनाओं की बिक्री कर रहा है।

[अनुवाद]

बाल्को इकाई को बंद किया जाना

1179. श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज द्वारा अधिकांश शेयर खरीद लिए जाने के बाद बाल्को के प्रभावी रूप से काम कर रहे विभागों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय में बाल्को के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा मनोनीत निदेशकों की पूर्व सहमति ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने बाल्को को अपने अधिकार क्षेत्र में लेते समय ट्रेड यूनियन के साथ किए गए करार की सभी शर्तों का बेशर्मी से उल्लंघन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) बालको ने सूचित किया है कि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लि. द्वारा अधिकांश शेयर खरीद लिए जाने के बाद कंपनी के प्रभावी रूप से काम करने वाले किसी भी विभाग को बंद नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) बालको ने सूचित किया है कि ट्रेड यूनियन के साथ हुए करार की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

पट्टे पर खनन कार्य करना

1180. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई आर ई एल) ने वर्ष 2000 में कन्याकुमारी जिले में पट्टे पर खनन कार्य करने हेतु आवेदन किया गया था और वह राज्य सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने आई आर ई एल के कन्याकुमारी जिले में पट्टे पर खनन कार्य क्षेत्रों को निजी पार्टियां को देने की भी सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा आई आर ई एल के हित की रक्षा हेतु क्या कार्रवाही की गई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, मैसर्स इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मानवलाकुरुचि, कन्याकुमारी जिले द्वारा खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए दो आवेदन-पत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	आवेदन-पत्र की तारीख	ताल्लुका एवं गांव	परिसीमा तथा एस एफ सं.	विलम्ब के कारण
1.	3.2.2000	कलकुलम, इझुदेशम	133.80.0 हैक्टेयर	आवेदन-पत्र पर कलक्टर, कन्याकुमारी जिले के द्वारा अभी भी कार्रवाई की जा रही है।
2.	19.9.2000	विल्वनकोड कीलकुलम और मिडलम	321.07.0 हैक्टेयर	खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित आवेदन-पत्र कतिपय विसंगतियां और त्रुटियां दूर करने के लिए कलक्टर को 5.8.2004 को लौटा दिया गया था। कलक्टर, कन्याकुमारी जिले को इन त्रुटियों को दूर करने और रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार ने कतिपय क्षेत्र, जिन्हें प्रारम्भ में मैसर्स इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के नाम से जारी किए गए खनन पट्टे में शामिल किया था, निजी पार्टियों को दे दिए हैं। मैसर्स इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने एक संशोधित आवेदन-पत्र सं. 27 (1) 2003-आर सी-II जमा किया था और भारत सरकार के एक अधिकरण ने दिनांक 4.8.2003 के आदेश के तहत राज्य सरकार द्वारा जी, ओ. एमएस सं. 1085, दिनांक 21.9.1977 के अंतर्गत प्रारंभ में जारी किए खनन पट्टे के संबंध में दिनांक 23.1.2003 के संशोधन की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अधिकरण के इस आदेश के खिलाफ, उस प्राइवेट पार्टी ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर की है और उस पर स्थगन आदेश प्राप्त किया है, तथा यह मामला इस समय न्यायाधीन है।

अश्लील साइट पर रोक लगाने हेतु निगरानी प्राधिकरण

1181. श्री राम कृपाल यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की इंटरनेट पर अश्लील साइट पर रोक लगाने हेतु एक निगरानी प्राधिकरण गठित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान

1182. श्री देविदास पिंगले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को वैश्विक निधि के माध्यम से अनुदान प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये अनुदान किन-किन रोगों के लिए प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने जिन रोगों के लिए अनुदान प्रदान किया है उनसे निपटने के लिए धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कुल कितने राज्यों को उपर्युक्त अनुदान में से धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) एच आई वी/एड्स और क्षयरोग।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) विवरण ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

बीमारी	परियोजना	राज्य का नाम	आवंटित राशि
क्षयरोग	समूचे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों में तथा उ.प्र. और बिहार के 56 जिलों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार।	छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तरांचल उ.प्र. बिहार	1407.39
एच आई वी/एड्स	माता से बच्चे को होने वाले संचरण की रोकथाम (पी पी टी सी टी) संबंधी सेवाओं और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के एंटी रिट्रोवायरल उपचार में वृद्धि करके माताओं, उनके परिवारों तथा एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए एच.आई.वी. निवारण और परिचर्या।	आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र तमिलनाडु नागालैंड मणिपुर	1423.68

[अनुवाद]

एशियाई आर्थिक समुदाय

1183. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ की तर्ज पर एशियाई आर्थिक समुदाय गठित करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो विचारित आर्थिक समुदाय की संक्षेप में शर्तें तथा कार्य प्रणाली क्या है और इसमें भारत की क्या भूमिका होगी; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) भारत ने भारत, आसियान, जापान, चीन और कोरिया गणराज्य को शामिल करते हुए वृहत्तर एशियाई आर्थिक समुदाय का विचार प्रतिपादित किया है।

(ग) एशिया में घनिष्ट आर्थिक एकीकरण पर इन देशों के अग्रणी विचारकों और शैक्षिक संगठनों द्वारा पहले ही कुछ अध्ययन और सेमिनार शुरू किए जा चुके हैं।

संदूषित पेय पदार्थ

1184. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:**
डा. राजेश मिश्रा:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पेप्सी कंपनी की 'ड्यू' कोला में कैफीन की काफी अधिक मात्रा है जोकि गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है किंतु इसकी बोतल पर कोई स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखे बिना इसे बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं में ड्यू के तत्वों का विश्लेषण करके उक्त रिपोर्ट की सच्चाई का पता लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के लिए पेप्सी के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्रतटों का विकास

1185. **श्री सुरेश कलमाडी: क्या महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की समुद्रतटों का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

योग में अनुसंधान और विकास कार्य

1186. **श्री ब्रजेश पाठक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और उनके कार्यनिष्पादन तथा अनुदान राशि का उपयोग करने का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा धनराशि का दुरुपयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) योग के अनुसंधान और विकास को राष्ट्रीय स्तर के दो संस्थानों अर्थात् केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सी सी आर वाई एन) नई दिल्ली और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एम डी एन आई वाई), नई दिल्ली के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। सी सी आर वाई एन योग के संवर्धन, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं विकास हेतु संपूर्ण देश के प्रतिष्ठित संगठनों को शामिल करता है तो एम डी एन आई वाई, योग संबंधी पाठ्यक्रमों को प्रत्यक्ष रूप से संचालित करता है। सी सी आर वाई एन और एम डी एन आई वाई के द्वारा कार्यान्वित स्कीमों समेत उनके कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान सी सी आर वाई एन एवं एम डी एन आई वाई हेतु योजना के अंतर्गत किया गया प्रावधान निम्नानुसार है:

(रु. लाखों में)

	2002-03	2003-04	2004-05
सी सी आर वाई एन	175.00	13.25	222.00
एम डी एन आई वाई	317.40	217.50	440.00

इसके अलावा, सरकार आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) में बहिर्वर्ती आयुष अनुसंधान हेतु एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत योग सहित आयुष में अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ करने हेतु प्रत्यायित अनुसंधान संस्थानों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। अनुसंधान की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष 2001 में इस स्कीम की समीक्षा की गई और संशोधन किया गया।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में स्थित जिन गैर-सरकारी संगठनों ने योग के संवर्धन, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान व विकास हेतु सी सी आर वाई एन और मंत्रालय से 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान अनुदान प्राप्त किए हैं, उनका ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है। 5 गैर-सरकारी संगठनों में से, जीवन निर्माण, केंद्र, मेरठ नामक एक गैर-सरकारी संगठन का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया और इसलिए, इसका परवर्ती सहायता अनुदान रोक दिया गया है। अन्य गैर-सरकारी संगठनों के कार्य और निधि संबंधी उपयोग रिपोर्टें अभी तक संतोषजनक पाई गई हैं।

विवरण

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	परियोजना/स्कीम का शीर्षक	जारी की गई निधियां (रु. लाखों में)
1.	श्रीनाथ नैचुरोपैथी एंड योग सेंटर, कानपुर	एफैक्ट आफ योग एंड नैचुरोपैथी मोडालिटीज इन दि मैनजमेंट आफ रयूमेटायड अर्थराईटिस ओस्टियो अर्थराइटिस एंड गाट शीर्षक अनुसंधान परियोजना	3.66
		योग एवं प्रकृतिक चिकित्सा पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करना	0.50
2.	जीवन निर्माण आश्रम नेचर क्योर एंड योग सेंटर, महर्षि दयानंद प्राकृतिक योग प्रतिष्ठान, अलीगढ़	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार एवं प्रचार-प्रसार केंद्र का सुदृढ़ीकरण	7.50
3.	जी पी दीक्षित योग एवं नैचुरोपैथी हास्पिटल, आगरा	तदेव	1.50
4.	पंच तत्व सेवाश्रम, योग एंड नेचर क्योर सेंटर, मानव समाज कल्याण समिति, एटा	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के रोगी परिचर्या केंद्र का सुदृढ़ीकरण	0.30
5.	जीवन निर्माण केंद्र, योग एंड नेचर क्योर सेंटर, मेरठ	तदेव	1.20

शहरी जनसंख्या

1187. **श्री मोहन सिंह:**
श्रीमती मिनाती सेन:
श्री मुन्शी राम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी तीन वर्षों के दौरान विश्व की आधी जनसंख्या शहरी जनसंख्या बन जाएगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त आंकड़ों की तुलना में भारतीय जनसंख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2010 तक भारतीय शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना प्रतिशत होने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा शहरी जनसंख्या की इस बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) शहरी जनसंख्या के लिए आवास, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गई तैयारी का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जनगणना आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात की स्थिति बहुत खराब है;

(छ) क्या केवल जैनियों की शहरी संख्या ग्रामीण संख्या से अधिक है; और

(ज) यदि हां, तो शहरी-ग्रामीण विसंगतियों को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। वर्ल्ड अर्बेनाइजेशन प्रास्पेक्ट्स, द् 2001 रिवीजन, यूनाइटिड नेशन्स के 2005 और 2010 की जनसंख्या पर आधारित अनुमानों के अनुसार अनुमानित शहरी विश्व जनसंख्या इस प्रकार होगी:

वर्ष	प्रतिशतता
2005	49.3
2006	49.7
2007	50.2

(ख) भारत की जनगणना, 2001, भारत के महापंजीयक के अनंतिम जनसंख्या योगों पर आधारित 2002-2026 तक की प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में भारतीय शहरी जनसंख्या का अनुपात इस प्रकार है:

वर्ष	प्रतिशतता
2005	28.7
2006	28.9
2007	29.1

(ग) 2010 तक भारत की अनुमानित शहरी जनसंख्या 29.8 प्रतिशत होगी।

(घ) ''लघु और मझोले कस्बों में अवसंरचना का विकास'' नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम लघु और मझोले कस्बों में अवसंरचना के अपेक्षित स्तर का विकास करने के लिए चल रही है जिससे कि इन कस्बों में बड़े शहरी केन्द्रों में होने वाले प्रव्रजन को रोका जा सके जबकि मेगा शहर स्कीम में जनसंख्या में वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेगा शहरों में अवसंरचना में वृद्धि करने/उसे सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है।

(ङ) गृह, स्वास्थ्य और स्वच्छता की प्रदानगी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिक जिम्मेवारी है। तथापि, शहरी जनसंख्या की मौलिक आवश्यकताओं को सुधारने के लिए शहरी विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सुग्राही बना रहा है। शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 1988 में ''दो मिलियन हाउसिंग प्रोग्राम'' भी शुरू किया है जिसमें शहरी क्षेत्रों के लिए 7 लाख अतिरिक्त आवास प्रदान करने की व्यवस्था है। परिवार कल्याण विभाग देश में जिला और उप-जिला स्तर पर 1562 प्रसवोत्तर केन्द्रों, 1083 शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों, 871 शहरी स्वास्थ्य स्थलों (पोस्ट्स) और बन्ध्याकरण पलंग स्कीम के अंतर्गत 3239 बन्ध्याकरण पलंगों के नेटवर्क के माध्यम से व्यापक प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार (1) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे नगरों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, और (2) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए एकीकृत शहरी कम लागत वाली स्वच्छता स्कीम के माध्यम से पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता की समस्या पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूर्ण बनाने के लिए सहायता कर रही है।

(च) जनगणना 2001 के अनुसार, राज्य-वार ग्रामीण और शहरी लिंग अनुपात को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न एक विवरण में दिया गया है।

(छ) जी, हां। जनगणना 2001 के अनुसार केवल जैन समुदाय ही ऐसा समुदाय है जिसमें शहरी आंकड़े, ग्रामीण आंकड़ों से ज्यादा हैं।

(ज) गर्भधारण पूर्व यौन चयन की तकनीकों को गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, 1994 और इसमें वर्ष 2003 में किए गए संशोधनों की सीमा के भीतर लाया गया है।

विवरण

यौन अनुपात—भारत, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र: 2001*

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5
भारत		933	946	900
1.	जम्मू-कश्मीर	892	917	819
2.	हिमाचल प्रदेश	968	989	795
3.	पंजाब	876	890	849
4.	चंडीगढ़	777	621	796
5.	उत्तरांचल	962	1007	845

1	2	3	4	5
6.	हरियाणा	861	866	847
7.	दिल्ली*	821	810	822
8.	राजस्थान	921	930	890
9.	उत्तर प्रदेश	898	904	876
10.	बिहार	919	926	868
11.	सिक्किम	875	880	830
12.	अरुणाचल प्रदेश	893	914	819
13.	नागालैंड	900	976	829
14.	मणिपुर	974	963	1009
15.	मिजोरम	935	923	948
16.	त्रिपुरा	948	946	959
17.	मेघालय	972	969	982
18.	असम	935	944	872
19.	पश्चिम बंगाल	934	950	893
20.	झारखंड	941	962	870
21.	उड़ीसा	972	987	895
22.	छत्तीसगढ़	989	1004	932
23.	मध्य प्रदेश	919	927	898
24.	गुजरात	920	945	880
25.	दमन और दीव*	710	586	984
26.	दादरा और नगर हवेली*	812	852	691
27.	महाराष्ट्र	922	960	873
28.	आंध्र प्रदेश	978	983	965
29.	कर्नाटक	965	977	942
30.	गोवा	961	988	934
31.	लक्षद्वीप*	948	959	935
32.	केरल	1058	1059	1058
33.	तमिलनाडु	987	992	982
34.	पांडिचेरी*	1001	990	1007
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	846	861	815

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, कुल जनसंख्या: सारणी ए-5, भारत की जनगणना, 2001

नोट: 2001 के लिए मणिपुर के सेनापति जिले के माओ मारम, पाओमाटा और पुरुल उप-डिवीजनों की अनुमानित जनसंख्या सहित।

[अनुवाद]

चिकित्सा महाविद्यालय/फार्मेसी प्रबन्धन संस्थान

1188. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने चिकित्सा महाविद्यालय/फार्मेसी प्रबंधन संस्थान काम कर रहे हैं;

(ख) इन संस्थानों में कितने लड़के/लड़कियां नामांकित हैं और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्र हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त सभी संस्थान अखिल भारतीय परीक्षा/यू जी सी के दिशा निदेशानुसार काम कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानदंड को बरकरार रखने हेतु कोई नीति बनाने का है; और

(ङ) गत शैक्षिक सत्र के दौरान कितने नए संस्थानों को स्वीकृति प्रदान की गई और अन्य ऐसे प्रस्तावों को किन कारणों से अस्वीकार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) इस समय देश में 229 मेडिकल कालेज चल रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय फार्मेसी परिषद ने डी. फार्मा पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 377 संस्थान और बी.फार्मा. पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 233 संस्थान अनुमोदित किए हैं।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं क्योंकि मेडिकल/फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण/संस्थान द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारतीय फार्मेसी परिषद के विनियमों के प्रबंधों, जो लागू हों, के अध्यधीन अधिशासित किया जाता है। तथापि, सभी मेडिकल/फार्मेसी संस्थानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों आदि के छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु समय-समय पर जारी किए गए केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जैसा भी मामलों हो, के अनुदेशों का अनुपालन करना होता है।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस्लामी एकेडमी आफ एज्यूकेशन के मामले में अपने दिनांक 14.8.03 के फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार प्राइवेट व्यावसायिक कालेजों में सीटों की प्रतिशतता निर्धारित कर सकती है जो प्रबंधन द्वारा भरी जा सकती हैं। शेष सीटें राज्य अभिकरण द्वारा आयोजित सम्मिलित प्रवेश परीक्षा के जरिए मेरिट के अनुसार भरी जानी होती हैं। प्रबंधन द्वारा भरी गई सीटों को संबंधित राज्य में सभी कालेजों की एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जाने वाली एक सामान्य परीक्षा के जरिए मेरिट के अनुसार अथवा ऐसी एसोसिएशन की अनुपस्थिति में राज्य सरकार द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश के द्वारा भी भरा जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय फार्मेसी परिषद संस्थाओं को तभी अनुमोदन प्रदान करती है यदि निर्धारित सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया हो। इन व्यावसायिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवधिक निरीक्षण भी आयोजित किए जाते हैं।

(ङ) मेडिकल कालेज/फार्मेसी संस्थान खोलने के प्रस्ताव की अनुमति अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारतीय फार्मेसी परिषद के विनियमों में निर्धारित अर्हक मानदण्डों को पूरा करने पर निर्भर करती है। वर्ष 2004 में, केन्द्र सरकार ने 10 मेडिकल कालेज खोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। उसी प्रकार 2003-2004 के दौरान, भारतीय फार्मेसी परिषद ने एक फार्मास्टिक के रूप में पंजीकरण के प्रयोजन के लिए 44 नई संस्थाएं अनुमोदित की हैं।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा शुल्क में छूट

1189. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के छात्रों को दाखिला देतें हैं और शुल्क में छूट प्रदान करते हैं;

(ख) क्या सरकार ने संस्थाओं के इस पहलू की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इन शैक्षिक संस्थाओं का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समाज के केवल समृद्ध वर्ग के व्यक्तियों को ही इन संस्थाओं में दाखिला दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं और सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के छात्रों को इन संस्थाओं में दाखिला देने हेतु क्या निदेश जारी किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारत के माननीय उच्चतम

न्यायालय ने टी एम ए पाई फाउंडेशन मामले में 31.10.2002 के अपने निर्णय में पुष्टि की कि प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त कालेजों को राज्य द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन करना होगा जिनके अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के कुछ प्रतिशत छात्रों को नि:शुल्कत तथा छात्रवृत्ति, यदि उन्हें सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई हो, प्रदान करके दाखिला देना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चततम न्यायालय ने इस्लामी शिक्षा अकादमी के मामले में दिनांक 14.8.03 के अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार प्राइवेट व्यावसायिक कालेजों में सीटों की प्रतिशतता निर्धारित कर सकती है जिसे प्रबंधन द्वारा भरा जा सकता है। शेष सीटें राज्य की एजेंसी द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट के अनुसार भरी जानी हैं। प्रबंधन द्वारा भरी गई सीटें संबद्ध राज्य के सभी कालेजों के संघ द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अथवा ऐसे संघ के न होने पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश के माध्यम से मेरिट के अनुसार भी भरी जानी हैं। उक्त निर्णय में, आगे यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक संस्था को अपनी स्वयं की शुल्क संरचना निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक राज्य सरकार को यह तय करने के लिए कि क्या संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क उचित है और इससे मुनाफाखोरी अथवा प्रभार शुल्क अथवा प्रतिव्यक्ति शुल्क आरोपित नहीं होता है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करना अपेक्षित है। उक्त समिति संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना का अनुमोदन कर सकती है अथवा कुछ और शुल्क का प्रस्ताव कर सकती है जो संस्थान पर तीन वर्षों की अवधि तक बाध्यकारी होगा।

चिकित्सा संस्थाओं/कालेजों में आरक्षित श्रेणी के छात्रों के दाखिले के लिए, केन्द्र सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों तथा चिकित्सा संस्थाओं को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि आरक्षित क्षेणी के छात्रों के दाखिले तथा उनके लिए आरक्षित सीटों के कोटे की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों का स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के संबंध में भी सख्ती से अनुपालन किया जाता है। तथापि, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशेष आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले का विनियमन संबंधित राज्य सरकारों/विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी/संस्थाओं द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन किया जाता है।

निजी संचालकों द्वारा बुनियादी टेलीफोन

1190. श्री सीताराम सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी संचालकों द्वारा बुनियादी टेलीफोन लगाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) निजी संचालकों द्वारा अब तक मुहैय्या कराये गये बुनियादी टेलीफोनों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी संचालक अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें, क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) निजी एकीकृत अभिगम्यता सेवा प्रदाता मोबाइल तथा स्थिर टेलीफोन प्रदान कर सकते हैं। राल आऊट दायित्व जिला मुख्यालयों के कवरेज के रूप में है तथा स्थिर टेलीफोनों की विनिर्दिष्ट संख्या के रूप में कोई लक्ष्य नहीं है।

(ख) विभिन्न दूरसंचार प्रचालकों द्वारा प्रदान किए गए स्थिर टेलीफोनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार बीएसओ/यूएएसओ द्वारा प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) की संख्या

कंपनी का नाम	सेवा क्षेत्र	स्थिर डी ई एल		
		वायर लाइन	स्थिर बेतार टेलीफोन	जोड़
1	2	3	4	5
मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लि.	तमिलनाडु	71	63525	63596
	चेन्नई	414	134829	135243

1	2	3	4	5
	कर्नाटक	4480	168032	172512
	आंध्र प्रदेश	135120	212746	347866
	गुजरात	22885	182124	205009
	दिल्ली	8649	234752	243401
	जोड़	171619	996008	1167627
मै. भारती इनफोटैल लि.	मध्य प्रदेश (यूएएसएल)	223156	26900	250056
मै. भारती सेल्यूलर लिमिटेड	हरियाणा	103557	0	103557
	दिल्ली	126477	0	126477
	तमिलनाडु	174326	0	174326
	कर्नाटक	121673	0	121673
	जोड़	749189	26900	776089
मै. श्याम टेलीलिंक लि.	राजस्थान	94144	21359	115503
मै. टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि.	महाराष्ट्र	34564	142516	177080
	मुम्बई	184230	198343	382573
	जोड़	218794	340859	559653
मै. एचएफसीएल इनफोटेल लि.	पंजाब	127204	40596	167800
मै. रिलायंस इन्फोकाम लि.	आंध्र प्रदेश	2361	44218	46579
	बिहार	35	17094	17129
	चेन्नई	1611	25731	27342
	दिल्ली	2411	147662	150073
	गुजरात	4437	86052	90489
	हरियाणा	112	19478	19590
	हिमाचल प्रदेश	0	105	105
	कर्नाटक	4584	35278	39862
	केरल	678	85327	86005
	कोलकाता	2372	75188	77560
	मध्य प्रदेश	344	20600	20944
	महाराष्ट्र	1509	72652	74161

1	2	3	4	5
	मुम्बई	3598	126845	130443
	उड़ीसा	83	11739	11822
	पंजाब	1084	80106	81190
	राजस्थान	675	30467	31142
	तमिलनाडु	682	22006	22688
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	840	37107	37947
	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	137	38182	38319
	पश्चिम बंगाल	45	8369	8414
	जोड़	27598	984206	1011804
	कुल जोड़	1388548	2409928	3798476

आंकड़े लाइसेंसधारकों द्वारा यथासूचित हैं।

[अनुवाद]

नकली ग्लोब

1191. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर को एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाले ग्लोब भारत में खुलेआम बिक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये ग्लोब चीन द्वारा निर्मित हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले को भारत द्वारा चीन के संबद्ध अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) सरकार ने संबंधित रिपोर्ट देखी है।

(ख) यह ग्लोब तथाकथित रूप से चीन में बनी थी।

(ग) और (घ) भारत चीनी पक्ष को अपने इस दृष्टिकोण से निरंतर अवगत कराता रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का एक असंक्राम्य और अभिन्न अंग है। सरकार सतर्क बनी हुई है और भारत की प्रभुता, क्षेत्रीय अंखंडता और सुरक्षा के संरक्षण के लिए सभी आवश्यकता और उचित उपाय कर रही है।

सीजीएचएस औषधालयों का निर्माण

1192. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में सीजीएचएस के कितने औषधालय निर्माणाधीन हैं और इनके कब तक बन जाने तथा लाभार्थियों के लिए चालू हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि शालीमार बाग, दिल्ली में तत्कालीन श्रम मंत्री द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व सीजीएचएस औषधालय की आधारशिला रखी गयी थी किन्तु अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ है जबकि यह आश्वासन दिया गया था कि पीतमपुरा के पुष्पांजलि स्थित एक औषधालय सहित यह केन्द्र फरवरी, 2004 तक चालू हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और शालीमार बाग में औषधालय का कब तक निर्माण होने तथा इसके चालू होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति सूचित की है:

1. शालीमार बाग
2. टैगोर गार्डन
3. नोएडा
4. दिलशाद गार्डन
5. शकूरबस्ती
6. कमला नेहरू नगर (गाजियाबाद)
7. पीतमपुरा

भवनों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि कई एजेंसियां इसमें सम्मिलित हैं। भवन पूरा होने के बाद उनको केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को सौंपने के बाद ही उनमें औषधालयों का कार्य शुरू किया जा सकता है। वर्तमान में उक्त औषधालए किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) शालीमार बाग में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के भवन के निर्माण से संबंधित कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। दिल्ली अर्बन आर्टस कमीशन (डीयूएसी) ने अपने दिनांक 2.9.2004 के पत्र के तहत प्लान में प्रमुख परिवर्तन चाहे हैं जिसके लिए नए नक्शे अनुमोदन के लिए डीयूएसी को भेज दिए गए हैं। इसी दौरान, भवन योजना की स्वीकृति के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है जिसके मिलने पर भवन के नक्शे को अनुमोदित करने के लिए दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया जायेगा।

पीतमपुरा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के भवन के निर्माण के संबंध में, केन्द्रीय डिजाइन ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से नक्शा तैयार करने के लिए कहा गया है जो तैयार होने पर स्थानीय निकायों के अनुमोदन के लिए उनको भेजा जायेगा।

समुद्री जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र

1193. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में एक समुद्री जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दसवीं योजना में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के लिए योजना प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां, बायोटेक्नोलाजी विभाग (डी.बी.टी.) भारत सरकार की केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सी एस एम सी आर आई), भावनगर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, गुजरात सरकार, अहमदाबाद से एक सहयोगात्मक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) विभाग द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की गई और यह पाया गया कि सी एस एम सी आर आई (सी एस आई आर संस्थान) के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में अत्यधिक ओवरलैपिंग है। संस्थान को सी एस एम सी आर आई के वर्तमान अधिदेश के अनुसार प्रस्ताव की पुनः जांच करने तथा डी बी टी को पुनः विचारार्थ संशोधित रूप प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। संशोधित प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है और योग्यता के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना में समुद्री जैवप्रौद्योगिकी के नए केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। कोचिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचिन एवं कालेज आफ फिशरीज, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मंगलौर में पहले से विद्यमान केन्द्रों को समुद्री जैवप्रौद्योगिकी में विशिष्ट अनुसंधान के लिए कार्यक्रम सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। नए प्रस्तावों पर उनकी आवश्यकता एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान

1194. श्री नीतीश कुमार:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था संबंधी अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) विश्व बैंक ने वैश्विक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत की क्षमताओं को उत्तोलित करने के प्रयोजन से एक कार्य योजना तैयार करने के लिए हाल ही में "भारत एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था: क्षमताओं एवं अवसरों का उत्तोलन" शीर्षक से एक अध्ययन का मसौदा तैयार किया है।

अध्ययन के मसौदे के एक भाग के रूप में, वैश्विक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति की तुलना की गई। अध्ययन में यह नोट किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रभावशाली वृद्धि हुई है; जबकि भारत दक्षिण एशियाई देशों में सबसे आगे है, कई अन्य देश ऐसे हैं जिन्होंने और अधिक तेजी से प्रगति की है। स्वाट विश्लेषण करके के बाद, अग्रसर होने के विभिन्न सुझाव दिए गए हैं।

(ग) विश्व बैंक ने परामर्श की विभिन्न प्रक्रियाओं से प्राप्त प्रतिपुष्टि को शामिल करके अन्तिम रिपोर्ट जारी नहीं की है। लेकिन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में देश की प्रतिस्पर्धा में तेजी लाने के लिए वित्तीय एवं संवर्धनात्मक, दोनों ही दृष्टियों से, कई प्रयास आरम्भ किए गए हैं। इनमें पूंजीनिवेश अनुकूल नीति, आईसीटी मूलसंरचनात्मक सुविधाओं का संवर्धन, ई-शासन, ई-वाणिज्य, अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास/ई-अधिगम तथा सभी संबंधित क्षेत्र शामिल हैं।

कोयला खानों का सर्वेक्षण

1195. **श्री मनोज कुमार:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सहायक कंपनियों के संदर्भ में कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कराए गए सर्वेक्षण का खान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सर्वेक्षणों के क्या परिणाम निकले और नए सर्वेक्षण कराने के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) सी.आई.एल. की सभी उत्पादक सहायक कम्पनियों के खान-वार कोयला भंडार सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष (वित्तीय वर्ष-वार) कोल इंडिया लि. द्वारा कराया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण की गयी खानों की कुल संख्या नीचे दी गयी है:

कम्पनी	सर्वेक्षण की गयी खानों की संख्या		
	2001-02	2002-03	2003-04
ईसीएल	122	123	123
बीसीसीएल	87	87	85
सीसीएल	66	66	64
एनसीएल	8	8	8
डब्ल्यू.सी.एल.	78	79	78
एस.ई.सी.एल.	90	88	89
एम.सी.एल.	21	22	22
एन.ई.सी.	6	6	6
कुल	478	479	475

वार्षिक कोयला भंडार सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात्, कोयला भंडारों के जांच, सर्वेक्षण सी.आई.एल. की निर्दिष्ट खानों में कराए जा रहे हैं। वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान क्रमशः 45, 50 तथा 48 खानों में जांच सर्वेक्षण कराया गया था।

(ख) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए उपर्युक्त कोयला भंडार सर्वेक्षण से 7 कोलियरियों में अनुमेय सीमा से कम कोयला भंडार का पता चला। वर्ष 2004-05 के लिए नया सर्वेक्षण भंडार मापन सी.आई.एल. की कोयला सूची (इन्वेन्ट्री) टीम द्वारा अप्रैल, 2005 में किया जाएगा।

एड्स रोगियों का उपचार

1196. **श्री खीरेन रिजीजू:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 2004 की तिथि के अनुसार देश में एच आई वी ग्रस्त पुरुषों और महिलाओं की राज्यवार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) देश में उन अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां एड्स रोगियों के उपचार की सुविधा है;

(ग) एड्स की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा तैयार योजनाओं के क्या नाम हैं और इन पर प्रतिवर्ष किए जा रहे खर्चे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं से प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) एचआईवी आकलन, 2003 पर आधारित देश में राज्यवार एचआईवी पाजीटिव पुरुषों और महिलाओं की अनुमानित संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) राष्ट्रीय एड्स नियंतरण कार्यक्रम के परिचर्या और सहायता घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन देश में सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज अस्पतालों में अवसरवादी संक्रमणों के उपचार के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को औषधें उपलब्ध करा रहा है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2004 से पहचान किए गए 8 केन्द्रों के माध्यम से एड्स रोगियों के लिए एंटी-रिट्रोवायरल थिरेपी शुरू की है। चरणवार तरीके से एंटी रिट्रोवायरल थिरेपी प्रदान करने के लिए पहचान किए गए अतिरिक्त केन्द्रों के साथ 8 केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-II में है।

(ग) भारत में एचआईवी/एड्स के फैलाव की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है जो इस समय निम्नलिखित संघटकों के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है:

* हमउम्र व्यक्तियों (पीयर) के परामर्श तथा व्यवहार परिवर्तन संबंधी संप्रेषण सहित एक बहुमुखी कार्यनीति अपनाकर लक्षित कार्यकलापों के माध्यम से उच्च-जोखिम वाली जनसंख्या के लिए निवारक कार्यकलाप।
* रक्त निरापदता, स्वैच्छिक परामर्श तथा जांच सेवाओं, माता से बच्चे में संचरण निवारण, सूचना, शिक्षा तथा संचार और किशोरों में जागरूकता पैदा करने तथा एड्स वैक्सीन की पहल के लिए सुग्राहीकरण के कार्यक्रमों के माध्यम से सामान्य जनसमूह के लिए निवारक कार्यकलाप।
* सामुदायिक परिचर्या सेवाएं प्रदान करके समय-समय पर होने वाले संक्रमणों के उपचार तथा व्यावसायिक अरक्षितता द्वारा निम्न लागत परिचर्या तथा सहायता सेवाओं की व्यवस्था।
* कार्यस्थलीय कार्यकलापों तथा सार्वजनिक-निजी सहभागिताओं सहित अन्तर क्षेत्रीय कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए सहयोगी प्रयास।
* निगरानी, प्रशिक्षण, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन, तकनीकी संसाधन समूहों, प्रचालनात्मक अनुसंधान तथा कार्यक्रम प्रबंधन के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु तकनीकी तथा प्रबंधकीय क्षमताओं का निर्माण करना।

किए जा रहे व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में है।

(घ) प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में है।

विवरण I

पुरुषों तथा महिलाओं में एचआईवी संक्रमणों की अनुमानित संख्या 2003

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुरुषों में एचआईवी	महिलाओं में एचआईवी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	581033	462740
2.	कर्नाटक	316793	249097
3.	महाराष्ट्र	608747	457613
4.	मणिपुर	14637	12145
5.	नागालैंड	8355	5774
6.	तमिलनाडु	253670	209739
7.	गोवा	5599	2695
8.	गुजरात	107416	48312
9.	पांडिचेरी	933	460
10.	अरुणाचल प्रदेश	1901	553
11.	असम	40285	12070
12.	बिहार	100800	30043
13.	छत्तीसगढ़	84310	26859
14.	दिल्ली	31511	8401
15.	हरियाणा	31218	9027

1	2	3	4
16.	हिमाचल प्रदेश	7932	2409
17.	जम्मू-कश्मीर	19631	5643
18.	झारखंड	39371	11873
19.	केरल	52791	19140
20.	मध्य प्रदेश	104132	31092
21.	मेघालय	2590	842
22.	मिजोरम	11257	3475
23.	उड़ीसा	61048	18813
24.	पंजाब	47906	14230
25.	राजस्थान	137574	41160
26.	सिक्किम	693	193
27.	त्रिपुरा	30416	9661
28.	उत्तर प्रदेश	236823	69494
29.	उत्तरांचल	12855	3933
30.	पश्चिम बंगाल	222171	66680
31.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1216	339
32.	चंडीगढ़	4602	954
33.	दादर एवं नगर हवेली	382	97
34.	दमन और दीव	282	70
35.	लक्षद्वीप	120	38

विवरण II

एंटी-रिट्रोवायर थिरेपी केन्द्रों की सूची

चरण 1: 1 अप्रैल, 2004 से कार्य कर रहे आठ एआरटी केन्द्र

1. सर जे.जे. अस्पताल, मुम्बई।
2. थोरेसिक रोगों हेतु सरकारी अस्पताल, टी.एन.
3. जिला नागा अस्पताल, कोहिमा, नागालैंड।
4. उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद।
5. बावरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल, बंगलौर।
6. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कोहिमा, इम्फाल।
7. एलएनजेपी अस्पताल, दिल्ली।
8. डा. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली।

चरण-2: अतिरिक्त आठ केन्द्र, सितम्बर, 2004 से प्रभावी

1. मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नई।
2. सरकारी अस्पताल, मदुराई।
3. कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुबली
4. सरकारी मेडिकल कालेज, गुंटूर।
5. सरकारी मेडिकल कालेज, विजाग।
6. सरकारी मेडिकल कालेज, मिराज सांगली।
7. जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, इम्फाल।
8. मैसूर मेडिकल कालेज, कर्नाटक।

चरण-3: पहचान किए गए 9 केन्द्र

1. बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे।
2. सरकारी मेडिकल कालेज, नागपुर।
3. जिला अस्पताल, नामाक्कल, तमिलनाडु।
4. बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद।
5. कलकत्ता मेडिकल कालेज, कोलकाता।
6. बीएचयू बनारस आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी।
7. पीजीआईएमआर, चंडीगढ़।
8. एसएमएस अस्पताल, जयपुर।
9. मेडिकल कालेज, पणजी, गोवा।

विवरण III

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धि इस प्रकार है:

* राष्ट्रीय एड्स रोकथाम और नियंत्रण नीति और राष्ट्रीय रक्तनीति प्रचलन में है ताकि इस महामारी को और फैलने से रोका जा सके तथा इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को कम किया जा सके।

* लैंगिक आधार पर संचरित बीमारियों (एसटीडी) के प्रबंधन और इनके लिए प्राथमिक निदान सुनिश्चित करने के लिए 735 एसटीडी क्लिनिकों को आवश्यक उपभोज्य सामग्रियों और औषधें उपलब्ध कराई जा रही हैं।
* एचआईवी जांच से पहले और बाद के परामर्शन द्वारा लोगों को स्वेच्छा से एचआईवी जांच सुविधा प्रदान करने के लिए 628 स्वैच्छिक परामर्शी जांच केन्द्र पहले से कार्यरत हैं।
* सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में 8 केन्द्रों पर एंटी-रिट्रोवायरल थिरेपी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
* अति जोखिम पूर्ण आयु-वर्ग के लोगों में एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 993 लक्षित इंटरवेंशन प्रोजेक्ट कार्यान्वित किए गए हैं।
* लम्बे समय से बीमार और एचआईवी/एड्स ग्रस्त रोगियों को परिचर्या-सेवा उपलब्ध कराने के लिए उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में 51 सामुदायिक परिचर्या केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
* एचआईवी संक्रमित माताओं से उनके बच्चों में एचआईवी प्रसार की रोकथाम के लिए 247 केन्द्र सेवा पैकेज प्रदान कर रहे हैं।
* रक्त और रक्त-उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक रक्त बैंक संचालित करने का प्रावधान।

विवरण IV

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

उपलब्ध कराई गई धनराशि और उसके उपयोग की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1.	1999-2000	140.00	140.00	135.20
2.	2000-2001	145.00	180.00	179.64
3.	2001-2002	210.00	225.00	228.49
4.	2002-2003	225.00	242.00	240.00
5.	2003-2004	225.00	225.00	231.75
6.	2004-2005 (नवम्बर, 04 तक)	259.00	-	174.00

[अनुवाद]

लम्बित टेलीफोन कनेक्शन

1197. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में नए टेलीफोन कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों की जिलेवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) ये आवेदन कब से लम्बित हैं;

(ग) लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) टेलीफोन कनेक्शन हेतु आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 30.11.2004 की स्थिति के अनुसार, कोलकाता में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित कुल आवेदनों की संख्या 98059 है। जिला-वार ब्योरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सबसे पुराने लम्बित आवेदनों की तारीखें विवरण में दी गई हैं।

(ग) लम्बित प्रतीक्षा सूची मुख्यत: अव्यवहार्य क्षेत्रों में है, जहां फिलहाल कवरेज उपलब्ध नहीं है।

(घ) अधिकतर मौजूदा प्रतीक्षा सूची का निपटान मार्च 2006 तक किए गए जाने की योजना है।

(ङ) इस संबंध में भारत संचार निगम लि. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

* डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) उपकरण की 40,000 लाइनें संस्थापनाधीन है।

* डब्ल्यूएलएल उपकरण की 9,000 लाइनों के लिए आदेश दे दिए गए हैं तथा संभावना है कि फरवरी, 2005 तक ये प्राप्त हो जाएंगी।

* भविष्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु डब्ल्यूएलएल प्रणाली की 1,50,000 लाइनों की योजना बनाई गई है।

विवरण

30.11.2004 की स्थिति के अनुसार जिला-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रतीक्षा सूची	सबसे पुरानी प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	बंगलोर ग्रामीण	11308	02.01.2002
2.	बंगलोर शहरी	7026	11.03.2002
3.	बेलगाम	7648	02.04.1993
4.	बेल्लारी	0	शून्य
5.	बीदर	130	04.11.1999
6.	बीजापुर	2768	05.11.1999
7.	बागलकोट	1544	05.11.1999
8.	चिकमगलूर	1624	27.07.1998
9	मैंगलोर	12071	03.11.1999
10.	उडुपी	10593	05.07.1998
11.	चित्रदुर्ग	1915	21.06.1997
12.	दावनगेरे	853	26.02.2001
13.	गुलबर्गा	3015	17.08.2003
14.	हासन	4808	04.11.1999
15.	हुबली	1914	01.11.1999
16.	हावेरी	1984	08.04.1999
17.	गडग	1084	01.11.1999
18.	कोडागू	2985	27.03.1997

1	2	3	4
19.	कोलार	3928	04.11.1999
20.	मांड्या	3742	12.07.2001
21.	मैसूर	1336	04.02.1997
22.	चामराजनगर	557	09.09.1997
23.	रायचूर	2605	05.11.1999
24.	कोप्पल	1114	05.11.1999
25.	शिमोगा	7366	12.06.1993
26	टुमकूर	4129	29.01.2001
27.	उत्तर कन्नड	12	07.04.2003
	कुल	98059	

दवाओं से बेअसर रोगों पर नियंत्रण हेतु नई दवाएं

1198. श्री के. सुब्बारायण:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
मो. मुकीम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मलेरिया और तपेदिक के मामले दवाओं से बेअसर रूप में पुन: सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या दवाओं से बेअसर रोगों का मुकाबला करने के लिए नई दवाएं विकसित करने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत में मलेरिया तथा क्षयरोग के औषध प्रतिरोध मामले सूचित किए जा रहे हैं। मलेरिया के मामले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित 13 पीएफ-मानीटरिंग दलों के माध्यम से सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाले क्लोरोक्वीन तथा अन्य मलेरिया-रोधी औषधों के प्रति पी. फाल्सीपेरम में औषध प्रतिरोध की निरन्तर मानीटरिंग करता रहा है। इन दलों द्वारा किए गए अध्ययनों से देश के 228 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जहां एनवीबी डीसीपी औषध नीति के अनुसार सेकेण्ड लाइन उपचार के साथ वैकल्पिक उपचार प्रदान किया जा रहा है, में 228 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पी. फाल्सीपेरम में क्लोरोक्वीन के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित हुआ है। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित नियंत्रण उपाय किए जा रहे हैं:

(1) औषध नीति में परिवर्तन।

(2) निगरानी तथा उपयुक्त औषध से तत्काल मूलभूत उपचार को तेज करना (एनवीबीडीसीपी औषध नीति के अनुसार)।

(3) संचरण को रोकने के लिए वेक्टर नियंत्रण उपायों को तेज करना।

(4) औषध प्रतिरोध क्षेत्रों की गहन मानीटरिंग।

क्षयरोग के मामले में, बहु औषध प्रतिरोध-क्षयरोग (एमडीआर-क्षयरोग) अनुचित/अनियमित/अपर्याप्त उपचार के कारण उत्पन्न होता है। एमडीआर-क्षयरोग को इसकी शुरुआत के समय ही नियंत्रित करना भारत सरकार की नीति है जो संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अपना कर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सेवाओं में सुधार लाकर 10 रोगियों में से 8 से अधिक रोगियों

को रोगमुक्त किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत औषधें प्रत्यक्ष निगरानी में दी जाती हैं जिससे पूर्ण और नियमित उपचार सुनिश्चित होता है और इस तरह एमडीआर का निवारण होता है। देश में विभिन्न स्थानों में किए गए नमूने सर्वेक्षणों के अनुसार, नए रोगियों में एमडीआर 3% से कम है।

(ग) और (घ) मलेरिया में औषध प्रतिरोध से निपटने के लिए, एनवीबीडीसीपी औषध नीति में क्लोरोक्वीन प्रतिरोध क्षेत्रों में पी. फाल्सीपेरम मामलों के लिए सेकेण्ड लाइन उपचार के रूप में मिश्र चिकित्सा (कंबिनेशन थिरेपी) अर्थात आर्टेस्युनेट प्लस सल्फाडाक्सिन पायरेमेथामाइन के प्रयोग की सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर जल जमाव

1199. श्री राजेन गोहेन:
श्री नारायण चंद बरकटकी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बसिस्था-चारियाली प्वाइंट पर राष्ट्रीय राजमार्ग-37 गुवाहाटी बाइपास पर जल जमाव हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जल जमाव को रोकने के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-37 गुवाहाटी बाइपास पर फ्लाई ओवर के निर्माण तथा साइड रोड को ऊंचा करने हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) निवारक उपाय के तौर पर ऐसे खंडों में जहां पानी भरता है, कंक्रीट पेवमेंट की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से वशिष्ठ-चारियाली प्वाइंट पर राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर एक फ्लाई ओवर के निर्माण का सुझाव मिला है और इसकी साध्यता की जांच की जा रही है। पानी भर जाने को ध्यान में रखते हुए पी एफ बिल्डिंग के समीप सर्विस रोड का निर्माण कंक्रीट से किया गया है। इस स्थान पर सर्विस रोड को ऊंचा उठाने से पानी का जमा होना नहीं रोका जा सकता जब तक कि निकटवर्ती टेकरी से आने वाले तूफानी जल को राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचने से पहले मोड़ नहीं दिया जाता। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य सरकार से अधिक्रमीत पुरानी विद्यमान सिंचाई नहर को पुनः खोलने का अनुरोध किया है। जल भराव और बाढ़ आने के मामले पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में अनेक बार चर्चा की गई है। राज्य सरकार को इस क्षेत्र के लिए एक पूर्ण रणनीति के तौर पर जल भराव और बाढ़ आने को रोकने के लिए सभी निवारक उपाय करने होंगे।

[हिन्दी]

नई फ्रैन्चाईजी नीति

1200. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लि. ने नई फ्रैन्चाईजी नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्यार्थ क्षेत्रों का पुनः सीमांकन किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या क्षेत्रों के चयन में प्री-पेड डीलरों को वरीयता दी जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत संचार निगम लि. को पोस्ट-पेड डीलरों से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो क्षेत्रों के चयन में पोस्ट पेड डीलरों को वरीयता नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) उत्तर प्रदेश में नई फ्रैन्चाईजी नीति के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) गौण स्विचन क्षेत्रों को कुल 5 लाख तथा इससे अधिक, 2 लाख से 5 लाख तक तथा 2 लाख से कम की उपलब्ध क्षमता पर निर्भर करते हुए क्रमशः "क" "ख" और "ग" तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक 50,000, 40,000 और 30,000 क्षमता के लिए सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में क्रमशः टाइप "क", टाइप "ख" और टाइप "ग" वाले गौण स्विचन क्षेत्रों में एक-एक फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति करनी होती है। मौजूदा डीलरों/वितरकों, जिनका कार्य-निष्पादन संतोषजनक है, को नई फ्रेंचाइजी नीति में अन्तरित होने की पेशकश करने का प्रस्ताव है, नये फ्रेंचाइजियों को बुनियादी टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीफोन (पोस्ट-पेड

और प्री-पेड दोनों), इंटरनेट सेवाएं, आई एन सेवाएं और सभी प्रकार के कैश कार्डों की बिक्री करने की अनुमति होगी। शेष क्षेत्रों के लिए बोलियां आमंत्रित करने का प्रस्ताव है। फ्रेंचाइजी के साथ किये गये करार की अवधि 2 वर्ष की होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) मौजूदा प्री-पेड डीलर (वितरकों) और पोस्ट-पेड डीलर (डीलर) दोनों को परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार नव परिभाषित फ्रेंचाइजी क्षेत्र का चयन करने में प्राथमिकता दी जाती है।

(ङ) प्री-पेड और पोस्ट-पेड सेल्यूलर सेवाओं के लिए अलग-से कोई डीलर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(च) नयी फ्रेंचाइजी नीति के अन्तर्गत क्षेत्र के चयन में प्री-पेड और पोस्ट-पेड डीलरों दोनों को एक समान प्राथमिकता दी जाती है।

(छ) आशा है कि उत्तर प्रदेश में नयी फ्रेंचाइजी नीति मार्च, 2005 तक कार्यान्वित हो जाएगी।

[अनुवाद]

विशेषज्ञ सलाहकार समितियों को भंग करना

1201. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की सभी विशेषज्ञ सलाहकार समितियों को भंग कर दिया गया है और शीघ्र ही इनका पुनर्गठन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन हेतु गठित सलाहकार समूहों को पहले से ही दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 से भंग कर दिया गया है। इन्हें पुनर्गठित करने की योजना आयोग की कोई योजना नहीं है।

जैव प्रौद्योगिकी उद्यान

1202. **श्री पी. करूणाकरन:**
श्री अनन्त नायक:
श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी:

क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश भर में कार्यरत जैव प्रौद्योगिकी उद्यानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से उन राज्यों में कार्यरत जैव प्रौद्योगिकी उद्यानों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता आबंटित करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुरोधों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) ये उद्यान राज्यवार किन स्थलों पर स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराधि अंतर्ग्रस्त है और इसके लिए कौन से तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया गया है; और

(च) इन उद्यानों के कब तक पूर्णतः कार्यशील होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) महोदय, वर्तमान में निम्नलिखित राज्यों में बायोटेक्नोलाजी पार्क विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलाजी पार्क और शापुरजी पाल्लोन्जी बायोटेक पार्क, हैदराबाद स्थित बायोटेक्नोलाजी इन्क्यूबेशन सेन्टर (बी टी आई सी) को बायोटेक्नोलाजी विभाग द्वारा समर्थन दिया जाता है।

(ख) भारत सरकार को विभिन्न राज्यों से अपने-अपने बायोटेक्नोलाजी पार्कों को विशिष्ट घटकों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायतार्थ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) राज्यों से प्राप्त नए प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है: कर्नाटक से बंगलौर के जैवप्रौद्योगिकी पार्क स्थित बायो इन्क्यूबेशन सेंटर एवं सामूहिक उपस्कर सुविधाओं के लिए; केरल से कोच्चि में जैव प्रक्रियाकरण एवं सुविधा स्तरोन्नयन, सूक्ष्म प्रवर्धन सुविधा, पौध-अर्क निकालने की सुविधा, विश्लेषण प्रयोगशाला सुविधा एवं उपयोगिता सहायता तथा डिजाइन इंजीनियरी परियोजना निरीक्षण, पंजाब से चंडीगढ़ के निकट औषधीय एवं सुगंधीय पौधों के लिए सामूहिक निष्कर्षण सुविधा एवं कृषि/खाद्य जांच एवं प्रमाण सुविधा; हिमाचल प्रदेश से सोलन में, ऊतक संवर्धन सुदृढ़ीकरण सुविधाएं, जैवप्रौद्योगिकीय संसाधनों के प्रयोग द्वारा शीतोष्ण सुगंधीय पौधों की खेती, चुनिंदा उच्च गुणवत्ता वाले औषधीय पौधों की प्रायोगिक खेती एवं बायोफ्रेश फल परियोजना के फसलोत्तर प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी सहाय्यित खाद्य प्रसंस्करण और हरियाणा से मानेसर में जैवसंसाधन सुविधा।

(ङ) विभाग ने लखनऊ में जैवप्रौद्योगिकी पार्क एवं हैदराबाद में बायो इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए क्रमशः 12.06 करोड़ रु. एवं 12.39 करोड़ रु. की सहायता पहले ही प्रदान कर दी है। कर्नाटक, केरल, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को विभाग की विशेषज्ञ समिति ने संतोषजनक पाया है। तीन वर्ष की अवधि के लिए कुल लागत 40 करोड़ रु. होगी। योजना आयोग की स्वीकृति एवं पर्याप्त निधि की उपलब्धता होने पर इन्हें सहायता दी जाएगी।

(च) जिन पार्कों का अन्ततः वित्तपोषण किया गया है उनके 3 वर्षों की अवधि के भीतर क्रियाशील होने की संभावना है।

भूकंप संबंधी कार्यक्रम

1203. **श्री पारसनाथ यादवः**
श्री शैलेन्द्र कुमारः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने गुजरात भूंकप से संबंधित कार्यक्रमों का प्रबंधन तथा नियंत्रण के बड़े भाग की जिम्मेदारी इण्टरनेशनल फेडेरेशन आफ रेड क्रास, जिनेवा और कुछ अन्य देशों को सौंपी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे हस्तांतरण के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं; और

(ग) इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं पर वास्तव में खर्च राशि का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या वास्तविक लक्ष्य रखे गए और आज की तिथि के अनुसार इनके क्रियान्वयन की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेडक्रास सोसायटी ने सूचित किया है कि इसने प्रीफेब अस्पताल की स्थापना, 300 जल एकत्रण प्रणालियों का नवीकरण/पुनः निर्माण, कुंओं की बहाली और वाटर टेंकों का निर्माण, अहमदाबाद स्थित आर्थोपेडिक सेंटर का पुनरुद्धार, 1298 घरों का निर्माण, 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 14 उप-केन्द्रों, 9 औषधालयों तथा 254 आंगनवाड़ियों का निर्माण और 15000 गांवों में 15 लाख की जनसंख्या को कवर करने के लिए समुदाय आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को प्रारंभ किया। कुल लागत के साथ कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना/कार्यक्रम	कुल लागत (रुपए करोड़ में)
1.	प्रीफेब अस्पताल	3.12
2.	आर्थोपेडिक सेंटर की बहाली/पुनरुद्धार	2.48
3.	स्वास्थ्य सुविधाओं का पुनः निर्माण	31.83
4.	प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट	8.23
5.	समुदाय आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम	13.00
6.	जल और स्वच्छता	10.50
	कुल	69.16

सभी परियोजनाएं/कार्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं।

डाकघर बचत बैंक

1204. **श्री थावरचन्द गेहलोतः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील डाकघर बचत बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) ग्रामीण बचत में डाकघर बचत बैंकों का हिस्सा कितना है;

(ग) सरकार डाकघर बचत बैंक के माध्यम से ग्रामीण बचत को किस प्रकार प्रोत्साहन देगी;

(घ) क्या सरकार ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत कोई नई योजना शुरू करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) डाक जीवन बीमा निदेशालय की ग्रामीण डाक जीवन बीमा में अभी कोई नई स्कीम शुरू करने की योजना नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पोत निर्माण व मरम्मत उद्योग

1205. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोत निर्माण व मरम्मत उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्तमान में शिपयार्डों को नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारतीय शिपयार्डों द्वारा जहाजों के निर्माण के संबंध में जहाजों की कीमत का 30% सहायता-उपदान दिए जाने की दृष्टि से एक जहाज-निर्माण-सहायता-उपदान-योजना पहले से ही है। जहाज-निर्माण के अंतर्देशीय आदेश मिलने की स्थिति में बनाए जाने वाले जहाज, 80 मीटर या उससे अधिक लम्बाई के महासागर-गामी वाणिज्यिक जहाज बनाए जाने होते हैं और आदेश, वैश्विक निविदा के आधार पर प्राप्त किए जाने होते है। जहाजों के निर्यात से संबंधित आदेश मिलने की स्थिति में बनाए जाने वाले जहाज, किसी भी किस्म के और किसी भी आकार के हो सकते हैं तथा उनके संबंध में आदेश, वैश्विक निविदा के आधार पर अथवा समझौते-परक बातचीत के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा उपर्युक्त योजना, 25 अक्तूबर, 2002 को गैर-सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों सहित सभी शिपयार्डों के संबंध में लागू कर दी गई। उससे पहले, उपर्युक्त योजना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों के संबंध में ही लागू थी।

(ग) और (घ) पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय, पोत-परिवहन-विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन चार शिपयार्ड हैं, अर्थात, कोचीन-शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन; हिन्दुस्तान-शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम; हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता और केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम लिमिटेड का राजाबागान डाकयार्ड, कोलकाता। रक्षा-मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन तीन शिपयार्ड हैं, अर्थात् मजगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई; गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा। उपर्युक्त शिपयार्डों को वर्ष, 2002-2003 में हुए लाभ/हुई हानि दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण में है। कुछ शिपयार्डों को कार्य साधक पूंजी की कमी, कम आदेश मिलने, भारी फुटकर खर्च, कम उत्पादकता, अपेक्षित संसाधनों के अभाव के कारण अपर्याप्त प्रौद्योगिकी उन्नयन के कारण हानि हुई है।

(ङ) जहाज-निर्माण-उद्योग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार ने जहाज-निर्माण-सहायता-उपदान-योजना चलानी आरंभ कर दी है। इसके अतिरिक्त, जनशक्ति युक्तिसंगत बनाने और जहाजों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत हेतु अपेक्षित उपस्करों की मरम्मत और उन्हें बदले जाने की दृष्टि से आवश्यक प्रौद्योगिकीय के उन्नयन से संबंधित काम-काज भी किया जा रहा है।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों को वर्ष, 2002-2003 में हुए लाभ/हुई हानि का विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	शिपयार्ड का नाम	लाभ/(हानि)
I.	*पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय, पोत-परिवहन-विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन शिपयार्ड:*	
1.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि	16.48
2.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम	2.46
3.	हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता	(24.45)
4.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन निगम, कोलकाता का राजाबागान डाकयार्ड,	(1.91)
II.	*रक्षा-मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन शिपयार्ड:*	
1.	मंजगांव शिपयार्ड लिमिटेड, मुम्बई	(24.13)
2.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता	21.33
3.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा	17.83

[हिन्दी]

बच्चों में रक्त कैंसर

1206. **श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार व्यावसायिक गैरेजों और पेट्रोल पंपों के निकट रह रहे बच्चों में रक्त कैंसर की चार गुणा अधिक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) रक्त कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में आम सार्वजनिक जागरूकता के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) बच्चों के बीच ऐसी घातक बीमारियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार फ्रांस के एक अध्ययन में बेंजीन से प्रभावित कार्यकर्ताओं में ल्यूकेमिया के खतरे में वृद्धि पाई गई। इंटरनेशनल एजेंसी फार रिसर्च आन कैंसर, लियन, फ्रांस के अनुसार संभवत: डीजल इंजन एग्जास्ट मानवों के लिए कार्सिनोजेनिक है और गैसोलीन इंजन एग्जास्ट संभवत: मानवों के लिए कार्सिनोजेनिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ल्यूकेमिया के लिए मुख्य पर्यावरणिक जोखिम पहलू आयोनाइजिंग रेडियेशन है।

(ख) से (घ) यह मंत्रालय देश में मुख्यतया कैंसर का शीघ्र पता लगाने, उसकी रोकथाम करने, जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केन्द्रित करता है और कैंसर उपचार सुविधाओं में वृद्ध करने में भी सहायता कर रहा है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 266.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ संशोधित किया गया है। संशोधित स्कीमों के अंतर्गत जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता के जरिए रोकथाम, कैंसर का शीघ्र पता लगाने, क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र और आन्कोलाजी स्कंध विकास स्कीमों के अंतर्गत कैंसर उपचार सुविधाओं में वृद्धि करने पर अधिक बल दिया जाता है।

[अनुवाद]

बीसीसीएल का कोयला भण्डार

1207. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बीसीसीएल के पास कितनी मात्रा में कोयला भण्डार है और वर्तमान में इसकी क्षेत्रवार अलग-अलग मात्रा कितनी है;

(ख) प्रमुख कोकिंग कोयला और गैर-कोकिंग कोयला का अलग-अलग प्रतिशत कितना है;

(ग) झरिया शहर के नीचे कितनी मात्रा में कोयला उपलब्ध है;

(घ) क्या शहर को नुकसान पहुंचाए बिना इस कोयले को निकालने के लिए कोई उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) दिनांक 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार 1200 मी. गहराई तक बी.सी.सी.एल. में कोलफील्ड-वार भू-वैज्ञानिक भण्डारों का ब्यौरा इस प्रकार है:

कोलफील्ड-वार भू-वैज्ञानिक भंडारों का अलग-अलग विवरण इस प्रकार है:

(मि. टन में)

कोलफील्ड	उच्च कोटि कोकिंग कोयला	मध्यम कोकिंग कोयला	गैर-कोकिंग कोयला	कुल
झरिया कोलफील्ड	4702.03	5506.59	6672.96	16,881.58
रानीगंज कोलफील्ड	शून्य	322.01	1087.40	1,409.41
कुल	4702.03	5828.60	7760.36	18,290.99

(ख) उपर्युक्त विवरण में उच्चकोटि कोकिंग कोयला तथा गैर-कोकिंग कोयले का प्रतिशत इस प्रकार है:

बीसीसीएल के कुल भंडार में उच्चकोटि कोकिंग कोयले का प्रतिशत	-	25.71%
बीसीसीएल के कुल भंडार में गैर-कोकिंग कोयले का प्रतिशत	-	42.43%
बीसीसीएल में उपलब्ध कुल उच्चकोटि कोकिंग कोयला भंडार में से झरिया कोलफील्ड में उच्चकोटि कोकिंग कोयला का प्रतिशत	-	100%
बीसीसीएल में उपलब्ध कुल उच्चकोटि कोकिंग कोयला भंडार में से रानीगंज कोलफील्ड में उच्चकोटि कोकिंग कोयले का प्रतिशत	-	शून्य
बीसीसीएल में उपलब्ध कुल गैर-कोकिंग कोयला भंडार में से झरिया कोलफील्ड में गैर-कोकिंग कोयले का प्रतिशत	-	86%
बीसीसीएल में उपलब्ध कुल गैर-कोकिंग कोयला भंडार में से रानीगंज कोलफील्ड में गैर-कोकिंग कोयले का प्रतिशत	-	14%

(ग) झरिया शहर के नीचे दबी कोयले की मात्रा 160.00 मि.टन है।

(घ) और (ङ) 14 प्रमुख संस्तर सहित 16 कोयला सीमें हैं और सभी 14 संस्तरों की कुल मोटाई लगभग 80. मी. है। इस समय ऐसी किसी प्रौद्योगिकी के उपलब्ध होने की सूचना नहीं है।

विशेष विकास योजना हेतु निधि

1208. **श्री एम. शिवन्ना:**
श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री पी.के. वासुदेवन नायर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उत्तर कर्नाटक के 12 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में क्रियान्वित किए जाने वाली 9600 करोड़ रुपये वाली विशेष विकास योजना का कम से कम 50% सह-वित्तपोषण करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अन्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में बेंगलूर में दिनांक 17.11.2004 को हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं सुझावों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपाध्यक्ष, योजना आयोग के साथ बेंगलूर में दिनांक 17.11.2004 को हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं सुझावों को दसवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण

उपाध्यक्ष, योजना आयोग और मुख्यमंत्रियों के बीच दिनांक 17.11.2004 को बेंगलूर में हुई बैठक में उठाए गए मुद्दे

क्षेत्रीय असंतुलन:

(1) विशेष विकास योजना के अंतर्गत 8 वर्षों के दौरान, पहचान किए गए 12 पिछड़े जिलों (कर्नाटक) पर खर्च किए जाने वाले 9600 करोड़ रु. के आधे का वित्त पोषण भारत सरकार अथवा योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) विदर्भ और मराठवाड़ा (महाराष्ट्र) हेतु अनुच्छेद 371 के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय विकास बोर्डों में बैकलाग हेतु विशेष अनुदान।

(3) तेलंगाना की क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या को सिंचाई के विकास द्वारा दूर किया जा सकता है। (आन्ध्र प्रदेश)

(4) वर्तमान पर्वतीय क्षेत्रों व पश्चिम घाट विकास जिसकी गत वर्ष अनुमानित लागत 265.5 करोड़ रु. और 411 करोड़ थी, जो क्रमशः कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप, वानिकी, विद्युत, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण विकास, रेशम उत्पादन, पर्यटन व ग्रामीण उद्योगों को कवर करते हैं, की भांति ही तटीय विकास कार्यक्रम और पूर्वी घाटों का विकास (तमिलनाडु)।

निर्यात संवर्धन

एसएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत सहायता हेतु किसी राज्य की पात्रता की गणना करने के लिए साफ्टवेयर निर्यात की कीमत का कम-से-कम 2% ध्यान में रखा जाना चाहिए (कर्नाटक)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, मेंगलौर में पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स हेतु उपयोग किए जाने वाले एलएनजी टर्मिनल और बिडाडी में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने संबंधी, ओएनजीसी प्रतिबद्धता का सम्मान किया जाना चाहिए (कर्नाटक)

शहरी परिवहन

(1) योजना आयोग बेंगलूर हेतु मेट्रो परियोजना का समर्थन करेगा और रेलवे तथा शहरी विकास विभागों से स्वीकृति प्राप्त करने में सहायता करेगा, केन्द्र से 20% इक्विटी समर्थन अपेक्षित है (कर्नाटक)

(2) योजना आयोग बेंगलूर हेतु कम्प्यूटर रेल परियोजना को स्वीकृति देगा जिसकी एक तिहाई लागत रेलवे, शहरी विकास विभाग और प्रत्येक राज्य द्वारा वहन की जाएगी (कर्नाटक)।

वित्तपोषण मुद्दे

(1) बजटीय और अतिरिक्त बजटीय प्रतिबद्धताओं पर किए गए ऋणों को माफ करना (कर्नाटक)

(2) बकाया केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज दरों को 6% पर पुनः निश्चित करना (कर्नाटक)

(3) बैक-टु-बैक आधार पर राज्यों को बाह्य सहायता देना (कर्नाटक)

खाद्य नीति

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अतिरिक्त पीडीएस हेतु 250 करोड़ रु. आबंटित करना (कर्नाटक)।

शिक्षा

(1) मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत छठी और सातवीं कक्षा के बच्चों को कवर करना (कर्नाटक)।

(2) मिड-डे-मील स्कीम के अंतर्गत 400 करोड़ रु. से 500 करोड़ रु. तक उपलब्ध करना।

(3) दूसरी पीढ़ी की समस्याओं जैसे रख-रखाव और गुणवत्ता को देखना (केरल)।

स्वास्थ्य

दूसरी पीढ़ी की समस्याओं जैसे रख-रखाव और गुणवत्ता को देखना (केरल)।

कृषि और कृषि क्रेडिटः

(1) विगत तीन वर्षों में कृषि ऋणों पर किए गए ब्याज और दण्ड ब्याज को माफ करना (कर्नाटक)

(2) फसल बीमा कवरेज को बढ़ाना और उधार न लेने वालों द्वारा किश्त का भुगतान करने हेतु अंतिम तिथि को बढ़ाना (कर्नाटक)

(3) कृषि प्रापण हेतु अग्रिमों के लिए नियत राज्य मूल्य स्थिरीकरण निधि से एकबारगी सहायता के रूप में केन्द्र द्वारा 400 करोड़ रु. जारी करना (कर्नाटक)

(4) विद्यमान स्कीमों के युक्तीकरण द्वारा जल संभर विकास को बढ़ावा देना।

(5) उप इष्टतम इनपुट उपयोग और कम उत्पादकता को टालने के लिए व्यवहार्य ब्याज दर पर क्रेडिट उपलब्ध कराना (कर्नाटक)

(6) मूल्यवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण और मार्किट आधारिक संरचना का समर्थन करना (कर्नाटक)

(7) भारत सरकार की अतिरिक्त सहायता को सुधार से जोड़ना (कर्नाटक)

(8) सूखी फसलों हेतु मूल्य समर्थन (कर्नाटक)

(9) वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने तक 500 करोड़ रु. की अंतरिम सहायता देकर सहकारी समितियों का पुनः पूंजीकरण (आन्ध्र प्रदेश)।

(10) डीसीसीबीज के पुनः वित्त पोषण के मध्यम से ग्रामीण क्रेडिट को सहायता देने के लिए नाबार्ड और आरबीआई

को प्रोत्साहित करना, चाहे उन्होंने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, की धारा 11(1) की आवश्यकताओं को पूरा न किया हो, नाबार्ड की पुनः अनुसूचन सीमा को लघु आवधिक ऋणों के संबंध में 250 करोड़ रु. तक और पुनः वित्त पोषण सीमा को 1800 करोड़ रु. तक बढ़ाना (आंध्र प्रदेश)।

(11) एससीबीज के कृषि क्रेडिट स्थिरीकरण निधि हेतु और डीसीसीबीज के गैर-अतिदेय कवर में कमियों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय योजना सहायता को जारी रखना (आन्ध्र प्रदेश)।

(12) फसल बीमा, आपदा राहत और वाणिज्यिक बैंक उधार में नकद फसलों (विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों हेतु) को कवर करना (केरल)।

(13) राज्यों के किसानों के हितों को प्रभावित करने वाले व्यापार नीति निर्णय लेने से पहले राज्यों से परामर्श करना (केरल)।

(14) भारत सरकार जिंस बोर्डों तथा उनके व राज्यों के बीच समन्वय में सुधार करना (केरल)।

(15) पीआरआईज और वाणिज्यक बैंकों के बीच लिंकेज (केरल)।

(16) पूर्व की भांति ही कृषि हेतु अधिमान्य ब्याज दरें, क्योंकि कृषि संबंधी बैंक दरें वर्तमान में पीएलआरज से उच्च हैं (केरल)।

(17) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बागान फसलों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि को लागू करना (केरल)।

(18) फसल रोपण के विषय में पुनर्रोपण के लिए सहायता उपलब्ध कराना जैसा कि वर्तमान में केवल रबड़ के लिए योजना है (केरल)।

(19) बीज, खाद एवं ट्रैक्टर की खरीद के लिए सब्सिडी (पांडिचेरी)

(20) राज्य ने, सहकारी क्रेडिट पर 3% तक और पुनः अनुसूचित फसल ऋणों पर ब्याज दरों को कम करने में सहायता की है, इसे बाद में 9% से कम करने की आवश्यकता है (तमिलनाडु)।

(21) खराब गुणवत्ता वाले बीज (सूरजमुखी और कपास) और अत्यधिक संदोहन द्वारा भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण खुदाई कूप (बोर वेल) की असफलता, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं तथा केन्द्र और राज्यों के बीज अधिनियम को सहायता करने की आवश्यकता है (आन्ध्र प्रदेश)।

(22) सहकारी बैंकों में नियंत्रण प्रणाली में सुधार करना (आन्ध्र प्रदेश)।

सिंचाई

(1) लघु सिंचाई के लिए एआईबीपी को बढ़ाना, इसे कम-से-कम 50% तक का अनुदान देना, अथवा ब्याज दर को कम करना और कमान क्षेत्र विकास को कवर करना (कर्नाटक)।

(2) वृहत सिंचाई परियोजनाओं के लिए नाबार्ड सहायता की उपयोगिता को परमिट देना।

(3) माइक्रो-सिंचाई की नायडु रिपोर्ट को कार्यान्वित करना (कर्नाटक)।

(4) माइक्रो-सिंचाई व्यय को नई सिंचाई परियोजनाओं में खर्च करना, नहर प्रणाली को इस तरह डिजाइन करना जिससे कि केवल कम सिंचाई वाली फसलों के लिए जल का निस्सारण हो और फसलोत्पादन पैटर्न के अतिक्रमण को दंड देना (कर्नाटक)।

(5) विदेशी अनुदान को परमिट देकर वार्षिक अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त ऋण, सिंचाई ऋणपत्रों और सीधे सहायता के साथ-साथ वाणिज्यिक ऋणों द्वारा आन्ध्र प्रदेश जल संसाधन विकास कारपोरेशन की सहायता करना (आन्ध्र प्रदेश)।

(6) एपीडब्ल्यूआरडीसी के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं मौजूदा आयाकट के लिए संरक्षण मुहैया कराएंगी और निधियां एनआरआईज स्वयं कृषकों आदि से इकट्ठा की जा सकती है ताकि वे निजी क्षेत्रक के लिए भी पैकेज की जा सकें (आन्ध्र प्रदेश)।

(7) बंजर भूमि खेती और पेयजल की समस्याएं (महाराष्ट्र)

(8) टैंक और जल निकायों को पुनः संग्रहण करने के लिए एआईबीपी का विस्तार करना।

(9) प्रायद्वीपीय नदी जल ग्रिड को समर्थन देना (तमिलनाडु)

ग्रामीण अवसंरचना:

(1) ग्रामीण विकास में लंबित 900 करोड़ रुपये की स्पष्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रस्ताव स्वीकृत करना

और ऋण में 2000 करोड़ की वृद्धि के लिए डीजल सैस के उपयोग का प्रस्ताव (आन्ध्र प्रदेश)

सामाजिक सुरक्षा

(1) वृद्धावस्था मासिक पेंशन राशि को 225 रुपये तक बढ़ाना और कवरेज को बढ़ाना यहां तक कि परिवारों में रह रहे व्यक्तियों को भी, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों और विधवाओं के लिए भी पेंशन व्यवस्था (आन्ध्र प्रदेश)।

(2) ऐसे 46000 निवेदकों को, जो कवर नहीं किए गए हैं लेकिन परिवार लाभ योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं, सहायता देना (केरल)।

शहरी अवसंरचना

(1) मुम्बई में अवसंरचना के लिए कुल 22980 करोड़ रुपये की परियोजना के प्रस्ताव को, योजना आयोग से 5000 करोड़ से अधिक की सहायता के साथ समर्थन देना (महाराष्ट्र)

(2) सड़कें, पुलों, एयरपोर्ट और पोर्ट के विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराना (पांडिचेरी)

(3) तिरुवनंतपुरम और कोची में अवसंरचना में सुधार करना (केरल)

(4) अवसंरचना विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें फलाईओवर, मेट्रो रेल (5000 करोड़ रुपये) मैट्रो रेल में ईंधन डालने के लिए कम्प्यूटर रेल, सड़क को अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ना (2000 करोड़ रुपये) आदि 8000 करोड़ रुपये में वृद्धि के लिए आवश्यक सहायता (कर्नाटक)।

(5) 1000 करोड़ रुपये की सीमा तक विदेशी मुद्रा रिजर्व के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली कदाचित निधियों का प्रयोग करते हुए शहरी आधारिक संरचना के लिए सहायता। बैंगलोर में निर्दिष्ट परियोजनाएं थीः

* चेन्नई में एक नया हवाई अड्डा।

* चेन्नई में मेट्रो को छोड़कर भीड़-भाड़ से निपटने के लिए 18000 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार है (इस वर्ष 2160 करोड़ रुपये का आरहण किया गया।)

* 8000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं विचाराधीन हैं (तमिलनाडु)

रोजगार

(1) सनसेट उद्योग (महाराष्ट्र) के बंद होने से प्रभावित बेरोजगारों सहित शहरी कुशल एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक नीति बनाना।

(2) मेडक, प्रकाशम, करनूल व चित्तूर जिलों (आन्ध्र प्रदेश) को भी काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत कवर करना।

(3) महाराष्ट्र ईजीएस प्रणाली का अनुकरण करना क्योंकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम से खाद्यान्नों की तस्करी एवं निर्यात हुआ है (आंध्र प्रदेश)।

(4) शिक्षित बेरोजगारों (प्रशिक्षण हेतु) के लिए विशेष निधि रखना तथा अनौपचारिक क्षेत्रकों में विपणन आदि के लिए स्व-सहायता समूहों का प्रयोग करते हुए माइक्रो-उद्यमों को बढ़ावा देना। सेवा क्षेत्रक (केरल) कवर करते हुए ग्रामीण व्यापार केन्द्र के बारे में भी अब ऐसे ही विचार पर चर्चा चल रही है।

(5) रोजगार के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना करना (केरल)

(6) इसके उन्नयन के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करना (केरल)

(7) शहरी शिक्षित बेरोजगारों पर ध्यान केन्द्रित करना (तमिलनाडु)

उद्योग

(1) क्लस्टर एप्रोच का प्रयोग एवं एकीकृत विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना (केरल)।

(2) क्रेडिट संस्थानों को पुनः वित्तपोषण सुविधा देकर लघु उद्योगों को सहायता करना तथा तकनीकी उन्नयन के लिए एक परिक्रमण निधि (रिवाल्विंग फण्ड) की स्थापना, बेलगांव में ढलाई घर (फाउण्ड्री) बेल्लरी में जीन्स, धारवाड़ में वाल्व्स तथा गुलबर्गा (कर्नाटक) में दाल प्रसंस्करण को क्लस्टर आधारित सहायता की आवश्यकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी

(1) एक कोरियाई कम्पनी के प्रस्तावों को जिसे डीओई के साथ उठाया जाना है, को साम्यता के साथ पहले कुछ वर्षों तक समर्थन देना, उसे राज्य का समर्थन (आंध्र प्रदेश) पहले से ही प्राप्त है।

(2) भूमि अभिलेख प्रलेखन के लिए अनुवर्ती परियोजना को विशेष सहायता जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जिसका एक वर्ष में उपयोग किया जा सकता है, कम से कम मद्दूर व बैलहोंगल (कर्नाटक) में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जाए।

ऊर्जा

11 के बी सब स्टेशनों की मीटरिंग, ऊर्जा का लेखा परीक्षण, कृषि फीडर्स लगाने एवं मीटरिंग, 2-3 पम्पसेट प्रति कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर एवं चोरी व लीकेज की रोकथाम के लिए उच्च वोल्टेज वितरण पद्धति में परिवर्तन की योजना बनाई गई है, परन्तु वितरण के निजीकरण की कोशिश मात्र कुछ औद्योगिक शहरों (आंध्र प्रदेश) में ही की जा सकती है।

सामान्य

(1) आंगनवाड़ी एवं स्कूलों को एक ही परिसर (आंध्र प्रदेश) में स्थापित करना।

(2) व्यापक विभागीय मार्गदर्शीय सिद्धान्तों के साथ एक स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम सहित सीएसएस की पुनर्संरचना तथा राज्यों के लिए ऐसे विकल्प कि निधियां कैसे आहरित की जाए जिससे कि योजना समन्वय प्रभाग राज्यों को लचीलापन प्रदान करने में अपना मूल कार्य निष्पादित कर सके (चयनित कार्यक्रमों की मानीटरिंग हेतु पहचान किए गए मंत्रालय द्वारा) तथा राज्य के सुविचारों जैसे विधवा पेंशन व पीआरआईज को मुक्त अनुदान के रूप में बजट का 40 प्रतिशत केन्द्र व अन्य राज्यों (केरल) द्वारा दिया जा सकता है।

(3) पीआरआई को सभी कार्यक्रमों में वृहत्तर भूमिका दी जानी चाहिए परन्तु केन्द्र द्वारा निधियां उन्हें सीधे नहीं दी जानी चाहिए।

(4) राज्यों को पिछले वर्ष के स्तर पर एक बारगी एसीए को बहाल करना (केरल)

(5) विभिन्न क्षेत्रकों में विदेशी सहायता प्राप्त करने तथा लघु दान दाताओं से द्विपक्षीय सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं को एक साथ रखना।

(6) विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए रखी जाने वाली परियोजनाओं की सूची में पोर्ट विकास को शामिल करना।

(7) निजी निवेश की संभावनाओं का पता लगाना तथा एक अतिरिक्त जेट्टी का निर्माण करने के लिए आवश्यक निधियों हेतु आईडीएफसी जैसी एजेंसियों से परामर्श करना (पांडिचेरी)।

(8) पांडिचेरी के विकास के लिए विदेशी निवेशकों जैसा कि सिंगापुर में है, से सहायता प्राप्त करना।

(9) पांडिचेरी के लिए केन्द्रीय सहायता उनके योजना परिव्यय को कम से कम 60 प्रतिशत तक बढ़ाना।

(10) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के परामर्श से पांडिचेरी एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करने पर विचार।

(11) यदि आवश्यक हो तो निजी निवेश तथा टूर आपरेटरों के माध्यम से कार्य करते हुए पांडिचेरी में होटल विकास।

(12) पर्यटन के उद्देश्य से कराईकाल शहर के मंदिर शहर का विकास (210 करोड़ रुपये)।

जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना

1209. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने कलामसेरी (एर्नाकुलम जिला) में एक जैव-प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु के.आई.एन.एफ.आर.ए. के माध्यम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो के.आई.एन.एफ.आर.ए. द्वारा प्रस्तुत परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने उक्त परियोजना का कोई अध्ययन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव पर सरकार का निर्णय क्या है तथा उक्त परियोजना हेतु केरल को कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) भारत सरकार को केरल में जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर केन्द्र की स्थापना के लिए के.आई.एन.एफ.आर.ए. से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) जैवप्रक्रिया एक उत्पाद विकास, औषधिक एवं उपचारिक उत्पादों के वाणिज्यिकरण के प्रायोगिक स्तर की सुविधा के लिए

जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह शिक्षाविदों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं एवं उद्योगों के प्रवर्तकों में सहयोग बढ़ा कर उद्यमी विकास के लिए एक आधार तैयार करेगा। पादपों के सूक्ष्मप्रवर्धन के लिए एकीकृत सुविधाओं का सृजन करने हेतु, बायोरिएक्टरों में पादप सेल ससपैंशन संवर्धनों के बहुगुणन हेतु और पादपों/कोशिकाओं से गुणवाले उत्पादों के निष्कर्षण के लिए और आगे प्रस्ताव किया गया है। निर्यातों की सूची बनाने के लिए एक विश्लेषण प्रयोगशाला और विशक्तता जांच सुविधा का भी सृजन किया जा रहा है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मार्गनिदेशों के अनुसार जैव उत्पादों का लक्षण-वर्णन की सुविधा प्राप्त की जा सके। इसके अतिरिक्त पार्क पुनर्योगज चिकित्सीय और विशिष्ट नैदानिक कर्मिकों जैसे मोनोक्लोनल एण्टीबाडीज पुनर्योगज पैप्टाइड्स, एण्टीजंस आदि के लिए भी सुविधा प्रदान करेंगे जिसके लिए वर्तमान की आवश्यकता आयात के जरिए पूरी की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव पर बायोटेक पार्कों से संबंधित विशेषज्ञ दल ने बायोटेक्नोलाजी पार्कों और बायोटेक्नोलाजी इन्क्यूबेटरों आदि की स्थापना करने के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु 25.10.2004 को विचार-विमर्श किया और (1) जैव प्रक्रिया और उन्नत सुविधा; (2) सूक्ष्म-प्रवर्धन सुविधा; (3) पादप निष्कर्षण सुविधा; (4) विश्लेषण प्रयोगशाला सुविधा, और (5) उपयोगिता सहायता और डिजाइन इंजीनियरिंग और परियोजना की देखरेख की स्थापना करने के लिए इसकी सिफारिश की।

(ङ) समिति ने सहायता के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है और योजना आयोग की स्वीकृति और निधि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के आधार पर भारत सरकार इसका समर्थन करेगी।

'एम्स' में तदर्थवाद

1210. डा. राजेश मिश्रा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अधिकांश वरिष्ठ पदों को अस्थायी तौर पर भरा गया है और इसका डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सालय भी 1996 में अपनी स्थापना के बाद से बिना चिकित्सा अधीक्षक के कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'एम्स' के लिए चिकित्सा अधीक्षक के दो पदों को भरने के लिए एक प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा अब तक स्वीकृति नहीं दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) 'एम्स' में नियुक्तियों में तदर्थवाद को समाप्त किए जाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) चिकित्सा अधीक्षक के दो पद और उप निदेशक (प्रशासन) का एक पद खाली पड़े हैं। केन्द्रीय स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत उप-निदेशक (प्रशासन) का पद एक प्रतिनियुक्ति वाला पद है और इसको भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी प्रकार चिकित्सा अधीक्षक के दो पद- डा. आर.पी. सेंटर में एक पद और मुख्य संस्थान में दूसरा पद, नियमित नियुक्ति करने के लिए विज्ञापित भी किए गए हैं।

[हिन्दी]

जैव प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा नैदानिक परीक्षण

1211. श्री संतोष गंगवार:
मो. मुकीम:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) की स्वीकृति के बिना अपनी परीक्षणाधीन दवाओं, इंसुलिन पर नैदानिक परीक्षण कर रही थी जैसाकि 26 सितम्बर, 2004 के 'इकानामिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके विकास और परीक्षण के दौरान कुछ मौतें भी हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इसमें लिप्त कंपनी के नाम क्या हैं; और

(घ) इस कंपनी के विरुद्ध डी सी जी आई द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) स्वदेशी रूप से रिकोम्बीनेंट ह्यूमन इंसूलिन का विनिर्माण करने वाली सभी बायोटेक कंपनियों को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन निर्धारित मानकों के अनुसार भारत के औषध

महानियंत्रक के कार्यालय से क्लिनिकल परीक्षण करवाने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होती है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी संरक्षण (ईपी) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आनुवांशिकी रूप से तैयार औषधियों की पर्यावरण में सुरक्षित रिलीज के लिए आनुवंशिकी इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी) का अनुमोदन भी अपेक्षित होता है।

क्लिनिकल परीक्षण स्तर पर मैसर्ज बायोकोन इंडिया लिमिटेड, बंगलौर द्वारा स्वदेशी रूप से आर-ह्यूमन इंसूलिन के विकास के लिए जी.ई.ए.सी. का पूर्व अनुमोदन नहीं लेना एक प्रक्रियात्मक भूल थी आर इसलिए चरण-2 क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए जी.ई.एस.सी. का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने दिनांक 19 जुलाई, 2004 के पत्र द्वारा इसके विनिर्माण और इसको बेचने की अनुमति दी है।

(ख) मैसर्ज बायोकोन इंडिया लिमिटेड, बंगलौर के आर-ह्यूमन इंसूलिन को सम्मिलित करते हुए इसके विकास और क्लिनिकल परीक्षण के समय होने वाली किसी भी प्रकार की मृत्यु की कोई विशेष सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाकघर

1212. **श्री पवन कुमार बंसल:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री पंकज चौधरी:
श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री रामदास आठवले:
योगी आदित्यनाथ:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री इलियास आजमी:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 5000 ग्राम पंचायत, गांवों, कई शहरों बस्तियों और अधिकारिक रूप से विकसित क्षेत्रों में डाकघर नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर डाक सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और श्रेणीवार कितने नए डाकघर खोलने की योजना है और वास्तव में कितने डाकघर खोले गए हैं;

(ग) गांवों और विद्यमान शहरों के विस्तार क्षेत्रों में कब तक प्रभावी रूप से डाक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी;

(घ) स्वयं के स्वामित्व वाले और किराए के भवनों में चल रहे डाकघरों और तारघरों का राज्यवार, क्षेत्रवार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों हेतु राज्यवार एवं श्रेणीवार कितनी कितनी आवासीय कालोनियां हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सितंबर 2003 में हुए आकलन के आधार पर देश में 3752 ग्राम पंचायत गांव ऐसे हैं जो दूरी और जनसंख्या संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं और जिनमें डाकघर नही हैं। डाकघर रहित शहरी बस्तियों और अधिकारिक रूप से विकसित क्षेत्रों का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय तीनों से संबंधित सभी मानदंडों के पूरा होने के आधार पर खोले जाते हैं। मानदंड विवरण-I के रूप में संलग्न हैं। डाकघर खोलने की योजना तीनों मानदंडों, अर्थात जनसंख्या, दूरी तथा आय के पूरा होने, योजनागत संसाधनों की उपलब्धता और नीतिनुसार उपलब्ध पहुंच को घटाए बिना मौजूदा कर्मचारीबल की पुनर्तैनाती के द्वारा खोले जाते हैं। हालांकि, डाक के रोजाना वितरण, लेटर बाक्सों के माध्यम से डाक एकत्र करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टमेन के जरिए डाक-टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री बुनियादी डाक सेवाएं पूरे देश में उपलब्ध कराई गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान डाकघर खोलने के लक्ष्य तथा वास्तव में खोले गए डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	शाखा डाकघर		उप डाकघर	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2001-02	500	405	50	51
2002-03	250	241	25	25
2003-04	200	199	20	20
कुल	950	845	95	96

वर्तमान वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतिनुसार उपलब्ध पहुंच को घटाए बिना एकल या दो कर्मचारियों वाले मौजूदा डाकघरों को पुनर्स्थापित करके किया जा रहा है।

(घ) देश भर में 741 प्रधान डाकघर तथा 3196 उप डाकघर ऐसे हैं जो सरकारी/विभागीय भवनों में कार्यरत हैं तथा 21241 उप डाकघर किराए के भवनों में चल रहे हैं। अपने स्वामित्व वाले तथा किराए के भवनों में कार्यरत डाकघरों का राज्यवार, श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

466 तारघर अपने स्वामित्व वाले/सरकारी भवनों में तथा 862 किराए के भवनों में कार्यरत हैं। राज्यवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) देशभर में 815 डाक कालोनियां हैं। डाक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध आवासीय कालोनियों की सर्किलवार संख्या संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

तार कर्मचारियों के लिए 2241 आवासीय कालोनियां हैं। इस संबंध में राज्यवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण I

डाकघर खोलने के मानदंड

1. **अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:**

1.1 **जनसंख्या:**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में:**

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:**

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 **दूरी:**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में:**

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:**

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 **अनुमानित आय:**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में:**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33^1/_3$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. **विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड:**

(क) **ग्रामीण क्षेत्रों में:**

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400 रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 48000 रु. है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) **शहरी क्षेत्रों में:**

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

विवरण II

सरकारी तथा किराए के भवनों में कार्यरत डाकघरों की राज्यवार तथा श्रेणीवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	डाकघरों की संख्या				
		सरकारी भवनों में		किराए के भवनों में		
		प्रधान डाकघर	उप डाकघर	प्रधान डाकघर	उप डाकघर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	37	शून्य	10	48
2.	असम	19	139	शून्य	455	613
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	14	शून्य	15	30
4.	आंध्र प्रदेश	73	213	31	2059	2376
5.	बिहार	29	149	2	791	971
6.	छत्तीसगढ़	9	31	शून्य	274	314
7.	चण्डीगढ़	1	19	शून्य	28	48
8.	दिल्ली	12	103	शून्य	269	384
9.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य	9	9
10.	गुजरात*	34	185	4	1114	1337
11.	गोवा	2	17	शून्य	91	110
12.	हरियाणा	15	57	1	410	483
13.	हिमाचल प्रदेश	17	51	1	394	463
14.	जम्मू-कश्मीर	8	25	1	227	261
15.	झारखण्ड	13	52	शून्य	336	401
16.	कर्नाटक	63	302	2	1459	1826
17.	केरल**	39	209	12	1255	1515
18.	मध्य प्रदेश	39	149	3	799	990
19.	महाराष्ट्र	56	254	5	1675	1990
20.	मेघालय	2	32	शून्य	31	65
21.	मणिपुर	1	7	शून्य	46	54
22.	मिजोरम	1	16	शून्य	27	44

*दादरा नगर हवेली सहित

**लक्षद्वीप सहित।

1	2	3	4	5	6	7
23.	नागालैंड	1	17	शून्य	27	45
24.	उड़ीसा	34	106	1	1065	1206
25.	पंजाब	21	89	शून्य	666	776
26.	पांडिचेरी	1	4	शून्य	22	27
27.	राजस्थान	50	227	1	1150	1428
28.	सिक्किम	1	5	शून्य	16	22
29.	त्रिपुरा	3	48	शून्य	43	94
30.	तमिलनाडु	73	189	18	2546	2826
31.	उत्तर प्रदेश	68	214	6	2125	2413
32.	उत्तरांचल	13	36	शून्य	306	355
33.	पश्चिम बंगाल	41	200	4	1501	1746
	कुल	741	3196	92	21241	25270

विवरण III

देश में सरकारी परिसरों और किराए के भवनों में कार्यरत तारघर कार्यालयों का राज्यवार/श्रेणीवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी परिसरों में कार्यरत तारघर की संख्या	किराए के भवनों में कार्यरत तारघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	अण्डमान एवं निकोबार (संघ शासित प्रदेश)	01	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	41	265
3.	असम	08	21
4.	बिहार	17	23
5.	छत्तीसगढ़	09	02
6.	गुजरात	27	24
7.	हरियाणा	12	05
8.	हिमाचल प्रदेश	06	07
9.	जम्मू-कश्मीर	07	05
10.	झारखण्ड	11	12
11.	कर्नाटक	15	80
12.	केरल लक्षद्वीप (संघ शासित प्रदेश) एवं माहे सहित (संघ शासित प्रदेश)	12	27
13.	मध्य प्रदेश	24	32
14.	महाराष्ट्र	30	64
15.	गोवा	02	01
16.	मेघालय	02	शून्य

1	2	3	4
17.	मिजोरम	01	शून्य
18.	त्रिपुरा	02	01
19.	अरुणाचल प्रदेश	03	शून्य
20.	मणिपुर	01	01
21.	नागालैंड	02	शून्य
22.	उड़ीसा	20	10
23.	पंजाब	17	07
24.	चण्डीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	01	01
25.	राजस्थान	48	37
26.	तमिलनाडु	41	66
27.	पांडिचेरी (संघ शासित प्रदेश)	01	शून्य
28.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	33	36
29.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	28	59
30.	उत्तरांचल	13	12
31.	पश्चिम बंगाल	25	30
32.	सिक्किम	01	01
33.	दिल्ली	05	33
	कुल	466	862

विवरण IV

क्षेत्रवार डाक कालोनियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र	डाक कालोनियों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	1. गुवाहाटी	3
		2. डिब्रूगढ	1
		3. तिनसुकिया	1
		4. जोरहाट	1
		5. नोगांव	1
		6. धूबरी	1
		7. सिलचर	1
		8. डिपू	1
		9. हाफलोंग	1
		10. तेजपुर	1
		11. करीमगंज	1
		कुल	13
2.	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद सिटी	9
		2. आदिलाबाद	1
		3. मेडक	1
		4. नालगोंडा	1
		5. सांगारेड्डी	1
		6. सूर्यपेट	1
		7. वानापारथी	1
		8. हानमकोंडा	1
		9. विशाखापटनम	5
		10. काकीनाडा	1
		11. पार्वतीपुरम	1
		12. राजामुन्दरी	2
		13. विजयनगरम	1
		14. राकू वैली	1
		15. शामलकोटा	1

1	2	3	4
		16. चिपुरापल्ली	1
		17. विजयवाड़ा	1
		18. गुंटूर	1
		19. मछलीपट्टनम	1
		20. खम्मम	1
		21. एलूरू	1
		22. नैल्लोर	1
		23. तेनाली	1
		24. गुंटूर	1
		25. मंगलागिरि	1
		26. कोथागुंडम	1
		27. पलांचा	1
		28. भद्राचलम	1
		29. वेंकटपुरम	1
		30. जंगारेड्डीगुडम	1
		31. करनूल	2
		32. कुडप्पा	1
		33. अनंतपुर	1
		34. इंदुपुर	1
		35. नानदयाल	1
		36. तिरुपति	1
		37. गुंटकल	1
		कुल	51
3.	अरुणाचाल प्रदेश	1. ईटानगर	1
		2. पासीघाट	1
		3. तवांग	1
		4. तेजू	1
		5. अलांग	1
		6. बामडिला	1
		कुल	6
4.	अंडमान निकोबार	1. शादीपोर	1
		2. दिलथामनटैंक	1
		3. मिडल प्वाइंट	1
		4. कार-निकोबार	1
		5. जंगलीघाट	1
		6. रंगघाट	1
		7. विमरलीगंज	1
		8. हटबे	1
		कुल	8
5.	बिहार	1. पटना	5
		2. भागलपुर	1
		3. औरंगाबाद	1
		4. भोजपुर	2
		5. नालन्दा	1
		6. रोहतास	शून्य
		7. वैशाली	1
		8. मुंगेर	1
		9. नवादा	शून्य
		10. गया	2
		11. सारन	3
		12. शिवान	शून्य
		13. पश्चिम चंपारन	1
		14. पूर्वी चंपारन	4
		15. पूर्णिया	6

1	2	3	4
		16. सहरसा	1
		17. मधुबनी	1
		18. दरभंगा	1
		19. समस्तीपुर	2
		20. सीतामढ़ी	2
		21. मुजफ्फरपुर	1
		22. बेगूसराय	शून्य
		कुल	36
6.	चंडीगढ़	1. चंडीगढ़	3
		कुल	3
7.	छत्तीसगढ़	1. रायपुर	3
		2. भिलाई	2
		3. कांकेर	1
		4. जगदलपुर	1
		5. कोरबा	1
		6. बिलासपुर	1
		7. दुर्ग	1
		8. रायगढ़	1
		कुल	11
8.	दिल्ली	1. आर.के.पुरम सेक्टर-4	1
		2. सरोजिनी नगर	1
		3. मोतीबाग	1
		4. सेवा नगर	1
		5. अतुल ग्रोव रोड	1
		6. काली बाडी	1
		7. देव नगर	1
		8. खुर्शीद स्क्वेयर	1
		9. पंखा रोड (जनकपुरी)	1

1	2	3	4
		10. टेलीकाम कालोनी (जनकपुरी)	1
		11. विवेक विहार (टेलीकाम कालोनी)	1
		12. दिल्ली जनरल पोस्ट आफिस कम्पाउन्ड	1
		13. गोपी नाथ बाजार (दिल्ली कैन्ट)	1
		कुल	13
9.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य
		कुल	शून्य
10.	गुजरात*	1. अहमदाबाद	4
		2. मेहसाणा	1
		3. गांधीनगर	1
		4. हिम्मतनगर	1
		5. मोडसा	1
		6. आनन्द	1
		7. वी वी नगर	1
		8. आहवा डांग	1
		9. फोर्ट सोनगढ़	1
		10. गोधरा	1
		11. गोधरा	1
		12. कपाडवंज	1
		13. जम्बूसर	1
		14. पालेज	1
		15. जीआईडीसी कबिलपोर	1
		16. खेरगाम	1
		17. मरोली बाजार	1
		18. किम	1
		19. कोशम्बा	1
		20. बलसाड	1

1	2	3	4
		21. उदवाद आर.एस.	1
		22. उमरगाम	1
		23. सिलवास	1
		24. वापी आई.ई.	1
		25. नानापोंडा	1
		26. अतुल	1
		27. सनजन	1
		28. नानीवहीयाल	1
		29. सनखेड़ा	1
		30. वडोदरा	2
		31. कुन्काकाव	1
		32. तालाजा	1
		33. बटोड	1
		34. जैतपुर	1
		35. जामनगर	1
		36. द्वारका	1
		37. जूनागढ़	1
		38. वेरावल	1
		39. ऊना	1
		40. मैनदारदा	1
		41. अहमदाबाद	1
		42. मेहसाणा	1
		43. गांधीनगर	1
		44. हिम्मतनगर	1
		45. मोडसा	1
		46. आनन्द	1
		47. वी वी नगर	1
		48. आहवा डांग	1
		कुल	52

1	2	3	4
11.	गोवा	1. आल्टो परवोरिम	1
		2. डीकारपाले मडगांव	1
		3. सादा	1
		कुल	3
12.	हरियाणा	1. अम्बाला	4
		2. यमुनानगर	1
		3. कालका	1
		4. फरीदाबाद	4
		5. रिवाड़ी	1
		6. नारनौल	1
		7. हिसार	3
		8. सिरसा	1
		9. कुरुक्षेत्र	1
		10. कैथल	1
		11. करनाल	2
		12. पानीपत	1
		13. जीन्द	1
		14. रोहतक	2
		15. झज्झर	1
		16. सोनीपत	2
		कुल	27
13.	हिमाचल प्रदेश	1. शिमला	20
		2. बिलासपुर	1
		3. हमीरपुर	1
		4. कांगड़ा	1
		5. देहरा	1
		6. रामपुर	1
		7. रेकांग पियो	1
		8. काजा	1

1	2	3	4
		9. कुल्लू	1
		10. सरकाघाट	1
		11. चूनतरा	1
		12. केलोंग	1
		13. भांगरोटू	1
		14. सुन्दरनगर	2
		15. बाकलोह	1
		16. डलहौजी	1
		17. धर्मशाला	2
		18. पालमपुर	1
		19. बैजनाथ	1
		20. शाहपुर	1
		21. ऊना	1
		22. चैल	1
		23. दागशाही	1
		24. सुबाथू	1
		25. कसौली	1
		26. परवानू	1
		27. नाहन	2
		28. सोलन	2
		29. पोन्टा साहिब	1
		30. सानावार	1
		31. रूहारू	1
		32. ध्योग	1
		कुल	55
	जम्मू-कश्मीर	1 श्रीनगर	2

1	2	3	4
		4. लेह	1
		5. राजौरी	1
		कुल	9
15.	झारखंड	1. रांची	1
		2. धनबाद	1
		3. बी.एस. सिटी	1
		4. हजारीबाग	1
		5. गिरीडीह	1
		6. डाल्टनगंज	1
		7. गोलमुरी	1
		8. बिस्तुपुर	1
		9. टाटानगर	1
		कुल	9
16.	कर्नाटक	1. बंगलौर	3
		2. डोडबल्लापुर	1
		3. चिकमगलूर	1
		4. बीरूर	1
		5. चित्रदुर्ग	1
		6. हिरियूर	1
		7. देवनगेरे	2
		8. हसन	1
		9. आरसीकेरे	1
		10. बेलूर-हसन	1
		11. सकलेशपुरा	1
		12. माडीकेरी	3
		13. वीराजपेट	1

1	2	3	4
		16. मैंगलूर	2
		17. मैसूर	1
		18. नजनगुडा	2
		19. पुत्तूर	1
		20. करकाला	1
		21. शिमोगा	1
		22. सागर	1
		23. भद्रावती	1
		24. तुमकुर	1
		25. उदीपी	1
		26. कुंडापुरा (तल्लुर)	1
		27. बदामी	1
		28. बेलगाम	1
		29. बेल्लारी	1
		30. बीदर	1
		31. हूमनाबाद	1
		32. बीजापुर	1
		33. इन्डी	1
		34. सिन्दगी	1
		35. अथनी	1
		36. चिकोडी	1
		37. निप्पानी	1
		38. धारवाड़	1
		39. हुबली	1
		40. गडग	1
		41. गोकाक	1
		42. हुक्केरी	1
		43. गुलबर्गा	1

1	2	3	4
		44. शाहबाद	1
		45. वाडी	1
		46. हावेरी	1
		47. रानेबेन्नूर	1
		48. कारवाड़	1
		49. रायचूर	1
		50. कोप्पल	1
		51. गंगावती	1
		52. कुशतागी	1
		53. लिंगसूपुर	1
		54. सिरसी	1
		55. डांडेली	1
		56. हेलीयाल	1
		कुल	63
17.	केरल**	1. कासरगोड	2
		2. कानहनगढ़	1
		3. कन्नूर	2
		4. तलीपरंबा	1
		5. मनन्थावाडी	1
		6. टेम्पलगेट	1
		7. वडकारा	1
		8. कोइलांडी	1
		9. कोषिकोड	3
		10. मेपडी	1
		11. वैतिरी	1
		12. ओट्टापालम	1
		13. शोरनूर	1
		14. आगली	1

1	2	3	4
		15. पालकाड	1
		16. आलापुषा	1
		17. आलूआ	1
		18. कोतमंगलम	1
		19. कांजिरापल्ली	1
		20. देवीकुलम	1
		21. एलप्परा	1
		22. कुमली	1
		23. मरायूर	1
		24. मून्नार	1
		25. पिरामेड	1
		26. शांतनपारा	1
		27. तोडुपुषा	1
		28. बांदनमेट्टू	1
		29. फेयरफील्ड	1
		30. वंडिपेरियार	1
		31. पुतुक्काड	1
		32. कोट्टयम	1
		33. ऐराटूपेट्टा	1
		34. त्रिशूर	1
		35. एर्णाकुलम	1
		36. कोल्लम	1
		37. चावरा	1
		38. रान्नी	1
		39. तेनमला	1
		40. त्रिवेन्द्रम	4
		41. बालरामपुरम	1
		कुल	48

1	2	3	4
18.	मध्य प्रदेश	1. कृषि उपज मंडी, जबलपुर	1
		2. जबलपुर फैक्टरी, जबलपुर	1
		3. कटनी	1
		4. बालाघाट	1
		5. सियोनी	1
		6. सिद्धि	1
		7. सिंगरोली कोलियरी, सिंगरोली	1
		8. वायधान	1
		9. अमरकंटक	1
		10. धनपुरी	1
		11. रीवा	1
		12. सतना	1
		13. बेतुल	1
		14. परासिया	1
		15. भोपाल	7
		16. सागर	1
		17. दमोह	1
		18. होशंगाबाद	1
		19. नरसिंहपुर	1
		20. पंचमढ़ी	1
		21. छत्तरपुर	1
		22. खजुराहो	1
		23. पन्ना	1
		24. नवगांव	1
		25. गुना	1
		26. ग्वालियर	1
		27. इंदौर	4

1	2	3	4
		28. खांडवा	1
		29. मंदसौर	1
		30. मोरैना	1
		31. शिवपुरी	1
		32. देवास	1
		33. महाउल	1
		34. खरगोने	1
		35. बरहमपुर	1
		36. रतलाम	1
		37. सेहोर	1
		38. उज्जैन	1
		कुल	47
19.	महाराष्ट्र	1. मुंबई	12
		2. पुणे सिटी	5
		3. अहमद नगर	1
		4. श्रीरामपुर	1
		5. पंढरपुर	1
		6. बारामती	1
		7. जुन्नार	1
		8. लोनावाला	1
		9. करमला	1
		10. महाबलेश्वर	1
		11. सोलापुर	1
		12. पिंपरी चिंचवाड न्यू टाउनशिप	1
		13. खड़की	1
		14. रत्नागिरि	1
		15. कोल्हापुर	1
		16. इचालकरंनजी	1
		17. फुलेवाडी	1
		18. औरंगाबाद	1
		19. जालना	1
		20. अष्टी	1
		21. भुसावल	1
		22. सिरपुर	1
		23. जलगांव	1
		24. मालेगांव	1
		25. नासिक	1
		26. उदगीर	1
		27. हिंगोली	1
		28. परभनी	1
		29. अकोला	1
		30. अकोट	1
		31. वाशिम	1
		32. अमरावती	1
		33. बाढ़नेरा	1
		34. बुलधाना	1
		35. खामगांव	1
		36. शेगांव	1
		37. वरोरा	1
		38. गादचिरौली	1
		39. नागपुर	1
		40. वर्धा	1
		41. आरवी	1
		42. सेवाग्राम	1
		43. वाणी	1
		44. नंदुरा	1

1	2	3	4
		45. जलगांव जमोद (बुलधाना)	1
		46. धामनगांव	1
		47. सावनेर	1
		48. सकोली	1
		कुल	63
20.	मेघालय	1. शिलांग	5
		2. अखोंनगिरी	2
		कुल	7
21.	मणिपुर	1. इम्फाल	2
		2. चर्चानपुर	1
		कुल	3
22.	त्रिपुरा	1. अगरतला	1
		2. धरमानगर	1
		कुल	2
23.	मिजोरम	1. चम्फई	1
		कुल	1
24.	नागालैंड	1. कोहिमा	1
		2. दीमापुर	1
		कुल	2
25.	उड़ीसा	1. भवनेश्वर	3
		2. कटक	3
		3. पुरी	3
		4. बालासोर	2
		5. भद्रक	1
		6. मयूरभंज	2
		7. सन्दरगढ़	1
		8. सम्बलपुर	2
		9. राउरकेला	1

1	2	3	4
		10. बोलांगीर	1
		11. क्योंझर	1
		12. झारसुगुदा	1
		13. बरहामपुर (बीएम)	1
		14. चतरपुर	1
		15. कोरापेट	1
		16. भवानी पटना	1
		17. फुलबनी (ओ)	1
		कुल	26
26.	पंजाब	1. अमृतसर	1
		2. भटिंडा	1
		3. रोपड़	1
		4. फिरोजपुर	1
		5. गुरदासपुर	1
		6. जालंधर	1
		7. लुधियाना सिटी	1
		8. जबरौंन	1
		9. खन्ना	1
		10. पटियाला	1
		कुल	10
27.	राजस्थान	1. सवाईमाधोपुर	1
		2. गंगापुर	1
		3. हिंडौन	1
		4. अलवर	3
		5. बहरोड	1
		6. भिवाडी आई.ए.	1
		7. चोमु	1
		8. फुलेरा	1

1	2	3	4
		9. दौसा	1
		10. बांदीकुई	1
		11. जोबनेर	1
		12. भरतपुर	1
		13. धोलपुर	1
		14. जयपुर	4
		15. बाड़मेर	1
		16. चोहटन	1
		17. पचपाडरा	1
		18. बीकानेर	2
		19. लंकरंसार	1
		20. चुरू	1
		21. रतनगढ़	1
		22. सादुलपुर	1
		23. झुनझुनु	1
		24. खेतरी नगर	1
		25. पिलानी	1
		26. जोधपुर	2
		27. फलोडी	1
		28. जैसलमेर	1
		29. नागोर	1
		30. डिडवाना	1
		31. मकराना	1
		32. पालीमारवाड	1
		33. मारवाड़ जंक्शन	1
		34. सुमेरपुर	1
		35. सीकर	1
		36. श्रीमाधोपुर	1
		37. सिरोही	1
		38. जालौर	1
		39. शिवगंज	1
		40. आबूरोड	1
		41. माउंटआबू	1
		42. श्रीगंगानगर	1
		43. हनुमानगढ़	1
		44. भद्रा	1
		45. सांगरिया	1
		46. श्रीकरणपुर	1
		47. अजमेर	3
		48. ब्यावर	1
		49. भीलवाड़ा	1
		50. चित्तौडगढ़	1
		51. डूंगरपुर	1
		52. बांसवाड़ा	1
		53. कोटा	2
		54. झालवाडा	1
		55. टोंक	1
		56. बूंदी	1
		57. उदयपुर	2
		58. मावली जंक्शन	1
		59. नसीराबाद	1
		60. गुलाबपुरा	1
		61. कंकरोली	1
		कुल	72

1	2	3	4
28.	सिक्किम	1. सिक्किम	1
		कुल	1
29.	तमिलनाडु@	1. कोडइकनाल	1
		2. करईकुडी	1
		3. कोविलपट्टी	1
		4. टूटीकरम	1
		5. विरुधुनगर	1
		6. रामेश्वरम	1
		7. उडनकुडी क्रिश्चियन नगरम	1
		8. अरुमुंगनेरी	1
		9. नागरकोइल	1
		10. कोडानूर	1
		11. गोबीचेट्टीपलायम	1
		12. उडगमंडलम	1
		13. कन्नूर	1
		14. वेलिंगटन	1
		15. अरवांगडू	1
		16. कोट्ठागिरी	1
		17. मक्कीनेकेनपट्टी	1
		18. वलपरई	1
		19. चिन्नातिरुपति	1
		20. मेट्टूरडेम	1
		21. मेट्टूपलायम	1
		22. भवानीसागर	1
		23. तालावाडी	1
		24. तिरुपत्तूर	1
		25. त्रिची	1
		26. पुडुकोट्टई	1
		27. पेरमबलूर	1
		28. बायलर प्रोजेक्ट	1
		29. मन्नापुरम	1
		30. नेवेली	1
		31. चेन्नई	6
		32. वेल्लूर	2
		कुल	38
30.	उत्तर प्रदेश	1. आजमगढ़	1
		2. आगरा	1
		3. अलीगढ़	2
		4. इलाहाबाद	3
		5. बहराइच	1
		6. बलिया	1
		7. बुलंदशहर	1
		8. भरथाना (इटावा)	1
		9. बिजनौर	1
		10. बरेली	3
		11. बाराबंकी	1
		12. देवरिया	1
		13. एटा	1
		14. इटावा	1
		15. फतेहपुर	1
		16. फैजाबाद	1
		17. गोरखपुर	1
		18. गोंडा	1
		19. गाजीपुर	1

1	2	3	4
		20. गाजियाबाद	2
		21. हाथरस	1
		22. हरदोई	1
		23. हापुड़	1
		24. झांसी	2
		25. जसवंत नगर (इटावा)	1
		26. जौनपुर	1
		27. कानपुर	4
		28. खीरी	1
		29. लखनऊ	3
		30. मऊ	1
		31. मथुरा	1
		32. मैनपुरी	1
		33. मिर्जापुर	1
		34. मुरादाबाद	1
		35. मोदीनगर	1
		36. मेरठ	3
		37. नोएडा	2
		38. उरई (जालोन)	1
		39. प्रतापगढ़	1
		40. पीलीभीत	1
		41. पुरानपुर (पीलीभीत)	1
		42. रामपुर	1
		43. रायबरेली	1
		44. शिकोहाबाद	1
		45. शाहजहांपुर	1
		46. सीतापुर	1
		47. टुंडला (फिरोजाबाद)	2
		48. वाराणसी	1
		49. फतेहगढ़	1
		कुल	65
31.	उत्तरांचल	1. अल्मोड़ा	1
		2. थपलिया	1
		3. रानीखेत	1
		4. गोपेश्वर	1
		5. पपरीयाना	1
		6. पी एंड टी कालोनी देहरादून	1
		7. देहरादून कैंट	1
		8. वीरभद्र	1
		9. देहरादून प्रधान डाकघर कैंपस	1
		10. चकराता	1
		11. कलसी	1
		12. इंदरापुरम	1
		13. हरिद्वार	1
		14. रुड़की	1
		15. डिवीजनल कार्यालय कम्पाउंड नैनीताल	1
		16. प्रधान डाकघर कम्पाउंड नैनीताल	1
		17. टेलीफोन एक्सचेंज कम्पाउंड नैनीताल	1
		18. रुद्रपुर कम्पाउंड	1
		19. रामनगर डाकघर कम्पाउंड	1
		20. पी एंड टी कालोनी पौड़ी	1
		21. सतपुली	1
		22. डुगड्डा	1

1	2	3	4
		23. कोंडोलिया	1
		24. पिथौरागढ़	1
		25. चम्पावत	1
		26. दीदीहट	1
		27. नरेन्द्र नगर	1
		28. उत्तरकाशी	1
		कुल	28
32.	पश्चिम बंगाल	1. पानीहटी	1
		2. कोस्सिम बाजार	1
		3. जियागंज	1
		4. कांडी	1
		5. खागडा	1
		6. लालगोला	1
		7. मधुपुर	1
		8. रघुनाथगंज	1
		9. बरुइपुर	1
		10. डायमंड हारबर	1
		11. विष्णुपुर	1
		12. बज बज	1
		13. कल्याणी	1
		14. आर आर टेगोर रोड	1
		15. कृष्णानगर	1
		16. आनन्दपुर	1
		17. भूबन्दनगाह	1
		18. साइथिया	1
		19. कोलकाता	6
		20. आसनसोल	2
		21. दुर्गापुर	2
		22. बिधान नगर	1
		23. बहीरसरबामंगल	1
		24. बर्दवान	1
		25. तेलीनीपाडा	1
		26. मिदनापुर	1
		27. खड़गपुर	1
		28. मोगरा	1
		29. पंडुवा	1
		30. देशबंधु नगर	1
		31. हल्दिया	1
		32. दार्जीलिंग	1
		33. मालदा	1
		34. दिनाजपुर	1
		35. कूचबिहार	1
		36. जलपाइगुड़ी	1
		कुल	43

*दादरा एवं नगर हवेली शामिल है

**लक्षद्वीप शामिल है

●पांडिचेरी शामिल है

विवरण V

तारघर आवासीय कालोनियों की राज्यवार/क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	क्षेत्र	कालोनियों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	अंडमान	6
		कुल	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	आदिलाबाद	5

1	2	3	4
		अनंतपुर	10
		चित्तूर	11
		करीमनगर	5
		कृष्णा	22
		नलगोंडा	4
		नेल्लोर	13
		निजामाबाद	1
		प्रकाशम	5
		कुड्डप्पा	6
		पूर्व गोदावरी	18
		गुन्टूर	15
		हैदराबाद	41
		खम्मम	5
		कुर्नूल	13
		महबूबनगर	5
		मेडक	6
		श्रीकाकुलम	5
		विशाखापट्टनम	10
		विजयनगरम	6
		वारंगल	5
		पश्चिम गोदावरी	8
		कुल	219
3.	असम	बोंगाईगांव	3
		कछार	1
		डिब्रूगढ़	3
		जोरहाट	9
		नागांव	7
		सिल्चर	22
		तेजपुर	2
		कुल	53
4.	छत्तीसगढ़	बस्तर	2
		दुर्ग	1
		रायपुर	13
		कुल	16
5.	गुजरात	अहमदाबाद	14
		अमरेली	8
		आनंद	7
		बनासकंठा	2
		भडूच	5
		भावनगर	3
		भुज	6
		दाहोद	1
		डांग	1
		दीव	1
		गांधीनगर	1
		जामनगर	9
		जूनागढ़	12
		मेहसाणा	2
		नादियाद	3
		नौसारी	3
		पंचमहल	4
		पाटण	2

1	2	3	4
		राजकोट	10
		साबरकंठा	2
		सूरत	2
		सुरेन्द्रनगर	1
		वडोदरा	6
		वलसाडा	4
		कुल	114
6.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	1
		कांगड़ा	7
		कुल्लू	1
		मंडी	2
		शिमला	24
		सिरमौर	2
		सोलन	7
		कुल	44
7.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू	3
		कठुआ	1
		लेह	1
		कुल	5
8.	कर्नाटक	बागलकोट	5
		बेंगलूर	20
		बेलगांव	5
		बेल्लारी	8
		बीजापुर	3
		चिकमगलूर	6
		चित्रदुर्ग	9
		दक्षिण कन्नड़	12
		दावनगेरे	3
		धारवाड (हुबली)	7
		गुलबर्गा	4
		हासन	23
		कोडगू (मेडीकेरी)	6
		कोलार	2
		मैसूर	4
		रायचूर	5
		सिमोगा	17
		टुमकुर	2
		उडुप्पी	5
		उत्तर कन्नड़ (के)	10
		कुल	156
9.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	17
		अकोला	3
		अमरावती	1
		औरंगाबाद	10
		बीड	8
		भंडारा	11
		बुलडाना	2
		धुले	3
		गादचिरौली	1
		गोवा	13
		गोंडिया	7
		हिंगोली	1
		जलगांव	11
		जालना	3

1	2	3	4
		कल्याण	6
		कोल्हापुर	4
		लातूर	4
		मुम्बई	1
		नागपुर	23
		नान्देड	2
		नन्दुरबार	5
		नासिक	25
		परभनी	4
		पुणे	27
		रायगढ़	4
		रत्नागिरि	8
		सांगली	17
		सतारा	7
		सिंधुदुर्ग	7
		सोलापुर	20
		वर्धा	8
		वासीम	4
		यवतमाल	13
		कुल	280
10.	उड़ीसा	अनुगुल	3
		बालासोर	2
		बरगढ़	2
		भद्रक	1
		बोलांगीर	3
		कटक	6
		धंकणाल	1
		गंजम	7
		जगतसिंहपुर	1
		आजपुर	1
		झारसुगुडा	2
		कालाहांडी	1
		क्योंझार	3
		खुर्दा	10
		कोरापुट	8
		मयूरभंज	1
		नयागढ़	1
		फुलबनी	2
		पुरी	2
		सांभलपुर	5
		सुन्दरगढ़	5
		कुल	67
11.	पंजाब	चण्डीगढ़	5
		फरीदकोट	3
		फिरोजपुर	5
		गुरदासपुर	7
		होशियारपुर	3
		जालंधर	10
		लुधियाना	9
		मोगा	4
		मुक्तसर	1
		पटियाला	12
		संगरूर	8
		अमृतसर	3

1	2	3	4
		कपूरथला	1
		कुल	71
12.	तमिलनाडु	चेंगलपेट	5
		चेन्नई	23
		कोयम्बटूर	26
		कोड्डुलूर	7
		धर्मपुरी	5
		डिंडीगल	9
		इरोड	9
		कांचीपुरम	4
		कन्याकुमारी	8
		करूर	1
		मदुरै	18
		नागापट्टिनम	3
		नामक्कल	4
		नीलगिरि	11
		पेरम्बलूर	2
		पांडिचेरी	7
		कुदुक्कोट्टई	2
		रामनाड़	3
		सेलम	11
		शिवगंगा	3
		तन्जौर	5
		थेनी	2
		तिरुवारूर	2
		तिरुनेल्लवेली	11
		तिरुअन्नामलै	2
		त्रिची	6
		त्रिवेल्लोर	5
		तूतीकोरीन	6
		वेल्लोर	10
		विल्लुपुरम	3
		विरुधुनगर	7
		कुल	220
13.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	14
		बांकुरा	3
		बेहरामपुर	4
		सीओ	1
		कुचबिहार	4
		गंगटोक	7
		जलपाईगुड़ी	11
		खड़गपुर	14
		कोलकाता	40
		कृष्णनगर	5
		मालदा	4
		पुरुलिया	1
		रायगंज	4
		सिलीगुड़ी	7
		सूरी	4
		मिदनापुर	1
		कुल	124
14.	बिहार	अररिया	2
		आरा	1
		गया	2

1	2	3	4
		कठियार	2
		मुंगेर	1
		नालंदा	1
		पटना	12
		पूर्णिया	1
		सहरसा	1
		सारन	2
		सीवान	1
		पश्चिम चम्पारण	1
		कुल	27
15.	हरियाणा	अम्बाला	3
		भिवानी	8
		फरीदाबाद	5
		फतेहाबाद	5
		गुड़गांव	4
		हिसार	6
		झज्जर	2
		करनाल	2
		एलजेपी	2
		कुरुक्षेत्र	4
		पानीपत	4
		रोहतक	3
		सिरसा	5
		सोनीपत	4
		कुल	57
16.	झारखण्ड	रांची	19
		बोकारो	3
		धनबाद	9
		गिरीडीह	3
		गुमला	2
		हजारीबाग	3
		कोडरमा	1
		लोहादग्गा	1
		पाकुर	1
		पलामू	3
		सरायकेला	1
		सिंहभूम (पूर्व)	9
		सिंहभूम (पश्चिम)	2
		गिरीडीह	1
		कुल	58
17.	केरल	कासरगोड	4
		आलप्पुषा	5
		कालिकट	6
		कन्नूर	8
		एर्णाकुलम	11
		कोल्लम	5
		कोट्टयम	9
		मलप्पुरम	10
		पालक्काड	11
		पत्तनमथिट्टा	2
		त्रिशूर	10
		त्रिवेन्द्रम	5
		चन्द्रनगर	1
		वयनाड	6
		कुल	93

1	2	3	4
18.	मध्य प्रदेश	भोपाल	2
		बीपीएल-सिहोर	4
		छिंदवाड़ा	9
		द्रतिया	1
		देवास	1
		गुना	3
		इन्दौर	35
		जबलपुर	13
		खण्डवा	5
		खरगौन	1
		मन्दसौर	8
		मुरैना	8
		नरसिंहपुर	1
		नीमच	1
		पन्ना	1
		रायसेन	7
		रतलाम	3
		रीवा	4
		सागर	1
		सतना	6
		सिवनी	9
		शहडोल	1
		सीधी	5
		उज्जैन	3
		कुल	132
19.	उत्तर-पूर्व राज्य	अगरतला	4
		अम्बास	1
		बिरेन्द्रनगर	1
		बिश्रामगंज	1
		कदमतला	1
		कैलाशनगर	1
		कमरपुर	1
		खोवई	1
		मोहनपुर	1
		नोंगोस्टिन	1
		पानीसागर	1
		आर.के. पुर	1
		सबरुम	1
		एजल	2
		चम्पै	1
		कोलासीब	1
		लुंगलू	1
		मैरंग	1
		मवक्यरोह (नेहू)	1
		मवक्यरवाट	1
		नौंगपोह	1
		नौंगपोहबी	1
		नौंगस्टिग	1
		साइहा	1
		शान्तीबाजार	1
		थैरेंगटे	1
		अम्पलारेम	1
		अम्पाती	1
		बाघमरा	1

1	2	3	4
		चेरापूंजी	2
		जोवई	1
		लैङ्किनबाई	1
		लुम्डियनगिरी	1
		शिलांग	5
		तुरा युएचएफ	1
		ठकिंग	1
		विलियमनगर	1
		कुल	46
20.	नई दिल्ली	नई दिल्ली	5
		कुल	5
21.	राजस्थान	अजमेर	3
		अलवेर	3
		बांसवाड़ा	2
		भीलवाड़ा	1
		बीकानेर	5
		एचएम जंक्शन	1
		जयपुर	16
		जैसलमेर	2
		झुनझुनू	10
		जोधपुर	3
		कोटा	1
		पाली-मारवाड़	13
		सवाईमाधोपुर	2
		श्रीगंगानगर	2
		सीकर	2
		सिरोही	4
		टोंक	2
		उदयपुर	4
		कुल	76
22.	उत्तर प्रदेश	बहराइच	16
		जौनपुर	7
		कानपुर देहात	9
		कौशांबी	15
		लखनऊ	10
		रायबरेली	4
		सुलतानपुर	7
		आजमगढ़	6
		बलिया	5
		बान्दा	6
		बाराबंकी	5
		बस्ती	6
		चंदौली	2
		देवरिया	6
		इटावा	3
		फैजाबाद	11
		फर्रुखाबाद	6
		फतेहपुर	3
		फिरोजाबाद	3
		गाजीपुर	3
		गोण्डा	8
		गोरखपुर	7
		हमीरपुर	8
		हरदोई	7

1	2	3	4
		जालौन	6
		झांसी	9
		कानपुर	19
		लखीमपुर	7
		ललितपुर	6
		लखनऊ	1
		मैनपुरी	2
		मऊ	6
		मिर्जापुर	6
		रायबरेली	1
		संत रविदास नगर	2
		शाहजहांपुर	5
		सीतापुर	4
		सोनभद्र	2
		उन्नाव	7
		वाराणसी	11
		आगरा	7
		अलीगढ़	5
		बदायूं	2
		बागपत	3
		बरेली	11
		बिजनौर	2
		एटा	3
		जी बी नगर	4
		गाजियाबाद	19
		हाथरस	2
		मथुरा	2
		मेरठ	6
		मुजफ्फरनगर	7
		पीलीभीत	1
		रामपुर	3
		सहारनपुर	3
		कुल	337
23.	उत्तरांचल	अलमोड़ा	4
		चमोली	1
		चम्पावत	2
		देहरादून	7
		नैनीताल	6
		पौड़ी	6
		पिथौरागढ़	1
		टिहरी	2
		यूएस नगर	4
		उत्तरकाशी	2
		कुल	35
		कुल योग	2241

एम डी ए योजना की सफलता

1213. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कायर उद्योग में टाइम टेस्टिड रिबेट योजना की समाप्ति के पश्चात शुरू की गई मार्केट डेवलपमेंट असीसमेंटस (एम डी ए) नामक नई योजना असफल रही है;

(ख) क्या केरल सरकार ने एम डी ए योजना के प्रति असंतोष व्यक्त किया है;

(ग) क्या एम डी ए योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप केन्द्र द्वारा केरल सरकार को बकाया राशि का भुगतान किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ए डी ए की कायिक निधि में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) ऐसी बात नहीं है कि मार्किट विकास सहायता (एम.डी.ए.) स्कीम कयर तथा कयर उत्पादों के सम्बन्ध में असफल रही हो। तथापि, केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एम.डी.ए. स्कीम के तहत राज्य सरकार को अपर्याप्त केन्द्रीय अनुदान रिलीज किए जाने के सम्बन्ध में लिखा है।

(ग) और (घ) एम.डी.ए. स्कीम के तहत केरल सरकार को कयर और कयर उत्पादों के लिए रिलीज के लिए देय केन्द्रीय अनुदानों का ब्योरा निम्नोक्त है:

एम.डी.ए. योजना के तहत केरल सरकार को रिलीज किए जाने वाले केन्द्रीय अनुदान

(लाख रु. में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा किए गये दावे की राशि	रिलीज किया गया केन्द्रीय अनुदान	शेष राशि (2)-(3)
2000-2001	89.35	84.00	5.35
2001-2002	366.79	106.00	260.79
2002-2003	308.56	110.10	198.46
2003-2004	157.65	105.00	52.65
कुल			517.25

(ङ) और (च) केरल सहित, सभी सम्बन्धित सरकारों को कयर तथा कयर उत्पादों के लिए एम.डी.ए. स्कीम के तहत केन्द्रीय अनुदानों के शेयर का संवितरण प्रत्येक वर्ष के लिए इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कुल केन्द्रीय योजना अनुदानों पर निर्भर करता है। अतः एम.डी.ए. स्कीम के तहत राज्यों को अनुदानों को रिलीज किया जाना प्रत्येक वर्ष के दौरान बजटीय योजना स्रोतों के वास्तविक आबंटन तक प्रतिबन्धित होता है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं हेतु निधियां

1214. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री काशीराम राणा:
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार ने राज्यों को स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं हेतु राज्यों को निधियां आबंटित और जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को निधियां दी हैं जिन्होंने अपेक्षित कार्य नहीं किया है और निधियों का दुरुपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की पहचान की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार स्वास्थ्य परिचर्या के लिए राज्यों को राशि आवंटित/जारी करती है। विगत तीन वर्षों के दौरान कुष्ठरोग, क्षयरोग, मलेरिया, दृष्टिहीनता और एड्स जैसे प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के संदर्भ में आवंटित/जारी की गई राशि से संबंधित राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए आवंटित/जारी की गई राशि के ब्यौरे

राष्ट्रीय मलेरिया निवारण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 आवंटन/जारी	2002-03 आवंटन/जारी	2003-04 आवंटन/जारी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	226.84	217.85	236.75
2.	आंध्र प्रदेश	794.77	529.21	382.53
3.	अरुणाचल प्रदेश	486.93	280.72	316.17
4.	असम	1983.27	1626.56	2068.28
5.	बिहार	377.44	77.71	100.62
6.	चंडीगढ़	41.06	36.00	34.25
7.	छत्तीसगढ़	826.39	2460.92	1641.41
8.	दादरा और नगर हवेली	40.67	34.33	41.27
9.	दमण और दीव	16.08	11.72	15.15
10.	दिल्ली	97.57	97.39	105.24
11.	गोवा	6.08	8.85	9.60
12.	गुजरात	1330.96	754.40	410.47
13.	हरियाणा	18.43	72.30	79.00
14.	हिमाचल प्रदेश	2.20	3.06	3.47
15.	जम्मू-कश्मीर	22.96	11.94	42.31
16.	झारखंड	759.92	1159.64	727.57
17.	कर्नाटक	308.24	176.28	258.01
18.	केरल	64.35	12.63	20.73
19.	लक्षद्वीप	6.35	6.10	6.47
20.	मध्य प्रदेश	2238.77	2063.15	961.59
21.	महाराष्ट्र	2239.20	976.91	454.07
22.	मणिपुर	358.91	121.36	106.63

1	2	3	4	5
23.	मेघालय	384.02	167.63	263.66
24.	मिजोरम	433.94	118.51	165.32
25.	नागालैंड	346.91	212.48	292.77
26.	उड़ीसा	1478.23	1953.82	1953.85
27.	पांडिचेरी	13.43	22.61	22.12
28.	पंजाब	49.38	70.79	66.15
29.	राजस्थान	534.04	303.37	1379.07
30.	सिक्किम	0.11	4.37	3.30
31.	तमिलनाडु	303.11	242.30	207.85
32.	त्रिपुरा	542.45	302.79	390.70
33.	उत्तर प्रदेश	548.62	200.48	516.33
34.	उत्तरांचल	23.64	7.84	5.07
35.	पश्चिम बंगाल	589.86	198.67	295.05
	कुल	17495.00	14544.49	13582.83

राष्ट्रीय कुष्ठता निवारण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 आवंटन/जारी	2002-03 आवंटन/जारी	2003-04 आवंटन/जारी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13.3	20.22	0.50
2.	आंध्र प्रदेश	223.83	179.22	174.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	62.09	115.96	72.75
4.	असम	153.85	97.48	93.28
5.	बिहार	663.94	855.85	413.77
6.	चंडीगढ़	5.5	10.13	10.50
7.	छत्तीसगढ़	378.34	354.41	305.60
8.	दादरा और नगर हवेली	6	6.00	6.00

1	2	3	4	5
9.	दमण और दीव	16.4	14.50	9.50
10.	दिल्ली	48.36	93.42	100.50
11.	गोवा	11.52	8.10	7.53
12.	गुजरात	61.97	99.65	88.21
13.	हरियाणा	61.94	43.89	2.16
14.	हिमाचल प्रदेश	49.69	30.45	36.15
15.	जम्मू-कश्मीर	100.55	96.39	21.90
16.	झारखंड	356.23	257.46	147.60
17.	कर्नाटक	196.05	122.66	70.46
18.	केरल	74.61	69.36	15.00
19.	लक्षद्वीप	.6	7.26	5.50
20.	मध्य प्रदेश	395.32	676.61	225.91
21.	महाराष्ट्र	435.99	263.14	83.01
22.	मणिपुर	71.02	101.25	65.50
23.	मेघालय	46.94	46.24	1.99
24.	मिज़ोरम	60.51	76.50	22.50
25.	नागालैंड	89.22	112.44	83.00
26.	उड़ीसा	540.77	478.63	403.22
27.	पांडिचेरी	2	6.00	0.35
28.	पंजाब	32.3	40.27	25.19
29.	राजस्थान	123.07	52.32	23.42
30.	सिक्किम	34.87	39.36	23.54
31.	तमिलनाडु	413.04	240.63	230.02
32.	त्रिपुरा	46.47	33.60	8.50
33.	उत्तर प्रदेश	1282.50	1508.04	1168.93
34.	उत्तरांचल	129.01	120.01	43.78
35.	पश्चिम बंगाल	574.66	599.55	412.47
	कुल	6774.86	6877.00	4403.04

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 आवंटन/जारी	2002-03 आवंटन/जारी	2003-04 आवंटन/जारी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.80	1.59	7.30
2.	आंध्र प्रदेश	1063.81	834.82	450.43
3.	अरुणाचल प्रदेश	43.81	16.22	36.04
4.	असम	62.67	35.70	100.09
5.	बिहार	72.50	157.97	258.00
6.	चंडीगढ़	20.15	10.07	19.58
7.	छत्तीसगढ़	302.74	165.23	186.59
8.	दादरा और नगर हवेली	16.92	4.16	7.87
9.	दमण और दीव	12.86	4.97	5.71
10.	दिल्ली	22.15	22.30	48.86
11.	गोवा	33.95	10.52	28.09
12.	गुजरात	245.85	231.45	377.45
13.	हरियाणा	104.63	45.36	147.90
14.	हिमाचल प्रदेश	64.03	54.11	98.22
15.	जम्मू-कश्मीर	110.04	66.79	94.50
16.	झारखंड	29.30	118.57	161.29
17.	कर्नाटक	454.43	368.30	651.75
18.	केरल	184.85	153.22	253.61
19.	लक्षद्वीप	5.02	1.56	6.04
20.	मध्य प्रदेश	908.02	667.29	457.16
21.	महाराष्ट्र	1251.09	627.15	523.93
22.	मणिपुर	50.73	20.13	27.84
23.	मेघालय	78.28	25.12	33.39
24.	मिजोरम	35.56	31.72	25.13

1	2	3	4	5
25.	नागालैंड	51.10	23.22	15.18
26.	उड़ीसा	468.35	324.80	302.18
27.	पांडिचेरी	15.50	2.04	13.10
28.	पंजाब	65.05	189.25	136.55
29.	राजस्थान	1128.85	526.93	328.01
30.	सिक्किम	6.61	20.56	23.36
31.	तमिलनाडु	1972.99	1653.03	1495.29
32.	त्रिपुरा	397.74	39.88	52.71
33.	उत्तर प्रदेश	2166.92	1063.20	1001.44
34.	उत्तरांचल	175.03	115.02	138.63
35.	पश्चिम बंगाल	180.76	305.12	385.99
	कुल	11819.09	7937.37	7899.21

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 आवंटन/जारी	2002-03 आवंटन/जारी	2003-04 आवंटन/जारी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1200.00	2.23	1.84
2.	आंध्र प्रदेश	1.53	1050.00	600.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	119.42	15.00	30.19
4.	असम	212.38	391.77	411.91
5.	बिहार	700.05	697.27	608.38
6.	चंडीगढ़	12.84	9.54	9.00
7.	छत्तीसगढ़	36.54	183.56	333.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0.04	1.48	1.23
9.	दमण और दीव	0.88	1.48	1.23
10.	दिल्ली	228.75	146.24	138.08

1	2	3	4	5
11.	गोवा	15.55	13.78	13.00
12.	गुजरात	810.07	536.22	506.28
13.	हरियाणा	195.23	179.75	619.00
14.	हिमाचल प्रदेश	183.57	64.64	61.03
15.	जम्मू-कश्मीर	73.42	95.28	66.71
16.	झारखंड	55.13	233.91	431.00
17.	कर्नाटक	632.73	534.01	497.42
18.	केरल	687.23	337.00	318.17
19.	लक्षद्वीप	3.28	1.06	1.00
20.	मध्य प्रदेश	658.38	592.09	545.77
21.	महाराष्ट्र	1683.61	1025.81	968.53
22.	मणिपुर	100.47	30.77	65.88
23.	मेघालय	19.59	31.74	45.92
24.	मिजोरम	14.17	11.82	22.56
25.	नागालैंड	99.36	25.64	54.90
26.	उड़ीसा	6500.00	450.00	515.00
27.	पांडिचेरी	11.67	9.96	9.23
28.	पंजाब	281.74	227.65	206.68
29.	राजस्थान	1072.53	598.74	565.31
30.	सिक्किम	31.82	6.41	13.72
31.	तमिलनाडु	999.81	658.09	621.34
32.	त्रिपुरा	30.52	33.57	68.49
33.	उत्तर प्रदेश	1402.20	1586.38	1449.76
34.	उत्तरांचल	15.56	67.21	136.00
35.	पश्चिम बंगाल	1109.92	849.90	802.44
	कुल	13299.99	10700.00	10760.00

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 आवंटन/जारी	2002-03 आवंटन/जारी	2003-04 आवंटन/जारी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	95.5	89.50	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	1875	2090.00	2175.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	214.88	130.50	150.00
4.	असम	653.8	614.50	475.00
5.	बिहार	809.5	600.50	700.00
6.	चंडीगढ़	152.65	156.50	225.00
7.	छत्तीसगढ़	129.5	243.50	250.00
8.	दादरा और नगर हवेली	26	17.00	67.00
9.	दमण और दीव	31	36.00	100.00
10.	दिल्ली	334	451.00	500.00
11.	गोवा	99	170.50	200.00
12.	गुजरात	1188.3	1295.19	1477.62
13.	हरियाणा	266	315.00	300.00
14.	हिमाचल प्रदेश	306.5	256.50	270.00
15.	जम्मू-कश्मीर	244.5	295.50	150.00
16.	झारखंड	156	193.00	200.00
17.	कर्नाटक	893.15	1025.00	1100.00
18.	केरल	835	855.00	850.00
19.	लक्षद्वीप	29.5	25.50	50.00
20.	मध्य प्रदेश	780.5	521.50	490.00
21.	महाराष्ट्र	1596.65	2293.50	2120.00
22.	मणिपुर	708.15	787.50	1100.00
23.	मेघालय	224.93	90.50	50.00
24.	मिजोरम	246.7	311.50	450.00

1	2	3	4	5
25.	नागालैंड	635.5	626.50	675.00
26.	उड़ीसा	565	448.00	500.00
27.	पांडिचेरी	54	74.00	100.00
28.	पंजाब	266.5	403.50	250.00
29.	राजस्थान	409.5	368.50	250.00
30.	सिक्किम	120.02	64.00	75.00
31.	तमिलनाडु	2072.32	2221.95	2588.38
32.	त्रिपुरा	196.67	71.00	75.00
33.	उत्तर प्रदेश	1465.65	1674.50	700.00
34.	उत्तरांचल	98	162.00	200.00
35.	पश्चिम बंगाल	1059.5	1503.50	1200.00
	कुल	18843.37	20482.14	20163.00

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना

1215. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर में एक जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विश्वविद्यालय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा पर्यटन

1216. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा पर्यटन से संबंधित मुद्दों की जांच करने हेतु स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र के विशेषज्ञों वाले कृतक बल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस संबंध में भारत के सभी अस्पतालों को मानकीकृत और प्रत्याशित करने हेतु निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। विश्व-भर के लोगों के लिए भारत को स्वास्थ्य केन्द्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से एक कार्यबल स्थापित किया गया है ताकि देश में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या विशेषज्ञता और अवसंरचना का सदुपयोग किया जा सके।

कार्यबल को जो विषय सौंपे गए हैं उनमें अति विशिष्टतापूर्ण चिकित्सा परिचर्या, चिकित्सा सेवाओं की आउटसोर्सिंग, उपलब्ध प्रचालित औषध विशेषज्ञता आदि सहित विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल हैं। मानक स्तर की सुविधाओं से

सुसज्जित अस्पतालों/संस्थानों की पहचान करने का कार्य भी कार्यबल को सौंपा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का चरण-1 और 2

1217. **श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-1 और 2 का कार्यान्वयन प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-2 और 4 जैसी राजमार्ग विकास परियोजना तैयार कर रही है तथा 1,17,200 करोड़ रु. की कुल लागत वाली पूर्वोत्तर सड़क विकास परियोजना को गति दी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार कुल कितनी राजमार्ग परियोजनाओं पर विचार करने पर सहमत हुई है;

(घ) परियोजना-1 और 2 के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) चरण-3 और 4 हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(च) शेष परियोजनाओं को कब तक कार्यशील बनाए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने दो नई परियोजनाएं तैयार की हैं जो अभी प्रस्ताव के स्तर पर हैं।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही और चरण-2 (पत्तन संपर्क और अन्य परियोजनाओं सहित) की 31.10.2004 के अनुसार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-एन ई और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 अभी प्रस्ताव के स्तर पर हैं, इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि और इन परियोजनाओं के चालू हो जाने का समय बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की स्थिति

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1 और 2 के तहत परियोजनाओं के नाम	कुल लंबाई (कि.मी.)	पूरी की गई लंबाई (कि.मी.)	कार्यान्वित की जा रही लंबाई (कि.मी)	सौंपे जाने के लिए शेष लंबाई (कि.मी.)
स्वर्णिम चतुर्भुज (चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता को जोड़ने वाला)	5846	3294	2552	कुछ नहीं
उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग (श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पोरबंदर को सिल्चर से जोड़ने वाला)	7300	675	388	6237
पत्तन संपर्क परियोजनाएं (महापत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से जोड़ने वाली)	356	69	229	58
अन्य परियोजनाएं	777	194	121	462
जोड़	14279	4232	3290	6757

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना

1218. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना हेतु भूमि के अधिग्रहण को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विभिन्न राज्यों से राज्यवार कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(घ) क्या सरकार सी आर एफ के अंतर्गत उक्त परियोजना के सड़कों और पुलों के निर्माण को शामिल करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि जारी किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 31 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

(1) कुल लंबाई	–	5,846 कि.मी.
(2) पूरी हो गई	–	3,294 कि.मी.
(3) कार्यान्वयन के अधीन	–	2,552 कि.मी.

(ख) और (ग) स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। प्रक्रियागत कारणों से कुछ राज्यों में भूमि अधिग्रहण में विलंब हुआ है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इलाहाबाद बाइपास जिसे दिसंबर, 2006 तक पूरा किया जाना है, को छोड़कर इस परियोजना को दिसंबर, 2005 तक पूरा किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, दो और उप परियोजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के शिकोहाबाद से इटावा खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के गंजम से इच्छापुरम खंड को दिसंबर, 2005 के बाद पूरा किए जाने की संभावना है क्योंकि इन दोनों खंडों के सिविल कार्य ठेके समाप्त कर दिए गए हैं और उन्हें पुनः सौंपा जाना है।

विवरण

स्वर्णिम चतुर्भुज: भूमि अधिग्रहण की प्रगति (अक्तूबर, 2004 के अनुसार स्थिति)

राज्य	अधिग्रहण के लिए कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	संचयी कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	
		अधिगृहीत	शेष
1	2	3	4
तमिलनाडु	893	455 (51%)	438 (49%)
गुजरात	210	171 (81.43%)	39 (18.57%)*
महाराष्ट्र	661	389 (58.85%)	272 (41.15%)**
पश्चिम बंगाल	585	558 (95.38%)	27 (4.6%)
कर्नाटक	1524	1464 (96.06%)	60 (3.94%)
झारखंड	52	51 (98%)	1 (2%)
आंध्र प्रदेश	1730	1713.4 (99.04%)	16.6 (0.96%)

1	2	3	4
राजस्थान	1512	1499 (99.14%)	13 (0.86%)
उत्तर प्रदेश	471	470 (99.8%)	1 (0.01%)
बिहार	118	118 (100%)	0
उड़ीसा	520	520 (100%)	0
जोड़	8276	7408.4 (89.52%)	867.6 (10.48%)

*39 हेक्टेयर भविष्य में मार्गाधिकार को 45 मीटर से चौड़ा करके 60 मीटर करने के लिए है।

**272 हेक्टेयर में से 134 हेक्टेयर भविष्य में मार्गाधिकार को 45 मीटर से चौड़ा करके 60 मीटर करने के लिए है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग का पुनर्गठन

1219. **श्री गणेश प्रसाद सिंह:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के लघु उद्योग और ग्रामोद्योग को पुनर्गठित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु आबंटित बजट कितना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) देश में लघु उद्योगों (एस एस आईज) का संवर्धन एवं विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने लघु उद्योगों को सुदृढ़ करने एवं उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल हैं: प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए सहायता, कलस्टर विकास अप्रोच के माध्यम से आधारित संरचना सहायता, क्रेडिट की समय पर उपलब्धता में सहायता तथा आधुनिक प्रबंध पद्धतियों के अपनाए जाने को प्रोत्साहित करने में सहायता, इलैक्ट्रानिक आधारित संरचना एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) एप्लीकेशन्ज, आदि का प्रयोग करना। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योग यूनिटों के पुनर्वास के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें परिभाषा, उनकी जीवनक्षमता का निर्णय करने के लिए मानदण्डों में परिवर्तन करना, रियायती वित्त, आदि शामिल हैं। लघु उद्योगों में संवर्धन के लिए विभिन्न प्लान स्कीमों के लिए वर्ष 2004-05 के बजट में 366 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को आबंटित वार्षिक निधियां

1220. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के संचालन हेतु वार्षिक रूप से धन का आबंटन किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों, स्थापना, रोगियों के उपचार, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अनुसंधान हेतु आबंटित धन का विशिष्ट ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। संस्थान को योजनागत कार्यकलापों के लिए प्रतिवर्ष योजनागत शीर्ष के तहत तथा वेतन के भुगतान, मशीनरी और उपकरण सामग्री और आपूर्ति तथा अन्य कार्यकलापों आदि जैसे गैर-योजनागत व्यय की पूर्ति के लिए गैर-योजनागत शीर्ष के तहत समेकित अनुदान-सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस मंत्रालय द्वारा शीर्ष-वार कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता है।

वर्ष 1991-92 से संस्थान को योजनागत और गैर-योजनागत कार्यकलापों के लिए दिए गए समेकित अनुदान के ब्यौरे इस प्रकार हैं)

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	योजनागत	गैर-योजनागत
1991-92	14.75	39.00
1992-93	27.29	45.43

1993-94	32.00	50.40
1994-95	29.98	53.00
1995-96	45.00	66.29
1996-97	71.87	73.53
1997-98	56.89	89.21
1999-2000	70.00	160.00
2000-2001	85.00	161.12
2001-2002	95.00	155.00
2002-2003	125.8065	123.50
2003-2004	105.00	218.18
2004-2005	170.00	170.00

[हिन्दी]

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में संशोधन

1221. **श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में संशोधन करने और शव-परीक्षण के दौरान कोर्निया को निकालने का प्रावधान करने का प्रस्ताव है ताकि नेत्रहीन व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एच.आई.वी. एड्स पर सी.आई.ए. की रिपोर्ट

1222. **श्री वीरचन्द्र पासवान:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को सी.आई.ए. की एच.आई.वी./एड्स से संबंधित ''नेक्सेट वेव आफ एच.आई.वी./एड्स'' नामक अध्ययन रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें वर्ष 2010 तक भारत में 25 मिलियन लोगों के एच.आई.वी. संक्रमित होने की भविष्यवाणी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का इस अध्ययन से किसी भी स्तर पर कोई संबंध है जो कि एच.आई.वी. के अनुमानित प्रसार को संयुक्त राज्य अमरीका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में उल्लेख करता है;

(ग) क्या रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और गैर-सरकारी संगठनों ने भी इस अध्ययन में भाग लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों और गैर-सरकारी संगठनों के नाम और ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार का किसी भी स्तर पर इस अध्ययन से कोई सरोकार नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस अध्ययन में किसी भारतीय वैज्ञानिक अथवा गैर-सरकारी संगठन के शामिल होने की जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को निजी क्षेत्र में आरक्षण

1223. **श्री पंकज चौधरी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) तक प्रश्न नहीं उठते।

यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड

1224. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड सृजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कोष में वार्षिक रूप से औसत कितनी धनराशि जमा की जा रही है;

(ग) वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान इस कोष से अलग-अलग कितनी धनराशि का संवितरण किया गया;

(घ) वर्ष-वार ऐसे कितने गांव हैं जहां उपरोक्त अवधि के दौरान इस कोष से धन प्राप्त करने वाली एजेंसियों द्वारा दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) ग्रामीण टेलीफोनी की स्थापना हेतु औसत रूप से प्रति गांव कितनी धनराशि खर्च की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान क्रमशः 300 करोड़ रुपए तथा 200 करोड़ रुपए की राशि निधि में जमा की गई।

(ग) और (घ) 2002-03 और 2003-04 के दौरान, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के संबंध में 300 करोड़ रुपए तथा 200 करोड़ रुपए की समस्त राशि क्रमशः 5.02 लाख तथा 5.13 लाख गांवों में वितरित कर दी गई।

(ङ) वर्ष 2003-04 में ग्रामीण टेलीफोन स्थापित करने के लिए एक टेलीफोन सेवा प्रदाता द्वारा प्रति गांव खर्च की गई औसत राशि लगभग 54,000 रुपए थी।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ संबंध

1225. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने का अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अब तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) पड़ोसी देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के देशवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

नेपाल

सरकार नेपाल के साथ हमारे संबंधों को उच्च प्राथमिकता देती है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों का सुदृढ़ता और ठोस आधार प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिसमें उच्च स्तर पर जारी संपर्क और भारत और नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अक्सर होने वाले और आवधिक संपर्क शामिल है। प्रभार ग्रहण करने के पश्चात विदेश मंत्री की पहली विदेश यात्रा नेपाल में थी (जून 2004)। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा (8-12 सितम्बर, 2004) से सुरक्षा संबधी मुद्दों, व्यापार और आर्थिक मुद्दों और जल संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग सहित पारस्परिक हित के अनेक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस यात्रा के दौरान चार दस्तावेज सम्पन्न हुए, जो इस प्रकार हैं—संस्कृति और खेल के क्षेत्र में समझौता; मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता; भारतीय मानक ब्यूरो और नेपाल मानक ब्यूरो के बीच समझौता; रक्सौल (भारत) और अमलेखगंज (नेपाल) के बीच तेल पाइपलाइन के निर्माण हेतु इंडियन आयल कारपोरेशन और नेपाल आयल कारपोरेशन के बीच समझौता। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री ने नेपाल में अपनी यात्रा (30 नवम्बर-1 दिसम्बर, 2004) के दौरान नेपाल के प्रधान मंत्री और नेपाल में अपने समकक्ष से मुलाकात की जिसमें पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा हुई।

भूटान

सरकार भूटान के साथ हमारे संबंधों को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ता और ठोस आधार प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिसमें उच्च स्तर पर जारी संपर्क और भारत और नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अक्सर होने वाले और आवधिक संपर्क शामिल है।

भूटान के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में भूटान के विदेश मंत्री ल्योनपो खाण्डु वांगचुक की दिल्ली यात्रा (जुलाई, 2004), विदेश मंत्री की यात्रा (12-13 अक्तूबर, 2004) और विदेश राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह की भूटान यात्रा शामिल है। महामहिम भूटान नरेश की 24 से 29 नवम्बर, 2004 के बीच भारत की कार्यसाधक यात्रा से जल विद्युत क्षेत्र को विशेष बल देते हुए पारस्परिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए हमारे सकल द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अक्तूबर 2004 में परियोजना कार्यान्वयन पद्धति पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।

बंगलादेश

भारत के साथ बंगलादेश के संबंध सौहार्दपूर्ण और व्यापक हैं। दोनों देश विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से संपर्क बनाए रखते हैं। बंगलादेश के प्रधानमंत्री ने जुलाई 2004 को बैंकाक में हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात की; बंगलादेश के विदेश मंत्री ने अप्रैल और नवम्बर, 2004 में दो बार भारत की यात्रा की; बंगलादेश के वाणिज्य मंत्री ने नवम्बर 2004 में दिल्ली की यात्रा की।

भारत और बंगलादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और यह एक बिलियन अमेरिकी डालर का आंकड़ा पार कर गया है। टाटा सहित कुछ भारतीय कंपनियां बंगलादेश में निवेश की संभावनाओं का पता लगा रही हैं।

श्रीलंका

श्रीलंका के साथ राजनैतिक व आर्थिक संबंध और प्रगाढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अनेक उच्च स्तरीय यात्राओं को अंजाम दिया गया है। पिछले छः महीने के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता ने भारत की यात्रा की। एक ऐसे समेकित आर्थिक भागीदारी के समझौते को संपन्न करने की कार्रवाई चल रही है जिससे द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते का आर्थिक सहयोग स्वरूप व्यापक और गहन होगा। एक रक्षा सहयोग समझौते को भी संपन्न करने की कार्रवाई चल रही है।

मालदीव

मालदीव के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं। नियमित रूप से उच्च स्तरीय संपर्क स्थापित किए जाते रहे हैं।

भारत बुनियादी संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार हेतु मालदीव की सहायता कर रहा है। भारत मानव संसाधन विकास और जन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी मालदीव का सहयोग कर रहा है।

पाकिस्तान

भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के साथ पारस्परिक विश्वास निर्माण, वार्ता और सहयोग के जारी प्रयासों को सघन करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। समेकित वार्ता का एक दौर (फरवरी-सितम्बर 2004) सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत द्वारा पारस्परिक विश्वास के निर्माण; विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदानों और वाणिज्यिक व आर्थिक संबंधों के संवर्द्धन हेतु विभिन्न प्रस्ताव रखे गए। दोनों पक्ष समान सहमति वाले क्षेत्रों और भावी सहयोग के क्षेत्रों का निर्धारण कर चुके हैं। इस प्रक्रिया को उच्च स्तरीय राजनैतिक संपर्कों द्वारा बढ़ाया गया है जिसमें 24 सितम्बर 2005 को न्यूयार्क में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच मुलाकात और विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच नियमित संपर्क शामिल है। 23-24 नवम्बर 2004 के बीच सार्क के अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा से द्विपक्षीय क्षेत्र में प्रगति हुई है। सरकारी आतंकवाद और हिंसा से रहित परिवेश में वार्ता प्रक्रिया को जारी रखने की मंशा रखती है।

चीन

सरकार भारत-चीन संबंधों को अत्यंत महत्व देती है, और संबंध सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण की प्रक्रिया को चलायमान रखने तथा पंचशील के सिद्धांतों, आपसी सम्मान और एक-दूसरे के मामलों के प्रति अतिसंवेदनशीलता तथा अपेक्षाओं और समानता के आधार पर चीन के साथ दीर्घकालीन रचनात्मक और सहयोगात्मक साझेदारी को आगे भी विकसित करने के लिए वचनबद्ध है। साझेदारी में गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए व्यापक वार्ता तंत्र सुस्थापित किए गए हैं। लगातार उच्च-स्तरीय विचार-विमर्शों से आपसी विश्वास और मनोबल बनाने में मदद मिली है। विएनशाने में 30 नवम्बर, 2004 को हुए आसियान सम्मेलन के अंतरालों में चीनी प्रीमियर के साथ प्रधानमंत्री की एक निर्णायक बैठक हुई थी।

दोनों पक्षों के संयुक्त प्रयासों से भारत-चीन सहयोग व्यापक क्षेत्रों में फैल गया है और यह बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे संबंध को अत्यंत स्थायित्व प्राप्त हुआ है। उदाहरणस्वरूप, हमारा द्विपक्षीय व्यापार नौवें दशक के पूर्व में लगभग 200 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2003 में 7.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया और इस वर्ष इसके 12 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाने की आशा है। द्विपक्षीय आर्थिक आदान-प्रदान को और अधिक बढ़ाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल पूरक क्षेत्रों की तलाश कर रहा है। इसके साथ-साथ अपने संबंधों की परिरेखा को

चिन्हित किए बिना हमने सही, उचित और आपसी तौर पर स्वीकार्य तरीके से अपने विवादों को निपटाने पर अपनी सहमति जताई है। हम भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव बनाए रखने में सफल रहे हैं। सीमा समस्या संबंधी विशेष प्रतिनिधियों सीमा निपटान का राजनीतिक स्वरूप तलाशने के लिए अपनी वार्ताओं को निरंतर जारी रखा है।

म्यामां

भारत सरकार ने म्यामां सरकार के साथ उच्च-स्तरीय राजनीतिक संबंध बनाए रखा है जो म्यामां के राज्य प्रमुख सीनियर जनरल थान स्वे के अक्तूबर 2004 के भारत के राजकीय दौरे से चरम पर पहुंच गया। भारत सरकार ने सीमा पार आधारभूत परियोजनाओं को विकसित कर आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ करने की इच्छा जाहिर की है और 2006 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 1 बिलियन डालर तक करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चैम्बर आफ कामर्स के साथ काम कर रही है। लोगों के बीच आपसी संबंधों को विकसित करने के लिए संस्कृति के क्षेत्र में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ है।

सरकार ने म्यामां सरकार से एक वचनबद्धता हासिल की है कि वह अपने क्षेत्र से भारत के विरुद्ध घुसपैठिया गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा। 25 अक्तूबर 2004 को दोनों देशों के बीच गैर-परम्परागत सुरक्षा मामलों के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्ष मादक पदार्थों की तस्करी तथा हथियार की तस्करी सहित सीमा पार के अपराधों को रोकने में सहयोग देने पर सहमत हुए हैं। पश्चिमी म्यामां के साथ पूर्वोत्तर भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सम्पर्क स्थापित करने तथा बिजली रेलवे और सड़क के क्षेत्रों में आधारभूत परियोजनाओं को चलाने से इन क्षेत्रों में विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

इस संबंध में तमन्थी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर एक समझौता ज्ञापन अक्तूबर 2004 में हस्ताक्षरित हुआ था। द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधी संयुक्त कार्य दल की रिपोर्ट भी अक्तूबर 2004 में रिलीज की गयी है और इसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है। दोनों देशों ने भारत-आसियान सम्मेलन की रूपरेखा तथा बी आई एम एस टी-ई सी जैसे क्षेत्रीय मंचों के साथ-साथ बहुपक्षीय महत्व के मामलों में सहयोग को भी बढ़ाया है। म्यामां ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के भारत के दावे को अपना समर्थन जताया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में एमटीएनएल योजना

1226. **श्री सूरज सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली में "नान ओ वाई टी सामान्य श्रेणी में आवेदन करें और कनेक्शन प्राप्त करें" योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें न्यूनतम कितना समय लिया जाता है और अधिकतम कितने दिनों की प्रतीक्षा करनी होती है;

(ग) समयावधि में इस अंतर के क्या कारण हैं और वर्ष 2004 में योजना का माह-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) मांग पर कनेक्शन उपलब्ध कराने अथवा अगले दिन कनेक्शन सेवा कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ङ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा निजी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) एमटीएनएल, दिल्ली में नान-ओ वाई टी लैण्डलाइन कनेक्शन सामान्यत: पंजीकरण के तीन दिन के भीतर प्रदान किए जा रहे हैं।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। योजना का माह-वाह ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जहां उपभोक्ता उपलब्ध नहीं हैं या परिसर बंद है आदि जैसी कुछ स्थितियों को छोड़कर, एमटीएनएल पंजीकरण के 7 दिनों के भीतर नए लैण्डलाइन टेलीफोन प्रदान करने संबंधी "ट्राइ" के मानदण्डों को पूरा करने का प्रयत्न करता है।

(ङ) एमटीएनएल ने निजी बुनियादी सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने हेतु बेहतर ग्राहक सेवा, अपने नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण, वहनीय दरों पर नई सेवाएं उपलब्ध कराना और टैरिफ में संशोधन आदि जैसे कई कदम उठाए हैं।

विवरण

दिल्ली में एमटीएनएल योजना

माह	प्रदान किए गए लैण्डलाइन कनेक्शन
अप्रैल, 2004	10489
मई, 2004	12039
जून, 2004	11376
जुलाई, 2004	13812
अगस्त, 2004	12500
सितंबर, 2004	11743
कुल	83565

मानसिक अपंगता

1227. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ बच्चे मानसिक रूप से अपंग पैदा होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रसव पूर्व अवस्था में मानसिक अपंगता के कारणों की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) 1-14 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 2 प्रतिशत बच्चों की जनसंख्या विकास देर से होने के कारण प्रभावित होती है।

(ख) विदित कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. आनुवंशिक पहलू
2. प्रसव पूर्व पहलू
3. शैशवकाल संबंधी पहलू

(ग) जिन कारणों से मानसिक मन्दता होती है, उनकी सरकार द्वारा प्रसवपूर्व अवस्था में जांच करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

1. विवाह की आयु में वृद्धि करना।
2. एम.एम.आर. वैक्सीन की व्यवस्था।
3. प्रसवपूर्व परिचर्या की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना।
4. संस्थानिक प्रसवों को बढ़ावा देना।
5. जन्मों के समय दक्ष परिचर सुनिश्चित करना।
6. अनिवार्य नवजात परिचर्या की व्यवस्था।
7. आयोडीकृत नमक के उपयोग को बढ़ावा देना।

कृषि क्षेत्र में निवेश

1228. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने राज-सहायता को लाने और कृषि क्षेत्र की क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से पूंजी निवेश में वृद्धि करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मधुमेह

1229. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मधुमेह रोगियों की संख्या के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो 20 वर्ष से कम और 20 से 40 वर्ष तक आयु वर्ग के लोगों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मधुमेह के कारण जन्म के सम कम वजन (जन्म के समय 2.25 किलोग्राम से कम) वाले रोगियों की संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त आयु वर्ग में पुरुषों और महिलाओं में आयु वर्गवार मुधमेह से पीड़ित होने वालों का आयु वर्ग-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मधुमेह नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में मधुमेह की व्याप्तता के संबंध में कई अध्ययन किए गए हैं। अस्सी के दशक की शुरुआत में किए गए अध्ययनों के अनुसार शहरी क्षेत्र में मधुमेह की व्याप्तता की दर लगभग 3-4% थी। अब यह समस्त शहरी वयस्कों में बढ़कर 12% हो गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह की व्याप्तता अपेक्षाकृत कम अर्थात लगभग 3% है। इसके अतिरिक्त, अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि शहरी भारत में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टालरेंस की व्यापतता 15-2[illegible]% के बीच है। राष्ट्रीय आधार पर किया गया नवीनतम अध्ययन भारत

में डायाबिटिज एपिडेमियोलोजी स्टडी ग्रुप द्वारा किया गया "नेशनल अर्बन डायाबिटिज सर्वे", (एन.यू.डी.एस.) है। इस अन्तिम अध्ययन से पता चलता है कि शहरी क्षेत्र में मधुमेह की समग्र व्याप्तता दर 12.1% और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टालरेंस (सामान्य और डायबिटिज के मध्य की अवस्था जिसमें डायाबिटिज के बढ़ने की उच्च सम्भावना रहती है) का दर 14% है। एन.यू.डी.एस. में मधुमेह की व्याप्तता का आयुवार ब्यौरा इस प्रकार है:

20-29 वर्ष	-	2.4%
30-39 वर्ष	-	7%
40-49 वर्ष	-	16.5%
50-59 वर्ष	-	26.3%
60-69 वर्ष	-	26.1%
69 वर्ष	-	25.9%

मधुमेह की व्याप्तता महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक रही जबकि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टालरेंस की व्याप्तता सभी आयु वर्ग की महिलाओं और पुरुषों में एक समान रही। इस अध्ययन में मधुमेह के रोगियों की संख्या में असमान वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है। तथापि, अनियन्त्रित मधुमेह की स्थिति में गर्भावस्था के परिणामस्वरूप बड़े आकार के बच्चे पैदा होते हैं और प्रसव तथा प्रसूति संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संशोधित अनुमान के अनुसार, भारत में मधुमेह के 32 मिलियन रोगी हैं और यह प्रेक्षेपित है कि भारत में 2030 तक विश्व में सर्वाधिक मधुमेह रोगी (80 मिलियन) होंगे।

(घ) मधुमेह का उपचार ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली तथा शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के सभी स्तरों पर किया जाता है। चूंकि मधुमेह जीवनशैली से संबंधित रोग है। इसलिए देश में बच्चों तथा वयस्कों में मधुमेह के नियंत्रण के लिए निवारक जीवन शैली अपनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन कार्यकलापों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के माध्यम सहित सरकार के सूचना, शिक्षा तथा संचार कार्यकलापों के माध्यम से जोर दिया जाता है।

विदेशों में अवैध प्रव्रजन

1230. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंग्डम, कनाडा और दूसरे देशों में अवैध तरीके से प्रवेश करने में सहायता देने का वायदा कर लोगों को धोखा देने के संबंध में विभिन्न दूतावासों से बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की रिपोर्ट मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न दूतावासों से प्राप्त शिकायतों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवैध व्यापार में बड़े संगीतकार/गायक/नकली खेलकूद क्लब संलिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो विदेशों में अवैध प्रव्रजन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों/पोस्टों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किए गए ब्यौरे वाला एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

(ग) ऐसी कथित संलिप्तता के कुछ मामलों की सूचना मिली है।

(घ) विदेशों में गैर-कानूनी प्रव्रजन को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों द्वारा छानबीन; गैर-कानूनी प्रव्रजन में संलिप्त एजेंण्टों सहित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई; गैर-कानूनी प्रवासियों की भारतीय राष्ट्रीयता सुनिश्चित करने के बाद उनके प्रत्यर्पण के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग; तथा गैर-कानूनी प्रवासियों की पासपोर्ट सुविधा को प्रतिबंधित करना शामिल हैं।

विवरण

विगत कुछ वर्षों के दौरान विदेश स्थित कई भारतीय मिशनों/पोस्टों ने मंत्रालय को भारतीय राष्ट्रिकों के कई मामलों की जानकारी दी है जिसके अनुसार भारतीय राष्ट्रिक निजी तौर पर या समूह के रूप में अवैध या कपटपूर्ण तरीके से पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमरीका के देशों में प्रव्रजन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में लोगों को अमरीका, इंग्लैंड, कनाडा तथा अन्य देशों में घुसने के लिए अवैध रूप से सहायता कर उन्हें ठगने के मामले भी शामिल हैं। इन अवैध प्रवासियों में से अधिकांश पंजाब के हैं। वे मुख्यत: आर्थिक कारणों से अवैध प्रव्रजन करना चाहते हैं और बेईमान एजेंटों एवं दलालों के द्वारा अक्सर ठगे जाते हैं, जिन्हें वे भारी राशि अदा करते हैं। इन अवैध प्रवासियों को रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों, जिन्हें अवैध प्रव्रजन के उद्देश्य से पारगमन देशों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, से होकर पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमरीका के विकसित देशों में ले जाया जाता है। सुविधाजनक

पारगमन मार्गों को बदला जाता रहता है। ऐसी गतिविधियों के लिए सामान्य चलन यह है कि भारत छोड़ने के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपना यात्रा दस्तावेज खो देते हैं या नष्ट कर देते हैं जिससे कि वे अपनी वास्तविक पहचान/राष्ट्रीयता की स्थिति के सत्यापन और भारत में अपने प्रत्यर्पण को रोक सकें। अपने गन्तव्य देश में पहुंचने के बाद वे या तो किसी आधार पर राजनीतिक संरक्षण अथवा शरणार्थी की हैसियत पाने के लिए आवेदन करते हैं या दूसरी तरफ अथवा किसी रूप में जाली/नकली यात्रा दस्तावेज हासिल कर लेते हैं जिससे गन्तव्य देश में रहने का अधिकार प्राप्त कर सके। वे स्थानीय कानून व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाते हैं, जिसके अंतर्गत नागरिकता हासिल करने के लिए वे स्थानीय नागरिक से शादी कर लेते हैं, जिससे कि स्थायी रूप से वहां रहने के अंतिम लक्ष्य के साथ वे गंतव्य देश में अपने प्रवास को बनाए रख सकें। हालांकि, कई ऐसे अवैध प्रवासी पकड़े जाते हैं और विदेशी जेलों में कैद कर दिए जाते हैं।

2. अवैध प्रव्रजन बड़ी मात्रा में विकासशील एवं अल्प विकसित देशों से पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के विकसित देशों में हो रहा है। हालांकि, 9/11-उत्तरार्द्ध परिदृश्य में यूरोपीय और उत्तरी अमरीका के देशों, जो अवैध प्रव्रजन के सर्वाधिक प्रिय गंतव्य रहे थे, ने अपने नियमों को अत्यंत कठोर बना दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि न केवल अवैध प्रवासियों के रूप में इन देशों में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है, वरन इन देशों में अवैध प्रवासियों को अपने गृह देशों में वापिस भेजना शुरू कर दिया है।

3. भारत से विश्व के विभिन्न देशों, विशेषकर पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमरीका तथा पूर्वी यूरोप के पारगमन देशों में भी अवैध प्रव्रजन जारी है। एजेंटों और दलालों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, क्योंकि अवैध प्रवासी अपने गन्तव्य तक पहुंचने के लिए अवैध तरीकों सहित समस्त साधन अपनाना चाहते हैं।

4. केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारें अवैध प्रव्रजन में संलिप्त एजेंटों एवं दलालों का पता लगाने और उनके विरुद्ध समस्त आवश्यक उपाय करने का कार्य करती रही हैं। सरकार भारतीय अवैध प्रवासियों के तीव्र प्रत्यर्पण के लिए दूसरे देशों के साथ सहयोग भी करती आ रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-9 का विस्तार

1231. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में मछलीपत्तनम को समुद्री पोत के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामान को लादने/उतारने के लिए वर्तमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-9 का कोनेरू केन्द्र से मछलीपत्तनम तक विस्तार किए जाने की तुरन्त आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अध्ययन किया गया तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस मार्ग पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में छोटे पत्तन, मछलीपत्तनम-पत्तन को विकसित करने की जिम्मेदारी, आंध्र प्रदेश-सरकार की है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 का कोनेरू केन्द्र से मछलीपत्तनम-पत्तन तक विस्तार किए जाने के बारे में उपर्युक्त राज्य-सरकार से कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है।

इन्फ्लूएंजा के लिए टीका

1232. श्री एम. अप्पादुरई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "इन्फ्लूएंजा" एक संक्रमणीय रोग है जो एक अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है तथा विश्व में प्रतिवर्ष इससे लाखों लोगों की मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या हमारे देश में, विशेषकर सरकारी अस्पतालों में इस रोग के लिए कोई टीका उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा सूचित किए गए अनुसार इन्फ्लूएंजा को मानवजाति की एक अविजित महाविपत्ति समझा गया है। क्योंकि इससे बारम्बार महामारियां और समय-समय पर देशान्तरगामी महामारियां होती हैं। अनुमान है कि विश्व भर में इन्फ्लूएंजा महामारियों के कारण वर्ष में 0.5 से 1 मिलियन व्यक्ति मर जाते हैं।

इन्फ्लूएंजा के जन स्वास्थ्य महत्व को समझते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक इन्फ्लूएंजा देशान्तरगामी महामारी की संभावित पुनरावृत्ति के लिए योजना बनाने में मदद करने और मौसमी महामारियों के फैलाव और गम्भीरता को सीमित रखने की नियंत्रण विधि तैयार करने हेतु विश्व भर में राष्ट्रीय इन्फ्लूएंजा केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में इससे सार्वभौमिक, इन्फ्लूएंजा स्थिति, वर्तमान वैक्सीनों और एंटिवायरल पर अद्यतन रिपोर्टों का प्रचार-प्रसार करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्लूनेट स्थापित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में निगरानी के लिए राष्ट्रीय इन्फ्लूएंजा केन्द्र के रूप में तीन केन्द्रों अर्थात राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे, हाफकिन संस्थान, मुम्बई और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली की पहचान की है। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने देश में मानव इन्फ्लूएंजा वाइरस की बहुस्थलीय मानीटरिंग करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें देश के भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में तीव्र श्वसनी संक्रमणों वाले रोगियों में व्याप्त मानव इन्फ्लूएंजा वाइरस स्ट्रेनों की विशेषता बताने के उद्देश्य से देश में महामारी विज्ञानी और विषाणु विज्ञानी निगरानी शुरू करने का प्रस्ताव है।

वर्तमान में उपलब्ध इन्फ्लूएंजा वैक्सीन तीन प्रकार हैं:

इनएक्टिवेटिड वाइरस से युक्त सम्पूर्ण वाइरस वैक्सीनें, स्प्लिट वैक्सीनें और सब यूनिट वैक्सीनें स्वस्थ वयस्कों में इन्फ्लूएंजा वैक्सीनें लगभग 50-80 प्रतिशत की सुरक्षा दर प्राप्त करती हैं। तथापि इन्फ्लूएंजा ए वाइरस में उनके सरफेस एंटिजनों में बारम्बार बदलाव हो जाता है। परिणामस्वरूप, इन्फ्लूएंजा से बचाव के लिए नई वैक्सीन परिचालित स्ट्रेनों, जिनके द्वारा अगली महामारी फैलने की अधिक संभावना रहती है, ये मैच करने के लिए हर वर्ष इन्फ्लूएंजा से बचाव के लिए नई वैक्सीन अवश्य तैयार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, वैक्सीन हर वर्ष दिए जाने की जरूरत है और प्रत्येक खुराक की लागत लगभग 600 रुपये है। परिणामस्वरूप, औद्योगिक देश में भी जोखिम वाली जनसंख्या के काफी बड़े भाग को इन्फ्लूएंजा वैक्सीन नहीं मिलती है।

महिला डाक्टरों का सेमिनार

1233. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संघ 11 और 12 दिसम्बर, 2004 को पूरे देश में महिला डाक्टरों का दो-दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सेमिनार की मुख्य कार्यसूची क्या है; और

(ग) इस सेमिनार में भाग लेने हेतु प्रत्येक राज्य से आमंत्रित महिला डाक्टरों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नई दिल्ली में 11-12 दिसम्बर, 2004 को महिला डाक्टरों की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार, इस संगोष्ठी में 600 से अधिक प्रमुख महिला डाक्टरों के भाग लेने की आशा है। इस संगोष्ठी की कार्यसूची इस प्रकार है:

* सुरक्षित मातृत्व-संस्थागत प्रसव।
* सुरक्षित यौन-किशोर (सेक्स-एडोलेसेंट) स्वास्थ्य।
* महिला भ्रूणहत्या।
* रक्तअल्पता के विरुद्ध अभियान।
* सुरक्षित गर्भपात तथा महिलाओं के लिए ज्ञात गर्भनिरोधकों का विकल्प, और
* सुरक्षित जुझारू-जीवन, बाल अपराध, बलात्काल, घरेलू हिंसा और अनैतिक व्यापार।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सूचना के अनुसार अब तक दिल्ली के बाहर के 250 डाक्टरों ने इस संगोष्ठी में भाग लेने की पुष्टि की है।

[हिन्दी]

गुरू जल संयंत्रों में उत्पादन

1234. **श्री रामदास आठवले:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुरू जल संयंत्रों में हो रहा उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र का वास्तविक उत्पादन और स्थापित क्षमता क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं। असल में, भारी पानी के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य, पिछले तीन वर्षों में हर साल वस्तुतः बढ़ गया था।

(ख) यह लागू नहीं होता।

(ग) चूंकि भारी पानी एक सामरिक महत्व की वस्तु है, अतः वास्तविक उत्पादन के आंकड़े बताए नहीं गए हैं। परिचालनरत भारी पानी संयंत्रों की क्षमताएं नीचे दी गई हैं:

संयंत्र	क्षमता
मानुगुरू	185 मीटरी टन
कोटा	80 मीटरी टन
हजीरा	80 मीटरी टन
थाल	78 मीटरी टन
तूतीकोरिन	49 मीटरी टन

(घ) यह लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

अध्ययन अवकाश

1235. **डा. टोकचोम मैन्या:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को जो एम.डी./एम.एस. जैसी स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अभी भी मात्र 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश दिया जा रहा है जबकि ऐसे पाठ्यक्रमों की अवधि पहले ही बढ़ा कर तीन वर्ष कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पांचवों वेतन आयोग ने भी अध्ययन अवकाश को बढ़ाकर तीन वर्ष करने की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) पांचवें वेतन आयोग ने डाक्टरों के अध्ययन अवकाश की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किए जाने की सिफारिश की थी क्योंकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधि बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गयी है। इस मामले की जांच इस मंत्रालय में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग के परामर्श से की गयी। इस तथ्य के आलोक में कि सभी पी.एच.डी./ पी.जी. पाठ्यक्रम अधिकतम 36 माह की अवधि के हैं और किसी अधिकारी को देय अन्य प्रकार के अवकाश के साथ-साथ 24 माह के अध्ययन अवकाश सहित 36 माह का अवकाश मान्य है और 36 माह का यह अवकाश ऐसे पाठ्यक्रम के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि डाक्टरों के लिए वर्तमान दो वर्ष के अध्ययन अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष न किया जाए।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दूरसंचार नेटवर्क

1236. **डा. सत्यनारायण जटिया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 2004-05 हेतु दूरसंचार सेवाओं के नेटवर्क को विकसित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रणालियों के प्रकार स्थानवार क्या हैं जिनके माध्यम से ऐसी सेवाएं मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच शाजापुर और देवदास जिलों में दी जा रही हैं;

(ग) उज्जैन और रतलाम के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की प्रतीक्षा सूची में स्थान-वार कितने व्यक्ति शामिल हैं तथा वे कब से प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) इस प्रतीक्षा सूची की कब तक समाप्त होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) मध्य प्रदेश में वर्ष 2004-05 के लिए दूरसंचार सेवा नेटवर्क के विस्तार हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मद	लक्ष्य (लाइनों की संख्या)	2004-05 में उपलब्धि (31.10.2004 की स्थिति के अनुसार)
1.	तारशुदा कनैक्शन	25,000	16,391
2.	डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) कनैक्शन	1,05,000	35,095
3.	सेल्यूलर मोबाइल कनैक्शन	90,000	4,995

(ख) मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और देवास जिलों में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों से भूमिगत केबल पर 2.5 कि.मी. की रेडियल दूरी तक तारशुदा टेलीफोन कनैक्शनों की व्यवस्था के अतिरिक्त, इन स्थानों पर डब्ल्यूएलएल कनैक्शनों तथा सेल्यूलर मोबाइल कनैक्शनों की योजना संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II पर दी गई है।

(ग) उज्जैन और रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की स्थानवार संख्या तथा सबसे पुराने लंबित आवेदन की तारीख संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) मौजूदा प्रतीक्षा सूची का निपटान मार्च, 2006 तक किए जाने की योजना है।

विवरण I

मध्य प्रदेश में डब्ल्यू एल एल सेवा की विकास योजना

क्र.सं.	जिलों का नाम	स्टेशन का नाम	मौजूदा क्षमता	विस्तार योजना
1	2	3	4	5
1.	देवास	बागली	750	
		खाटेगांव	750	
		सोनकुच	750	
		देवास	-	डब्ल्यूएलएल उपकरण 750 लाइनों की योजना। क्रय आदेश दे दिया गया है।
		कन्नोड	-	डब्ल्यूएलएल उपकरण 750 लाइनों की योजना। क्रय आदेश दे दिया गया है।
2.	मंदसौर	श्यामगढ़	750	
		सातामऊ	750	
		मंदसौर	750	
		भानपुरा	-	डब्ल्यूएलएल उपकरण 750 लाइनों की योजना। क्रय आदेश दे दिया गया है।
3.	नीमच	नीमच	750	
		मानसे	750	
		डिकेन	-	डब्ल्यूएलएल उपकरण 750 लाइनों की योजना। क्रय आदेश दे दिया गया है।
4.	रतलाम	जाओरा	750	
		रतलाम	750	
		सैलाना	-	डब्ल्यूएलएल उपकरण 750 लाइनों की योजना। क्रय आदेश दे दिया गया है।
		एलोट	-	डब्ल्यूएलएल उपकरण 750 लाइनों की योजना। क्रय आदेश दे दिया गया है।

1	2	3	4	5
5.	शाजापुर	अगार	750	
		शाजापुर	750	
		शुजालपुर	750	
		बेरछा		डब्ल्यूएलएल उपकरण 750 लाइनों की योजना। क्रय आदेश दे दिया गया है।
		ससनेर		डब्ल्यूएलएल उपकरण 750 लाइनों की योजना। क्रय आदेश दे दिया गया है।
6.	उज्जैन	खचरोड	750	
		उज्जैन	750	
		माहिदपुर	750	
		बादनगर	–	डब्ल्यूएलएल उपकरण 750 लाइनों की योजना। क्रय आदेश दे दिया गया है।
		तराना	–	डब्ल्यूएलएल उपकरण 750 लाइनों की योजना। क्रय आदेश दे दिया गया है।
		जैठाला	–	डब्ल्यूएलएल उपकरण 750 लाइनों की योजना। क्रय आदेश दे दिया गया है।

विवरण II

मध्य प्रदेश में सीएमटीएस सेवाओं की विकास योजना

क्र.सं.	जिला का नाम	स्टेशन का नाम	मौजूदा क्षमता	विस्तार योजना
1.	देवास	देवास	2600	2400
		सोनकुच		500
2.	मंदसौर	मंदसौर	1300	1700
		पीपलिया		500
3.	नोमच	नीमच	1300	700
		मानसा		500
4.	रतलाम	रतलाम	1300	2700
		जाओरा		500
		एलोट		500
5.	शुजालपुर	शाजपुर	1000	3000
		शुजालपुर		1000
		अगार		500
6.	उज्जैन	उज्जैन	2600	2400
		बाड़नगर		500
		माहिदपुर सिटी		500

विवरण III

रतलाम गौण स्विचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	कुल प्रतीक्षा सूची	लंबित आवेदन की सबसे पुरानी तारीख (दि/मा/वर्ष)
1	2	3	4
1.	अम्बा	1	13.09.04
2.	असावटी	65	26.08.04
3.	धोधड़	13	06.03.03
4.	गौंधियाधारमासी	2	12.02.04
5.	हसनपालिया	1	01.06.04
6.	हटपीपलिया	2	17.03.04
7.	कालूखेड़ा	1	02.04.04
8.	लौड	23	08.04.04
9.	ममतखेड़ा	6	27.05.03
10.	मेवाटा	32	03.09.03
11.	पंचेवा	12	25.12.03
12.	पीपलियाजोधा	4	10.04.04
13.	रिंगनोड	18	02.08.03
14.	रियावां	8	28.05.03
15.	सार्सी	2	15.02.03
16.	सुखेडा	35	06.02.04
17.	जमुनिया शंकर	8	26.07.04
18.	कशारी चौहान	33	03.08.04
19.	खार्वाकलां	49	07.01.04
20.	मंडावल	49	31.07.04
21.	नागेश्वर	48	09.05.04
22.	पीपलिया जोधा	10	24.07.04
23,	पाटन	29	21.02.02
24.	शेरपुर खुर्द	35	07.07.04

1	2	3	4
25.	बराओदाना	13	19.12.02
26.	बेर्छा	5	01.05.04
27.	इटावामटाजी	38	10.07.04
28.	पलसोडा	7	10.02.03
29.	शिवपुर	9	13.03.03
	कुल	558	

उज्जैन गौण स्विचन क्षेत्र की ग्रामीण प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	कुल प्रतीक्षा सूची	लंबित आवेदन की सबसे पुरानी तारीख (दि/मा/वर्ष)
1	2	3	4
1.	बाड़नगर मेन	396	09.04.01
2.	खारसौड खुर्द	6	01.06.02
3.	नावदा	18	07.01.03
4.	अम्बोडिया	3	26.05.03
5.	घाटिया	278	06.04.01
6.	गोयला बुजुर्ग	1	05.03.02
7.	कालूहेडा	11	16.02.04
8.	पनबिहार	13	29.07.02
9.	रामगढ़	1	23.04.02
10.	अकया जागीर	1	20.07.04
11.	बड़ागांव	15	02.06.02
12.	बेर्छा	5	22.07.04
13.	भेनसोला	2	23.06.04
14.	बोरखेडापीतराम	1	08.03.04
15.	चिरौला (केसीडी)	7	17.09.01
16.	घिनौडा	8	26.02.04
17.	कामथाना	6	25.02.02
18.	खाचरोड	469	13.08.01
19.	मडावाडा	3	23.01.04
20.	पाचलासी	1	13.08.01
21.	रुपेटा	3	13.08.01
22.	उनहेला-रोड	1	13.03.03
23.	झुठावाड	1	25.01.03
24.	माहिदपुर-सिटि	215	03.04.01
25.	ढाबला हारडू	4	12.03.03
26.	रुपा-खेड़ी	1	03.01.03
27.	सूमरा-खेड़ा	2	12.12.02
28.	तराना	249	11.12.02
29.	बाडकुमेड	15	06.12.03
30.	चन्दू खेड़	1	20.02.02
31.	दाताना-मताना	10	31.01.02
32.	द्वारकाधीश	1	27.12.02
33.	खमेसा	1	31.01.04
34.	उज-भरतपुरी	220	27.07.01
	कुल	1969	

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग द्वारा उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

1237. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान खादी ग्रामोद्योग (के.वी.आई.सी.) द्वारा उड़ीसा के विभिन्न गांवों में कितने ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की गयी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार राज्य में पंजीकृत ग्रामीण उद्योगों/इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) लाभ और हानि के संदर्भ में राज्य में इन उद्योगों/इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या घाटे में चल रहे उद्योगों/इकाइयों को सहायता देने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न उद्योगों/इकाइयों को प्रदान की गयी सहायता का ब्योरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा राज्य में खादी ग्रामोद्योग के क्रियाकलापों को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) वर्ष 2003-04 के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के अंतर्गत उड़ीसा में 1031 ग्रामोद्योगों की स्थापना की गयी तथा उनका संवर्धन किया गया एवं उन्हें सहायता दी गयी।

(ग) लाभ कमाने वाली/हानि वाली इकाइयों के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, ग्रामोद्योगों इकाइयों की निरंतर आधार पर जीवनक्षमता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडाईज्ड दरों पर उत्पादन गुणवत्ता परीक्षण, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, बिक्री आउटलैटस के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए सहायता, पैकेजिंग एवं डिजाईन सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता, विपणन, ब्राण्ड बिल्डिंग, प्रचार, आदि के लिए सहायता जैसे-प्रोत्साहन केवीआईसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ताकि ग्रामोद्योगों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) 2004-05 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना में 829 लाख रुपये की मार्जिन मनी सहायता के साथ उड़ीसा में 728 नयी ग्रामोद्योग परियोजनाओं की स्थापना किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई डी पीज), जागरूकता कैम्पों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, आदि के माध्यम से बैकवर्ड-फार्वर्ड लिंकेज भी प्रदान किए जाने के प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्य न करना

1238. **मो. मुकीम:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर और गोंडा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सजेंच कार्य नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को काफी परेशानियां उठाना पड़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर और गोंडा के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु निधियां

1239. **श्री सुशील कुमार मोदी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से बिहार को निधियां आवंटित की थीं;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में इन निधियों को खर्च नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो खर्च न की गयी निधियों का योजनावार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है तथा उपलब्ध होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

दूरसंचार के क्षेत्र में फ्रांस के साथ सहयोग

1240. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस ने दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) 21 जनवरी, 1998 को संचार मंत्रालय, भारत सरकार और उद्योग मंत्रालय, फ्रांस सरकार के बीच दूरसंचार के क्षेत्र में परस्पर सहयोग करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों पक्ष दूरसंचार की प्रणालियों पर जानकारी एवं सुविज्ञता के आदान-प्रदान करने और निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग देने पर सहमत हुए:

(1) विनियमन,

(2) नेटवर्क तथा सेवाएं,

(3) अनुसंधान और विकास

(4) फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबन्धन; और

(5) अन्य कोई भी क्षेत्र जिस पर दोनों पक्षों के बीच समय-सम्य पर सहमति हो।

(ग) सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करते हुए, हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्य ढांचे के तहत अक्टूबर 1998 में एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया था। संयुक्त कार्य दल नियमित रूप से बैठक आयोजित करता है।

[अनुवाद]

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की गिरीडीह परियोजना को बंद किया जाना

1241. श्री टेक लाल महतो: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की गिरीडीह परियोजना के अंतर्गत कोयला संयंत्र काफी लम्बे समय से बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हार्ड कोक की भारी मांग है तथा यह संयंत्र काफी मात्रा में लाभ अर्जित कर सकता है और काफी संख्या में रोजगार सृजित कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत कोक ओवन संयंत्र जून, 1999 से प्रचालन में नहीं है।

(ख) कोक ओवन संयंत्र को बन्द करने का निर्णय निम्नलिखित आधार पर किया गया था:

(1) उत्पादन की उचच लागत

(2) अपेक्षित कोकिंग कोयले की अनुपलब्धता।

(ग) और (घ) हार्ड कोक की मांग है किन्तु अपेक्षित कोकिंग कोयले की अनुपलब्धता तथा उत्पादन की उच्च लागत होने के कारण, गिरीडीह कोक ओवन संयंत्र को जून, 1999 में बन्द कर दिया गया था। उक्त मांग के बावजूद संयंत्र में उत्पादन का पुनरारम्भ ऊपर उल्लिखित कारणों से किफायती और व्यवहार्य नहीं है।

डब्ल्यूएलएल और जीएसएम सेवाएं शुरू करना

1242. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात के जूनागढ़ जिले में डब्ल्यू.एल.एल. और जी.एस.एम. सेवाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ उक्त जिले में कोई टावर स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त जिले में इन सेवाओं को शुरू करने से कौन-कौन से क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान गुजरात के किन अन्य जिलों में डब्ल्यू.एल.एल. और जी.एस.एम. सेवाएं शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) जूनागढ़ शहर और दीव, केशोड़, कोदीनार, मानवादर, पोरबन्दर, रानावाव, तालाला, ऊना, वेरावल और विश्वादर नामक अन्य कस्बों में मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। जूनागढ़ जिले में 30 डब्ल्यूएलएल टावर स्थापित किए गए हैं।

(ग) जीएसएम सेवाओं की शुरूआत करने से जूनागढ़ जिले के सभी 14 एसडीसीए लाभान्वित हुए हैं। डब्ल्यूएलएल सेवाओं के शुरू करने से जूनागढ़, केशोड, कोदीनार, मानवादर, वेरावल, पोरबन्दर, रानावाव, विश्वादर, तलाला और वान्थली नामक 10 एसडीसीए लाभान्वित हुए हैं।

(घ) गुजरात के सभी जिला मुख्यालयों को बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं द्वारा कवर किया गया है। इस समय 19 जिलों में डब्ल्यूएलएल सेवाएं उपलब्ध हैं तथा शेष 6 जिलों अर्थात् आनन्द, खेड़ा, वलसाड़, नवसारी, दांग और अमरेली में डब्ल्यूएलएल सेवाओं की योजना बनाई गई है तथा वर्ष 2005-06 के दौरान इनके शुरू होने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-34 का उन्नयन

1243. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान आमतौर पर देश में और विशेषकर कर्नाटक में कुल कितने राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन किया गया है;

(ख) कर्नाटक में उन्नयन और मरम्मत कार्यों हेतु जारी की गई निधियों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक में हेबसुर रामनगर के राज्य राजमार्ग सं. 34 के उन्नयन का प्रस्ताव उपरोक्त कार्यों में शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य हेतु आबंटित बजट का ब्योरा क्या है तथा उक्त कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) कर्नाटक सहित देश में वर्ष 2003-04 और 2004-05 में घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि के आबंटन के ब्योरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	2003-04		2004-05	
	विकास (करोड़ रु.)	अनुरक्षण और मरम्मत (करोड़ रु.)	विकास (करोड़ रु.)	अनुरक्षण और मरम्मत (करोड़ रु.)
आबंटन	150.35	38.73	76.00	35.82

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित राज्यीय राजमार्गों के ब्योरे

(1) वर्ष 2003-04 में घोषित

क्रसं.	राज्य का नाम	घोषित रा.रा. की संख्या	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	470
2.	बिहार	3	225
3.	छत्तीसगढ़	2	374
4.	गुजरात	3	410
5.	हरियाणा	2	111
6.	हिमाचल प्रदेश	1	20
7.	झारखंड	1	202
8.	कर्नाटक	2	273
9.	मध्य प्रदेश	3	536
10.	महाराष्ट्र	1	550

1	2	3	4
11.	मणिपुर	1	5
12.	मेघालय	1	93
13.	नागालैंड	1	125
14.	उड़ीसा	4	403
15.	राजस्थान	6	988
16.	तमिलनाडु	4	425
17.	उत्तरांचल	5	916
18.	उत्तर प्रदेश	7	657
19.	पश्चिम बंगाल	3	374
20.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1	300
	कुल	54	7457

(2) वर्ष 2004-05 में घोषित-कोई नहीं।

केंद्रीय रिजर्व निधि (सी आर एफ) द्वारा वित्त-पोषित सड़कें

1244. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:
श्री बची सिंह रावत 'बचदा':

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय रिजर्व निधि (सी आर एफ) के अंतर्गत शामिल सड़कों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) देश में उन परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा क्या है जिनका वित्त-पोषण सी.आर.एफ. से किया जा रहा है;

(ग) क्या उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केंद्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए सन 2000 से अनुमोदित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या और उनकी लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मध्य प्रदेश और मणिपुर राज्य को छोड़कर केंद्रीय सड़क निधि निर्माण कार्यों की प्रगति संतोषजनक पाई गई है।

(घ) और (ङ) इन दो राज्यों में धीमी प्रगति, मध्य प्रदेश में प्रक्रियागत विलंब और मणिपुर में वित्त और विद्रोह की समस्या के कारण है। इन राज्यों से निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

वर्ष 2000 से 30 नवंबर, 2004 तक केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्योरे

क्र.सं.	राज्य	30 नवंबर, 2004 तक अनुमोदित प्रस्ताव	
		संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	148	472.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	67.60
3.	असम	54	105.96
4.	बिहार	46	147.08
5.	चंडीगढ़	8	13.53
6.	छत्तीसगढ़	22	112.02
7.	दादरा व नगर हवेली	8	2.61
8.	दिल्ली	39	73.33
9.	गोवा	5	9.75
10.	गुजरात	452	335.73
11.	हरियाणा	53	162.04
12.	हिमाचल प्रदेश	25	57.59
13.	जम्मू-कश्मीर	38	118.43
14.	झारखंड	7	48.98

1	2	3	4
15.	कर्नाटक	403	314.29
16.	केरल	16	93.64
17.	मध्य प्रदेश	74	336.58
18.	महाराष्ट्र	214	497.71
19.	मणिपुर	9	21.45
20.	मेघालय	17	33.88
21.	मिजोरम	24	20.53
22.	नागालैंड	8	16.83
23.	उड़ीसा	108	124.62
24.	पाडिचेरी	4	8.54
25.	पंजाब	88	195.48
26.	राजस्थान	273	389.83
27.	सिक्किम	11	7.57
28.	तमिलनाडु	552	442.55
29.	त्रिपुरा	6	13.22
30.	उत्तर प्रदेश	59	465.74
31.	उत्तरांचल	49	77.26
32.	पश्चिम बंगाल	14	169.30
33.	अंडमान और निकोबार	2	7.58

नई औषधियों हेतु लाइसेंसिंग नियम

1245. श्री मुनव्वर हसन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास डी.सी.जी.आई. कार्यालय द्वारा विचार किए जाने से पूर्व राजिस्ट्री में सूचीबद्ध होने हेतु नैदानिक परीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डी.सी.जी.आई. कार्यालय द्वारा नई औषधियों के लिए लाइसेंसिंग नियमों को कठोर बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) क्लिनिकल परीक्षणों के अनुमोदन के मानदण्ड औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 122क, 122ख और 122घक के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। क्लिनिक परीक्षण की कोई अलग पद्धति नहीं है जिसे इस पर औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय द्वारा विचार करने से पूर्व रजिस्टरी में सूचीबद्ध किया जा रहा हो।

(ग) नई औषधों से संबंधित लाइसेंसिंग नियम अर्थात औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 122क से ङ में नई औषध प्रयोज्यता के लिए विशिष्ट फार्मेट निर्धारित करने, प्रस्तुत करने हेतु डाटा की अपेक्षाएं निर्धारित करने और विशिष्ट आवेदन शुल्क की व्यवस्था करने की दृष्टि से संशोधन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची, जिसमें नई औषधों के आयात और विनिर्माण के लिए क्लिनिक परीक्षणों संबंधी अपेक्षाएं और दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं, में व्यापक रूप से संशोधन किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन

1246. श्री मुन्शी राम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में 31 मार्च, 2004 तक नेटवर्क विस्तारण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सार्वजनिक टेलीफोनों की जिलेवार संख्या कितनी है तथा कितने टेलीफोन कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस कार्य पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान कुल कितनी धनराशि अर्जित की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के 97,252 गांवों सहित देश में 5,09,682 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन्स (वीपीटी) की सुविधा प्रदान कर दी गई है। देश के संबंध में सर्किल-वार ब्यौरे और उत्तर प्रदेश के संबंध में एसएसए-वार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में उपलब्ध हैं।

(ख) वीपीटी प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में खर्च की गई 128.61 करोड़ रु. की राशि सहित देश में 701.50 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान उत्तर प्रदेश के 87,34,665.00 रु. की राशि सहित देश में 38.08 करोड़ रु. वीपीटी से अर्जित किए गए।

विवरण I

31.03.2004 की स्थिति के अनुसार देश में वीपीटी की सर्किल-वार स्थिति

क्र.सं.	सर्किल का नाम	राजस्व गांवों की सं.	31.03.2004 की स्थिति के अनुसार वीपीटी वाले गांवों की सं.
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	201	198
2.	आंध्र प्रदेश	29460	23419
3.	असम	24685	19379
4.	बिहार	41077	38475
5.	छत्तीसगढ़	19720	14665
6.	गुजरात	18125	11214
7.	हरियाणा	6850	6811
8.	हिमाचल प्रदेश	16925	16587
9.	जम्मू-कश्मीर	6764	4786
10.	झारखंड	31703	26904
11.	कर्नाटक	27066	27066
12.	केरल	1468	1468
13.	कोलकाता टेलीफोन जिला	437	437
14.	मध्य प्रदेश	51806	37601
15.	महाराष्ट्र	42467	31541
16.	पूर्वोत्तर-1	7125	4189
17.	पूर्वोत्तर-2	7020	3251
18.	उड़ीसा	46989	40753
19.	पंजाब	12687	12687
20.	राजस्थान	39483	23858
21.	तमिलनाडु	17899	17899
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	79792	76000
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23604	21268
24.	उत्तरांचल	15610	11729
25.	पश्चिम बंगाल	38337	37306
26.	दिल्ली	191	191
	जोड़	607491	509682

विवरण II

उत्तर प्रदेश में कवर किए गए गांवों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा वाले गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	939
2.	अलीगढ़	972
3.	हाथरस	738
4.	बरेली	1,776
5.	बदायूं	1,751
6.	बिजनौर	2,301
7.	बुलंदशहर	1,134
8.	एटा	1,463
9.	गाजियाबाद	577
10.	मेरठ	593
11.	बागपत	287
12.	मथुरा	874
13.	मुरादाबाद	1,516
14.	मुज्जफरनगर	898
15.	नोयडा गौतम बुद्ध नगर	374

1	2	3
16.	पीलीभीत	1,334
17.	रामपुर	1,123
18.	सहारनपुर	1,270
19.	जे.पी. नगर	1,075
20.	फिरोजाबाद	253
21.	इलाहाबाद	3,511
22.	आजमगढ़	3,713
23.	बहराइच	1,833
24.	बलिया	1,710
25.	बांदा	1,204
26.	बाराबांकी	2,063
27.	बस्ती	7,062
28.	देवरिया	3,153
29.	इटावा	1,493
30.	फैजाबाद	2,648
31.	फर्रुखाबाद	1,566
32.	फतेहपुर	1,370
33.	गाजीपुर	2,605
34.	गोंडा	2,812
35.	गोरखपुर	3,933
36.	हमीरपुर	1,094
37.	हरदोई	1,858
38.	जौनपुर	3,266
39.	झांसी	1,449
40.	कानपुर	1,891
41.	लखीमपुर	1,720
42.	लखनऊ	743
43.	मैनपुरी	1,368
44.	मऊ	1,651
45.	मिर्जापुर	3,133
46.	ओरई	957
47.	प्रतापगढ़	2,162
48.	रायबरेली	1,719
49.	शाहजहापुर	2,181
50.	सीतापुर	2,260
51.	सुल्तानपुर	2,494
52.	उन्नाव	1,672
53.	वाराणसी	3,710
	कुल	97,252

[अनुवाद]

चिकित्सा स्नातकों द्वारा अवैध प्रैक्टिस

1247. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातक डिग्रीधारी भारतीय छात्र बिना समुचित पंजीकरण करवाए चिकित्सा के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की नजर में ऐसे मामले आए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त चिकित्सा क्षेत्र की डिग्रियां भारत में चिकित्सा क्षेत्र में स्थापित मानदंडों के समान मानी जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई विशेष दृष्टान्त नहीं आया है। विदेशी प्राथमिक मेडिकल डिग्री वाले

भारतीय छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान जिससे कि उन्हें भारत में आयुर्विज्ञान शिक्षा के मानकों के समकक्ष माना जा सके, की पर्याप्तता का आकलन करने की दृष्टि से जांच परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) लागू करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में वर्ष 2001 में संशोधन किया गया है उक्त संशोधन अधिनियम के अनुसरण में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने जांच परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) विनियम, 2002 अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों के अनुसार, भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अनंतिम अथवा स्थायी पंजीकरण कराने के उच्छुक विदेशी प्राथमिक चिकित्सा अर्हता वाले किसी भी भारतीय छात्र को उस प्रयोजन के लिए जांच परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

[हिन्दी]

मस्तिष्क-मलेरिया ज्वर और कालाजार का उन्मूलन

1248. श्री फुरकान अंसारी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान मस्तिष्क-मलेरिया ज्वर और कालाजार के उन्मूलन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले छह महीनों के दौरान झारखण्ड विशेषकर संथाल परगना में मस्तिष्क-मलेरिया ज्वर और कालाजार व्यापक स्तर पर फैला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश में मलेरिया, फाइलेरिया, कालाआजार, जापानी एन्सिफेलाइटिस और डेंगू के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रोगाणु वाहक रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.) चल रहा है। वर्ष 2004-05 के दौरान मलेरिया और कालाआजार सहित रोगाणु वाहक रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए एन.वी.बी.डी.सी.पी. हेतु बजट अनुमानों में 269 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2004-05 के दौरान मलेरिया और कालाआजार के लिए झारखण्ड राज्य को आबंटित की गई राशि इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

मलेरिया	कालाआजार	कुल
1553.09	293.65	1846.74

(ख) सरकार को झारखण्ड और संथाल परगना के जिलों में मलेरिया और कालाआजार के मामलों की व्याप्तता की जानकारी है।

झारखण्ड के संथाल परगना में छह जिले अर्थात दुमका, पाकुर, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर और जामतारा हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 के दौरान मलेरिया और कालाआजार के जिलावार रोगी और मौतें इस प्रकार हैं:

जिला	मलेरिया (अक्तूबर तक)		कालाआजार (सितम्बर तक)	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
दुमका	4394	0	488	7
पाकुर	2599	0	373	1
साहेबगंज	2426	0	399	0
गोड्डा	4041	27	1989	5
देवघर	89	0	-	-
जामतारा	0	0	-	-

(ग) सरकार द्वारा मलेरिया के प्रभावी नियंत्रण के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

* मलेरिया के रोगियों का शीघ्र निदान और तत्काल उपचार करना।
* एकीकृत वेक्टर नियंत्रण।
* मलेरिया महामारी/प्रकोपों का शीघ्र पता लगाना और उनका नियंत्रण।
* व्यक्तिगत रोकथाम और सामुदायिक भागीदारी के लिए सूचना, शिक्षा, एवं संचार।
* चिकित्सीय और पराचिकित्सा कार्यकर्ताओं का परीक्षण और क्षमता सृजन।
* मानीटरिंग और मूल्यांकन।
* प्रभावी प्रबन्ध सूचना पद्धति।

सरकार द्वारा कालाआजार के प्रभावी नियंत्रण के लिए किए गए उपाय इस प्रकार है:

* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति और समय-सपय पर घर-घर जाकर रोगी की खोज करके शीघ्र निदान करना और पूरा उपचार प्रदान करना।
* प्रभावित क्षेत्रों में घरों के अन्दर डी.डी.टी. का छिड़काव करके संचरण को रोकना।
* स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी।

[अनुवाद]

लिग्नाइट भण्डार हेतु सर्वेक्षण

1249. **श्री ए. साई प्रताप:**
चौधरी लाल सिंह:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने देश में लिग्नाइट और अन्य खनिजों के भण्डार का पता लगान हेतु कोई भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो लिग्नाइट और अन्य खनिजों के पता लगाए गए भण्डारों की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन राज्यों से सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से इसकी खरीद किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.वाई.) भारत में लिग्नाइट और अन्य खनिजों के भण्डारों का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करता आ रहा है। देश में और विशेषकर तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लिग्नाइट भण्डारों का पता लगाने के लिए सरकार 1990 से सवंर्धनात्मक स्कीम के जरिए सर्वेक्षण करवा रही हैं। दसवीं योजना अवधि के लिए सरकार ने कोयले और लिग्नाइट के उक्त सर्वेक्षण हेतु 275.8 करोड़ रु. अनुमोदित किए हैं जिसमें 76.23 करोड़ रु. का प्रावधान केवल लिग्नाइट गवेषण हेतु किया गया है। भारत में लिग्नाइट के भण्डारों की राज्यबार वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है और प्रमुख खनिजों के राज्यवार भण्डार संलग्न विवरण में दिए गए हैं-

(1.1.2004 की स्थिति के अनुसार)

संख्या	राज्य	भण्डार (मिलियन टन में)
1.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	30471.82
2.	राजस्थान	3484.90
3.	गुजरात	1815.83
4.	जम्मू-कश्मीर	127.84
5.	केरल	108.30
	कुल	36008.69

(ग) और (घ) कोयला मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (एन.एल.सी.) तमिलनाडु में लिग्नाइट की तीन ओपन कास्ट खानों का प्रचालन कर रहा है और इसकी नियोजित क्षमता 24 मिलियन टन वार्षिक है। लिग्नाइट खनन के 4.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष के खान-2 विस्तार को भारत सरकार ने हाल ही में अनुमोदित कर दिया है और इसके साथ तमिलनाडु में एन.एल.सी. की कुल खनन क्षमता 28.5 मिलियन टन वार्षिक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, बरसंगसार, राजस्थान में 2.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष लिग्नाइट खनन हेतु एक प्रस्ताव को सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा, एन.एल.सी. अपने भावी विस्तार कार्यक्रमों हेतु राजस्थान में रिरि, बिथनोक, गुरहा, हदला में लिग्नाइट भण्डारों के विकास की योजना बना रहा है।

विवरण

राज्य	1.4.2000 की स्थिति के अनुसार प्रमुख खनिजों के भण्डार (हजार टन में)
1	2
आंध्र प्रदेश	कोयला - 7944.00, एस्बेस्टस - 8308.21, बेराइट्स - 45292492.00, बाक्साइट - 188720.00, केलसाइट - 8179494.00, चीनी मिट्टी - 4341.35 तांबा - 1398.00, मैंगनीज - 3494.85, टंगस्टन - 3640000.00
असम	कोयला - 279.00, चीनी मिट्टी - 3970.00
अरुणाचल प्रदेश	कोयला - 31.00
बिहार	चीनी मिट्टी - 104.00

1	2
छत्तीसगढ़	कोयला - 8561.00, बाक्साइट - 158817.14, चीनी मिट्टी - 2128.15
गोवा	बाक्साइट - 37872.00, मैंगनीज - 6253.64
गुजरात	बाक्साइट - 37872.00, चीनी मिट्टी - 12974.92, तांबा - 6194.00, सीसा और जस्ता - 6194.00, राक फास्फेट - 23.68
हरियाणा	केलसाइट - 31200.00, चीनी मिट्टी - 13231.20
हिमाचल प्रदेश	बेराइट्स - 9540.00
जम्मू-कश्मीर	बाक्साइट - 591.00
झारखंड	कोयला - 35265.00, एस्बेस्टस - 6756.00, बाक्साइट - 34048.84, चीनी मिट्टी - 40935.33, तांबा - 68120.00, मैंगनीज - 2930.00
कर्नाटक	बाक्साइट - 3259.96, चीनी मिट्टी - 225076.05, तांबा - 1272.00, मैंगनीज - 24136.45
केरल	बाक्साइट - 2222.10, चीनी मिट्टी - 9165.84
मध्य प्रदेश	कोयला - 7100.00, बेराइट्स - 18500.00, बाक्साइट - 36840.85, केलसाइट - 532600.00, तांबा - 106145.00, मैंगनीज - 25779.27, राक फास्फेट - 23572332.00
महाराष्ट्र	कोयला - 4509.00, बेराइट्स - 14800.00, बाक्साइट - 8482997.00, चीनी मिट्टी - 721.40, सीसा और जस्ता - 1967.00, मैगनीज - 16055.30, टंगस्ट - 610000.00
मेघालय	कोयला - 117.00, बेराइट्स - 14800.00, चीनी मिट्टी - 2750.00
नागालैण्ड	कोयला - 4.00
उड़ीसा	कोयला - 14302.00, बाक्साइट - 434139.10, चीनी मिटी - 3147.28, सीसा और जस्ता - 1130.00, मैंगनीज - 24910.36
राजस्थान	एस्बेस्टस - 3065378.52, बेराइट्स - 484435.00, केलसाइट - 1394041.00, चीनी मिट्टी - 40947.60, तांबा - 37519.00, मैंगनीज - 646.80, वोलास्टोनाईट - 1934402.00
सिक्किम	तांबा - 783.00, सीसा और जस्ता - 482.68
तमिलनाडु	बाक्साइट - 5221.00, सीसा और जस्ता - 200.00
उत्तरांचल	तांबा - 3170.00, सीसा और जस्ता - 3170.00, राक फास्फेट - 5134705.00
उत्तर प्रदेश	कोयला - 766.00, बाक्साइट - 10390.00, राक फास्फेट - 541123.00
पश्चिम बंगाल	कोयला - 11207.00, चीनी मिट्टी - 2274.63

*कोयला के भण्डार मिलियन टन में हैं।

टी.आर.के.एल. के साथ संयुक्त उद्यम

1250. श्री पी.सी. थामसः क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कोचि, केरल में एक संयुक्त उद्यम 'गोल्फ कोर्स' परियोजना बनाने का कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने टूरिस्ट रिजार्ट केरल लिमिटेड (टी.आर.के.एल.) के साथ ऐसा संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए कोचीन पत्तन को अनुमति देने में कोई आपत्ति उठायी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) वल्लारपदम में एक गोल्फ कोर्स स्थापित करने के उद्देश्य से टूरिस्ट रिसार्ट (केरल) लि. के साथ निगमित की जाने वाली एक संयुक्त उपक्रम कंपनी में भागीदारी करने के लिए "सैद्धांतिक" रूप से अनुमति देने के लिए कोचीन-पत्तन-न्यास से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वल्लापरदम में बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण (ट्रांसशिपमेंट) टर्मिनल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है और इस आशय का पत्र सबसे ऊंची बोली देने वाले मैसर्स दुबई पोर्ट इंटरनेशनल (डी.पी.आई.), दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, को जारी कर दिया गया है। राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल से आई सी टी टी को जल्दी स्थानांतरण प्रस्तावित करने का संशोधित प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

रेलवे साइडिंग और इस परियोजना के लिए अन्य भूमि सहित, आई सी टी टी की विस्तृत विकास योजना को, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग-मंत्रालय ने वल्लापरदम के क्षेत्र सहित एक क्षेत्र में पत्तन पर आधारित विशेष आर्थिक जोन (पी बी एस ई जेड) स्थापित किए जाने के प्रति अपना अनुमोदन दे दिया है। पी बी एस ई जेड के विकास के विस्तृत मास्टर प्लान पर कार्य, आई सी टी टी और उससे जुड़े अंतर्देशीय कंटेनर डिपो यार्ड की विस्तृत विकास योजना तैयार कर लेने के पश्चात् ही प्रारंभ किया जा सकता है, जिसमें 7-8 महीने का समय लगेगा। पी बी एस ई जेड की स्थापना का मास्टर प्लान तैयार कर लेने के बाद ही गोल्फ कोर्स के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता का पता चल सकेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों का लूटा जाना

1251. प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः
श्री सुनिल कुमार महतोः

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक ड्राइवरों की हत्या करके ट्रकों को लूटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितनी घटनाएं घटी हैं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है और आज की तिथि तक कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक देश में सड़क दुर्घटनाओं में राज्यवार कितने लोग मारे गए; और

(ङ) सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और ऐसी घटनाओं की सूचना इस मंत्रालय को नहीं दी जाती है।

(घ) वर्ष 2001 और 2002 के लिए उपलब्ध नवीनतम राज्यवार ब्योरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम और राजमार्ग गश्त के अंतर्गत राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को एंबुलेंस, क्रेनें आदि प्रदान करना।

(2) विद्यमान मार्गों को चौड़ा करना।

(3) विद्यमान मार्गों का सुदृढ़ीकरण।

(4) सड़क ज्यामिति में सुधार।

(5) पश्च-परावर्तक संकेतों, थर्मोप्लास्टिक सड़क चिह्नांकनों में वृद्धि।

(6) भारी मोटर वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए धन देना और।

(7) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानकों को कठोर बनाना।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या	
		2001	2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8428	7517
2.	अरुणाचल प्रदेश	71	102
3.	असम	1021	1023
4.	बिहार	1043	1957
5.	छत्तीसगढ़	1095	1620
6.	गोवा	234	260
7.	गुजरात	4502	5094
8.	हरियाणा	2911	2987
9.	हिमाचल प्रदेश	756	802
10.	जम्मू-कश्मीर	770	872
11.	झारखंड	1686	1746
12.	कर्नाटक	5805	6366
13.	केरल	2674	2792
14.	मध्य प्रदेश	3865	4141
15.	महाराष्ट्र	9769	9523
16.	मणिपुर	89	120
17.	मेघालय	174	104
18.	मिजोरम	65	50
19.	नागालैंड	53	44
20.	उड़ीसा	1933	2220
21.	पंजाब	2690	2638
22.	राजस्थान	5187	5535
23.	सिक्किम	50	55
24.	तमिलनाडु	9571	9939
25.	त्रिपुरा	175	157
26.	उत्तरांचल	704	705
27.	उत्तर प्रदेश	9654	9726
28.	पश्चिम बंगाल	3712	4510
1	2	3	4
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार	17	21
2.	चंडीगढ़	118	110
3.	दादरा और नगर हवेली	40	32
4.	दमन और दीव	13	18
5.	दिल्ली	1842	1696
6.	लक्षद्वीप	1	0
7.	पाण्डिचेरी	170	192
	कुल	80888	84674

[अनुवाद]

महिला मरीजों हेतु निजता (प्राइवेसी) का अभाव

1252. **श्री रघुनाथ झा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों में अधिकांश सरकारी अस्पतालों में सामान्य वार्डों में पुरुष और महिला मरीजों को एक साथ रखा जाता है जिससे महिला मरीजों की कोई निजता (प्राइवेसी) नहीं रहती;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पुरुष और महिला मरीजों के लिए अलग-अलग वार्डों की स्थापना के इरादे से इस समस्या का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन करवाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी-हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों में पुरुष और महिला रोगियों के लिए अलग-अलग वार्ड हैं।

आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन

1253. **श्री मधुसूदन रेड्डी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक स्वीकृत किये गये डब्ल्यूएलएल टेलीफोनों की संख्या कितनी है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास भारी संख्या में डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन उपभोक्ताओं के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. आधारित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत किये गये डब्ल्यूएलएल टेलीफोनों की संख्या 49071 है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में डब्ल्यूएलएल का लक्ष्य 55900 लाइनों का है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 22004-05 के दौरान आंध्र प्रदेश सर्किल में डब्ल्यूएलएल उपस्कर की 144750 लाइनें लगाए जाने की योजना है जिसमें से 45750 लाइनों को तेलंगाना क्षेत्र में चालू करने की योजना है।

लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन

1254. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए क्रियान्वित योजनाओं के निष्पादन के आधार पर राज्यों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों की सूची तैयार की है जो इस संबंध में पीछे चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के कार्यान्वयन के निष्पादन के आधार पर राज्यों को लक्ष्यों का अतिरिक्त आबंटन किया जाता है तथा अपेक्षित अतिरिक्त निधियां दी जाती हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2003-04 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए अनुसार पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टीज) के निष्पादन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2003-04 के लिए पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्यों का निष्पादन

(अनंतिम)

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्लान लक्ष्य (यूनिटों की सं.)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित लक्ष्य (यूनिटों की सं.)	बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदन (यूनिटों की सं.)	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन (यूनिटों की सं.)	राशि	बैंकों द्वारा जिन यूनिटों के लिए ऋण संवितरित किए गए (यूनिटों की सं.)	राशि	राज्यों को आबंटित लक्ष्यों के संवितरण (कालम 8) का प्रतिशत (कालम 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	श्रेणी क								
1.	हरियाणा	4050	8100	15176	8466	4997.10	6592	3749.02	81.38
2.	हिमाचल प्रदेश	3200	3200	4168	2831	2213.17	2585	1939.12	80.78
3.	पंजाब	4100	8200	13316	8277	5377.56	6669	4181.11	81.33
4.	राजस्थान	8100	16200	28480	15166	8433.46	9730	5209.40	60.06
5.	त्रिपुरा	800	3000	4974	2381	1706.75	1968	1363.62	65.60
6.	मिजोरम	200	200	768	762	819.78	772	820.00	386.00
7.	अंडमान एवं निकोबार	100	200	295	185	171.39	135	107.49	67.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	उत्तर प्रदेश	22950	50900	73180	44213	30297.42	34563	22527.15	67.90
9.	उत्तरांचल	1800	6000	9099	5717	3987.32	5013	3353.51	83.55
10.	महाराष्ट्र	22800	22800	41308	20993	11987.87	15586	8788.81	68.36
	श्रेणी 'ख'								
11.	चंडीगढ़	300	100	156	99	67.03	56	34.90	56.00
12.	बिहार	14400	14400	17255	11296	10034.20	8312	6733.10	57.72
13.	मध्य प्रदेश	11750	23500	45814	25749	16820.85	12993	7777.24	55.29
14.	कर्नाटक	10800	20000	24266	14764	8822.65	10167	6226.29	50.84
15.	केरल	16250	20350	23140	16416	8733.66	11399	6061.40	56.01
	श्रेणी 'ग'								
16.	मणिपुर	1200	1200	762	545	382.08	435	291.14	36.25
17.	अरुणाचल प्रदेश	200	700	729	674	608.65	319	233.62	45.57
18.	झारखंड	5350	9000	9013	5541	4683.35	3870	2968.10	43.00
19.	छत्तीसगढ़	4600	4600	8057	3948	2562.14	2256	1342.12	49.04
20.	गुजरात	8650	13000	11381	6439	3032.75	5746	2795.51	44.20
21.	आंध्र प्रदेश	18400	36800	24298	22646	14001.55	14010	8662.34	38.07
22.	तमिलनाडु	19350	20000	20757	12957	5063.13	9467	4029.59	47.34
23.	लक्षद्वीप	50	50	31	17	11.21	17	11.21	34.00
24.	पाण्डिचेरी	600	750	548	333	147.00	231	108.56	30.80
	श्रेणी 'घ'								
25.	जम्मू-कश्मीर	1150	3000	1889	791	787.90	645	588.53	21.50
26.	दिल्ली	4400	4400	3442	1020	724.97	738	523.79	16.77
27.	असम	6600	10000	13152	6905	4395.74	1985	1248.31	19.85
28.	मेघालय	350	1350	528	445	375.13	314	232.25	23.26
29.	नागालैंड	300	1000	588	90	109.18	34	32.79	3.40
30.	सिक्किम	100	100	88	30	21.43	29	21.83	29.00
31.	उड़ीसा	6600	16300	19518	11559	8096.35	2889	1651.05	17.72
32.	पश्चिम बंगाल	20000	20000	8820	3520	2198.08	2012	1399.83	10.06
33.	दमन एवं दीव	50	50	3	3	2.10	3	2.10	6.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	गोवा	400	400	220	126	99.31	116	88.96	29.00
35.	दादर एवं नगर हवेली	50	50	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	विनिर्दिष्ट नहीं	—	—	2633	1074	1098.63	808	796.29	—
	अखिल भारतीय	220000	339900	427852	255978	162870.89	172464	105900.08	50.74

श्रेणी क—60% और इससे ऊपर संवितरण
श्रेणी ख—50% से ऊपर और 60% से कम संवितरण
श्रेणी ग—30% से ऊपर और 50% से कम संवितरण
श्रेणी घ—30% से कम संवितरण

[हिन्दी]

क्रोएशिया के साथ समझौता

1255. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्री राजनरायण बुधौलिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और क्रोएशिया सरकार के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी परिणाम क्या हैं और इस संबंध में कितनी प्रगति की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार और क्रोएशिया सरकार के बीच सितम्बर, 1994 में एक व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) उपरोक्त समझौते में व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में व्यापक द्विपक्षीय सहक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक आधिकारिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

हृदय रोगों के बारे में जागरूकता

1256. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में हृदय रोगों में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव उन राज्यों में हृदय रोगियों के लिए पर्याप्त उपचार सुविधाएं प्रदान करने का है जहां पर हृदय रोगियों की संख्या अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 2004-05 में विशेषकर उड़ीसा में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार हृदय संबंधी बीमारियां खासकर धमनी हृदय रोग बढ़ रहे हैं और युवा लोगों (40 वर्ष से कम आयु के) में भी ये बीमारियां हो रही हैं। इन बीमारियों में बढ़ोत्तरी, कम शारीरिक कार्यकलाप, खान-पान की आदतों में बदलाव, वसा एवं मीठे के उपभोग में वृद्धि, रेशेदार (फाइबर) और सूक्ष्म पोषक तत्वों (फालिक एसिड एण्टीआक्सीडेंट) आदि के कम उपयोग करने जैसी जीवन शैली से जुड़ी है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य, राज्य का विषय होने के कारण शल्यक्रिया संबंधी सुविधाओं सहित हृदय रोगों के लिए उपचार सुविधाएं प्रदान करना राज्य का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत हृदय रोगों एवं वृक्कीय विकारों जैसी बड़ी बीमारियों, जिनके लिए उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पताल में उपचार कराने की आवश्यकता होती है और जिसके लिए भारी खर्च उठाना पड़ता है, से पीड़ित गरीब रोगियों के उपचार हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए संबंधित राज्य रोग सहायता निधि को अनुदान प्रदान कर रही है। क्योंकि हृदय संबंधी रोग जीवन शैली

से जुड़ी हैं, हृदय रोगों और स्वस्थ्य रहन-सहन के तौर-तरीकों के बारे में जन स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए सरकार स्वास्थ्य संदेश का प्रचार भी कर रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान में डाकघर खोलना

1257. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में श्रेणीवार और स्थान-वार कितने डाकघर स्थापित किए गए;

(ख) क्या इन डाकघरों के भवनों का निर्माण भी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान जिलेवार किन श्रेणी के डाकघर बंद किए गए और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) नए डाकघर खोलने और कार्य कर रहे मौजूदा डाकघरों को बंद करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(च) क्या विभाग स्वयं अपनी लापरवाही के कारण डाकघरों को चलाने के लिए किराए पर लिए गए स्थानों को खाली कराने संबंधी अधिकतर मुकदमें हार गया है;

(छ) यदि हां, तो क्षेत्रवार ऐसे डाकघर कितने हैं जहां विभाग को मुकदमा हार जाने के कारण भवन खाली करना पड़ा था;

(ज) क्या सरकार को इन डाकघरों के बंद होने के कारण होने वाले आक्रोश की जानकारी है;

(झ) क्या सरकार ने इस संबंध में जन प्रतिनिधियों की राय मांगी है;

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ट) जर्जर हालत वाले भवनों में कितने डाकघर चल रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में खोले गए डाकघरों का श्रेणीवार और स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए इन डाकघरों के लिए कोई नए भवन नहीं बनाए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए डाकघरों का, उनके कारणों सहित, श्रेणीवार और स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) डाकघर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदण्डों के आधार पर खोले जाते हैं (विवरण-III) डाकघर आमतौर पर जगह की समस्या, अदालती आदेश आदि के कारण बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में नीति के अनुसार निर्धारित दूरी से कम दूरी पर स्थित एकल कर्मचारी अथवा दो कर्मचारियों वाले डाकघरों को निकटतम डाकघर में आमेलित किया जाता है अथवा जरूरतमंद इलाकों में पुनः अवस्थित किया जाता है।

(च) जी नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं।

(ज) किसी प्रकार के आक्रोश की रिपोर्ट नहीं मिली है। जब कभी भी जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तब उनकी पूरी जांच करके मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाता है। निकटतम डाकघरों में कार्य को प्रतिस्थापित करने से जनसुविधाओं को कम नहीं किया जाता है और जनता की किसी भी असुविधा को दूर करने के लिए किसी डाकघर के बंद करने/आमेलित करने/पुनः अवस्थित करने से पहले जनता को इसकी जानकारी दे दी जाती है।

(झ) विधिवत चुने जन प्रतिनिधियों से जब कोई पत्रादि प्राप्त होता है अथवा किसी समस्या के बारे में जानकारी मिलती है तब कोई औपचारिक विचार-विमर्श नहीं किया जाता लेकिन उठाए गए मुद्दों पर उचित ध्यान दिया जाता है। मामलों का निपटान मेरिट के आधार पर किया जाता है और तत्पश्चात् ऐसे पत्रों का जवाब दिया जाता है।

(ञ) उपर्युक्त (झ) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ट) संसाधनों की उपलब्धता अथवा मकान मालिकों से किए गए समझौते के आधार पर डाकघर भवनों का रख-रखाव यथासंभव सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस समय राजस्थान में कोई डाकघर जर्जर भवन में कार्यरत नहीं है।

विवरण I

राजस्थान सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का श्रेणीवार तथा स्थानवार ब्यौरा

क्र.सं.	डाकघरों का नाम (स्थान)	श्रेणी
1	2	3
वर्ष 2001-2002		
1.	खजूरीवास (अलवर)	उप डाकघर
2.	हीरापुरा (जयपुर)	वही
3.	सावा (चित्तौड़गढ़)	वही
4.	ओग्ना (उदयपुर)	वही
5.	इतारदा (भरतपुर)	शाखा डाकघर
6.	मोखमपुरा (जयपुर)	वही
7.	निजामनगर (अलवर)	वही
8.	प्रतापगढ़ (पाली)	वही
9.	भद्रौना (जालौर)	वही
10.	लोनावास (जालौर)	वही
11.	नामवारी (जोधपुर)	वही
12.	45 मंजीवाला (श्रीगंगानगर)	वही
13.	जैतसर (जोधपुर)	वही
14.	खादत (सिरोही)	वही
15.	जेदारा (सिरोही)	वही
16.	एसटीपीएस सूरतगढ़ (हनुमानगढ़)	वही
17.	केसरपुरा धामोतर (चित्तौड़गढ़)	वही
18.	सनकारिया (चित्तौड़गढ़)	वही
19.	कास्यकाला (भीलवाड़ा)	वही
20.	पनासी कहोटी (बांसवाड़ा)	वही
21.	संतोकपुरा (भीलवाड़ा)	वही
22.	बड़ा जसराजपुर (डुंगरपुर)	वही
23.	गोदना (उदयपुर)	वही
24.	चिबोदा (उदयपुर)	वही
वर्ष 2002-2003		
1.	जगतपुरा (जयपुर)	उप डाकघर
2.	रथनझाना (चित्तौड़गढ़)	वही
3.	सिंगानिया (सवाईमाधोपुर)	शाखा डाकघर
4.	सलाती (अलवर)	वही
5.	अन्दारा (भरतपुर)	वही
6.	सुराना (जयपुर)	वही
7.	गुदा गोकुलपुर (बूंदी)	वही
8.	झाल्ला (चित्तौड़गढ़)	वही
9.	माता जी का खेड़ा (भीलवाड़ा)	शाखा डाकघर
10.	बाबू गुलारी	वही
11.	धोडावाड़ा (नागौर)	वही
12.	भूनी (नागौर)	वही
13.	सदोकन (नागौर)	वही
14.	बार की धानी (झुनझुनू)	वही
15.	हिम्मतपुरा (जोधपुर)	वही
16.	लीलकी (चुरू)	वही
17.	चैतपुर (उदयपुर)	वही
18.	मौरिका (उदयपुर)	वही
19.	सागवा (बांसवाड़ा)	वही
20.	झारस (बांसवाड़ा)	वही
वर्ष 2003-2004		
1.	बोहेड़ा (चित्तौडगढ़)	उप डाकघर
2.	हरमारा (जयपुर)	वही
3.	लाका (दौसा)	शाखा डाकघर
4.	पिपरौली (अलवर)	वही
5.	टिनतील (टौंक)	वही
6.	पोलियादा (टौंक)	वही

1	2	3
7.	चमनपुरा (भीलवाड़ा)	वही
8.	सरदियास (भीलवाड़ा)	वही
9.	श्रीपुरा (चित्तौड़गढ़)	वही
10.	हर्षवाड़ा (उदयपुर)	वही
11.	कोलार (चित्तौड़गढ़)	वही
12.	चिलांदी (बाड़मेर)	वही
13.	मानकसर (हनुमानगढ़)	वही
14.	खनदारा (सिरोही)	वही
15.	जाम्बेश्वरनगर (जोधपुर)	वही
16.	पाबुसर (जोधपुर)	वही

विवरण II

राजस्थान सर्किल में गत तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए डाकघरों का श्रेणीवार और जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	डाकघर का नाम	श्रेणी	जिला	बंद करने के कारण
वर्ष 2001-2002				
1.	उन्द्री सुमेरपुर	उप डाकघर	पाली	अन्य डाकघर में विलयन होने के कारण
वर्ष 2002-2003				
1.	बस स्टैंड बेहरोड	उप डाकघर	अलवर	अन्य डाकघर में विलयन होने के कारण
वर्ष 2003-2004				
1.	भुसावर टाउन	उप डाकघर	भरतपुर	अन्य डाकघर में विलयन होने के कारण
2.	रामगंज	वही	अलवर	वही
3.	सराफा बाजार	वही		वही
4.	केशोपुरा	शाखा डाकघर	जयपुर	वही
5.	जयपलटन	उप डाकघर	अलवर	वही
6.	डीग कोर्ट	वही	भरतपुर	वही
7.	मुंशी बाजार	वही	अलवर	वही
8.	बासन गेट	वही	भरतपुर	वही
9.	वैगन फैक्ट्री	वही	वही	वही
10.	अम्यूनिशन डिपो	वही	वही	वही

विवरण III

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:

1.1 **जनसंख्या:**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में:**

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:**

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33^1/_3$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400 रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800 रु. है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) शहरी क्षेत्रों में:

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

[अनुवाद]

फ्लूरोसिस संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम

1258. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 2 नवम्बर, 2004 को फ्लूरोसिस के उपचार हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार देश में फ्लोरोसिस के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते प्रस्ताव की जांच कर रही है।

गैर-सरकारी संगठन को अनुदान सहायता

1259. श्री जुएल ओराम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के किसी गैर-सरकारी संगठन ने केंद्र सरकार से औषधीय पादपों को उगाने हेतु अनुदान सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान सताईस (27) गैर-सरकारी संगठनों ने औषधीय पादपों के लिए सहायता अनुदान हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन एम पी बी) से अनुरोध किया है। इनमें से, 13 प्रस्ताव राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एस एम पी बी), उड़ीसा द्वारा अग्रेषित किए गए थे।

(ग) क्षेत्र की विनिर्दिष्ट प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए, बोर्ड की परियोजना छानबीन समिति (पी एस सी) तथा स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी) द्वारा दो परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

हिन्दी में कार्य

1260. **श्री वाई.जी. महाजनः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह महीनों के दौरान उनके मंत्रालय को हिन्दी में कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु उनके मंत्रालय को हिन्दी में कार्य करने के लिए कोई आदेश जारी किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) 2900

(ख) 1405

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में पी.सी.ओ. बूथ

1261. **श्री अब्दुल रशीद शाहीनः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में पी.सी.ओ. बूथ स्थापित करने के लिए अनेक आवेदन-पत्र लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आज तक का जिलेवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) लम्बित आवेदनों की जिलेवार संख्या और उनके लम्बित होने के कारण संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन आवेदनों (सभी प्रकार से पूर्ण) को वर्ष 2005-06 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की योजना बनाई गई है।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	लम्बित पंजीकृत आवेदनों की संख्या	लम्बित होने के कारण
1	2	3	4
1.	जम्मू	886	272 आवेदन आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण लंबित हैं। शेष 614 मामले लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र होने के कारण लंबित हैं।
2.	कठुवा	420	146 आवेदन आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण लंबित हैं। शेष 274 मामले लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र होने के कारण लंवित हैं।
3.	राजौरी	50	लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण लंबित।

1	2	3	4
4.	पुंछ	68	लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण लंबित।
5.	उधमपुर	58	लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण लंबित।
6.	डोडा	56	लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण लंबित।
7.	अनन्तनाग	169	25 आवेदन आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण लंबित हैं। शेष 144 मामले लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र होने के कारण लंबित हैं।
8.	पुलवामा	149	20 आवेदन आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण लंबित हैं। शेष 129 मामले लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र होने के कारण लंबित हैं।
9.	बड़गाम	110	लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण लंबित।
10.	श्रीनगर	417	लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण लंबित।
11.	बारामूला	65	लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण लंबित।
12.	कुपवाड़ा	73	लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण लंबित।
	कुल	2521	

नौकरशाहों के लिए नैतिक आचार संहिता

1262. श्री कैलाश बैठा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने नौकरशाहों के लिए कोई नैतिक आचार संहिता बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह संहिता कब तक लागू होगी;

(ग) सभी नौकरशाहों द्वारा नैतिक आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने नैतिक आचार संहिता का पालन न करने वाले नौकरशाहों को दंडित करने का भी निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) किसी सरकारी कर्मचारी से जिस आचरण तथा व्यवहार की प्रत्याशा की जाती है उसे निर्धारित करने वाले अधिनियम, नियम, विनियम तथा अनुदेश पहले से मौजूद हैं। अनुशासन और आचरण संबंधी विभिन्न नियमावलियों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाहियों तथा शास्तियों का प्रावधान किया गया है जिनकी सहायता से आचरण संबंधी उल्लंघनों का निबटारा किया जाता है।

बाक्साइट की आवश्यकता

1263. **श्री परसुराम माझी:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में प्रस्तावित लांगीगढ़ एल्यूमीनियम संयंत्र के लिए बाक्साइट की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) उक्त संयंत्र को किन पूर्तिकर्त्ता खानों में बाक्साइट मिलेगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) उड़ीसा में प्रस्तावित लांगीगढ़ एल्युमिना संयंत्र हेतु बाक्साइट की वार्षिक आवश्यकता 3 मिलियन टन है।

(ख) इस संयंत्र को बाक्साइट की प्राप्ति कालाहंडी और रायगढ़ जिले के लांगीगढ़ बाक्साइट भंडार से होगी।

(ग) और (घ) संयुक्त उद्यम में बाक्साइट खानों के दोहन हेतु उड़ीसा राज्य सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मै. उड़ीसा माईनिंग कार्पोरेशन (ओ एम सी) और मै. वेदान्त एल्युमिना लि. के बीच दिनांक 5.10.2004 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है और यह समझौता ज्ञापन उड़ीसा खनन निगम (ओ एम सी) के ''रेजिंग कान्ट्रेक्टर'' के रूप में कार्य करेगा।

भारतीय देवताओं का अपमानजनक चित्रण

1264. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि महिलाओं के अंडरगारमेंट बनाने वाली कतिपय विदेशी कंपनियां उन अंडरगारमेंट्स पर हिंदू देवी और देवताओं के चित्र छाप रही है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले उत्पादों को वापस लेने हेतु विदेशी सरकारों के साथ क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) रोम स्थित हमारे मिशन ने एक इतालवी डिजाइनर राबर्ड कावाली द्वारा डिजायन किए गए महिलाओं के अंतःवस्त्रों पर हिंदुओं के देवताओं की छवियां दिखाने वाले डिजायनों से सम्बद्ध प्रैस की खबरें देखी हैं। मिशन ने यह मामला सीधे राबर्ट कावाली के कार्यालय के साथ उठाया था। उनके कार्यालय ने मिशन को एक पत्र द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने इस अपराध के लिए यू.के. स्थिति हिंदू संगठनों से इस गलती के लिए खेद व्यक्त करते हुए उन्हें पत्र लिखा है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने बाजार से ऐसे वस्त्रों को वापिस लेने के आदेश दे दिए हैं।

गुयाना को भारतीय सहायता

1265. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने गुयाना से वर्ष 2007 तक वहां स्टेडियम के निर्माण कार्य का वित्तपोषण करने का वादा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्माण कार्य के लिए कितनी अनुदान राशि जारी की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) जी हां, भारत सरकार जार्जटाउन, गुयाना में एक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का वित्त-पोषण करने के गुयाना सरकार के अनुरोध पर सहमत हो गयी है।

(ख) 11 नवम्बर, 2004 को एक करार संपन्न किया गया जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने गुयाना सरकार को 6 मि. अमरीकी डालरों का अनुदान देने की वचनबद्धता व्यक्त की है। इस परियोजना के लिए गुयाना सरकार के वित्त मंत्री और एक्जिम बैंक के बीच 19 मि. अमरीकी डालरों की ऋण श्रृंखला का एक अन्य करार संपन्न किया गया। अभी तक अनुदान की कोई राशि अथवा ऋण की निधियां जारी नहीं की गयी हैं। 1.5 मि. अमरीकी डालरों के अनुदान की पहली किस्त संविदा दिये जाने के समय जारी की जाएगी जो कार्य फरवरी, 2005 में किये जाने की आशा है। परियोजना के अक्तूबर, 2006 में पूरा होने की आशा है ताकि यह वर्ष 2007 के विश्व कप के लिए तैयार हो जाए।

पांडिचेरी में केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

1266. **प्रो. एम. रामदास:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांडिचेरी में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या संघ राज्य क्षेत्र में इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभाव का उनके उद्देश्यों के संबंध में मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन योजनाओं को पूर्ण वित्तपोषण के साथ स्वयं संघ राज्य को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) विवरण संलग्न है (विवरण-I)।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण संलग्न है (विवरण-II)।

(घ) से (च) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के हस्तांतरण संबंधी एक राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति गठित कर दी गई है तथा समिति का कार्यकाल अगली एनडीसी की बैठक तक है।

विवरण I

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	बजट अनुमान 2004-05	व्यय
1	2	3	4
1.	कृषि	78.81	19.63
2.	पशुपालन	394.66	31.71
3.	वानिकी	0.01	—
4.	मछलीपालन	96.36	83.76
5.	उद्योग	10.42	4.16
6.	न्यायिक	298.17	1.97
7.	सर्वेक्षण	1.63	0.12
8.	परिवहन	14.21	—
9.	शिक्षा	419.70	33.09
10.	स्वास्थ्य	292.81	110.30
11.	पर्यटन	311.72	22.35
12.	एडीआई-द्रविडर कल्याण	213.46	32.09
13.	समाज कल्याण	234.26	—
14.	महिला एवं बाल कल्याण	191.20	196.67
15.	आर्थिक एवं सांख्यिकी	12.82	9.76
16.	स्थानीय प्रशासन	3.00	—
17.	पुलिस	15.69	20.03
18.	लोक निर्माण विभाग	141.49	40.05
19.	सहयोग	13.48	—
20.	सूचना प्रौद्योगिकी	188.00	—
	कुल	2931.90	605.69

विवरण II

कृषि क्षेत्रक के अंतर्गत स्कीमों के विषय में कृषि पर बृहत प्रबंधन कार्यक्रम की प्रगति एवं प्रभावों के बारे में जानने के लिए नाबार्ड द्वारा एक अध्ययन शुरू किया गया है तथा ब्यौरे अभी उपलब्ध कराये जाने हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्रक के अंतर्गत कार्यान्वित स्कीमों के विषय में, परिकल्पित लक्ष्य पूर्ण रूप में हासिल किये जा चुके हैं। प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य (आर सी एच) कार्यक्रम के संबंध में, गांधीग्राम ग्रामीण विकास संस्थान कार्यक्रम के प्रभावों के बारे में एक वार्षिक सर्वेक्षण करता है। चालू वर्ष के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है।

पोषण क्षेत्रक में कार्यान्वित स्कीमों के विषय में भारत सरकार द्वारा उद्देश्यों के संदर्भ में सामयिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के विषय में, 1993-94 और 1994-95 के संबंध में पीएमआरवाई स्कीम का समवर्ती मूल्यांकन पूर्ण कर लिया गया है। शेष अवधि के लिए, भारत सरकार के निर्देशों के तहत पांडिचेरी विश्वविद्यालय को एक अध्ययन आबंटित किया जा चुका है।

मछलीपालन क्षेत्रक के अंतर्गत कार्यान्वित स्कीमों के विषय में, भारत सरकार के पदधारियों द्वारा प्रगति आंकी जा चुकी है।

आई.ए.एस. अधिकारियों को निदेश

1267. **श्री रमाकान्त यादवः**
श्री रामचन्द्र पासवानः

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राजधानी में विभिन्न मंत्रालयों में सेवारत आई.ए.एस. अधिकारियों को कतिपय निदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे ही निदेश उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे देश के अन्य राज्यों में सेवारत आई.ए.एस. अधिकारियों को जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आई.ए.एस. अधिकारियों के मामले में सरकार द्वारा जारी निदेश किस तारीख से लागू होंगे?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) राजधानी स्थित विभिन्न मंत्रालयों में सेवारत केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही कोई विशिष्ट निदेश नहीं दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

साफ्ट ड्रिंक्स में रासायनिक तत्व

1268. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेप्सी, कोला, थम्स अप आदि जैसे साफ्ट ड्रिंक्स में अनुमेय सीमा से अधिक रासायनिक तत्वों के अपमिश्रण और प्रयोग से संबंधित कोई मामला सामने आया है और बड़ी संख्या में इन ड्रिंक्स के नमूने प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने साफ्ट ड्रिंक्स में हानिकारक तत्वों के होने की पुष्टि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है। इसके प्राप्त हो जाने के बाद इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

समुद्री जल पर उपकर

1269. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री जल पर उपकर वसूलने हेतु कोई अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो समुद्री जल पर उपकर वसूलने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इससे कितना राजस्व जुटाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या समुद्री जल पर उपकर लगाने से देश में औद्योगिक विकास में बाधा आएगी; और

(घ) यदि हां, तो समुद्री जल पर उपकर को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में जल का उपयोग करने वाले उद्योगों और स्थानीय निकायों पर उपकर लगाने का प्रावधान किया गया है। समुद्री जल के उपयोग पर उपकर लगाने से संबंधित अलग से कोई अधिसूचना नहीं है। इस उपकर का उद्देश्य उद्योगों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जल की खपत को कम करना और उसके प्रदूषण को कम करना है। उपकर से मिलने वाली धनराशि का उपयोग केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। किसी भी स्रोत से जल का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग की गई जल की मात्रा के आधार पर उपकर का भुगतान करना होता है। यह जल उपकर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जल विद्युत इकाइयों को छोड़कर सभी उद्योगों से एकत्र किया जाता है और इस धनराशि को प्रत्येक माह एकमुश्त धनराशि के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा करा दिया जाता है। समुद्री जल का उपयोग करने वाले उद्योगों से एकत्रित उपकर के लिए अलग से कोई खाता नहीं बनाया गया है। वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान उद्योगों और स्थानीय प्राधिकरणों से 88.50 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्र की गई।

(ग) और (घ) जी नहीं। जल उपकर एक मामूली कीमत है जो समुद्री जल सहित अन्य जल का उपयोग करने वाले उद्योगों को पर्यावरण की सुरक्षा विशेषकर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए वहन करनी पड़ती है।

[हिन्दी]

भ्रष्ट देशों की सूची

1270. श्री मोहन सिंह:
श्री मुन्शी राम:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री उदय सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टतम देशों की सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो भारत उपर्युक्त सूची में किस स्थान पर है;

(ग) क्या टेलीप्रेसी जनरेशन द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार में कोई कमी आई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से क्षेत्र जिम्मेदार हैं; और

(च) देश की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, भिन्न-भिन्न अवबोधों तथा विभिन्न मानदंडों के आधार पर भ्रष्ट देशों की सूची तैयार करते हैं। ऐसे अभिकरणों द्वारा तैयार की गई सूचियों में भारत को भिन्न-भिन्न स्थानों पर रखा जाता है।

(ग) और (घ) सरकार को टेलिप्रेसी जनरेशन नामक किसी अभिकरण के अस्तित्व की जानकारी नहीं है।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा ऐसी कोई पहचान नहीं की गई है। फिर भी, सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन की आवश्यकता तथा भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की अपनी नीति के प्रति पूरी तरह सजग है।

[अनुवाद]

पत्तनों का विकास

1271. **श्री पी. राजेन्द्रन:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री बी. विनोद कुमार:
श्री एम. रामदास:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत के मुख्य पत्तनों के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और पत्तनवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए पत्तनवार प्रस्तावित और स्वीकृत धनराशि कितनी है;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में नए पत्तन स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) समुद्री व्यापार की मांगों को पूरा करने के लिए देश में पत्तनों का विकास, सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। महापत्तनों के विकास से संबंधित योजनाएं, सरकार की पत्तन-क्षेत्र से संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की जाती हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान महापत्तनों के विकास के लिए 4531.29 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है। इसमें से 450.00 करोड़ रु. की धनराशि सरकार की ओर बजटीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है और 4081.29 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित पत्तनों द्वारा अपने स्वयं के आंतरिक और बजट से इतर संसाधनों के जरिए जुटाई जानी है। इसके अतिरिक्त, दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, महापत्तनों में निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 11257.00 करोड़ रु. का निवेश किया जाना भी परिकल्पित है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, महापत्तनों में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रौद्योगिकीय उन्नयन के जरिए उत्पादकता सुधारने, लागत की दृष्टि से किफायती एवं प्रभावी सेवाओं का प्रावधान करने और सेवा की गुणता बढ़ाकर, उसे वैश्विक रूप से तुल्य और प्रतिस्पर्द्धा किए जाने योग्य स्तरों पर लाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। यह सब, समय के अनुसार उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप, मौजूदा पारंपरिक बर्थों का उन्नयन करके/उन्हें बदलकर; नई बर्थों का निर्माण करके; कार्गो हैंडलिंग-उपस्कर और अनुरक्षण-प्रक्रियाओं का उन्नयन करके; जहां आवश्यक हो, वहां आंतरिक सड़क-नेटवर्क और परिचालन-प्रणालियों का पुनः डिजाइन बनाकर और उनका उन्नयन करके; वाणिज्यिक लेखाकरण-पद्धतियों सहित, भण्डारण-सुविधाओं और पत्तन से संबंधित अन्य अवसंरचनात्मक उन्नयन करके; उपस्कर और श्रम-उत्पादकता में सुधार करके; कार्मिक-बल

को इष्टतम स्तर पर लाकर; प्रशिक्षण देकर; सूचना-प्रौद्योगिकी आदि का इष्टतम प्रयोग करके हासिल किए जाने की योजना है।

महापत्तनों का दसवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित पत्तन-वार परिव्यय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	महापत्तन का नाम	बी एस	आई ई बी आर	कुल योजना	अनुमानित निजी निवेश
1.	कोलकाता	350.00	439.42	789.42	666.11
2.	मुम्बई	0.00	880.20	880.20	730.00
3.	जवाहरलाल नेहरू	0.01	262.74	262.75	1700.00
4.	चेन्नई	0.00	326.70	326.70	400.00
5.	कोचीन	0.00	366.51	366.51	2040.00
6.	विशाखापत्तनम	0.00	240.84	240.84	1268.00
7.	कांडला	0.00	416.71	416.71	885.81
8.	मुरगांव	0.00	348.06	348.06	322.00
9.	पारादीप	99.99	122.71	222.70	230.00
10.	नव मंगलूर	0.00	147.40	147.40	1075.00
11.	तूतीकोरिन	0.00	230.00	230.00	1780.00
12.	इन्नौर	0.00	300.00	300.00	160.00
	योग	450.00	4081.29	4531.29	11256.92 अर्थात् 11257

(ग) और (घ) इस बारे में जानकारी, निम्नलिखित तालिका में दी जा रही है:-

क्र.सं.	महापत्तन का नाम	2001-02 (वास्तविक खर्च)	2002-03 (वास्तविक खर्च)	2003-04 (वास्तविक खर्च)	2004-05 (प्रस्तावित)	2004-05 (संस्वीकृत)
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोलकाता	11.80	6.85	10.48	46.22	46.22
2.	मुम्बई	68.12	100.76	57.81	56.15	56.15
3.	जवाहरलाल नेहरू	16.27	40.26	ı2.73	410.44	102.14
4.	चेन्नई	244.88	85.50	29.21	16.75	16.75
5.	कोचीन	10.77	10.02	10.86	288.41	85.41
6.	विशाखापत्तनम	67.52	51.30	55.65	54.44	54.44
7.	कांडला	53.43	55.89	41.50	92.98	92.98

1	2	3	4	5	6	7
8.	मुरगांव	28.91	26.53	43.06	53.90	53.85
9.	पारादीप	53.65	41.42	14.56	87.16	87.16
10.	नव मंगलूर	32.58	24.41	5.14	20.00	20.00
11.	तूतीकोरिन	29.71	36.02	21.84	25.81	25.81
12.	इन्नौर	0.00	0.00	0.99	95.00	95.00
	कुल योग	617.64	478.96	303.83	1247.26	735.91

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) इस समय कोई नया महापत्तन स्थापित किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। महापत्तनों के सिवाय अन्य नए पत्तन स्थापित करने का अधिकार, भारतीय पत्तन-अधिनियम, 1908 के अनुसार संबंधित राज्य-सरकारों/संघ-राज्य-क्षेत्र-प्रशासनों को है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति

1272. **श्री अवतार सिंह भडाना:**
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन में सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों सीजीएचएस लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत दावों की प्रतिपूर्ति करने में अधिक समय लिया जाता है जिसके कारण लाभार्थियों को बहुत-सी वित्तीय कठिनाइयां होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में केमिस्टों की हड़ताल के समय मार्च, 2004 में सीजीएचएस लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिपूर्ति दावों की अभी तक प्रतिपूर्ति नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) 31 अगस्त, 2004 को या उससे पूर्व प्रस्तुत कितने प्रतिपूर्ति दावे अभी तक लंबित हैं और इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का 45 दिनों से अधिक विलंब न होने देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सीजीएचएस कार्ड धारक सेवारत कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान उस संबंधित मंत्रालयों/विभाग द्वारा किया जाता है जहां वे कार्य करते हैं। तथापि, रियायत से संबंधित मामलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भेजा जाता है।

पेंशनभोगी सीजीएचएस कार्डधारकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान का कार्य सीजीएचएस निदेशालय द्वारा दिया जाता है तथा ऐसे मामलों को छोड़कर जहां बजट की कमी हो या जिनके लिए विशेषज्ञ समिति की राय लेना अपेक्षित हो, जहां अस्पताल के बिलों का प्रति सत्यापन किया जाना हो; नियमों में छूट दी जानी हो, जहां लाभार्थी ने दूसरे शहर में उपचार कराया हो, सामान्यत: बिलों का निपटारा चार से छ: सप्ताह में कर दिया जाता है।

(ग) से (च) सीजीएचएस पेंशनभोगी कार्डधारकों द्वारा मार्च, 2004 में (जब सीजीएचएस के अधिकृत स्थानीय केमिस्ट हड़ताल पर चल गए थे) प्रस्तुत सभी पूर्ण चिकित्सीय दावों का निपटारा सीजीएचएस द्वारा कर लिया गया है और भुगतान हेतु सीजीएचएस दिल्ली के वेतन एवं लेखा अधिकारी को भेज दिया गया है।

इसी प्रकार सीजीएचएस दिल्ली के पेंशनभोगी कार्डधारकों द्वारा दिनांक 31.8.2004 से पहले प्रस्तुत किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी पूर्ण दावे सीजीएचएस में लंबित नहीं हैं। तथापि, चिकित्सा दावों पर कार्रवाई करने, बिल तैयार करने, चेक जारी करने एवं भेजने का काम सदैव चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कई प्रशासनिक कदम शामिल होते हैं।

उपर्युक्त कुछेक उदाहरणों को छोड़कर सीजीएचएस पेंशनभोगी कार्डधारकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी दावों पर चार से छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का प्रयास सीजीएचएस का रहा है।

अफगानिस्तान के सिखों के प्रवेश पर प्रतिबंध

1273. **श्री के.एस. राव:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 25 अक्तूबर, 2004 के "दि पायनियर" में प्रकाशित समाचार के अनुसार अफगान के सिखों से सड़क मार्ग से भारत की यात्रा करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उनके प्रवेश पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) अफगानी सिक्खों के एक समूह के रूप में पाकिस्तान से होकर भारत की यात्रा करने का काबुल में स्थित हमारे दूतावास को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति के जमीनी मार्ग से यात्रा करने पर प्रतिबंध है।

भूकंपीय अनुसंधान संस्थान

1274. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि विनाशकारी भूकंप के परिणामस्वरूप गुजरात सरकार गुजरात में भूकंपीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने को उत्सुक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का अनुसंधान एवं विकास संस्थान होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना के लिए दी जाने वाली निधियों के प्रावधान का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी, हां। गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य ने अपने आंतरिक संसाधनों और बाहरी सहायता से संस्थान की स्थापना के लिए आवश्यक कदमों की शुरूआत कर दी है। संस्थान के प्रमुख के रूप में एक महानिदेशक की पहले ही नियुक्ति कर दी गई थी। गुजरात आपातकालीन भूकंप पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विश्व बैंक ऋण में से 30.00 करोड़ रुपये की धनराशि संस्थान के लिए आबंटित कर दी गई थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आबंटनों में से उक्त संस्थान के लिए अलग से कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भूकंप के खतरे के बेहतर आकलन के लिए गुजरात में अनेक अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता की है।

आयुर्वेद महाविद्यालय को "सेंटर आफ एक्सीलेंस" का दर्जा

1275. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरूवनंतपुरम स्थित सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय को "सेंटर आफ एक्सीलेंस" का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित/लागू की गई सभी विकासात्मक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) "संस्थानों के विकास" के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम में "आदर्श संस्थान" के स्तर तक, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक पद्धति जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के एक सरकारी कालेज के उन्नयन के लिए 3 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की व्यवस्था है, यदि उक्त कालेज 10 वर्षों से केंद्रीय विनियामक परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो। आयुर्वेद के "आदर्श संस्थान" के स्तर तक सरकारी आयुर्वेद कालेज तिरूवनंतपुरम के उन्नयन हेतु 1.75 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। एक "आदर्श संस्थान" में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिएं-

1. कालेज, अस्पताल, फार्मेसी और छात्रावास हेतु उपकरणों से सुसज्जित भवन
2. 200 शय्याओं वाला अस्पताल
3. कम से कम 5 विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

अभी तक संस्वीकृत 1.75 करोड़ रुपये में से, 1.50 करोड़ रुपये भवन परिसर तथा 25.00 लाख रुपये उपस्कर और लाइब्रेरी की पुस्तकें हेतु हैं।

व्यापार हेतु वाघा सीमा का खोला जाना

1276. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान को वाणिज्यिक माल के लिए वाघा सीमा को खोलने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच माल के लिए सीधे जुड़ने वाले पोत परिवहन मार्गों के लिए क्या प्रयास किये गए है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) 11-12 अगस्त, 2004 को इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता के दौरान भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि दोनों पक्ष व्यापार के लिए अटारी-बाघा भूमार्ग को खोलने पर विचार कर सकते हैं। बाद में उपरोक्त सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए पाकिस्तान को एक औपचारिक प्रस्ताव किया गया था। तथापि, पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच नौवहन सेवाओं को पुन: आरंभ करने से सम्बद्ध 1975 का द्विपक्षीय प्रोतोकोल जहाजों के द्वारा दोनों देशों के बीच माल के आने-जाने को संचालित करता है।

[हिन्दी]

निजी अस्पतालों को श्रेणीबद्ध करना

1277. श्रीमती करूणा शुक्ला:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी अस्पतालों को उनके द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के आधार पर 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणी प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी अस्पतालों की 'उपचार प्रभार' की दरें उनकी श्रेणियों के आधार पर निर्धारित की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो अपंजीकृत निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम्स के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) इस समय ऐसा प्रस्ताव नहीं है। तथापि भारत सरकार, अस्पतालों, नर्सिंग होमों तथा अन्य नैदानिक संस्थानों के लिए न्यूनतम मानक और विशिष्टताओं को निर्धारित करने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है।

[अनुवाद]

एंटी-डिप्थीरिया सीरम की कमी

1278. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घोड़े से एंटी-डिप्थीरिया सीरम टीके के उत्पादन को मंजूरी न देने की मौजूदा नीति की वजह से बाजार में टीके की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस टीके का देश में ही उत्पादन करने संबंधी नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्यवाही क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) डिप्थेरिया रोधी सीरम देश में ही विर्निमित होता है। पशुओं पर प्रयोग संबंधी निवारण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण समिति ने वैक्सीन/सीरे के उत्पादन के लिए अश्वों (इक्विस) के उपयोग हेतु मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मार्ग निर्देशों की अपेक्षा को पूरा करने के कारण अश्वों की उपलब्धता में कमी आई है। इस वजह से डिफ्थेरिया रोधी सीरम उत्पादन में कमी आई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्थापित एक समिति इन मार्ग निर्देशों की समीक्षा कर रही है। तथापि, सेवा महानिदेशालय ने फिलहाल डिफ्थेरिया रोधी सीरम की कमी को पूरा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से इसकी खरीद की व्यवस्था की है।

डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण/प्रोन्नयन

1279. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2004-05 के दौरान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में इस उद्देश्य हेतु अब तक आबंटित और खर्च की गई धनराशि कितनी है;

(घ) इन राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान जिले-वार, अवस्थिति और श्रेणीवार आधुनिकीकृत/प्रोन्नत डाकघरों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) इन राज्यों में शेष डाकघरों और आधुनिकीकृत/प्रोन्नत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां। 10वीं योजना में बल इस बात पर दिया जा रहा है कि कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से देश में डाकघरों के वास्तविक नेटवर्क का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किया जाए और मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान की जाएं। अत: प्राक्कलन बजट 2004-05 में प्राप्त योजना आबंटन का 80% से अधिक को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित देश में डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं विस्तार से संबंधित योजना कार्यकलापों के लिए नियत किया गया है।

(ख) और (ग) 2004-05 के दौरान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात में डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए योजना कार्यकलापों तथा इन सर्किलों को अब तक आबंटित निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। व्यय चूंकि बजट पारित होने के उपरांत औपचारिकताएं पूरा करने के बाद किया जाता है, अत: सितंबर, 30, 2004 तक सर्किलों द्वारा पश्चिम बंगाल में 2,06,777 रु., उत्तर प्रदेश में 16,29,777 रु. तथा गुजरात में 15,49,933 रु. खर्च किए गए हैं। बकाया राशि या तो निर्धारित की जा चुकी है या की जा रही है। निधि को केंद्रीय स्तर पर भी निर्धारित किया जा रहा है ताकि इन सर्किलों को हार्डवेयर की खरीद में लाभ हो तथा ऐसी सुविधाएं लाई जाएं जिनका फायदा इन सर्किलों को भी मिले।

(घ) इन राज्यों में कंप्यूटरीकरण, अर्गोनामिक्स में सुधार तथा मशीनी उपकरणों की आपूर्ति के लिहाज से आधुनिकीकृत तथा दर्जा बढ़ाए गए डाकघरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) 10वीं योजना के 1350 करोड़ रु. के कुल परिव्यय में से 79% से अधिक राशि विभिन्न योजना स्कीमों हेतु अनुमोदित कार्यक्षेत्र तथा फेजिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात सहित समूचे डाक नेटवर्क में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी की शुरूआत संबंधी कार्यकलापों के लिए नियत की गई है। इनमें सभी प्रधान डाकघरों तथा दो से अधिक कर्मचारियों वाले 6861 उप डाकघरों का कंप्यूटरीकरण, 1500 डाकघरों में अर्गोनामिक्स में सुधार, साथ ही 1600 डाकघरों में मशीनी उपकरणों की आपूर्ति और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित देश भर के 10,000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में बुनियादी उपकरणों की आपूर्ति शामिल है।

विवरण I

वर्ष 2004-05 में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात में डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं विस्तार

क्र.सं.	योजना कार्यकलाप	आबंटित निधियां		
		पश्चिम बंगाल	उत्तर प्रदेश	गुजरात
1		2	3	4
आधुनिकीकरण				
1.	डाकघरों (एमपीसीएम को स्थापित करना), लेखा एवं प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण तथा साफ्टवेयर विकास	2,98,84000	4,75,22,000	1,89,90,000

1		2	3	4
2.	प्रचालनात्मक/कार्यकारी प्रणाली का आधुनिकीकरण (एर्गोनामिक्स में सुधार)			
	क. डाकघरों का आधुनिकीकरण (एर्गोनामिक्स में सुधार)	क. 20,00,000	क. 10,00,000	क. 10,00,000
	ख. मैकेनिकल उपस्कर	ख. 10,00,000	ख. 10,00,000	ख. 6,25,000
	ग. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण (एर्गोनामिक्स में सुधार)	ग. 2,87,655	ग. 2,32,141	ग. 10,53,091
	घ. ग्रामीण डाकघरों के लिए बुनियादी उपस्कर उपलब्ध करना	घ. 5,40,669	घ. 12,54,067	घ. 5,91,812
3.	प्रीमियम उत्पादों का आधुनिकीकरण/उन्नयन			
	क. कारोबार का विस्तार (स्पीड पोस्ट)	क. 3,72,000	क. 11,16,000	
	ख. ट्रैक एवं ट्रेस का उन्नयन (स्पीड नेट)	ख. 63,000	ख. 7,58,000	
4.	फिलैटली का उन्नयन और संवर्द्धन: यूनिटों को उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराना	100,000	100,000	100,000
5.	सर्किल स्टेंप डिपो का आधुनिकीकरण	11,00,000	–	11,00,000
6.	ई-पोस्ट	निधि केन्द्रीय रूप से निर्धारित की जा रही है		
7.	ई-बिलपोस्ट	निधि केन्द्रीय रूप से निर्धारित की जा रही है		
8.	राष्ट्रीय डाटा केन्द्र	निधि केन्द्रीय रूप से निर्धारित की जा रही है		
नेटवर्क का विस्तार				
	डाटा नेटवर्क का विस्तार:			
	पीएसएसके को खोलना	24,332	19,34,394	4,74,474

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकृत/दर्जा बढ़ाए गए डाकघरों का ब्यौरा

राज्य : पश्चिम बंगाल

क्र.सं.	डाकघरों का नाम (स्थान)	श्रेणी	जिला
1	2	3	4
1.	राहरा	उप डाकघर	
2.	खारदाह	उप डाकघर	
3.	जेलियापाड़ा	उप डाकघर	
4.	सूर्यसेन नगर	उप डाकघर	24 पीजीएस (एन)
5.	बी.डी. सोपान	उप डाकघर	
6.	बारहट	प्रधान डाकघर	
7.	बारासत	प्रधान डाकघर	
8.	बैरकपुर	प्रधान डाकघर	
9.	रघुनाथगंज	प्रधान डाकघर	
10.	कान्डी	प्रधान डाकघर	मुर्शिदाबाद
11.	बेरहामपुर (पश्चिम बंगाल)	प्रधान डाकघर	
12.	राणाघाट	प्रधान डाकघर	नाडिया
13.	आरामबाग	प्रधान डाकघर	हुगली
14.	आयकर भवन	उप डाकघर	
15.	असायलम	उप डाकघर	
16.	राजभवन	उप डाकघर	
17.	बालीगंज	उप डाकघर	
18.	बेहाला	उप डाकघर	
19.	बेलघाट	प्रधान डाकघर	कोलकाता
20.	बेलगछिया	उप डाकघर	
21.	सर्कस एवेन्यू.	उप डाकघर	
22.	दमदम	उप डाकघर	
23.	कालीघाट	उप डाकघर	

1	2	3	4
24.	एल.आर. सरानी	उप डाकघर	
25.	आर.बी. एवेन्यू	उप डाकघर	
26.	एस.बी. रोड	उप डाकघर	
27.	श्याम बाजार	उप डाकघर	
28.	टालीगंज	प्रधान डाकघर	कोलकाता
29.	जादवपुर यूनिवर्सिटी	उप डाकघर	
30.	बड़ा बाजार	प्रधान डाकघर	
31.	कोलकाता जीपीओ	प्रधान डाकघर	
32.	पार्क स्ट्रीट	प्रधान डाकघर	
33.	आसनसोल	प्रधान डाकघर	बुर्दवान
34.	बुर्दवान	प्रधान डाकघर	
35.	मिदनापुर	प्रधान डाकघर	मिदनापुर (पश्चिम)
36.	दार्जिलिंग	प्रधान डाकघर	दार्जिलिंग
37.	सिलीगुड़ी	प्रधान डाकघर	
38.	जलपाईगुड़ी	प्रधान डाकघर	जलपाईगुड़ी
39.	बांकुरा	प्रधान डाकघर	बांकुरा
40.	मालदा	प्रधान डाकघर	मालदा
	राज्य : उत्तर प्रदेश		
1.	अलीगढ़	प्रधान डाकघर	अलीगढ़
2.	मथुरा	प्रधान डाकघर	मथुरा
3.	झांसी	प्रधान डाकघर	झांसी
4.	देवरिया	प्रधान डाकघर	देवरिया
5.	गोरखपुर	प्रधान डाकघर	गोरखपुर
6.	नवाबगंज	प्रधान डाकघर	
7.	कानपुर कैंट	प्रधान डाकघर	कानपुर
8.	कानपुर	प्रधान डाकघर	
9.	एच.एन.एस. नगर	उप डाकघर	
10.	किदवई नगर	उप डाकघर	

1	2	3	4
11.	लखनऊ	जीपीओ	
12.	लखनऊ चौक	प्रधान डाकघर	
13.	फैजाबाद	प्रधान डाकघर	फैजाबाद
14.	मेरठ कैंट	प्रधान डाकघर	मेरठ
15.	वाराणसी	प्रधान डाकघर	वाराणसी
16.	वाराणसी कैंट	प्रधान डाकघर	
17.	इलाहाबाद	प्रधान डाकघर	इलाहाबाद
18.	आजमगढ़	प्रधान डाकघर	आजमगढ़
19.	बलिया	प्रधान डाकघर	बलिया
20.	मैनपुरी	प्रधान डाकघर	मैनपुरी
21.	इटावा	प्रधान डाकघर	इटावा
22.	चंदौली	एमडीजी	चंदौली
23.	गाजियाबाद सिटी	प्रधान डाकघर	गाजियाबाद
24.	नोएडा	प्रधान डाकघर	जी.बी. नगर
25.	बरहालगंज	उप डाकघर	गोरखपुर
26.	अकबरपुर	प्रधान डाकघर	अम्बेडकर नगर
27.	रायबरेली	प्रधान डाकघर	रायबरेली
28.	बरेली	प्रधान डाकघर	बरेली
29.	सहारनपुर	प्रधान डाकघर	
	राज्य : गुजरात		
1.	रेवदीबाजार	प्रधान डाकघर	अहमदाबाद
2.	सूरत	प्रधान डाकघर	सूरत
3.	खेडा	प्रधान डाकघर	खेडा
4.	नदियाड	प्रधान डाकघर	
5.	अमरेली	प्रधान डाकघर	अमरेली
6.	जामनगर	प्रधान डाकघर	जामनगर
7.	जूनागढ़	प्रधान डाकघर	जूनागढ़

1	2	3	4
8.	भावनगर	प्रधान डाकघर	भावनगर
9.	अम्बावाडी विस्तार	उप डाकघर	
10.	नारनपुरा विस्तार	उप डाकघर	अहमदाबाद
11.	विरामगाम (गांधी नगर डिवीजन)	उप डाकघर	
12.	रेस कोर्स	उप डाकघर	वडोदरा
13.	वापी	उप डाकघर	वलसाड
14.	सिलवासा	उप डाकघर	
15.	गोधरा	प्रधान डाकघर	पंचमहल
16.	थानगढ़	उप डाकघर	सुरेन्द्रनगर
17.	मुंधड़ा	उप डाकघर	कच्छ
18.	गांधीधाम	उप डाकघर	
19.	भड़ूच	प्रधान डाकघर	भड़ूच
20.	पालनपुर	प्रधान डाकघर	बनासकांठा
21.	पाटण	प्रधान डाकघर	पाटण
22.	पोरबंदर	प्रधान डाकघर	पोरबंदर

नोट : सभी उपर्युक्त डाकघर शहरी क्षेत्र में अवस्थित हैं।

टेलिग्राफ कार्यालय की स्थापना

1280. **श्री किरिप चालिहा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम दूरसंचार विभाग के नलबोरी उप-प्रभाग के अंतर्गत तिहू कस्बे में आज तक भी कोई टेलिग्राफ कार्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इसकी वजह से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी की भी जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तिहू में टेलिग्राफ कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां, नलबाड़ी उप-मंडल के अंतर्गत तिहू में कोई तारघर नहीं है। तथापि, तिहू में तार सेवा संयुक्त डाक व तारघर द्वारा प्रदान की जाती है।

(ख) तिहू संयुक्त डाक व तार घर द्वारा दर्ज किए जाने वाले तथा वितरण किए जाने वाले तारों की संख्या प्रतिदिन केवल 4 तार है।

(ग) जी, हां, तिहू कस्बे के लोग तिहू डाक व तार घर द्वारा प्रदान की जा रही तार सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

(घ) नलबाड़ी उपमंडल के तिहू कस्बे में तार घर की संस्थापना का कोई औचित्य नहीं है।

बुनियादी दूरभाष सेवाओं की बदहाली

1281. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइल फोन के अत्याधिक प्रयोग की वजह से बुनियादी दूरसंचार क्षेत्र की सेवाएं बिगड़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। ऐसे कोई संकेत नहीं हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अस्पतालों में अपराध

1282. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधलराव पाटिल शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसुल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अक्तूबर, 2004 के ''स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार ''सिटि हास्पीटल्स न्यू क्राइम हब'' की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहरों के अस्पतालों में और विशेषकर सरकारी अस्पतालों, जिनकी सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाती है, कई जघन्य अपराध हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अस्पतालों में अपराध न हो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अस्पताल महिलाओं के लिए अधिक जोखिम वाले क्षेत्र बनते जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और महिला मरीजों और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सफरजंग अस्पताल में एक नाबालिक लड़की के बलात्कार के एक मामले की सूचना मिली थी जिसमें दोषी डाक्टर को गिरफ्तार किया गया है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के अन्य अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल का संबंध है ऐसे किसी भी अपराध की सूचना नहीं मिली है।

दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में महिला रोगियों और वहां काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के वास्ते समुचित उपाय किए जा रहे हैं। अस्पतालों में महिला रोगियों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के अधिकारियों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। प्रत्येक अस्पताल के नामित अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की मानीटरिंग की जाती है। राज्य सरकारों को उनके अस्पतालों में सभी महिला रोगियों और महिला स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

अस्पतालों में डिफिब्रीलेटर्स

1283. **श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी अस्पतालों के गहन चिकित्सा कक्षों में डिफिब्रीलेटर्स का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी अस्पतालों में डिफिब्रीलेट्रोसिन आईसीयू की आपूर्ति कम हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी अस्पतालों में डिफीब्रीलेटर्स की अनुपलब्धता की वजह से हुई मौतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के आईसीयू में उपलब्ध डिफिब्रीलेटर्स की संख्या इस प्रकार है:-

(1)	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	- 2
(2)	सफदरजंग अस्पताल	- 4
(3)	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल	- 3

केन्द्रीय सरकार के उपर्युक्त अस्पतालों के आईसीयू में डिफिब्रीलेटर्स की अनुपलब्धता के कारण कोई मृत्यु होने की सूचना नहीं है। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकार के अस्पतालों में डिफिब्रीलेटर्स की अनुपलब्धता के कारण हुई मौतों से संबंधित सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

चीनी शिष्टमण्डल का भारत दौरा

1284. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में चीनी शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दोनों के बीच प्राकृतिक गैस की पाईपलाइन की सम्भाव्यता के संबंध में कोई वार्ता हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच विमानों की उड़ानों को बढ़ाने के बारे में भी वार्ता हुई;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तैयार की गई विस्तृत रणनीति क्या है;

(च) क्या हाल ही में बीजिंग में सीमा मुद्दे पर विशेष शिष्टमण्डल स्तर की बातचीत हुई है; और

(छ) यदि हां, तो सम्पन्न विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) भारत-चीन संबंधों के विकास के साथ, विभिन्न स्तरों पर सरकारी स्तर के लगातार आदान प्रदान हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) दोनों देशों के बीच उड्डयन सम्पर्कों को पुनः बहाल करने के मामले पर चर्चा के लिए भारत और चीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकारियों के बीच अगले वर्ष के प्रारंभ में तकनीकी स्तर की वार्ताएं आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(च) जी, हां।

(छ) भारत और चीन सरकार के विशेष प्रतिनधियों के बीच सीमा के प्रश्न पर 18-19 नवंबर, 2004 को बीजिंग, चीन में चौथी बैठक हुई। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों, श्री जे.एन. दीक्षित, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और श्री दायी बिंगों, उप विदेश मंत्री के बीच यह बैठक मैत्रीपूर्ण, रचनात्मक और सहयोगात्मक वातावरण में हुई। विचारों का आदान-प्रदान स्पष्ट और विस्तृत था। दोनों पक्ष परस्पर सुविधाजनक तारीख को नई दिल्ली में अगली बैठक आयोजित करने पर सहमत हुए।

एन डब्ल्यू-II की नौवहनीयता

1285. श्री अरूण कुमार शर्मा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** 3.3.1997 और 17.3.1997 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न सं. 1315 और 3393 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष भर एन डब्ल्यू-II को नौवहनीय बनाए रखने के लिए 2 मीटर की गहराई बनाई रखी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान बड़ी नौकाओं के आवागमन का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चैनल की न्यूनतम गहराई को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जाते हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) राष्ट्रीय जल-मार्ग सं. II पर वर्ष के अधिकांश समय, धुबरी से निमाटी के बीच 02 मीटर और निमाटी से डिब्रूगढ़ के बीच 1.5 मीटर की गहराई कायम रखी जाती है।

(ख) इस ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त गहराई, जलमार्ग में कम जल रहने की अवधि के दौरान अर्थात् अक्तूबर/नवम्बर और फरवरी/मार्च के बीच जलमार्ग में निकर्षण और बैंडेलिंग करके कायम रखी जाती है।

विवरण

जनवरी, 2001 से अब तक की अवधि के दौरान रा.ज.-3 पर बड़े जलयानों द्वारा ढुलाई की गई कार्गो के विवरण

क्र.सं.	वर्ष	जलयान	एम.टी. में मात्रा	सामग्री	उद्गम	गंतव्य स्थान	जलयान का नाम	आगमन/ प्रस्थान की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2001	सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	222	ओ.डी.सी.	कोलकाता	पांडु	पी.टी. गौड़ एवं 2 बार्जे	1.1.2001
2.		बी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	216	ओ.डी.सी.	कोलकाता	पांडु	मिड शिप	21.3.2001
3.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	313	साबुन, डिटर्जेंटस	कोलकाता	पांडु	एम.वी. रजनीकांत	2.5.2001
4.		आई.डब्ल्यू.टी.	19	ओ.डी.सी. क्रेन	पांडु	कोलकाता	पी.टी. गौड़ एवं 2 बार्जे	1.4.2001
5.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	151	चाय, साबुन, डिटर्जेंट, बैटरी	पांडु	कोलकाता	एम.वी. रजनीकांत	17.5.2001
6.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	375	बांस	जोगीघोपा	करीमगंज	एम.वी. अतुल प्रसाद	5.1.2001
7.		भा.अ.ज.प्रा.	418	सीमेंट	कोलकाता	पांडु	राजगोपालाचारी	9.11.2001
8.		भा.अ.ज.प्रा.	547	चाय, साबुन, डिटर्जेंट, बैटरी	पांडु	कोलकाता	राजगोपालाचारी	24.11.2001
9.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	1200	एच.एस.डी.	सिलघाट	कोलकाता	एम.टी. नहरकटिया	27.11.2001
		कुल				3461		
1.	2002	सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	907	चाय	पांडु	कोलकाता	पी.टी. गौड़ एवं 2 बार्जेज	06.2.2002
2.		भा.अ.ज.प्रा.	615	अंबुजा सीमेंट	कोलकाता	पांडु	राजगोपालाचारी	06.04.2002
3.		भा.अ.ज.प्रा.	546	चाय	पांडु	कोलकाता	राजगोपालाचारी	08.08.2002
4.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	600	अंबुजा सीमेंट	कोलकाता	पांडु	रजनीकांत	29.11.2002
		कुल				2668		
1.	2003	सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	525	मेघालय कोयला	जोगीघोपा	कोलकाता	रजनीकांत	26.2.2003
2.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	1500	लाफार्ज सीमेंट	कोलकाता	पांडु	पी.टी. गौड़ एवं 2 बार्जे	31.3.2003
3.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	1500	लाफार्ज सीमेंट	कोलकाता	पांडु	पी.टी. ग्वालियर एवं 2 बार्जे	12.4.2003
4.		भा.अ.ज.प्रा.	625	लाफार्ज सीमेंट	कोलकाता	पांडु	राजगोपालाचारी	03.05.2003
5.		भा.अ.ज.प्रा.	रिक्त	रिक्त	पांडु	कोलकाता	राजगोपालाचारी	27.05.2003
6.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	1185	मेघालय कोयला	जोगीघोपा	कोलकाता	पी.टी. ग्वालियर एवं 2 बार्जे	02.11.2003
7.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	1176	मेघालय कोयला	जोगीघोपा	कोलकाता	पी.टी. गौड़ एवं 2 बार्जे	05.12.2003
8.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	650	सीमेंट	कोलकाता	पांडु	एम.वी. अतुल प्रसाद	11.12.2003
		कुल				7161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2004	सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	रिक्त	रिक्त	बांग्लादेश	जोगीघोपा	पी.टी. अंबाला एवं 2 बार्जे	09.01.2004
2.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	रिक्त	रिक्त	बांग्लादेश	जोगीघोपा	पी.टी. गौड़ एवं 2 बार्जे	01.02.2004
3.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	331	मेघालय कोयला	जोगीघोपा	कोलकाता	एम.वी. अतुल प्रसाद	13.02.2004
4.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	1160	मेघालय कोयला	जोगीघोपा	कोलकाता	पी.टी. अंबाला एवं 2 बार्जे	22.02.2004
5.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	1035	मेघालय कोयला	जोगीघोपा	कोलकाता	पी.टी. गौड़ एवं 2 बार्जे	05.03.2004
6.		भा.अ.ज.प्रा.	626	बिटुमेन	हल्दिया	पांडु	राजगोपालाचारी	08.06.2004
7.		भा.अ.ज.प्रा.	299	जूट	धुबरी	कोलकाता	रागोपालाचारी ने एम.वी. वैरह्यू को खिंचाई में सहायता भी मुहैया की है।	08.07.2004
8.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	1500	बिटुमेन	हल्दिया	पांडु	पी.टी. ग्वालियर एवं 2 बार्जे	05.08.2004
		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	200	पैराफिन मोम	पांडु	कोलकाता	पी.टी. ग्वालियर एवं 2 बार्जे	03.09.2004
			268.2	जूट				
			244.669	चाय				
10.		भा.अ.ज.प्रा.	619.467	बिटुमेन	हल्दिया	पांडु	एम.वी. राजगोपालाचारी	24.09.2004
11.		सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.	1454	बिटुमेन	हल्दिया	पांडु	पी.टी. ग्वालियर एवं 2 बार्जे	19.10.2004
12.		भा.अ.ज.प्रा.	483.17	मेघालय कोयला	जोगीघोपा	कोलकाता	राजगोपालाचारी	30.10.2004
		कुल				8240.506		

भारत-बांग्लादेश वार्ता

1286. श्री विजय कृष्णः
श्री काशीराम राणाः
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटिलः
श्री कीर्ति वर्धन सिंहः
श्री उदय सिंहः
श्री दलपत सिंह परस्तेः
श्री गुरूदास कामतः
प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः
श्री सुरेश अंगड़िः
श्री राम कृपाल यादवः
श्री गणेश प्रसाद सिंहः
श्री प्रबोध पाण्डाः
श्री निखिल कुमारः
श्री गुरूदास दासगुप्तः
श्री अधीर चौधरीः
श्री अजय चक्रवर्तीः
श्री दुष्यंत सिंहः
श्री मणी कुमार सुब्बाः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में कोई वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो सम्पन्न वार्ता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वार्ता के दौरान बांग्लादेशी जेलों में सड़ रहे भारतीयों को वापस लाने और उनके क्षेत्र में स्थित आतंकवादी कैम्पों की उपस्थिति जैसे मुद्दों पर वार्ता हुई;

(घ) यदि हां, तो उक्त मुद्दों पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस अवसर पर कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किये गए;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन समझौतों को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) द्विपक्षीय हित के अन्य मामलों के अलावा बांग्लादेश के साथ सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधित मसलों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) हमने भारतीय विद्रोही गुटों के शिविरों की उपस्थिति के बारे में अपनी चिंता दर्ज करा दी। बांग्लादेशी जेलों में बंद भारतीयों का मामला नहीं उठाया गया।

(घ) सरकार हमारी सुरक्षा चिंताओं से बांग्लादेश की सरकार को रचनात्मक रूप से अवगत कराती रहेगी। ढाका में हमारा मिशन बांग्लादेशी जेलों में बंद भारतीयों को नियमित रूप से कौंसली सहायता उपलब्ध कराता है। सभी मामलों में, जब बांग्लादेश सरकार कैदी की राष्ट्रीयता की पुष्टि मांगती है तो ढाका में हमारा उच्चायोग भारत में संबंधित जिला प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाता है। मिशन, जेल भेजे गए व्यक्तियों के जिनकी सूचना भारत से भेजी गई हो और स्वयं भी यदि भारतीय राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी के बारे में समाचार पत्रों में रिपोर्टें छपी हों, मामलों को भी बांग्लादेश की सरकार के साथ उठाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) लागू नहीं।

(छ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

बीमारियों का उन्मूलन

1287. **श्री राजेन गोहेन:**
श्री हेमलाल मुर्मु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कालाजार, मलेरिया और तपेदिक की बीमारियों से हुई मौतों के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त बीमारियों के उम्मूलन के लिए उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और उनके पास कितनी धनराशि शेष है; और

(घ) सरकार द्वारा इन बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करने और इन बीमारियों के उन्मूलन के लिए किस प्रकार के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान काला-जार और मलेरिया के कारण हुई मौतों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मौतों की सूचना नहीं दी जाती है। अनुमान है कि देश में हर वर्ष लगभग 4.17 लाख रोगी क्षय रोग के कारण मर जाते हैं। तथापि, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार हेतु पंजीकृत रोगियों में क्षय रोग के कारण होने वाली मौतों की सूचना दी जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान सूचित की गई राज्य-वार मौतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया जाता है।

(ख) और (ग) चल रही तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और काला-जार नियंत्रण कार्यक्रम सहित डेंगू और जापानी ऐन्सेफेलाइटिस के निवारण और नियंत्रण कार्यक्रमों को कवर करते हुए अक्तूबर, 2003 से राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार सभी राज्यों को मलेरिया काला-जार और फाइलेरिया के उपचार के लिए कीटनाशकों, लार्वानाशकों और औषधों के रूप में सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों और संघ क्षेत्रों को भी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक लागत को पूरा करने के लिए नकद सहायता प्रदान की जाती है। 8 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात में 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर करते हुए 100 जिलों को भी विश्व बैंक सहायता-प्राप्त वृहत मलेरिया नियंत्रण परियोजना (ई.एम.सी.पी.) के अंतर्गत इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक लागत को पूरा करने के वास्ते शत-प्रतिशत नकद सहायता प्रदान की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत अन्य राज्यों को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यकलापों के लिए भी नकद सहायता प्रदान की जाती है।

चार काला-जार स्थानिकमारी वाले राज्यों अर्थात् बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को काला-जार के उपचार के लिए

कीटनाशकों और औषधों के रूप में धन उपलब्ध कराया जाता है। दिसम्बर, 2003 से भारत सरकार काला-जार उपचार के वास्ते डी.डी.टी. और औषधों की आपूर्ति करने के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक लागत पूरी करने के लिए शत-प्रतिशत नकद सहायता प्रदान कर रही है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान मलेरिया, काला-जार और क्षय रोग के नियंत्रण के लिए आबंटित किए गए धन और व्यय और खर्च न की गई शेष धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III और IV में दिया गया है। 30.11.2004 को मलेरिया और काला-अजार के नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च न की गई शेष धन राशियों की स्थिति संलग्न विवरण-V में है।

(घ) मलेरिया की प्रभावी रोकथाम के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

- मलेरिया के रोगियों का शुरू में ही निदान और शीघ्र उपचार
- समेकित वेक्टर नियंत्रण
- मलेरिया महामारी के प्रकोपों का शुरू में ही पता लगाना और उनकी रोकथाम करना
- वैयक्तिक निवारण और सामुदायिक सहभागिता के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण
- चिकित्सा और अर्धचिकित्सीय कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- मानीटरिंग और मूल्यांकन
- कारगर प्रबंध सूचना प्रणाली

समुदाय में मलेरिया के रोगियों का पता लगाने के वास्ते स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों और जिला अस्पतालों जैसी स्वास्थ्य संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी करते हैं। अधिकतर गांवों में ज्वर ग्रस्त रोगियों को मलेरिया-रोधी औषधें उपलब्ध कराने तथा रक्त सलाइडें तैयार करने के लिए औषध वितरण केन्द्र (डी.डी.सीज) और ज्वर उपचार डिपो (एफ.टी.डीज) बनाए गए हैं। रक्त स्लाइडों की जांच से पुष्ट मलेरिया के पाजिटिव रोगियों को मूल उपचार दिया जाता है।

भारत सरकार द्वारा काला-जार के उन्मूलन के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:-

- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली और समय-समय पर घर-घर जाकर रोगी का पता लगा करके शुरू में ही निदान और पूरा उपचार करना
- प्रभावित क्षेत्रों में डी.डी.टी. का घर के अन्दर छिड़काव से वेक्टर नियंत्रण के माध्यम से संचरण की रोकथाम
- स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता

क्षय रोग नियंत्रण के लिए देश में 1962 से राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका। अतः संशोधित राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे व्यापक रूप से डोट्स के रूप में जाना जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संस्तुत कार्यनीति है। इसे 1993 से शुरू किया गया और इसमें 1998 से तेजी लाई गई। इस कार्यक्रम को चरणवार ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 85 प्रतिशत नए स्पूटम पाजिटिव रोगियों की स्वस्थता दर प्राप्त करना और ऐसे रोगियों के कम से कम 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाना है।

परियोजना जिलों ने 85 प्रतिशत से अधिक रोगियों की स्वस्थता दर की सूचना दी है जिसका अर्थ है कि हर 10 रोगियों में से 8 से अधिक रोगियों का निदान किया गया है और उनको संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत उपचार पर रखा गया और उनका सफलतापूर्वक उपचार किया गया। यह संख्या पहले के कार्यक्रम की तुलना में दुगनी से अधिक है। क्षय रोग का अच्छे प्रकार से निदान करने के लिए सामान्य क्षेत्रों के वास्ते प्रति एक लाख की आबादी और पर्वतीय/आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए प्रति 50,000 की आबादी हेतु माइक्रोस्कोपी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। देश में 9000 से अधिक सूक्ष्म-दर्शी (माइक्रोस्कोपी) केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

इस कार्यक्रम को जनसंख्या के और अधिक वर्गों तक और अधिक पहुंच में बनाने के लिए और इस दिशा में सरकार के प्रयासों को पूरा करने के वास्ते इस कार्यक्रम में चिकित्सा महाविद्यालयों, सभी सामान्य अस्पतालों, निजी चिकित्सकों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने पर बल दिया जा रहा है।

देश में डोट्स कवरेज का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। 1998 में इसकी कवरेज 20 मिलियन से बढ़कर 522 जिलों में 900 मिलियन से अधिक आबादी को कवर किया जा चुका है। वर्ष 2005 तक पूरे देश को इस संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत कवर करने की योजना है।

विवरण I

मलेरिया और कालाजार के कारण राज्यवार/वर्षवार हुई मौतें

राज्य/संघ क्षेत्र	2001		2002		2003		2004	
	मलेरिया मौतें	कालाजार मौतें	मलेरिया मौतें	कालाजार मौतें	मलेरिया मौतें	कालाजार मौतें	मलेरिया मौतें	कालाजार मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	1	—	0	—	3	—	0 सितम्बर	
अरुणाचल प्रदेश	14	—	0	—	0	—	0 जुलाई	
असम	122	—	72	—	53	—	10 अप्रैल	
बिहार	0	204	2	160	1	187	0 सितम्बर	84 (सितम्बर तक)
छत्तीसगढ़	32	—	3	—	4	—	2 सितम्बर	
गोवा	12	—	15	—	1	—	4 अगस्त	
गुजरात	19	—	17	—	65	—	0 सितम्बर	
हरियाणा	0	—	0	—	0	—	0 सितम्बर	
हिमाचल प्रदेश	0	—	0	—	0	—	0 सितम्बर	
जम्मू-कश्मीर	0	—	0	—	0	—	0 अगस्त	
झारखंड	21	0	31	0	13	5	26 अगस्त	13 (सितम्बर तक)
कर्नाटक	21	—	33	—	22	—	18 सितम्बर	
केरल	9	—	8	—	7	—	9 अगस्त	
मध्य प्रदेश	81	—	30	—	22	—	8 अगस्त	
महाराष्ट्र	50	—	43	—	85	—	8 जून	
मणिपुर	5	—	9	—	17	—	7 अगस्त	
मेघालय	17	—	41	—	38	—	19 सितम्बर	
मिजोरम	43	—	35	—	48	—	56 सितम्बर	
नागालैंड	1	—	0	—	0	—	0 जुलाई	
उड़ीसा	305	—	465	—	333	—	104 जून	
पंजाब	0	—	0	—	1	—	0 सितम्बर	
राजस्थान	36	—	11	—	66	—	0 जुलाई	
सिक्किम	0	—	0	—	0	—	0 अगस्त	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु	0	—	0	—	0	—	0 सितम्बर	
त्रिपुरा	9	—	5	—	13	—	13 सितम्बर	
उत्तरांचल	0	—	0	—	0	—	0 सितम्बर	
उत्तर प्रदेश	15	3	0	1	0	1	0 सितम्बर	2 (अक्तूबर तक)
पश्चिम बंगाल	191	4	152	5	214	7	56 जुलाई	22 (सितम्बर तक)
अं. नि. द्वीपसमूह	1	—	1	—	0	—	0 सितम्बर	
चंडीगढ़	0	—	0	—	0	—	0 सितम्बर	
दादरा व नागर हवेली	0	—	0	—	0	—	0 सितम्बर	
दमन व दीव	0	—	0	—	0	—	0 सितम्बर	
दिल्ली	0	2*	0	2*	0	10*	0 अगस्त	6* (सितम्बर तक)
लक्षद्वीप	0	—	0	—	0	—	0 सितम्बर	
पांडिचेरी	0	—	0	—	0	—	0 सितम्बर	
समस्त भारत	1005	213	973	168	1006	210	339	127 (सितम्बर तक)

15.7.2003

*आयातित

विवरण II

पिछले 3 वर्षों के दौरान रिपोर्ट की गई मौतों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	वर्ष		
	2001	2002	2003 (सितम्बर, 2003 तक)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	950	1465	1881
अरुणाचल प्रदेश	—	16	36
असम	58	52	172
बिहार	164	[illegible]	112
चंडीगढ़	—	24	21
छत्तीसगढ़	—	144	107

1	2	3	4
दिल्ली	335	437	279
गुजरात	1606	1788	1201
हरियाणा	196	188	153
हिमाचल प्रदेश	256	361	229
झारखंड	85	81	84
कर्नाटक	920	1096	1136
केरल	877	861	469
मध्य प्रदेश	166	258	475
महाराष्ट्र	2093	3449	1888
मणिपुर	50	156	65
मिजोरम	—	—	16
नागालैंड	—	4	26
उड़ीसा	557	812	582
पंजाब	26	48	268
राजस्थान	2052	2151	1262
सिक्किम	—	28	11
तमिलनाडु	1997	3035	1689
उत्तरांचल	—	1	23
उत्तर प्रदेश	670	663	1333
पश्चिम बंगाल	1973	2533	1584
कुल	15031	19809	6562

* राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इलाज किए गए रोगियों और क्षय रोग से हुई मौतों की संख्या का अनुपात समान रहा है, लेकिन जनसंख्या की कवरेज बढ़ने के कारण संख्या बढ़ी है और इसलिए संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए हैं।

* चूंकि इलाज के परिणाम (मृत्यु सफलता दर आदि) का पता केवल एक साल बाद लगता है कि इसलिए 2003 में क्षय रोग से हुई मौतों की सूचना केवल 2003 के बारे में है और वर्तमान की सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण III

एन.वी.बी.डी.सी.पी.के. अंतर्गत 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के राज्य-वार व्यय

राज्य/संघ क्षेत्र	2001-02 खर्चे	2002-03 खर्चे	2003-04 खर्चे
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	954.64	548.86	534.73
अरुणाचल प्रदेश	364.97	377.08	112.63
असम	2377.47	1935.83	1364.15
बिहार	873.90	198.35	2789.16
छत्तीसगढ़	876.31	3047.95	1739.99
गोवा	6.19	7.97	18.55
गुजरात	1,353.89	767.99	380.99
हरियाणा	18.43	67.21	37.35
हिमाचल प्रदेश	36.78	11.89	4.90
जम्मू-कश्मीर	69.62	62.44	72.30
झारखंड	883.78	1671.15	1296.86
कर्नाटक	386.48	227.36	264.87
केरल	67.75	13.31	214.55
मध्य प्रदेश	2540.80	2408.15	1333.71
महाराष्ट्र	2,289.20	947.11	463.30
मणिपुर	275.27	144.86	69.71
मेघालय	292.98	301.70	323.35
मिजोरम	345.85	190.50	275.68
नागालैंड	368.08	372.14	386.20
उड़ीसा	1,745.06	3030.80	2512.78
पंजाब	94.10	65.75	37.87
राजस्थान	924.92	925.90	1415.59
सिक्किम	0.14	4.32	2.42
तमिलनाडु	289.03	187.39	279.06

1	2	3	4
त्रिपुरा	505.76	389.93	428.63
उत्तर प्रदेश	671.41	607.31	744.61
उत्तरांचल	39.18	1.96	39.17
पश्चिम बंगाल	1,140.73	518.97	616.94
दिल्ली	89.56	58.47	80.67
पांडिचेरी	8.30	13.18	11.12
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	220.75	230.07	203.33
चंडीगढ़	34.87	38.29	25.36
दादरा एवं नागर हवेली	40.67	16.07	60.72
दमन व दीव	18.65	7.99	19.29
लक्षद्वीप	5.92	5.35	12.06
कुल	20,211.43	19403.60	18172.60
पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए नकद	—	0.00	0.00
सामग्री विविध	0	0.00	1928.31
स्थापना/अनुसंधान/प्रकाशन	1,767.16	1278.00	—
दिल्ली/मुख्यालय बफा	—	—	—
राईट्स (शुल्क)	0.00	0.00	0.00
कुल	1767.16	1278.00	1928.31
महायोग	21978.59	20681.60	20100.91

विवरण IV

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार आवंटन और व्यय

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ क्षेत्र	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1200.00	1509.35	1050.00	952.66	600.00	635.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	119.42	89.59	15.00	40.09	30.19	114.13

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	212.38	195.06	391.77	256.81	411.91	448.95
4.	बिहार	700.05	409.47	697.27	285.01	608.38	393.29
5.	गोवा	15.55	9.88	13.76	11.37	13.00	22.50
6.	गुजरात	810.07	466.60	536.22	239.74	506.28	301.97
7.	हरियाणा	195.23	158.13	179.75	137.13	619.00	148.91
8.	हिमाचल प्रदेश	183.57	144.91	64.64	91.20	61.03	133.65
9.	जम्मू-कश्मीर	73.42	77.76	95.28	31.95	86.71	125.21
10.	कर्नाटक	632.73	529.45	534.01	455.28	497.42	636.25
11.	केरल	687.23	450.38	336.99	156.31	318.17	252.85
12.	मध्य प्रदेश	658.38	420.38	592.09	663.03	545.77	412.35
13.	महाराष्ट्र	1683.61	1167.23	1025.81	627.18	968.53	1399.29
14.	मणिपुर	100.47	87.88	30.77	77.14	65.88	126.83
15.	मेघालय	19.59	12.93	31.74	70.19	45.92	58.39
16.	मिजोरम	14.17	15.81	11.82	84.09	22.56	97.94
17.	नागालैंड	99.36	97.31	25.64	28.46	54.90	68.72
18.	उड़ीसा	600.00	528.04	450.00	785.45	515.00	364.13
19.	पंजाब	281.74	239.47	227.65	202.79	206.68	267.01
20.	राजस्थान	1072.53	744.87	598.74	497.23	565.31	502.29
21.	सिक्किम	31.82	31.32	6.41	34.28	13.72	42.25
22.	तमिलनाडु	999.81	679.31	658.09	350.10	621.34	982.42
23.	त्रिपुरा	30.52	36.80	33.57	44.61	68.49	30.80
24.	उत्तर प्रदेश	1402.20	1246.37	1586.38	1142.25	1449.76	1275.78
25.	पश्चिम बंगाल	1109.92	656.90	849.90	677.95	802.44	889.30
26.	दिल्ली	228.75	162.63	146.25	393.55	138.08	384.15
27.	पांडिचेरी	11.67	3.97	9.96	0.00	9.23	0.39
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.53	0.60	2.23	13.00	1.84	0.21
29.	चंडीगढ़	12.84	8.55	9.54	16.00	9.00	30.17
30.	दादरा एवं नागर हवेली	0.04	0.31	1.48	0.00	1.23	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दमन व दीव	0.88	0.31	1.48	0.00	1.23	0.21
32.	लक्षद्वीप	3.28	0.00	1.06	9.34	1.00	3.27
33.	झारखंड	55.13	54.76	233.91	78.32	431.00	373.60
34.	उत्तरांचल	15.56	15.53	67.21	97.16	136.00	273.39
35.	छत्तीसगढ़	36.54	36.30	183.56	196.55	333.00	513.91
	कुल	13300.0	10288.13	10700.00	8746.22	10760.00	11309.98
	मुख्यालय	300.00	70.27	800.00	948.90	740.00	479.66
	महायोग	13600.00	10358.40	11500.00	9695.12	11500.00	11789.64

विवरण V

राष्ट्रीय रोगाणुजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 30.11.2000 तक खर्च न की गई धनराशि की स्थिति

(रुपए लाख में)

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	मलेरिया		फलेरिया	काला-जार	कुल
	डीबीएस	ईएसी			
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	—	64.34	140	—	204.34
अरुणाचल प्रदेश	114	—	0	—	114
असम	0	—	28	—	28
बिहार	—	—	350	1116.83	1466.83
छत्तीसगढ़	—	77.41	52.5	—	129.91
गोवा	—	—	17.5	—	17.5
गुजरात	—	186.86	52.5	—	239.36
हरियाणा	—	—	—	—	0
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	0
जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—	0
झारखंड	—	335.46	140	113.32	588.78
कर्नाटक	—	—	59.5	—	59.5
केरल	—	—	105	—	105
मध्य प्रदेश	—	289.86	77	—	366.86

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	—	274.27	105	—	379.27
मणिपुर	61.28	—	0	—	61.28
मेघालय	—	—	0	—	0
मिजोरम	24	—	0	—	24
नागालैंड	43.61	—	0	—	43.61
उड़ीसा	—	509.89	175	—	684.89
पंजाब	—	—	—	—	0
राजस्थान	—	160.68	0	—	160.68
सिक्किम	2	—	0	—	2
तमिलनाडु	—	—	168	—	168
त्रिपुरा	102.45	—	0	—	102.45
उत्तर प्रदेश	—	—	140	73.15	213.15
उत्तरांचल	—	—	—	—	0
पश्चिम बंगाल	—	—	105	238.03	343.03
दिल्ली	—	—	—	—	0
पाण्डिचेरी	—	—	7	—	7
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	7	—	7
चंडीगढ़	—	—	0	—	0
दादरा एवं नागर हवेली	—	—	7	—	7
दमण व दीव	—	—	7	—	7
लक्षद्वीप	—	—	7	—	7
कुल	347.34	1898.77	1750	1541.33	5537.44

1. डीबीएस: डीबीएस के अंतर्गत खर्च न की गई धनराशि पूर्वोत्तर राज्यों की है जिनमें 19.8.2004 को जारी की गई 260.70 लाख रुपए शामिल हैं।

2. ईएसी: खर्च न की गई धनराशि राज्यों और ईएमसीपी राज्यों के जिला सोसाइटियों को जारी की गई नगद सहायता में से है। इसमें सितम्बर, 2004 में जारी की गई 1445 लाख रुपए की राशि भी शामिल है। यह निरंतर चलने वाला कार्यकलाप है। वर्तमान वर्ष में अनुदान जारी करते समय पिछले वर्ष की शेष राशि को हिसाब में लिया गया है।

3. फाइलेरिया: खर्च न की गई धनराशि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई नकद सहायता में से है। यद्यपि, फाइलेरिया के कार्यकलाप 18 राज्यों/संघ राज्यों में चलाए गए हैं, लेकिन समुपयोजन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिए खर्च न की गई धनराशि के रूप में दिखाया गया है। कुछ राज्यों में नवम्बर, 2004 में इस वर्ष की योजना बनाई है।

4. कालाजार: दिसम्बर, 2003 से

डीबीएस: घरेलू बजटीय सहायता

ईएससी: बाह्य सहायता घटक

[अनुवाद]

दूरभाष केन्द्र का द्विभाजन

1288. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़े दूरभाष केन्द्रों के द्विभाजन के संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) ऐसे द्विभाजन से इस तंत्र की दक्षता किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है; और

(ग) उनसे एकत्र होने वाले प्रशुल्क के संबंध में उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) बड़े एक्सचेंजों का द्विभाजन अधिकाधिक रिमोट स्विचिंग यूनिटें (आरएसयू) खोलकर किया जाता है ताकि मल्टी एक्सचेंज क्षेत्रों में बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। आरएसयू की योजना तैयार करते समय जिन महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया जाता है उनमें से कुछ बातें निम्नानुसार हैं:-

* एक्सचेंज से उपभोक्ता तक की औसत लूप की दूरी मल्टी एक्सचेंज क्षेत्रों में 1 लाख लाइनों से अधिक कनेक्शन होने की स्थिति में लगभग 2 कि.मी. और अन्य शहरों में लगभग 3 कि.मी. की रखनी होती है।
* आरएसयू के स्थान का चयन इस्तेमाल की जाने वाली केबल की लंबाई के आधार पर इसकी किफायत पर विचार करके किया जाना होता है।
* संकेंद्रित क्षेत्रों के स्थानीय नेटवर्क का अधिकतम उपयोग करने के लिए मौजूदा नेटवर्क में नए मुख्य एक्सचेंजों की योजना बनाने के बजाए अधिकाधिक आरएसयू की योजना (मुख्य एक्सचेंज की तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त के अध्यधीन) तैयार करनी होती है।
* जहां मांग किसी भवन में संकेंद्रित है वहां डिजिटल लूप कंसेंट्रेटर (डीएलसी) आदि के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए।

(ख) अधिकाधिक आरएसयू खोलकर बड़े एक्सचेंजों के द्विभाजन से उपभोक्ताओं तक कम की गई लूप की लंबाई से टेलीफोन प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार होता है जिसके फलस्वरूप दोष उत्पन्न होने के मामले कम हो जाते हैं।

(ग) मल्टी एक्सचेंज क्षेत्रों में आरएसयू खोलकर क्षेत्रों के द्विभाजन के मामले में प्रशुल्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के दूरभाष केन्द्र

1289. **श्री पारसनाथ यादव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यरत दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है और प्रत्येक केन्द्र की क्षमता क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के सभी केंद्रों में डिजीटल माइक्रोवेव सिस्टम उपग्रह, एसटीडी और आईएसडी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्य के सभी दूरभाष केन्द्रों में ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राज्य के विभिन्न शहरों में अधिकांश टेलीफोन खराब रहते हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित/उठाए गए कदम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या 3252 है। प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता संबंधी ब्यौरे, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के लिए क्रमशः संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए विश्वसनीय माध्यम अर्थात् आप्टिकल फाइबर प्रणाली व डिजिटल रेडियो प्रणाली (माइक्रोवेव व यूएचएफ) पर एसटीडी और आईएसडी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग 'ख' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल के टेलीफोन एक्सचेंजों की वर्णक्रमानुसार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्चेंज का नाम	एसएसए	सज्जित क्षमता
1	2	3	4
1.	अझुबा	इलाहाबाद	304
2.	अल्लाहपुर	इलाहाबाद	10000
3.	अरा कलां	इलाहाबाद	168
4.	अयोध्या	इलाहाबाद	152
5.	बहरिया	इलाहाबाद	336
6.	बमरौली	इलाहाबाद	1500
7.	बाड़ा	इलाहाबाद	152
8.	बारोट	इलाहाबाद	500
9.	बरेली	इलाहाबाद	500
10.	बरोन	इलाहाबाद	152
11.	भाने माऊ	इलाहाबाद	152
12.	भारतगंज	इलाहाबाद	368
13.	भीरपुर	इलाहाबाद	152
14.	बिसरा	इलाहाबाद	808
15.	बीटीएस हडिया	इलाहाबाद	1000
16.	बीटीएस कोरांव	इलाहाबाद	1000
17.	बीटीएस मनौरी	इलाहाबाद	1000
18.	बीटीएस एमजेपी	इलाहाबाद	1000
19.	बीटीएस पीएफएम	इलाहाबाद	1000
20.	बीटीएस फूलपुर	इलाहाबाद	1000
21.	बीटीएस एसएचएक्स	इलाहाबाद	1000
22.	चरवा	इलाहाबाद	152
23.	सिटी	इलाहाबाद	6000
24.	कर्नल गंज	इलाहाबाद	2250
25.	सीटीओ	इलाहाबाद	1500
26.	सीटीएक्स-I	इलाहाबाद	5000
27.	सीटीएक्स-II	इलाहाबाद	2000
28.	दहियावान	इलाहाबाद	168
29.	दीहा	इलाहाबाद	152
30.	देवीगंज	इलाहाबाद	336
31.	धोबहन	इलाहाबाद	168
32.	ई-10बी	इलाहाबाद	10000
33.	घूरपुर	इलाहाबाद	1000
34.	गोविंदपुर-I	इलाहाबाद	2000
35.	गोविंदपुर-II	इलाहाबाद	3500
36.	हंडिया	इलाहाबाद	1000
37.	हनुमानगंज	इलाहाबाद	1000
38.	हरखपुर	इलाहाबाद	152
39.	हाथीगाहन	इलाहाबाद	152
40.	जलालपुर	इलाहाबाद	336
41.	जंधाई	इलाहाबाद	1000
42.	जारी	इलाहाबाद	304
43.	जसरा	इलाहाबाद	304
44.	झुंसी-I	इलाहाबाद	2000
45.	झुंसी-I	इलाहाबाद	1500
46.	कालिंदीपुरम	इलाहाबाद	2750
47.	कनेली	इलाहाबाद	152
48.	करारी	इलाहाबाद	500
49.	करछना	इलाहाबाद	1000
50.	करेली-1	इलाहाबाद	4000

1	2	3	4
51.	करेली-II	इलाहाबाद	2000
52.	कटेहरा	इलाहाबाद	312
53.	कटरा आरएसयू	इलाहाबाद	1000
54.	कोहदर	इलाहाबाद	152
55.	कोरांव	इलाहाबाद	1000
56.	कैदगंज-I	इलाहाबाद	2000
57.	कैदगंज-II	इलाहाबाद	2000
58.	लालापुर	इलाहाबाद	152
59.	लालगोपालगंज	इलाहाबाद	1000
60.	लेदियारी	इलाहाबाद	152
61.	लोहगरा	इलाहाबाद	152
62.	लुकेरगंज	इलाहाबाद	4000
63.	माहगांव	इलाहाबाद	168
64.	मेलहन	इलाहाबाद	152
65.	मनौरी	इलाहाबाद	1250
66.	मांडारोड	इलाहाबाद	304
67.	मांझनपुर	इलाहाबाद	1000
68.	मंसूरबाद	इलाहाबाद	336
69.	मोइमा	इलाहाबाद	1000
70.	मीरापुर	इलाहाबाद	4000
71.	मेजा	इलाहाबाद	168
72.	मोबिले	इलाहाबाद	18600
73.	मुकुन्दपुर	इलाहाबाद	152
74.	ममफोर्डगंज	इलाहाबाद	6000
75.	मूरतगंज	इलाहाबाद	500
76.	मुठीगंज-I	इलाहाबाद	2000
77.	मुठीगंज-II	इलाहाबाद	2000
78.	नैनी राम एमआरजैड आरडी	इलाहाबाद	1000
79.	नैनी एमआरजैड आरडी-II	इलाहाबाद	1000
80.	नैनी ओसीबी	इलाहाबाद	5000
81.	नैनी आरडब्ल्यूआरडी	इलाहाबाद	1250
82.	नारी बाड़ी	इलाहाबाद	152
83.	नवाबगंज	इलाहाबाद	328
84.	ओसीबी	इलाहाबाद	6000
85.	पीसीएच सरीरा	इलाहाबाद	304
86.	फाफामांउ	इलाहाबाद	1000
87.	फूलपुर	इलाहाबाद	2000
88.	प्रतापपुर	इलाहाबाद	304
89.	पुरखास	इलाहाबाद	152
90.	सहसों	इलाहाबाद	1000
91.	सैटाबाद	इलाहाबाद	500
92.	सराय आईएनटी	इलाहाबाद	152
93.	सराय एक्यूएल	इलाहाबाद	1000
94.	सरसावन	इलाहाबाद	152
95.	शंकरगढ़	इलाहाबाद	1000
96.	सिराथु	इलाहाबाद	1000
97.	सिरसा	इलाहाबाद	1000
98.	सोरांव	इलाहाबाद	1000
99.	सुबेदारगंज-I	इलाहाबाद	2000
100.	सुबेदारगंज-II	इलाहाबाद	1000
101.	टीपी नगर	इलाहाबाद	4000
102.	टैगोर टीडब्ल्यूओएन-I	इलाहाबाद	4000
103.	टेढी मोड़	इलाहाबाद	152
104.	टेलाहपुर	इलाहाबाद	336
105.	तलियारगंज	इलाहाबाद	3000

1	2	3	4
106.	उग्रसेन पीआर	इलाहाबाद	304
107.	ऊंच दीह	इलाहाबाद	304
108.	उत्तरांव	इलाहाबाद	168
109.	डब्ल्यूएलएल	इलाहाबाद	1000
110.	अहरौला	आजमगढ़	1400
111.	आमबाड़ी	आजमगढ़	1400
112.	आमबाड़ी	आजमगढ़	152
113.	अंजन सहीद	आजमगढ़	1000
114.	बबुरा	आजमगढ़	336
115.	बरौना-II	आजमगढ़	152
116.	बरौना-I	आजमगढ़	153
117.	बांकट	आजमगढ़	1000
118.	बड़दाह	आजमगढ़	344
119.	बरदीहा	आजमगढ़	168
120.	भदेवरा	आजमगढ़	184
121.	बिलार माउ (कटर)	आजमगढ़	168
122.	बिंदरा बाजार	आजमगढ़	1400
123.	बिन्दवाल	आजमगढ़	336
124.	चान्द पट्टी	आजमगढ़	1400
125.	छपरा सुल्तानपुर	आजमगढ़	336
126.	चेवटा	आजमगढ़	168
127.	छावु	आजमगढ़	336
128.	छित्तेपुर	आजमगढ़	1400
129.	देवगांव	आजमगढ़	1400
130.	देवैत	आजमगढ़	184
131.	दीदारगंज	आजमगढ़	336
132.	दुरवासा	आजमगढ़	336
133.	फरीदपुर	आजमगढ़	304
134.	गोपालगंज	आजमगढ़	152
135.	गोराहारा-I	आजमगढ़	152
136.	गोराहारा-II	आजमगढ़	153
137.	गोसाई की बाजार	आजमगढ़	1000
138.	हरैया	आजमगढ़	336
139.	हेतुगंज	आजमगढ़	152
140.	जहानागंज	आजमगढ़	1000
141.	कंचनपुर	आजमगढ़	336
142.	कंधरापुर	आजमगढ़	1000
143.	कप्तान गंज	आजमगढ़	1000
144.	कौड़िया	आजमगढ़	184
145.	खरीहानी	आजमगढ़	1000
146.	लहीदीह	आजमगढ़	1000
147.	लहुवान	आजमगढ़	152
148.	लखमापुर	आजमगढ़	336
149.	लाटघाट	आजमगढ़	1000
150.	मादरपुर	आजमगढ़	432
151.	माहुल	आजमगढ़	1000
152.	मंझरी	आजमगढ़	336
153.	मोर्टिनगंज	आजमगढ़	1000
154.	मेहनाजपुर	आजमगढ़	1000
155.	मिट्टुपुर	आजमगढ़	336
156.	नैनीजोर	आजमगढ़	168
157.	नन्दावन	आजमगढ़	336
158.	पलहाना	आजमगढ़	336
159.	पवाई	आजमगढ़	336
160.	फरीहा	आजमगढ़	1000
161.	रामगढ़	आजमगढ़	168

1	2	3	4
162.	रानी की सराय	आजमगढ़	1400
163.	सांजरपुर	आजमगढ़	432
164.	सरदाहा	आजमगढ़	1000
165.	सथियावन	आजमगढ़	1000
166.	सेनपुर	आजमगढ़	336
167.	सिंहपुर	आजमगढ़	320
168.	सिसवारा	आजमगढ़	336
169.	सुंबी बाजार	आजमगढ़	336
170.	तहबरपुर	आजमगढ़	432
171.	तरवा	आजमगढ़	1000
172.	थेकामा	आजमगढ़	1000
173.	अतरौलिया	आजमगढ़	1000
174.	आजमगढ़ ओसीबी	आजमगढ़	2000
175.	आजमगढ़ सी-डॉट मेन	आजमगढ़	8000
176.	आजमगढ़ माइक्रोवेव	आजमगढ़	1500
177.	आजमगढ़ भावामठ	आजमगढ़	4000
178.	आजमगढ़ रेलवे स्टेशन	आजमगढ़	2000
179.	बिलारिया गंज	आजमगढ़	2000
180.	जीनपुर (सांगरी) माई	आजमगढ़	2000
181.	कोइलसा मेन	आजमगढ़	2000
182.	लालगंज मेन	आजमगढ़	2000
183.	महाराजगंज	आजमगढ़	1000
184.	मेह नगर	आजमगढ़	1000
185.	मुबारकपुर	आजमगढ़	3000
186.	निजामाबाद	आजमगढ़	1000
187.	फूलपुर मेन	आजमगढ़	2000
188.	सरायमीर	बहराईच	2000
189.	बाबागंज	बहराईच	1000

1	2	3	4
190.	बडला चौराहा	बहराईच	152
191.	बहराईच	बहराईच	8500
192.	बरानपुर	बहराईच	304
193.	बेगमपुर	बहराईच	152
194.	बेहड़ा	बहराईच	152
195.	भगवानपुर हारदी	बहराईच	152
196.	भागवरा	बहराईच	152
197.	भंगाहा	बहराईच	152
198.	भिंगा	बहराईच	2000
199.	बिशेश्वर गंज	बहराईच	304
200.	चफेरिया	बहराईच	184
201.	छावनी बाजार	बहराईच	1000
202.	चिलवारिया	बहराईच	304
203.	चित्तौड़ा	बहराईच	152
204.	धरसावन	बहराईच	152
205.	फरवरपुर	बहराईच	1000
206.	गायघाट	बहराईच	184
207.	गंभीरवन	बहराईच	152
208.	गंगापुर	बहराईच	152
209.	गंगवाल	बहराईच	152
210.	गलौला	बहराईच	360
211.	गिरजापुरी	बहराईच	184
212.	गुदड़ी बाजार	बहराईच	1000
213.	गुढ़ा	बहराईच	152
214.	गुरु घुट्टा	बहराईच	152
215.	हुजूरपुर	बहराईच	360
216.	इकौना	बहराईच	1400
217.	इमामगंज	बहराईच	360

1	2	3	4
218.	इटाहा	बहराईच	152
219.	जैता बाजार	बहराईच	152
220.	जमुनाहा	बहराईच	152
221.	जरवाल कटना	बहराईच	1000
222.	जरवाल रोड	बहराईच	1000
223.	केसरगंज	बहराईच	2000
224.	कटिया	बहराईच	304
225.	खैरा बाजार	बहराईच	304
226.	खुटेहना	बहराईच	152
227.	लक्ष्मणपुर बाजार	बहराईच	152
228.	माहसी	बहराईच	1000
229.	माल्हीपुर	बहराईच	152
230.	मरौचा	बहराईच	152
231.	मटेहीकलां	बहराईच	152
232.	मटेरा	बहराईच	1000
233.	मिहीनपुरवा	बहराईच	1000
234.	नैनिहा	बहराईच	152
235.	नानपाड़ा	बहराईच	3000
236.	नवाबगंज	बहराईच	360
237.	नौताला	बहराईच	152
238.	पायगपुर	बहराईच	1400
239.	पिपरा भगेरिया	बहराईच	152
240.	प्यारेपुर	बहराईच	304
241.	रामगांव	बहराईच	152
242.	रामपुर भोबिया	बहराईच	152
243.	रिसिया	बहराईच	1000
244.	रूकनापुर	बहराईच	360
245.	रूपाई दीहा	बहराईच	1000
246.	सेमगढ़	बहराईच	152
247.	सेमरी घटाही	बहराईच	152
248.	शंकरपुर चौरा	बहराईच	152
249.	शिवपुर	बहराईच	184
250.	सिरसिया	बहराईच	152
251.	सरावस्ती	बहराईच	360
252.	उरा	बहराईच	152
253.	वजीरगंज	बहराईच	304
254.	अतरसुआ	बलिया	256
255.	अथिलापुर	बलिया	256
256.	बैजलपुर	बलिया	256
257.	बलिया	बलिया	6000
258.	बांसडीह	बलिया	2000
259.	बांसडीह रोड	बलिया	512
260.	बसंतपुर	बलिया	1000
261.	बेलथारा रोड	बलिया	2000
262.	भीमपुरा	बलिया	1000
263.	बरूआर बाड़ी	बलिया	1000
264.	छितौना	बलिया	256
265.	चिलकहार	बलिया	1000
266.	चितवड़ा गांव	बलिया	1000
267.	डोकती	बलिया	256
268.	दुभार	बलिया	256
269.	गरवार	बलिया	512
270.	हाल्डी	बलिया	1000
271.	हुसैनाबाद	बलिया	256
272.	इब्राहिमपट्टी	बलिया	256
273.	जय प्रकाश नगर	बलिया	256

1	2	3	4
274.	खेजूरी	बलिया	1000
275.	कोदाई	बलिया	256
276.	कुरेजी	बलिया	256
277.	लालगंज	बलिया	256
278.	लक्ष्मणपुर	बलिया	256
279.	मालदा	बलिया	256
280.	मनियार	बलिया	1000
281.	नागरा	बलिया	1000
282.	नाढ़ी	बलिया	320
283.	नवरतनपुर	बलिया	256
284.	पकवा इनर	बलिया	256
285.	फेफना	बलिया	256
286.	प्रधानपुर	बलिया	256
287.	पुर	बलिया	500
288.	रामगढ़	बलिया	512
289.	रानीगंज	बलिया	1400
290.	रासरा	बलिया	3000
291.	रातसर	बलिया	1000
292.	रेवती	बलिया	1000
293.	साहतवर	बलिया	1000
294.	सलेमपुर	बलिया	256
295.	शिवपुर डीयार	बलिया	256
296.	सिकंदरपुर	बलिया	2000
297.	टीका देवरी	बलिया	256
298.	टोका सिवन राय	बलिया	256
299.	उजियार भरौली	बलिया	512
300.	एंचवाड़ा	बांदा	152
301.	अतारा	बांदा	3000
302.	बबेरू	बांदा	2000
303.	बछरान	बांदा	152
304.	बडौसा	बांदा	360
305.	बान्दा-ए	बांदा	4488
306.	बनियान पुरवा	बांदा	152
307.	बड़ागढ़	बांदा	152
308.	बड़ागांव	बांदा	152
309.	बर्दवारा	बांदा	160
310.	बरोखपुर बुजुर्ग	बांदा	152
311.	बेलगांव	बांदा	152
312.	भभुआ	बांदा	152
313.	भादेडु	बांदा	152
314.	भागेलबाड़ी	बांदा	152
315.	भरतकूट	बांदा	360
316.	भरखड़ी	बांदा	152
317.	भौनरी	बांदा	360
318.	बिलहरका	बांदा	160
319.	बिसान्दा	बांदा	360
320.	बुधौली	बांदा	152
321.	चन्द्रापुरा	बांदा	152
322.	चौसढ़	बांदा	152
323.	छिबो	बांदा	152
324.	छिलोलर	बांदा	152
325.	चिल्ला	बांदा	760
326.	चित्रकूट	बांदा	1000
327.	देहरूछ	बांदा	152
328.	डियोंढ़ा	बांदा	152
329.	फतेहगंज	बांदा	152

1	2	3	4
330.	गडरिया	बांदा	152
331.	गहबरा	बांदा	152
332.	गढ़छापा	बांदा	152
333.	गाजीपुर	बांदा	152
334.	घुरेतनपुर	बांदा	160
335.	गिरवान	बांदा	360
336.	गोयरामुगली	बांदा	152
337.	गुरेह	बांदा	152
338.	हरदौनी	बांदा	152
339.	हथौड़ा	बांदा	152
340.	इन्द्रानगर	बांदा	2000
341.	इंगुवान	बांदा	152
342.	जफरपुर	बांदा	152
343.	जमालपुर	बांदा	160
344.	जारी	बांदा	152
345.	जसपुरा	बांदा	152
346.	जौहरपुर	बांदा	152
347.	जौराही	बांदा	152
348.	काल्छीहा	बांदा	152
349.	कालिंजर	बांदा	360
350.	कमसीन	बांदा	1000
351.	करताल	बांदा	152
352.	कार्वी	बांदा	2000
353.	काजीतोला	बांदा	152
354.	खपतीहा	बांदा	152
355.	खरहंड	बांदा	1000
356.	कोराही	बांदा	360
357.	कोरम	बांदा	152
358.	ललता रोड	बांदा	152
359.	लक्तारा	बांदा	152
360.	महुटा	बांदा	152
361.	महुआ	बांदा	152
362.	मानिकपुर	बांदा	1000
363.	मार्का	बांदा	152
364.	मारकंडी	बांदा	152
365.	मातोंध	बांदा	360
366.	मुछोबो	बांदा	1400
367.	मुरवाल	बांदा	304
368.	नाडी	बांदा	152
369.	नाडीकुमियन	बांदा	152
370.	नदाना	बांदा	152
371.	नराही	बांदा	152
372.	नरैनी	बांदा	1000
373.	नरोली	बांदा	152
374.	नोहाई	बांदा	152
375.	ओरान	बांदा	152
376.	पचनेही	बांदा	152
377.	पहाड़ी	बांदा	360
378.	पाइलानी	बांदा	152
379.	पलारा	बांदा	152
380.	पंगारा	बांदा	152
381.	पपरेंडा	बांदा	152
382.	परसौली	बांदा	152
383.	परसौंजा	बांदा	152

1	2	3	4
384.	पौहार	बांदा	152
385.	पिपराहारी	बांदा	152
386.	पूरबपटाई	बांदा	152
387.	रायपुरा	बांदा	152
388.	राजापुर	बांदा	1000
389.	रासीन	बांदा	152
390.	सबादा	बांदा	152
391.	सरधूवा	बांदा	152
392.	सरहा	बांदा	152
393.	सरमावसीलपुर	बांदा	152
394.	शंकर बाजार	बांदा	152
395.	शिवरामपुर	बांदा	152
396.	सिमौनी	बांदा	152
397.	सिंधकला	बांदा	152
398.	सिंहपुर	बांदा	160
399.	स्वराज कालोनी-बी	बांदा	2000
400.	तारायण	बांदा	152
401.	तिंदवाडा	बांदा	152
402.	तिंदवाड़ी	बांदा	1000
403.	अलियाबाद	बाराबंकी	1000
404.	असंधरा	बाराबंकी	1000
405.	बाबाबाजर I + II	बाराबंकी	336
406.	बदनपुर	बाराबंकी	184
407.	बहुपुर	बाराबंकी	184
408.	बांकी	बाराबंकी	500
409.	बाराबंकी	बाराबंकी	9500
410.	बाराबंकी-बी	बाराबंकी	1000
411.	बाराबंकी पुराना भवन	बाराबंकी	1000
412.	बारीथी	बाराबंकी	1000
413.	बलहारा	बाराबंकी	184
414.	भागौली	बाराबंकी	184
415.	भानमऊ I+II	बाराबंकी	304
416.	भिलवाल	बाराबंकी	152
417.	बिशनपुर	बाराबंकी	328
418.	चौबीसी	बाराबंकी	152
419.	दरियाबाद	बाराबंकी	1000
420.	देवीगंज I+II	बाराबंकी	304
421.	देवा-शरीफ	बाराबंकी	1000
422.	दुल्लापुर (एमडब्ल्यूआई गांव)	बाराबंकी	152
423.	फतेहगंज डेरी	बाराबंकी	152
424.	फतेहपुर	बाराबंकी	2000
425.	हैदरगढ़	बाराबंकी	2000
426.	हारख I+II	बाराबंकी	336
427.	हेतमापुर	बाराबंकी	152
428.	इचोली	बाराबंकी	1000
429.	जहांगीराबाद	बाराबंकी	304
430.	जाटा बरौली	बाराबंकी	152
431.	खजूरी	बाराबंकी	184
432.	कोला	बाराबंकी	152
433.	कोठी	बाराबंकी	336
434.	कोटवा धाम	बाराबंकी	152
435.	कोटवा सड़क	बाराबंकी	1000
436.	कर्सी	बाराबंकी	1000
437.	महादेव	बाराबंकी	152

1	2	3	4
438.	मसोली	बाराबंकी	1000
439.	मौगोरपुर I+II	बाराबंकी	304
440.	मवई I+II	बाराबंकी	304
441.	महमूदाबाद	बाराबंकी	152
442.	मिते	बाराबंकी	152
443.	मोहम्मदपुर खाला	बाराबंकी	500
444.	नेवरा	बाराबंकी	184
445.	पारीवान	बाराबंकी	152
446.	पतरंगा	बाराबंकी	304
447.	पोखरा	बाराबंकी	152
448.	प्रतापगंज	बाराबंकी	152
449.	पुरेदलाई	बाराबंकी	1000
450.	रामनगर	बाराबंकी	1000
451.	रामस्नेहीघाट	बाराबंकी	1000
452.	रानीबाजार	बाराबंकी	152
453.	रीवां सिवान	बाराबंकी	152
454.	रूदौली	बाराबंकी	2000
455.	सादतगंज	बाराबंकी	1000
456.	सफदरजंग	बाराबंकी	1000
457.	सैदखानपुर	बाराबंकी	184
458.	सैदानपुर	बाराबंकी	304
459.	सराय बरई	बाराबंकी	184
460.	सतरीख	बाराबंकी	328
461.	सिधोर	बाराबंकी	1000
462.	सिहाली	बाराबंकी	184
463.	सिरोलीगोंसपुर	बाराबंकी	1000
464.	सुबेहा I+II	बाराबंकी	336
465.	सुजागंज	बाराबंकी	184
466.	सुरतगंज	बाराबंकी	328
467.	सुरहियामऊ	बाराबंकी	184
468.	तालगांव	बाराबंकी	152
469.	तेरा सादीपुर	बाराबंकी	304
470.	तिलोकपुर	बाराबंकी	328
471.	तिलवारी	बाराबंकी	152
472.	त्रिवेदीगंज	बाराबंकी	336
473.	उधोली I+II	बाराबंकी	336
474.	जैदपुर	बाराबंकी	1000
475.	जकरिया	बाराबंकी	184
476.	बभनाम	बस्ती	1000
477.	बाघनगर	बस्ती	192
478.	बखीरा	बस्ती	1000
479.	बांदाटी	बस्ती	184
480.	बांसी	बस्ती	1400
481.	बरहाया	बस्ती	1000
482.	बरहनी	बस्ती	1000
483.	बस्ती	बस्ती	7000
484.	बेलवासनगढ़	बस्ती	152
485.	बेवा	बस्ती	184
486.	भदूरपुर	बस्ती	184
487.	भागौली	बस्ती	152
488.	भानपुर	बस्ती	1000
489.	भवानीगंज	बस्ती	184
490.	बिरदपुर	बस्ती	1000
491.	बिस्कोहर	बस्ती	184

1	2	3	4
492.	कप्तानगंज	बस्ती	1000
493.	चेतिया	बस्ती	152
494.	छावनी	बस्ती	360
495.	चिल्हिया	बस्ती	184
496.	चुरेब	बस्ती	152
497.	दलदला	बस्ती	360
498.	धानघाटा	बस्ती	192
499.	धरमसिंघवा	बस्ती	184
500.	दिदाई	बस्ती	184
501.	दुबौलिया	बस्ती	184
502.	डुमरियागंज	बस्ती	1400
503.	गौड़	बस्ती	152
504.	गुंलहौड़ा	बस्ती	152
505.	हैसर बाजार	बस्ती	184
506.	हरिहरपुर	बस्ती	184
507.	हरैया	बस्ती	1000
508.	हैदराबाद	बस्ती	152
509.	इत्वा बाजार	बस्ती	1000
510.	जाम्दाशाही	बस्ती	360
511.	कचहरी	बस्ती	2000
512.	ककरहवा	बस्ती	184
513.	काली जगदीशपुर	बस्ती	184
514.	कल्वारी	बस्ती	1000
515.	कठेला	बस्ती	152
516.	खलीलाबाद	बस्ती	2000
517.	खुनियावान	बस्ती	152
518.	कुदराहा	बस्ती	152
519.	लोहरौली	बस्ती	344
520.	लालगंज	बस्ती	184
521.	लोतान	बस्ती	184
522.	मगहर	बस्ती	384
523.	महसन	बस्ती	1000
524.	महुली	बस्ती	178
525.	मंझरिया	बस्ती	184
526.	मेहदावल	बस्ती	1000
527.	मुंडेरवा	बस्ती	1000
528.	नगरबाजार	बस्ती	1000
529.	नाथ नगर	बस्ती	360
530.	पंचपोखरी	बस्ती	192
531.	पांडे बाजार	बस्ती	1000
532.	परशुरामपुर	बस्ती	1000
533.	पारसा	बस्ती	184
534.	पाथरा	बस्ती	184
535.	पोली	बस्ती	184
536.	पेदारी	बस्ती	152
537.	रामापुर रिवाली	बस्ती	152
538.	रूधौली	बस्ती	1000
539.	सल्तौवा	बस्ती	184
540.	सांथा	बस्ती	192
541.	समेरियावां	बस्ती	360
542.	सिक्ता	बस्ती	184
543.	सोहनपट्टी	बस्ती	184
544.	सोहरतगढ़	बस्ती	1000
545.	तितारी बाजार	बस्ती	2000

1	2	3	4
546.	तिलौली	बस्ती	360
547.	तिनिच	बस्ती	184
548.	उसका बाजार	बस्ती	744
549.	विक्रमजोत	बस्ती	152
550.	विशेश्वर गंज	बस्ती	184
551.	वाल्टेरगंज	बस्ती	1000
552.	अहीरोली बाजार	देवरिया	184
553.	अहीरोली बाजार	देवरिया	184
554.	बदहारा गंज	देवरिया	336
555.	बाधौच	देवरिया	368
556.	बैकुंठपुर	देवरिया	152
557.	बेतलपुर	देवरिया	1000
558.	बखारा	देवरिया	184
559.	बाल्टीकारा	देवरिया	184
560.	बंगारा	देवरिया	152
561.	बराहज बाजार	देवरिया	1400
562.	बरहाज (डब्ल्यूएलएल)	देवरिया	1000
563.	बरियापुर	देवरिया	184
564.	भागलपुर	देवरिया	184
565.	भालुआनी	देवरिया	1000
566.	भटनी	देवरिया	1000
567.	भटनी दादन	देवरिया	184
568.	भाटपर रानी	देवरिया	1000
569.	भिंगरी बाजार	देवरिया	184
570.	बिशुनपुरा	देवरिया	152
571.	बोदारवार	देवरिया	184
572.	कप्तानगंज	देवरिया	1400
573.	कप्तानगंज (डब्ल्यूएलएल)	देवरिया	1000
574.	छिटौनी	देवरिया	184
575.	देवरिया (डब्ल्यूएलएल)	देवरिया	1000
576.	देवरिया (सी-डाट)	देवरिया	10000
577.	देवरिया (ओसीबी)	देवरिया	4000
578.	देसाही देवरिया	देवरिया	184
579.	दुदाही	देवरिया	184
580.	फाजिल नगर	देवरिया	1500
581.	गौरीबाजार	देवरिया	1000
582.	हाटा	देवरिया	1400
583.	हेतिमपुर	देवरिया	184
584.	जाटाहा बाजार	देवरिया	184
585.	जौरा बाजार	देवरिया	184
586.	कसिया	देवरिया	2000
587.	काठकुइयां	देवरिया	336
588.	खड्डा	देवरिया	1000
589.	खड्डा (डब्ल्यूएलएल)	देवरिया	1000
590.	खोड़ा राम	देवरिया	184
591.	खुखूंडू	देवरिया	184
592.	कुबेर स्थान	देवरिया	184
593.	लार	देवरिया	1400
594.	लाररोड	देवरिया	184
595.	लक्ष्मीगंज	देवरिया	1000
596.	मदनपुर	देवरिया	368
597.	मेल	देवरिया	184
598.	मनसा छापेर	देवरिया	184
599.	मंसूरगंज	देवरिया	184

1	2	3	4
600.	मथोली	देवरिया	184
601.	मोतीचक	देवरिया	184
602.	नेबुआ नौरंगिया	देवरिया	184
603.	ओलीपट्टी	देवरिया	152
604.	पडरौना	देवरिया	4400
605.	पडरौना (डब्ल्यूएलएल)	देवरिया	1000
606.	पाइना	देवरिया	184
607.	पकड़ी बाजार	देवरिया	184
608.	पथरदेवा	देवरिया	1000
609.	पीपरा बाजार	देवरिया	184
610.	प्रतापपुर	देवरिया	184
611.	रामलक्ष्मण	देवरिया	184
612.	रामकोला	देवरिया	1000
613.	रामपुर कारखाना	देवरिया	1000
614.	रवीन्द्र नगर	देवरिया	2000
615.	रूद्रपुर	देवरिया	1000
616.	सहजौर	देवरिया	152
617.	साखोपर	देवरिया	184
618.	सलेमपुर	देवरिया	2000
619.	सलेमगढ़	देवरिया	336
620.	सलेमपुर (डब्ल्यूएलएल)	देवरिया	1000
621.	सामौर	देवरिया	184
622.	सराऊं	देवरिया	184
623.	सतराव	देवरिया	184
624.	सेखवनिया	देवरिया	184
625.	शिवराही	देवरिया	1400
626.	सोनाहुलारामनगर	देवरिया	1000
627.	सुकरौली	देवरिया	184
628.	तमकुही राज	देवरिया	1000
629.	तरैया सुजान	देवरिया	184
630.	टेकुआतर	देवरिया	336
631.	अछल्दा	इटावा	1000
632.	ऐरवाकटरा	इटावा	184
633.	अजीतमल	इटावा	2000
634.	औरइया	इटावा	5000
635.	अयाना	इटावा	184
636.	बल्लापुर	इटावा	184
637.	बारलोकपुर	इटावा	184
638.	बसरिहार	इटावा	1000
639.	बेला	इटावा	184
640.	भारथाना	इटावा	3000
641.	बिधुना	इटावा	1400
642.	चाकर नगर	इटावा	512
643.	चितभवन	इटावा	184
644.	देवरपुर	इटावा	184
645.	दिव्यापुर	इटावा	3400
646.	एकदिल	इटावा	1000
647.	इटावा	इटावा	9000
648.	फ्रेंड्स कालोनी	इटावा	4000
649.	हरचंदपुर	इटावा	184
650.	जैतपुर	इटावा	184
651.	जसवंत नगर	इटावा	1400
652.	काकोरी	इटावा	544
653.	कंचौसी	इटावा	336

1	2	3	4
654.	खड़गपुर सरैया	इटावा	184
655.	खारदुली	इटावा	184
656.	कुदरकोट	इटावा	184
657.	लाखना	इटावा	1400
658.	लावेदी	इटावा	184
659.	महेवा	इटावा	1400
660.	मुरादगंज	इटावा	544
661.	नगलाढाना	इटावा	184
662.	निवारी कला	इटावा	184
663.	पन्हार	इटावा	184
664.	परसाना	इटावा	184
665.	पाफुंद	इटावा	1000
666.	पुरवा सुजान	इटावा	360
667.	रूरूगंज	इटावा	184
668.	सहर	इटावा	184
669.	सैफाई	इटावा	1000
670.	सानफर	इटावा	184
671.	तकहा	इटावा	184
672.	उड़ी	इटावा	248
673.	उमरैन	इटावा	544
674.	उसराहार	इटावा	360
675.	याकूबपुर	इटावा	184
676.	अकबरपुर	फैजाबाद	4000
677.	अमानीगंज	फैजाबाद	1000
678.	अमरगंज	फैजाबाद	152
679.	आनंदनगर	फैजाबाद	152
680.	अरावत	फैजाबाद	152
681.	अश्वनीपुरम	फैजाबाद	1000
682.	अयोध्या	फैजाबाद	3000
683.	बांदीपुर	फैजाबाद	304
684.	बरियावन	फैजाबाद	304
685.	बासखड़ी	फैजाबाद	2000
686.	बेरूगंज	फैजाबाद	152
687.	भादरसा	फैजाबाद	304
688.	भीती	फैजाबाद	360
689.	बीकापुर	फैजाबाद	1000
690.	चौरे बाजार	फैजाबाद	304
691.	दर्शनगंज	फैजाबाद	1000
692.	देवगांव	फैजाबाद	152
693.	देवरही बाजार	फैजाबाद	304
694.	देवरिया बाजार	फैजाबाद	152
695.	फैजाबाद	फैजाबाद	2000
696.	दिलासीगंज	फैजाबाद	152
697.	फैजाबाद	फैजाबाद	8000
698.	गढ़वाल	फैजाबाद	152
699.	गिरैयाबाजार	फैजाबाद	152
700.	गोसाईगंज	फैजाबाद	1000
701.	गोसाईगंज-क	फैजाबाद	152
702.	हैदरगंज	फैजाबाद	360
703.	हंसवार	फैजाबाद	400
704.	हरितिनगंज	फैजाबाद	304
705.	हजलापुर	फैजाबाद	152
706.	हीरापुर	फैजाबाद	304
707.	एनवार में इफ्तगंज	फैजाबाद	152

1	2	3	4
708.	इर्दईपुर	फैजाबाद	152
709.	जाफरगंज	फैजाबाद	152
710.	जहांगीरगंज	फैजाबाद	1000
711.	जलालपुर	फैजाबाद	1552
712.	कटेहारी	फैजाबाद	512
713.	केदारनगर	फैजाबाद	304
714.	खजुराहट	फैजाबाद	304
715.	खांडसा	फैजाबाद	304
716.	कछेरा	फैजाबाद	304
717.	कुमारगंज	फैजाबाद	1400
718.	कुरवान	फैजाबाद	152
719.	महरूवा	फैजाबाद	152
720.	मालीपुर	फैजाबाद	360
721.	माया	फैजाबाद	304
722.	महबूबगंज	फैजाबाद	152
723.	मिझौटा	फैजाबाद	304
724.	इनयात में मिक्कीपुर	फैजाबाद	1000
725.	मोतीगंज	फैजाबाद	152
726.	मतीनगर	फैजाबाद	1000
727.	मुबारकगंज	फैजाबाद	152
728.	मुस्तफाबाद	फैजाबाद	152
729.	नेवरी	फैजाबाद	152
730.	नवादा	फैजाबाद	1000
731.	निरालानगर	फैजाबाद	4000
732.	परूया आश्रम	फैजाबाद	152
733.	पुरा	फैजाबाद	304
734.	रफी गंज	फैजाबाद	360
735.	राजे सुल्तानपुर	फैजाबाद	304
736.	रामनगर	फैजाबाद	1000
737.	रामपुर भगन	फैजाबाद	304
738.	रामपुर सकरवारी	फैजाबाद	152
739.	रानी बाजार	फैजाबाद	152
740.	रूकुनपुर	फैजाबाद	304
741.	सहादतगंज	फैजाबाद	1000
742.	सम्मनपुर	फैजाबाद	152
743.	शाहगंज	फैजाबाद	152
744.	सोहावल	फैजाबाद	1000
745.	साहजादपुर	फैजाबाद	1000
746.	सुरापुर	फैजाबाद	152
747.	टंडा	फैजाबाद	3300
748.	टंडा थर्मल	फैजाबाद	1000
749.	टरूण	फैजाबाद	304
750.	वैदहा नगर	फैजाबाद	4756
751.	अचरा	फरूखाबाद	184
752.	अलीपुर जैलेसर	फरूखाबाद	184
753.	अमरीतपुर	फरूखाबाद	336
754.	बारीगावान	फरूखाबाद	152
755.	बाजरीया	फरूखाबाद	2000
756.	बरखा	फरूखाबाद	160
757.	छिबरामाऊ	फरूखाबाद	4000
758.	धमधेरा	फरूखाबाद	184
759.	फरूखाबाद	फरूखाबाद	8000
760.	फरूखाबाद	फरूखाबाद	2000
761.	फतेहगढ़	फरूखाबाद	5500

1	2	3	4
762.	गुरसाहायगंज	फरूखाबाद	1400
763.	हरायपुर	फरूखाबाद	152
764.	हासेरान	फरूखाबाद	184
765.	इंदरगढ़	फरूखाबाद	1000
766.	जहानगंज	फरूखाबाद	1000
767.	जलालाबाद	फरूखाबाद	1000
768.	जग्गी	फरूखाबाद	188
769.	जासपुरापुर	फरूखाबाद	360
770.	कैमगंज	फरूखाबाद	4000
771.	कमलागंज	फरूखाबाद	1400
772.	कमपील	फरूखाबाद	384
773.	कन्नौज	फरूखाबाद	4000
774.	कसावा	फरूखाबाद	152
775.	खरनी	फरूखाबाद	160
776.	खिमसेपुर	फरूखाबाद	304
777.	खुदागंज	फरूखाबाद	152
778.	कुंआखेड़ा	फरूखाबाद	152
779.	कुसुमखोर	फरूखाबाद	336
780.	मनीमोई	फरूखाबाद	1000
781.	मन्झाना	फरूखाबाद	348
782.	मटोली	फरूखाबाद	184
783.	मोहमदाबाद	फरूखाबाद	1000
784.	नादेमऊ	फरूखाबाद	184
785.	नवाबगंज	फरूखाबाद	304
786.	निसाई	फरूखाबाद	192
787.	प्रेमपुर	फरूखाबाद	328
788.	राजेपुर	फरूखाबाद	336
789.	रूदैन	फरूखाबाद	304
790.	सकरावा	फरूखाबाद	152
791.	सनकिसा	फरूखाबाद	384
792.	सरायप्रयाग	फरूखाबाद	384
793.	सौरिख	फरूखाबाद	1000
794.	शमसाबाद	फरूखाबाद	1000
795.	सिकंदरपुर	फरूखाबाद	1000
796.	सिरौली	फरूखाबाद	160
797.	सिवारा	फरूखाबाद	152
798.	ताहपुर	फरूखाबाद	152
799.	ताजपुर	फरूखाबाद	152
800.	तालग्राम	फरूखाबाद	384
801.	थाटिया	फरूखाबाद	1000
802.	तिरवा	फरूखाबाद	1400
803.	उमर्दा	फरूखाबाद	184
804.	विष्णुगढ़	फरूखाबाद	184
805.	याकूतगंज	फरूखाबाद	184
806.	एरायन	फतेहपुर	304
807.	अलीपुर	फतेहपुर	184
808.	अमाओं	फतेहपुर	184
809.	अमौली	फतेहपुर	360
810.	अरहैया	फतेहपुर	184
811.	असनी	फतेहपुर	184
812.	असोथेर	फतेहपुर	184
813.	बाकेवर	फतेहपुर	304
814.	बंधारा	फतेहपुर	184
815.	भदवा	फतेहपुर	184

1	2	3	4
816.	भिलौरा	फतेहपुर	248
817.	बिंदकी	फतेहपुर	2000
818.	बहुवा	फतेहपुर	360
819.	चौडगरा	फतेहपुर	1280
820.	छिऊलाहा	फतेहपुर	304
821.	डेडासाई	फतेहपुर	184
822.	देवमई	फतेहपुर	184
823.	देवरीबुजुर्ग	फतेहपुर	184
824.	धाता	फतेहपुर	1128
825.	फतेहपुर	फतेहपुर	8000
826.	गागीपुर	फतेहपुर	360
827.	गुनीर	फतेहपुर	184
828.	हसवा	फतेहपुर	248
829.	हठगांव	फतेहपुर	360
830.	हुसैनगंज	फतेहपुर	304
831.	जफरगंज	फतेहपुर	184
832.	जहांगीरनगर	फतेहपुर	184
833.	जमरावान	फतेहपुर	248
834.	जिगनी	फतेहपुर	184
835.	जोनीहान	फतेहपुर	304
836.	कसियापुर	फतेहपुर	184
837.	खागा	फतेहपुर	1512
838.	खजुहा	फतेहपुर	304
839.	खाखरेऊ	फतेहपुर	360
840.	किशनपुर	फतेहपुर	184
841.	के-जहांनाबाद	फतेहपुर	1128
842.	कोराई	फतेहपुर	184
843.	कुसंभी	फतेहपुर	184
844.	ललौली	फतेहपुर	1128
845.	मालवान	फतेहपुर	1128
846.	मवई	फतेहपुर	248
847.	मो. पुरगोती	फतेहपुर	304
848.	नारायणी	फतेहपुर	184
849.	पापरेंदी	फतेहपुर	184
850.	रेवाड़ी	फतेहपुर	184
851.	साथीगावां	फतेहपुर	184
852.	शाह	फतेहपुर	248
853.	थारीयान	फतेहपुर	184
854.	विजयपुर	फतेहपुर	184
855.	अमौरा	गाजीपुर	184
856.	बहादुरगंज	गाजीपुर	184
857.	बारा	गाजीपुर	186
858.	बरचावार	गाजीपुर	152
859.	बारेसर	गाजीपुर	152
860.	बरसारा	गाजीपुर	296
861.	भदौरा	गाजीपुर	352
862.	भावरकोल	गाजीपुर	152
863.	भीमापार	गाजीपुर	176
864.	बिरनो	गाजीपुर	248
865.	देवकली	गाजीपुर	176
866.	दिलदारनगर	गाजीपुर	1000
867.	दुबीहान	गाजीपुर	152
868.	दुल्हापुर	गाजीपुर	296
869.	गोंदौर	गाजीपुर	152

1	2	3	4
870.	गाहामार	गाजीपुर	352
871.	गंगौली	गाजीपुर	176
872.	गाजीपुर	गाजीपुर	6000
873.	हंसराजपुर	गाजीपुर	184
874.	जखनिया	गाजीपुर	1000
875.	जांगीपुर	गाजीपुर	384
876.	करीमुद्दीनपुर	गाजीपुर	272
877.	कसीमाबाद	गाजीपुर	184
878.	खानपुर	गाजीपुर	152
879.	खारदियां	गाजीपुर	184
880.	कुंदेसर	गाजीपुर	296
881.	महेंद	गाजीपुर	152
882.	मैनपुर	गाजीपुर	248
883.	मलसा	गाजीपुर	184
884.	मरदाहा	गाजीपुर	1000
885.	मोहम्मदाबाद	गाजीपुर	2000
886.	नरसिंहपुर	गाजीपुर	152
887.	नायक दिहा	गाजीपुर	152
888.	नंद गंज	गाजीपुर	1000
889.	नोनाहार	गाजीपुर	1000
890.	रायपुर	गाजीपुर	184
891.	रोजा	गाजीपुर	1500
892.	रेवतीपुर	गाजीपुर	186
893.	सादत	गाजीपुर	1000
894.	सैदपुर	गाजीपुर	2000
895.	सिधौना	गाजीपुर	480
896.	सोहावल	गाजीपुर	184
897.	सुजानीपुर	गाजीपुर	152
898.	ताजपुर	गाजीपुर	152
899.	तरण बंध	गाजीपुर	186
900.	जमानिया	गाजीपुर	768
901.	एलावल देवरिया	गोंडा	336
902.	आर्य नगर	गोंडा	500
903.	अमदाही	गोंडा	500
904.	बालपुर	गोंडा	500
905.	बाबागंज	गोंडा	336
906.	बेलसार	गोंडा	1000
907.	भाभुवा	गोंडा	160
908.	बलरामपुर	गोंडा	5000
909.	बांदकटवा	गोंडा	152
910.	कोलोनेलगंज	गोंडा	1400
911.	छपिया	गोंडा	152
912.	चांदीपुर	गोंडा	152
913.	धानेपरू	गोंडा	1000
914.	दुर्जनपुर	गोंडा	184
915.	दुमरियादीह	गोंडा	152
916.	गोंडा	गोंडा	11000
917.	गौराचौकी	गोंडा	500
918.	गैनसी	गोंडा	152
919.	गैनदास बुजुर्ग	गोंडा	152
920.	घुघुलपुर	गोंडा	152
921.	हठियागढ़	गोंडा	152
922.	हलदारमाऊ	गोंडा	152
923.	हरिया सतगढ़वा	गोंडा	160

1	2	3	4
924.	इतियाथोक	गोंडा	1000
925.	झीलाही	गोंडा	304
926.	जमुनियाबाग	गोंडा	1000
927.	जयप्रभाग्राम	गोंडा	152
928.	जरवा	गोंडा	152
929.	जय नगर	गोंडा	1000
930.	कौवापुर	गोंडा	152
931.	कटरा बाजार	गोंडा	360
932.	खरगुपुर	गोंडा	304
933.	कुरासान	गोंडा	152
934.	माधवापुर (टिकरी)	गोंडा	152
935.	मनकापुर	गोंडा	4000
936.	मसकन्वा	गोंडा	1000
937.	मोतीगंज	गोंडा	304
938.	माहदईया	गोंडा	184
939.	महाराजगंज तराई	गोंडा	152
940.	मथुरा बाजार	गोंडा	304
941.	मछली गांव	गोंडा	152
942.	मंगुरा बाजार	गोंडा	152
943.	मदेरवा माफी	गोंडा	152
944.	मनकापुर कस्बा	गोंडा	500
945.	नवाब गंज	गोंडा	1400
946.	पारसपुर	गोंडा	1000
947.	पचपेरवा	गोंडा	1000
948.	रेहरा बाजार	गोंडा	1000
949.	राम नगई	गोंडा	152
950.	सदुल्लाह नगर	गोंडा	1000
951.	शिवदयाल गंज	गोंडा	500
952.	सदाशिव	गोंडा	152
953.	सुभागपुर	गोंडा	152
954.	श्री दत्तगंज	गोंडा	152
955.	सालपुर	गोंडा	152
956.	सैदवापुर	गोंडा	152
957.	शाहपुर	गोंडा	152
958.	तुलसीपुर	गोंडा	2000
959.	तराबगंज	गोंडा	1000
960.	उमरीबेगमगंज	गोंडा	184
961.	उतरौला	गोंडा	2000
962.	वीरेपुर	गोंडा	152
963.	वजीरगंज	गोंडा	500
964.	महुवा बाजार	गोंडा	152
965.	शिवपुरा	गोंडा	152
966.	पेहर	गोंडा	152
967.	अड्डा बाजार	गोरखपुर	1000
968.	आनंद नगर	गोरखपुर	2000
969.	आनंद नगर (बीटीएस)	गोरखपुर	1000
970.	बढ़इया	गोरखपुर	184
971.	बहादुरी बाजार	गोरखपुर	336
972.	बांसगांव	गोरखपुर	2000
973.	बांसगांव (बीटीएस)	गोरखपुर	1000
974.	बसंतपुर	गोरखपुर	4000
975.	बसंतपुर	गोरखपुर	2000
976.	बरहालगंज	गोरखपुर	2000
977.	बरहालगंज (बीटीएस)	गोरखपुर	1000

1	2	3	4
978.	बेलघाट	गोरखपुर	1000
979.	बेलीपार	गोरखपुर	1000
980.	बेनीगंज	गोरखपुर	3000
981.	भदट	गोरखपुर	1000
982.	भिटौली	गोरखपुर	352
983.	ब्रिजमानगंज	गोरखपुर	1000
984.	बक्सीपुर	गोरखपुर	1000
985.	बक्सीपुर	गोरखपुर	3000
986.	चोरीचोरा	गोरखपुर	2000
987.	चौक	गोरखपुर	184
988.	कोम्पीयरगंज	गोरखपुर	1000
989.	दीहघाट	गोरखपुर	256
990.	धानी	गोरखपुर	336
991.	दोहरिया	गोरखपुर	352
992.	गगाहा	गोरखपुर	1000
993.	गजपुर	गोरखपुर	384
994.	गांगी बाजार	गोरखपुर	184
995.	घाघसारा	गोरखपुर	352
996.	घुघली	गोरखपुर	1000
997.	गिदा	गोरखपुर	2000
998.	गीता वाटिका	गोरखपुर	2000
999.	गीता वाटिका	गोरखपुर	3000
1000.	गोला	गोरखपुर	1000
1001.	गोरखनाथ	गोरखपुर	7000
1002.	गोरखपुर ई 10बी	गोरखपुर	18000
1003.	गोरखपुर ओसीबी 283	गोरखपुर	6000
1004.	गोरखपुर (बीटीएस)	गोरखपुर	1000
1005.	हाता बाजार	गोरखपुर	1400
1006.	जैतपुर	गोरखपुर	336
1007.	जानीपुर	गोरखपुर	184
1008.	झंगाहा	गोरखपुर	256
1009.	झारखंडी	गोरखपुर	3300
1010.	जंगल कौरिया	गोरखपुर	500
1011.	कटसेहरा	गोरखपुर	400
1012.	कौड़ीराम	गोरखपुर	1400
1013.	खजनी	गोरखपुर	1000
1014.	खुंटाहा	गोरखपुर	184
1015.	कोलहुई	गोरखपुर	1000
1016.	कुसामी	गोरखपुर	500
1017.	लक्ष्मीपुर	गोरखपुर	1000
1018.	मचिलगांव	गोरखपुर	184
1019.	मदरिया	गोरखपुर	1000
1020.	महाबीर छपरा	गोरखपुर	1000
1021.	महादेवा	गोरखपुर	1000
1022.	महाराजगंज	गोरखपुर	2000
1023.	महाराजगंज (बीटीएस)	गोरखपुर	1000
1024.	महुआ डाबर	गोरखपुर	500
1025.	माल्हाणपार	गोरखपुर	184
1026.	मंगलपुर	गोरखपुर	256
1027.	मिथौरा	गोरखपुर	304
1028.	मोतीराम अड्डा	गोरखपुर	500
1029.	मुजरी	गोरखपुर	184
1030.	नाईबाजार	गोरखपुर	1000
1031.	नटवा जंगल	गोरखपुर	184

1	2	3	4
1032.	नौतन्वा	गोरखपुर	1500
1033.	निचलौल	गोरखपुर	1000
1034.	पकारी	गोरखपुर	364
1035.	पाली	गोरखपुर	330
1036.	पनियारा	गोरखपुर	1000
1037.	परसामलिक	गोरखपुर	184
1038.	परतावल	गोरखपुर	1000
1039.	पिपीगंज	गोरखपुर	1000
1040.	पिपरैच	गोरखपुर	1000
1041.	पुरंदरपुर	गोरखपुर	368
1042.	रापतीनगर	गोरखपुर	9000
1043.	रूस्तमपुर	गोरखपुर	5000
1044.	साहजांवा	गोरखपुर	1023
1045.	सरदार नगर	गोरखपुर	364
1046.	सिकारीगंज	गोरखपुर	1000
1047.	सिसवा	गोरखपुर	1400
1048.	साहगौरा	गोरखपुर	184
1049.	सोनौली	गोरखपुर	1400
1050.	सोनबरसा	गोरखपुर	1000
1051.	थूथीबारी	गोरखपुर	1000
1052.	उन्वल	गोरखपुर	330
1053.	उरूवा	गोरखपुर	1000
1054.	विकासनगर	गोरखपुर	2000
1055.	अजनार	हमीरपुर	152
1056.	अकौना	हमीरपुर	152
1057.	अतरौली	हमीरपुर	152
1058.	बसेला	हमीरपुर	152

1	2	3	4
1059.	बेरी	हमीरपुर	152
1060.	बिहारिका	हमीरपुर	152
1061.	बिवर	हमीरपुर	1000
1062.	भरूवा सुमेरपुर	हमीरपुर	1000
1063.	छानी	हमीरपुर	336
1064.	चंदौत	हमीरपुर	152
1065.	चिकासी	हमीरपुर	152
1066.	चरखरी	हमीरपुर	1000
1067.	धागवान	हमीरपुर	168
1068.	गांधीनगर	हमीरपुर	2768
1069.	गोहंद	हमीरपुर	152
1070.	ग्योंदी	हमीरपुर	152
1071.	हमीरपुर	हमीरपुर	4240
1072.	इचौली	हमीरपुर	168
1073.	इंगोहता	हमीरपुर	152
1074.	इमिलिया	हमीरपुर	304
1075.	जलालपुर	हमीरपुर	152
1076.	जैतपुर	हमीरपुर	360
1077.	कमहारिया	हमीरपुर	160
1078.	कबराई	हमीरपुर	1000
1079.	खरेला	हमीरपुर	296
1080.	कुलपहार	हमीरपुर	1000
1081.	कुरारा	हमीरपुर	1000
1082.	खन्ना	हमीरपुर	152
1083.	कलौलीजार	हमीरपुर	152
1084.	मिश्रीपुर	हमीरपुर	152
1085.	मुस्कारा	हमीरपुर	1000

1	2	3	4
1086.	महोबा	हमीरपुर	1616
1087.	पाहड़ा	हमीरपुर	152
1088.	मनवाड़ी	हमीरपुर	1000
1089.	पौथिया	हमीरपुर	360
1090.	पथनौदी	हमीरपुर	152
1091.	पतनपुर	हमीरपुर	152
1092.	पुरैनी	हमीरपुर	152
1093	रगौल	हमीरपुर	2000
1094.	रेहुता	हमीरपुर	152
1095.	रथ	हमीरपुर	4248
1096.	रेवई	हमीरपुर	152
1097.	सरिला	हमीरपुर	1000
1098.	सिसोलर	हमीरपुर	152
1099.	श्रीनगर	हमीरपुर	312
1100.	तेरहा	हमीरपुर	152
1101.	उमरिया	हमीरपुर	152
1102.	अहिरोड़ी	हरदोई	248
1103.	अटवा खुरसाथ	हरदोई	152
1104.	बघौली	हरदोई	1000
1105.	बामनाखेड़ा	हरदोई	152
1106.	बवन	हरदोई	496
1107.	बेहतागोकुल	हरदोई	160
1108.	बेनीगंज	हरदोई	488
1109.	भारावां	हरदोई	248
1110.	भारखनी	हरदोई	152
1111.	बिलग्राम	हरदोई	1000
1112.	दलेल नगर	हरदोई	152
1113.	धनवार	हरदोई	152
1114.	धिकुन्नी	हरदोई	152
1115.	गौसगंज	हरदोई	480
1116.	गौंडवा	हरदोई	152
1117.	गोपामऊ	हरदोई	304
1118.	हरदोई सिविल	हरदोई	5516
1119.	हरदोई एलडब्ल्यूआरडी	हरदोई	4368
1120.	हरियावान	हरदोई	152
1121.	हरपालपुर	हरदोई	496
1122.	जहानीखेड़ा	हरदोई	152
1123.	कछौना	हरदोई	1000
1124.	कसीमपुर	हरदोई	160
1125.	कोठावान	हरदोई	248
1126.	लोनार	हरदोई	152
1127.	माधोगंज	हरदोई	500
1128.	मालावान	हरदोई	680
1129.	पाली	हरदोई	1000
1130.	परेली	हरदोई	152
1131.	पीहानी	हरदोई	1000
1132.	प्रतापनगर	हरदोई	152
1133.	राधोपुर	हरदोई	152
1134.	राइगैन	हरदोई	304
1135.	सांदी	हरदोई	1000
1136.	संदिला	हरदोई	2000
1137.	सवैजपुर	हरदोई	320
1138.	सेमरा चौराहा	हरदोई	168
1139.	शाहबाद	हरदोई	2000

1	2	3	4
1140.	सुभंखेड़ा	हरदोई	152
1141.	सुरसा	हरदोई	168
1142.	टाडियांवान	हरदोई	152
1143.	तोडारपुर	हरदोई	152
1144.	उधरनपुर	हरदोई	304
1145.	आलमगंज	जौनपुर	152
1146.	अरंड	जौनपुर	152
1147.	अरसिया	जौनपुर	152
1148.	बदेरी	जौनपुर	152
1149.	बधवा बाजार	जौनपुर	304
1150.	बदलापुर	जौनपुर	2000
1151.	बजरंग नगर	जौनपुर	1000
1152.	बराइपार	जौनपुर	360
1153.	बरेथी	जौनपुर	152
1154.	बेलवार बाजार	जौनपुर	304
1155.	भडेथी	जौनपुर	184
1156.	बीबीगंज	जौनपुर	152
1157.	चंदवाक	जौनपुर	304
1158.	धरमपुर	जौनपुर	304
1159.	धेमा	जौनपुर	168
1160.	फतेहगंज	जौनपुर	184
1161.	गंभीरन	जौनपुर	152
1162.	गरीयावं	जौनपुर	152
1163.	गौराबादशाहपुर	जौनपुर	696
1164.	धनश्यामपुर	जौनपुर	700
1165.	हैदरपुर	जौनपुर	368
1166.	हरिहरपुर	जौनपुर	152
1167.	जगतगंज	जौनपुर	152
1168.	जलालपुर	जौनपुर	1000
1169.	जप्तापुर	जौनपुर	152
1170.	जौनपुर	जौनपुर	11500
1171.	जौनपुर कतचेरी आर	जौनपुर	3000
1172.	कजगांव	जौनपुर	1000
1173.	केराकट	जौनपुर	1400
1174.	खेतसराय	जौनपुर	1000
1175.	खूटाहन	जौनपुर	360
1176.	लेदुका	जौनपुर	304
1177.	मछली शहर	जौनपुर	1400
1178.	महाराजगंज	जौनपुर	1000
1179.	मल्हानी	जौनपुर	1000
1180.	मनीकलां	जौनपुर	1000
1181.	मरीयाहूं	जौनपुर	2000
1182.	मीरगंज	जौनपुर	1000
1183.	मुफ्तीगंज	जौनपुर	360
1184.	मुंगराबादशाहपुर	जौनपुर	1400
1185.	नौपेराबा	जौनपुर	1000
1186.	निगोह	जौनपुर	1000
1187.	पाली	जौनपुर	1000
1188.	परऊगंज	जौनपुर	360
1189.	पतराही	जौनपुर	152
1190.	पट्टी नरेन्द्रपुर	जौनपुर	1000
1191.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	जौनपुर	1000
1192.	राजाबाजार	जौनपुर	168
1193.	रामपुर	जौनपुर	1000

1	2	3	4
1194.	रतासी	जौनपुर	152
1195.	रतनूपुर	जौनपुर	184
1196.	सथारिया	जौनपुर	700
1197.	सराय बीका	जौनपुर	168
1198.	शाहगंज	जौनपुर	3000
1199.	शम्भूगंज	जौनपुर	184
1200.	शेखूपुर	जौनपुर	1000
1201.	सिंहरामऊ	जौनपुर	304
1202.	सिकरारा	जौनपुर	1000
1203.	सीतमसराय	जौनपुर	296
1204.	सुखलाल गंज	जौनपुर	152
1205.	शिव नगर	जौनपुर	152
1206.	सुइठाकलां	जौनपुर	152
1207.	सुजानगंज	जौनपुर	1000
1208.	थानागड्डी	जौनपुर	1000
1209.	तरती	जौनपुर	184
1210.	त्रिलोचन महादेव	जौनपुर	184
1211.	उमरपुर	जौनपुर	1000
1212.	जफराबाद	जौनपुर	304
1213.	आमरा	झांसी	152
1214.	अरीच	झांसी	296
1215.	बबीना	झांसी	2000
1216.	बमौड	झांसी	152
1217.	बांगरा (सी डाट आरएसयू)	झांसी	1000
1218.	बानपुर	झांसी	152
1219.	बानसी	झांसी	360
1220.	बार-ए	झांसी	152

1	2	3	4
1221.	बारा गांव	झांसी	500
1222.	बरूआसागर	झांसी	120
1223.	बार-बी	झांसी	1000
1224.	भरारी (इसागढ़)	झांसी	248
1225.	भेल	झांसी	2000
1226.	बिजौली	झांसी	1000
1227.	बिरधा	झांसी	152
1228.	चिरगांव	झांसी	1500
1229.	दैलवारा	झांसी	152
1230.	धौर्रा	झांसी	152
1231.	गरौठा	झांसी	376
1232.	ग्रास लैंड	झांसी	500
1233.	गुढ़ा	झांसी	152
1234.	गुरसारैन	झांसी	1400
1235.	हाती	झांसी	152
1236.	जखौरा-ए	झांसी	152
1237.	जखौरा-बी	झांसी	120
1238.	जखलौन	झांसी	152
1239.	झांसी कैंट आरएलयू	झांसी	6000
1240.	झांसी ओसीबी मेन	झांसी	3000
1241.	झांसी 10 बी मेन	झांसी	12000
1242.	कल्यानपुरा	झांसी	152
1243.	करगुवान	झांसी	152
1244.	करगुवान खुर्द	झांसी	152
1245.	कटेरा	झांसी	152
1246.	कुम्हेरी	झांसी	152
1247.	ललितपुर	झांसी	6500
1248.	मदवारा-ए	झांसी	184

1	2	3	4
1249.	मदवारा-बी	झांसी	184
1250.	मदोरा	झांसी	248
1251.	माणिक चौक-आरएसयू	झांसी	4000
1252.	मारानीपुर	झांसी	4000
1253.	मेहरौनी	झांसी	1000
1254.	मोठ	झांसी	1400
1255.	नागरा	झांसी	2000
1256.	नंदनपुरा आरएलयू	झांसी	6000
1257.	नरहाट	झांसी	152
1258.	नुनार	झांसी	152
1259.	पालर	झांसी	248
1260.	पाली	झांसी	152
1261.	परीछा	झांसी	1000
1262.	पाठा	झांसी	152
1263.	पिछोड आरएयू	झांसी	2000
1264.	पूंछ	झांसी	1000
1265.	पुरा बिर्धा	झांसी	152
1266.	राजापुर	झांसी	248
1267.	राजघाट	झांसी	152
1268.	रक्षा-ए	झांसी	152
1269.	रक्षा-बी	झांसी	152
1270.	रानीपुर	झांसी	1000
1271.	रेवन	झांसी	176
1272.	सैदपुर	झांसी	152
1273.	सकीन-ए	झांसी	152
1274.	सकीन-बी	झांसी	120
1275.	सकरार	झांसी	500
1276.	समथार	झांसी	376
1277.	सरवास कलां	झांसी	152
1278.	शाहजहां पुर	झांसी	152
1279.	सिंगारा	झांसी	248
1280.	सिप्री बाजार आरएसयू	झांसी	3500
1281.	तालबेहट	झांसी	1400
1282.	तालबेहट आर्मी	झांसी	152
1283.	तेहरौली	झांसी	296
1284.	तोडी फतेहपुर	झांसी	152
1285.	उल्दान	झांसी	152
1286.	विजयपुरा	झांसी	152
1287.	अकबरपुर	कानपुर	1000
1288.	अमौर	कानपुर	184
1289.	अमौर	कानपुर	184
1290.	अमरौधा	कानपुर	184
1291.	अरौल	कानपुर	1000
1292.	असालत गंज	कानपुर	184
1293.	आवास विकास	कानपुर	4000
1294.	बाघपुर	कानपुर	184
1295.	बानगांव	कानपुर	184
1296.	बांस मंडी	कानपुर	4000
1297.	बरौर	कानपुर	184
1298.	बरौर	कानपुर	184
1299.	बरीपाल	कानपुर	184
1300.	बरीपाल	कानपुर	184
1301.	बेनझाबेर	कानपुर	18000
1302.	बेनझाबेर	कानपुर	9000

1	2	3	4
1303.	बेनझाबेर	कानपुर	7000
1304.	भैपुर	कानपुर	184
1305.	भौतीप्रतापपुर	कानपुर	500
1306.	भीतेरगांव	कानपुर	184
1307.	भीतेरगांव	कानपुर	184
1308.	बिधनू	कानपुर	500
1309.	बिल्हौर	कानपुर	2000
1310.	बिठूर	कानपुर	500
1311.	कैंट	कानपुर	2000
1312.	चकेरी	कानपुर	184
1313.	चौबेपुर	कानपुर	1000
1314.	देव ब्रह्मपुर	कानपुर	184
1315.	देरापुर	कानपुर	400
1316.	एटरा	कानपुर	184
1317.	गजनेर	कानपुर	184
1318.	गलुआपुर	कानपुर	184
1319.	घाटमपुर	कानपुर	2000
1320.	गोविन्दनगर	कानपुर	6000
1321.	हंसपुरम	कानपुर	2000
1322.	हंसेमऊ	कानपुर	184
1323.	हंसेमऊ	कानपुर	184
1324.	इट	कानपुर	1000
1325.	जैनपुर	कानपुर	400
1326.	जाजमऊ	कानपुर	4000
1327.	जरीब चौकी	कानपुर	3000
1328.	झ	कानपुर	1000
1329.	का	कानपुर	184
1330.	काकादेव	कानपुर	7000
1331.	काकवान	कानपुर	184
1332.	काकवान	कानपुर	184
1333.	कल्याणपुर	कानपुर	6000
1334.	काशीपुर	कानपुर	184
1335.	कठारा	कानपुर	184
1336.	किदवई नगर	कानपुर	23000
1337.	कोरोवा	कानपुर	184
1338.	कोरियन	कानपुर	184
1339.	कृष्णानगर	कानपुर	12000
1340.	कौन खेडा	कानपुर	184
1341.	कुदनी	कानपुर	184
1342.	कुरिया	कानपुर	184
1343.	लाजपत नगर	कानपुर	15000
1344.	लाजपत नगर	कानपुर	7500
1345.	लखनपुर	कानपुर	6000
1346.	महाराजपुर	कानपुर	184
1347.	महाराजपुर	कानपुर	184
1348.	मैठा ब्लाक	कानपुर	184
1349.	मैठा आर एस	कानपुर	184
1350.	मझावान	कानपुर	184
1351.	माकनपुर	कानपुर	184
1352.	मालसा	कानपुर	184
1353.	मालरोड	कानपुर	26000
1354.	मालरोड	कानपुर	2000
1355.	मालरोड	कानपुर	8000
1356.	मनधना	कानपुर	1000

1	2	3	4
1357.	मंगलपुर	कानपुर	184
1358.	मंगलपुर	कानपुर	184
1359.	मवार	कानपुर	184
1360.	मिंदा कौन	कानपुर	184
1361.	मूसा नगर	कानपुर	184
1362.	मूसा नगर	कानपुर	184
1363.	मुंगीसपुर	कानपुर	184
1364.	नदीहा बुजुर्ग	कानपुर	184
1365.	नरमऊ	कानपुर	1000
1366.	नरवाल	कानपुर	184
1367.	नरवाल	कानपुर	184
1368.	नौरंगा	कानपुर	184
1369.	नौरंगा	कानपुर	184
1370.	नोनारी	कानपुर	184
1371.	पाली	कानपुर	184
1372.	पांकी इंडस्ट्रीयल एरिया	कानपुर	2000
1373.	पांकी पावर हाऊस	कानपुर	4000
1374.	पाटरा	कानपुर	184
1375.	पाटरा	कानपुर	184
1376.	प्रेमपुर (नगर)	कानपुर	184
1377.	पी आर	कानपुर	184
1378.	पुखरायां	कानपुर	2000
1379.	पुरवा मीर	कानपुर	184
1380.	रेल बाजार	कानपुर	4000
1381.	राजपुर	कानपुर	1000
1382.	रानिया	कानपुर	976
1383.	रसधन	कानपुर	184
1384.	रसूलाबाद	कानपुर	1000
1385.	रतनलाल नगर	कानपुर	6000
1386.	रतन लाल नगर	कानपुर	4000
1387.	रेउना	कानपुर	184
1388.	रेउना	कानपुर	184
1389.	रूमा	कानपुर	1000
1390.	रूरा	कानपुर	1000
1391.	सचेंदी	कानपुर	500
1392.	सजेती	कानपुर	184
1393.	सजेती	कानपुर	184
1394.	सखरेज	कानपुर	184
1395.	संदलपुर	कानपुर	184
1396.	सरसौल	कानपुर	500
1397.	सरवान खेडा	कानपुर	184
1398.	शाहजहांपुर	कानपुर	184
1399.	शाहजहांपुर	कानपुर	184
1400.	शिवधारी	कानपुर	184
1401.	शिवली	कानपुर	184
1402.	शिवली	कानपुर	184
1403.	शिवराजपुर	कानपुर	1000
1404.	श्याम नगर	कानपुर	5000
1405.	सिकंदरा	कानपुर	500
1406.	सितमारा	कानपुर	184
1407.	तिस्ती	कानपुर	184
1408.	उमरी	कानपुर	184
1409.	उत्तरीपुरा	कानपुर	1000
1410.	विष्णुपुरी	कानपुर	4000

1	2	3	4
1411.	विश्व बैंक	कानपुर	4000
1412.	यशोदा नगर	कानपुर	8000
1413.	अभई पुर	लखीमपुर	152
1414.	अइरा आरएसयू	लखीमपुर	1000
1415.	अजन	लखीमपुर	152
1416.	अजवापुर	लखीमपुर	184
1417.	अलीगंज	लखीमपुर	360
1418.	अमीर नगर-।	लखीमपुर	184
1419.	अमीर नगर-II	लखीमपुर	152
1420.	अमृतापुर	लखीमपुर	152
1421.	अंदेस नगर-।	लखीमपुर	152
1422.	अंदेस नगर-II	लखीमपुर	152
1423.	औरंगाबाद	लखीमपुर	152
1424.	बडागौन	लखीमपुर	152
1425.	बाम्हनपुर-।	लखीमपुर	184
1426.	बाम्हनपुर-II	लखीमपुर	152
1427.	बांकीगंज-।	लखीमपुर	152
1428.	बांकीगंज-II	लखीमपुर	152
1429.	बारबेर	लखीमपुर	184
1430.	बेहजम आरएसयू	लखीमपुर	1000
1431.	बेहती अफगान	लखीमपुर	152
1432.	बेलापरसुवा	लखीमपुर	184
1433.	बेलरायां	लखीमपुर	360
1434.	भानपुर	लखीमपुर	184
1435.	भीरा-।	लखीमपुर	1000
1436.	भीरा-II	लखीमपुर	1000
1437.	विजुवा	लखीमपुर	360
1438.	चहमलपुर	लखीमपुर	152
1439.	चंदन चौकी	लखीमपुर	184
1440.	दौडपुर	लखीमपुर	152
1441.	धखेरवा	लखीमपुर	152
1442.	धौराहरा-।	लखीमपुर	1000
1443.	धौराहरा-II	लखीमपुर	1000
1444.	गजियापुर	लखीमपुर	152
1445.	गोला-। आरएसयू	लखीमपुर	2000
1446.	गोला-II आरएसयू	लखीमपुर	2000
1447.	ईसा नगर-।	लखीमपुर	184
1448.	ईसा नगर-II	लखीमपुर	152
1449.	जे.बी. गंज	लखीमपुर	1000
1450.	जलालपुर	लखीमपुर	184
1451.	जसनगर-।	लखीमपुर	184
1452.	जसनगर-II	लखीमपुर	152
1453.	छंडी राज	लखीमपुर	184
1454.	कादिया	लखीमपुर	152
1455.	काला आम	लखीमपुर	152
1456.	कस्ता-।	लखीमपुर	184
1457.	कस्ता-II	लखीमपुर	152
1458.	कतौली	लखीमपुर	152
1459.	खजूरिया	लखीमपुर	488
1460.	कुकरा	लखीमपुर	152
1461.	लगूचा	लखीमपुर	152
1462.	लखीमपुर (एम)	लखीमपुर	8000
1463.	लखीमपुर-II	लखीमपुर	1000
1464.	एलआरपी-आरएसयू-।	लखीमपुर	3000

1	2	3	4
1465.	मेला आरएसयू-II	लखीमपुर	2000
1466.	मदनापुर	लखीमपुर	152
1467.	महंगापुर आरएसयू	लखीमपुर	500
1468.	मैगल गंज-I	लखीमपुर	1400
1469.	मैगल गंज-II	लखीमपुर	1000
1470.	मैलानी	लखीमपुर	1000
1471.	मझगैन आरएसयू	लखीमपुर	360
1472.	मजीगवान	लखीमपुर	184
1473.	मामरी	लखीमपुर	184
1474.	मितौली आरएसयू	लखीमपुर	360
1475.	मोहम्मदी-I	लखीमपुर	1400
1476.	मोहम्मदी-II	लखीमपुर	1000
1477.	मुदासवरन	लखीमपुर	152
1478.	नाखा	लखीमपुर	152
1479.	नीम गांव	लखीमपुर	152
1480.	निघासन-I	लखीमपुर	1000
1481.	निघासन-II	लखीमपुर	1000
1482.	ओइल आरएसयू	लखीमपुर	360
1483.	पदरियातुला	लखीमपुर	152
1484.	पलिया-I	लखीमपुर	3000
1485.	पलिया-II	लखीमपुर	1000
1486.	पासगवन	लखीमपुर	152
1487.	फरधान आरएसयू	लखीमपुर	360
1488.	फत्तेपुर	लखीमपुर	152
1489.	फूल बेहार-I	लखीमपुर	152
1490.	फूल बेहार-II	लखीमपुर	152
1491.	पिपरिया धानी-I	लखीमपुर	152
1492.	पिपरिया धानी-II	लखीमपुर	184
1493.	रकेहती-I	लखीमपुर	184
1494.	रकेहती-II	लखीमपुर	152
1495.	रमिया बेहार	लखीमपुर	152
1496.	रामपुर मिश्रा	लखीमपुर	152
1497.	रजागंज-I	लखीमपुर	152
1498.	रजागंज-II	लखीमपुर	152
1499.	सलीमाबाद	लखीमपुर	184
1500.	संपूर्ण नगर आरएसयू	लखीमपुर	2000
1501.	संसारपुर	लखीमपुर	152
1502.	शंकरपुर राजा	लखीमपुर	152
1503.	शारदा नगर-I	लखीमपुर	184
1504.	शारदा नगर-II	लखीमपुर	152
1505.	सिकन्दराबाद	लखीमपुर	184
1506.	सिंधुआना	लखीमपुर	184
1507.	सिंगाही	लखीमपुर	1000
1508.	सिसैया	लखीमपुर	152
1509.	सिसोरा नसीर	लखीमपुर	152
1510.	सुन्दरवाल-I	लखीमपुर	152
1511.	सुन्दरवाल-II	लखीमपुर	184
1512.	टिकोनिया	लखीमपुर	1000
1513.	उछोलिया	लखीमपुर	184
1514.	विशनपुरी आरएसयू	लखीमपुर	500
1515.	वाशलीपुर	लखीमपुर	152
1516.	आलमबाग	लखनऊ	16000
1517.	अमानीगंज	लखनऊ	152
1518.	अमेठी	लखनऊ	152

1	2	3	4
1519.	ए.पी. सेन	लखनऊ	6000
1520.	अर्जुनगंज	लखनऊ	304
1521.	भदेवां	लखनऊ	13000
1522.	भदेवा मेन	लखनऊ	4000
1523.	भालिया	लखनऊ	152
1524.	बक्शी का तालाब	लखनऊ	1000
1525.	बांथरा	लखनऊ	1000
1526.	बिजनौर	लखनऊ	304
1527.	बोरोमाउ	लखनऊ	152
1528.	चिनहट	लखनऊ	1000
1529.	चौक डी टी ओ	लखनऊ	6000
1530.	दिलकुशा	लखनऊ	4000
1531.	दसौली	लखनऊ	384
1532.	दालीगंज	लखनऊ	2000
1533.	देवा रोड	लखनऊ	1000
1534.	धेधेमाउ	लखनऊ	152
1535.	फतहगंज	लखनऊ	152
1536.	गाहदो	लखनऊ	152
1537.	गंगागंज	लखनऊ	152
1538.	धाल्ली	लखनऊ	152
1539.	गढ़ी	लखनऊ	152
1540.	गंगा सिचाईपुरम	लखनऊ	3500
1541.	गोमती नगर	लखनऊ	4500
1542.	गोमती नगर मेन	लखनऊ	8000
1543.	गोसाईगंज	लखनऊ	1000
1544.	हारौनी	लखनऊ	1000
1545.	हरदोइया	लखनऊ	152
1546.	हरदोई रोड	लखनऊ	6000
1547.	इंदिरा नगर मेन	लखनऊ	6000
1548.	इन्दिरा नगर आरएसएम	लखनऊ	13000
1549.	इटाउजा	लखनऊ	1000
1550.	जवाहर भवन	लखनऊ	3000
1551.	जानकी पुरम	लखनऊ	7400
1552.	जापलिंग रोड	लखनऊ	6000
1553.	काहला	लखनऊ	152
1554.	काकोरी	लखनऊ	1000
1555.	काठवाड़ा	लखनऊ	152
1556.	कानकाहा	लखनऊ	152
1557.	कारोरा	लखनऊ	152
1558.	कासमंडी कालान	लखनऊ	152
1559.	काटी बागिया	लखनऊ	152
1560.	कैसर मेन/आरएलयू	लखनऊ	10000
1561.	कैसरबाग आरएलयू	लखनऊ	18000
1562.	कैसरबाग आरएलयू	लखनऊ	4000
1563.	के.एस.बी.एन. टी मेन-II	लखनऊ	5000
1564.	कल्याणपुर	लखनऊ	3000
1565.	रवादरा	लखनऊ	3000
1566.	कृष्णानगर	लखनऊ	4000
1567.	कुरदई	लखनऊ	304
1568.	कुम्बरावान	लखनऊ	152
1569.	गणेशगंज	लखनऊ	5000
1570.	लोनहा	लखनऊ	152
1571.	महानगर मेन	लखनऊ	12000
1572.	महानगर मेन	लखनऊ	17000

1	2	3	4
1573.	माली हाबाद	लखनऊ	2000
1574.	माल	लखनऊ	304
1575.	मेमोरा	लखनऊ	1000
1576.	मोहारी कालान	लखनऊ	152
1577.	मोहन लाल गंज	लखनऊ	2000
1578.	मुंशीपुलिया	लखनऊ	4000
1579.	न्यू हैदराबाद	लखनऊ	3000
1580.	निराला नगर	लखनऊ	5000
1581.	नबी पनाह	लखनऊ	152
1582.	निगोहन	लखनऊ	304
1583.	पी जी आई	लखनऊ	1000
1584.	रहीमाबाद	लखनऊ	304
1585.	रामन खेड़ा	लखनऊ	152
1586.	राजाजी पुरम	लखनऊ	10500
1587.	राजेन्द्र नगर	लखनऊ	4000
1588.	संसारपुर	लखनऊ	152
1589.	सेक्रेटरिएट	लखनऊ	5000
1590.	सैक्टर 8 आईएनआर (पी नगर)	लखनऊ	3000
1591.	सैक्टर 10 आरएनआर	लखनऊ	4000
1592.	सैक्टर 19 आइएनआर	लखनऊ	4000
1593.	सेक्टर जीकेपी रोड	लखनऊ	5000
1594.	सैक्टर कालीगंज	लखनऊ	4000
1595.	सामेसी	लखनऊ	304
1596.	सिसेन्दी	लखनऊ	304
1597.	शारदा नगर	लखनऊ	2000
1598.	सहारा स्टेट	लखनऊ	1000
1599.	शहादत गंज	लखनऊ	3000
1600.	तालकटोरा	लखनऊ	2000
1601.	टी.पी. नगर	लखनऊ	9000
1602.	त्रिवेनी नगर	लखनऊ	4000
1603.	विकास नगर	लखनऊ	5500
1604.	विश्वास खंड	लखनऊ	3000
1605.	विराम खंड	लखनऊ	4000
1606.	विभूति खंड	लखनऊ	2000
1607.	डब्ल्यूएलएल केसरबाग	लखनऊ	13000
1608.	आर्यपुर खेड़ा	मैनपुरी	360
1609.	आसरगंढ़ी	मैनपुरी	152
1610.	औराध	मैनपुरी	192
1611.	बारनाहाल	मैनपुरी	680
1612.	बेवाड	मैनपुरी	2000
1613.	भारौल	मैनपुरी	192
1614.	भोगांव	मैनपुरी	3000
1615.	बुझिया कापुल	मैनपुरी	152
1616.	दिहुली	मैनपुरी	152
1617.	इका	मैनपुरी	360
1618.	घिरोर	मैनपुरी	1000
1619.	जागीर	मैनपुरी	1000
1620.	जासराना	मैनपुरी	2000
1621.	ज्योति	मैनपुरी	152
1622.	कारहाल	मैनपुरी	3000
1623.	कल्याणपुर	मैनपुरी	152
1624.	कासद	मैनपुरी	152
1625.	काठफोड़ी	मैनपुरी	152
1626.	केसरी	मैनपुरी	152
1627.	खेरगढ़	मैनपुरी	184

1	2	3	4
1628.	किशनी	मैनपुरी	384
1629.	कुचेला	मैनपुरी	152
1630.	कुरावाली	मैनपुरी	1000
1631.	कुंसमारा	मैनपुरी	744
1632.	लाभौवा	मैनपुरी	152
1633.	मदनपुर	मैनपुरी	152
1634.	मक्खनपुर	मैनपुरी	296
1635.	मैनपुरी-I	मैनपुरी	7500
1636.	मैनपुरी-II	मैनपुरी	2500
1637.	नागला गुलाल	मैनपुरी	168
1638.	नागला मांघ	मैनपुरी	152
1639.	नौनेर	मैनपुरी	152
1640.	नवीगंज	मैनपुरी	152
1641.	परहाम	मैनपुरी	200
1642.	पेगु	मैनपुरी	152
1643.	सामन	मैनपुरी	168
1644.	शिकोहाबाद	मैनपुरी	8000
1645.	सिरसागंज	मैनपुरी	2400
1646.	सुल्तानगंज	मैनपुरी	192
1647.	सुन्नामई	मैनपुरी	152
1648.	उनचा इस्लामाबाद	मैनपुरी	152
1649.	अदारी	मऊ	1000
1650.	ऐलाक	मऊ	1000
1651.	अमीला	मऊ	1400
1652.	अतारसावन	मऊ	368
1653.	बारागांव	मऊ	184
1654.	बोझी	मऊ	1000
1655.	चकरा	मऊ	336
1656.	चिरैयाकोट	मऊ	2000
1657.	दोहरीघाट	मऊ	1400
1658.	दुबारी	मऊ	1000
1659.	घोसी	मऊ	2000
1660.	हलधारपुर	मऊ	336
1661.	हथनी	मऊ	184
1662.	कल्याणपुर	मऊ	200
1663.	कारहा	मऊ	1000
1664.	कारीसाथ	मऊ	200
1665.	कातीहारी	मऊ	184
1666.	खुराहाट	मऊ	368
1667.	कोपागंज	मऊ	2000
1668.	करौली	मऊ	152
1669.	कुरथीजफरपुर	मऊ	1000
1670.	कुसमौर	मऊ	1000
1671.	मधुबन	मऊ	1400
1672.	मर्यादपुर	मऊ	1000
1673.	मऊ	मऊ	10000
1674.	मऊ सिविल लाइन्स	मऊ	3000
1675.	मऊ इंडस्ट्रियल एरिया	मऊ	1400
1676.	मऊ पश्चिम	मऊ	2000
1677.	मौरभोज	मऊ	368
1678.	माउ-आरएसयू 2के	मऊ	2000
1679.	मोहम्मदाबाद	मऊ	4000
1680.	नदावा सराय	मऊ	1000
1681.	परसुपुर	मऊ	200

1	2	3	4
1682.	पिपारी	मऊ	368
1683.	पिपारसाथ	मऊ	184
1684.	रानीपुर	मऊ	184
1685.	रतनपुरा	मऊ	1000
1686.	सरसेना	मऊ	280
1687.	सेमारी जमालपुर	मऊ	1000
1688.	सिपाह	मऊ	400
1689.	सुग्गीसाकुटी	मऊ	200
1690.	सुल्तानपुर	मऊ	368
1691.	सुराजपुर	मऊ	1000
1692.	अदालहत	मिर्जापुर	1000
1693.	आदलपुरा	मिर्जापुर	1000
1694.	अधवार (हुरूआ)	मिर्जापुर	360
1695.	अहरौरा	मिर्जापुर	1000
1696.	अनपाड़ा	मिर्जापुर	3500
1697.	बाभानी	मिर्जापुर	152
1698.	बाहुती	मिर्जापुर	152
1699.	बकरीहवन	मिर्जापुर	152
1700.	बरौंधा	मिर्जापुर	304
1701.	बाथुआ	मिर्जापुर	1500
1702.	बीना	मिर्जापुर	1400
1703.	भेंडी	मिर्जापुर	152
1704.	चौकिया	मिर्जापुर	304
1705.	चेतगंज	मिर्जापुर	336
1706.	चोपान	मिर्जापुर	2000
1707.	चुनार	मिर्जापुर	2000
1708.	चुर्क	मिर्जापुर	1000
1709.	डाल्ला	मिर्जापुर	360
1710.	द्रमालगंज	मिर्जापुर	304
1711.	दुबारकाला	मिर्जापुर	152
1712.	दुबेपुर	मिर्जापुर	152
1713.	दुधी	मिर्जापुर	1000
1714.	गैपुरा	मिर्जापुर	1000
1715.	धोरावल	मिर्जापुर	1000
1716.	हालिया	मिर्जापुर	184
1717.	हारगढ़	मिर्जापुर	1000
1718.	इमलियाछाती	मिर्जापुर	1000
1719.	इमलीपुर	मिर्जापुर	152
1720.	जमालपुर	मिर्जापुर	1000
1721.	जमुआ बाजार	मिर्जापुर	336
1722.	जामुई	मिर्जापुर	328
1723.	झरना	मिर्जापुर	152
1724.	जिगना	मिर्जापुर	1000
1725.	जोपा	मिर्जापुर	1000
1726.	ज्युति	मिर्जापुर	336
1727.	कच्छावा	मिर्जापुर	1400
1728.	कचनारवा	मिर्जापुर	152
1729.	कैलहाट	मिर्जापुर	1000
1730.	काकराही	मिर्जापुर	368
1731.	कालवाड़ी	मिर्जापुर	152
1732.	किरबिल	मिर्जापुर	152
1733.	कोने	मिर्जापुर	152
1734.	कोटे	मिर्जापुर	152
1735.	कुबरी पाटेहारा	मिर्जापुर	360

1	2	3	4
1736.	लहांगपुर	मिर्जापुर	312
1737.	लालगंज	मिर्जापुर	1000
1738.	मधुपुर	मिर्जापुर	1000
1739.	मगराहा	मिर्जापुर	328
1740.	माहुगढ़	मिर्जापुर	152
1741.	माहुली	मिर्जापुर	152
1742.	मारीहान	मिर्जापुर	1000
1743.	मारकुंडी	मिर्जापुर	200
1744.	मिर्जापुर-।	मिर्जापुर	4000
1745.	मिर्जापुर-॥	मिर्जापुर	7000
1746.	म्योरेपुर	मिर्जापुर	360
1747.	नई बाजार	मिर्जापुर	152
1748.	नारायणपुर	मिर्जापुर	1000
1749.	ओबरा	मिर्जापुर	5000
1750.	पादारी	मिर्जापुर	1000
1751.	पाहो	मिर्जापुर	1000
1752.	पेदापुर	मिर्जापुर	336
1753.	पिपरी	मिर्जापुर	6000
1754.	पोथीपतहार	मिर्जापुर	152
1755.	पुरजागीर	मिर्जापुर	1000
1756.	राजगढ़	मिर्जापुर	1000
1757.	रामगढ़	मिर्जापुर	360
1758.	रामगढ़	मिर्जापुर	336
1759.	रामपुर	मिर्जापुर	152
1760.	रेनुसागर	मिर्जापुर	2000
1761.	रिहान्दसागर	मिर्जापुर	2000
1762.	रोबर्टसगंज	मिर्जापुर	3000

1	2	3	4
1763.	शाहगंज	मिर्जापुर	360
1764.	शकतेशगढ़	मिर्जापुर	152
1765.	शक्तिनगर	मिर्जापुर	3400
1766.	वर्दिया	मिर्जापुर	152
1767.	विंध्यांचल	मिर्जापुर	1000
1768.	विधंमगंज	मिर्जापुर	368
1769.	एयर	औरई	184
1770.	ऐट	औरई	1000
1771.	अटा	औरई	184
1772.	बबई	औरई	248
1773.	बांगरा	औरई	500
1774.	भींड	औरई	248
1775.	दकोरे	औरई	184
1776.	इटोन	औरई	336
1777.	इटोरा	औरई	184
1778.	गुलौली	औरई	184
1779.	गिरथान	औरई	184
1780.	गोपालपुरा	औरई	184
1781.	हदरूख	औरई	184
1782.	हरदोई गूजर	औरई	432
1783.	जालौन	औरई	1984
1784.	जुगरजपुरा	औरई	184
1785.	कदौरा	औरई	496
1786.	कैलिया	औरई	184
1787.	काल्पी	औरई	1856
1788.	कनासी	औरई	184
1789.	कारमेर	औरई	184

1	2	3	4
1790.	खकसिस	औरई	248
1791.	खररा	औरई	184
1792.	कोंच	औरई	1856
1793.	कोटरा	औरई	184
1794.	कूकरगांव	औरई	184
1795.	कुठोंड	औरई	1000
1796.	माधोगढ़	औरई	368
1797.	महेवा	औरई	184
1798.	मुसमरिया	औरई	184
1799.	नदीगांव	औरई	184
1800.	नियामतपुर	औरई	184
1801.	औरई	औरई	9000
1802.	पनियारा	औरई	184
1803.	पिंदारी	औरई	184
1804.	पिरौना	औरई	184
1805.	रामपुरा	औरई	368
1806.	रेधांर	औरई	184
1807.	सहाओ	औरई	184
1808.	साम्मी	औरई	176
1809.	उमारी	औरई	336
1810.	यूपीएसआईडीसी औरई	औरई	296
1811.	उसरगांव	औरई	184
1812.	वीरपुरा	औरई	184
1813.	आंटू	प्रतापगढ़	1000
1814.	आसपुर देवसारा	प्रतापगढ़	1000
1815.	अथेहा	प्रतापगढ़	184
1816.	बरीकाला	प्रतापगढ़	152

1	2	3	4
1817.	भागवतगंज	प्रतापगढ़	248
1818.	बाबूगंज	प्रतापगढ़	360
1819.	बिसाहिया	प्रतापगढ़	360
1820.	बीहर	प्रतापगढ़	184
1821.	बानी	प्रतापगढ़	152
1822.	बधराय	प्रतापगढ़	152
1823.	देखा	प्रतापगढ़	1000
1824.	दीवानगंज	प्रतापगढ़	1000
1825.	दीलिपपुर	प्रतापगढ़	152
1826.	धकवा	प्रतापगढ़	184
1827.	देलहूपुर	प्रतापगढ़	304
1828.	धींगवास	प्रतापगढ़	184
1829.	दारापुर	प्रतापगढ़	336
1830.	फातनपुर	प्रतापगढ़	360
1831.	गरहिमानिकपुर	प्रतापगढ़	488
1832.	गरवारा	प्रतापगढ़	616
1833.	गोटानी	प्रतापगढ़	152
1834.	गोरादंड	प्रतापगढ़	184
1835.	गांधी बाजार	प्रतापगढ़	152
1836.	हीरागंज	प्रतापगढ़	336
1837.	हाथगावन	प्रतापगढ़	152
1838.	जमताली	प्रतापगढ़	1000
1839.	जालेसरगंज	प्रतापगढ़	152
1840.	जालेसरगंज	प्रतापगढ़	248
1841.	कटरा मेदनीगंज	प्रतापगढ़	1000
1842.	कटरा गुलाब सिंह	प्रतापगढ़	400
1843.	कुदां	प्रतापगढ़	2000

1	2	3	4
1844.	कालाकनकर	प्रतापगढ़	1000
1845.	कोहदौर	प्रतापगढ़	1000
1846.	के. हनुमानगंज	प्रतापगढ़	184
1847.	किथावर बाजार	प्रतापगढ़	336
1848.	कुसुवापुर	प्रतापगढ़	152
1849.	लालगंज	प्रतापगढ़	1400
1850.	लक्ष्मीगंज	प्रतापगढ़	248
1851.	मोहनगंज	प्रतापगढ़	488
1852.	मन्धाता	प्रतापगढ़	1000
1853.	मंगरौरा	प्रतापगढ़	184
1854.	नवाबगंज	प्रतापगढ़	184
1855.	नारंगपुर	प्रतापगढ़	184
1856.	पट्टी	प्रतापगढ़	1400
1857.	पृथ्वीगंज-ए	प्रतापगढ़	336
1858.	पृथ्वीगंज बाजार-ए	प्रतापगढ़	304
1859.	प्रतापगढ़-ए	प्रतापगढ़	9000
1860.	पूरे धनाऊ	प्रतापगढ़	184
1861.	रानीगंज	प्रतापगढ़	1000
1862.	रानीगंज कैथोला	प्रतापगढ़	152
1863.	रामपुर खास	प्रतापगढ़	152
1864.	रसूलाहा	प्रतापगढ़	184
1865.	रामगंज	प्रतापगढ़	184
1866.	राजापुर	प्रतापगढ़	184
1867.	संग्रामगढ़	प्रतापगढ़	336
1868.	सांगीपुर	प्रतापगढ़	1000
1869.	सैफाबाद	प्रतापगढ़	360
1870.	साहेबगंज	प्रतापगढ़	184
1871.	समशेरगंज	प्रतापगढ़	184
1872.	सदाहा	प्रतापगढ़	152
1873.	तेजगढ़	प्रतापगढ़	152
1874.	विश्वनाथगंज	प्रतापगढ़	360
1875.	एहर	रायबरेली	512
1876.	अमावन (वी-5.2 एएनआर)	रायबरेली	284
1877.	अतौरा बुजुर्ग	रायबरेली	256
1878.	बाबूगंज	रायबरेली	256
1879.	बच्छरावन	रायबरेली	1.4के.
1880.	बेहटा कलां	रायबरेली	256
1881.	बेनीमाधोगंज (आरएसयू)	रायबरेली	500
1882.	भादोरवर (आरएसयू 0.5के)	रायबरेली	500
1883.	भोजपुर	रायबरेली	512
1884.	छट्टोह	रायबरेली	256
1885.	चौक (आरबीएल-आरएसयू)	रायबरेली	4000
1886.	दलमाऊ	रायबरेली	1000
1887.	देदौर	रायबरेली	512
1888.	दीह	रायबरेली	256
1889.	फुर्सतगंज (आरएसयू 1के)	रायबरेली	752
1890.	गदागंज	रायबरेली	512
1891.	गंगागंज	रायबरेली	381
1892.	गुरुबक्सगंज (आरएसयू 1के)	रायबरेली	1000
1893.	हल्लौर	रायबरेली	256
1894.	हरचंदपुर (आरएसयू 0)	रायबरेली	500

1	2	3	4
1895.	हरदोई	रायबरेली	256
1896.	इनहोन्ना (आरएसयू 0.5के)	रायबरेली	500
1897.	जगतपुर (आरएसयू 0.5के)	रायबरेली	500
1898.	जैस	रायबरेली	1000
1899.	के.पी. सदवा	रायबरेली	256
1900.	काटधर	रायबरेली	256
1901.	खजूरगांव	रायबरेली	256
1902.	खरैया बाजार	रायबरेली	256
1903.	खीरोन	रायबरेली	281
1904.	कुंदनगंज	रायबरेली	256
1905.	कुर्री सुदौली	रायबरेली	256
1906.	लालगंज	रायबरेली	2000
1907.	लोदवामाऊ	रायबरेली	256
1908.	महाराजगंज	रायबरेली	1000
1909.	मेजरगंज	रायबरेली	256
1910.	माटिनगंज	रायबरेली	256
1911.	मौगरवी	रायबरेली	256
1912.	नसीराहबाद	रायबरेली	256
1913.	निहास्था	रायबरेली	256
1914.	परी पहारगढ़	रायबरेली	256
1915.	पारशादेपुर (आरएसयू 0)	रायबरेली	500
1916.	रायबरेली सी-डाट	रायबरेली	10000
1917.	रहवान	रायबरेली	256
1918.	राजाफतेहपुर (वी 5)	रायबरेली	248
1919.	राजामाऊ	रायबरेली	256
1920.	रामपुर कलां	रायबरेली	256

1	2	3	4
1921.	रातापुर-आरएसयू	रायबरेली	1000
1922.	सालोन	रायबरेली	1000
1923.	सरेनी (आरएसयू 1के)	रायबरेली	500
1924.	सेहगांव	रायबरेली	256
1925.	सेमारी (आरएसयू 0.5के)	रायबरेली	500
1926.	सेमरौता	रायबरेली	256
1927.	शाहमाऊ	रायबरेली	256
1928.	शंकरगंज	रायबरेली	256
1929.	शिवगढ़ (आरएसयू 0.5-के)	रायबरेली	500
1930.	सूची	रायबरेली	512
1931.	तिलोई	रायबरेली	1000
1932.	उमरान	रायबरेली	256
1933.	उंचाहार (आरएसयू 2के)	रायबरेली	2000
1934.	पूरे सूकूल	रायबरेली	256
1935.	रामगंज	रायबरेली	256
1936.	बिन्नावन	रायबरेली	256
1937.	रायबरेली (ओसीबी 4के)	रायबरेली	4000
1938.	अल्लाहगंज	शाहजहांपुर	700
1939.	आटीबारा	शाहजहांपुर	152
1940.	बारा कलां	शाहजहांपुर	184
1941.	बरेली मोड़	शाहजहांपुर	1000
1942.	बंदा	शाहजहांपुर	1400
1943.	बंधारा	शाहजहांपुर	336
1944.	बरतारा	शाहजहांपुर	152
1945.	बसंतापुर	शाहजहांपुर	304

1	2	3	4
1946.	बिल्दापुर	शाहजहांपुर	152
1947.	चौरसिआ	शाहजहांपुर	152
1948.	देवकली	शाहजहांपुर	152
1949.	गुटेया	शाहजहांपुर	700
1950.	गरीहा रंगीन	शाहजहांपुर	152
1951.	जलालाबाद	शाहजहांपुर	1400
1952.	जोगराजपुर	शाहजहांपुर	304
1953.	जैतीपुर	शाहजहांपुर	152
1954.	जमूनिया	शाहजहांपुर	152
1955.	कंथा	शाहजहांपुर	1400
1956.	कलां	शाहजहांपुर	304
1957.	खुदागंज	शाहजहांपुर	1000
1958.	खूतर	शाहजहांपुर	1000
1959.	खेरा बझेरा	शाहजहांपुर	152
1960.	कुर्रीआं कलां	शाहजहांपुर	152
1961.	कुर्रीआं खुर्द	शाहजहांपुर	152
1962.	खंधार	शाहजहांपुर	152
1963.	एम.पी. कटरा	शाहजहांपुर	1000
1964.	मिर्जापुर	शाहजहांपुर	352
1965.	मुकरमपुर	शाहजहांपुर	152
1966.	मदनापुर	शाहजहांपुर	304
1967.	मोहनपुर	शाहजहांपुर	152
1968.	निगोही	शाहजहांपुर	1000
1969.	नाहिल	शाहजहांपुर	152
1970.	पोवयां	शाहजहांपुर	3000
1971.	परौर	शाहजहांपुर	152
1972.	रोसा	शाहजहांपुर	1500
1973.	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	13256
1974.	शाहबाजनगर	शाहजहांपुर	256
1975.	सेहरामाऊ	शाहजहांपुर	304
1976.	सिंधोली	शाहजहांपुर	360
1977.	श्यामपुर	शाहजहांपुर	304
1978.	सुजानपुर	शाहजहांपुर	152
1979.	तिलहर	शाहजहांपुर	3000
1980.	थिंगरी	शाहजहांपुर	152
1981.	अख्तियारपुर	सीतापुर	152
1982.	आनंद नगर	सीतापुर	1000
1983.	अटरीया	सीतापुर	184
1984.	बहादुरगंज	सीतापुर	184
1985.	बेहरवा	सीतापुर	184
1986.	बड़ागांव	सीतापुर	304
1987.	बारगावन	सीतापुर	152
1988.	बेहगा	सीतापुर	500
1989.	भदींया	सीतापुर	184
1990.	भीथोरा	सीतापुर	152
1991.	बिसवान	सीतापुर	2400
1992.	दोनाथारी	सीतापुर	152
1993.	चांदपुर	सीतापुर	184
1994.	गोदलामाऊ	सीतापुर	152
1995.	गोपालपुर	सीतापुर	152
1996.	गौरेछा चोराहा	सीतापुर	184
1997.	हरगांव	सीतापुर	1464
1998.	इमलिया सुल्तानपुर	सीतापुर	1000
1999.	इंदरौली	सीतापुर	152

1	2	3	4
2000.	जहांगीराबाद	सीतापुर	304
2001.	जलालपुर	सीतापुर	248
2002.	झारेखापुर	सीतापुर	248
2003.	कमलापुर	सीतापुर	384
2004.	कसारैला	सीतापुर	248
2005.	काटेशार	सीतापुर	248
2006.	काजी कमालपुर	सीतापुर	248
2007.	खैराबाद	सीतापुर	1000
2008.	कुतुब नगर	सीतापुर	152
2009.	लहरपुर	सीतापुर	1400
2010.	लालपुर	सीतापुर	184
2011.	मछरेहटा	सीतापुर	368
2012.	महाराज नगर	सीतापुर	184
2013.	महमूदाबाद	सीतापुर	3000
2014.	महोली	सीतापुर	1464
2015.	मानपुर	सीतापुर	304
2016.	मास्टर बाग	सीतापुर	184
2017.	मिसरिखा	सीतापुर	1464
2018.	मुंशीगंज	सीतापुर	1500
2019.	नीमासर	सीतापुर	296
2020.	नेरी	सीतापुर	152
2021.	नियामूपुर	सीतापुर	368
2022.	पडरखा	सीतापुर	152
2023.	पेंटपुर	सीतापुर	368
2024.	पकरिया	सीतापुर	152
2025.	परसदा	सीतापुर	248
2026.	पिसावां	सीतापुर	368
2027.	रामगढ़	सीतापुर	360
2028.	रामकोट	सीतापुर	304
2029.	रामपुर मथुरा	सीतापुर	744
2030.	रिओसा	सीतापुर	304
2031.	साहपुर	सीतापुर	152
2032.	साकरन	सीतापुर	152
2033.	सांदा	सीतापुर	360
2034.	सांदा कोरना	सीतापुर	304
2035.	सरैयां	सीतापुर	368
2036.	सेवटा	सीतापुर	152
2037.	सिधौली	सीतापुर	1448
2038.	सीतापुर	सीतापुर	9512
2039.	तालगांव	सीतापुर	1000
2040.	ताम्बोर	सीतापुर	760
2041.	थानगांव	सीतापुर	152
2042.	अमेठी	सुल्तानपुर	2000
2043.	बाबूगंज	सुल्तानपुर	152
2044.	भादर	सुल्तानपुर	500
2045.	भेतुवा	सुल्तानपुर	152
2046.	गौरीगंज	सुल्तानपुर	1000
2047.	काकवा	सुल्तानपुर	384
2048.	कोरवा	सुल्तानपुर	1400
2049.	मंडेरिका	सुल्तानपुर	152
2050.	पीपरपुर	सुल्तानपुर	248
2051.	रामगंज आरएमजी	सुल्तानपुर	696
2052.	संग्रामपुर	सुल्तानपुर	184
2053.	शाहगढ़ एसएचजी	सुल्तानपुर	184

1	2	3	4
2054.	ताला	सुल्तानपुर	184
2055.	तीकरमाफी	सुल्तानपुर	184
2056.	टिकरी	सुल्तानपुर	152
2057.	आनापुर	सुल्तानपुर	184
2058.	अखंडनगर	सुल्तानपुर	184
2059.	अलीपुर सरवन	सुल्तानपुर	152
2060.	बादूपुर बीडीयू	सुल्तानपुर	368
2061.	बेल्याय	सुल्तानपुर	184
2062.	चांदा	सुल्तानपुर	1000
2063.	छेतेपट्टी	सुल्तानपुर	184
2064.	दोस्तपुर	सुल्तानपुर	744
2065.	हरीहरपुर	सुल्तानपुर	184
2066.	कादीपुर	सुल्तानपुर	1400
2067.	करौंधीकला केडीके	सुल्तानपुर	368
2068.	कोयरीपुर	सुल्तानपुर	1000
2069.	लम्बुवा एलबीएच	सुल्तानपुर	1400
2070.	मोतीगरपुर एमटीजी	सुल्तानपुर	1000
2071.	मुरीलादीह	सुल्तानपुर	184
2072.	पांडे बाबा	सुल्तानपुर	184
2073.	सुरापुर एसआरपी	सुल्तानपुर	1000
2074.	तातोमुरैनी	सुल्तानपुर	320
2075.	बधुना	सुल्तानपुर	304
2076.	बलदीराय	सुल्तानपुर	304
2077.	हलियापुर	सुल्तानपुर	152
2078.	हरी मऊ	सुल्तानपुर	152
2079.	जगदीशपुर	सुल्तानपुर	1000
2080.	जामो	सुल्तानपुर	336
2081.	जेडीपीआईए	सुल्तानपुर	2000
2082.	जेनाबगंज	सुल्तानपुर	176
2083.	कृष्णानगर	सुल्तानपुर	152
2084.	एम खाना	सुल्तानपुर	1000
2085.	महोना	सुल्तानपुर	176
2086.	पाराबाजार	सुल्तानपुर	152
2087.	रानीगंज आरएनजी	सुल्तानपुर	328
2088.	एस. बाजार	सुल्तानपुर	304
2089.	साथिन	सुल्तानपुर	152
2090.	तिरहुट	सुल्तानपुर	152
2091.	वल्लीपुर	सुल्तानपुर	176
2092.	वारिसगंज	सुल्तानपुर	152
2093.	अलीगंज	सुल्तानपुर	1000
2094.	अमहट	सुल्तानपुर	1400
2095.	बी. काला	सुल्तानपुर	1000
2096.	बगियागांव	सुल्तानपुर	304
2097.	बरौंसा	सुल्तानपुर	1000
2098.	बीरसिंगपुर	सुल्तानपुर	304
2099.	बेलहारी	सुल्तानपुर	184
2100.	भडैंया	सुल्तानपुर	168
2101.	भैंण	सुल्तानपुर	320
2102.	देहली बाजार	सुल्तानपुर	168
2103.	धम्मौर डीएमआर	सुल्तानपुर	1000
2104.	धनपतगंज डीपीजी	सुल्तानपुर	1000
2105.	डीहदग्गूपुर	सुल्तानपुर	152
2106.	फुलौना	सुल्तानपुर	184
2107.	गोसाईगंज	सुल्तानपुर	744

1	2	3	4
2108.	हनुमानगंज एचएनजी	सुल्तानपुर	1000
2109.	के. खानपुर	सुल्तानपुर	1000
2110.	कुरेबार	सुल्तानपुर	1000
2111.	कुरवार	सुल्तानपुर	1000
2112.	मुरलीनगर	सुल्तानपुर	248
2113.	राजापुर	सुल्तानपुर	248
2114.	सेमरी	सुल्तानपुर	744
2115.	शम्भूगंज एसबीजे	सुल्तानपुर	744
2116.	सुल्तानपुर एसयूएल	सुल्तानपुर	9128
2117.	शंकरगढ़	सुल्तानपुर	152
2118.	तियारी	सुल्तानपुर	744
2119.	आवास विकास	उन्नाव	2000
2120.	अचलगंज	उन्नाव	1000
2121.	अजगैन	उन्नाव	360
2122.	अकबरपुर	उन्नाव	184
2123.	असोहा	उन्नाव	184
2124.	अटवा बाक	उन्नाव	184
2125.	औरस	उन्नाव	336
2126.	बदरका	उन्नाव	500
2127.	बांगरमऊ	उन्नाव	1500
2128.	बारा	उन्नाव	1000
2129.	बारादेव तोंडा	उन्नाव	184
2130.	बेहटा भवनी	उन्नाव	184
2131.	भगवन्त नगर	उन्नाव	500
2132.	भवानीगंज	उन्नाव	184
2133.	बिछिया	उन्नाव	256
2134.	बीघापुर	उन्नाव	1000
2135.	बीहर	उन्नाव	184
2136.	चकलवांसी	उन्नाव	360
2137.	चमयानी	उन्नाव	184
2138.	सिविल लाइन्स	उन्नाव	7500
2139.	देवगांव	उन्नाव	184
2140.	धमियाना	उन्नाव	184
2141.	धानीखेड़ा	उन्नाव	336
2142.	फतेहपुर 84	उन्नाव	336
2143.	गंज मुरादाबाद	उन्नाव	368
2144.	हसनगंज	उन्नाव	1000
2145.	हिलौली	उन्नाव	184
2146.	इन्ड. एरिया	उन्नाव	1000
2147.	जैतीपुर	उन्नाव	184
2148.	कालूखेड़ा	उन्नाव	336
2149.	कांठा	उन्नाव	184
2150.	केदार खेरा	उन्नाव	184
2151.	कुसरठ	उन्नाव	336
2152.	मगरवारा	उन्नाव	1000
2153.	मागरयार	उन्नाव	184
2154.	माखी	उन्नाव	184
2155.	मर्द मझवारा	उन्नाव	184
2156.	मौरावां	उन्नाव	1000
2157.	मिर्री कलां	उन्नाव	184
2158.	मियागंज	उन्नाव	336
2159.	मोहन	उन्नाव	616
2160.	मुसंडी	उन्नाव	184
2161.	मुस्तफाबाद	उन्नाव	184

1	2	3	4
2162.	नई सराई	उन्नाव	184
2163.	नारायणपुर	उन्नाव	184
2164.	नवाबगंज	उन्नाव	1000
2165.	पीडी नगर	उन्नाव	3000
2166.	पादरी कलां	उन्नाव	184
2167.	पहाड़पुर	उन्नाव	184
2168.	पान्हां	उन्नाव	184
2169.	पासा खेड़ा	उन्नाव	184
2170.	पुरवा	उन्नाव	1000
2171.	कायमपुर एनबीडब्ल्यूआर	उन्नाव	184
2172.	रायपुर गढ़ी	उन्नाव	184
2173.	राजेपुर	उन्नाव	184
2174.	रसूलाबाद	उन्नाव	184
2175.	साफीपुर	उन्नाव	1000
2176.	शंकरपुर सराय	उन्नाव	184
2177.	शत्तीद्दीन खेड़ा	उन्नाव	184
2178.	शुक्लागंज	उन्नाव	5000
2179.	सिकन्दरपुर सरोसी	उन्नाव	256
2180.	सिकन्दरपुर कर्ण	उन्नाव	500
2181.	सोहरामऊ	उन्नाव	360
2182.	सुमेरपुर	उन्नाव	184
2183.	तकिया (पाटन)	उन्नाव	336
2184.	तौरा	उन्नाव	256
2185.	थाना	उन्नाव	0
2186.	उगू	उन्नाव	360
2187.	ऊंचगांव	उन्नाव	336
2188.	अभिया	वाराणसी	176
2189.	अजगरा	वाराणसी	1000
2190.	असनाव	वाराणसी	352
2191.	आयार	वाराणसी	1000
2192.	बाबतपुर	वाराणसी	2000
2193.	बाबुरी	वाराणसी	1000
2194.	बाबूसराय	वाराणसी	496
2195.	बरहनी	वाराणसी	248
2196.	बाराहुली	वाराणसी	500
2197.	बारकी	वाराणसी	248
2198.	बसवापुर	वाराणसी	352
2199.	भदोही	वाराणसी	6500
2200.	भगतुवा	वाराणसी	248
2201.	भोपोली	वाराणसी	248
2202.	चहनिया	वाराणसी	1000
2203.	चकिया	वाराणसी	1000
2204.	चन्दौली	वाराणसी	2000
2205.	चौबेपुर	वाराणसी	1400
2206.	चोलापुर	वाराणसी	1400
2207.	दनगंज	वाराणसी	1000
2208.	दशरथपुर	वाराणसी	384
2209.	धानापुर	वाराणसी	752
2210.	धनतुलसी	वाराणसी	184
2211.	धरौली	वाराणसी	184
2212.	दुर्गागंज	वाराणसी	1000
2213.	गोपीगंज	वाराणसी	2000
2214.	गोरई बाजार	वाराणसी	1000
2215.	गोसई बाजार	वाराणसी	184

1	2	3	4
2216.	ज्ञानपुर	वाराणसी	1500
2217.	हरहुआ	वाराणसी	1000
2218.	हाथी बाजार	वाराणसी	1000
2219.	इल्लिया	वाराणसी	352
2220.	जगतपुर	वाराणसी	1000
2221.	जाखिनी	वाराणसी	1000
2222.	जल्हूपुर	वाराणसी	496
2223.	जांगीगंज	वाराणसी	1000
2224.	जांसा	वाराणसी	1000
2225.	कैथी	वाराणसी	1000
2226.	कमालपुर	वाराणस	752
2227.	कटरा	वाराणसी	352
2228.	कतौना	वाराणसी	248
2229.	खमरिया	वाराणसी	2000
2230.	कोइराना	बाराणसी	1000
2231.	कोटवा	वाराणसी	496
2232.	महाराजगंज	वाराणसी	1000
2233.	मामाहर	वाराणसी	1000
2234.	मरूफपुर	वाराणसी	384
2235.	मेधन	वाराणसी	248
2236.	मिर्जामुराद	वाराणसी	1000
2237.	मोध	वाराणसी	784
2238.	मुगलसराय	वाराणसी	6000
2239.	नई बाजार (बीडीआई)	वाराणसी	1000
2240.	नई बाजार (सीडीएल)	वाराणसी	248
2241.	नौगढ़	वाराणसी	184
2242.	पाली	वाराणसी	1000
2243.	परसीपुर	वाराणसी	1400
2244.	पिण्डरोपुर	वाराणसी	496
2245.	फूलपुर	वाराणसी	496
2246.	राजातालाब	वाराणसी	1400
2247.	रामनगर (सिटी)	वाराणसी	1400
2248.	रामगढ़	वाराणसी	384
2249.	रामनगर (इन्ड.)	वाराणसी	780
2250.	सादलपुरा	वाराणसी	496
2251.	साहबगंज	वाराणसी	780
2252.	सैदराजा	वाराणसी	768
2253.	सैदूपुर	वाराणसी	352
2254.	सकलदीहा	वाराणसी	1000
2255.	सेमाराढ़	वाराणसी	184
2256.	सेवापुरी	वाराणसी	1000
2257.	शिकारगंज	वाराणसी	248
2258.	सिकन्दरपुर	वाराणसी	1000
2259.	सिंधौरा	वाराणसी	1000
2260.	सुभाषनगर	वाराणसी	184
2261.	सुरियावान	वाराणसी	1000
2262.	तारी	वाराणसी	1000
2263.	थथरा	वाराणसी	1400
2264.	टिकरी	वाराणसी	1000
2265.	उगापुर	वाराणसी	1000
2266.	उमराहा	वाराणसी	496
2267.	उतरौत	वाराणसी	248
2268.	विरावन कोट	वाराणसी	1000
2269.	विशुनपुरा	वाराणसी	384

1	2	3	4
2270.	वीएस बेनिया आरएलयू	वाराणसी	12500
2271.	वीएस-बेनिया ओसीबी	वाराणसी	10000
2272.	वीएस-बिश्वेश्वर गंज	वाराणसी	4000
2273.	वीएस-बृज इंकलेव	वाराणसी	5000
2274.	वीएस-कैंट 5 ईएसएस	वाराणसी	10500
2275.	वीएस-लालपुर	वाराणसी	2000
2276.	वीएस-चन्द्र सीएचएम	वाराणसी	2000
2277.	वीएस-डीएलडब्ल्यू	वाराणसी	2000
2278.	वीएस-दुर्गाकुंड	वाराणसी	6000
2279.	वीएस-गोदोलिया	वाराणसी	5000
2280.	वीएस-गोलगड्डा	वाराणसी	3000
2281.	वीएस-हरतीराठ	वाराणसी	4000
2282.	वीएस-लोहटा	वाराणसी	2000
2283.	वीएस-माछोदरी	वाराणसी	3000
2284.	वीएस-महामनापुरी	वाराणसी	4000
2285.	वीएस-महमूरगंज	वाराणसी	4500
2286.	वीएस-मन्धोडीह	वाराणसी	4000
2287.	वीएस-पहाड़िया	वाराणसी	6000
2288.	वीएस-पराव	वाराणसी	2000
2289.	वीएस-सामनेघाट	वाराणसी	4000
2290.	वीएस-संजयनगर	वाराणसी	4000
2291.	वीएस-सारनाथ	वाराणसी	2000
2292.	वीएस-शिवपु	वाराणसी	5000
2293.	वीएस-शिवपुरवा	वाराणसी	8000
2294.	वीएस-तेलियाबाग	वाराणसी	4000
2295.	वीएस-विजयानगरम	वाराणसी	3000
2296.	वीएस-डब्ल्यूएलएल (ग्रामीण)	वाराणसी	4000
2297.	वीएस-डब्ल्यूएलएल (शहरी)	वाराणसी	10000
	कुल		2353059

विवरण II

गौण स्विचन क्षेत्र आगरा

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3
1.	आगरा-अर्जुननगर	3800
2.	आगरा-अर्जुननगर	1000
3.	आगरा-बालेनगंज	6000
4.	आगरा-बालकेश्वर	4000
5.	आगरा-बोडला	3500
6.	आगरा-सीटीओ	4500
7.	आगरा-दयालबाग	2000
8.	आगरा-दयालबाग	2500
9.	आगरा-फाऊन्डरी नगर	5000
10.	आगरा-फाऊन्डरी नगर	3000
11.	आगरा-इदगाह	2000
12.	आगरा-जयपुर हाऊस	4500
13.	आगरा-जयपुर हाऊस	3000
14.	आगरा-लायर्स सीओएल	2000
15.	आगरा-मधूनगर	4250
16.	आगरा-नूनीहाई	2000
17.	आगरा-एस प्लेस	9000
18.	आगरा-एस प्लेस	7750
19.	आगरा-शालीमार	6000
20.	आगरा-शालीमार	2500
21.	आगरा-शहीदनगर	3000
22.	आगरा-शाहगंज	8500
23.	आगरा-सीमैनस	14000
24.	आगरा-सिकंदरा	3000
25.	आगरा-टी.पी. नगर	7000

1	2	3
26.	आगरा-ताजनगरी	4500
27.	आगरा-ताजनगरी	4000
28.	आगरा-टीएएक्स	11000
29.	आगरा-टीएएक्स	96
30.	आगरा-एस प्लेस	152
31.	अच्छनेरा	2000
32.	अकोला	1024
33.	अनवलखेड़ा	1024
34.	अटूस	344
35.	बाछगांव	376
36.	बाह	1400
37.	बरौली अहीर	1000
38.	बारहान	1024
39.	बटेश्वर	304
40.	भदरौली	376
41.	बिचपुरी	312
42.	बृथला	160
43.	डाबराई	1000
44.	डौकी	384
45.	दावर	320
46.	डिमसरी	1024
47.	डूरा	336
48.	डिगनेर	192
49.	एतमादपुर	1000
50.	फरीहा	184
51.	फतेहाबाद	1400
52.	फतेहपुर सीकरी	2000
53.	फिरोजाबाद मेन	12000
54.	फिरोजाबाद ईडब्ल्यूएसडी	5000
55.	हजरतपुर	368
56.	इरादतनगर	1024
57.	इतौरा	1024
58.	जगनेर	1024
59.	जैनगारा	304
60.	जैतपुर कलां	1024
61.	कागारोल	1024
62.	कलालखेड़िया	1000
63.	कीथम	152
64.	खंडोली	1000
65.	खेड़ागढ़	1024
66.	किरावाली	1400
67.	कोटला	152
68.	कुबेरपुर	1000
69.	कुंडोल	1000
70.	कुर्रा चित्रापुर	384
71.	लाडखेड़ा	304
72.	मझारा	152
73.	मालपुरा	1024
74.	मातसेना	304
75.	मिधकपुर	1024
76.	नडाऊ	176
77.	नगलाबीच	336
78.	नगला मिर्जा	2500
79.	नार्खी	176

1	2	3
80.	पठौली	336
81.	पीनाहाट	304
82.	राजा का ताल	1000
83.	रनकाटा	384
84.	साढ़न	152
85.	सयान	1024
86.	सरेन्धी	152
87.	सेहाटा	328
88.	समशाबाद	1400
89.	श्रीनगर	152
90.	सुहागनगर	2000
91.	तंतपुर	304
92.	टेहरा	1024
93.	टुंडला	500
94.	टुंडला	3000
95.	फिरोजाबाद	400
96.	सूरजधाम (आगरा)	192
गौण स्विचन क्षेत्र अलीगढ़		
97.	अलीगढ़ ई 10-बीडी-1	11000
98.	अलीगढ़ एनईसीडी-2	6000
99.	अलीगढ़ सी डाट	6000
100.	अलीगढ़ दिल्ली गेट	6000
101.	अलीगढ़ दिल्ली गेट	4000
102.	अलीगढ़ धनीपुरमंडी	3500
103.	अलीगढ़ कृष्णापुरम	3500
104.	अलीगढ़ सासनीगेट	8000
105.	अलीगढ़ तालनगरी	1000
106.	अलीगढ़ एमसीसी	2000
107.	अकराबाद	336
108.	अमरौली	152
109.	अनदाला	336
110.	अतरौली	2000
111.	बामनोली	152
112.	बेरला	152
113.	बसाई बाबस	152
114.	बेसवां	336
115.	बिजोली	336
116.	भेन्या	336
117.	बुंधासी	152
118.	चंडोस	1000
119.	चांदपा	152
120.	छारा	1400
121.	दादोन	152
122.	एहेन	152
123.	गभाना	1000
124.	गदराना	152
125.	गनगिरि	152
126.	गोमत	152
127.	गोंडा	1000
128.	गोराई	336
129.	हसाईंयां	336
130.	हाथरस जंक्शन	1000
131.	हाथरस ई 10बी	8000
132.	हाथरस सी डाट	2000

1	2	3
133.	हाथरस मथुरा रोड	1000
134.	हाथरस-अलीगढ़ रोड	1000
135.	इगलास	1000
136.	जलाली	1000
137.	जरोठ	336
138.	जट्टारी	1000
139.	कचौरा	152
140.	कासिमपुर सी डाट-ए	2000
141.	कजीमाबाद	152
142.	खेर ईएक्स-ए	2000
143.	खुर्रमपुर	152
144.	कोडियागंज	336
145.	कोटा	152
146.	लाडपुर	152
147.	लोढ़ा	336
148.	मैडरक	152
149.	मालव	152
150.	मानमाहो	152
151.	मुर्सान	1000
152.	नगलावीरसहाई	152
153.	नगला विखू	152
154.	नोजलपुर	152
155.	पांचों	152
156.	पिसावां	336
157.	पौरा	152
158.	रायपुर दलपतपुर	152
159.	रासेरी	152

1	2	3
160.	सेलमपुर	152
161.	सासनी आरएलयू	1000
162.	सिकंदरराव	3400
163.	टप्पल	336
164.	टोचीगढ़	152
165.	विजयगढ़	336
166.	वाजिदपुर	152
167.	अलीगढ़ (ग्रामीण)	
168.	अलीगढ़ (फिक्सड)	5000
169.	अलीगढ़ (मोबाइल)	
गौण स्विचन क्षेत्र बदायूं		
170.	अल्लापुर	336
171.	आसफपुर	336
172.	बबराला	1000
173.	बिल्सी	1000
174.	बिनावर	152
175.	बिसौली	1400
176.	बुदायूं	8800
177.	सिविल लाइंस आरएसयू	2000
178.	दातागंज	1000
179.	देहगवन	336
180.	देर्तौरी	336
181.	गवन	336
182.	गुलेरिया	152
183.	गुन्नौर	1000
184.	हजरतपुर	152
185.	हसनपुर	152

1	2	3
186.	इस्लमानगर	1000
187.	इस्मालनगर आरएसयू	1500
188.	जूनावई	152
189.	झुकसा	336
190.	कछला	152
191.	केदारचौक	336
192.	ककराला	1000
193.	कुवारगांव	152
194.	खिटोरा	152
195.	कटरा सादत	152
196.	करणपुर	152
197.	मियांऊ	336
198.	मुडिया ढेकी	336
199.	नडायल	152
200.	नागर्जुना	152
201.	नाढा	152
202.	रूदेन	336
203.	रिसौली	152
204.	राजपुरा	152
205.	सैजान	152
206.	सौलंकीनगर	152
207.	शहसंवा	1400
208.	शेदपुर	336
209.	शरवानू	336
210.	टीसीएल बबराला	1000
211.	उगेटी	336
212.	उझानी	3000
213.	उसावां	336
214.	उसेटी	336
215.	वजीरगंज	1000
216.	डब्ल्यूएलएल बदायूं	1000
217.	डब्ल्यूएलएल बिल्सी	1000
218.	डब्ल्यूएलएल गुन्नौर	1000
219.	डब्ल्यूएलएल चन्दौसी	0
220.	डब्ल्यूएलएल सहरावां	500
221.	बिसौली कारडेक्ट	1000
गौण स्विचन क्षेत्र बरेली		
222.	अगरास	184
223.	अलीगंज	360
224.	अमौर	184
225.	आओनला	1400
226.	आओनला-II	2000
227.	बहेड़ी-I	2500
228.	बेहड़ी सी डाट आरएसयू	1500
229.	बल्लिया	184
230.	भटोरा एसबीएम	1000
231.	भोजीपुरा	1000
232.	बहादुरपुर	184
233.	भूरियां	184
234.	भूटा सी-डाट आरएसयू	360
235.	बिलपुर सी डाट आरएसयू	1000
236.	बिसराट गंज	368
237.	बरेली बानखना	1500
238.	बरेली सीबी गंज	1000

1	2	3
239.	बरेली सीबी गंज आरएसयू	1000
240.	बरेली कैंट आरएलयू	3000
241.	बरेली कैंट आरएसयू	2000
242.	बरेली चौपला	8000
243.	बरेली चौपला	11000
244.	बरेली दुर्गा नगर	2000
245.	बरेली हरतमान	2000
246.	बरेली आईएएफ गेट	1000
247.	बरेली आईएएफ गेट	1000
248.	बरेली मारहीनाथ	1000
249.	बरेली मारहीनाथ	1000
250.	बरेली प्रेम नगर	4464
251.	बरेली किवल्ला	1064
252.	आरजेएनआरएलयू	3000
253.	बरेली राजेन्द्रा नगर	4900
254.	राजेन्द्रा नगर	2000
255.	राजेन्द्रा नगर	7000
256.	बरेली नार्थ सिटी	2000
257.	बरेली संजय सीओएमएन	2000
258.	बरेली सूफी टोला	2000
259.	बरेली सुभाषनगर	3000
260.	बरेली टी पी नगर	1000
261.	बरेली विश्वविद्यालय	3450
262.	बरेली लालफाटक	650
263.	चामरौला	152
264.	चांदपुर	488
265.	देवचरा	1000
266.	देवरनिया	488
267.	डेकांज	184
268.	डनेटा	184
269.	धौड़ाटांडा	760
270.	डुंका	184
271.	हरहरपुर एमएटी	456
272.	जी उपराला	184
273.	इफको आओलना	1400
274.	जादवपुर	184
275.	जोखनपुर	152
276.	कानमान	488
277.	कटाई मिल	488
278.	केसरपुर	184
279.	कुवांदान	184
280.	क्योलादिया	368
281.	लांगपुर	184
282.	मैनपुर	184
283.	मीरगंज	2000
284.	मुडिया नावांए	184
285.	नवाबगंज	2000
286.	पववाड़िया	184
287.	पीताम्बरपुर	2000
288.	पीताम्बरपुर	1000
289.	रामनगर	184
290.	रिच्छा	1000
291.	राजपुरकला	152
292.	रिठौरा	1000

1	2	3
293.	सैनथल	360
294.	सिरौली	184
295.	संतोष जीओएन	184
296.	शाही	368
297.	शीशगढ़	1000
298.	शेरगढ़	438
299.	व्योधान खू	152
गौण स्विचन क्षेत्र बिजनौर		
300.	अफजल गढ़	1456
301.	बाधापुर	1000
302.	बरहापुर	1000
303.	बारूकी	1000
304.	बसंतपुर	184
305.	बास्ता	1000
306.	बेनीपुरकोपा	184
307.	भागूवाला	336
308.	भोगपुर	152
309.	बिजनौर एबीएम	7000
310.	बिजनौर आरएसयू-I	2500
311.	बिजनौर आरएसयू-II	500
312.	चकराजमल	1000
313.	चंडोक	1000
314.	चांदपुर	4600
315.	धामपुर एमबीएम	3500
316.	धामपुर आरएसयू	3000
317.	दुडंली	1000
318.	दूधली	184
319.	गजरौला शिव	1000
320.	गंज	500
321.	गोहावर	1000
322.	हलदौर	2000
323.	हरेवली	336
324.	हीमपुर	1000
325.	जलीलपुर	1000
326.	झालू	1000
327.	कदराबाद	1000
328.	कालागढ़	1400
329.	कालूवाला	336
330.	कजामपुर	496
331.	खजूरी	1000
332.	खंडसाल	500
333.	खासपुरा	1000
334.	किरतपुर	3000
335.	कोतवाली	1400
336.	महुवा	500
337.	मंडावली	1000
338.	मंडावर	1000
339.	मोहदपुर एमडीएल	424
340.	मोहदपुरराजो	200
341.	नागल सीटी	1000
342.	नगीना	3500
343.	नजीबाबाद एबीएम	5500
344.	नजीबाबाद आरएसयू	2500
345.	नरायण खेड़ी	496

1	2	3
346.	नरायणपुर	496
347.	नींदरू	1000
348.	नेहटोर	2500
349.	नूरपुर	2000
350.	पदराठपुर	248
351.	पादली	500
352.	फीना	1000
353.	पुरैणी	1000
354.	रायपुर सादा	1000
355.	रायपुरी	248
356.	राजा का टीएजीपी	1000
357.	रामपुर	1000
358.	साहसपुर	1000
359.	श्योहरा	3000
360.	शेरकोट	2000
361.	शिशोना	500
362.	सुएवाला	500
363.	सुंदरपुर	248
364.	टांडा मैदास	248
365.	तारकोला	1000
366.	थारजाट	1000
367.	वीरूवाला	500
गौण सिंचन क्षेत्र बुलंदशहर		
368.	अगौटा	500
369.	अरणिया	336
370.	अहमदगढ़	500
371.	अनूपशहर	1500
372.	औरंगाबाद	1000
373.	बराल	1000
374.	बी.बी. नगर	1000
375.	बेलोन	248
376.	बिरोली	336
377.	बिबियाना	336
378.	बुगरासी	1000
379.	बुलंदशहर एएसआर रोड	1500
380.	बुलंदशहर आवास विकास	1000
381.	भूर बुलंदशहर	5000
382.	भूर बुलंदशहर	3000
383.	मोती बाग बुलंदशहर	2000
384.	मोती बाग बुलंदशहर	6000
385.	चितसौन	1000
386.	छतरी	500
387.	चोला चाकी	336
388.	दानपुर	368
389.	डी.ए.वी. बुलंदशहर	3000
390.	डेबाई	2000
391.	गंगथाला	336
392.	गुलाओठी	3000
393.	जाडोल	184
394.	जहांगीराबाद	2500
395.	जरगवान	184
396.	खुर्जा	5000
397.	खुर्जा	3500
398.	खुर्जा सिटि	2500

1	2	3
399.	खुर्जा जेएन	500
400.	करौड़ा	304
401.	करणवास	184
402.	खानपुर	1000
403.	खरगवाड़ी	184
404.	मखैना	336
405.	मधुपुरा	336
406.	नरोरा	2000
407.	पहासू	1000
408.	पर्तापुर	1000
409.	पोटा बादशाहपुर	336
410.	सियाना	2528
411.	सियाना	1000
412.	शिकारपुर	1500
413.	सहकारी नगर	1000
414.	सेन्गा जगतपुर	336
415.	सिकंदराबाद	3000
416.	सिकंदराबाद सिटी	3500
417.	सिकंदराबाद सैटेलाइट	1000
418.	ऊंचागांव	336
गौण स्विचन क्षेत्र एटा		
419.	अचलपुर	184
420.	अलीगंज	1296
421.	अमनपुर	368
422.	अवगढ़	1000
423.	बहानपुर	152
424.	बसुन्धरा	304
425.	भारगेन	184
426.	बिलाराम	336
427.	बिलसाढ़	184
428.	धोलना	184
429.	धूमरी	336
430.	एताह	9000
431.	गंगागढ़	184
432.	गंजडूंडवाड़ा	3400
433.	गढ़ी	184
434.	जैथारा	1000
435.	जलेसर	2000
436.	जितौली	184
437.	करताला	184
438.	कसगंज	7000
439.	मालवा	184
440.	मरेहरा	1000
441.	मिरेची	368
442.	मोहनपुर	336
443.	मोहनपुरा	336
444.	मुइद्दिनपुर	184
445.	नेवली	500
446.	निधोली कलां	1000
447.	नूह खेरा	184
448.	पटियाली	500
449.	पिलुआ	184
450.	पौंडरी	152
451.	राजा का रामपुर	368

1	2	3
452.	सहावर	1000
453.	सकरौती	152
454.	सकीत	368
455.	सरैया घाट	184
456.	सिधपुरा	1000
457.	सिरसा टिप्पू	184
458.	सोरोन	1000
459.	थाना दरीवगंज	336
460.	ऊंचा गांव	368
461.	पापलड्डा	1500
गौण स्विचन क्षेत्र गाजियाबाद		
462.	अक्कापुर	304
463.	बहादुर गढ़	1000
464.	बहादूरपुर	592
465.	ब्रीज घाट	168
466.	सेल	3000
467.	चेरौरी	1000
468.	सीटी केएसबी अयालोस कार्यालय	480
469.	सीटी केसीबी सुपर टेक	480
470.	सीटी केसीबी अंसल	480
471.	सीटी शीमैन	480
472.	देहराकुटी	312
473.	धौलाना	1096
474.	डोसा बंजरपुर	304
475.	दुहाई	2000
476.	फरीद नगर	336
477.	गढ़ मुक्तेश्वर	3000
478.	गढ़ मुक्तेश्वर डब्ल्यूएलएल	1000
479.	गढ़ रोड हापुड़	5000
480.	गोविंदपुरम	6000
481.	हीरो नगर	2000
482.	हापुड़	14100
483.	हापुड़ डब्ल्यूएलएल	1000
484.	हरसिंहपुर	304
485.	इन्द्रापुरम	5000
486.	झरीना	168
487.	कौशाम्बी	11000
488.	कुचेश्वर रोड	2000
489.	लोनी	9000
490.	मैसूरी	2000
491.	मण्डोला	1000
492.	मोदी नगर	15600
493.	मोदी नगर डब्ल्यूएलएल	1000
494.	माडल टाउन	7000
495.	मोहन नगर	3000
496.	मुराद नगर	7500
497.	मुदाफारा	320
498.	मुराद निजरंगसार	200
499.	नान	360
500.	नानपुर	224
501.	नंदग्राम	3256
502.	नेहरू नगर	9000
503.	नूरपुर	1000
504.	परपा	152

1	2	3
505.	पटेल मार्ग	20000
506.	पाटला	1000
507.	पिलखुआ	8000
508.	प्रताप विहार	10000
509.	राज नगर डी-1	11000
510.	राज नगर डी-2	11000
511.	राज नगर डी-3	7000
512.	राजनगर डब्ल्यूएलएल	1000
513.	राजनगर डब्ल्यूएलएल सीडीएमए	10000
514.	रावली	1000
515.	राजिंदर नगर	12000
516.	राय बीएसआर रोड	448
517.	संजय नगर	6000
518.	सपनावत	1000
519.	शी लेव-62	16000
520.	शिप्रा सनसिटी	3000
521.	सिम्भोली	2800
522.	सलोनी	496
523.	सामाना	184
524.	तलहेरा	304
525.	तिलमोड़	2000
526.	ट्रोनिका सिटी	1000
527.	विद्युत नगर	2000
528.	वसुंधरा	7000
गौण स्विचन क्षेत्र मथुरा		
529.	अडिंग	1000
530.	अकोश	360
531.	अनोरा	336
532.	बाजाना	1000
533.	बालदेव	1000
534.	बालदेव पुरी एमटीआर	4000
535.	बारसाना	1000
536.	भरना कलां	248
537.	भुरेखा	184
538.	बिसावर	1400
539.	चैतन्य विहार	1500
540.	चौमूहन	1000
541.	छाता	1400
542.	छाटिकारा	988
543.	दीवाना	304
544.	फराह	1000
545.	फराह	1000
546.	गोकुल	2468
547.	गोवर्धन	248
548.	हरनौल	248
549.	हसनपुर	184
550.	करब	368
551.	खैरा	184
552.	कोशीकलां	4500
553.	कोटबान	248
554.	कृष्णानगर	6000
555.	लोहाई	248
556.	माई	360
557.	मानगढ़ी	152

1	2	3
558.	मंत	848
559.	मथुरा ई 10बी	10000
560.	मथुरा 5 ईएसएस	4000
561.	मथुरा सी डॉट	6000
562.	एमटीआर-रेफी	1000
563.	मुगररा	500
564.	नंदगांव	432
565.	नवगांव	328
566.	नौझील	968
567.	नीमगांव	184
568.	ओल	1000
569.	पचावर	336
570.	पेगांव	248
571.	पालसन	352
572.	पटलौनी	360
573.	राधापुरम	1000
574.	राल	352
575.	राया	2044
576.	सदाबाद	2000
577.	सहपाऊ	1000
578.	शाहपुर जतन	336
579.	शेरगढ़	1000
580.	सोनाइ	448
581.	सोंख	1000
582.	सुरीर	1000
583.	तरोली	336
584.	टाऊनशीप	3500
585.	ट्रांस यमुना	1500
586.	उमरी	368
587.	ऊचागांव	420
588.	वृन्दावन	7000
गौण स्विचन क्षेत्र मेरठ		
589.	अग्रवाल मण्डी	1000
590.	अगवानपुर	1000
591.	अलीपुर मोरना	176
592.	अमीरनगर सराय	1400
593.	अजाराडा	512
594.	बाघपत	3768
595.	बलेनी	1000
596.	बामनौली	1000
597.	बरौत	9000
598.	बरौत	2000
599.	बहसुमा	1000
600.	बिनौली	1400
601.	छपरौली	1400
602.	दबथुआ	1000
603.	दाहा	1000
604.	दौराला	2000
605.	धनौरा	1000
606.	धिकोली	1000
607.	दोघट	1400
608.	हस्तिनापुर	1000
609.	हजूराबाद गढ़ी	1000
610.	इन्चोली	1000

1	2	3
611.	जानी	2000
612.	कल्याणपुर	496
613.	खरखोडा	1400
614.	खेखरा	3000
615.	खेरा	184
616.	ख्वाजा नांग्ला	1000
617.	किरथाल	696
618.	किसनपुर बराल	1400
619.	किथोर	1000
620.	कोटाना	1000
621.	लावार	1000
622.	मछारा	1000
623.	मवाना	4000
624.	मवाना	1000
625.	मेरठ-ब्रह्मपूरी	5000
626.	मेरठ-घंटा घर	4000
627.	मेरठ-मीअट	1000
628.	मेरठ- नगला बट्टू	3500
629.	मेरठ-प्रतापुर	2000
630.	मेरठ रोहता रोड	3000
631.	मेरठ एस. नगर (आरएसयू)	4500
632.	मेरठ श्रद्धापुरी	3000
633.	मेरठ बदायूं रोड	27000
634.	मेरठ ब्रह्मापुरी	25000
635.	मेरठ, डीएलसी बीएचपी	1920
636.	मेरठ गंगानगर	3500
637.	मेरठ नौचंदी	5500
638.	मेरठ पल्लवपुरम	5000
639.	मेरठ पल्लवपुरम	1500
640.	मेरठ शास्त्री नगर	17000
641.	मेरठ श्रद्धापुरी	6000
642.	मेरठ सोफीपुर	1500
643.	पचपेरा	352
644.	परीक्षित गढ़	1400
645.	फलावाड़ा	1000
646.	रहावटी	352
647.	रसूलपुर धोलड़ी	496
648.	रतौल	1000
649.	रथोड़ा खुर्द	176
650.	रोहटा	1400
651.	सकौती	1400
652.	सलावा	176
653.	श्रद्धाना	3000
654.	सरूरपुर कलां	1000
655.	सरूरपुर खुर्द	1000
656.	सिसोली	1000
गौण स्विच क्षेत्र मुरादाबाद		
657.	अगवानपुर	1000
658.	अकरौली	184
659.	अमरोहा सी-डाट	1400
660.	अमरोहा आरएसयू सी-डाट	2000
661.	अमरोहा बिजनौर रोड	2000
662.	अमरोहा कंठ रोड	1000
663.	अमरोहा रायपुर	2000

1	2	3
664.	अमरोहा आरएसयू (ओसीबी)	2000
665.	असमोली	1000
666.	बहजाई	1400
667.	भगतपुर टंडा	304
668.	भैसली जमालपुर	152
669.	भोजपुर	712
670.	बिलाकुदान	304
671.	बिलारी	1400
672.	बिलारी	1512
673.	बुधनपुर	304
674.	चन्दर फार्म	152
675.	चन्दौसी	8000
676.	चन्दौसी (सीता रोड)	1000
677.	चौधरपुर	1000
678.	छजलेट	1000
679.	दलपतपुर	496
680.	दींगरपुर	1000
681.	धबारसी	248
682.	धकतौरा	152
683.	धनौरा	3000
684.	दिलारी	1000
685.	एकता विहार	1000
686.	गजरौला	2000
687.	गजरौला इएसयू	1000
688.	गणेश्वरी	248
689.	हकीमपुर	336
690.	हसनपुर	2504
691.	जबदा	336
692.	जमुना खास	336
693.	जाटपुरा	1000
694.	जोया	1504
695.	कैलसा	500
696.	कैमलपुर	336
697.	कंठ	2000
698.	करणपुर	184
699.	खड गुजर	1500
700.	कण्डरकी	1400
701.	महेशरा	336
702.	मलकपुर सेमली	152
703.	मनोटा	336
704.	मोहम्मदपुर टण्डा	184
705.	मूंडा पांडे	248
706.	एमआरडी ई 10 बी	12000
707.	एमआरडी ओसीबी	8000
708.	मुरादाबाद (सी. नगर)	3000
709.	मुरादाबाद (मझोला)	6000
710.	मुरादाबाद (मझोला)	1000
711.	मुरादाबाद (सोनकपुर)	6000
712.	मुरादाबाद (एसबीएच रोड)	2000
713.	मुरादाबाद (एस.के. चौराना)	5000
714.	मुरादाबाद (लाजपत नगर)	9000
715.	मुरादाबाद (पीटीसी)	2000
716.	मुरादाबाद (पीतल नगरी)	2000
717.	मुरादाबाद (पकबारा)	1000

1	2	3
718.	मुण्डा खेड़ा	336
719.	नरौली	1000
720.	नौगवान सदत	1900
721.	पैगम्बरपुर	1000
722.	पनवासा	336
723.	पाठकपुर	336
724.	रजबपुर	896
725.	रजक मझोला	368
726.	रतनपुर कलां	336
727.	रतनपुर खर्दु	184
728.	सईद नांगली	1096
729.	संभल मुख्य	5000
730.	संभल सराय तरीन	1528
731.	सरकारी मण्डी	336
732.	सिंहपुर सैनी	500
733.	शिवंदरा	368
734.	शरीफ नगर	500
735.	सिंहपुर सैनी	500
736.	सिरसी	1000
737.	सुरजन नगर	472
738.	थकर्दवारा	2000
739.	उझरी	500
740.	उमरी कलां	1000
गौण स्वीचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर		
741.	अलम	336
742.	बाबरी	2000
743.	बघरा	2000

1	2	3
744.	बरला	360
745.	बड़ौदा	328
746.	बसेरा	1000
747.	बनट	2000
748.	बेगराजपुर	2000
749.	भोपा	1400
750.	भुधना	3000
751.	चर्थवाल	1500
752.	चौण्टरा	304
753.	चौसाना	384
754.	छापर	1000
755.	डूंगर	304
756.	दधेरा	152
757.	गालिबपुर	1000
758.	गढ़ी अब्दुला	336
759.	गढ़ी पुख्ता	1000
760.	घटावन	1000
761.	गोयला	312
762.	गुराना	152
763.	एच. करौंडा	1000
764.	एच.पी. लोहरी	2000
765.	जनसथ	1400
766.	जसाला	456
767.	जसोई	1000
768.	जाटमुझेरा	1000
769.	झिंझना	2000
770.	कैराना	3000

1	2	3
771.	ककरोली	1000
772.	कंधला	1400
773.	खराद	1000
774.	खटोली	5000
775.	कुटेशरा	1000
776.	लैंक	1000
777.	लिसाड	456
778.	एम.पी.आर. सिंह	1000
779.	मेडपुर	304
780.	मिरनपुर	1400
781.	मोरनास मिल	1400
782.	मुजफ्फरनगर ई 10बी	9000
783.	मुजफ्फरनगर ओसीबी	6000
784.	मुजफ्फरनगर सी सेन्टर	6000
785.	मुजफ्फरनगर जी कॉलनी	6000
786.	मुजफ्फरनगर प्रेमपुरी	3000
787.	मुजफ्फरनगर एस गेट	7000
788.	मुजफ्फरनगर महावीर चौक	2000
789.	मुजफ्फरनगर अल्मासपुर	2000
790.	नावला	1000
791.	नर्मना	304
792.	परसोली	304
793.	पुरबलयान	360
794.	पुरकाजी	2000
795.	रामराज	1000
796.	रतनपुरी	1000
797.	रोहाना	1000

1	2	3
798.	शाहपुर	2400
799.	सिकरी	320
800.	शामली	11000
801.	शिखेरा	1000
802.	सिसौली	1400
803.	शुक्रताल	304
804.	सोट्टा	312
805.	शेरपुर	304
806.	ताजपुर	336
807.	टीएनबी	2000
808.	तावली	336
809.	यूएनएन	1000
गौण स्विचन क्षेत्र नोएडा		
810.	बिसराख	1000
811.	चोला	2000
812.	दादरी	5000
813.	दँकोर	1300
814.	ग्रेटर नोएडा डेल्टा	4000
815.	जहांगीरपुर	2000
816.	जीवर	2500
817.	काकोरे	2000
818.	कसना	2000
819.	खोरा	6000
820.	लुहरली	1000
821.	एम.एस. नगर	1200
822.	नीमका	1000
823.	नेप्ज	7000

1	2	3
824.	रबुपुरा	1000
825.	रिथौरी	2000
826.	नोएडा सै.-05	5500
827.	नोएडा सै.-19	8000
828.	नोएडा सै.-19	27000
829.	नोएडा सै.-19	7750
830.	सेक्टर-24 एनटीपीसी	1000
831.	नोएडा सै.-24	5000
832.	नोएडा सै.-29	9000
833.	नोएडा सै.-33	5250
834.	नोएडा सै.-37	4000
835.	नोएडा सै.-39	12256
836.	नोएडा सै.-51	3000
837.	नोएडा सै.-58	11000
838.	नोएडा सै.-62	4000
839.	तिलपट्टा	3000
840.	उद्योग केन्द्र	3000
841.	वेदपुरा	1500
गौण स्विचन क्षेत्र पिलिभीत		
842.	एमी	152
843.	अमारिया	1000
844.	बारखेड़ा	152
845.	भिरवरीपुर	152
846.	बिलसण्डा	152
847.	बिसालापुर	1464
848.	चुर्रसकतापुर	152
849.	दुनिदाम	152
850.	गजरौला	152
851.	घुनचाई	1000
852.	हरदासपुर	152
853.	इंटगांव	152
854.	जहानाबाद	152
855.	जारा	152
856.	कबीर गंज	152
857.	कधेर चौराहा	152
858.	ललौरी खेड़ा	152
859.	मधोटण्डा	1000
860.	माधवपुर	152
861.	मटिनाजापटी	152
862.	मझोला	1000
863.	मटिनाजापटी	152
864.	मौडलिया	152
865.	मुजफ्फरनगर	152
866.	नेवरिया	336
867.	परेवा वैश	152
868.	पौटा	152
869.	पिलिभीत	10000
870.	पूरनपुर	1804
871.	रसिया खानपुर	152
872.	रूडपुर	152
873.	शाहघर	152
874.	सिमरिया	152
875.	टिकरी	152
876.	उदयकरण पुर	152

1	2	3
गौण स्विचन क्षेत्र रामपुर		
877.	अकबराबाद	1000
878.	बेगमाबाद	500
879.	बिलासपुर	3536
880.	बोसिना	1000
881.	बिबरा फार्म	368
882.	भोत	1000
883.	चमरौला	336
884.	चन्दूपुर	336
885.	धमोरा	1000
886.	धकिया	368
887.	गोधी	368
888.	गड्डी नाग्ली	184
889.	हरैया	184
890.	ज्वाला नगर	2000
891.	केमरी	1000
892.	के खेरा	336
893.	खोड	1000
894.	खुफिया नागला	1000
895.	मसवासी	368
896.	मिलक	2000
897.	मोदीपुर	1000
898.	नवाब नगर	368
899.	पटवाइ	368
900.	रास डांडिया	368
901.	आरबीसी मिल	1000
902.	रामपुर सिटी	8500
903.	रामपुर सी/एल	7500
904.	सैफनी	1000
905.	सईद नगर	500
906.	शाहबाद	2000
907.	स्वर	1400
908.	टण्डा	1400
गौण स्विचन क्षेत्र सहारनपुर		
909.	अम्बेहटा	1000
910.	अम्बेहटा चांद	488
911.	बबाइल	488
912.	बादशाही बाघ	336
913.	बहेरा संदल सिंह	1000
914.	बड़गांव	1000
915.	बेहाट	500
916.	भलस्वा	496
917.	भनेडा	336
918.	बिहारीगढ़	1000
919.	छुटमलपुर	2000
920.	चिल्काना	1000
921.	देवबैंड	6000
922.	फंडपुरी	1000
923.	गागलहेरी	2000
924.	गैंगोह	3000
925.	गोपाली	488
926.	इस्लामनगर	744
927.	जहांनपुर	152
928.	जड़ौदा पांडा	1000

1	2	3
929.	झण्धेरा	2000
930.	खेरा मुगल	1000
931.	मेहश्वरी	1000
932.	मीरगपुर	1000
933.	मिर्जापुर	488
934.	मुजफ्फरबाद	1000
935.	नागल	2000
936.	नाकुर	2000
937.	ननौता	2000
938.	पाथेड	496
939.	पुनवार्का	1000
940.	रामपुर मणिहरन	2000
941.	रणखण्डी	336
942.	सरसवा	3000
943.	सहारनपुर-बेहट रोड	2000
944.	सहारनपुर-चिल्काना रोड	5000
945.	सहारनपुर-देहरादून रोड	1244
946.	सहारनपुर-दिल्ली रोड	3000
947.	सहारनपुर-गुरुद्वारा रोड	14000
948.	सहारनपुर-मिशन कम्पाउण्ड	15000
949.	सहारनपुर-नुमाईश कैम्प	6000
950.	सहारनपुर-पेक्स-एमसी	152
951.	सहारनपुर-शारदा नगर	2000
952.	सहारनपुर-तहरपुर	6000
953.	तलहेरी बुजूर्ग	1000
954.	तिण	496
955.	टोडरपुर	496
	कुल	1729718

[अनुवाद]

न्यूजीलैंड में भारतीयों का उत्पीड़न

1290. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बंगाल की खाड़ी में पत्तन का निर्माण

1291. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जापान के मित्सुई कारपोरेशन और जापान इन्टरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी, जिफा, जापान के पूंजी निवेश के के.पी.टी. द्वारा बंगाल की खाड़ी में द्वीपों पर अत्याधुनिक पत्तन के निर्णण से संबंधित प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पत्तन के निर्माण पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है और कितने चरणों में गोदियों, गोदामों और यार्डों का कार्य पूर्ण होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) बंगाल की खाड़ी में कोलकाता के दक्षिण में 145 कि.मी. दूर स्थित, सागर द्वीप पर सर्वथा परिपूर्ण पत्तन-सुविधाओं के निर्माण के प्रयोजन से, आर्थिक कार्य-विभाग, वित्त-मंत्रालय के माध्यम से जापानी प्राधिकारियों से प्रौद्योगिकीय एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता का अध्ययन करने का अनुरोध किया जा चुका है। इस क्रम में, जापान के मित्सुई निगम (मित्सुई

कार्पोरेशन आफ जापान) द्वारा निवेश किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त परियोजना से संबंधित कच्चे और अनंतिम अनुमान के अनुसार, उपर्युक्त परियोजना पर लगभग 2300 करोड़ रु. की लागत आनी अनुमानित है। फिर भी, उपर्युक्त परियोजना पर आने वाली लागत का वास्तविक अनुमान, उसके विभिन्न चरणों में होने वाले खर्च इत्यादि का ब्यौरा, उपर्युक्त व्यवहार्यता का अध्ययन हो जाने के बाद ही उपलब्ध हो पाएगा।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 'क्रूज' सुविधा

1292. श्री ब्रजेश पाठक: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानों के साथ-साथ 'क्रूज' सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 'क्रूज' सुविधा को विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा चयन किए गए पत्तन कौन से हैं; और

(ग) इस कार्य को अन्तिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) क्रूज जलयानों के संबंध में अपेक्षित सुविधाएं विकसित करने की दृष्टि से, आरंभ में पांच बड़े पत्तनों अर्थात् मुम्बई, मुरगांव, नव मंगलूर, कोचीन और तूतीकोरिन पर ध्यान संकेंद्रित करना तय किया गया है। कुछ बड़े पत्तनों की शुल्क-मुक्त दुकानें खोलने देने की भी योजनाएं हैं।

(ग) क्रूज जलयानों के संबंध में, लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है और ऐसी स्थिति में उपर्युक्त सुविधाएं विकसित करने की दृष्टि से कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अस्पताल/डायग्नोस्टिक केन्द्र

1293. श्री एम. शिवन्ना:
श्री बी. विनोद कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषतः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसे अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के लिए सरकार द्वारा किये गए निरीक्षण/अध्ययनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या निरीक्षण दल की सिफारिशों के बावजूद कुछ अस्पताल/नैदानिक केन्द्रों, जो सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं, को ऐसे अस्पतालों की सूची में नहीं रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या के.स.स्वा.यो. सुविधा का उपयोग करने वाले सरकारी कर्मचारी अपने निवास स्थानों से दूर अस्पतालों से उपचार प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करते हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार सामान्य जनता और सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए के.स.स्वा. योजना की सूची में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ और अधिक अस्पतालों को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के के.स.स्वा. योजना के अस्पतालों में पर्याप्त डाक्टरों और नर्सों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हृदय रोगियों के लिए जीवन रक्षक औषधि

1294. श्री पवन कुमार बंसल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हृदय रोगियों के लिए जीवन रक्षक औषधि आइसोपटिन उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस औषधि का उत्पादन देश में ही किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) वेरापामिल एच.सी.एल. युक्त

आइसोप्टिन मैसर्स नोल, जर्मनी का मूल अनुसंधान उत्पाद था और 1998-99 तक मैसर्स जर्मन रेमेडीज लिमिटेड द्वारा इसे भारत में निर्मित किया और बेचा जा रहा था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय व्यवस्थाओं में परिवर्तन से भारत में आइसोप्टिन को बनाने और विपणन करने के अधिकार मैसर्स जर्मन रेमेडीज लिमिटेड से मैसर्स नोल फार्मेस्युटीकल्स लिमिटेड, मुम्बई को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। परिणामस्वरूप, जर्मन रेमेडीज ने आइसोप्टिन को बनाना और विपणन करना बंद कर दिया। मैसर्स एबोट लेबोरेट्रीज ने मैसर्स नोल फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड मुम्बई को अधिगृहीत कर लिया था और उन्होंने आइसोप्टिन का विपणन करना बंद कर दिया है।

तथापि, मैसर्स निकोलस पीरामल (भारत) लिमिटेड, मुम्बई हृदय रोगियों के लिए इसी प्रकार की औषध अर्थात् बल्क सब्सटेंस वेरापालिम एच.सी.एल. 80 मि.ग्रा./टेब. का विपणन कर रही है।

डाक संबंधी आंकड़ों का समाधान न होना

1295. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रनः**
श्री सी.के. चन्द्रप्पनः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से शिकायत प्राप्त हुई है कि उसे डाक संबंधी आंकड़ों का समाधान न होने के कारण भारत सरकार के पास ऋण में अत्यधिक राशि का नुकसान हो रहा है क्योंकि डाक संबंधी लेखा परीक्षा में संग्रहीत आंकड़े देते समय कुछ डाक घर मूलधन से ब्याज अंश को अलग नहीं करते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) डाक विभाग (पीए विंग) में डाक संबंधी आंकड़ों का समाधान न होने के कारण भारत सरकार से मिलने वाले ऋण की अत्यधिक राशि के नुकसान के बारे में केरल से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। केरल से प्राप्त आंकड़ों में ब्याज के अंश को मूलधन से अलग दिखाया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेश में प्रशिक्षण हेतु चयनित सरकारी अधिकारी

1296. **श्री भर्तृहरि महताबः** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए चुनिंदा सरकारी अधिकारियों को ही नामांकित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार आज तक कितने अधिकारियों को सेवा-वार नामांकित किया गया;

(ग) क्या कुछ नामांकन विदेशी सरकारों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) विदेशों में प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सरकारी अधिकारियों का नामांकन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ-साथ विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा भी, अपनी-अपनी जरूरतों/अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अन्य देशों द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किए जाने वाले नामांकन भी शामिल हैं। भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किए जाने वाले नामांकनों का प्रबोधन केन्द्रीकृत रूप से नहीं किया जाता। फिर भी, पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकनों का विवरण इस प्रकार है:-

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	01 अप्रैल से 6 दिसम्बर, 2004 तक
अखिल भारतीय सेवा	33	41	62	23
समूह 'क'	12	11	20	05
केन्द्रीय सचिवालय	08	08	27	21
राज्य सिविल सेवा	04	05	16	19
स.से.मू.सि.रो.	-	01	02	02
कुल	57	66	127	70

(ग) जी, हां।

(घ) विदेशी सरकारों द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकन किया गया है उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

2001-2002

	अखिल भारतीय सेवा	समूह 'क'	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	राज्य सिविल सेवा
आस्ट्रेलिया	10	02	02	—
जापान	02	—	—	—
फ्रांस	—	02	01	—
कुल	12	04	03	—

2002-2003

आस्ट्रेलिया	05	01	01	01
जापान	04	—	—	—
फ्रांस	02	02	—	01
कुल	11	03	01	02

2003-2004

आस्ट्रेलिया	04	04	02	01
जापान	04	—	—	—
फ्रांस	03	—	—	01
कुल	11	04	02	02

अप्रैल, 2004 से नवम्बर, 2004 तक

संयुक्त राज्य अमेरिका	04	01	—	—
जापान	09	—	01	—
फ्रांस	08	03	03	03
कुल	21	04	04	03

[हिन्दी]

दसवीं योजना में प्रति व्यक्ति परिव्यय

1297. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश को आवंटित प्रति व्यक्ति परिव्यय राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति परिव्यय के आवंटन का मानदण्ड क्या है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आवंटित प्रति व्यक्ति परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) जी, नहीं, परिव्यय का निर्धारण संसाधन उपलब्धता के आधार पर किया जाता है तथा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य वार प्रतिव्यक्ति परिव्यय आबंटन का कोई मानदण्ड नहीं है।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रतिव्यक्ति परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रतिव्यक्ति योजना परिव्यय दसवीं योजना अनुमान

राज्य	परिव्यय रुपये में (वर्ष 2001-02 मूल्यों पर)
1	2
विशेष श्रेणी राज्य	
अरुणाचल प्रदेश	35636
असम	3122
हिमाचल प्रदेश	16948
जम्मू-कश्मीर	14399
मणिपुर	11738
मेघालय	13048
मिजोरम	25812

1	2
नागालैंड	11202
सिक्किम	30634
त्रिपुरा	14101
उत्तरांचल	8998
गैर-विशेष श्रेणी राज्य	
आंध्र प्रदेश	6155
बिहार	2534
छत्तीसगढ़	5289
गोवा	23810
गुजरात	7907
हरियाणा	4878
झारखंड	5438
कर्नाटक	8260
केरल	7538
मध्य प्रदेश	4336
महाराष्ट्र	6887
उड़ीसा	5176
पंजाब	7681
राजस्थान	4837
तमिलनाडु	6440
उत्तर प्रदेश	3596
पश्चिम बंगाल	3570

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

1298. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 100 करोड़ रुपए की कायिक निधि वाले जनसंख्या स्थिरता कोष के प्रशासन के पुनर्गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के योजना आयोग से स्वास्थ्य कल्याण विभाग में हस्तांतरण से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। जनसंख्या स्थिरता कोष को और अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग में लाने के उद्देश्य से सरकार ने जनसंख्या स्थिरता कोष के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दे दी है। यह निर्णय लिया गया है इसके लिए कार्यपालक निदेशक सिविल सोसाइटियों से चुना जाएगा। नए निर्माण के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जनसंख्या स्थिरता कोष के सामान्य निकाय के अध्यक्ष होंगे जबकि शासी बोर्ड का नेतृत्व सचिव (प.क.) के हाथों में होगा।

(ग) और (घ) जी, हां। योजना आयोग से परिवार कल्याण विभाग में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के स्थानांतरण के समान कार्यकलापों के लिए निधियों एवं कार्यकलापों के डुप्लीकेशन से बचाव होगा। इससे एक तरफ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बीच योजना एवं कार्यान्वयन में समन्वय विकसित होगा तथा दूसरी ओर संबंधित विभागों की योजनाओं के साथ भी समन्वय सुनिश्चित होगा।

प्रति घंटा 'बर्थ' किराया प्रभार की शुरूआत करना

1299. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख पत्तनों हेतु प्रशुल्क प्राधिकरण ने 1 जून, 2003 से सभी प्रमुख पत्तनों में वर्तमान 8-घंटे आधारित दरों की जगह प्रतिघंटा 'बर्थ' किराया प्रभार शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आय प्राप्ति तथा भीड़-भाड़ के संबंध में यह किस प्रकार से लाभकारी होगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। महापत्तन-प्रशुल्क-प्राधिकरण द्वारा, महापत्तनों-न्यासों और पत्तन-प्रयोक्ताओं से परामर्श कर लिए जाने के बाद, 01 जून, 2003 से घाट भाड़े के प्रभार की 08 घंटे पर आधारित दर के स्थान पर, प्रति घंटा घाट-भाड़े के प्रभार की दर का चलन आरंभ कर दिया गया।

(ग) उपर्युक्त संशोधित व्यवस्था के अनुसार, घाट-भाड़ा-प्रभार, उतने ही समय का दिया जाना है, जितने समय तक घाट का उपयोग किया जाए और यह घाट-भाड़ा-प्रभार अगले पूरे घंटे के संबंध में पूर्णांकित (राउन्ड आफ) करके दिया जाना है, न कि 08 घंटे की पूरी पारी का, चाहे घाट का उपयोग 08 घंटे से कम तक ही किया गया हो। इससे, जहाजों पर सामान के लादे जाने/उन पर से सामान के उतारे जाने का कार्य पूरा हो जाने के तुरन्त बाद, उनसे (जहाजों) घाट खाली करवाए जा सकेंगे और उससे घाटों के खाली हो जाने के तुरन्त बाद उन्हें प्रतीक्षा कर रहे जहाजों की बर्थिंग के लिए उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इससे, पत्तन, पहले की अपेक्षा और अधिक जहाजों तथा इसके फलस्वरूप और अधिक सामान संचालित (हैंडल) कर सकेंगे।

[हिन्दी]

बाजार में पैठ बनाने के लिए के.वी.आई.सी. की नीति

1300. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:** क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) का बाजार पर पकड़ बढ़ाने के लिए राज्य-वार नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर पैठ बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का इस उद्योग की क्षमता का आकलन करने के लिए जिला स्तर के संगठनों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खादी ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं तथा प्रोत्साहन उपलब्ध हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग (के.वी.आई.सी.) के विपणन के लिए राज्य-वार नीतियां तैयार करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने उत्तर प्रदेश सहित देश भर में के.वी.आई. उत्पादनों के बेहतर विपणन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग महासंघ (सी.पी.के.वी.आई.) की स्थापना की है। के.वी.आई.सी. ने कई अन्य कदम उठाए हैं, नामत: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर प्रदर्शनियां आयोजित करना तथा कुछ राज्यों में चुने हुई बिक्री आऊटलैटस का नवीनीकरण/आधुनिकीकरण। के.वी.आई.सी. के उत्पादन विकास एवं डिजाइन इन्टरवेल्शन कार्यक्रम (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.) के अंतर्गत डिजाईन सुधार परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए के.वी.आई. संस्थानों/उद्यमों को के.वी.आई.सी. द्वारा अनुदान भी दिए जाते हैं।

2004-05 के दौरान उत्तर प्रदेश के.वी.आई.सी. प्रदर्शनियों के कार्यक्रम निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:

सारणी: 2004-05 के दौरान उत्तर प्रदेश में के.वी.आई.सी. प्रदर्शनियों के कार्यक्रम

श्रेणी	स्थान
राष्ट्रीय स्तर	लखनऊ
राज्य स्तर	अलीगढ़, गाजियाबाद, इलाहाबाद एवं गोरखपुर
जिला स्तर	रायबरेली, सुल्तानपुर, झांसी, बांदा, फैजाबाद, शाहजहांपुर, बिजनौर, सहारनपुर, बरेली, एटा, मुरादाबाद, मथुरा, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर और मऊ।

(ग) और (घ) जी, हां। जिला स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए के.वी.आई.सी. द्वारा के.वी.आई. संस्थानों, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (के.वी.आई.बीज) तथा के.वी.आई.सी. की विभागीय व्यापारिक यूनिटों को प्रत्येक प्रदर्शनी के लिए 2.5 लाख रुपये का अनुदान दिए जाते हैं।

(ङ) ऊपर वर्णन की गई स्कीमों के अतिरिक्त के.वी.आई. उत्पादनों के बाजार संवर्धन के लिए के.वी.आई.सी. द्वारा व्यक्तिगत उद्यमियों तथा संस्थानों की अनुदान (प्रोत्साहन) की निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(1) प्रदर्शनियां

के.वी.आई. संस्थानों, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (के.वी.आई.बी.) तथा के.वी.आई.सी. की विभागीय व्यापारिक यूनिटों को विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए निम्नलिखित वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है:

(क) राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी:	40 लाख रुपये (प्रत्येक)
(ख) क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनी:	25 लाख रुपये (प्रत्येक)
(ग) राज्य स्तर की प्रदर्शनी:	5 लाख रुपये (प्रत्येक)
(घ) जिला स्तर की प्रदर्शनी:	2.5 लाख रुपये (प्रत्येक)

(2) विदेश दौरे

विदेश अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में बिक्री एवं अध्ययन दौरों में भाग लेने के लिए संस्थानों/यूनिटों को जाने एवं आने के किराए की 90 प्रतिशत लागत दी जाती है। प्रोत्साहन के रूप में प्राडक्ट कैटलाग, ब्रोशर, सूचना हैण्ड आऊट, आदि जैसी प्रचार समग्री पर कुल अनुमोदित लागत के 25 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये की अधिकतम राशि भी प्रदान की जाती है।

(3) निर्यात संवर्धन

ग्रामोद्योग उत्पादनों के निर्यात के लिए संस्थान निर्यात किए गए ग्रामोद्योग उत्पादनों के पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफ.ओ.बी.) के 5 प्रतिशत की दर पर प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात

1301. **श्री बी. विनोद कुमारः**
श्री थावरचन्द गेहलोतः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक वर्ष-वार तथा देश-वार किन-किन देशों को निर्यात किया गया तथा निर्यात का मूल्य क्या है;

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन और निर्यात में प्रतिशत और रुपए की दृष्टि से कितनी वृद्धि होने की अपेक्षा है;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) विश्व साफ्टवेयर तथा सेवा बाजार में भारत का अंश वर्ष 2001-02 में 1.82% से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 2.09% हो गया और यह वर्ष 2003-04 में लगभग 2.4% है। वर्ष 2003-04 में लगभग 70% भारतीय साफ्टवेयर निर्यात उत्तरी अमेरिका को किया गया, जो वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 55% से ज्यादा व्यय करता है तथा कुल निर्यात के 22.25% अंश सहित यूरोपीय संघ में इसका दूसरा स्थान है। उत्तरी अमेरिका आईटीईएस-बीपीओ सेवाओं के लिए प्रभावशाली बाजार बना हुआ है, जो भारत में 80% से ज्यादा आईटीई-बीपीओ व्यवसाय करता है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय साफ्टवेयर तथा सेवा निर्यात ने वित्त वर्ष 2003-04 में 30.5% की वृद्धि दर्ज की और 12.5 बिलियन अमरीकी डालर का राजस्व अर्जित किया।

विवरण I

निर्यात का मूल्य तथा ऐसे देशों के नाम जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक किया गया वर्षवार एवं देशवार निर्यात

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर)

स्थान	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा	3710.23	4911.65	6127.02
लैटिन अमेरिका	7.82	9.88	10.57
यूरोप (यूरोपीय संघ के देश)	1331.55	1793.60	2189.54
यूरोप (गैर यूरोपीय संघ के देश)	82.33	82.83	98.00

1	2	3	4
रूस और सीआईएस देश	1.19	13.32	0.96
अफ्रीकन देश	48.77	52.49	131.62
मध्य-पूर्वी देश	96.73	68.59	143.15
सिंगापुर, हांगकांग तथा अन्य दक्षिण एशियाई देश	324.68	307.59	348.75
जापान, कोरिया तथा अन्य सुदूर पूर्वी देश	197.23	318.26	426.57
आस्ट्रेलिया एवं अन्य महासागरीय देश	178.74	93.78	130.66
कुल	5978.26	7652.00	9607.44

विवरण II

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य

वर्ष	साफ्टवेयर निर्यात		घरेलू साफ्टवेयर		कुल	
	करोड़ रुपए में	वृद्धि प्रतिशत	करोड़ रुपए में	वृद्धि प्रतिशत	करोड़ रुपए में	वृद्धि प्रतिशत
2002-03	54,000	—	17,000	—	71,000	—
2003-04	73,000	35	23,000	35	96,000	35
2004-05	98,000	34	30,000	30	128,000	33
2005-06	128,000	31	40,000	33	168,000	31
2006-07	160,000	25	53,000	33	213,000	27
2007-08	200,000	25	67,000	26	267,000	25
2008	240,000	20	84,000	25	324,000	21

दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि

1302. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ चुने गए देशों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारत को अपराधियों को सौंपने तथा इन देशों के बीच आपसी सहयोग में कितनी मदद मिलेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) सरकार की यह नीति है कि जितने अधिक देशों के साथ संभव हो सके, प्रत्यर्पण संधियां सम्पन्न की जाएं, इसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी शामिल हैं।

(ख) भारत ने फिलीपीन्स के साथ प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न की है, जिसे अभी प्रवृत्त किया जाना है। मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ प्रत्यर्पण संधियां संपन्न करने की चर्चा अभी प्रारंभिक स्तर पर है।

(ग) यह प्रत्यर्पण संधियां प्रत्यर्पणीय अपराधों वाले भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण चाहने वालों के लिए एक विधिक रूपरेखा प्रदान करती हैं।

राजमार्गों का विकास

1303. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सार्वजनिक निजी-सहभागिता के माध्यम से राजमार्गों के विकास हेतु वार्षिक प्रणाली के स्थान पर टोल आधारित निर्माण, संचालन हस्तांतरण माडल को व्यापक रूप से अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने सरकार से राजमार्गों को अधिक आकर्षित बनाने के उद्देश्य से इनके विकास हेतु सार्वजनिक निजी-सहभागिता को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसने सड़क क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण गठित करने की सिफारिश भी की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार राजमार्गों के विकास पर योजना आयोग की सिफारिशों से किस हद तक सहमत है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिबन्धित दवाएं

1304. श्रीमती मेनका गांधी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कई दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक दवा पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करने के लिए पकड़े गए तथा अभियोजित किए गए अस्पतालों/क्लिनिकों/कैमिस्टों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन उल्लंघनों के आलोक में प्रवर्तन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इन कदमों, यदि कोई हैं, पर विचार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। देश में प्रतिबंधित औषधों तथा उनके निर्माण और बिक्री के बारे में रोक लगाने संबंधी कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) रोक को एक समान और सख्ती से लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा देश में औषधों को समान रूप से हटाने के लिए राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से औषध योगों पर रोक लगाई जाती है।

(2) आम जनता को सतर्क करने के लिए प्रेस के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है।

(3) राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

(4) निर्माताओं और कैमिस्ट संघों से भी उनके सदस्यों की जानकारी के लिए उनकी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रतिबंधित औषधों के बारे में व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया जाता है।

(5) औषध परामर्शदायी समिति को एक सांविधिक निकाय है, की बैठकों के दौरान राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से ऐसी औषधों के चलन पर निगरानी रखने तथा कानून का उल्लंघन करने के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

(ङ) राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) बेहतर निगरानी करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने और दोषियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को नियमित रूप में आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान रोक के कारण सहित निर्माण, बिक्री और वितरण हेतु प्रतिबंधित औषधें

क्र.सं.	औषध-योग	रोक लगाने के कारण
1	2	3
1.	डायजेपाम और डिफेनाइड्रेमाइन का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	हानिकारक

1	2	3
2.	मानव उपयोग के लिए विटामिन बी-1, बी-6 और विटामिन-बी 12 का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	चिकित्सीय औचित्य का अभाव
3.	किसी रूप (प्राकृतिक अथवा संश्लिष्ट) में हीमोग्लोबिन का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	-वही-
4.	किसी अन्य एन्जाइम सहित एमिलेस, प्रोटीज और लिपेस युक्त पेन्क्रिएटिन अथवा पेन्क्रेलिपेस का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	-वही-
5.	निट्रोफुरेंटाइन और ट्राइमेथोप्रिम का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	-वही-
6.	किसी दमा-रोधी औषधों सहित फेनोबार्बीटोन का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	-वही-
7.	हियोसिन और/अथवा हियोसिमाइन सहित फेनोबार्बीटोन का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	-वही-
8.	आर्गोटिमाइन और/अथवा बेल्लाडोना सहित फेनोबार्बीटोन का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	-वही-
9.	प्रोपेनथेलाइन ब्रोमाइड सहित किसी एंटी-चोलिनेर्जिक अभिकारक सहित हेलोपेरिडोल का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	-वही-
10.	मेट्रोनिडाजोल सहित किसी अमीबिक-रोधी सहित नेलिडिक्सिक अम्ल का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	-वही-
11.	फुराजोलिडोन सहित लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	-वही-
12.	लिसाइन अथवा पेपटोन सहित सिप्रोहेप्टाडाइन का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण	-वही-
13.	एस्टेमिजोर	-वही-
14.	टर्फिनेडाउन	हानिकारक
15.	फेनफोर्मिन	-वही-

[हिन्दी]

राज्य सिविल/प्रशासनिक सेवा एसोसिएशनों से अभ्यावेदन

1305. श्री कमला प्रसाद रावतः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सिविल/प्रशासनिक सेवा एसोसिएशनों के परिसंघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन में परिसंघ द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अभ्यावेदन में दी गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार राज्य सरकारों को निदेश जारी कर दिए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) सरकार को, राज्य सिविल/प्रशासनिक सेवा एसोसिएशनों के अखिल भारतीय परिसंघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की सेवा की शर्तों से जुड़े कुछ मुद्दे सरकार के सामने रखे गए हैं। ये मुद्दे मोटे तौर पर, राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के करिअर में उन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने अर्थात् राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन, पदोन्नति के लिए चयन समितियों की बैठकों का नियमित रूप से तथा समय पर आयोजन, राज्य सरकारों को, राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के करिअर में उन्नति आदि के समान और अतिरिक्त अवसरों के सृजन के लिए निदेश देने आदि से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों की सरकार द्वारा जांच-पड़ताल की गई थी। मौजूदा नियमों और विनियमों में, कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

खान कर्मियों के हितों का ध्यान रखना

1306. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोयला तथा अन्य खनिज खानों में कार्यरत कर्मियों के कल्याण हेतु नई योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो खान कर्मियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) देश के खान कर्मियों के कल्याण हेतु गुजरात सहित राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयला और खान मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की खानों में कामगारों के कल्याण से संबंधित खान अधिनियम, 1952 और खान नियमावली, 1955 के अनुसार सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है और वे अपने कामगारों के कल्याण पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं तथा कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन स्तर को सुधारने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कल्याण उपायों में आवासीय सुविधा, जल-आपूर्ति सुविधा, चिकित्सा सुविधा, कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधा, को-आपरेटिव स्टोर एवं क्रेडिट सोसाइटियों से सामान लेने की सुविधाएं, सब्सीडाइज्ड परिवहन सुविधाएं आदि शामिल हैं।

भारत सरकार (एलोकेशन आफ बिजनेस नियमावली, 1961) के अनुसार कामगारों का कल्याण श्रम मंत्रालय का विषय है। श्रम मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि लौह अयस्क खानों, मैंगनीज खानों और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि और अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, मनोरंजन और जल आपूर्ति के क्षेत्र में गैर-कोयला खान के कुछेक कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को कल्याणकारी सुविधाएं दिए जाने के लिए उनके द्वारा कुछ कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। इन निधियों के अंतर्गत भी केवल वही खान कामगार इन योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिनकी मासिक मजदूरी 10,000 रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं है। इन योजनाओं के तहत लगभग 76,000 कामगार लाभ उठा रहे हैं।

(घ) श्रम मंत्रालय ने उपर्युक्त खान कामगारों के कल्याण हेतु दी जाने वाली संभावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क कामगार कल्याण निधि (आई.ओ.एम.सी.), लाइमस्टोन डोलामाइट कामगार कल्याण निधि (एल.एस.डी.एम.) और अभ्रक खान कामगार कल्याण निधि हेतु बजट अनुमान 2004-05

(000 रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	बजट अनुमान 2004-05		
		आईओएमसी	एलएसडीएम	अभ्रक
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू-कश्मीर उत्तरांचल	—	4588	—

1	2	3	4	5
2.	अजमेर गुजरात राजस्थान हरियाणा	—	28706	2496
3.	बंगलोर कर्नाटक केरल	16885	5611	—
4.	भुवनेश्वर उड़ीसा	40462	9507	—
5.	हैदराबाद तमिलनाडु आंध्र प्रदेश	4289	13724	5732
6.	जबलपुर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़	17324	19054	—
7.	कमरा बिहार झारखंड	27370	7286	5272
8.	कोलकाता पश्चिम बंगाल असम त्रिपुरा मेघालय	—	1292	—
9.	नागपुर महाराष्ट्र गोवा	19120	3047	—

ग्रामीण उद्योगों की स्थिति

1307. **श्री सुरेश चन्देल:**
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:
प्रो. चन्द्र कुमार:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पारम्परिक ग्रामीण कुटीर उद्योगों की स्थिति बदतर होती जा रही है जिसके कारण ग्रामीण लोग रोजगार की खोज में शहरों में पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा ग्रामीणों के शहरों में पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग (के वी आई) ने अनिवार्य तौर पर रूढ़िगत (पारम्परिक) ग्रामीण कुटीर उद्योग शामिल हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार अवसरों का सृजन करने तथा शहरों में प्रवास को कम करने के लिए कुटीर उद्योगों के संवर्धन एवं विकास के लिए समय-समय पर कदम उठाती रही है। के.वी.आई. क्षेत्र में ग्रामोद्योगों के कुल उत्पादन का मूल्य 2001-02 में 7140.50 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 8126.30 करोड़ रुपये तथा 2003-04 में और आगे बढ़कर 9263.98 करोड़ रुपये हो गया, जो 14 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार, ग्रामोद्योग क्षेत्र में भी रोजगार सृजन 2001-02 में 54.16 लाख जाब्स से बढ़कर 2002-03 में 57.87 लाख जाब्स तथा 2003-04 में 62.57 लाख जाब्स हो गया। इसके अतिरिक्त, कयर, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, चमड़ा, पाटरी एवं अन्य कुटीर उद्योगों जैसे परम्परागत उद्योगों के पुनर्उत्पादन के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये के आरम्भिक आबंटन के साथ एक निधि की स्थापना के निर्णय की हाल ही में घोषणा की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से इन क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामोद्योगों के संवर्धन तथा और अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उद्यमी 25 लाख रुपये की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण का लाभ उठाकर ग्रामोद्योगों सहित कृषि एवं ग्रमीण उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। उपलब्ध मार्जिन मनी सहायता का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:-

क्र.सं.	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहायता
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25%
2.	अनुसूचित जाति/ अ.ज.जाति/महिला/पूर्व सैनिक/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 30%
3.	सामान्य	10 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक	2.5 लाख रुपये और शेष परियोजना लागत का 10%
4.	अनुसूचित जाति/ अ.ज. जाति/महिला/पूर्व सैनिक/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक	3 लाख रुपये और शेष परियोजना लागत का 10%

पिछले तीन वर्षों के दौरान आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत प्रगति नीचे सारणी में दी गई है:

क्र.सं.	वर्ष	वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या	रोजगार (लाख व्यक्तियों में)
1.	2001-02	20767	3.43
2.	2002-03	21024	3.61
3.	2003-04 (अनंतिम)	24747	4.71

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

1308. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के अंतर्गत स्थान-वार कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी धनराशि आबंटन एवं खर्च की गई है; और

(ग) इन योजनाओं के माध्यम से कितने लोगों को लाभ पहुंचा?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य के लिए संगत जिला-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा II में है।

(ख) पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार व्यक्तिगत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टीज) को रोजगार अवसरों के सृजन के लक्ष्यों के आधार पर सब्सिडी, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (ई.डी.पी.), आकस्मिकताओं, आदि के लिए निधियां आबंटित करती है। सब्सिडी के लिए केन्द्रीय निधियां भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दी जाती हैं, जो इसके पश्चात् इन्हें व्यक्तिगत लाभार्थियों के ऋण खातों में राशि क्रेडिट करने के लिए कार्यान्वयन बैंकों को भेजता है। व्यक्तिगत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वास्तविक तौर पर प्रयुक्त सब्सिडीज की राशियां भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है। तथापि, ई.डी.टी., आकस्मिकताओं, आदि के लिए निधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे ही दी जाती हैं। 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत ई.डी.टी., आकस्मिकताओं, आदि के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार को निधियां जारी नहीं की जा

सकीं, क्योंकि पिछले वर्षों में दिए गए 73.79 लाख रु. की राशि की आधिक्य शेष निधि राज्य के पास थी। 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में पी.एम.आर.वाई. तथा आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत ई.डी.टी., आदि के लिए जारी की गई तथा प्रयुक्त की गई केन्द्रीय निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा (अथवा व्यय के लिए प्राधिकृत) संलग्न विवरण-III में है।

(ग) अनुमान है कि 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान पश्चिम बंगाल में पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत लगभग 10,457 व्यक्तियों (भा.रि. बैंक की सूचना के अनुसार) तथा आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत 66,040 व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन किया गया है।

विवरण I

पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान ऋण संवितरित की गयी यूनिटों/परियोजनाओं की जिला-वार संख्या

(राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार)

क्र.सं.	जिला	2001-2002 ऋण संवितरित की गयी यूनिटें (संख्या)	2002-2003 ऋण संवितरित की गयी यूनिटें (संख्या)	2003-04 ऋण संवितरित की गयी यूनिटें (संख्या)
1	2	3	4	5
1.	बांकुरा	34	29	95
2.	बीरभूम	30	38	72
3.	बर्दवान	96	72	203
4.	कोलकाता	67	93	33
5.	कूचबिहार	18	34	52
6.	दार्जिलिंग	77	56	55
7.	उत्तर दिनाजपुर	3	29	43
8.	हुगली	37	101	69
9.	हावड़ा	2	25	235
10.	जलपाईगुड़ी	41	67	145
11.	मालदा	18	30	154
12*.	मिदनापुर	26	69	25
13.	पूर्व मिदनापुर	—	—	25
14.	मुर्शिदाबाद	42	91	80
15.	नादिया	32	49	50
16.	दक्षिण 24-पर्गना	89	73	143
17.	पुरूलिया	2	17	29
18.	उत्तर 24-पर्गना	156	279	240
19.	दक्षिण दिनाजपुर	9	1	67
20.	दुर्गापुर	32	41	104
21.	सिलीगुड़ी	39	70	37
	जोड़	852	1266	1956

* मिदनापुर जिले को 2002 में पश्चिम मिदनापुर और पूर्व मिदनापुर में विभाजित किया गया।
दोनों जिलों के लिए एक जिला उद्योग केन्द्र है। तथापि, अलग प्रगति केवल 2003-04 से ही सूचित की गयी है।

विवरण II

आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान जिला-वार स्थापित की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	स्थापित की गयी परियोजनाओं की संख्या 2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	बांकुरा		48	98
2.	बीरभूम		315	467
3.	बर्दवान		44	131
4.	कूचबिहार		12	41
5.	हुगली		54	160
6.	हावड़ा		107	241
7.	जलपाईगुड़ी		147	175
8.	मालदा		282	189

1	2	3	4	5
9.	पूर्व मिदनापुर		51	200
10.	मुर्शिदाबाद		238	187
11.	नाडिया		243	349
12.	24 परगना (उत्तरी)		211	355
13.	पश्चिम मिदनापुर		139	95
14.	पुरूलिया		12	31
15.	दक्षिण दिनाजपुर		0	20
16.	24 परगना (दक्षिण)		58	210
17.	दार्जिलिंग		16	27
18.	उत्तरी दिनाजपुर		482	372
	जोड़	2892*	2459	3348

* आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत 2001-02 के दौरान स्थापित परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, चूंकि कार्यक्रम केन्द्रीयकृत ढंग से 2001-02 के दौरान कार्यान्वित किया गया।

विवरण III

पी.एम.आर.वाई. तथा आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान पश्चिम बंगाल को आबंटित एवं खर्च की गयी निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

	पीएमआरवाई		आरईजीपी	
वर्ष	प्राधिकृत निधियां	राज्य सरकार द्वारा खर्च की गयी/प्रयुक्त निधियां	जारी की गयी निधियां	खर्च की गयी निधियां
2001-02	73.79	18.27	*	822.20
2002-03	55.51	18.06	641.00	1202.17
2003-04	37.45	21.67	2264.14	1593.51

*के वी आई सी ने मार्जिन मनी का राज्य-वार आबंटन 2002-03 से आरंभ किया।

मानव विकास रिपोर्ट

1309. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार हमारे देश का स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय के मामले में 175 देशों में से 171वां स्थान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) यद्यपि इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट, 2004 में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च के लिए देशों की कोई रैंकिंग निर्धारित नहीं की गयी है, तथापि, यह देखा गया है कि भारत का स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च की दृष्टि से 175 देशों में से 171वां स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय 5.1 प्रतिशत है जिसमें से वर्ष 2001 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा है।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार, सरकारी स्वास्थ्य में अपना अंशदान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभिकरणों से सहायता प्राप्त करके स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश के लिए संसाधनों को भी बढ़ाया जा रहा है।

भारत में सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय 5.1 प्रतिशत है जिसमें से सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत व्यय वर्ष 2001 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2-3 प्रतिशत तक व्यय बढ़ाने की योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में वर्ष 2010 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत तक सरकारी स्वास्थ्य निवेश बढ़ाने की भी योजना है। इसे प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य नीति में वर्ष 2005 तक राज्य सरकारों द्वारा उनके बजट में 7 प्रतिशत और वर्ष 2010 तक उनके बजट में से

8 प्रतिशत तक बजट में स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, इस नीति में केन्द्र सरकार के इस समय के 15 प्रतिशत के अंशदान को बढ़ा कर वर्ष 2010 तक 25 प्रतिशत तक अंशदान बढ़ाने की योजना है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में हड्डी रोग ओ.पी.डी.

1310. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड धारकों के लिए डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अलग हड्डी रोग ओ पी डी स्थापित करना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

''इलेक्ट्रीसिटी करंट थेरेपी''

1311. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सरकार के निरंतर निर्देशों के बावजूद मानसिक रोगियों के उपचार के लिए ''इलेक्ट्रिसिटी करंट थेरेपी'' (ईसीपी) के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का दुरूपयोग रोकने तथा मानसिक रोगियों के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से नए कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मानसिक रोगियों के इलाज में इलैक्ट्रो कनवल्सिव थेरेपी (ईसीटी) के उपयोग के संबंध में न तो सरकार ने और न ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं। ईसीटी मनश्चिकित्सीय इलाज का एक सामान्य तरीका है जो 1937 से प्रयोग में लाया जाता है तथा तकनीकी दिशानिर्देश स्नातकोत्तर मनश्चिकित्सीय प्रशिक्षण का एक भाग है।

(ग) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 एवं नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया जिसे उक्त अधिनियम एवं नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। दुरूपयोग की विशेष घटनाएं, अगर कोई हैं तो, उनको देश के सामान्य कानूनों (लाज आफ द लैंड) के अंतर्गत निपटाया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पुनर्स्थापित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ने सरकारी मेडीकल कालेजों में मनश्चिकित्सीय अस्पतालों तथा विभागों के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान बनाएं हैं।

[अनुवाद]

पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक गोलियां

1312. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैज्ञानिकों ने पुरुषों के लिए एक गर्भनिरोधक गोली का विकास किया है जो 100 प्रतिशत प्रभावी है तथा अनुषंगी प्रभावों से मुक्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस प्रकार की गोली का विकास कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार को पुरुष गर्भ निरोधक गोलियों के विकास के बारे में जानकारी है, तथापि, पुरुष गर्भ निरोधक गोली अभी अनुसंधान के चरण पर है तथा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) भारतीय वैज्ञानिकों ने अभी ऐसी गोली का विकास नहीं किया है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पुरुष गर्भनिरोधक गोली का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रवासी भारतीय भवन

1313. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू की प्रवासी भारतीय भवन स्थापित करने की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित उद्देश्य क्या थे;

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) यह कब तक कार्यशील हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यह योजना अप्रवासी भारतीयों के लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध होगी?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) प्रवासी भारतीय भवन का विचार भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू को लिखे एक पत्र में स्वर्गीय श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने रखा था। अपनी मृत्यु के मात्र दो दिन पूर्व ही पंडित नेहरू ने उन्हें उत्तर दिया था जिसमें उन्होंने इस विचार की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए इसे क्रियान्वयन के योग्य बताया। श्री शास्त्री ने इस उद्देश्य के लिए एक न्यास का पंजीकरण करवाने की योजना बनायी थी और अनेक गणमान्य व्यक्ति न्यासी बनने के लिए सहमत हो गये थे। दुर्भाग्यवश श्री शास्त्री की मृत्यु के बाद यह विचार मूर्त रूप नहीं ले सका।

(ग) भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं और प्रवासी भारतीय दिवस, 2004 में तत्कालीन प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद प्रस्तावित प्रवासी भारतीय केन्द्र के लिए उपयुक्त भूखण्ड आबंटित होने की दिशा में कार्रवाई की गयी है।

(घ) अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित केन्द्र की संकल्पना और आरेखन को अंतिम रूप दिये जाने और तत्पश्चात् निविदा दिये जाने की आशा है। उसके बाद केन्द्र द्वारा लगभग दो वर्षों में कार्य आरंभ करने की आशा है।

(ङ) प्रस्तावित केन्द्र और भारत इसके डायस्पोरा के बीच क्रियाकलाप का मुख्य केन्द्र होगा। इसमें एक पुस्तकालय, प्रलेखन केन्द्र, एक प्रदर्शनी परिसर, सभागार, आगंतुक कक्ष इत्यादि सहित विदेशों में रहने वाले भारतीयों की प्रतिभा का उपयोग किये जाने के लिए सभी सुविधाएं होंगी।

ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की कीमत

1314. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने ताप विद्युत परियोजनाओं को आपूर्ति किए जा रहे कोयले की कीमत को बढ़ा दिया है जबकि नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन को उपभोक्ताओं से प्रशुल्क वृद्धि नहीं प्राप्त हुई है जिससे एक सरकारी उपक्रम की कीमत पर दूसरे सरकारी उपक्रम को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं को कोयला आपूर्ति मूल्य में कमी लाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने दिनांक 16.6.2004 से कोयले की कीमतें बढ़ा दी हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि ताप विद्युत उत्पादन पर कोयले की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव केवल 6 पैसे प्रति यूनिट बिजली तक ही हुआ है। यह ऐसी वृद्धि नहीं है जिसके कारण दूसरे विद्युत पीएसयू को घाटा उठाने पड़े। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी का पहले ही कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार है, जहां ईंधन आपूर्त्ति करार लागू हैं, वहां जून, 2004 में सीआईएल की कीमतों में की गई वृद्धि को लागू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) कोयला कीमतों को 1.1.2004 से विनियमित किया गया है। सरकार कोयला कीमतों को निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है और कोयला कंपनियां बाजारी ताकतों, औसत उत्पादन लागत और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखकर कोयला कीमतें निर्धारित करने के लिए अधिकृत हैं।

[हिन्दी]

आप्टीकल फाइबर केबल

1315. श्री रामदास आठवले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा अन्य राज्यों में टेलीफोन सेवाओं के विस्तार के लिए आप्टीकल फाइबर केबल का प्रयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) बीएसएनएल और एमटीएनएल की वर्ष 2004-05 के दौरान आप्टिकल फाइबर केबल के विस्तार की योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बीएसएनएल ने सभी राज्यों में टेलीफोन सेवाओं के विस्तार के लिए 18,000 किमी आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की योजना है तथा एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई में 20,000 फाइबर किमी बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान बीएसएनएल द्वारा आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की योजना का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	ओएफसी योजना (किमी में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1150
2.	अंडमान और निकोबार	25
3.	असम	575
4.	बिहार	700
5.	झारखंड	500
6.	गुजरात	1000
7.	हरियाणा	475
8.	हिमाचल प्रदेश	300
9.	जम्मू-कश्मीर	200
10.	कर्नाटक	900
11.	केरल	700
12.	मध्य प्रदेश	800
13.	छत्तीसगढ़	475
14.	महाराष्ट्र	1200
15.	मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा	966
16.	अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड	1099
17.	उड़ीसा	475
18.	पंजाब	950
19.	राजस्थान	875
20.	तमिलनाडु	1650
21.	उत्तर प्रदेश	1450
22.	उत्तरांचल	300
23.	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	1235
	कुल	18,000

वर्ष 2004-05 के दौरान एमटीएनएल द्वारा आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की योजना

1.	दिल्ली	10,000
2.	मुम्बई	10,000
	कुल	20,000

[अनुवाद]

दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

1316. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री अनन्त नायक:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री हरिभाई राठौड़:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य का मध्यावधि मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी तथा आज की स्थिति के अनुसार क्या उपलब्धि हासिल की गई;

(घ) मध्यावधि मूल्यांकन के बाद चुने गए नए वरीयता क्षेत्रों तथा चालू योजना में संसाधनों की स्थिति क्या है;

(ङ) लक्षित स्तर के मुकाबले पहले दो वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) इस समय मध्यावधिक मूल्यांकन तैयार किया जा रहा है।

(ग) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के लिए लक्षित विकास दर और दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में प्राप्त की गई उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) भागों के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दसवीं योजना के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की संवृद्धि दर (2001-02 के मूल्यों पर बाजार मूल्य) 8.1 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में पहले दो वर्षों (2002-03 से 2003-04) में उपलब्धि 6.4 प्रतिशत थी।

(च) योजना में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा वार्षिक योजना दस्तावेजों 2002-03 और 2003-04 में दिया गया है, जो संसद के पुस्तकालय में रख दिए गये हैं।

विवरण

अर्थव्यवस्था का विकास (लक्षित और प्राप्त)

क्षेत्रक	लक्षित विकास (दसवीं योजना)	प्राप्त विकास (2001-02 के मुकाबले में 2003-04)
कृषि और सम्बद्ध	4.0	1.7
उद्योग	8.9	6.6
सेवाएं	9.3	7.9
कारक लागत पर जीडीपी	7.9	6.1
बाजार मूल्य पर जीडीपी	8.1	6.4

[हिन्दी]

मनीआर्डर की डिलीवरी में विलंब

1317. मो. मुकीम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला आजमगढ़ विशेषकर थेकमा, जामुआबा में विभिन्न ग्रामीण डाकघरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लोगों/ग्रामीणों को अपने मनीआर्डर एक या दो महीने विलंब से मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गत एक वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए मनीआर्डरों की तारीख तथा संवितरण की तारीख का पता लगाने के लिए जांच कराने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) मनीआर्डर के तत्काल भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं। आजमगढ़ जिले में जामुआवा और थेकमा में अधिकतर मामलों में प्राप्तकर्त्ताओं को समय पर भुगतान कर दिया गया था। केवल कुछेक मामलों में प्राप्ति की तिथि के एक सप्ताह के भीतर भुगतान किया गया, एक या दो महीने विलंब से नहीं।

(ख) जी नहीं, क्योंकि पिछले एक वर्ष के दौरान मनीआर्डर के भुगतान में विलंब के संबंध में किसी भी ग्राहक से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न निरीक्षण अधिकारियों तथा मानीटरिंग के अन्य तरीकों के माध्यम से मनीआर्डरों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल पथ

1318. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पैदल चलने वालों के इस्तेमाल हेतु नहरों, नालों, नदियों और पुलियों पर राष्ट्रीय राजमार्गों तथा ग्रिल के बीच कोई जगह नहीं छोड़ी जाती है जिससे कि वाहनों को इनमें गिरने से रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो रैलिंग/ग्रिल तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच पैदल पथ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) नहर, नाले, नदियों और पुलियों आदि में वाहनों को गिरने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्रैश बैरियर, मुंडेर, सुरक्षा दीवार, रैलिंग आदि सामान्यत: लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ, मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पोतों का नौवहन

1319. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई.डब्ल्यू.ए.आई.) के निदेशक द्वारा बिहार में गंगा, कोसी, गंडक आदि नदियों में पोतों के अंतर्देशीय नौवहन की संभावना का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पोतों का अंतर्देशीय नौवहन शुरू करने के लिए कितना निवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, गंगा नदी में आवधिक रूप से जल-सर्वेक्षण किया जाता है। इन सर्वेक्षणों से उपर्युक्त नदी के नौचालन से संबंधित मार्ग में नदी के तल की गहराई से संबंधित आंकड़े सुलभ होते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण, कोसी और गंडक-नदियों में कोई भी सर्वेक्षण-कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण, उपर्युक्त जलमार्ग पर सुजलपथ कायम रख रहा है और इस पर जहाज पहले से ही चल रहे हैं।

के.वी.आई.सी. द्वारा स्थापित उद्योग

1320. श्री देविदास पिंगले:
प्रो. महादेवराव शिवणकर:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) के.वी.आई.सी. द्वारा कितने ग्रामोद्योग स्थापित किए गए हैं तथा उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) पंजीकृत ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) इन औद्योगिक इकाइयों की वर्तमान स्थिति तथा लाभ कमा रही इकाइयों के साथ घाटे में चल रही इकाइयों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध विस्तृत आकड़ें क्या हैं;

(घ) क्या घाटे में चल रही इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत, 1.04.1995 को कार्यक्रम के आरंभ के समय से, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा 1,86,252 ग्रामोद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उसमें मदद दी जा रही है जिससे 22.75 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आरईजीपी मार्जिन मनी के रूप में केंद्र सरकार के अनुदान के साथ स्व-रोजगार परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुसूचित बैंकों से क्रेडिट उठाता है। आरईजीपी के आरंभ होने से पहले, ग्रामोद्योग (वीआई) कार्यक्रम केवीआईसी द्वारा बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार के बजटीय सहयोग के साथ चलाया जा रहा था। कुल मिलाकर, केवीआईसी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योगों के माध्यम से 62.58 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किए गए हैं।

(ख) 2003-04 तक आरईजीपी के तहत स्थापित इकाइयों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) लाभ/घाटे की इकाइयों की संख्या पर जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, ग्रामोद्योग इकाइयों के सुदृढ़ीकरण, ताकि एक धारणीय आधार पर उनकी जीवनक्षमता सुनिश्चित की जा सके, के लिए वित्तीय तथा संगठनात्मक सहयोग जैसे प्रोत्साहन केवीआईसी द्वारा इन कारणों से वैयक्तिक उद्यमियों/ संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं-

1. आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर गुणवत्ता परीक्षण
2. राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर प्रदर्शनियों में भागीदारी
3. बिक्री आउटलेटों का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण
4. पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधाओं का निर्माण
5. विपणन
6. ब्रांड निर्माण, और
7. प्रचार आदि

विवरण

आर.ई.जी.पी. के शुरू होने अर्थात् 1995-96 से 2003-04 के दौरान इसके अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं तथा सृजित रोजगार के अवसरों का राज्यवार ब्यौरा

(के दौरान)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	सृजित रोजगार के अवसर (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12870	202358
2.	अरुणाचल प्रदेश	379	5117
3.	असम	2207	30619
4.	बिहार	846	10715
5.	गोवा	2301	20514
6.	गुजरात	1098	8067
7.	हरियाणा	5109	103340
8.	हिमाचल प्रदेश	1905	45000
9.	जम्मू-कश्मीर	6634	50156
10.	कर्नाटक	13159	156552
11.	केरल	8427	134500
12.	मध्य प्रदेश	18523	177652
13.	महाराष्ट्र	19911	185694
14.	मणिपुर	738	14442
15.	मेघालय	3147	25017
16.	मिजोरम	906	13520
17.	नागालैंड	4790	89863
18.	उड़ीसा	3166	30558
19.	पंजाब	9603	116988
20.	राजस्थान	25897	275209
21.	सिक्किम	147	2285
22.	तमिलनाडु	5816	67280
23.	त्रिपुरा	433	11173
24.	उत्तर प्रदेश	15515	267971
25.	पश्चिम बंगाल	17223	133897
26.	अंडमान एवं निकोबार	416	2625
27.	चंडीगढ़	148	1107
28.	दादर नगर हवेली	15	303
29.	दिल्ली	219	4537
30.	लक्षद्वीप	10	173
31.	पांडिचेरी	949	11975
32.	छत्तीसगढ़	1131	31989
33.	झारखंड	818	14711
34.	उत्तरांचल	1794	29303
	कुल	186252	2275210

लघु उद्योग क्षेत्र में अवसर

1321. श्री सीताराम सिंह: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योगों की स्थापना करके और उनके अनुरक्षण द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों के संवर्धन हेतु कौन-कौन से विशेष उपाय किए गए हैं; और

(ख) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने हेतु उन्हें और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए अपनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार देश में लघु उद्योगों के संवर्धन एवं विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही अपनी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से कमजोर वर्गों, विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष का सचेतन रूप से समर्थन करती रही है। लघु उद्योग मंत्रालय की कुछ योजनाएं/कार्यक्रम, जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशिष्ट आरक्षण/रियायत/वरीयता प्रदान करती

हैं, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.), प्रबंध विकास कार्यक्रम (एम.डी.पी.) आदि हैं। इसके अतिरिक्त सरकार कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय (ए.आर.आई.) में उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों में स्वत: रोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर. वाई.) का कार्यान्वयन भी कर रही है। योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवाओं के लिए 22.5 प्रतिशत के आरक्षण पर विचार किया गया है। सरकार, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में सहायता देने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.), जो एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, का कार्यान्वयन भी कर रही है। आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र युवा 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 30 प्रतिशत के उच्च मार्जिन मनी अनुदान (अन्यों के लिए 25 प्रतिशत की तुलना में) तथा 25 लाख रुपये तक की परियोजना की शेष लागत के लिए 10 प्रतिशत के हकदार हैं।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनैक्शन

1322. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में ऐसे कितने गांव हैं, जहां भुगतान किए जाने के बावजूद टेलीफोन कनैक्शन नहीं लगाए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गांवों में कब तक कनैक्शन लगाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 182 ऐसे गांव हैं जहां टेलीफोन कनेक्शन लगाए जाने अभी लंबित हैं।

(ख) इन गांवों में कुल 1663 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने लंबित हैं।

(ग) इन गांवों में प्रतीक्षा सूची में रखे गए लगभग 50 प्रतिशत आवेदकों को वर्ष 2005-06 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। शेष आवेदकों को उसके परवर्ती वर्ष में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

कोयले की परियोजनाएं

1323. श्री अनन्त नायक: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला क्षेत्र में किन-किन परियोजनाओं को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) ये परियोजनाएं किस-किस चरण में लंबित है; और

(ग) सरकार ने इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा दसवीं योजना के दौरान 99 कोयला परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें से 64 परियोजनाएं दसवीं योजना के दौरान उत्पादन शुरू कर देंगी और शेष 35 परियोजनाएं ग्यारहवीं योजना के दौरान उत्पादन शुरू करेंगी। कोल इंडिया लि. निम्न उपायों के माध्यम से उत्पादन को वर्ष 2011-12 तक 512 मिलियन टन तक और बढ़ाने का प्रयास कर रही है:-

(क) कुछ विद्यमान खानें/चालू परियोजनाओं के माध्यम से।

(ख) दसवीं योजना की कुछ परियोजनाओं से उत्पादन में वृद्धि करके, और

(ग) 11वीं योजना की कुछ निर्दिष्ट परियोजनाओं से अतिरिक्त उत्पादन करके।

(ख) दसवीं योजना की 100 करोड़ रु. तथा उससे अधिक लागत वाली 28 परियोजनाओं को सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाना है।

विभिन्न चरणों में लंबित परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई हैं-

दसवीं योजना की परियोजनाओं की कुल संख्या	- 28
सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं	- 1
सरकार के अवलोकन/अनुमोदन के विभिन्न चरणों में परियोजनाएं	- 16
वे परियोजना प्रस्ताव, जो कोयला कंपनियों द्वारा सरकार को अभी भेजे जाने हैं	- 11

(ग) 100 करोड़ रु. तथा उससे अधिक लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं को सरकार की मंजूरी शीघ्र दिलवाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

1. कोयला मंत्रालय ने निदेश दिया है कि कार्रवाई समय में कमी करने के लिए 100 करोड़ रु. तथा उससे

अधिक लागत वाली परियोजनाओं को सीआईएल बोर्ड तथा सीआईएल बोर्ड की अधिकार प्राप्त उप-समिति के माध्यम से प्रक्रमित किए बिना सीधा सहायक कोयला कंपनी बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए।

2. सचिव (कोयला) इन कंपनियों के सीएमडी, सीआईएल, योजना आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा व्यय विभाग के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से आयोजित की जाने वाली निर्धारित तिमाही समीक्षा बैठकों के अलावा प्रत्येक माह प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

3. सचिव (कोयला) शीघ्र मंजूरी प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तथा वनीय भूमि स्वीकृति का मामला नियमित रूप से सचिव (पर्यावरण एवं वन) के साथ उठा रहे हैं। सम्बद्ध सहायक कोयला कंपनी के प्रतिनिधि तथा मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण), सीआईएल, नोडल अधिकारी के रूप में, सहायक कंपनियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र ईएमपी तथा वनीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हर कदम पर मामले को उठा रहे हैं।

4. सहायक कोयला कंपनियां भी जिला स्तर पर जिले के अधिकारियों के साथ मामले को उठा रही हैं।

दंत महाविद्यालय

1324. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कुल कितने नए दंत महाविद्यालयों को मंजूरी दी गई;

(ख) इनमें से ऐसे कितने महाविद्यालय हैं जहां नियमित और तत्स्थानिक निरीक्षण किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को किसी महाविद्यालय के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा वार्षिक आधार पर इन सभी दंत चिकित्सा कालेजों में निरीक्षण किए गए हैं।

(ग) से (ङ) दंत चिकित्सा कालेजों के विरुद्ध समय-समय पर प्राप्त शिकायतों का निपटारा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के परामर्श और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 से अब तक अनुमोदित दंत चिकित्सा कालेजों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	नाम एवं पता	श्रेणी	अनुमोदित पदों की संख्या	स्थापना वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	श्री वेंकट साई इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, हा.न. 16-2-740/51, कल्याण नगर, गदियानारम, हैदराबाद-500060 (आंध्र प्रदेश)	निजी	60	2002-03
2.	आंध्र प्रदेश	विष्णु डेंटल कालेज, कोवाडा (वी), विष्णुपुर, भीमावरम-534202	निजी	100	2002-03
3.	आंध्र प्रदेश	लीनोरा इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, रामपाचोदवरम, ई जी, जिला राजमुंदरी	निजी	60	2002-03

1	2	3	4	5	6
4.	आंध्र प्रदेश	सेंट जोसेफ डेंटल कालेज, डुगीराला, एलुरू-534004	निजी	100	2002-03
5.	आंध्र प्रदेश	श्री साई डेंटल कालेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्रा. श्रपुरम, बलागा रूरल, जिला श्रीकाकुलम	निजी	100	2003-04
6.	आंध्र प्रदेश	पानगीम महाविद्यालय इंस्टीट्यूट फार डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, दिलसुखनगर, रंगारेड्डी	निजी	100	2003-04
7.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ डेंटल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पो.बा. नं. 25, सुंदरा, राजनंदगांव-491441	निजी	100	2002-03
8.	छत्तीसगढ़	गवर्नमेंट डेंटल कालेज, रायपुर, छत्तीसगढ़	सरकारी	100	2003-04
9.	गुजरात	अहमदाबाद डेंटल कालेज, रणछोड़पुरा, सांतेज विलेज, गांधी नगर तालुका, अहमदाबाद, गुजरात	निजी	40	2003-04
10.	हरियाणा	गुरु गोबिंद ट्राइसेनेटरी डेंटल कालेज, हास्पीटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, नियर सुल्तानपुर झील, बीर सैंक्चुरी, गुड़गांव, फारूखनगर रोड, बुडेरा-123505 गुड़गांव	निजी	100	2002-03
11.	हरियाणा	सुधा रूस्तगी कालेज आफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, खेड़ी मोड़, भोपानी, फरीदाबाद	निजी	100	2003-04
12.	हरियाणा	स्वामी देवी दयाल हास्पीटल एंड डेंटल कालेज, गोलपुरा तहसील, बड़वाला, पंचकुला	निजी	100	2004-05
13.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, पोंटा साहिब, सिरमौर	निजी	100	2003-04
14.	कर्नाटक	ए जे इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, एन एच 17, कुन्टीकाना, मंगलौर-575004	निजी	100	2002-03
15.	कर्नाटक	वैदेही इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, #82, ईपीआईपी एरिया, व्हाइट फील्ड, बंगलौर-560066	निजी	60	2003-04
16.	केरल	गवर्नमेंट डेंटल कालेज, गांधी नगर, कोट्टायम-686008	सरकारी	40	2002-03

1	2	3	4	5	6
17.	केरल	पीएमएस दंत विज्ञान एवं अनुसंधान कालेज, डाकखाना-वेनकोड वाटपाड़ा तिरूवनंतपुरम-695028 केरल	निजी	40	2002-03
18.	केरल	मारबेसलिमोस दंत कालेज, थानकलम, कोठमंगलम, जिला एरनाकुलम, केरल-686691	निजी	40	2002-03
19.	केरल	दंत विज्ञान कालेज, इडापल्ली, कोच्चि, केरल (अमृता)	निजी	60	2003-04
20.	केरल	अन्नूर दंत कालेज, पेरूमट्टम, पो.आ.-मवाटटुपुझा, एरनाकुलम, केरल	निजी	40	2003-04
21.	केरल	रायल दंत कालेज, आयरन किल्स, चालीस्सेरी, पो. पालकडु, केरल-679536	निजी	60	2003-04
22.	केरल	सेंचुरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साईंस एंड रिसर्च सेंटर, पायोनाची, पो. थेक्किल, बरास्ता चेंगला, कसरागाड-671541	निजी	100	2003-04
23.	केरल	पेरियरम दंत कालेज, पेरियरम, जिला कन्नूर-670520	निजी	60	2004-05
24.	मध्य प्रदेश	प्यूपल कालेज आफ डेंटल साईंसेज एंड रिसर्च सेंटर, करोंड-भानपुर बाईपास रोड, भोपाल	निजी	100	2002-03
25.	मध्य प्रदेश	आरकेडीएफ दंत कालेज एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल	निजी	100	2003-04
26.	मध्य प्रदेश	महाराणा प्रताप दंत चिकित्सा विज्ञान कालेज एवं अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	निजी	100	2003-04
27.	महाराष्ट्र	तात्यासाहब कोरे दंत कालेज एवं अनुसंधान केन्द्र, महात्मागांधी, अस्पताल परिसर, नव पेरागान, कोल्हापुर	निजी	60	2002-03
28.	महाराष्ट्र	अन्ना साहब चूड़ामन पाटिल स्मारक दंत कालेज, पोस्ट बाक्स नं. 145, सकरी रोड, धुले-424001	निजी	100	2002-03
29.	महाराष्ट्र	तेरना दंत कालेज एवं अस्पताल, सेक्टर-22, फेज-II, नेरूल, नवी मुम्बई-400706	निजी	100	2002-03
30.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी मिशन दंत कालेज, सेक्टर-18, कामोठ, नवी मुम्बई-410209	निजी	100	2003-04

1	2	3	4	5	6
31.	राजस्थान	जोधपुर दंत कालेज एवं सामान्य अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान	निजी	100	2003-04
32.	राजस्थान	दंत चिकित्सा विज्ञान कालेज, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र, टाक रोड, जयपुर	निजी	60	2003-04
33.	राजस्थान	राजस्थान दंत कालेज एवं अस्पताल, बगरू खुर्द, जयपुर	निजी	100	2003-04
34.	राजस्थान	सुरेन्द्र दंत कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, श्रीगंगानगर	निजी	100	2003-04
35.	तमिलनाडु	के.एस.आर. दंत विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, ठोकावाड़ी, जिला-नकाकल	निजी	60	2004-05
36.	उत्तर प्रदेश	कांतिदेवी दंत कालेज, दिल्ली मथुरा रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, पोस्ट-छटीकारा, मथुरा-281006	निजी	100	2002-03
37.	उत्तर प्रदेश	दंत विज्ञान संस्थान, बिचपुरी रोड, नवादा जोगियां, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243006	निजी	60	2002-03
38.	उत्तर प्रदेश	चंद्र दंत कालेज एवं अस्पताल, ग्राम-धारसेनिया, सफेदाबाद, बाराबंकी	निजी	40	2003-04
39.	उत्तर प्रदेश	श्री बांके बिहारी दंत कालेज एवं अनुसंधान केन्द्र, मसूरी केनाल, गाजियाबाद	निजी	100	2004-05
40.	उत्तर प्रदेश	सीमा दंत कालेज, वीरपुर, ऋषिकेश, उत्तरांचल-249201	निजी	100	2003-04
41.	प. बंगाल	गुरुनानक दंत विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, पानी हाटी, कोलकाता-700114	निजी	100	2003-04

सोने का उत्पादन

1325. श्री प्रहलाद जोशी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सोने की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या इस समय कोलार गोल्ड फील्डस सहित देश में सोने के उत्पादन कार्य से जुड़ी कंपनियां लाभ कमा रही हैं; और

(ग) सरकार ने विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित स्वर्ण की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है:

वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (000 रुपए में)
2001-2002	2810	1281082
2002-2003	3153	1658736
2003-2004 (अनंतिम)	3363	1815221

(ख) वर्तमान में, कर्नाटक सरकार की एक उपक्रम हट्टी गोल्ड माइन्स कंपनी लि. (एच.जी.एम.एल.) ही देश में एकमात्र कंपनी है जिसे स्वर्ण उत्पादन का कार्य सौंपा गया है। एच.जी.एम.एल. एक लाभ कमाने वाली कंपनी है।

(ग) भारत सरकार ने स्वर्ण के गवेषण के लिए बहुत सारे टोही परमिट जारी किये हैं। एच.जी.एम.एल. ने सूचित किया है कि स्वर्ण उत्पादन को बढ़ाने के लिए कंपनी ने इसकी खानों और मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तार करने, शाफ्टों को गहरा करने, गवेषणात्मक भूतल/भूमिगत डायमंड ड्रिलिंग, नई सेटलाइट खानें खोलना, टोही परमिट/पूर्वेक्षण लाइसेंसों के अंतर्गत नए स्वर्णधारी क्षेत्रों की तलाश करने आदि जैसे कदम उठाये हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनैक्शन

1326. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के नागपुर जोन के अंतर्गत आने वाले भंडारी जिले के कुछ गांवों के लोगों को 2-3 वर्ष पूर्व प्रति व्यक्ति 500 रुपए जमा कराने के बावजूद भी टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें आज की तारीख तक टेलीफोन कनैक्शन प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कनैक्शनों के कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) ये सभी कनैक्शन लम्बी दूरी के कनेक्शन हैं तथा इस समय में भूमिगत केबल के साथ-साथ डब्ल्यूएलएल पर तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

(ग) इन आवेदकों को दिसम्बर, 2005 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय शोध संगठनों का पंजीकरण

1327. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीसीजीआई द्वारा केन्द्रीय शोध संगठनों (सीआरओ) के पंजीकरण के लिए मानदंड क्या है;

(ख) डीसीजीआई के अंतर्गत पंजीकृत केन्द्रीय शोध संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व सलाहकार की अध्यक्षता वाले दिल्ली स्थित केन्द्रीय शोध संगठन का नाम क्या है; और

(घ) पंजीकरण के लिए लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सेन्ट्रल रिसर्च आर्गेनाइजेशन नाम का कोई संगठन नहीं है। तथापि, सीआरओ का तात्पर्य कान्ट्रेक्ट रिसर्च आर्गेनाइजेशन (सीआरओ) से है तथा इस प्रकार का कांट्रेक्ट रिसर्च, औषध के निर्माण, निदान-पूर्व तथा नैदानिक अध्ययनों आदि में संलग्न हो सकता है। सीआरओ के पंजीकरण के लिए औषध और प्रसाधन नियमों के अंतर्गत प्रावधान नहीं है।

प्रधानमंत्री की अनिवासी भारतीयों से भेंट

1328. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:**
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी अमरीका यात्रा के दौरान अनिवासी भारतीयों से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो उस भेंट के दौरान हुई बातचीत का बिन्दुवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी निवेश के लिए और अधिक आकर्षण वातावरण बनाने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) प्रधानमंत्री ने प्रतिष्ठित भारतीय अमरीकी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सी.ई.ओ.) के साथ मुलाकात की।

(ख) प्रधानमंत्री ने भारत में विदेशी निवेश के लिए और आकर्षक परिवेश तैयार करने के उनके सुझावों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने जनता का जनता से संवर्द्धित संपर्क और शोध, उच्च शिक्षा और भारत के बुनियादी संरचनात्मक ढांचे व वित्तीय क्षेत्रों के विकास जैसे क्षेत्रों में और घनिष्ठ संपर्क बनाने का आह्वान किया।

(ग) निवेश आयोग के गठन हेतु कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है।

[हिन्दी]

राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाया जाना

1329. श्री मुनव्वर हसन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-देहरादून-वाया-मेरठ-मुजफ्फर नगर राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.) सं. 58 का दिल्ली-मेरठ खंड पहले से ही चार लेन का है। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में रा.रा. 58 और रा.रा. 72 के मेरठ-मुजफ्फरनगर-हरिद्वार-देहरादून के शेष खंड को बी ओ टी आधार पर प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) कार्य पूरा होने की तिथि अभी बता पाना संभव नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III परियोजना अभी अनुमोदित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीय सम्मेलन

1330. श्री पी.सी. थामस:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में जनवरी, 2005 में अनिवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सम्मेलन में किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अनिवासी भारतीयों को राजसहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उद्देश्य के लिए राजसहायता पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या कोची, केरल में 2006 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) प्रवासी भारतीय दिवस 7-9 जनवरी, 2005 को मुम्बई में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य विदेशों में गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारत और उसके डायस्पोरा के बीच कार्यकलापों को गहन करना है। वर्ष 2005 में प्रवासी भारतीय दिवस का प्रमुख उद्देश्य डायस्पोरा के लिए नए प्रयास, युवा भागीदारी और व्यापार नेटवर्किंग, शिक्षा, ज्ञान आधारित उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, स्वैच्छिक क्षेत्र तथा समाज विकास, पारम्परिक मीडिया एवं मनोरंजन, खाड़ी में अनिवासी भारतीय, वित्त, संस्कृति एवं पर्यटन होगा।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह समारोह भारत सरकार द्वारा भारत के वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ के साथ सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग

1331. श्री अजीत जोगी: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्य को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में कुटीर उद्योग की विकास दर क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार कुटीर उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सहित देश में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमी अधिकतम 25 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहायता और सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण का लाभ उठाकर ग्रामोद्योगों सहित कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। स्वीकार्य मार्जिन मनी सहायता (अनुदान) का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में है:

आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता

क्र.सं.	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहायता
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25%
2.	अनुसूचित जाति/अ.ज.जाति/महिला/पूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 30%
3.	सामान्य	10 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक	2.5 लाख रुपये और शेष परियोजना लागत का 10%
4.	अनुसूचित जाति/अ.ज. जाति/महिला/पूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक	3 लाख रुपये और शेष परियोजना लागत का 10%

(ख) और (ग) आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 1131 ग्रामोद्योग परियोजनाओं की स्थापना की गई है। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2003-04 तक संचयी रूप से मार्जिन मनी सहायता के रूप में 18.26 करोड़ रुपये प्रयुक्त किए गए हैं। वर्ष 2004-05 के लिए आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए 8.57 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

(घ) वर्ष 2003-04 के लिए छत्तीसगढ़ में आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत 697 परियोजनाओं की स्थापना की गई, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 216 परियोजनाओं की सूचना दी गई थी, जिससे 222 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। रोजगार अवसरों के सृजन के संबंध में वर्ष 2002-03 में 7254 व्यक्तियों के लिए जाब्स सृजित किए जाने की तुलना में वर्ष 2003-04 में 19,816 व्यक्तियों के लिए जाब्स सृजित किए गए, जिससे 173 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

जनजातीय क्षेत्रों में मेडीकल कालेजों का खोला जाना

1332. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आदिवासी बहुल जिलों में मेडीकल कालेज खोलने का है, जिससे कि वहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के जनजातीय क्षेत्रों में मेडीकल कालेज खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पास लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार का भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत आदिवासी बहुल जिलों में चिकित्सा महाविद्यालयों को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं

है। तथापि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के आदिवासी बहुल जिलों में एम्स की तरह के संस्थानों की स्थापना और चिकित्सा संबंधी आधारभूत ढांचे की उपलब्धता, मृत्यु एवं रुग्णता की अधिक घटनाओं, अतिविशिष्ट सेवाओं हेतु पर्याप्त सुविधाओं आदि के संबंध में अल्प सेवित क्षेत्रों में मौजूद चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं के उन्नयन का प्रस्ताव किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विदेशी मरीज

1333. श्री मुन्शी राम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशियों के उपचार के लिए किसी पैकेज की घोषणा करने का है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशियों के उपचार के लिए कुछ राज्यों और उनके अस्पतालों का चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। यद्यपि भारत में आने वाले विदेशी मरीजों के विषय में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तथापि, भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार यह अनुमान है कि वर्ष 2003 में लगभग 1.5 लाख विदेशी रोगी भारत आए थे।

भारत को स्वास्थ्य केन्द्र (डेस्टीनेशन) के रूप में उन्नत करने के विचार से एक कार्य बल स्थापित किया गया है।

कार्य बल को उच्च विशेषज्ञता (सुपर स्पेशलिटी) चिकित्सा परिचर्या, चिकित्सा सेवाओं की आऊटसोर्सिंग, उपलब्ध पारम्परिक चिकित्सा विशेषज्ञों समेत विशिष्ट किस्म की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने संबंधी मुद्दे सौंपे गए हैं। मानक सुविधाओं वाले अस्पतालों/संस्थाओं का पता लगाने का कार्य भी कार्यबल को सौंपा गया है।

किशनगढ़-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8

1334. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किशनगढ़-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को छह लेन वाला बनाने का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ख) इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य पर खर्च के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा समय पर निर्माण कार्य पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजमार्ग से सटे बहुत से गांवों के दो भागों में विभाजित हो जाने के कारण ग्रामीणों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ग्रामीणों तथा जन प्रतिनिधियों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने पाटन पंचायत मुख्यालय पर एक पुलिया के निर्माण की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित पुलिया के निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(च) जयपुर और किशनगढ़ के बीच बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के किशनगढ़-जयपुर खंड को छः लेन का बनाने का कार्य 31 दिसंबर, 2004 तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) इस परियोजना पर निर्माण कार्य के लिए निर्धारित व्यय की राशि 614.50 करोड़ रु. है। इस परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि 16.9.2005 है और निर्माण कार्य निर्धारित समय से पहले चल रहा है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के दोनों ओर गांव हैं। तथापि, दोनों तरफ के गांवों के बीच संपर्क सड़क में सुधार करने के लिए मवेशी उपमार्ग, जहां आवश्यक समझा गया, बना दिए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सेवा सड़कों, फ्लाईओवरों, मवेशी उपमार्ग, क्रैश बैरियर, बाड़ व रैलिंग लगाना, यातायात संकेत, सड़क चिन्हांकन जैसे सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

कृषि एवं वन आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण

1335. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि आधारित, वन जड़ी-बूटी एवं औषध आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) इस संबंध में उपलब्ध सुचना के अनुसार विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं। तथापि, कृषि आधारित, वन आधारित, जड़ी-बूटी एवं औषधीय पौध आधारित उद्योगों सहित देश में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) का कार्यान्वयन करती रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी उद्यमी के वी आई सी से मार्जिन मनी सहायता और सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण का लाभ उठाकर अधिकतम 25 लाख रुपये वाली परियोजनाएं स्थापित कर सकता है।

स्वीकार्य मार्जिन मनी सहायता का ब्यौरा नीचे दी गई सारणी में है:-

क्र.सं.	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहायता
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25%
2.	अनुसूचित जाति/अ.ज.जाति/महिला/पूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 30%
3.	सामान्य	10 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक	2.5 लाख रुपये और शेष परियोजना लागत का 10%
4.	अनुसूचित जाति/अ.ज. जाति/महिला/पूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक	3 लाख रुपये और शेष परियोजना लागत का 10%

आर ई जी पी के अंतर्गत देश में स्थापित की गई जड़ी बूटी एवं औषधीय आधारित पौधों सहित कृषि एवं खाद्य संसाधन उद्योगों एवं वन आधारित उद्योगों की संख्या तथा तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में सृजित रोजगार नीचे दी गई सारणी में दिया गया है।

वर्ष	कृषि एवं खाद्य संसाधन उद्योग		जड़ी बूटी एवं औषधीय पौध आधारित उद्योग सहित वन आधारित उद्योग	
	स्थापित की गई परियोजनाओं की संख्या	रोजगार दिए व्यक्तियों की संख्या	स्थापित की गई परियोजनाओं की संख्या	रोजगार दिए गए व्यक्तियों की संख्या
2001-02	5467	71846	1607	23528
2002-03	5330	79578	3666	53320
2003-04	5130	32560	2371	118235

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुराने पुल

1336. श्री पी. राजेन्द्रनः क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुराने पुलों की सुरक्षा के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार केरल में जीर्ण-शीर्ण स्थिति वाले कितने पुल हैं; और

(घ) इन पुराने पुलों के पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी पुलों की स्थिति का सर्वेक्षण कर लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस समय 14278 पुल हैं जिनमें से 2018 पुल जर्जर हाल में है जिनका पुनर्निर्माण लिए जाने की आवश्यकता है।

(ग) सर्वेक्षण के अनुसार, केरल में 23 पुल जर्जर हालत में हैं।

(घ) इन पुराने पुलों का पुनर्निर्माण कार्य उनकी हालत, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है।

ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारीवृन्द पर प्रतिबंध

1337. श्री के.एस. राव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायोग ढाका, चिटगांव तथा राजशाही के कर्मचारीवृन्द पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा तथा कारण क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) बंगलादेश सरकार ने यह अनुदेश जारी किए हैं कि सभी राजनयिक मिशनों के राजनयिक और कार्मिक ढाका से बाहर किसी स्थान की यात्रा करने से कम से कम 10 कार्य दिवस पूर्व बंगलादेश के विदेश मंत्रालय को सूचना देंगे, विशेषतौर पर बंगलादेश के चिट्टागांव प्रभाग में बंदरवन, खगराचारी और रंगामती पर्वतीय जिलों की यात्रा के लिए। मंत्रालय ने यह भी अनुरोध है कि ऐसी यात्राओं के दौरान सरकार के स्वयं के विश्राम गृह, सर्किट हाउस, बंगले इस्तेमाल किए जाने चाहिए। बंगलादेश के विदेश मंत्रालय के अनुसार यह "विशिष्ट यात्रियों के लिए उपयुक्त सुरक्षा" प्रदान करने के लिए किया गया है।

(ग) हमारे अधिकारियों की गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों से सम्बद्ध हमारी चिंता विदेश सचिव द्वारा बंगलादेश के हाई कमिश्नर को बता दी गई है।

पानी का खारापन दूर करने वाले संयंत्रों की स्थापना

1338. डा. एम. जगन्नाथः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने पानी का खारापन दूर करने वाली प्रौद्योगिकियों पर कार्य किया है तथा पानी का खारापन दूर करने वाले बृहत स्तरीय संयंत्र स्थापित करने का अनुभव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो पीने के पानी की समस्या से निपटने हेतु स्थापित किये गए संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह चैन्नई में प्रतिदिन 300 भिलियन लीटर पेयजल उत्पादन करने वाले पानी का खारापन दूर करने वाले संयंत्र की स्थापना में भाग लेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए कलापक्कम, तमिलनाडु में "नाभिकीय विलवणीकरण प्रदर्श परियोजना" (एन डी डी पी) के एक भाग के रूप में 18 (अठारह) लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक "प्रतिलोम परासरण (आर ओ) विलवणीकरण संयंत्र" स्थापित किया है जोकि संतोषजनक रूप से काम कर रहा है। मल्टी-स्टेज फ्लैस (एम एस एफ) प्रौद्योगिकी को काम में लाकर इस परियोजना का 45 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक और संयंत्र मद्रास परमाणु बिजलीघर (एम ए पी एस), कलापाक्कम में स्थापित किया जा रहा है। अब लक्षद्वीप में 6 (छ:) लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए जाने की योजना है।

भाभा परमाणु केन्द्र ने वेध-कूप/खारे जल के स्रोतों से पेय जल उपलब्ध कराने के लिए रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर (राजस्थान) के सहयोग से बाड़मेर जिला (राजस्थान) में "शालीगांव" गांव में (30,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला) और जोधपुर जिले में सतलाना गांव में (30,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला) विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए हैं।

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, यदि आवश्यक हुआ तो चैन्नई में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित विलवणीकरण संयंत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में निजी चिकित्सक

1339. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनांकिकीय रूप से कमजोर 210 जिलों में निजी चिकित्सकों को ऋण देकर या उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाकर जनसंख्या स्थायित्व कार्यक्रम में निजी चिकित्सकों को शामिल करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गर्भनिरोधक उपायों की विविधता की व्यापकता तथा गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार महिलाओं की अधिकारिता को इस प्रयास का एक भाग मानती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या महिलाओं की अधिकारिता तथा वर्धित सामाजिक आर्थिक स्तर से जनन दर (जीवन काल में प्रति महिला बच्चों का जन्म) में कमी आती है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में मामले के तथ्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार, स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक-निजी सहभागिता में वृद्धि करके जनांकिकीय रूप से कमजोर जिलों में व्यापक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विकल्प का पता कर रही है। बैंकों से इन जिलों में इस प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य क्लिनिकों को खोलने/उनका दर्जा बढ़ाने के लिए प्राइवेट डाक्टरों को उदार ऋण प्रदान करने के बारे में विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार का उद्देश्य सामाजिक विपणन और सामाजिक अधिकार द्वारा गर्भ-निरोधकों का विकल्प बढ़ाकर और परिवार नियोजन उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता की उपलब्धता में वृद्धि करके इन जिलों में परिवार नियोजन सेवाओं की अधिकतम अपूरित आवश्यकता को पूरा करना है।

(ङ) और (च) जी, हां। महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वाधिक, प्राथमिकता दी गई है। इस प्रयोजन के लिए महिला एवं बाल विकास, प्राथमिक शिक्षा एवं ग्रामीण विकास विभागों के साथ अंतर्क्षेत्रीय समन्वय की बात उठाई जा रही है।

(छ) और (ज) जी, हां। यह पाया गया है कि महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के स्तर में सुधार होने से कुल प्रजननता दर में कमी आती है। केरल और तमिलनाडु राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता से यह स्पष्ट हो गया है।

पत्तनों को गहरा करना

1340. श्री जुएल ओराम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप पत्तन के चैनल को गहरा करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के पूरे हो जाने पर क्षमता के कितना बढ़ जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1,25,000 कुल भार (डी.डब्ल्यू.टी.) के जलयान संचालित (हैंडल) करने की दृष्टि से पारादीप-पत्तन तक पहुंचने के जलमार्ग, प्रवेश-जलमार्ग और उसकी टर्निंग साइकिल को गहरा किए जाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त परियोजना की अनुमानित लागत 142.25 करोड़ रु. है। गहरा किए जाने के इस कार्य से पत्तन की क्षमता 15 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ जाने की उम्मीद है।

मणिपुर में नशे की लत तथा एचआईवी/एड्स की समस्या

1341. श्रीमती करुणा शुक्ला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मणिपुर में नशे की लत तथा एचआईवी/एड्स की गंभीर समस्या की जानकारी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के इस बारे में कोई सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंडमान द्वीप समूह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अतिरिक्त बिस्तर

1342. श्री मनोरंजन भक्त:
श्री गणेश प्रसाद सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गाराचर्मा-एक, गांव में 10 अतिरिक्त बिस्तर लगाने हेतु अतिरिक्त भवन के निर्माण के बारे में अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा भारत सरकार को कोई ज्ञापन नहीं भेजा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

1343. श्री किरिप चालिहा:
श्री रघुनाथ झा:
श्री रामदास आठवले:
श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में आई बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्गों तथा पुलों को कुल कितनी क्षति हुई;

(ख) इस संबंध में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सड़कों/पुलों की मरम्मत के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली सरकार ने क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत के लिए विशेष केंद्रीय निधि से धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केंद्र सरकार ने चालू वर्ष तथा गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लिए 300.77 करोड़ रु. आबंटित किए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	बाढ़ के कारण हुई क्षति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	36.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.01
3.	असम	153.41
4.	बिहार	86.58
5.	चंडीगढ़	0.00
6.	छत्तीसगढ़	28.14
7.	दिल्ली	0.00
8.	गोवा	9.88
9.	गुजरात	69.36

1	2	3
10.	हरियाणा	8.30
11.	हिमाचल प्रदेश	116.82
12.	जम्मू-कश्मीर	17.35
13.	झारखंड	16.72
14.	कर्नाटक	52.92
15.	केरल	86.38
16.	मध्य प्रदेश	38.48
17.	महाराष्ट्र	123.38
18.	मणिपुर	38.74
19.	मेघालय	26.55
20.	मिजोरम	27.39
21.	नागालैंड	12.44
22.	उड़ीसा	232.66
23.	पांडिचेरी	0.35
24.	पंजाब	2.06
25.	राजस्थान	44.55
26.	सिक्किम	3.68
27.	तमिलनाडु	15.30
28.	त्रिपुरा	5.71
29.	उत्तरांचल	20.55
30.	उत्तर प्रदेश	138.70
31.	पश्चिम बंगाल	91.64
	कुल	1522.24

स्वास्थ्य परियोजनाओं का कार्यान्वयन

1344. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत प्रत्येक तीन वर्षों में प्रत्येक कार्य के दौरान तथा आज की तिथि तक स्वास्थ्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किसी बाह्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य, विशेषकर कर्नाटक को स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक सरकारी ऋण का उपयोग

(धनराशि हजारों में, डोनर करेंसी)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य क्षेत्र	दाता अभिकरण	मुद्रा	करार की तारीख	ऋण राशि	उपयोग की गई धनराशि		
							2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	26.02.2004	59600.00	0.00	24480.97	32256.09
2.	खाद्य एवं औषध क्षमता निर्माण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	29.09.2003	39700.00	0.00	0.00	1708.61
3.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	राजस्थान	आईडीए	एक्सडीआर	03.06.2004	61000.00	0.00	0.00	2735.74
4.	नामची हास्पीटल माडर्नाइजेशन परियोजना	सिक्किम	फ्रांस	यूरो	01.07.1997 .	3654.38	284.73	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	एसजीपीजीआई लखनऊ को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति	उत्तर प्रदेश	फ्रांस	यूरो	25.01.1998	4504.47	309.04	83.55	0.00
6.	नामची हास्पीटल माडर्नाइजेशन परियोजना	सिक्किम	फ्रांस	एफआरएफ	01.07.1997	22103.51	0.00	0.00	0.00
7.	एसजीपीजीआई लखनऊ को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति	उत्तर प्रदेश	फ्रांस	एफआरएफ	25.01.1998	29521.88	0.00	0.00	0.00
8.	इकोनामिक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	आंध्र प्रदेश	आईबीआरडी	यूएसडी	24.02.1999	301300.00	6041.38	59597.97	20089.33
9.	रायचूर जिला अस्पताल प्रोजेक्ट	कर्नाटक	ओपेक	यूएसडी	06.06.1991	7004.22	0.00	0.00	0.00
10.	रीवा अस्पताल प्रोजेक्ट	मध्य प्रदेश	ओपेक	यूएसडी	08.02.1989	10000.00	0.00	0.00	0.00
11.	बस्ती जिला हास्पिटल प्रोजेक्ट	उत्तर प्रदेश	ओपेक	यूएसडी	04.05.1990	5900.00	0.00	0.00	0.00
12.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	22.12.1994	90700.00	5917.90	0.00	0.00
13.	सातवी जनसंख्या परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	23.10.1990	49500.00	0.00	-169.35	0.00
14.	प.क. (शहरी)	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	04.02.1994	55262.15	8414.60	0.00	0.00
15.	द्वितीय एकीकृत विकास परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	23.03.1993	141600.00	11934.86	0.00	0.00
16.	राष्ट्रीय कुष्ठ समापन परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	04.02.1994	53593.36	0.00	0.00	0.00
17.	मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	19.04.1994	68762.02	11916.38	-1937.60	0.00
18.	प.क. परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	24.06.1994	61608.04	8080.53	0.00	0.00
19.	क्षय रोग नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	14.03.1997	89224.00	11138.66	12768.13	7619.25
20.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	30.07.1997	86109.80	8023.21	9772.09	4445.50
21.	द्वितीय राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	14.09.1999	140820.00	20537.84	23415.47	4620.13
22.	रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	19.05.2000	106500.00	24616.12	33783.88	1531.26
23.	द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ समापन परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	19.07.2001	23300.00	10843.96	6682.48	1779.10
24.	प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	26.03.2003	10000.00	0.00	6314.69	1421.57
25.	प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	30.07.1997	179500.00	15638.07	16189.96	18923.96
26.	महिला और बाल विकास	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	06.07.1999	222500.00	45933.98	-5865.80	29281.70
27.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	बहु-राज्य	आईडीए	एक्सडीआर	23.10.1990	57000.00	0.00	-339.74	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	बहु-राज्य	आईडीए	एक्सडीआर	18.04.1996	228943.81	38837.80	19474.32	13749.34
29.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	उत्तर प्रदेश	आईडीए	एक्सडीआर	19.05.2000	82100.00	6435.98	12488.63	2351.22
30.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	उड़ीसा	आईडीए	एक्सडीआर	13.08.1998	56800.00	5217.07	4486.90	4443.10
31.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	महाराष्ट्र	आईडीए	एक्सडीआर	14.01.1999	85700.00	12984.93	19906.84	10259.43

2002-2003 से 2004-2005 तक सरकारी अनुदानों का उपयोग

(धनराशि हजारों में: डोनर करेंसी)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/क्षेत्र	दाता अभिकरण	मुद्रा	करार की तारीख	अनुदान राशि	उपयोग की गई राशि		
							2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कर्नाटक संकेंडरी लेवल आस्पिटल डंवलपमेंट प्रोजेक्ट-फेस-I	कर्नाटक	जर्मनी	डीईएम	16.01.1997	12676.24	0.00	0.00	0.00
2.	पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम-फेस-IV	सेंट्रल सेक्टर	जर्मनी	ईयूआर	03.11.2003	7869.38	0.00	386.50	6847.24
3.	कर्नाटक सेकेंडरी लेवल आस्पिटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट-फेस-II	कर्नाटक	जर्मनी	ईयूआर	16.01.1997	13804.88	2232.74	1824.35	771.13
4.	पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम	सेंट्रल सेक्टर	यूके	जीबीपी	02.01.2002	98000.00	19590.37	23511.29	0.00
5.	डबल पंक्चर लेपरोस्कोप	कर्नाटक	जापान	जेपीवाई	27.01.2004	13349.49	0.00	0.00	63224.21
6.	चिकित्सा उपकरण परामर्श	महाराष्ट्र	जापान	जेपीवाई	27.09.2003	759000.00	0.00	0.00	406415.39
7.	ग्लोबल फंड एसिस्टेड एचआईवी एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट	सेंट्रस सेक्टर	ग्लोबल फंड	यूएसडी	09.02.2004	26116.00	0.00	0.00	2859.00
8.	ग्बोल फंड सहायता प्राप्त एचआईवी एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट	सेंट्रल सेक्टर	ग्लोबल फंड	यूएसडी	09.02.2004	7080.00	0.00	0.00	251.00
9.	अम्ब्रेला प्रोजेक्ट	सेंट्रल सेक्टर	यूएनएफपीए	यूएसडी	01.04.1997	1.08	1.10	0.00	0.00
10.	कर्नाटक इंटीग्रेटेड हेल्थ न्यूट्रेशन एण्ड फेमिली वेलफेयर प्रोजेक्ट	कर्नाटक	आईडीए	यूएसडी	03.01.2002	680.00	68.00	27.97	261.45
11.	बेसिक हेल्थ प्रोग्राम	महाराष्ट्र	जर्मनी	डीईएम	23.07.1996	3284.29	0.00	0.00	0.00
12.	बेसिक हेल्थ प्रोग्राम	पश्चिम बंगाल	जर्मनी	डीईएम	22.06.1999	1996.03	0.00	0.00	0.00
13.	आर डब्ल्यू एस	पश्चिम बंगाल	जर्मनी	डीईएम	05.07.1996	39009.31	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चरण-II	सेंट्रल सेक्टर	डेनमार्क	डीकेके	17.09.1991	70000.00	4331.84	0.00	0.00
15.	संशोधित राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चरण-I	उड़ीसा	डेनमार्क	डीकेके	02.12.1996	54800.00	2475.37	911.46	1586.58
16.	स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना चरण-III	तमिलनाडु	डेनमार्क	डीकेके	24.12.1996	102500.00	16372.08	14840.91	0.00
17.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चरण-III	सेंट्रल सेक्टर	डेनमार्क	डीकेके	07.11.1997	55000.00	8700.54	10021.55	2534.85
18.	कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चरण-III	सेंट्रल सेक्टर	डेनमार्क	डीकेके	16.11.1998	76400.00	0.00	6586.06	0.00
19.	बेसिक हेल्थ सर्विसेज	मध्य प्रदेश	डेनमार्क	डीकेके	15.11.1999	58400.00	8262.78	6746.82	0.00
20.	बेसिक हेल्थ सर्विसेज	छत्तीसगढ़	डेनमार्क	डीकेके	15.11.1999	21000.00	3875.97	1414.43	3289.61
21.	संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम-फेस-II	उड़ीसा	डेनमार्क	डीकेके	12.12.2003	21180.00	0.00	3921.57	0.00
22.	स्वास्थ्य और प.क. क्षेत्र विकास परियोजना	सेंट्रल सेक्टर	ईईसी	ईयूआर	02.09.1997	240000.00	31540.00	18460.00	45000.00
23.	पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम-II	सेंट्रल सेक्टर	जर्मनी	ईयूआर	29.10.2001	10225.84	8525.93	1073.09	0.00
24.	गुजरात स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना	गुजरात	नीदरलैंड (ओ.आर.ई.टी.)	ईयूआर	27.11.1997	18072.27	2093.27	0.00	0.00
25.	बेसिक हेल्थ	महाराष्ट्र	जर्मनी	ईयूआर	23.07.1996	10225.84	1194.96	977.97	539.02
26.	आर डब्ल्यू एस	पश्चिम बंगाल	जर्मनी	ईयूआर	05.07.1996	25564.59	4078.28	1334.53	0.00
27.	यौन स्वास्थ्य के लिए सहभागिता	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा	यूके	जीबीपी	05.10.1999	28100.00	2639.86	2689.13	1334.89
28.	पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम	सेंट्रल सेक्टर	यूके	जीबीपी	03.02.2000	35251.00	0.00	0.00	0.00
29.	स्वास्थ्य और प.क. विभाग को अन्तरिम सहायता	उड़ीसा	यूके	जीबीपी	29.11.2002	1189.00	0.00	196.98	46.45
30.	स्वास्थ्य और प.क. परियोजना चरण-III	उड़ीसा	यूके	जीबीपी	21.08.1997	1748.00	726.34	0.00	0.00
31.	गुजरात स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना	गुजरात	नीदरलैंड (ओआरईटी)	एनएलजी	27.11.1997	79852.07	0.00	0.00	0.00
32.	एड्स रोकथाम और नियंत्रण परियोजना	सेंट्रल सेक्टर	यूएसए	यूएसडी	30.09.1992	15463.00	1340.35	2914.40	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	प.नि. सेवाओं में अभिनव कार्यकलाप	सेंट्रल सेक्टर	यूएसए	यूएसडी	30.09.1992	119464.08	5783.00	16456.00	4085.00
34.	एचआईवी/एड्स परियोजना अनुक्रिया परियोजना को सहायता	सेंट्रल सेक्टर	यूएनडीपी	यूएसडी	22.03.2001	1500.00	208.46	219.30	0.00
35.	राजस्थान में एकीकृत जनसंख्या विकास	राजस्थान	यूएनएफपीए	यूएसडी	14.07.1997	12062.90	1127.95	1314.62	0.00
36.	गुजरात में एकीकृत जनसंख्या विकास	गुजरात	यूएनएफपीए	यूएसडी	10.09.1998	8107.95	487.61	775.03	0.00
37.	जिला प्र.स्वा. परियोजना, बूंदी		यूएनएफपीए	यूएसडी	09.08.1997	623.56	0.00	0.00	0.00
38.	जिला प्र.स्वा. परियोजना, वर्धा		यूएनएफपीए	यूएसडी	19.08.1997	502.64	0.00	0.00	0.00
39.	जिला प्र.स्वा. परियोजना, मालापुरम		यूएनएफपीए	यूएसडी	09.08.1997	749.57	0.00	0.00	0.00
40.	प्रजनन स्वास्थ्य स्तर में सुधार	सेंट्रल सेक्टर	यूएनएफपीए	यूएसडी	03.08.1998	408.09	21.72	31.05	0.00
41.	केरल में एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना	केरल	यूएनएफपीए	यूएसडी	07.08.1998	4223.90	448.17	291.66	0.00
42.	जिला प्र.स्वा. परियोजना, पटना	बिहार	यूएनएफपीए	यूएसडी	09.08.1997	655.80	0.00	0.00	0.00
43.	एकीकृत जनसंख्या विकास	मध्य प्रदेश	यूएनएफपीए	यूएसडी	16.08.1999	7140.36	607.45	1309.80	0.00
44.	आवर बाडिज-आवर लाइव	सेंट्रल सेक्टर	यूएनएफपीए	यूएसडी	21.05.1999	918.47	55.89	54.75	0.00
45.	उड़ीसा में एकीकृत जनसंख्या विकास	उड़ीसा	यूएनएफपीए	यूएसडी	08.07.1999	5962.00	253.78	391.42	0.00
46.	जनसंख्या प्रजनन स्वास्थ्य समर्थन	सेंट्रल सेक्टर	यूएनएफपीए	यूएसडी	08.11.1998	139.03	48.55	28.43	0.00
47.	सुरक्षित मातृत्व को वास्तविकता बनाना	सेंट्रल सेक्टर	यूएनएफपीए	यूएसडी	01.04.2000	488.51	207.06	49.98	0.00
48.	मातृ स्वास्थ्य में एकीकृत जनसंख्या और विकास	महाराष्ट्र	आईडीए	यूएसडी	04.02.1999	4595.52	1677.66	1770.07	0.00
49.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	बहु-राज्य	आईबीआरडी	यूएसडी	30.01.2003	5651.00	0.00	1000.00	0.00

टीके की प्रभावकारिता को यथावत रखना

1345. **श्री मंजूनाथ कुन्नूर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ब्रिटिश उद्यम ने टीके की प्रभावकारिता को मृगरब्बाक्स/क्रिस्टल में यथावत रखने के लिए नई खोज की घोषणा की है, जैसाकि 20 अक्तूबर, 2004 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) इंडियन एक्सप्रैस में अक्तूबर, 2004 में छपी रिपोर्ट मेसर्स पेनासिया बायोटेक लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति पर आधारित है जो वैक्सीनों का निर्माण करते हैं। मेसर्स पेनासिया द्वारा प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार उन्होंने एक नवीन प्रौद्योगिकी, जो प्राकृतिक तथ्यों की अनुकृति है, जिसमें कुछ अंग वर्षों तक शुष्क रूप में (एनहाइड्रोबायोसिस) क्रियाशील रह सकते हैं, पर आधारित स्टेबल वैक्सीन प्रोडेक्ट तैयार करने के लिए मैसर्स केम्ब्रिज बायोस्टेबिलिटी लिमिटेड, यू.के. के साथ एक करार किया है। इस प्रौद्योगिकी में

कोशिका के अंदर के पानी को शर्करायुक्त घोल से बदला जाता है जो पानी निकालते समय गाढ़ा होकर कांच की तरह ठोस हो जाता है और अंग शुष्क हो जाते हैं। कोशिकाओं को तब तक प्रलंबित जीवन्त स्थिति में रखा जाता है जब तक फिर से पानी की वापसी नहीं हो जाती और अंग, प्राणी और बैक्टीरिया फिर से कार्य करने नहीं लग जाता। यह प्रक्रिया पहली बार वैक्सीनों में उपयोग की जा रही है। पहले वैक्सीन का छिड़काव किया जाता है और माइक्रोस्कोपिक ग्लासयुक्त क्षेत्र बनाने के लिए शक्कर युक्त सिरप का उपयोग किया जाता है। फिर वैक्सीन को अनुमोदित निष्क्रिय तरल में प्रलंबित किया जाता है जिसे मांसपेशी में इंजेक्शन से लगाया जाता है जहां शारीरिक तरल वैक्सीन को पुनःसक्रिय किया जाता है। जहां तक इंडियन एक्सप्रैस में छपे समाचार का संबंध है मनुष्य पर परीक्षण अगले वर्ष किए जाएंगे।

बी.टी.एस. की स्थापना

1346. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री राजेन गोहेन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.टी.एस. की कमी के कारण एक्सेस प्रि-पेड मोबाइल सेवा के लिए अपने आपको पंजीकृत करवाए हुए बहुत से व्यक्ति कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार बिहार में कनेक्शनों की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) इन व्यक्तियों को मोबाइल कनेक्शन कब तक मिल जाने की संभावना है; और

(घ) राज्य में अपेक्षित संख्या में बी.टी.एस. स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार बिहार में एक्सेल (प्री-पेड) मोबाइल कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या 138753 है।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड ने बिहार में सेल्युलर नेटवर्क क्षमता का विस्तार 455000 लाइनों तक करने के लिए क्रय आदेश दिया है जिसके माध्यम से आवश्यक सम्बद्ध स्विचन उपस्कर के साथ-साथ लगभग 500 अतिरिक्त बीटीएस की संस्थापना की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2005 के दौरान इस नेटवर्क क्षमता के उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध होने की संभावना है। तदनुसार, वर्ष 2005 के दौरान प्रतीक्षा-सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को उत्तरोत्तर रूप से मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे।

बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाली महत्वपूर्ण औषधियों का विनिर्माण

1347. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाली महत्वपूर्ण औषधियों के विनिर्माण के लिए स्थापित किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/ किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्राड बैंड सेवा

1348. **श्री पारसनाथ यादव:**
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री देविदास पिंगले:
श्री मुनव्वर हसन:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ब्राडबैंड नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो नीति की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी;

(ग) इससे जीवन स्तर और आर्थिक वृद्धि में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है;

(ङ) क्या विभाग, अंतरिक्ष विभाग के साथ उपग्रह टर्मिनल परिचालकों के लिए मुक्त आकाश नीति के मुद्दे पर भी विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो अंतरिक्ष विभाग उक्त प्रस्ताव से किस सीमा तक सहमत हो गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (घ) सरकार ने **ब्रॉडबैंड** और इंटरनेट पहुंच के विकास की गति में तेजी लाने के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों सहित इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद 14 अक्तूबर, 2004 को ब्रॉडबैंड नीति 2004 की घोषणा की है।

(ख) नीति की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विलरण में दी गई हैं।

(ग) ब्रॉडबैंड सेवा की व्यापक स्तर पर उपलब्धता के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने और ब्रॉडबैंड का एक नए उद्योग के रूप में सृजन होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त ब्राडबैंड सेवाओं के इस्तेमाल करके टेलीमेडिसिन और ई-एजुकेशन जैसे सामाजिक अनुप्रयोगों से जनसंख्या के एक बड़े भाग को उत्तम कोटि की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहायता मिलने की संभावना है।

(ङ) और (च) सरकार का इरादा सुरक्षा की जरूरतों पर विचार करने के बाद वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी-सेट) की सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ट्रांसपोंडर क्षमता उपलब्ध कराने का है। अंतरिक्ष विभाग पहले से ही वी-सेट सेवा प्रदाताओं से इस संबंध में बातचीत कर रहा है। दूरसंचार विभाग संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके शीघ्र ही वी-सेट प्रचालकों के लिए मुक्त आकाश नीति (ओपन स्काई पालिसी) की दिशा में किए जाने वाले उपायों का प्रस्ताव करेगा। इस प्रकार के प्रयास में अंतरिक्ष निभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

विवरण

ब्रॉडबैंड नीति, 2004 की मुख्य विशेषताएं

1. परिभाषा और लक्ष्य

ब्रॉडबैंड को "आलवेज-आन डाटा कनेक्शन" के रूप में परिभाषित किया गया है जो 256 केबीपीएस प्रति उपभोक्ता की न्यूनतम डाउनलोड गति के साथ इन्टरनेट एक्सेस सहित इंटरएक्टिव सेवाओं को बढ़ावा देता है। नई ब्राडबैंड नीति का उद्देश्य दिसम्बर, 2005 की समय सीमा सहित तीन मिलियन ब्राडबैंड उपभोक्ताओं और छः मिलियन इन्टरनेट उपभोक्ताओं के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस नीति के तहत, वर्ष 2010 के अन्त तक, 20 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं और 40 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ताओं को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

2.0 ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प

ब्रॉडबैंड संबंधी नीतिगत ढांचे में विभिन्न अभिगम प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अवसंरचना के सृजन की परिकल्पना की गई है जो विकास में योगदान दे सकती है तथा जिनका इस्तेमाल साथ-साथ किया जा सकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए अवसंरचना का प्रसार बहुत जरूरी है और इसलिए सरकार का प्रयास होगा कि देश में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के मामले में किसी प्रकार का समझौता न किया जाए।

2.1 अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ विभिन्न प्रौद्योगिकियां निम्नानुसार हैं:-

(क) ऑप्टीकल फाइबर प्रौद्योगिकियां:

फाइबर प्रौद्योगिकियों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में वृद्धि होने से फाइबर राल आउट की लागत अन्य तारयुक्त नेटवर्कों की लागत के बराबर पहुंच रही है। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया जाएगा।

(ख) कॉपर लूप का डिजिटल उपभोक्ता लाइनें (डीएसएल):

इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से ब्राडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और साथ ही अन्य अभिगम्यता प्रदाताओं द्वारा अपनी कॉपर लूप अवसंरचना का उत्साहजनक ढंग से इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। यह मानते हुए कि **ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अंतिम छोर का कापर लूप "बाटलनेक सुविधा" नहीं है, अभिगम प्रदाता ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध कॉपर लूप के उपयोग के लिए पारस्परिक सहमति से व्यापारिक व्यवस्थाएं करने के लिए स्वतंत्र होंगे।** लोकल लूप के मालिक उन क्षेत्रों का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होंगे जिनमें ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अवसंरचना का उन्नयन करने हेतु निवेश करना है। किसी सेवा प्रदाता द्वारा जिन क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उन क्षेत्रों की जानकारी सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध रहेगी।

इसके अलावा, इस प्रकार की व्यापारिक व्यवस्थाओं में सेवा की श्रेणी के भाग के रूप में प्रयोग किए जा रहे ब्रांड के नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।

बीएसएनएल और एमटीएनएल प्रबंधन ने 2005 के अंत तक 1.5 मिलियन कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों की निगमित/कार्य योजना बना ली गई है। उसके बाद, बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ परामर्श करके, इनके द्वारा प्रदान की गई ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार के लिए वार्षिक योजना निर्धारित की जाएगी। दूरसंचार विभाग में सरकार द्वारा उनके कार्य निष्पादन का त्रैमासिक पुनर्विलोकन किया जाएगा ताकि उनकी उपलब्धि का मूल्यांकन किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो भावी रोडमैप को पुन: निर्धारित किया जा सके।

यह आशा की जाती है कि अन्य अभिगम सेवा प्रदाता भी अपने कॉपर का प्रयोग करते हुए लक्षित तरीके से ब्रॉडबैंड कनैक्शन प्रदान करेंगे। उनके कार्य निष्पादन का भी रचनात्मक पुनर्विलोकन किया जाएगा।

(ग) केबल टीवी नेटवर्क

ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए केबल टीवी नेटवर्क को सेवा प्रदाता के फ्रैंचाइजी नेटवर्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तथापि, लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की सभी जिम्मेदारियां लाइसेंसधारक की होंगी। लाइसेंसधारक और उसके फ्रैंचाइजी के बीच फ्रैंचाइज करार की शर्तों का निपटारा दोनों संबद्ध पार्टियों के बीच परस्पर बातचीत से होगा।

(घ) सेटेलाइट मीडिया

दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने की अतिरिक्त सुविधा के साथ ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवाओं के प्रसार के वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

दूरसंचार विभाग संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से वी-सैट प्रचालकों के लिए मुक्त आकाश नीति (ओपन स्काई पोलिसी) की दिशा में शीघ्र ही उपायों का प्रस्ताव करेगा। इस तरह के प्रयास में अंतरिक्ष विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

प्रौद्योगिकीय विकास कार्यों को गति देने के लिए वी सैट हेतु थ्रोपुट और एन्टिना के आकार की आवधिक पुनरीक्षा की जाएगी।

उपभोक्ताओं को सीधे ही इन्टरनेट सेवा प्रदान करने के लिए, आई एस पी लाइसेंस वाले वाणिज्यिक वी-सैट सेवा प्रदाताओं को एक ही हब स्टेशन तथा रिमोट स्टेशन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, विविध स्वतंत्र उपभोक्ताओं को इन्टरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक वितरण केन्द्र के रूप में इस रिमोट स्टेशन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। लाइसेंस करार में आवश्यक संशोधन तत्काल किए जाएंगे।

डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा प्रदाताओं को, दूरसंचार विभाग से आई एस पी लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, "रिसीव ओनली इंटरनेट सर्विस" प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, आई एस पी लाइसेंसधारकों को यह अनुमति दी जाएगी कि वे सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद उपभोक्ताओं को डी टी एच के माध्यम से डाटा डाउनलोड करने की अनुमति दे। डी टी एच सेवा प्रदाताओं को यह भी अनुमति दी जाएगी कि वे दूरसंचार विभाग से वी-सैट और आई एस पी लाइसेंस प्राप्त करने के बाद द्विदिशात्मक इन्टरनेट सेवाएं प्रदान करें।

(ङ) स्थलीय बेतार

यह मानते हुए कि स्थलीय बेतार ब्राडबैंड के लिए दूसरा उभरता प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्म है, **गैर-संरक्षण, गैर हस्तक्षेप और गैर-विशिष्ट आधार पर अल्पशक्ति बाह्य उपयोग के लिए 2.40-2.48 गीगाहर्ट्ज बैंड के लाइसेंस रद्द करने का सिद्धान्तत: निर्णय लिया गया है।** इसके लिए, आवश्यक सूचना जारी कर दी जाएगी।

ब्राडबैंड और इन्टरनेट के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अल्प शक्ति वाई-फाई प्रणालियों के आन्तरिक उपयोग हेतु 5.15-5.35 गीगाहर्ट्ज बैण्ड का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बाह्य उपयोग के लिए 5.25-5.35 गीगाहर्ट्ज बैंड के लाइसेंस को अंतरिक्ष विभाग के परामर्श से रद्द कर दिया जाएगा और स्थल रिक्तिकरण की प्रक्रिया के बाद 5.15-5.25 गीगाहर्ट्ज बैंड में लाइसेंस रद्द करने पर विचार किया जाएगा। अधिक उपयोग में न आने वाले ब्राडबैंड सेवाओं के लिए लगाए जा सकने वाले वैकल्पिक स्पेक्ट्रम बैंडों का भी पता लगाया जाएगा और उनकी शिनाख्त की जाएगी।

2.2 सेवा की गुणवत्ता

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया जाएगा कि वे विभिन्न एक्सेस प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए ब्राडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों का यथाशीघ्र निर्धारण करें।

2.3 रेडियो फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए)/बेतार योजना और समन्वय (डब्ल्यू पी सी) क्लीयरेंस का सरलीकरण

वी सैट के प्रचालकों को यह अनुमति होगी कि वे एस ए सी एफ ए/डब्ल्यू पी सी क्लीयरेंस के लिए डब्ल्यू पी सी को सभी संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने के एक माह की अवधि के पश्चात् वहां वी-सैट टर्मिनलों को संस्थापित करना शुरू कर सकते हैं जहां ऐसी संस्थापना की कुल ऊंचाई किसी अधिकृत भवन की छत से ऊपर 5 मीटर से कम हो।

"रिसीव ओनली इंटरनेट" सहित "रिसीव ओनली वीएसएटी टर्मिनल्स और डीटीएच के मामले में, एस ए सी एफ ए/डब्ल्यू पी सी क्लीयरेंस की आवश्यकता होगी, यदि इस प्रकार की संस्थापना की कुल ऊंचाई अधिकृत भवन की छत के ऊपर 5 मीटर से कम है।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि देश में ही विकसित प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए एन एफ ए पी-2002 के आई एन डी 49 में डब्ल्यू एल एल के संदर्भ को समाप्त करना होगा। इससे, बुनियादी सेवा प्रचालकों को छोड़कर, अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके लाइसेंस के अंतर्गत विभिन्न सेवा प्रदान करने के लिए 1880-1900 मेगाहार्ट्ज बैण्ड का प्रयोग करने में सहायता मिलेगी।

जटिल प्रक्रियाएं समाप्त करके, कंप्यूटरीकरण और पूर्व-निर्धारित मानक निश्चित करके, समय-बद्ध फ्रीक्वेंसी आबंटन, सिटिंग क्लीयरेंस और वायरलेस लाइसेंसिंग के लिए अलग से एक पारदर्शी योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

3.0 अन्य मुख्य विशेषताएं

* भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि भारत के लिए उद्भूत और नियत इंटरनेट परियात को भारत के भीतर ही रूट किया जाए। आशा है कि भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज इस प्रकार की सुविधाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

* सरकार ने ब्रॉडबैंड से संबंधित उपस्करों के देशीय विनिर्माण को अत्यधिक प्राथमिकता दी है और संबंधित मंत्रालयों तथा विनिर्माता संघों से घनिष्ठ तालमेल रखते हुए कार्य करने के लिए सतत प्रयास करेगी, ताकि उपस्कर वहनीय कीमत पर उपलब्ध हो।

* दूरसंचार विभाग को इस तथ्य की जानकारी है कि ब्रॉडबैंड सेवा शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को केवल तब पहुंच सकती है जब ये सेवाएं वहनीय एवं आसान शर्तों पर उपलब्ध करायी जाएं। दूरसंचार विभाग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं से परामर्श करके एक पैकेज तैयार करेगा।

[अनुवाद]

गरीबी आंकने की समीक्षा

1349. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तनों के मद्देनजर गरीबी आंकने के पैमाने की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में 1962 से न्यूट्रिशन बासकेट में परिवर्तन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी नहीं, वर्तमान में गरीबी आंकने के पैमाने की समीक्षा करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) योजना आयोग द्वारा गरीबी अनुपात लगाने के लिए न्यूट्रिशन बासकेट में 1968 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की खाद्य व अखाद्य वस्तुओं के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार के रूप में लेता है। खाद्य वस्तुओं में अनाज, चना, अनाज प्रतिस्थानी, दल व दाल उत्पाद, दुग्ध व दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल अंडे, मछली व मांस, सब्जियां, फल (ताजे), फल (सूखा), चीनी, नमक, मसाले, पेय पदार्थ आदि शामिल हैं। अखाद्य वस्तुओं में पान, तम्बाकू, मादक वस्तुएं, ईंधन व रोशनी, कपड़ा, फुटवेयर, शिक्षा, चिकित्सा-संस्थागत, चिकित्सा-गैर-संस्थागत, मनोरंजन, व्यक्तिगत देखभाल व प्रभाग की सामग्रियां, प्रसाधन की सामग्रियां, फुटकर सामग्रियां, विविध उपभोक्ता सामग्री, उपभोक्ता सेवाएं, वाहन, विविध उपभोक्ता सेवाएं, किराया, टैक्स व सैस, विविध उपभोक्ता सामग्री व सेवाएं, टिकाऊ सामग्री शामिल हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में डी.एस.पी. की पदोन्नति

1350. श्री ब्रजेश पाठक: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यरत उप पुलिस अधीक्षकों की पदोन्नति के संबंध में कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में धन का आबंटन

1351. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास हेतु आबंटन कम कर दिया गया था जैसाकि वर्ष 2003-2004 के आरंभ में इस हेतु योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कटौती से सूचना प्रौद्योगिकी में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने में क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विद्यमान कुछ इंजीनियरिंग संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में परिवर्तित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए चयनित संस्थानों के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम क्या हैं;

(च) इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक संस्थान को कितना धन आबंटित किया गया है; और

(छ) इस समय देश में सूचना प्रौद्योगिकी में कितने लोगों ने पी.एच.डी. और एम.टेक किया है और इस संबंध में भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 30.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में से संशोधित अनुमान के स्तर पर 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था क्योंकि प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष कम्प्यूटर विज्ञान में लगभग 25 पीएचडी तथा 300 एम.टेक डिग्रीधारी तैयार होते हैं। इस संबंध में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया है।

मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण

1352. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:**
श्री रघुबीर सिंह कौशल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार को सामान्य अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में मानसिक अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करने और मनोचिकित्सा स्कंध का उन्नयन करने के संबंध में मंजूरी के लिए कोई विस्तृत प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है तथा इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे;

(ग) वित्तीय सहायता के विस्तार, तकनीकी सहायता इत्यादि देने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या परियोजना को अंतिम तौर पर मंजूरी मिल चुकी है;

(ङ) क्या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों, उपचार, जीवनयापन के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाता है;

(च) क्या सरकार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और दसवीं पंचवर्षीय योजना में मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में पता लगाए गए मुख्य क्षेत्र के संबंध में कदम उठा रही है जैसाकि वर्ष 2002-03 की रिपोर्ट में बताया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) आज की तारीख तक देश के मानसिक अस्पतालों में औसतन कितने रोगियों का उपचार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) केरल सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनमें तीन मानसिक अस्पतालों को सुदृढ़ करना और उनका आधुनिकीकरण करना, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत छह जिलों को शामिल करना तथा पांच मेडिकल कालेजों में मनश्चिकित्सीय विंगों का उन्नयन करना शामिल हैं जिनका अनुमानित व्यय 14 करोड़ रुपए है। ये प्रस्ताव मुख्य रूप से जिला स्तर पर सिविल निर्माण, उपकरणों की खरीद और उपचार प्रदान करने से संबंधित है। ये उपाय मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में सुधार लाने हेतु प्रस्तावित हैं। केन्द्र सरकार ने तीन मेडिकल कालेजों को निधियां जारी करने की स्वीकृत प्रदान की है और मेडिकल कालेजों/मानसिक अस्पतालों से संबंधित शेष परियोजनाओं का तकनीकी रूप से आकलन किया जा रहा है। तिरूवनन्तपुरम और त्रिचूर जिलों को पहले ही जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया है और अन्य जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करने पर सरकारी नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ङ) से (ज) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 में मानसिक बीमारियों से पीड़ित रोगियों को लांछन एवं भेदभाव से बचाने तथा कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकारियों को नियुक्त करने की व्यवस्था है। सरकार की कार्यनीति बीमार रोगियों का आरंभिक अवस्था में निदान करना तथा सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से उपचार प्रदान करना है। मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में सुधार लाने के लिए 10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करने, मानसिक अस्पतालों और मेडिकल कालेजों के मनश्चिकित्सीय यूनिटों को उन्नत करने, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों में तेजी लाने और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

मानसिक अस्पतालों में उपचार किए जा रहे रोगियों की औसत संख्या के ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

1353. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
श्री डी. विट्ठल राव:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री सुशील कुमार मोदी:
श्री मधुसूदन रेड्डी:
श्री मणी कुमार सुब्बा:
श्री इलियास आजमी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और नष्ट हुए और जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने सड़क और पुलों के निर्माण के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए कोई धनराशि और समय-सीमा नियत की गई है;

(च) सरकार द्वारा उक्त कार्य को शीघ्र कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार को राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में परिवर्तित करने संबंधी अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) उक्त प्रस्तावों के संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बिहार सहित देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है और सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति, यातायात, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य किए जाते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए वर्ष 2004-05 के लिए धनराशि के आबंटन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है, इसलिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

(च) कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(छ) जी हां।

(ज) फरवरी, 2004 में की गई पिछली घोषणा के बाद प्राप्त हुए प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(झ) मंत्रालय ने फरवरी, 2004 में राष्ट्रीय राजमार्गों की 7457 कि.मी. लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया है। फिलहाल यह बता पाना संभव नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की अगली घोषणा कब की जाएगी।

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि के आबंटन के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	रा.रा. के विकास के लिए आबंटित धनराशि	रा.रा. की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आबंटित धनराशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	96.74	33.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	0.60
3.	असम	71.01	28.99
4.	बिहार	79.51	49.15
5.	चंडीगढ़	2.00	0.56
6.	छत्तीसगढ़	51.25	26.06
7.	दिल्ली	6.00	0.73
8.	गोवा	5.00	2.67
9.	गुजरात	84.35	34.69
10.	हरियाणा	53.00	11.27
11.	हिमाचल प्रदेश	45.00	17.15
12.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.43
13.	झारखंड	35.00	19.78
14.	कर्नाटक	80.60	35.83
15.	केरल	75.69	18.16
16.	मध्य प्रदेश	91.90	62.37
17.	महाराष्ट्र	122.98	46.53
18.	मणिपुर	14.07	8.33
19.	मेघालय	23.43	12.46
20.	मिजोरम	22.00	5.43
21.	नागालैंड	14.00	3.77
22.	उड़ीसा	78.80	40.13
23.	पांडिचेरी	3.00	0.80
24.	पंजाब	46.79	19.39
25.	राजस्थान	92.72	50.98
26.	तमिलनाडु	91.55	34.01
27.	उत्तरांचल	25.43	13.34
28.	उत्तर प्रदेश	152.43	51.74
29.	पश्चिम बंगाल	193.50	22.31
30.	भा.रा.रा.प्रा.*	5058.00	70.00
31.	सीमा सड़क संगठन*	210.00	17.00

*यह धनराशि विभिन्न राज्यों के कार्यों के लिए भा.रा.रा.प्रा. और सीमा सड़क संगठन द्वारा सामूहिक रूप से आबंटित की गई है।

विवरण II

राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में परिवर्तित करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	सड़कों की संख्या	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17	4590.00

1	2	3	4
2.	गुजरात	19	3806.00
3.	कर्नाटक	20	4518.10
4.	केरल	1	164.00
5.	मेघालय	2	442.00
6.	नागालैंड	3	725.00
7.	उड़ीसा	13	1584.87
8.	राजस्थान	17	2715.00
9.	तमिलनाडु	2	152.40
10.	उत्तर प्रदेश	7	943.23*
11.	उत्तरांचल	2	**
12.	पश्चिम बंगाल	2	154.00

*एक सड़क की लंबाई नहीं दर्शायी गई है।

**प्रस्ताव में लंबाई नहीं दर्शायी गई है।

[अनुवाद]

आंशिक वित्तपोषण योजना

1354. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अधिकारियों को आंशिक रूप से वित्त पोषित योजना के अंतर्गत विदेशों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने अधिकारियों को वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) इस पर कुल कितना खर्च हुआ है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2002 में प्रारंभ की गई योजना के अंतर्गत विदेशों में प्रतिष्ठित विश्व विद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन के लिए किसी अधिकारी को 18,000 अमेरिकी डालर तक की एकल वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। यह वित्तीय सहायता अधिकांशत: लोक-नीति/लोक-प्रबंधन/प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन के लिए दी जाती है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में 47 अधिकारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है जिस पर कुल 3.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

[हिन्दी]

अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. जांच

1355. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री बीर सिंह महतो:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले दो वर्षों के दौरान संयुक्त सचिव के समकक्ष अधिकारियों या इससे उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन संयुक्त सचिवों और उच्च अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध जांच करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सरकार से अनुमति मांगी है और यह अनुमति कब मांगी गई थी और उसकी आज्ञा कब दी गई थी; और

(घ) अनुमति दिए जाने में हुए विलंब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) जिन मामलों के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अनुमति मांगी थी और ऐसी अनुमति उसे दी गई थी, उन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जिन मामलों में किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सूचित किया है कि उन मामलों का ब्यौरा जिनके संबंध में मांगी गई अनुमति सभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जानी है, प्रकट करना जांच के हित में नहीं होगा।

(घ) मामले के सभी पहलुओं पर विचार करके ही सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है और इस कार्य में समय लगता है।

विवरण I

वे मामले जिनमें अनुमति मांगी गई थी और प्राप्त हुई

क्र.सं.	मामला संख्या	आरोपी अधिकारी का नाम और पदनाम	आरोप का सार	वर्तमान स्थिति	अनुमति मांगने की तारीख	अनुमति दिए जाने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	पी.ई.2/2004 गुवाहाटी	एम.आर. पसरिजा, निदेशक (वित्त) ओ.आई.एल., नई दिल्ली और अन्य	वर्ष 2001-2002 के दौरान श्री एम.आर. पसरिजा निदेशक, ओ.आई.एल. नई दिल्ली ने 6 गैर-सरकारी दलालों के माध्यम से केन्द्रीय/राज्य सरकारों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विभिन्न प्रतिभूतियों में ओ.आई.एल. के 1,06,56,40,000/- रुपए की निधि का निवेश किया जिसके कारण ओ आई एल को भारी हानि हुई।	जांच की जा रही है	26.4.2004	30.4.2004
2.	पी.ई.3/2004 चण्डीगढ़	विरेन्द्र सिंह भा.प्र.से., इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में कार्यरत है।	वर्ष 2003 के दौरान श्री विरेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. (यू.टी. 1969) ने संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के प्रशासक के तत्कालीन सलाहकार की हैसियत से तथा मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए मै. कुमार ब्रदर्स (केमिस्ट्स) प्रा.लि. एस.सी.ओ. नम्बर 7-8 सैक्टर 11-डी चण्डीगढ़ के पक्ष में पिछली तारीख को, जिसके बाद उन्होंने सलाहकार के पद का कार्यभार सौंप दिया था, एक विवाचन निर्णय पारित किया जिसके कारण सरकारी खजाने की कीमत पर कुमार ब्रदर्स को अनुचित आर्थिक लाभ हुआ।	जांच की जा रही है	17.10.2003	30.1.2004
3.	आर.सी. 3/2004 कोचीन	आर. सुंदरेश शेनाय, निदेशक (विपणन) और अन्य	वर्ष 1996 के दौरान अभियुक्त ने एफ ए सी टी को धोखा देने के लिए एक आपराधिक षडयंत्र रचा और उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में, एफ ए सी टी के उद्योग मंडल प्रभाग से एफ ए सी टी के कोचीन प्रभाग के अम्बलमेदु को एल.ए.जी. (लिक्यूफाइड अमोनिया गैस) के परिवहन का ठेका मै. ए.बी.सी. बम्बई को 1550/- रुपए प्रति मीट्रिक टन की अत्यधिक/बढ़ी दर पर दिया गया था जिसके कारण लगभग 80.50 करोड़ रुपए की हानि हुई थी।	जांच की जा रही है	11.6.2004	26.6.2004
4.	पी.ई.2/2004 कोचीन	आर. सुंदरेश शेनाय, निदेशक (विपणन) और अन्य	फरवरी, 2002 मास के दौरान अभियुक्त अधिकारियों ने फर्टीलाइजर डीलरों के साथ मिलीभगत से फर्टीलाइजर डीलरों को संशोधन	जांच की जा रही है	5.7.2004	19.7.2004

1	2	3	4	5	6	7
			पूर्व दर पर 75,297.164 मीट्रिक टन फैक्टमफोस और 5,253.900 मीट्रिक टन डाई अमोनियम फास्फेट की बिक्री के मामले में भारत सरकार को 324.83 लाख रुपए की हानि पहुंचाई।			
5.	आर.सी.52/03 चेन्नई	श्रीमती कलापगम भास्करन, आयकर आयुक्त एवं सदस्य-1 उपयुक्त प्राधिकरण, आयकर विभाग, चेन्नई तथा अन्य	आपराधिक षडयंत्र के क्रम में आरोपी अधिकारियों ने यह अच्छी प्रकार जानते हुए भी 11 करोड़ रुपए की कीमत की 25710 वर्ग फुट भूमि के हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया कि आयकर विभाग ने पहले ही उपर्युक्त भूमि की 26,01,47,327/- रुपए कीमत का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा था और पहले के सदस्यों ने केवल भूमि का अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया था क्योंकि उस भूमि पर भूगर्भ तल और भूतल तथा 13 मंजिलें पहले से ही बनी हुई थी।	फील्ड जांच पूरी हो गई है।	30.10.03	11.11.2003
6.	आर.सी.10 (क) /2004/चेन्नई	1. सुश्री कलापगम भास्करन, आयकर आयुक्त एवं सदस्य-1 उपयुक्त प्राधिकरण, आयकर 2. श्री देव वर्मन, आयुक्त एवं भूतपूर्व सदस्य-2 उपयुक्त प्राधिकरण, चेन्नई तथा वर्तमान आयुक्त × (प्रशासन) आयकर 3. श्री एस.के. धवन, भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर और सदस्य -3 उपयुक्त प्राधिकरण, चेन्नई 4. श्री कनगराज मुदलियार 2/131, पुगलेन्दी सलई, मोगापेर (पूर्व) चेन्नई-50 5. श्री टी.एन.आर. गोपाल, 7/4 रामचन्द्र अय्यर स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई-17	संदिग्ध अधिकारियों ने श्री कनगराज मुदलियर और श्री टी.एन.आर. गोपाल के साथ मिलकर मई, 2002 से दिसम्बर 2002 तक की अवधि के दौरान चेन्नई तथा अन्य स्थानों पर आयकर विभाग को धोखा देकर तथा अचल सम्पत्ति की खरीद के मामले में आपराधिक कदाचार और अवैध कृत्य जैसे अवैध कृत्य कर आपराधिक षडयंत्र किया।	फील्ड जांच की जा रही है	23.01.2004	16.02.2004
7.	आर.सी.21 (क) /2004/चेन्नई	1. श्री दामोदर सारंगी, आयकर आयुक्त ×(क) आयकर विभाग चेन्नई 2. श्री ए. कृष्णमूर्ति चार्टर्ड एकाउन्टेंट, टी. नगर, चेन्नई	श्री दामोदर सारंगी ने आदतन श्री ए. कृष्णमूर्ति जिनके साथ उनका सरकारी वास्ता पड़ता था, से कई किस्म के आर्थिक लाभ लेकर आपराधिक कदाचार किया।	जांच की जा रही है	26.3.2004	12.4.2004

1	2	3	4	5	6	7
8.	आर.सी.22 (क)/2004 चेन्नई	1. श्री डी. दास गुप्ता, आयकर आयुक्त (अपील-III) आयकर विभाग, चेन्नई 2. श्री ए. कृष्णमूर्ति, चार्टर्ड एकाउन्टेंट टी, नगर, चेन्नई	श्री डी. दासगुप्ता ने 2001 से 2003 तक की अवधि के दौरान आदतन श्री ए. कृष्णमूर्ति जिनके साथ उनका सरकारी वास्ता पड़ता था, से कई किस्म के आर्थिक लाभ लेकर आपराधिक कदाचार किया।	जांच की जा रही है	26.3.2004	12.4.2004
9.	आर.सी.23 (क)/2004 चेन्नई	1. श्री सुशील कुमार, आयकर आयुक्त (अपील-IV) आयकर कार्यालय, चेन्नई 2. श्री ए. कृष्णमूर्ति, चार्टेड एकाउन्टेंट, टी. नगर, चेन्नई	आरोपी अधिकारी ने 2001 से 2003 की अवधि के दौरान आदतन श्री ए. कृष्णमूर्ति, जिनके साथ उनका सरकारी वास्ता पड़ता था, से कई किस्म के आर्थिक लाभ लेकर आपराधिक कदाचार किया।	जांच की जा रही है	26.3.2004	12.4.2004
10.	आर.सी.24 (क)/2004 चेन्नई	1. श्री टी. गोरखनाथन, आयकर आयुक्त (अपील) केन्द्रीय रेन्ज-II और आयकर आयुक्त (क) II आयकर कार्यालय, चेन्नई 2. श्री ए. कृष्णमूर्ति, चार्टर्ड एकाउन्टेंट टी. नगर, चेन्नई	श्री टी. गोरखनाथन ने मार्च, 2001 से अप्रैल, 2003 तक की अवधि के दौरान, आदतन श्री ए कृष्णमूर्ति जिनके साथ उनका सरकारी वास्ता पड़ता था, से कई किस्म के आर्थिक लाभ लेकर आपराधिक कदाचार किया।	जांच की जा रही है	26.3.2004	12.4.2004
11.	आर.सी.25 (क)/2004 चेन्नई	1. श्री जी.एस. कुरूप, आयकर आयुक्त (क) केन्द्रीय रेन्ज-1. चेन्नई 2. श्री ए. कृष्णमूर्ति, चार्टर्ड एकाउन्टेंट टी. नगर, चेन्नई	श्री जी.एस. कुरुप ने 2002 के दौरान आदतन श्री ए. कृष्णमूर्ति जिनके साथ उनका सरकारी वास्ता पड़ता था, से कई किस्म के आर्थिक लाभ लेकर आपराधिक कदाचार किया	जांच की जा रही है	26.3.2004	12.4.2004
12.	आर.सी.26 (क)/2004 चेन्नई	1. श्री एस. चेलप्पन, आयकर आयुक्त (क) III, आयकर कार्यालय, चेन्नई वर्तमान में आयकर आयुक्त तिरूपति 2. श्री ए. कृष्णमूर्ति, चार्टर्ड एकाउन्टेंट टी. नगर, चेन्नई	श्री एस. चेलप्पन ने 2001 से 2003 तक की अवधि के दौरान, आदतन श्री ए. कृष्णमूर्ति जिनके साथ उनका सरकारी वास्ता पड़ता था, से कई किस्म के आर्थिक लाभ लेकर आपराधिक कदाचार किया	जांच की जा रही है	26.3.2004	12.4.2004
13.	आर.सी.27(ए) 2004 चेन्नई	श्री पॉल जार्ज, आयकर आयुक्त (ए) V, आयकर चेन्नई, इस समय आयकर आयुक्त, बेलगाम 2. श्री ए. कृष्णमूर्ति चार्टर्ड एकाउन्टेंट, टी. नगर चेन्नई (गैर-सरकारी व्यक्ति)	श्री पॉल जार्ज ने अगस्त 2001 से फरवरी, 2003 के दौरान आपराधिक कदाचार किया क्योंकि उन्होंने श्री ए. कृष्णमूर्ति, जिनके साथ उनका सरकारी काम/लेन-देन चल रहा था, से बहुत से आर्थिक लाभ उठाए।	जांच की जा रही है।	26.3.2004	12.4.2004
14.	आर.सी. 28 (ए) 2004	(1) श्री टी.पी. कृष्णकुमार पूर्व अपर जांच निदेशक, आयकर	श्री टी.पी. कृष्णकुमार ने वर्ष 2002 के दौरान आपराधिक कदाचार किया क्योंकि उन्होंने श्री	जांच की जा रही है।	26.3.2004	12.4.2004

1	2	3	4	5	6	7
	चेन्नई	चेन्नई, इस समय आयकर आयुक्त कोयम्बटूर (2) श्री ए. कृष्णमूर्ति चार्टर्ड एकाउंटेंट, टी. नगर, चेन्नई	ए. कृष्णमूर्ति, जिनके साथ उनका सरकारी काम/लेन-देन चल रहा था, से बहुत से आर्थिक लाभ उठाए।			
15.	आर.सी. 29 (ए) 2004 चेन्नई	(1) श्री जे. सुरेश, आयकर आयुक्त (अपील) IX आयकर, चेन्नई (2) श्री ए. कृष्णमूर्ति चार्टर्ड एकाउंटेंट, टी. नगर, चेन्नई	श्री जे. सुरेश ने अगस्त, 2001 से अगस्त 2004 के दौरान आपराधिक कदाचार किया क्योंकि उन्होंने श्री ए. कृष्णमूर्ति, जिनके साथ उनका सरकारी काम/लेन-देन चल रहा था, से बहुत से आर्थिक लाभ उठाए।	जांच की जा रही है।	26.3.2004	12.4.2004
16.	आर.सी.45 (ए) 2004 चेन्नई	श्री एन.पी. त्रिपाठी, तत्कालीन आयकर आयुक्त (ए) आयकर चेन्नई, आयकर महानिदेशक (छूट) कोलकाता (2) श्री ए. कृष्णमूर्ति चार्टर्ड एकाउंटेंट, टी. नगर, चेन्नई	श्री एन.पी. त्रिपाठी ने वर्ष 2000 से 2002 के दौरान आपराधिक कदाचार किया क्योंकि उन्होंने श्री ए. कृष्णमूर्ति, जिनके साथ उनका सरकारी काम लेन-देन चल रहा था, से बहुत से आर्थिक लाभ उठाए।	जांच की जा रही है।	14.5.2004	2.6.2004
17.	पी.ई. 08/2003 -कोलकाता	श्री मलय सेन गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एम.एस. टी.सी. कोलकाता	यह आरोप लगाया गया है कि श्री मलय सेन गुप्ता ने वर्ष 2002 के दौरान मैटल स्क्रैप ट्रैड कारपोरेशन लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य करते हुए एम.एस.टी.सी. के अन्य अधिकारियों और मैसर्ज रिलायंस सिलिकेन्स (आई) लिमिटेड, मुम्बई के निदेशकों और मैसर्ज आर.एम. एस.पी. (यू.के.) लिमिटेड, गिलफोर्ड यूनाइटेड किंगडम के साथ अनैतिक संबंध बनाए। उपर्युक्त जघन्य शैली के अनुकरण में आरोपी सरकारी सेवक ने मैसर्ज आर.एम.एस.पी. (यू.के.) लि. जो कि मैसर्ज रिलायंस सिलीकोन्स (आई) पी.एल. मुम्बई की सहयोगी कम्पनी है को सभी निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए 6.14 करोड़ रुपए का अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया।	जांचकी जा रही है	3.12.2003	23.12.2003
18.	पी.ई.01/2004 -कोलकाता	श्री एन.के. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लि.	आरोपी अधिकारी ने अन्य व्यक्तियों से सांठ-गांठ करके किसी निजी फर्म को आयातित कलपुर्जे की आपूर्ति करने के लिए अनुचित पक्षपात करते हुए अनियमितताएं बरती और इस तरह प्राधिकरण को अनुचित वित्तीय हानि पहुंचाई।	जांच के बाद मामला बंद कर दिया गया।	9.1.2004	19.1.2004
19.	आर.सी.39/04 कोलकाता	मलय सेन गुप्ता तत्कालीन महाप्रबंधक, इस समय अध्यक्ष	आरोपी ने मैटल स्क्रैप के 9 पोत आयात करने की सिफारिश की जबकि बाजार में मैटल स्क्रैप	मामले की जांच की	15.7.2004	6.8.2004

1	2	3	4	5	6	7
		एवं प्रबंध निदेशक एम.एस. टी.सी. कोलकाता तथा अन्य	की कोई मांग नहीं थी जिसके फलस्वरूप एम.एस. टी.सी. को 28,32,48,000/- धनराशि का अनुचित नुकसान हुआ।	जा रही है		
20.	आर.सी. 31 (ए)/2004 मुम्बई	श्री पी.के. अग्रवाल आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	आरोपी ने शिकायत कर्ता को दण्डित न किए जाने के एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी।	जांच की जा रही है	16.6.2004	26.6.2004
21.	आर.सी. 31 (ए.)/2004 मुम्बई	पी.के. अजवानी, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे-II दादर मुम्बई और अन्य	आरोपी अधिकारी ने स्वयं द्वारा रोकी गई वस्तुओं को जारी करने और उनके निर्यात की अनुमति प्रदान करने के लिए शिकायतकर्त्ता से 1.5 करोड़ की रिश्वत की बकाया धनराशि की मांग की। शिकायत कर्त्ता आरोपी अधिकारी को पहले ही 60 लाख रुपए की धनराशि दे चुका था।	जांच की जा रही है	31.8.2004	2.9.2004
22.	आर.सी. 37 (ए.)/2004 मुम्बई	1. श्री ए.वी. दुगाडे, तत्कालीन उप महाप्रबंधक, मुंबई सिटी (रीजन) (वर्तमान में कार्यकारी निदेशक) बैंक आफ महाराष्ट्र तथा अन्य	आरोपी अधिकारी ने कतिपय निजी फर्मों से सांठ-गांठ कर बैंक आफ महाराष्ट्र को धोखा दिया।	जांच की जा रही है	15.6.2004	23.6.2004
23.	आर.सी. 44 (ए.)/2004 मुम्बई	पी.के. अजवानी, आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे, मुम्बई।	अधिकारी ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति अर्जित की।	जांच की जा रही है	5.10.2004	12.10.2004
24.	पी.ई.1 (ए) /2004 मुम्बई	राधाकृष्णन उप प्रबंध निदेशक, बैंक आफ इंडिया	आरोपित अधिकारी ने निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए एस.बी.आई. के. लिए ए.टी.एम. मशीनें खरीदने में आपराधिक कदाचार किया और इस प्रकार एस.बी.आई. को करोड़ों रुपए का अनुचित नुकसान पहुंचाया	जांच की जा रही है।	26.5.2004	17.6.2004
25.	पी.ई.1 (ई) /2004 ई.ओ.यू. VII	श्री पदमाकर मिश्रा आई आर.एस. 1968 2. बी.एस. सिंह आई.आर.एस. 1983 3. सुरोतो दास आई.आर.एस. 1966	की अब्दुल करीम तेलगी तथा उसके साथियों के पास बेहिसाब धन की जानकारी/सूचना होने के बावजूद अभियुक्तों द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।	जांच की जा रही है।	16.2.2004	26.2.2004
26.	आर.सी. 1 (ए)/2004 एसी-1	श्री युवराज गुप्ता, सीमा शुल्क आयुक्त मुम्बई	अधिकारी ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित की।	जांच की जा रही है।	24.11.03	29.12.2003
27.	पी.ई.1 (ए)/2004 ई ओ	श्री पदमाकर मिश्रा आई आर एस (1968)	आरोपित अधिकारी ने कतिपय कम्पनियों के कर निर्धारण संबंधी मामलों को किसी मध्यस्थ	जांच की जा रही है।	3.3.2004	12.3.2004

1	2	3	4	5	6	7
	डब्ल्यु, मुम्बई		के माध्यम से निपटाया और ऐसा करके अपने पद का दुरूपयोग किया।			
28.	पी.ई. 2(ए) /2004 जी.डब्ल्यू.एच.	श्री एम.आर. पसरीजा, निदेशक, (वित्त) ओ आई एल नई दिल्ली	आरोपित अधिकारी ने 6 निजी दलालों के माध्यम से केन्द्र तथा राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विभिन्न प्रतिभूतियों में ओ आई एल की धनराशि का निवेश किया जिसमें ओ आई एल को भारी हानि हुई।	जांच की जा रही है	26.4.2004	30.4.2004

विवरण II

ऐसे मामले जिनमें मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी

क्र.सं.	मामला संख्या	आरोपी अधिकारी का नाम और पदनाम	आरोप का सार	वर्तमान स्थिति	अनुमति मांगने की तारीख	अनुमति दिए जाने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	आर.सी. 48/2004-कोलकाता	श्री प्रकाश सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया तथा अन्य	आरोप है कि श्री प्रकाश सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक, यू.बी.आई., कोलकाता ने श्री दीपक मदान, निदेशक, अरुण व्यापार उद्योग (प्राईवेट) लिमिटेड, श्री पी. त्यागराजन, सेवानिवृत्त मुख्य आयुक्त, आयकर तथा श्री फ्रांको जोस, महा प्रबंधक, मैसर्स बैंज आटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड तथा अन्यों के साथ आपराधिक षडयंत्र किया तथा उपर्युक्त षडयंत्र के कार्यान्वयन के लिए श्री प्रकाश सिंह ने मैसर्स बैंज आटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड, कोचीन को 42 करोड़ (लगभग) रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की। यह भी आरोप है कि श्री प्रकाश सिंह ने नाजायज रूप से, उपर्युक्त ऋण सुविधा प्रदान करने के बदले में अपने संपर्क स्रोत श्री दीपक मदान तथा श्री पी. त्यागराजन के माध्यम से उपर्युक्त राशि के 2 प्रतिशत की दर से अर्थात् कुल 84 लाख रुपए के अवैध परितोषण की मांग की।	उपर्युक्त मामले की जांच की जा रही है।	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत जाल बिछाने का मामला। अनुमति जरूरी नहीं।	
2.	आर.सी. 24/2003-कोलकाता	श्री राकेश बहादुर, उप महा निदेशक (तत्कालीन) प्रसार भारती, नई दिल्ली	आरोप है कि आरोपित लोक सेवक ने आरोपित गैर-सरकारी व्यक्तियों एवं फर्म के साथ षडयंत्र रचा और 1996-2001 के दौरान दूरदर्शन को नाजायज नुकसान पहुंचाने के गलत इरादे से जन्म भूमि के संबंध में अधिसूचित रेट कार्ड	उपर्युक्त मामले की जांच की जा रही है।	कोई मंजूरी अपेक्षित नहीं थी क्योंकि उपर्युक्त	

1	2	3	4	5	6	7
			तथा निर्धारित परिपत्रों का उल्लंघन करते हुए गैर-सरकारी व्यक्तियों/फर्मों को अवैध रूप से लाभ पहुंचाया तथा इस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग किया।		मामला सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पहले से दर्ज था।	
3.	आर.सी. 18 (ए)/2003/ देहरादून	श्री राकेश मित्तल, आई.पी.एस., ए.डी.जी. (कार्मिक) उत्तरांचल पुलिस, देहरादून।	उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम तथा रिकार्डों के साथ छेड़छाड़ करना तथा पद का दुरुपयोग करना।	उपर्युक्त मामले की जांच की जा रही है।	राज्य सरकार द्वारा संदर्भित होने के कारण मंजूरी अपेक्षित नहीं।	
4.	आर.सी. 01(ए)/03 ए.एच.डी./पटना	1. श्री एस.डी. राम, तत्कालीन मुख्य इंजीनियर (ट्रांसमिशन) बीएसईबी, पटना। 2. श्री ब्रह्मदेव प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष, बीएसईबी, पटना।	सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 4009/97 (श्री शिव शंकर शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने 1990-94 की अवधि के दौरान, श्री ब्रह्मदेव प्रसाद, अध्यक्ष, बीएसईबी, पटना सहित, बीएसईबी के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत ढंग से सामान की कथित खरीद और भुगतान की जांच के आदेश दिए।		उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित मामला था अत: अनुमति अपेक्षित नहीं थी।	
5.	आर.सी. 02(ए)/04- ए.एच.डी/पटना	1. एल.के. लाल, तत्कालीन सदस्य (तकनीकी), बीएसईबी, पटना। 2. ब्रह्मदेव प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष, बीएसईबी, पटना।	लोक सेवक के रूप में पदीय हैसियत का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक कदाचार के साथ-साथ धोखा-धड़ी का आपराधिक षड्यंत्र	जांच की जा रही है।	उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित मामला था अत: अनुमति अपेक्षित नहीं थी।	
6.	पीई.1/एस/2004- मुम्बई	श्री एच.एल. जुत्शी, तत्कालीन निदेशक (विपणन) सेवानिवृत्त अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एचपीसीएल, बम्बई।	श्री एच.एल. जुत्शी, तत्कालीन निदेशक (विपणन), एचपीसीएल, मुम्बई तथा एचपीसीएल के अन्य अधिकारियों ने एचपीसीएल के स्वामित्व वाले खुदरा बिक्री केन्द्र, मैसर्स इंडिया आटो गराज, बम्बई में हिस्सेदारों के साथ षड्यंत्र करते हुए	जांच चल रही है।	चूंकि अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया अत: अनुमति अपेक्षित नहीं थी।	

1	2	3	4	5	6	7
			पुनर्गठन के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अंधाधुंध उल्लंघन किया तथा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग किया जिससे खुदरा बिक्री केन्द्र की हिस्सेदारी में शामिल किए गए नए हिस्सेदार श्री मनीष शेवाकरमणी को गलत ढंग से लाभ पहुंचाया।			
7.	आर.सी. 8(एस)/03-एस.सी.आर.-III	श्री मनदीप सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, पंजाब।	यह कथित आरोप है कि वे, वर्ष 1996-2001 के दौरान, पंजाब राज्य में 909 पंचायत सचिवों की भर्ती से संबंधित घोटाले में लिप्त थे।	जांच चल रही है।	उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित मामला था अत: अनुमति अपेक्षित नहीं थी।	
8.	आर.सी.5(ए)/03-मुम्बई।	श्री आर.पी. सक्सेना, मुख्य इंजीनियर, मध्य रेलवे, सीएसटी, मुम्बई और अन्य।	अधिकारी ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां प्राप्त कीं।	जांच की जा रही है।	अनुमति लागू नहीं। क्योंकि मामला, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन से पूर्व दर्ज था।	
9.	आर.सी.6(ए)/03-मुम्बई।	कैप्टन डी.एस. माथुर, एयर इंडिया मुम्बई के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, मुम्बई।	एयर इंडिया को धोखा देने के उद्देश्य से आपराधिक षडयंत्र जिससे एयर इंडिया को गलत ढंग से लगभग 106 करोड़ रुपए की हानि हुई तथा मैसर्स करिक्वेट इंक. को गलत ढंग से तद्नुरूपी लाभ हुआ।	जांच पूरी हो गई है।	अनुमति लागू नहीं। क्योंकि मामला, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन से पूर्व दर्ज था।	
10.	आर.सी.1(ई)/03-ईओयू-VII	एम. अहमद, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सेवानिवृत्त), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.।	अभियुक्त ने आपराधिक षडयंत्र तथा पदीय हैसियत का दुरूपयोग करके राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. की कच्चा माल सहायता योजना के अंतर्गत मैसर्स मरगन टेक्ट्रानिक्स और उसकी सहयोगी कनसर्नों को बार-बार साख सीमा/सहायता संस्वीकृत करके 431.78 लाख रुपए का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया।	जांच की जा रही है।	अनुमति अपेक्षित नहीं, क्योंकि अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया था।	
11.	आर.सी.2(ई)/03-ईओयू-VII	एम. अहमद, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सेवानिवृत्त), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.।	अभियुक्त ने आपराधिक षडयंत्र तथा पदीय हैसियत का दुरूपयोग करके राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. की कच्चा माल सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के उल्लंघन के बार-बार साख सीमाएं संस्वीकृत करके मैसर्स ईसीसीएल को लगभग 9.10 करोड़ रुपए का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया।	जांच की जा रही है।	चूंकि अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया था अत: अनुमति अपेक्षित नहीं है।	

1	2	3	4	5	6	7
12.	आर.सी.2(ई)/03-ईओयू-VII	एम. अहमद, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सेवानिवृत्त), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.।	अभियुक्त, अन्य अभियुक्त के साथ आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हुआ तथा इसके जरिए उक्त यूनिट को, विपणन प्रभाग, नई दिल्ली से समेकित विपणन योजना के अंतर्गत बार-बार साख सीमाएं संस्वीकृत करके अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया।	जांच पूरी कर ली गई है।	चूंकि अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया था अतः अनुमति अपेक्षित नहीं है।	
13.	आर.सी.4(ई)/03-ईओयू-VII	श्री वीरेन्द्र सिंह, भारतीय राजस्व सेवाः 83, तत्कालीन उप निदेशक, दिल्ली क्षेत्र, इस समय सीआईटी (अपील), गोवा के रूप में तैनात।	अभियुक्त ने अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करके कुछ निजी कंपनियों को अनुचित रूप से अनुग्रहीत किया तथा इस तरह विभागीय मार्गदर्शी सिद्धांतों/अनुदेशों का उल्लंघन किया।	जांच की जा रही है।	मामला, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के पहले से दर्ज था।	
14.	आर.सी.1(ए) 03-ए.सी.-I	श्री सुभाष शर्मा, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	अनुचित रूप से पक्ष लेकर आपराधिक षड्यंत्र तथा पदीय हैसियत का दुरूपयोग किया।	जांच की जा रही है।	मामला, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के पहले से दर्ज था।	
15.	आर.सी.(2)ए/03-ए.सी.-III	श्री सुभाष शर्मा, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	अनुचित रूप से पक्ष लेकर आपराधिक षड्यंत्र तथा पदीय हैसियत का दुरूपयोग किया	जांच की जा रही है।	मामला, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के पहले से दर्ज था।	
16.	आर.सी. 3(ओ)/03-ए.सी.-II	श्रीमती पी.एम. सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्व अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।	अनुचित रूप से पक्ष लेकर आपराधिक षड्यंत्र तथा पदीय हैसियत का दुरूपयोग किया।	जांच की जा रही है।	मामला, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के पहले से दर्ज था।	
17.	पी.ई.1 (ए)/03-जयपुर	जसपाल सिंह कालरा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सांभर साल्ट/हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड, जयपुर	अभियुक्त ने मानकों की अनदेखी करते हुए क्रशर संयंत्र खरीदा		प्राथमिक जांच, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम से पहले दर्ज की गई।	
18.	पी.ई.1/2004-एस.टी.एफ./मुम्बई	श्री राकेश मारिआ, भारतीय पुलिस सेवा (महाराष्ट्रः 81) वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तैनात (नागरिक अधिकारों की रक्षा)	मुम्बई की आपराधिक दुनिया (अण्डरवर्ल्ड) से संबंध होने का कदाचार	जांच की जा रही है। पर दर्ज।	गृह मंत्रालय से शिकायत के आधार	
19.	पी.ई. 5/03-ए.सी.बी./दिल्ली	श्री सुभाष शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण	कुछ लोगों के पक्ष में, पट्टा शर्तों के उल्लंघन के लिए की जाने वाली कार्यवाही से बचाने के लिए सरकारी पद का दुरूपयोग किया जाना।	जांच के बाद आर.सी. 39/2003 में परिवर्तित	केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अधिनियमन से पहले दर्ज मामला।	
20.	पी.ई. 7/2003 ए.सी.बी./दिल्ली	श्री सुभाष शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण	मैसर्स जेस्वर होटल एण्ड फूड प्रा.लि. के लिए अनुचित लाभ प्रदान किया।	आर.सी. 42/03 में परिवर्तित किया गया	केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अधिनियमन से पहले दर्ज मामला।	

1	2	3	4	5	6	7
21.	पी.ई. 9/2003-ए.सी.बी./दिल्ली	श्री सतीन्दर सिंह, (आई.सी. एण्ड सी.ई.एस.-1979) सचिव, आई.सी.आर.टी.	गारण्टी पत्र देकर सरकारी पद का दुरूपयोग किया।	जांच किए जाने के बाद दिनांक 4.2.2004 को प्रारम्भिक जांच बंद कर दी गई।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियमन के अधिनियम से पहले दर्ज मामला।	
22.	पी.ई. 12/2003/ए.सी.बी./दिल्ली	श्री ए.के. माथुर (भारतीय प्रशासनिक सेवा : 76) उद्योग मंत्रालय में सचिव सह आयुक्त	मोड्यूल के आबंटन में एक गैर सरकारी व्यक्ति को अनुचित लाभ देने के लिए सरकारी पद का दुरूपयोग	पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 2.12.2004 को भेजी गई। श्री ए.के. माथुर के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की गई।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अधिनियमन से पहले दर्ज मामला।	
23.	आर.सी. 25/2003-ए.सी.बी./दिल्ली	श्री सुभाष शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, संघ राज्य क्षेत्र-70, दिल्ली वि.प्रा. के उपाध्यक्ष	मैसर्स ए.पी.वाई. होटलीयर्स और डेवलपरर्स को अनुचित लाभ देने के लिए सरकारी पद का दुरूपयोग किया।	सुनवाई की जा रही है।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अधिनियमन से पहले दर्ज मामला।	
24.	आर.सी. 42(ए)/03 ए.सी.बी./दिल्ली	श्री सुभाष शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, संघ राज्य क्षेत्र-70, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के उपाध्यक्ष	गैर-सरकारी पक्ष को भूमि प्रयोग की शर्तों में और स्थान के अनुमोदित आबंटन संबंधी आपत्तियों की अनदेखी करके सरकारी पद का दुरूपयोग करते हुए अनुचित लाभ दिया।	पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट भेजी जा रही है।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अधिनियमन से पहले दर्ज मामला।	
25.	आर.सी. 3(ए)/-03 ए.सीयू. X	श्री सुभाष शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एगमूट, 1970) तत्कालीन उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण 2. सुमीत मुखर्जी, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय।	आरोपी श्री विनोद खत्री की सहायता के लिए आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त हुआ जो बिमला चौधरी बनाम भारत सरकार नामक मुकदमा संख्या 236/2002 और श्री आजाद सिंह बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्यों के द्वारा दायर मुकदमा संख्या 1493/2002 में एक निहित स्वार्थ वाला पक्षधर था।	अभियोजन के लिए प्रतीक्षित है।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अधिनियमन से पहले दर्ज मामला।	
26.	आर.सी. 18 (ए)/03-ए.सी.बी./लखनऊ	डा. वी.के. गुप्ता, तत्कालीन सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश। 2. के.सी. मिश्रा, तत्कालीन सचिव, पर्यावरण और वन	आपराधिक षड्यंत्र और सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल तथा उसके द्वारा आगरा स्थित ताज हेरिटिड के गलियारे के निर्माण के संबंध में सरकारी राजकोष को 17	जांच की जा रही है।	मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित है अतः अनुमति की आवश्यकता नहीं	

1	2	3	4	5	6	7
		मंत्रालय, भारत सरकार। 3. आर.के. शर्मा, तत्कालीन प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश 1. डी.एस. बग्गा, तत्कालीन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश 2. पी.एल. पुनिआ, तत्कालीन प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	करोड़ रुपए की धन हानि पहुंचाई।		है।	
27.	पी.ई. 1(ए)/03-जी.एन.आर.	श्री एन. लाल, तत्कालीन कार्यकारी, निदेशक, ओ.एन.जी.सी., वडोदरा	अभियुक्त ने मैसर्स एस.एन.एफ. फ्लोरजर, फ्रांस के साथ सांठ-गांठ से मैसर्स एस.एन.एफ. फ्लोरजर द्वारा पोलीमर की 235 टन मात्रा के प्रापण हेतु निविदा के एवार्ड में कदाचार किया और इस तरह 370.72 लाख रुपए का वित्तीय अनुचित व्यवहार किया।	जांच के बाद 28.10.2004 को मामला बंद कर दिया गया।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अधिनियमन से पहले दर्ज मामला।	
28.	पी.ई. 2(ए)/03 जी.एन.आर.	श्री वी. रवीन्द्रनाथ, तत्कालीन ग्रुप महाप्रबंधक (एम.एम.) वर्तमान में कार्यपालक निदेशक, ओ.एन.जी.सी., नई दिल्ली और अन्य	अभियुक्त के द्वारा अपतट ड्रीलिंग के लिए 30 टन, 50 टन और 166 टन रिग की निविदाओं के एवार्ड के मामलों में बहुत अनियमितताएं की गई।	जांच के पश्चात् 8.3.2004 को मामला बंद कर दिया गया।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अधिनियम से पहले दर्ज मामला।	
29.	आर.सी. 12 (ए)/03-गुवाहाटी	श्री पी.के. सिंगसन, तत्कालीन, उप महानिदेशक पूर्वोत्तर, डी.डी.के., गुवाहाटी	अभियुक्त ने विशेष साफ्टवेयर स्कीम के तहत डी.डी.के. इटानगर यूनिट को आबंटित सरकारी निधियों का दुरूपयोग किया।	जांच की जा रही है।	अनुमति की आवश्यकता नहीं है चूंकि मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अधिनियमन से पहले पंजीकृत था।	
30.	पी.ई. 1(ए)/2003-रांची	श्री बी. अकाला, तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक, सी.सी.एल., रांची (अब सेवानिवृत्त)	अभियुक्त ने कोयले की ढुलाई की निविदा के एवार्ड के मामले में एक निजी फर्म का अनुचित लाभ दिया।	कोई कार्रवाई नहीं।	चूंकि अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया है अत: अनुमति अपेक्षित नहीं है।	
31.	पी.ई. 1 (ए)/2004/ रांची	श्री शशी प्रकाश (भारतीय प्रशासनिक सेवा) मुख्य सतर्कता अधिकारी, सी.आई.एल., कोलकाता	अभियुक्त ने श्री एम.एन. झा, तत्कालीन निदेशक, डब्ल्यू.सी.एल., नागपुर की सतर्कता निकासी और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति संबंधी मामले में झूठे तथ्यों को पेश किया।	10.2.2004 को पी.ई. वापस ले ली गई क्योंकि मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही पी.ई. दर्ज की गई थी।		

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आवश्यकता

1356. श्री परसुराम माझी:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विद्युत संयंत्र द्वारा देश में कुल कितनी मात्रा में कोयले की खपत की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन विद्युत संयंत्रों को संयंत्र-वार कितने कोयले का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या इन संयंत्रों में आपूर्ति किए गए कोयले में राख की मात्रा ज्यादा थी;

(घ) क्या विद्युत संयंत्रों द्वारा जितनी मात्रा में कोयले की मांग की गई थी उतनी मात्रा में उन्हें कोयले की आपूर्ति नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विद्युत संयंत्र को आबंटित तथा उसके द्वारा उपभोग किए गए कोयले की कुल मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विद्युत संयंत्रों को कोयले के प्रेषण विद्युत संयंत्रों को कोयले के प्रेषण हेतु निर्धारित वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य से अधिक रहे हैं।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	टीपीएस के नाम	2001-02		2002-03		2003-04	
		लिंकेज	खपत	लिंकेज	खपत	लिंकेज	खपत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बदरपुर	4380	3818	4260	3554	4350	3605
2.	आईपी स्टेशन (डीवीबी)	735	650	675	495	825	639
3.	राजघाट (डीवीबी)	720	542	840	671	780	629
4.	फरीदाबाद	930	731	945	891	1110	740
5.	पानीपत	3870	3289	4740	3749	5220	4473
6.	भटिंडा	2340	2036	2210	1819	2175	1835
7.	लेहरा मोहब्बत	2400	2063	2480	1872	2340	2041
8.	रोपड़	7125	5950	6950	5524	6540	5585
9.	कोटा	4350	3881	4770	4164	5280	4477
10.	सूरतगढ़	3375	2590	5400	4371	6405	4984
11.	अनपरा	8655	8299	8910	8074	8460	8342

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	हरदुआगंज	990	733	855	813	900	785
13.	ओबरा	5150	4669	5775	5566	6000	5372
14.	पनकी विस्ता.	945	804	1070	903	1260	953
15.	परिचा	1020	915	960	847	1140	590
16.	टान्डा (एनटीपीसी)	1860	1948	2505	1990	3150	2331
17.	ऊंचाहार (एनटीपीसी)	5100	4460	4695	4153	5100	4396
18.	रिहन्द एसटीपीएस	4896	4909	4896	4787	4896	4742
19.	सिंगरौली (एसटीपीएस)	9411	9632	9411	10213	9411	9742
20.	एनसीटीपीपी (दादरी)	5115	4288	4875	4005	5100	4136
21.	अहमदाबाद	900	1473	840	1541	1140	1529
22.	गांधीनगर	2325	3081	2900	3554	3060	3216
23.	सिक्का	900	743	975	717	750	674
24.	ऊकाई	3600	3402	4265	3577	3810	3108
25.	वनकबोरी	6175	7170	8040	7250	8145	7261
26.	अमरकंठक	1140	756	1260	1112	1200	1004
27.	बरसिंगपुर	4155	3447	4740	4095	4515	3931
28.	सतपुरा	6975	6205	7365	6550	7350	6647
29.	विंध्याचल एसटीपीएस	6000	9787	7200	10567	10776	9849
30.	कोरबा ईस्ट	2040	2141	1845	1803	2265	1860
31.	कोरबा वेस्ट	5115	3935	5020	4298	4895	4373
32.	कोरबा एसटीपीएस	10500	11158	10500	11472	10890	11769
33.	भुसावल	2355	2364	1920	1800	2775	2269
34.	चन्द्रपुर	12600	12059	12300	10900	13050	11656
35.	कोराडी	4620	4454	4950	4574	5400	4625
36.	खापरखेड़ा	4640	4175	4755	4896	4875	4464
37.	नासिक	3360	3581	3210	3465	4485	3596
38.	पारली	3300	3080	3107	3082	3147	3017

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	पारस	300	281	380	227	345	320
40.	ट्राम्बे	0	456	0	858	0	1459
41.	दाहनु	2340	2065	2430	2171	2550	2324
42.	कोटागुडम	6195	6294	6105	6704	6435	5928
43.	रामागुडम बी	315	316	210	272	285	312
44.	विजयवाड़ा	6750	7170	7020	7227	7740	7161
45.	रामागुडम बी	11325	9963	10600	10452	10050	10167
46.	नेल्लोर	165	172	120	157	150	148
47.	रायलसीमा	2355	2364	2160	2300	2595	2246
48.	सीमहाद्रि	300	0	3870	3428	5850	5231
49.	रायचुर	6285	5702	6625	6613	8880	6982
50.	एन्नोर	2310	1190	1890	1663	2160	1186
51.	मेटूर	4335	4779	4306	4846	5325	4918
52.	तूतीकोरिन	5220	5312	5235	5053	4950	5292
53.	नार्थ चेन्नई	3330	3624	3600	3276	3750	3086
54.	बरौनी	660	350	495	291	525	304
55.	मुजफ्फरपुर	660	344	480	255	465	76
56.	कहलगांव एसटीपीएस	3690	4124	4935	4525	5655	5452
57.	पत्रातू	1920	1221	1590	1201	1965	1023
58.	तेनूघाट	1200	818	1110	949	1620	895
59.	बोकारो (डीवीसी)	1740	1729	1845	2438	1785	2178
60.	चन्द्रपुर (डीवीसी)	930	1392	1065	1069	945	1196
61.	दुर्गापुर (डीवीसी)	1230	828	1395	786	1590	1162
62.	मेजिया (डीवीसी)	2430	1942	1980	2277	2790	2727
63.	बंडेल	1500	1226	1380	1155	1590	993
64.	संतलडीह	990	744	1320	858	1370	822
65.	कोलाघाट	5130	4742	5205	4877	6150	5286

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	बकरेश्वर	2100	1746	2670	2187	3090	2370
67.	कलकत्ता (सीईएससी)	645	535	660	518	585	481
68.	तीतागढ़ (सीईएससी)	1130	976	1080	992	1125	1067
69.	एस.जी.एस.टी. (सीईएससी)	570	485	615	567	585	613
70.	बज बज (सीईएससी)	2285	1944	2010	2008	1710	2111
71.	दुर्गापुर (डीपीएल)	1005	718	1650	973	1680	1526
72.	फरक्का एसटीपीएस	6810	6855	7515	7521	9534	8822
73.	तलचर ओल्ड	2013	2190	2013	1951	2322	2224
74.	तलचर एसटीपीएस	3669	4333	5013	4479	8700	7647
75.	ईबी घाटी	2460	2175	2475	2233	2550	2628
76.	बोंगाई गांव	195	40	45	0	0	0

राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी नीति

1357. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी नीति तैयार करने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कृतक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पैनल को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है;

(ग) क्या डा. स्वामीनाथन समिति ने पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जबकि माशेलकर पैनल ने अभी तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की है;

(घ) क्या प्रस्तावित जैव-प्रौद्योगिकी नीति में इन दोनों पैनलों की रिपोर्टों में से भी कुछ भाग को शामिल किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कृषि जैव-प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर कृषि मंत्रालय द्वारा गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। डा. आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पुनर्योगज फार्मा उत्पादों पर गठित कार्यदल ने मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट मुख्य कार्यदल को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट को कार्यदल द्वारा आगे के विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी नीति का मसौदा जनवरी, 2005 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

टीकों का परीक्षण

1358. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की आबादी के संबंध में आनुवंशिक रचना के टीकों के परीक्षण को प्राधिकृत करने वाले एक समझौते पर 1987 में कुछ अमेरिकी और डी.बी.टी. प्रयोगशालाओं के बीच कोई समझौता किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या थे;

(ग) क्या उक्त समझौते में भारत की आबादी के महामारी तथा प्रतिरक्षण विषयक रूपरेखा को स्थान दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या परिणाम निकले है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) बायोटेक्नोलाजी विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एन आई आई) ने वर्ष 1986-88 के दौरान इंटरनेशनल कमेटी आन कंट्रासेपशन रिसर्च आफ द पापुलेशन काउंसिल, न्यूयार्क, यू एस ए के साथ परस्पर रूप से हितकारी एक सहयोग समझौता किया था। इस सहयोग के भाग के रूप में पापलेशन काउंसिल ने ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रापिन (एच सी जी) की आपूर्ति की एवं इसके उप एककों ने जी एम पी/जी एल पी विधियों द्वारा बीटा-एच सी जी के शुद्धिकरण के लिए इन-हाउस क्षमता प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान की। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की किसी भी प्रयोगशाला ने भारत की आबादी के महामारी विज्ञान तथा प्रतिरक्षण चित्रण पर पहुंच देने के लिए कोई भी समझौता नहीं किया था। राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान में प्रजनकता नियंत्रण टीके के विकास के लिए अनुसंधान कार्य किया जा चुका है।

[हिन्दी]

बचत योजनाओं से अर्जित राजस्व

1359. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार डाक विभाग की लघु अवधि बचत योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितनी है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा डाक विभाग को पर्याप्त कमीशन अदा नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डाक योजनाएं अपर्याप्त कमीशन की वजह से हानि उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हानि उठाने वाली योजनाओं को बन्द करने का है; और

(च) यदि हां, तो गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हुई कुल हानि कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) डाक विभाग सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से कई योजनाओं के जरिये लघु बचतें जुटाता है और इसके एवज में वित्त मंत्रालय की तरफ से इसे कमीशन प्राप्त होता है। बचत योजनाओं के अंतर्गत बचत बैंक, आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत-पत्र, लोक भविष्य निधि, पब्लिक प्राविडेंट फंड आदि जैसी कई योजनाएं हैं। प्राथमिक बचत बैंक जमा राशियां किसी विशेष अवधि के लिए नहीं हैं और जमा राशियां तथा आहरण तब तक चलता रहता है जब तक खाता मौजूदा है। अन्य योजनाओं के संबंध में उनकी मियाद तय होती है। उपरोक्त सभी योजनाओं को लघु आवधिक योजनाएं मानते हुए पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ में)

वर्ष	एकत्र की गई राशि	डाक विभाग द्वारा अर्जित कमीशन
2001-02	81638.17	1466.69
2002-03	105659.68	1596.91
2003-04	135965.90	1726.64

(ख) और (ग) कमीशन की उपयुक्तता के बारे में डाक विभाग वित्त मंत्रालय से लगातार संपर्क में है।

(घ) से (च) जैसा कि उपरोक्त (क) से (ग) के उत्तर से स्पष्ट है कि डाकघर लघु बचत योजनाएं वित्त मंत्रालय की योजनाएं हैं और डाक विभाग को केवल कमीशन प्राप्त होता है। इसलिए घाटे में चल रही योजनाओं का प्रश्न नहीं उठता।

नई स्वास्थ्य नीति

1360. **श्री कैलाश मेघवाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार नई स्वास्थ्य नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई नीति कब तक तैयार कर लेने की संभावना है; और

(घ) नई नीति मौजूदा नीति से किन मामलों में भिन्न होगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, नहीं। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 का मुख्य उद्देश्य आम जनता में अच्छे स्वास्थ्य का स्वीकार्य मानक प्राप्त करना और देश के सामाजिक

एवम् भौगोलिक विस्तार में स्वास्थ्य सेवाओं तक और अधिक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। इस नीति में वित्तीय संसाधन, समानता, राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा, निजी क्षेत्र की भूमिका, स्थानीय स्व-सरकारी संस्थान और गैर-सरकारी संगठन, स्वास्थ्य अनुसंधान, रोग नियंत्रण जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े व्यापक पहलू शामिल हैं।

पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि

1361. **श्री रमाकान्त यादवः** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि संबंधी प्रस्ताव पर कार्यवाही आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान उक्त प्रस्ताव से सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्यर्पण संधि का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) भारत ने पाकिस्तान को सुझाव दिया है कि दोनों देश प्रत्यर्पण संधि कर सकते हैं। तथापि पाकिस्तान ने अब तक इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

[अनुवाद]

एन.एच.डी.पी. की लागत

1362. **श्री रायापति सांबासिवा रावः** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की लागत को बढ़ाकर 65000 करोड़ रुपये कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मूल लागत क्या थी;

(ग) इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) 1995 में स्थापित किए गए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया; और

(ङ) राजमार्ग की कुल कितनी योजनाएं शुरू की जानी थी और इनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का दो चरणों में अनुमोदन किया है। चरण-वार लागत इस प्रकार है:-

(1)	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I	-	30,300 करोड़ रु. (1999 के मूल्य पर)
(2)	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II	-	34,339 करोड़ रु. (2002 के मूल्य पर)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (पत्तन संपर्क तथा अन्य परियोजनाओं सहित) की दिनांक 31.10.2004 के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:-

रा.रा.वि.प. चरण-I और II के अंतर्गत परियोजनाओं के नाम	कुल लंबाई (कि.मी.)	पूरी हो चुकी लंबाई (कि.मी.)	कार्यान्वयनाधीन लंबाई (कि.मी.)	सौंपे जाने हेतु शेष लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5
स्वर्णिम चतुर्भुज (चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता को जोड़ने वाली)	5846	3294	2552	कुछ नहीं
उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम महामार्ग (श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने वाली)	7300	675	388	6237

1	2	3	4	5
पत्तन संपर्क परियोजनाएं (महापत्तनों को रा.रा.वि.परि. से जोड़ने वाली)	356	69	229	58
अन्य परियोजनाएं	777	194	121	462
कुल	14279	4232	3290	6757

पश्चिम बंगाल में सिम कार्डों की कमी

1363. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में बी.एस.एन.एल. सिम कार्डों की बड़ी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस समस्या से निबटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सिम कार्डों की कोई कमी नहीं है। 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में (कोलकाता, टेलीफोन जिले सहित) 4.9 लाख उपभोक्ता भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा प्रदान की गई सेल्यूलर मोबाइल सेवा का लाभ उठा रहे हैं। क्षमता में कमी के कारण आगे सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई है।

(ग) कोलकाता टेलीफोन जिले सहित पश्चिम बंगाल के लिए 13.25 लाख लाइनों द्वारा नेटवर्क का विस्तार करने हेतु क्रय आदेश दे दिया गया है। नेटवर्क का रॉल आउट 2005 के दौरान होने की संभावना है।

(घ) कोलकाता टेलीफोन जिले सहित पश्चिम बंगाल के लिए 5.85 लाख लाइनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जन स्वास्थ्य की स्थिति

1364. **श्री प्रकाशबापू बी. पाटिल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 1008 व्यक्तियों के लिए मात्र एक डाक्टर तथा 1223 व्यक्तियों के लिए मात्र एक बिस्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार के पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की तुलना में चिकित्सकों का दर लगभग 1600:1 है। जनता हेतु मौजूद बिस्तर दर लगभग 1140:1 है। इन आंकड़ों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के चिकित्सक शामिल नहीं हैं और यदि उन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो जनसंख्या हेतु चिकित्सकों एवं बिस्तरों की उपलब्धता दर और बेहतर होगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष लगभग 25,000 एम बी बी एस स्नातक चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होकर देश में चिकित्सकों की संख्या में शामिल होते हैं।

[हिन्दी]

इंटीग्रेटिड डिसीज मानीटरिंग प्रोजेक्ट

1365. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में 'इंटीग्रेटिड डिसीज मानीटरिंग प्रोजेक्ट' क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषरूप से हरियाणा में चिकित्सा सेवा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) एकीकृत रोग निगरानी परियोजना

8 नवम्बर, 2004 को आरम्भ की गई। समस्त राज्य/संघ क्षेत्र एक नीतिबद्ध ढंग से नीचे दर्शाए गए अनुसार परियोजना में कवर किए जाएंगे:-

फेज-I (2004-05):- आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, तमिलनाडु, मिजोरम तथा केरल

फेज-II (2005-06):- छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, प. बंगाल, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दिल्ली

फेज-III (2006-07):- उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान व निकोबार, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप, हरियाणा को फेज V में कवर किया जाएगा।

हरियाणा राज्य में आई डी एस पी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

[अनुवाद]

त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना

1366. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत को थाइलैंड और बर्मा से जोड़ने वाली त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना पर कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या थाइलैंड और बर्मा की सरकारें उक्त परियोजना में योगदान देंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारत, म्यामांर और थाइलैंड के विदेश मंत्री अप्रैल, 2002 में यंगून (म्यामांर) में मिले और अन्य बातों के साथ-साथ एक ऐसे राजमार्ग के निर्माण पर सहमति हुई जो भारत, म्यांमार और थाइलैंड को जोड़ते हुए भारत में मूरे से म्यांमार में बगान से होते हुए थाइलैंड में साट तक जाएगा तथा तकनीकी और वित्तीय कार्य दल गठित करने पर भी सहमति हुई। कार्य दलों की पिछली बैठक दिसंबर, 2003 में नई दिल्ली में हुई थी जिसके बाद तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। परियोजना लागत में भागीदारी सहित विभिन्न तकनीकी और वित्तीय मुद्दों पर इन बैठकों में चर्चा हुई थी। तथापि, इस मामले में कोई और प्रगति नहीं हुई है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचाररोधी प्रकोष्ठ

1367. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचाररोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रकोष्ठ किस तारीख को स्थापित किया गया था;

(ग) इसकी स्थापना से उन प्रख्यात व्यक्तियों के वर्ष-वार/ राज्य-वार नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(घ) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) वर्तमान में इन लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन लंबित मामलों पर अब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) भ्रष्टाचार निरोधी एकक दिनांक 17.08.1997 को गठित किया गया।

(ग) से (च) भ्रष्टाचार निरोधी एकक में अब तक प्राप्त सभी शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004 के दौरान क्रमशः 3003, 1611, 1043, 806, 808, 503, 325 और 138 शिकायतें प्राप्त हुईं और उन्हें देखा गया। भारत सरकार

के कार्यकरण से संबंधित सभी शिकायतें, कार्रवाई किए जाने के लिए, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित की जाती हैं और उनसे इस संबंध में संपर्क बनाए रखा जाता है। ऐसी शिकायतें, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के कार्यकरण से संबंधित होती हैं, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को, आवश्यक जांच पड़ताल किए जाने के लिए पत्रों के माध्यम से भिजवाई जाती हैं।

भ्रष्टाचार निरोधी एकक को अब तक प्राप्त 8237 शिकायतों में से, 3195 शिकायतें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से संबंधित थी और 1948 शिकायतें विभिन्न राज्य सरकारों से संबंधित थीं। शेष शिकायतें सत्यापित न की जा सकने वाली/गुमनाम स्वरूप की थी जिन्हें फाइल कर दिया गया है और अथवा याचिकाएं थी जिन पर गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की गई।

विवरण

भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में राज्य-वार प्राप्त फीड बैक की स्थिति (03.12.2004 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	शिकायतों की संख्या	शिकायतें, जिनकी जांच बंद कर दी गई	कार्रवाई चल रही है	कोई फीड बैक प्राप्त नहीं हुआ
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार	22	10	2	10
आंध्र प्रदेश	53	5	15	33
अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1
असम	27	5	1	21
बिहार	189	1	31	157
छत्तीसगढ़	4	0	0	4
चंडीगढ़	17	6	1	10
दमन और दीव	1	1	0	0
दिल्ली	272	92	55	125
दादर और नगर हवेली	2	2	0	0
गोवा	7	1	2	4
गुजरात	22	4	3	15
हरियाणा	82	15	20	47
हिमाचल प्रदेश	15	0	0	15
झारखण्ड	5	1	0	4
जम्मू-कश्मीर	9	1	1	7
कर्नाटक	24	7	15	2
केरल	9	1	1	7
लक्षद्वीप	1	0	0	1

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	77	5	3	69
मेघालय	2	0	1	1
मिजोरम	4	0	0	4
मणिपुर	8	1	1	6
मध्य प्रदेश	185	14	31	140
उड़ीसा	76	8	41	27
पांडिचेरी	4	1	0	3
पंजाब	127	10	10	107
राजस्थान	118	24	10	84
सिक्किम	4	0	0	4
तमिलनाडु	59	12	21	26
त्रिपुरा	1	1	0	0
उत्तरांचल	2	0	0	2
उत्तर प्रदेश	499	56	96	347
पश्चिम बंगाल	20	2	6	12

[अनुवाद]

खनिज क्षेत्र में निजी निवेश

1368. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के राज्य क्षेत्रीय समुद्र में खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन हेतु विशिष्ट आर्थिक जोन अधिसूचित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार को अब तक क्या प्रतिक्रिया मिली है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरण

1369. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों से अभिघात ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु आपातकालीन वार्डों में उपकरणों की उपलब्धता से संबंधित ब्यौरा मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी अस्पतालों में अनुपलब्ध जीवन रक्षक उपकरणों का ब्यौरा क्या है और इसकी प्राप्ति के तथा इन्हें प्रयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सफदरजंग अस्पताल में एक नर्सिंग होम स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) माननीय उच्च न्यायालय ने श्री विरेन्द्र कुमार रस्तोगी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य के मामले में रिट याचिका सं. 392/2004 की सुनवाई के दौरान दिनांक 8.9.2004 के अपने आदेश में निदेश दिया था कि उनके अधीनस्थ अस्पतालों के आपातकालीन विभागों में जीवन रक्षक उपकरणों, अभिघात पीड़ित रोगियों की सर्जरी करने में उनकी भर्ती और सर्जरी शुरू होने के बीच लगने वाले औसत समय तथा रोगियों की मृत्यु के बाद शव परीक्षण करने, संबंधितों को शव सौंपने के बीच लिए गए औसत समय से संबंधित सूचना प्रदान करते हुए शपथ पत्र दायर किया जाए।

(ग) दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात् - सफदरजंग अस्पताल, डा. आर एम एल अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों में सभी जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं और आपातकालीन वार्डों में चालू हाल में है। इस विभाग का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन करना सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यह कार्य किया जाता है।

(घ) और (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिक बजट योजना में संशोधन

1370. **श्री देविदास पिंगले:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में संशोधन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी इस योजना में निवेश करने के पात्र हैं;

(घ) यदि हां, तो इस योजना को किस तारीख से आरंभ माना जाए;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) भारत के राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय की अधिसूचना जी.एस.आर. 706(अ) दिनांक 27 अक्तूबर, 2004 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में किए गए संशोधनों का ब्यौरा दिया गया है। (राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है)।

(ग) जी हां।

(घ) 27 अक्तूबर, 2004।

(ङ) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर लागू ब्याज दर में परिवर्तन का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 706(अ)-केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-

(क) खंड (घ) में, उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) जिसने इन नियमों के अधीन कोई खाता खोलने की तारीख को 55 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम

की आयु प्राप्त कर ली है और जो अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है, किन्तु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि ऐसे व्यष्टि द्वारा सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त करने की तारीख के एक मास के भीतर खाता खोल दिया जाता है और वह ऐसी सेवानिवृत्ति फायदे (फायदों) के संवितरण की तारीख का साक्ष्य तथा नियोजक से अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्ति के तथ्य, सेवानिवृत्ति फायदों, धारित नियोजन और नियोजक के साथ ऐसे नियोजन की अवधि को उपदर्शित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्ररूप-क में आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न करता है:

परंतु ऐसे व्यक्ति भी जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व किसी समय सेवानिवृत्त हो गए हैं और जिन्होंने इन नियमों के अधीन खाता खोलने की तारीख को 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, स्कीम के अधीन इस अधिसूचना की तारीख के एक मास की अवधि के भीतर, अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, अभिदाय करने के पात्र होंगे:

परन्तु यह और कि रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त कार्मिक (सिविलयन रक्षा कर्मचारियों के अलावा), उपरोक्त आयु सीमाओं के होते हुए भी, अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए उक्त स्कीम के अधीन अभिदाय करने के पात्र होंगे।"

(ख) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(ङ) "जमा कार्यालय" से,-

(i) भारत में ऐसा कोई डाकघर अभिप्रेत है जो बचत बैंक का कार्य कर रहा है और इन नियमों के अधीन खाता खोलने के लिए महानिदेशक डाक द्वारा प्राधिकृत है, या

(ii) किसी बैंककारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी या संस्था का ऐसा कोई कार्यालय या शाखा अभिप्रेत है जो लोक भविष्य निधि स्कीम के अधीन अभिदाय प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ؛ ा प्राधिकृत है।'।

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (1) में निम्नलिखित अंत, में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'परन्तु नियम 2 के उपनियम (ii) के अधीन जमाकर्त्ताओं द्वारा जमा उन्हें प्राप्त सेवानिवृत्ति फायदों या पंद्रह लाख रुपयों तक, इनमें से जो भी कम हो, निर्बंधित होंगे।

स्पष्टीकरण:- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "सेवानिवृत्ति फायदों" से जमाकर्ता को सेवानिवृत्ति मद्दे चाहे ऐसी सेवानिवृत्ति अधिवर्षिता पर हुई हो या अन्यथा, देय कोई संदाय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत भविष्य निधि देय, सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता उपदान, पेंशन का सारांशित मूल्य, छुट्टियों के समतुल्य धनराशि, सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को नियोजक द्वारा संदेह समूह बचत से संबद्ध बीमा स्कीम की बचत अंश, कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति-सह-आहरण फायदे और स्वेच्छा या सेवानिवृत्ति या विशेष स्वेच्छा या सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रहपूर्वक संदाय भी हैं।'।

4. उक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (4) में, "जमा की अधिकतम सीमा" शब्दों के स्थान पर, "अतिशेष की अधिकतम सीमा" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि जहां पति-पत्नी दोनों ने स्कीम के अधीन अलग खाते खोले हैं और पति-पत्नी में से किसी एक की स्कीम के अधीन खाते (खातों) के जारी रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत जमाकर्त्ता/पति या पत्नी के नाम में खोले गए खाते (खातों) को पहले परंतुक के अनुसार जारी नहीं रखा जाएगा और ऐसे खाते बंद कर दिए जाएंगे।'।

6. उक्त नियमों के प्ररूप-क में,-

(i) पैरा 2 के उपपैरा (iv) में, "उपनियम (8)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपनियम (7)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) पैरा 3 के नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी

क्रम सं.	नामनिर्देशिती का (नामनिर्देशतियों के) नाम और जमाकर्त्ता के साथ नातेदारी	स्थाई पता	अव्यस्क की दशा में नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की जन्मतिथि (जन्मतिथियां)/अन्य की दशा में आयु	संदेय रकम में नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) का अंश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के फोटो	नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
(6)	(7)"।

7. उक्त नियमों के प्ररूप-ग में पैरा 1 के नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी

क्रम सं.	नामनिर्देशिती का (नामनिर्देशितियों के) नाम और जमाकर्त्ता के साथ नातेदारी	स्थाई पता	अव्यस्क की दशा में नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की जन्मतिथि (जन्मतिथियां)/अन्य की दशा में आयु	संदेय रकम में नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) का अंश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के फोटो	नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
(6)	(7)"।

8. उक्त नियमों के प्ररूप-(ङ) में, रसीद शीर्षक के अधीन, "जमाकर्त्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान" शब्दों के नीचे, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"जमाकार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर
(नाम और पदनाम की मुहर सहित)"।

9. उक्त नियमों के प्ररूप-(च) में, रसीद पर दावेदार (दावेदारों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं शीर्षक के अधीन, "दावेदार (दावेदारों) के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान" शब्दों के नीचे, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"जमाकार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर
(नाम और पदनाम की मुहर सहित)"।

[फा.सं. 2-8/2004-एनएस-II]
पी.सी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण:- वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490)(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[अनुवाद]

बाई-पास परियोजनाएं

1371. श्री अनन्त नायक: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाले बाई-पासों के निर्माण संबंधी सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय कितने बाई-पास निर्माणाधीन हैं तथा उनके निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) उड़ीसा से गुजरने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए राज्य में निर्मित होने वाले विशिष्ट बाई-पास परियोजनाओं के प्रस्ताव कौन-कौन से हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) केरल में रा.रा. 17 पर कालीकट बाइपास, महाराष्ट्र में रा.रा. 6 पर अकोला बाइपास और पश्चिम बंगाल में रा.रा. 34 पर डलकोला बाइपास वार्षिक योजना 2004-05 के अंतर्गत बना दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में रा.रा. 7 पर रीवा बाइपास बनाने संबंधी एक प्रस्ताव है। यह बाइपास निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बाइपासों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव है जिनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) निर्माणाधीन बाइपासों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा में रा.रा. 215 और 6 पर क्योंझड़ बाइपास, रा.रा. 201 पर नबरंगपुर बाइपास, रा.रा. 217 पर बहरामपुर बाइपास और रा.रा. 6 पर देवगढ़ बाइपास के निर्माण संबंधी प्रस्ताव हैं और ये प्रस्ताव अभी प्राथमिक स्तरों पर हैं।

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बाइपासों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	कस्बा/शहर का नाम जिसके लिए बाइपास बनाया जाना है	रा.रा.सं.
1	2	3	4
1.	असम	नागौन	37 व 36
2.	गुजरात	रानावव	8बी
		उपलेटा	
		राजकोट (विद्यमान बाइपास को दो लेन से चार लेन बनाना)	
3.	जम्मू-कश्मीर	उधमपुर	1ए
		नगरौटा	
		जम्मू	
		पठानकोट	
4.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	3 व 75
		सागर	26
		करेली	
		लखंडन	7
		शिवनी	
		शिवपुरी	25
		करेरा	
5.	महाराष्ट्र	मानसर-काम्पटी	6 व 7
		नागपुर	7
6.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	76 व 79
		पिंडवाड़ा	76
		जसवारीतगढ़	

1	2	3	4
		गोगुंडा	76
		उदयपुर	
		चित्तौड़गढ़	
		बस्सी	
		बलवंत नगर	
		बुद्धपुरा	
		धनेश्वर	
		कोटा	
		अंटा	
		बारन	
		किशनगंज	
		केलवाड़ा	
		समरनिया, फेराडुआ व ग्रेडेट	
		धौलपुर	3
7.	तमिलनाडु	चेन्नै बाइपास (चरण-II)	4 व 5
		चेन्नै बाइपास को चार लेन (चरण-2)	45 व 4
		टिंडीवनम	45
		विलुपुरम	
		उलूनडुरपेट	
		समयपुरम	
		त्रिचिरापल्ली	45बी
		विरालीमलई	
		कोट्टमपट्टी	
		मेलूर	
		ओथाकडई	
8.	उत्तर प्रदेश	राम स्नेही घाट	28
		बाराबंकी	
		अयोध्या	
		गोरखपुर	
		झांसी	25
		चिरगांव	
		करगावां/सेमारी	
		मोठ	
		पूंछ	
		उरई	
		आगरा	3
		झांसी	25 व 26
		ललितपुर	26

विवरण II

इस समय निर्माणाधीन बाइपासों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	बाइपास का नाम	रा.रा.सं.	वर्तमान वास्तविक प्रगति (%)	पूरा करने की नियत तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	कवाली	5	70.00	मार्च, 2005
		सिंगाराकोंडा		90.00	
		ओंगोले		50.00	
		मेढारमेटला		80.00	
		टाडेपल्लीगुडेम	5	98.00	दिसम्बर, 2004
		अंकापल्ली		98.00	
		येलामनचीली		98.00	
		नरसानापेट	5	78.00	जून, 2005
		टेक्काली		78.00	
		पलासा		68.00	
		हरीपुरम		68.00	
		कांचीली		56.00	
		इच्छापुरम		56.00	
2.	असम	करीमगंज	44	78.00	मार्च, 2006
3.	बिहार	डीडखीली	2	56.88	मार्च, 2005
		सासाराम		25.04	
4.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	21	93.00	जुलाई, 2005
5.	जम्मू-कश्मीर	वोइल	1ए	85.00	मार्च, 2007
		उधमपुर	1ए	80.00	मार्च, 2006
		राम वन	1ए	92.00	मार्च, 2005
		बारामूला	1ए	—	मार्च, 2007
		श्रीनगर	1ए	18.88	जून, 2006
6.	झारखंड	बरही	2	32.16	मार्च, 2005
		इसरी-डूमरी		44.63	

1	2	3	4	5	6
7.	कर्नाटक	बेलगांव	4	82.00	अगस्त, 2005
		हावेरी		32.00	दिसम्बर, 2005
		रानेबनूर		32.00	
		हरिहर		43.00	
		बर्मासागर		43.00	
		चित्रदुर्ग		45.00	
		हीरीयूर		43.00	
		तुमकुर		50.00	
8.	केरल	कालीकट बाइपास चरण-III	17	30.00	दिसम्बर, 2005
		अलपुझा बाइपास चरण-II	47	5.00	जून, 2006
9.	मध्य प्रदेश	कटनी	7	15.00	जून, 2006
10.	उड़ीसा	इच्छापुरम	5	सिविल कार्य निलंबित	
		गंजम			
		बालूगांव	5	18.54	जून, 2006
		नचुनी	5	18.54	मार्च, 2005
		तांगी-चांदपुर		62.80	
		हल्दीपाड़ा	60	60.00	दिसम्बर, 2005
		बस्ता		40.00	
		जालेश्वर		30.00	
11.	पंजाब	गुरदासपुर	15	30.00	मार्च, 2006
		बटाला	15	17.00	मार्च, 2005
12.	राजस्थान	जयपुर	8 व 11	75.98	मार्च, 2005
13.	तमिलनाडु	वालेजापेट	46	80.00	जून, 2005
		सुंगुवाचा ट्राम बाइपास	4	50.00	जून, 2005
		पूनामाली		50.00	
		श्रीपेरूंबुदुर		40.00	
14.	त्रिपुरा	अगरतला	44	7.00	मार्च, 2007
15.	उत्तरांचल	रुद्रप्रयोग	58	34.00	मार्च, 2006

1	2	3	4	5	6
16.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	24ए	57.00	मार्च, 2005
		राजा का ताल		45.10	मार्च, 2005
		सिरसागंज		9.6.04 को करार समाप्त कर दिया गया	मार्च, 2005
		ठक्रेंड			
		इटावा		24.21	जनवरी, 2005
		इकडील	2	26.70	मार्च, 2005
		बकेवर			
		उझयानी-महेवा-अनंतराम			
		बाबरपुर-अजीतमल			
		भीकापुर-मुरादगंज			
		बिलींडा		24.58	दिसम्बर, 2005
		थारीयान			दिसम्बर, 2005
		इलाहाबाद		चरण-I: 17.64%;	चरण-I-मार्च, 2006
				चरण-II: 0.485%. चरण-III नव. 04 में शुरू किया गया है	चरण-II-दिसम्बर, 2006
		लखनऊ	25, 28 व 56	62.93	मई, 2005
		वी आर एम	2	56.88	मार्च, 2005
		सईदराजा			
		नौबतपुर			
17.	पश्चिम बंगाल	सोनाकोनिया	60	40.00	दिसम्बर, 2005
		डांटन		30.00	
		बेलदा		50.00	
		नारायणगढ़	60	80.00	जून, 2005
		खड़गपुर		90.00	
		पंचकुरा	6	90.00	जुलाई, 2005

[हिन्दी]

वर्ग ''ग'' एवं ''घ'' के कर्मचारिवृन्द के लिए नाम पट्टिका

1372. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों के वर्ग ''ग'' एवं ''घ'' के कर्मचारिवृन्द विशेषकर नर्सें अपनी यूनीफार्म पर नाम पट्टिकाएं नहीं लगाते हैं, जिससे मरीजों को अपने साथ अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में वर्ग ''ग'' एवं ''घ'' कर्मचारिवृन्द के लिए अपनी यूनीफार्म पर नाम पट्टिका लगाना अनिवार्य करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पतालों में नर्सों समेत ग्रुप ''ग'' एवं ''घ'' के कुछ स्टाफ अपनी यूनीफार्मों पर नाम पट्टिकाएं लगाते हैं। तथापि, संबंधित अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा ग्रुप ''ग'' एवं ''घ'' के स्टाफ को कार्य समय में नाम पट्टिकाओं सहित अपनी यूनीफार्म पहनने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1373. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में विशेषकर गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने हेतु कुल कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है और कितनी परियोजनाएं लंबित है तथा कितनी परियोजनाएं आरंभ किए जाने का विचार है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने राजमार्गों के निर्माण के लिए निधियां जारी की गई हैं तथा इन परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) देश में राज्यवार कितने राजमार्गों का विकास किया जा रहा है और कितने राजमार्गों को विकास कार्यों से अलग रख गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार राजमार्गों के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करती है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में तथा गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं जिनमें चार लेन वाली परियोजनाएं शामिल हैं, मंत्रालय ने लंबित परियोजनाओं तथा वर्ष 2004-05 में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की अद्यतन संख्या इस प्रकार है:-

	चालू परियोजनाओं की संख्या		मंत्रालय में लंबित परियोजनाओं की संख्या		वर्ष 2004-05 में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या	
	सभी परियोजनाएं	चार लेन वाली परियोजनाएं	सभी परियोजनाएं	चार लेन वाली परियोजनाएं	सभी परियोजनाएं	चार लेन वाली परियोजनाएं
अखिल भारत	1120	113	318	4	410	5
गुजरात	28	3	12	कुछ नहीं	8	कुछ नहीं

(ख) अपेक्षित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का समग्र विकास, देश भर में संपूर्ण नेटवर्क की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और पारस्परिक प्राथमिकता तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर सकल आधार पर किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी कार्य इस मंत्रालय के मानदंडों और विनिर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या	पूरे हुए कार्यों की संख्या			
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (अक्तु. 04 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	15	30	73	46	24
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	0	0	0	0
3.	असम	21	35	31	39	9
4.	बिहार	27	35	34	24	6
5.	चंडीगढ़	1	0	0	1	0
6.	छत्तीसगढ़	11	26	39	3	1
7.	दिल्ली	5	4	3	3	0
8.	गोवा	4	4	3	5	3
9.	गुजरात	12	9	37	34	16
10.	हरियाणा	13	15	16	20	3
11.	हिमाचल प्रदेश	9	20	13	11	12
12.	जम्मू-कश्मीर	3	2	2	1	0
13.	झारखंड	12	16	26	14	3
14.	कर्नाटक	14	62	58	42	17
15.	केरल	8	20	22	30	9
16.	मध्य प्रदेश	21	59	45	36	23
17.	महाराष्ट्र	15	70	66	74	11
18.	मणिपुर	4	13	20	8	5
19.	मेघालय	4	8	10	11	2
20.	मिजोरम	6	11	5	4	10
21.	नागालैंड	5	13	8	9	5
22.	उड़ीसा	16	18	24	29	6
23.	पांडिचेरी	3	1	3	0	0
24.	पंजाब	11	9	19	25	15

1	2	3	4	5	6	7
25.	राजस्थान	18	13	21	35	12
26.	सिक्किम	1	0	0	0	0
27.	तमिलनाडु	24	62	50	57	40
28.	त्रिपुरा	2	0	0	0	0
29.	उत्तरांचल	14	10	9	50	3
30.	उत्तर प्रदेश	34	50	50	10	30
31.	पश्चिम बंगाल	16	5	10	20	3

औषधियों का ई एम आर

1374. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
श्री मुनव्वर हसन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई औषधियों को ई एम आर प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों के नाम क्या हैं और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) पहले से ही बाजार में उपलब्ध औषधियों के लाइसेंस के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार पेटेंट कार्यालय, कोलकाता द्वारा अधोलिखित औषध फारमूलेशनों हेतु विशिष्ट विपणन अधिकार की मंजूरी दी गई है-

1. ग्लाइवेक- यह कैंसर रोधी औषध इमाटीनिब मेसीलेट का एक ब्रांड है। मैसर्स नोवरटिस ए जी स्विटजरलैंड को 10 नवम्बर, 2003 को इमाटीनिब मेसीलेट की एक किस्म बीटा क्रिस्ट्रालीन के संबंध में विशिष्ट विपणन अधिकार की मंजूरी दी गई है।
2. नाडी फलोक्सिन 1% क्रीम: इसके लिए 15.12.2003 को विशिष्ट विपणन अधिकार दिए गए हैं।
3. टेडालेफिल गोलियां 10/20 मि.ग्रा.-मैसर्स एली लिली एंड कंपनी, यू.एस.ए. को 26.8.2004 को विशिष्ट विपणन अधिकार दिए गए हैं।

(ग) महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई भारतीय कम्पनी, नाडीफ्लोक्सिन 1 प्रतिशत क्रीम नामक उत्पाद, यू.एस. पेटेंट संख्या 4399134, दिनांक 10.11.1981 में बताई गई खोज के आधार पर निर्मित कर सकती है क्योंकि यह खोज पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत भारतीय पेटेंट के रूप में सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इन औषधियों के भारतीय विनिर्माताओं ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की हुई हैं अतः ग्लाईवेक एवम् टेडालेफिल फारमूलेशन के संबंध में मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

विशेष घटक योजना

1375. **श्री अजीत जोगी:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की विशेष घटक योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चयन हेतु क्या मानदंड हैं; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत किन जिलों विशेषकर छत्तीसगढ़ के किन जिलों का चयन किया गया?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा चुने हुए 50 पिछड़े जिलों के लिए आरम्भ किए गए विशेष रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में वर्ष 1996-97 तक प्रत्येक जिले में 10,000 की दर पर रोजगार सृजन करने का प्रस्ताव है। यह योजना के.वी.आई.सी. के साथ सीधे पंजीकृत समितियों, राज्य स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (के.वी.आई.बी) गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), आदि

के माध्यम से के.वी.आई.सी. द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। लाभार्थियों का चयन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों से किया गया है। इस प्रयोजन के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डी.आर.डी.ए.) द्वारा लाभार्थियों की पहचान एवं चयन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को अपनाया गया। इन लाभार्थियों की पहचान एवं चयन संबंधित जिला क्लक्टरों की अध्यक्षता के अंतर्गत एक परियोजना अनुश्रवण समिति द्वारा किया गया जिसमें के.वी.आई.सी., डी.आर.डी.ए., बैंकों एवं अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हैं।

जिलों में चयन के लिए अपनाया जा रहा मुख्य मानदण्ड निम्नलिखित है:

(1) औद्योगिक पिछड़ापन

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत,

(3) रोजगार सम्भावना,

(4) मजदूरी स्तर,

(5) विकास सम्भावना, और

(6) जिले की कुल जनसंख्या

(ख) विशेष रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा एवं रायपुर जिलों (उस समय मध्य प्रदेश के जिले) का चयन किया गया। तथापि यह योजना वर्ष 1997 में बंद कर दी गई क्योंकि के.वी.आई.सी. ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों सहित देश भर में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.जी.) को अप्रैल, 1995 से कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया। आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत उद्यमी 25 लाख रुपये की अधिकतम लागत की परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहायता एवं सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेकर ग्रामोद्योगों सहित कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। स्वीकार्य मार्जिन मनी सहायता का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता

क्र.सं.	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहायता
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25%
2.	अनुसूचित जाति/अ.ज.जाति/महिला/पूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 30%
3.	सामान्य	10 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक	2.5 लाख रुपये और शेष परियोजना लागत का 10%
4.	अनुसूचित जाति/अ.ज. जाति/महिला/पूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक	3 लाख रुपये और शेष परियोजना लागत का 10%

पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन

1376. **श्री मुन्शी राम:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक राज्यों में अत्यधिक खनन कार्य के कारण पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा 4 और 5 के अंतर्गत राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग से कितनी दूरी और कितनी परिधि के भीतर खनन कार्यों की अनुमति नहीं दी गई है; और

(घ) ऐसे खनन कार्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

खादी की बिक्री में कठिनाइयां

1377. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छूट देने के स्थान पर विपणन विकास सहायता के क्रियान्वयन के बाद खादी उत्पादों की बिक्री में हो रही कठिनाईयों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से विपणन विकास सहायता की बजाय पूर्व में दी जा रही छूट को पुन: बहाल करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार ने खादी की बिक्री पर छूट योजना के स्थान पर 1.04.2004 से बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) के कार्यान्वयन का अनुमोदन किया है। चूंकि एम.डी.ए. योजना का कार्यान्वयन 31.03.2005 तक आस्थगित रखा गया है और सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 10.8.2004 को छूट योजना की घोषणा भी की है, एम.डी.ए. योजना के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई है, को मालूम करने का कोई अवसर नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने छूट योजना को 31.03.2005 के बाद जारी रखने का निर्णय करने से पूर्व इसका मूल्यांकन करने की दृष्टि से इस योजना का अध्ययन करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार को खादी छूट योजना को पुन: बहाल करने के सुझाव के संबंध में केरल के तत्कालीन मुख्य मंत्री से दिनांक 27.7.2004 तथा केरल सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंजीकरण मंत्री श्री सी.एफ. थाम्स से क्रमश: 12.08.2004 तथा 12.10.2004 के पत्र प्राप्त हुए हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को भंग करना

1378. **श्री के.एस. राव:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को भंग कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नए आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के पुनरोद्धार की घोषणा की है। यह मुख्यत: खादी क्षेत्र में रोजगार में अत्यधिक कमी तथा पिछले वर्षों में खादी की लगभग गतिहीन बिक्री के कारण के.वी.आई.सी. में आधुनिक प्रबंध पद्धतियां लागू करने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा के.वी.आई.सी. की स्कीमों, परियोजनाओं एवं अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए सरकार को सहायता देने तथा भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्था में खादी उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए आवश्यक हुआ है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने के.वी.आई.सी. एक्ट, 1956 की धारा 25(1) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के पालन में 14 अक्तूबर, 2004 से आयोग का विघटन कर दिया है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, एक अन्तरिम उपाय के रूप में आयोग के विघटन के बाद तथा के.वी.आई.सी. के कार्य को जारी रखने के लिए एक प्राधिकारी जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कमीश्नर कहा जाता है, की स्थापना की है। खादी एवं ग्रामोद्योग कमीश्नर को आयोग के भंग किए जाने की तारीख से आयोग की सभी शक्तियां प्राधिकृत की गई हैं तथा भंग किए गए आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही नीतियां एवं सभी कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग कमीश्नर द्वारा संचालित किए जाने जारी रहेंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विश्व बैंक ऋण

1379. **श्री जुएल ओराम:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपनी स्थापना के बाद से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विश्व बैंक से कुल कितना ऋण लिया गया है;

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा यह ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया गया है;

(ग) विश्व बैंक से यह ऋण किन निबंधन और शर्तों पर प्राप्त किया गया है; और

(घ) इस ऋण का उपयोग किस सीमा तक किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) विश्व बैंक ने दूरसंचार क्षेत्र सुधार तकनीकी सहायता परियोजना के लिए एक ऋण अनुमोदित किया था जिसके अंतर्गत ट्राई के लिए आरंभ में 4.5 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि आबंटित की गई। इसे बाद में संशोधित करके 2.5 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 10.75 करोड़ रु.) कर दिया गया। ऋण का उद्देश्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और विनियामक मुद्दों पर परामर्श विषयक अध्ययन कार्यक्रमों को संचालित करने सहित ट्राई अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों को निष्पादित करने में इसकी संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना है।

(ग) ऋण करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार भारत सरकार के लिए ऋण की मूल राशि और बकाया राशि पर प्रत्येक ब्याज अवधि के लिए लंदन इंटर बैंक आफर्ड रेट (एलआईबीओआर) आधार दर जोड एलआईबीओआर समग्र प्रसार के बराबर दर से समय-समय पर ब्याज का भुगतान करेगी। भारत सरकार बैंक को ऋण की राशि के 1% के बराबर राशि का अपफ्रंट शुल्क और बैंक से नहीं निकाली गई राशि के मूलधन पर प्रतिवर्ष 0.75% की दर से एक अभिबंधन शुल्क का भी समय-समय पर भुगतान करेगी।

(घ) अब तक ट्राई ने 6.83 करोड़ रु. ऋण राशि का उपयोग किया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इन्डो-डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्डो-डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 971/04]

(2) (एक) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 972/04]

(3) (एक) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 973/04]

(4) (एक) इन्डो-जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्डो-जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 974/04]

(5) (एक) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 975/04]

(6) (एक) इन्डो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्डो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 976/04]

(7) (एक) इन्डो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्डो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 977/04]

(8) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 978/04]

(9) (एक) कांच उद्योग विकास केन्द्र, फिरोजाबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांच उद्योग विकास केन्द्र, फिरोजाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 979/04]

(10) (एक) इलेक्ट्रानिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 980/04]

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक कल्याण शुल्क का उद्ग्रहण) (संशोधन) नियम, 2004 जो 8 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 664(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 981/04]

(2) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 982/04]

(3) (एक) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 983/04]

(4) (एक) कांडला पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कांडला पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 984/04]

(5) (एक) मार्मुगाव पत्तन न्यास, मार्मुगाव के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) मार्मुगाव पत्तन न्यास, मार्मुगाव के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 985/04]

(6) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 986/04]

(7) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 987/04]

(8) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) जवाहरलाल पत्तन न्यास, नवी मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल पत्तन न्यास, नवी मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 988/04]

(ख) (एक) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2003-2004 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 989/04]

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(2) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 990/04]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 991/04]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत कोयला खान नियंत्रण नियम, 2004 जो 25 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 992/04]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सेमीकंडक्टर इंटेग्रेटेड सर्किट्स ले आउट-डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 277(अ) जो 1 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु सेमीकंडक्टर इंटेग्रेटेड सर्किट्स ले आउट-डिजाइन के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के लिए डा. के.एस. चारी को नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सेमीकंडक्टर इंटेग्रेटेड सर्किट्स ले आउट-डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 278(अ) जो 1 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 तथा धारा 5 के उपबंधों को लागू करने के लिए 1 मार्च, 2004 की तारीख निर्धारित की गयी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सेमीकंडक्टर इंटेग्रेटेड सर्किट्स ले आउट-डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 279(अ) जो 1 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सेमीकंडक्टर इंटेग्रेटेड सर्किट्स ले आउट-डिजाइन रजिस्ट्री नामक एक रजिस्ट्री की स्थापना की गई है तथा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 993/04]

(4) आई.टी.आई. लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 994/04]

(5) (एक) सेंटर फार मैटेरियल्स फार इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलाजी, पुणे के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार मैटेरियल्स फार इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलाजी, पुणे के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 995/04]

(6) (एक) नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकारपोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकारपोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 996/04]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 997/04]

(ख) (एक) सेमिकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेमिकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 998/04]

(ग) (एक) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 999/04]

(घ) (एक) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त मद सं. (7) के (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1000/04]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (क) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1001/04]

(ख) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1002/04]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 6 दिसंबर, 2004 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 2 दिसंबर, 2004 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2004 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधि (निरसन) विधेयक, 2004 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 1 दिसंबर, 2004 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.02½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आलोक कुमार मेहता: मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

प्रश्नकाल के पश्चात उठाए जाने वाले अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया ध्यान दें। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

माननीय सदस्यों, 'शून्यकाल' में मामले उठाने के लिए दी जाने वाली सूचनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए आज 75 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अध्यक्षपीठ के लिए सभी माननीय सदस्यों को मामले उठाने के लिए समय देना व्यवहारिक रूप से असम्भव हो गया है।

इस मामले पर कल 7 दिसम्बर, 2004 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान चर्चा की गयी थी। यह पाया गया कि माननीय सदस्यों से प्राप्त अनेक सूचनाएं उनके चुनाव क्षेत्रों से संबंधित मामले उठाने के बारे में होती है और उनमें हाल की घटनाओं अथवा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले शामिल नहीं होते।

कार्यमंत्रणा समिति के सदस्यों का यह विचार था कि तथाकथित शून्यकाल संबंधी मामलों की संख्या को प्रतिदिन पन्द्रह पर सीमित रखा जाए और जब तक इसमें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले शामिल न हों प्रत्येक सदस्य को एक सप्ताह में एक से अधिक मामले उठाने की अनुमति न दी जाए।

मैं इस संबंध में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं ताकि हम शून्यकाल की अवधि का पूरा सदुपयोग कर सकें।

अपराह्न 12.04 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दो केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बारे में

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, कल आसन से कहा गया था कि आप सरकार से बात करेंगे। कल हमने श्री लालू जी और श्री रामविलास पासवान जी के परस्पर बयान के संबंध में जो मामला उठाया था, उस पर आपने कहा था कि इसमें समय दीजिए। समय देने के बाद हम इस पर कुछ करेंगे। हम आसन से जानना चाहते हैं कि सरकार से आपकी क्या बात हुई और प्रधान मंत्री जी इस मामले में कब बयान देंगे। लालूजी के बयान से 800 करोड़ रुपये के क्रेन घपले का मामला सामने आया है। उसके दस्तावेज उन्होंने टी.वी. पर दिखाये। आपने कहा था कि हमें समय दीजिए, हम बतायेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बयान इस सदन में कब होगा, इस पर आम अपना नियमन देने की कृपा करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह वह मामला नहीं है जो बताया गया था।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने कल कहा था कि आप समय दीजिए, इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था,

[हिन्दी]

आप बैठिए ...

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया एक-एक करके बोलें। श्री प्रभुनाथ सिंह आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं स्वयं इसका ध्यान रख सकता हूं। मैंने आपको नहीं बुलाया। मैंने प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को बोलने की अनुमति दी है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, यह इस सभा और देश के मंत्रिमंडल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

[हिन्दी]

सारे देश ने देखा है। यह डिग्निटी और आनर का सवाल है। केन्द्रीय कैबिनेट, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री दूसरे कैबिनेट मंत्री पर

800 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करे और दूसरे मैम्बर ने उनके ऊपर आरोप लगाए - क्या ऐसे कैबिनेट चल सकती है? क्या प्रधान मंत्री इसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। आप प्रधानमंत्री से रिप्लाई दिलवाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह आपने कहा है। मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता। मैंने यह भी कहा है। मैंने कोई वायदा नहीं किया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः आप इस सभा के संरक्षक हैं। यह इस सभा की प्रतिष्ठा और मर्यादा का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपकी टिप्पणी को सम्मिलित किया गया है। यहां वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः कोई तो रिस्पान्ड करे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। आपकी टिप्पणी को सम्मिलित कर लिया गया है। मैंने उसे सम्मिलित करने की अनुमति दी है। अब सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देनी है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देने दें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): आपने कहा कि हमें भी बुलाएंगे।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये।

[अनुवाद]

विपक्ष के नेता चाहते हैं कि आप कुछ कहें।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झाः हम क्या हैं? हम भी तो मैम्बर हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः क्या आप विपक्ष के साथ जाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष जी, यह मामला जो अभी-अभी उठाया गया है, वह मामला सदन में ही नहीं, बल्कि बाहर पत्र-पत्रिकाओं में भी इसकी चर्चा होती रही है और मैं समझता हूं कि इसी कारण प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दोनों को बुलाकर उनसे बातचीत की। यह भी अखबारों में छपा है - अर्थात् प्रधानमंत्री जी ने भी इसको गंभीर मामला माना। यहां पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं। मैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सदन को विश्वास में लें कि इस मामले में उन्होंने जो कदम उठाए, उसका क्या परिणाम निकला और आज स्थिति क्या है। क्योंकि अखबारों में यह आ रहा है कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः प्लीज आप सब लोग बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः रघुनाथ जी, आप प्लीज बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप सब लोग मेहरबानी करके बैठिये। यह सही नहीं है।

[अनुवाद]

कृपया अपने नेताओं से सीखिए। जब अध्यक्ष खड़ा होता है तो वे बैठ जाते हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं एक टिप्पणी दे सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष के माननीय नेता...

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया है। मेरी सफाई सुन ली जाए। यह मेरा हक है। माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी ने और नेता विरोधी दल ने अखबारों में छपी बातों का हवाला दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): टीवी पर भी आया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या हम लोग सुनने के लायक भी नहीं हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: मेरे मंत्रालय में कहां क्या अनियमितता है या नहीं है, कोई प्रापर फोरम में आएं। अखबारों का नोटिस मैंने कुछ नहीं देखा है। यह गलत है, मिथ्या है। श्री सिंह सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। यह बिल्कुल गलत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे सदन की कार्यवाही चलाने दें। यह सभा केवल मेरी नहीं है। मैं बार-बार यह बात कह रहा हूं। यह सभा 545 माननीय सदस्यों से बनी है। निश्चित तौर पर, हर किसी को सभा में बोलने का अधिकार है। परन्तु इसके कतिपय नियम एवं प्रक्रिया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोले तो अन्य सदस्यों को ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां यह एक अच्छी परम्परा रही है जब प्रधानमंत्री या माननीय विपक्ष के नेता बोलते हैं तो अन्य सदस्य उनकी बात ध्यान से सुनें। यही इस सभा की रीति और परम्परा रही है। अत: जब भी माननीय प्रधानमंत्री या माननीय विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं तो मैं सदैव उन्हें अनुमति देता हूं। मेरा आग्रह है कि माननीय विपक्ष के नेता ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कोई अपील या आग्रह किया है तो उन्होंने इसे सुना है, वे यहां उपस्थित भी हैं। मेरा आग्रह है कि यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं पर मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता। कृपया इस पर विचार करें।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, सम्बद्ध मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने वही कहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, अभी श्री लालू प्रसाद, माननीय रेल मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया, वह बिलकुल असत्य है। भ्रष्टाचार के मामलों को देश के सभी लोगों ने टी.वी. पर देखा है। मेरे पास इस संबंध में एक फाइल है। अगर मैं उस फाइल को दिखा दूं, तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी। आडवाणीजी पहले ही यह कह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे अभी कह भी सकते हैं या नहीं भी कह सकते। मंत्री महोदय, क्या आप इस पर अभी कुछ कहने को तैयार हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): इस समय नहीं।

अध्यक्ष महोदय: वे इस पर बाद में कहेंगे। माननीय विपक्ष के नेता ने पहले ही टेलीविजन संवाददाता को बताया है। उन्होंने यह बताया है और इसे पहले ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: अध्यक्ष महोदय, टी.वी. में क्या आता है, अखबार में क्या आता है, उसके ऊपर कुछ कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसके बारे में माननीय विपक्ष के नेता, श्री लालकृष्ण आडवाणी ने चर्चा की, उसके बारे में माननीय रेल मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है। इसके साथ ही यह चैप्टर क्लोज हो जाता है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे इस विषय में जिसकी चर्चा अभी-अभी हुई है, जिसके बारे में टेलीविजन में आया है, जिसके बारे में पत्र-पत्रिकाओं में भी चर्चा हुई है, उसके बारे में वे प्रधान मंत्री जी से कहें और यह स्पष्ट करें कि मंत्रिमंडल कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी के जिस सिद्धान्त पर चलता है, उस सिद्धान्त का क्या इस सरकार ने परित्याग कर दिया है, क्या उस सिद्धांत को छोड़ दिया है, इसका नोटिस लेकर वे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करें और सरकार की स्थिति स्पष्ट करें।

महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने अभी जो कहा, उसका अर्थ इस मामले में यह निकलता है कि वे इस संबंध में अब कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय मंत्री जी को अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको सीखना चाहिए। कुछ परिपाटियां और प्रक्रिया के नियम हैं। मैंने माननीय मंत्री, लालू जी को अनुमति दी है क्योंकि यह मामला उनसे संबंधित है। उन्होंने अपने वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया है। यदि किसी को कुछ कहना हो तो मेरा ध्यान आकृष्ट करने का तरीका है। यदि आप सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो कुछ भी सुना नहीं जा सकेगा और कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं हो पाएगा। विपक्ष के माननीय नेता ने कुछ बातें कहीं हैं। यह पूरी तरह से माननीय मंत्री जी पर निर्भर है कि वह इसका जवाब दें। मैं किसी को भी किसी बात पर बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने यह सब सुना है। क्यों न उन्हें ही निर्णय लेने दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मैं इस बार, फिर से इसलिए खड़ा हुआ हूं और इसलिए टिप्पणी करनी पड़ रही है क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अभी-अभी जो बात, रेल मंत्री जी ने कही है, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह चैप्टर क्लोज हो जाता है। मेरा यह निवेदन है कि हमें दोनों संबंधित मंत्रियों से कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। सदन को तो प्रधानमंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहिए कि कैबीनेट कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी पर चलती है, क्या यह सरकार उस पर कायम है या उसे छोड़ दिया गया है। सदन को दोनों मंत्रियों से कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय,*...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में से हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बात कहने के लिए तैयार हैं कि वे इस बारे में प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और अनुरोध करेंगे कि मैंने जो कहा है वह ठीक है, अन्यथा अगर वे समझते हैं कि स्पष्टीकरण हो गया है तो हम उससे सहमत नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री कहें, हमें किसी अन्य से स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, यदि आप सभा की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते तो बोलते रहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, हमें इस समय संसदीय कार्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहिए कि वह इस मामले में प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे या नहीं करेंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनसे पहले ही अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: माननीय आडवाणी जी, मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है उन्होंने कहा है कि मैंने नहीं कहा है, उसके बाद चेप्टर खत्म हो जाता है। ...*(व्यवधान)*

----

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह सामूहिक जिम्मेदारी की अवहेलना है *...(व्यवधान)* आप उन्हें निर्देश दे सकते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनसे इस पर विचार करने को कहा है। मैंने कहा कि आपने अपनी बातें रखी हैं परन्तु मैं उन्हें निदेश नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी से सलाह-मशविरा करने का निदेश दे सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कहा कि माननीय मंत्री जी ने आपकी बातों को सुना है तथा अब जवाब देना सरकार पर निर्भर करता है। मैं उन्हें ऐसा करने के लिए निदेश नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, हमें अपना विरोध दर्ज कराना है *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.17 बजे

(इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में व्यवस्था का कुछ प्रदर्शन होना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम पुकारने की मुझे अनुमति दें। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह अब ज्यादा हो रहा है। कृपया बैठिए।

कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया है।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय: सभा में कुछ व्यवस्था कायम रहनी चाहिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर एनडीए की कोआर्डीनेशन मीटिंग नहीं होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* सदन में जो बात हुई है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। *...(व्यवधान)* यह पहली बार देखा है कि लीडर आफ द अपोजिशन की बात इनके मेम्बर्स नहीं सुनते। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: झा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री रघुनाथ झा: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: आप थोड़ा धीरज रखिए, हम एक-एक करके बुलाएंगे। आप हमें बुलाने का मौका नहीं देते।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बोलने दीजिए। किसी को भी बिना मेरी अनुमति के नहीं बोलना चाहिए। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण के लिए सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ध्यानाकर्षण का समय नहीं है। यदि आपने कोई सूचना दी है, तो मैं इस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने पूर्व में नोटिस दिया था, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने किस बारे में दिया था।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: महोदय *...(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। श्री हन्नान

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मोल्लाह की बातों को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत दुख की बात है और सही मायने में दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास इस सभा की कार्यवाही चलने देने के लिए न्यूनतम धैर्य भी नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो लोग नारे लगाते हैं, वे इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यह भारत की संसद की सभा है। कृपया, कोई व्यवधान उत्पन्न न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। एक के बाद एक के बोलने से सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती। श्री हन्नान मोल्लाह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन दिन से इस बात पर नोटिस दे रहा हूं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हाउस और सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा। आपको मालूम है कि राजस्थान में पिछले 6 साल से लगातार सूखा पड़ रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई भी इस सभा की कार्यवाही चलने देने का इच्छुक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई भी इस बात के लिए इच्छुक नहीं है कि इस सभा की कार्यवाही इसकी मर्यादा के अनुरूप चले।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह: इस साल भी 25 जिलों में करीब 18,300 गांव सूखे की चपेट में हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या बात है? जिसका जो मन चाहेगा, बोलेगा क्या, और सब खुश होंगे। अगर इस तरह बोलेंगे तो फिर चेयर की क्या जरूरत है।

...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: इन गांवों में पिछले पांच वर्षों से पानी नहीं था, अभी रबी मानसून में भी पानी नहीं था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बोलिये, आपको क्या बोलना है। मैंने उनका नाम लिया है, वे बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। प्लीज साइलेंस।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): यह क्या तरीका है? ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: आप मर्यादा की बात करते हैं, उनकी बात सुनी जायेगी, दूसरों की बात नहीं सुनी जायेगी - यह कोई तरीका नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: युवकों और युवतियों सहित सम्पूर्ण देश हमें देख रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी कौन बोल रहा है, अगर हिम्मत है तो खड़ा हो।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हां, उनका नाम लीजिए।

[हिन्दी]

यह मजाक की जगह नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उस अवसर का दुरूपयोग कर रहे हैं जो मैंने आपको दिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत अच्छा, मैं बारह बजकर पचपन मिनट पर आपकी बात सुनूंगा। अब, कृपया सभा का कार्य करने दें। यह मजाक की जगह नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपको बुलाएंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपने बोला है। अध्यक्ष महोदय, आपने हमारा नाम पुकारा था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आसन से हमारा नाम पुकारा गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर विचार करूगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपने मेरा नाम पुकारा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मुझे आदेश नहीं दे सकते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं सहन नहीं करूंगा। केवल श्री हन्नान मोल्लाह की टिप्पणियां कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित की जाएंगी इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम डिक्टेट नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: पिछले कई साल से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप बैठिये। हम आपको बुलाएंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपने पहले मेरा नाम पुकारा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे पुनर्विचार करने का अधिकार है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आसन के निर्देश के बाद हम बोले हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है और आपके नाम पुकारने पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको बोलने का मौका देंगे, आप उसे यूटीलाइज कीजिए। हमने रीकंसीडर किया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। जब तक अध्यक्ष अनुमति नहीं देते तब तक किसी को भी खड़ा नहीं होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री ढींडसा, आप एक मंत्री थे। आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह अब बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह: अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि सम्पूर्ण देश आपको देख रहा है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या आपका आदेश सिर्फ हमारे लिए ही है? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 25 जिलों के 18,338 गांवों में भारी सूखा पड़ा। पिछले खरीफ के मौसम में वहां कोई फसल नहीं हुई और अभी रबी के मौसम में भी वहां पानी नहीं था। ...*(व्यवधान)* बीकानेर डिवीजन के तीन जिलों - गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में हजारों एकड़ जमीन में कपास की फसल जल गई। किसान पानी मांग रहे थे। ...*(व्यवधान)* किसान, मजदूर और व्यापारी संगठन संघर्ष समिति बनाकर पानी मांग रहे थे। 26 सितम्बर को हजारों किसान गढ़साना एसडीएम आफिस के सामने शान्तिपूर्ण धरने पर बैठे थे। लेकिन एक महीने तक उनकी बात नहीं सुनी गई। 26 अक्तूबर को उनको लाठी से मारा गया और 27 अक्तूबर को उन पर गोली चलाई गई जिससे पांच किसानों की हत्या हो गई। राजस्थान का कोई एमपी वहां नहीं गया। मैं उन पांचों किसानों के घर गया था। मैंने पांच सौ किलोमीटर से ज्यादा घूमकर देखा। वहां सारी फसल बर्बाद हो गई थी। हमारे आन्दोलन के नेता श्री हेतराम बेनीहाल को नेशनल सिक्युरिटी एक्ट के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया। ...*(व्यवधान)* क्या पानी मांगने पर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आती है? श्री बेनीहाल को एक हजार किलोमीटर दूर उदयपुर जले में बंद किया गया। राजस्थान सरकार के खिलाब सब लोगों ने आन्दोलन की घोषणी की। मैंने यहां आकर इस घटना की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को दी। प्रधानमंत्री ने कार्यवाही करने की कृपा की ...*(व्यवधान)* मैंने कहा कि वहां पानी का इंतजाम करना चाहिए. पंजाब से भी पानी छोड़ना चाहिए। जिन लोगों पर गोली चलाई गई, उनके परिवार को कम्पैनसेशन देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* जिन हजारों लोगों को जेल में बंद किया गया, उनको जेल से रिहा करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से मुक्ति देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* उन लोगों को इंदिरा गांधी नहर से पानी देने का जो वायदा सरकार ने किया था, उसे पूरा नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। सब पार्टियां मिलकर राजस्थान में आन्दोलन कर रही हैं। ...*(व्यवधान)* राजस्थान की बीजेपी सरकार जो किसान विरोधी है, उसके खिलाफ सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और किसानों की मदद करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: छह और माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर सूचना दी है जिसकी मैंने अनम्मति दी है। वे हैं: सर्वश्री रामजीलाल सुमन, निखिलानन्द सर, महबूब जाहेदी, बसुदेव आचार्य,

[अध्यक्ष महोदय]

प्रो. रासा सिंह रावत और निहाल चन्द। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पहले दी गई टिप्पणियों के साथ ही अपने को सम्बद्ध करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अवतर सिंह भडाना (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री अवतार सिंह भडाना, आप क्यों खड़े हुए हैं?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब, मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री रामजीलाल सुमन की बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों को पिछले पांच वर्षों से सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। *...(व्यवधान)* इस वजह से वहां के किसान आंदोलित थे। सितम्बर माह से, वहां किसानों का आंदोलन शुरू हो गया और 27.9.2004 को गढ़साना तहसील के सामने किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.31 बजे

(इस समय श्री निहाल चन्द और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामजीलाल सुमन: 26.10.2004 को वहां तनाव उत्पन्न हुआ और 27 अक्तूबर को पुलिस की गोली से चार किसान मारे गये।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपका विषय हो गया।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है और खाजूबारा में एक किसान श्री हजूरा सिंह भगदड़ में मारा गया। *...(व्यवधान)* यह अत्यधिक गंभीर मामला है। गढ़साना, अनूपगढ़, रावला, खाजूवाला आदि में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा हुआ है। *...(व्यवधान)* वहां सेना बुला ली गयी है। राजस्थान सरकार के मंत्रियों श्री राजेन्द्र सिंह राठौर, सावरमल जाट और विधायक माणिक चंद सुराना ने घटनास्थल का दौरा किया और स्वीकार किया कि स्थानीय प्रशासन ने गलती की है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, हम मांग करते है कि जिन पुलिस कर्मियों ने गोली चलाई, उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत किया जाये और पूरे प्रकरण की जांच वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाये। *...(व्यवधान)* सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाये। यह अत्यधिक निंदनीय है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री ने अभी तक घटनास्थल का दौरा नहीं किया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में जो राजस्थान में गंगानगर में हुआ उससे सम्पूर्ण देश के जन साधारण को आघात पहुंचा है। *...(व्यवधान)* इसने सम्पूर्ण देश को आघात पहुंचाना है। *...(व्यवधान)* गम्भीर रूप से सूखा पीड़ित गरीब किसानों ने खड़ी फसलों को बचाने के लिए नहर का पानी छोड़ने की मांग की थी। पानी की आपूर्ति करने की बजाय राज्य सरकार ने अंधाधुंध पुलिस गोलीबारी से जवाब दिया और पांच किसान मारे गए। *...(व्यवधान)* यह भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की क्रूर कार्यवाही है। राज्य पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी के कारण पांच किसान मारे गए और बहुत से घायल हो गए। बहुत से क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है *...(व्यवधान)* इसलिए, मेरी मांग है कि सभी पांचों परिवारों को पर्याप्त हर्जाना दिया जाना चाहिए। पानी को छोड़ना जारी रखना चाहिए। *...(व्यवधान)* उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह राजस्थान सरकार की सम्पत्ति नहीं है। यह केंद्रीय प्रायोजित परियोजना है।

[अनुवाद]

हम सभी जानते हैं कि राजस्थान नहर का निर्माण केन्द्रीय निधि से किया गया था *...(व्यवधान)* अब उस राज्य में भाजपा

का शासन है। भाजपा किसानों के लिए दिखाने के आंसू बहाती है। गंगानगर की घटना ने उनकी वास्तविकता को उजागर किया है ...*(व्यवधान)* पानी जारी करने के स्थान पर राज्य सरकार ने किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पूरे देश को इस तरह के कार्य की निंदा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

मेरे विचार से पूरी सभा को ऐसी घटना की निंदा करनी चाहिए तथा राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा किए गए इस कुकृत्य के लिए घायल अथवा मारे गए किसानों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रासा सिंह रावत जी, क्या आप बोलना नहीं चाहते?

अपराह्न 12.32 बजे

(इस समय श्री निहाल चंद और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हाउस में आप लोगों का ड्रामा चल रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: निहाल चंद जी, क्या आप बोलेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): जी हां। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जल्दी बोलिये।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं भी बोलना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको मैंने जब बोलने के लिए बुलाया था तब आप वेल में खड़े थे। निहाल चंद जी, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिये। क्या बात है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये सभी उपद्रवी तत्व हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका नाम पहले बुलाया था। अब मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे सकता। निहाल चंद जी, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री निहाल चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से आता हूं। श्रीगंगानगर जिले में पिछले एक महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, वह मात्र कांग्रेस और कम्युनिस्ट आंदोलन है। इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब पूरे राजस्थान को पानी नहीं दे रहा है। 1981 के इकरारनामे के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 8.6 एमएएफ पानी राजस्थान को दिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: क्या आप किसानों पर गोली चलायेंगे? ...*(व्यवधान)* वहां पांच किसान मारे गये हैं। आप क्या बात करते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुमन, आप अपनी बात यह चुके हो। यद्यपि, यहां काफी व्यवधान था, लेकिन आप अपनी बात समाप्त कर चुके थे। हमें दूसरों की बात सुनने की भी आदत डालनी चाहिए।

[हिन्दी]

यह कैसा तरीका है। हर आदमी खुद ही बोलना चाहेगा और किसी की बात नहीं सुनेगा तो कैसे यह हाउस चलेगा?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये।

[अनुवाद]

मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैं सदस्यों के नाम लेना शुरू करूंगा।

[अध्यक्ष महोदय]

सब कुछ तैयार है। यह खाली धमकी नहीं है। कृपया इसे खाली धमकी न समझें।

मैंने पूरी तैयारी कर ली है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम हर वक्त हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपको टाइम देंगे। लेकिन फिर भी कितना टाइम वेस्ट किया गया।

[अनुवाद]

कितने माननीय सदस्य अब तक बोल पाए हैं और अब तक महत्वपूर्ण मामले उठाए हैं? अनेक माननीय सदस्य आते हैं और मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिलकर कहते हैं कि वह महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मैं सभी को समान अवसर देने की कोशिश करूंगा।

[हिन्दी]

ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि केवल आप अपनी ही वाइस सुनेंगे और किसी दूसरे माननीय सदस्य की वाइस नहीं सुनेंगे। आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन जब हम बुलाएंगे, तब बोलिएगा। अभी हमने आपको परमिशन नहीं दी है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या सब कुछ अनुचित है?

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यह अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामला उठा रहे हैं लेकिन आप उन्हें इनसे संबद्ध होने को कह रहे हैं। यह उचित नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है। आप गलत बयानबाजी मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे नहीं सीखूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री निहाल चन्द, क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें कभी भी संबद्ध होने के लिए नहीं कहा है। मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह शर्मनाक है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: निहाल चन्द जी, अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो हम अगले मैम्बर को बुलाएंगे।

श्री निहाल चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर से आता हूं। वहां पर पिछले एक माह से किसान आंदोलन कर रहा है। किसान को पंजाब पूरा पानी नहीं दे रहा है जिससे किसान आंदोलन कर रहा है। 1981 में राजस्थान के हिस्से का पानी 8.6 एम.ए.एफ. अधिकृत किया गया था, वह पानी राजस्थान को पंजाब नहीं दे रहा है। ...*(व्यवधान)* 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को 8.6 एम.ए.एफ. पानी देने का फैसला किया था परन्तु अभी 8 एम.ए.एफ. ही पानी मिल रहा है। पानी का हैडवर्क्स का नियंत्रण भी पंजाब के हाथों में है। ...*(व्यवधान)* पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया गया है कि हैडवर्क्स का केन्द्रीय नियंत्रण भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बी.बी.एम.बी. के पास हो। पंजाब व हरियाणा के सदस्य प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसमें राजस्थान का प्रतिनिधि भी होना चाहिए और इसका प्रतिनिधित्व राजस्थान के सदस्य करें - यही मेरा निवेदन है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां आपस में बातचीत न करें। कृपया बैठ जाइए। हर कोई इस सभा का माननीय सदस्य है और वे अपने

क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसी को भी अन्य को बेलने के समय व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः क्या आप आदेश करेंगे कि अन्य सदस्य क्या कहें? आप शर्मनाक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्दः वहां का किसान आंदोलन कर रहा है। केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है। पंजाब राजस्थान को पूरा पानी नहीं दे रहा है। जब पानी का मामला चल रहा था, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान के सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे लकिन उन्होंने आश्वासन तक नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दें कि राजस्थान के हिस्से का पानी कब तक पूरा दिया जाएगा? मैं यही निवेदन सरकार से करना चाहूंगा। यहां संसदीय कार्य मंत्री भी विराजमान हैं। मैं उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चालीस वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है। राजस्थान को अभी तक पूरा पानी नहीं मिला। मेरा यही निवेदन है कि राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः उन माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात, जिनका नाम मैंने बोलने के लिए पुकारा है, के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही आई.एस.आई. तथा अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के साथ-साथ नेपाल के अंदर चल रही माओवादी गतिविधियों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पिछले 10-15 सालों से सीमावर्ती क्षेत्र अति संवेदनशील हो चुका है। वोहरा कमेटी ने भी इस सीमावर्ती क्षेत्र की संवेदनशीलता का जिक्र किया था। यहां पर भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का, भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र का एक नापाक गठबंधन बन चुका है। माफिया और अपराधिक गिरोहों का आई.एस.आई. और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में जुड़े हुए लोगों के बीच संबंध होने के कारण यह आज और खतरनाक रूप

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से चुका है। वोहरा कमेटी ने भी इस सीमावर्ती क्षेत्र की संवेदनशीलता का जिक्र किया था। यहां पर भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का, भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र का एक नापाक गठबंधन बन चुका है। माफिया और अपराधिक गिरोहों का आई.एस.आई. और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में जुड़े हुए लोगों के बीच संबंध होने के कारण यह आज और खतरनाक रूप ले चुके है जिससे क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, आज जहां आई.एस.आई. और उससे जुड़ी हुई राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से यह सीमावर्ती क्षेत्र पहले ही बहुत संवेदनशील था। आज हमारे एकमात्र मित्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल के अंदर चल रही माओवादी गतिविधियों के कारण यह और भी संदेवनशील हो चुका है।

महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में माओवादियों ने बहुत तेजी के साथ भारत विरोधी गतिविधियों को प्रारम्भ किया है। उन्होंने भारत की सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र में दर्जनों बंकर बनाने भी शुरू कर दिए हैं। पहले यह सीमावर्ती क्षेत्र देश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे शांत था, लेकिन आज वहां भी अशांति कायम करने का काम किया जा रहा है। एन.डी.ए. की सरकार ने इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को समझा था और वहां एस.एस.बी. को तैनात किया था। लेकिन स्पेशल सर्विस ब्यूरो के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह माओवादियों की भारत विरोधी गतिविधियों का मुकाबला कर सके। उस अशांत हो रहे क्षेत्र की सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन सब गतिविधियों को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र में चल रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध भारत सरकार अविलम्ब कदम उठाए और जो भी गतिविधियां माओवादियों द्वारा वहां चलाई जा रही हैं, उनको कठोरता से कुचलने का प्रयास करे।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः 'शून्य काल' में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री गुरुदास दासगुप्त।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, मैंने कल से सूचना दी हुई है। उसका क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः सब लोग इसी तरह से समय मांगेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक बज जाएगा तो मैं हाउस एडजोर्न कर दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः क्या सभी सदस्यों को खड़े होकर कहना चाहिए कि उसने सूचना दी है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादवः मेरा लिस्ट में दूसरा नम्बर था।

अध्यक्ष महोदयः बोलते रहिए।

[अनुवाद]

कुछ वरिष्ठ सदस्य इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। श्री दासगुप्त, कृपया संक्षेप में बोलिए। हमने काफी समय बर्बाद किया है।

अपराह्न 12.42 बजे

(दो) बंगलौर में मैच के दौरान ब्राजील के फुटबाल खिलाड़ी, क्रिस्टयानों जूनियर के निधन के बारे में

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं समग्र सभा का ध्यान उस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जो कुछ दिन पूर्व बंगलौर में हमारे राष्ट्रीय टूर्नामेंट के भाग के रूप में फुटबाल, के मैच के दौरान घटित हुई थी। ब्राजील का एक खिलाड़ी हमारे लिए खेल रहा था। वह एक ऊर्जावान खिलाड़ी था। उन्होंने खेले गए प्रत्येक मैच में गोल बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया था।

अध्यक्ष महोदयः यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्तः यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने सभी मैचों में गोल बनाए थे। दुर्भाग्य से लगातार दूसरा गोल बनाते हुए वह मैदान में गिर गए और उन्हें मृत पाया गया।

महोदय, मैं सभी की ओर से उनके परिवार तथा उनके राष्ट्र के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः हम सब आपके साथ हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्तः महोदय, यह मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा यह है कि सभी समाचार-पत्रों में यह गंभीर शिकायत रही है कि मैदान में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी और टूर्नामेंट अखिल भारतीय फुटबाल संघ द्वारा आयोजित किया गया था तथा जिसके अध्यक्ष एक माननीय मंत्री हैं। कोई सुविधा वहां नहीं थी यहां तक एम्बुलेंस तक वहां नहीं थी। ...*(व्यवधान)*

श्री अलीमाऊ चर्चील (मारमुगाओ): एम्बुलेंस वहां थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। कोई आपको उत्तर देने के लिए नहीं कह रहा है।

श्री गुरूदास दासगुप्तः एम्बुलेंस में आक्सीजन नहीं थी। कोई प्राथमिक सुविधा नहीं थी। पास ही एक अस्पताल था जहां उसे नहीं ले जाया गया था। उसे दो किलोमीटर दूर ले जाया गया था। मैं आशा करता हूं कि सरकार शीघ्र जांच कराएगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री आठवले, आप मुझे हटाने का प्रस्ताव रखिए और तत्पश्चात आप अपना प्रश्न पूछिए। आप मुझे हटाने के लिए प्रस्ताव लाइए।

श्री गुरूदास दासगुप्तः महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय फुटबाल संघ ने इस घटना की निन्दा की है और जांच कराने के लिए कहा है। मैं पदासीन खेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त जांच कराने का आदेश दें और खिलाड़ी के परिवार को पर्याप्त सहायता राशि दें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने मात्र 3 लाख रुपये की राशि को ही मंजूरी दी है। मैं अनुरोध करता हूं कि अनुग्रह राशि उसके परिवार को तुरन्त दी जाए और सभी फुटबाल के मैचों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अन्यथा अखिल भारतीय फुटबाल संघ को भारत में ऐसे टूर्नामेंट कराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): फुटबाल टीम के लिए ही नहीं सभी खेलों के लिए ऐसा होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैंने भी इस मुद्दे पर सूचना दी थी। जैसाकि वक्तव्य दिया गया है कि क्रिस्टियानो डीलिया जूनियर, एक अत्यन्त अच्छे खिलाड़ी थे, को इस घटना में जीवन से हाथ धोना पड़ा जोकि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण था यह भी कहा गया है कि वह दूसरे पक्ष के खिलाड़ी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे।

जो कुछ भी हुआ है वह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के राष्ट्रीय खेल में यथा अपेक्षित उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जबकि यह एक फेडरेशन कप फुटबाल मैच है और भारत में अत्यन्त महत्वपूर्ण खेल माना जाता है। कुछ मिनटों के पश्चात् उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया था।

अध्यक्ष महोदयः आपको तथ्य नहीं बताने हैं। आप हमें वह बातें बताइए जो आप कहना चाहते हैं।

श्री पी.सी. थामसः वहां आक्सीजन सिलेंडर तक नहीं था। समाचार-पत्रों में बताया गया है कि यदि उस समय समुचित सहायता दी जाती तो उसे बचाया जा सकता था। शायद वह दिल का दौरा पड़ने से मरे हैं। लेकिन उन्हें बताया जा सकता था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी इस बात से सहमत हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामसः मैं विद्वान सदस्य के साथ भी अपने को सहबद्ध करता हूं और मैं सरकार से अनुरोध भी करता हूं कि वह इस मामले पर तुरन्त कार्रवाई करे। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जीः हम भी इसके साथ स्वयं को सम्बद्ध करते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः जैसाकि यह ठीक ही कहा गया है कि पूरा सदन आप दोनों के साथ सम्बद्ध है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी थामसः यदि पूरा सदन अपनी संवेदनाएं भेजता है तो यह बहुत अच्छा होगा। यदि सरकार इस मामले पर अपनी राय बता दे तो यह और भी अच्छी बात होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इस बात पर नहीं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः आपने कहा कि पूरा सदन इस बात से सहमत है। जब संसदीय कार्य मंत्री अथवा खेल मंत्री यहां बैठे हुए हैं तो उन्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह बात उन पर छोड़ दीजिए। इसे यहां और अभी नहीं निपटाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है वह यह बात सुन रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः उन्हें जांच कराने दीजिए और तथ्यों का पता लगाने दीजिए। वे मूक दर्शक नहीं हैं। उन्हें इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पूरा सदन इसके साथ सहमत है ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): हमने आपका मुद्दा नोट कर लिया है। हम उचित कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष जी, बिना मेडिकल सुविधा के खिलाड़ियों के साथ कुछ भी अप्रिय हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): अध्यक्ष जी, झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य की बहुद्देशीय कनहर जलाशय परियोजना, दोनों राज्यों के परस्पर सामंजस्य एवं सहयोग के अभाव में अधर में पड़ी है। इस परियोजना के निर्माण से राज्य के गढ़वा जैसे सूखाग्रस्त एवं उग्र प्रभावित जिले की लगभग 66 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई एवं लगभग 200 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन होगा, जिससे आम मजदूर किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही जिले में हरित क्रान्ति आ जायेगी।

दूसरा, उत्तर कोयल एवं बटाने परियोजना झारखंड राज्य के पलामू प्रमंडल में स्थित है, किंतु जल संसाधन विभाग, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना निर्गत कर इनके नियंत्रण एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी बिहार की राज्य सरकार को सौंप दी गयी है। अधिसूचना की तिथि से ही वर्णित योजनाओं का कार्य ठप्प है। झारखंड सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अपनी पूर्व अधिसूचना को रद्द करते हुए इन दोनों परियोजनाओं का प्रबंधन एवं नियंत्रण झारखंड सरकार को सौंप देने संबंधी अधिसूचना भारत सरकार का जल संसाधन विभाग योजनाहित एवं जनहित में जारी करे। साथ ही पलामू प्रमंडल की औरंगा एवं अमानत परियोजनाएं भी अधूरी पड़ी हैं। झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित गवई ब्राज परियोजना रख-रखाव के अभाव में अपनी क्षमता का मात्र 20 प्रतिशत ही सिंचाई कर पा रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री दुबे, पढ़ने की अनुमति नहीं है। आप क्या कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अब आप अपनी स्पीच खत्म कीजिए।

श्री चन्द्र शेखर दूबेः इस योजना के पूर्ण होने से 25 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर इसे पूरा करने की व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री शिवराज सिंह चौहान—अनुपस्थित। कुमारी ममता बनर्जी।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, अन्ततः आपने मुझे अनुमति दे ही दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बनर्जी आप उत्तेजित मत होइए। आप तो अनुभवी सदस्या हैं।

कुमारी ममता बनर्जी: वे मुझसे किस प्रकार पूछ रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: उन्हें नजरअंदाज कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि केवल आपका वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

कुमारी ममता बनर्जी: ठीक है मैं उनकी परवाह नहीं करती हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं?

कुमारी ममता बनर्जी: देश के विभिन्न भागों में और विशेष कर पश्चिम बंगाल के जनजातीय बहुल क्षेत्रों विशेषकर झारग्राम सबडिविजन में अमलाशहोल, झारग्राम सबडिविजन में केलपाहारी और शाकरियाल वर्दवान सबडिवीजन में पुरुलिया और वागमूंदी और बांकुरा के कुछ हिस्सों में भी और दौरास के चाय-बागान क्षेत्रों में भी भुखमरी से मौतों में वृद्धि हो रही है। भुखमरी के कारण 1000 से भी अधिक लोग मर गए हैं।

सरकार की 'काम के बदले अनाज' की अन्त्योदय अन्न योजना जैसे कार्यक्रम हैं। सरकार इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अन्न भेज रही है लेकिन उन्हें अन्न नहीं मिल रहा है। वे प्रतिदिन मर रहे हैं। स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक अधिकारिक दल शीघ्र भेजे। इन लोगों की रक्षा की जानी चाहिए।

ये लोग केवल चिल्ला रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं- माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री यहां हैं—कि उन क्षेत्रों का दौरा करने हेतु वहां एक अधिकारिक दल भेजें। ये लोग भूख से मर रहे हैं।

[हिन्दी]

वे भूखे मरते हैं। उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। आप उनके लिए कुछ कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।

अब श्री राजेश कुमार मांझी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मित्रसेन यादव, आप अपने मामले में सहायता नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मांझी, क्या आप कुछ कहने के लिए तैयार हैं?

[हिन्दी]

आप सबजैक्ट पर बोलिए। पेपर से नहीं पढ़ना है।

[अनुवाद]

ठीक है, आप तैयारी कीजिए। तब तक मैं किसी अन्य को अवसर देता हूं।

अब, श्री मित्रसेन यादव। आप यह न सोचें कि चूंकि आप बार-बार खड़े हो रहे हैं इसलिए मैं आपको यह अवसर दे रहा हूं। मैं विषय के कारण आपको अवसर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): मैंने समय पर नोटिस दिया है। मैं एक अनुशासित सदस्य हूं। मैंने कभी आपके आदेश का उल्लंघन नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि कभी ऐसा नहीं किया, तो आज किसलिए किया?

श्री मित्रसेन यादव: अध्यक्ष महोदय, भूल से कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार पूरे देश में खाद्यान्न योजनाओं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और विभिन्न योजनाओं के तहत तमाम लोगों को काम के बदले अनाज वितरण करती है लेकिन उत्तर प्रदेश में उन योजनाओं के तहत खाद्यान्न की बड़े पैमाने में चोरी और भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में कई जिलों में अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट भी की गई जिसे लेकर जिलाधिकारी तक ससपैंड किये गये। लखीमपुर के जिलाधिकारी 108 करोड़ रुपये के घोटाले में सस्पेंड हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समय कम है। आप अपनी बात जल्दी खत्म करिए।

श्री मित्रसेन यादव: इस प्रकार पूरे प्रदेश में 25 हजार करोड़ रुपये के खाद्यान्न का ब्लैकमेल और घोटाला हुआ। हमारी मांग है कि इतने बड़े घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की कृपा की जाए क्योंकि गरीबों के खाद्यान्न की चोरी हुई है। पूरे देश में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, एक साल में सारे गरीबों का राशन ब्लैक में बेच दिया गया। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह इस मामले की जांच सी.बी.आई. से कराए जिससे दोषी लोगों को दंड दिया जा सके। ...*(व्यवधान)* वहां के मंत्री और अधिकारी मिल कर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने इसे बहुत जोरदार तरीके से रखा है। अब, श्री राजेश कुमारी मांझी।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार मांझी (गया): अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवासीय ऋण मिलने में बहुत असुविधा होती है। उसे शीघ्र उपलब्ध कराना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अच्छा आवासीय ऋण मुहैय्या कराकर, उन्हें अच्छे से अच्छा आवास मिल सके।

[अनुवाद]

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम): महोदय, स्वतंत्रता के पांच दशकों के पश्चात आदिवासी लोगों की दशा बदतर हुई है। वे गरीबों में भी सबसे गरीब हैं। केन्द्र स्थित अनुवर्ती सरकारें उनसे उनकी जमीनें छीन रही हैं, वनों में उनके आवागमन को बाधित किया गया है, और बिना किसी परामर्श और उनके सम्पूर्ण पुनर्वास के बिना विकासकारी और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उनका विस्थापन किया जा रहा है।

जनजातीय लोगों और आदिवासियों का वनों तथा उनकी उपज से गहरा प्राकृतिक संबंध है। लेकिन भारतीय वन अधिनियम तथा उसके उत्तरवर्ती संस्करणों ने उन्हें वनों का एकीकृत भाग मानने के स्थान पर वनों तथा उनके उत्पादों के संदर्भ में उन्हें घुसपैठिए माना है।

भारत सरकार द्वारा 2 मई, 2002 को जारी किये गये क्रूर परिपत्र को वापस लिया जाना चाहिए और वनों से आदिवासियों को विस्थापित किये जाने के कार्य को रोका जाना चाहिए। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि आदिवासी लोगों द्वारा जोती जाने वाली भूमि और जिस भूमि का उपयोग उनके द्वारा आवास के लिए किया जा रहा है उसे उनके नाम दर्ज कर दिया जाना चाहिए।

वे, पूरे देश में वर्षों से उस भूमि को जोत रहे हैं व उसका उपयोग कर रहे हैं। अत:, इसे सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में शीघ्रातिशीघ्र समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): अध्यक्ष महोदय, देश के लाखों भूतपूर्व सैनिक वर्षों से 'एक रैंक एक पेंशन' की मांग कर रहे हैं लेकिन वह आज तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि अधिकारी स्तर पर यह मांग पूरी हो गई है लेकिन जवानों की यह मांग पूरी नहीं हुई है। जिस समय केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय यह विषय अन्तर-मंत्रालयीन समिति के विचाराधीन था। मुझे उम्मीद है कि अंतर-मंत्रालयीन समिति से सरकार के पास यह विषय आ गया होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि भूतपूर्व सैनिकों की 'एक रैंक एक पेंशन' मांग पूरी होनी चाहिए और लोक सभा की एक स्थायी समिति ने भी सर्वसम्मति से इसकी सिफारिश की है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अविलम्ब भूतपूर्व सैनिकों की मांग पूरी हो ताकि देश के लाखों भूतपूर्व सैनिक राहत अनुभव कर सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह—वे अनुपस्थित हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसी अन्य को सभा की कार्यवाही चलाने दें। श्री शैलेन्द्र कुमार, चूंकि अभी आप अध्यक्ष नहीं हैं। यदि आप चुने गए हैं तो आप यहां आकर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि देश के 50 हजार ईंट-भट्टे बंद होने के कगार पर हैं। इससे 50 लाख श्रमिक बेकार होने जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पर्यावरण मंत्रालय की एक राजाज्ञा से करीब 25 प्रतिशत पावर हाउस की ऐश मिलानी पड़ेगी, लेकिन ईंट-भट्टों पर काम नहीं हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि कोयला, पर्यावरण और श्रम मंत्रालय मिलकर इस समस्या की ओर ध्यान दें और उनकी मुख्य मांग का समाधान करने का कष्ट करें। मुख्य मांग यह है कि पर्यावरण मंत्रालय जो मनमानी कर रहा है कि फ्लाई-ऐश का प्रयोग किया जाये, यह न्यायोचित नहीं है। ईंट-भट्टों के लिए कोयला मंत्रालय एक योजना बनाये जिससे फिर उन्हें कोयला मिल सके। बाकी सारे मंत्रालयों को कोयला मिलता है लेकिन ईंट-भट्टों के लिए नहीं मिलता है। ईंट-भट्टों के श्रमिकों के लिए जो कानून है, उसमें परिवर्तन किया जाये। पृथक् ईंट-भट्टा कानून बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति बनाई जाये जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे जिसके आधार पर कानून बने। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग हेतु आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी वे अनुपस्थित हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं कई बार इस मामले को उठा चुका हूं। सबरीमाला देवस्थानम देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थस्थानों में से एक है। प्रति वर्ष लाखों लोग घने वन में स्थित इस क्षेत्र विशेष की ओर अभिमुख होते हैं। अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं। बहुत से लोग अपने प्राण गंवा देते हैं। बहुत से गंभीर रूप से घायल होते हैं। केरल सरकार, त्रावणकोर देवासम बोर्ड और केरल के संसद सदस्यों की यह मांग लंबित है कि वहां जाने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के विस्तार हेतु अधिक भूमि हस्तांतरित की जाए। पूर्व माननीय मंत्री जी यहां हैं। वे इसे भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन अभी तक इस अनुरोध पर विचार नहीं हुआ है। अब, त्यौहारों का मौसम आ गया है। मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं। राज्य सरकार आवश्यक प्रतिपूरक वनीकरण करेगी। अतः मैं केन्द्र सरकार से सबरीमाला देवस्थानम हेतु सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख (शोलापुर): अध्यक्ष महोदय, देश में प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हो रही है जिसके कारण देश के नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इथेनाल निर्मिती का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस का उपयोग किये जाने की आवश्यकता है। सरकार से निवेदन है कि वह इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले।

श्री राजनारायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में महोबा जनपद में एक नवोदय विद्यालय है। उस विद्यालय में पिछले छः महीनों में दो बच्चों द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। वहां इतना भय का माहौल है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से लेकर जा चुके हैं। इसके कारण विद्यालय बंद होने के कगार पर है। हमारी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि आने वाले समय में कोई और बच्चा आत्महत्या न करे तथा मृतकों के परिवारों को सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 11, नामतः, नियम 377 के अधीन मामले को लेंगे। श्री मदन लाल शर्मा।

(एक) जम्मू और कश्मीर में पर्यटन स्थलों के तत्स्थानिक सर्वेक्षण और उनके विकास के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने हेतु एक उच्चस्तरीय दल गठित किये जाने की आवश्यकता

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): महोदय, पर्यटन जम्मू-कश्मीर के लोगों की जीवन रेखा है जिसे राज्य में वर्तमान गड़बड़ियों के

चलते बड़ा धक्का लगा है। यद्यपि, कश्मीर में पर्यटकों के आगमन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है लेकिन इस क्षेत्र के अंतर्गत विकल्प के रूप में हमें जम्मू और लद्दाख की संभावनाओं का भी दोहन करना पड़ेगा।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जम्मू प्रखण्ड के अन्तर्गत जम्मू-राजौरी और पुन्छ जिले आते हैं जिनमें विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है। अखनूर नौशेरा में तथा पानी, शद्रा शरीफ, नंगली साहब, मंडी-लोरान, मन्सोर, सुरेनसर, जज्जर कोटली, पुरमण्डल, शिवखोरी, उत्तरबनी, बाहु-फोर्ट (बाहु-किला) और डारीडगर आदि, जैसे स्थलों का नवीकरण तथा उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार के बहुत सीमित संसाधनों के चलते हमें इस कार्य हेतु केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।

पर्यटन मंत्रालय इन क्षेत्रों का मौके पर सर्वेक्षण करने हेतु एक उच्च-स्तरीय दल का गठन कर सकता है और इनके उन्नयन हेतु उपाय निकाल सकता है।

(दो) संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के भवन निर्माण उपनियमों में वस्तुस्थितिपरक संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, चंडीगढ़ में लगभग 90 प्रतिशत मकान मालिकों ने अपने मकानों और फ्लैटों में अपनी आवश्यकतानुसार परिवर्धन और संशोधन किये हैं। हाल में, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने ऐसे कुछ मामलों में अचानक ही नोटिस जारी करना और पुनर्ग्रहण आदेश पारित करना शुरू कर दिया है जबकि इसके पूर्व उसने इस तरह के परिवर्धन और संशोधन कार्यों को यथोचित समय पर रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाये थे। इससे यहां के निवासियों में बहुत अधिक घबराहट और चिंता व्याप्त है। परिवर्धन और संशोधन कार्य इतने बड़े पैमाने पर हुए हैं कि उन्हें अब पूरी तरह से हटा पाना व्यावहारिक रूप से असंभव लगता है। अब इस बारे में जिस बात की आवश्यकता है वह है भवन निर्माण उपनियमों में वस्तुस्थितिपरक संशोधन किये जाने की और उपलब्ध सीमित भूमि के उपयुक्त प्रयोग हेतु 'फ्लोर एरिया रेशियो' (एफ ए आर) में वृद्धि करना। इस उद्देश्य के लिए जो समिति गठित की गई थी उस समिति की सिफारिशों से भी इस समस्या का कोई उचित समाधान नहीं निकाला जा सका है।

तदनुरूप, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक बार में ही भवन निर्माण उपनियमों में वस्तुस्थितिपरक संशोधन करें और फिर शहर की सुंदरता तथा इसकी आयोजना की वास्तुशिल्प सुंदरता को बनाये रखने के लिए इन उपनियमों को लागू करे।

[हिन्दी]

(तीन) कच्छ क्षेत्र में पेय जल की भारी कमी की समस्या के समाधान के लिए गुजरात सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ (जूनागढ़): सम्माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में सौराष्ट्र (कच्छ) क्षेत्र के लोगों के लिए पीने के पानी की बहुत कमी है क्योंकि भौगोलिक रूप से वह क्षेत्र समुद्र के समीप है इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से सूखाग्रस्त भी है। यहां का पानी बहुत खारा है और पीने योग्य नहीं है। सूखाग्रस्त होने के कारण यहां पीने के पानी की बहुत कमी है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सौराष्ट्र (कच्छ) क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए गुजरात सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करें। पीने का पानी जो कि मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक है उसकी सालों से चली आ रही समस्या को हल करने के लिए इस क्षेत्र को एक विशेष पैकेज दिया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए जल्दी उपाय करें।

(चार) टिस्को के स्वामित्व वाली संरक्षित खदानों के श्रमिकों को कोयला मजूरी बोर्ड समझौते के अनुसार 15 प्रतिशत अंतरिम राहत का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): सभापति जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय दिया गया है। देश के समस्त कोयला कर्मी जो कैप्टीव माइंस एवं कोल इंडिया के तहत कार्यरत हैं, उनका एक समान वेतन-निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। इसके तहत बिन्दु एक से लेकर छः तक के समझौतों का कार्यान्वयन हो गया है। सातवां कोयला वेतन समझौता अभी बाकी है। 15 प्रतिशत इंटरिम रिलीफ देना तय हुआ, जिसके तहत कोल इंडिया की समस्त इकाइयों के मजदूरों को अंतरिम राहत दी जा चुकी है, परन्तु कैप्टीव माइन्स चलाने वाले टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने अपने कोयला मजदूरों को 15 प्रतिशत की इंटरिम रिलीफ का भुगतान नहीं किया है और न वह सातवें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते में भाग ले रहा है।

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि कोयला-कर्मियों के समान कार्य के लिए एक तरह का वेतन निर्धारण करने के लिए

[श्री चन्द्रशेखर दूबे]

सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता नं. 7 में टिस्को को भाग लेने एवं 15 प्रतिशत इंटरिम रिलीफ का अविलम्ब भुगतान करने का आदेश दिया जाए जिससे मजदूरों को उचित न्याय मिल सके और कोयला खदान के राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। लिखित पाठ के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

(पांच) गुजरात में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत राज्य सरकार को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): महोदय, गुजरात राज्य के तीन-चौथाई भाग में जलापूर्ति का ऐसा कोई भी स्थानीय स्रोत उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर वहां कोई विश्वसनीय और टिकाऊ जलापूर्ति व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। इसलिए, यहां इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है कि जल को बड़े पैमाने पर पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाया जाये और जल के अंतर-बेसिन हस्तांतरण के सिद्धांत के आधार पर एक जल वितरण नेटवर्क विकसित किया जाये और इसके लिए गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उसे एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत 65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे।

मेरा सरकार से अनुरोध कि वह शीघ्रातिशीघ्र इस मामले को सुलझाये।

सभापति महोदय: श्री प्रदीप गांधी—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

(छह) महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धमनगांव, सिंधी और चंदूर रेलवे स्टेशनों पर उपरी पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा, महाराष्ट्र के अंतर्गत हिंगणघाट, पुलगांव रेलवे धामनगांव रेलवे स्टेशन, सिन्धी रेलवे स्टेशन एवं चांदूर रेलवे स्टेशन आते हैं। ये रेलवे स्टेशन हाईवे पर स्थित हैं। इन स्टेशनों पर रेल गाड़ियों का आवागमन अधिक होने के कारण सड़क मार्ग घंटों बंद रहता है और सेवा ग्राम तथा सावंगीरमेघे में मेडिकल कालेज होने के कारण देश के अनेक राज्यों से गंभीर रोगी एम्बुलेंस में आते हैं, लेकिन रेल गाड़ियों के आवागमन से सड़क मार्ग बंद होने के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहां के आम नागरिकों को भी सड़क मार्ग बंद होने से काफी असुविधा होती है और अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने में काफी समय लग जाता है। इस रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवाने हेतु क्षेत्र की जनता द्वारा अनेक बार प्रदर्शन एवं धरने दिए गए, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जनहित की मांग को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र में धामनगांव रेलवे स्टेशन, सिन्धी रेलवे स्टेशन एवं चांदूर रेलवे स्टेशन पर अविलम्ब ओवर ब्रिज बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(सात) मात्स्यिकी और पशुपालन क्षेत्रों का संतुलित और समान विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र मंत्रालय सृजित किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती मनोरमा माधवराव (उदुपी): मत्स्यपालन और पशुपालन क्षेत्र में काफी तेजी से और बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और इस तरह इसके लिए नीति निर्धारण और धन आवंटन दोनों ही मामलों में अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, कृषि मंत्रालय जिस पर समान रूप से महत्वपूर्ण और व्यापक कृषि क्षेत्र के प्रबंधन का भार है मत्स्यपालन और पशुपालन क्षेत्र की देखभाल कर रहा है। कृषि से संबद्ध परियोजनाओं के नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन से संबद्ध मामलों की ओर कृषि मंत्रालय द्वारा पूरी तरह और एकाग्रचित्त होकर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। परिवहन क्षेत्र को अब नागरिक विमानन, रेलवे, सड़क परिवहन तथा पोत परिवहन में विभाजित कर दिया गया है। इसी आधार पर और इन क्षेत्रों के बेहतर शासन के लिए यह आवश्यक है कि मत्स्यपालन और पशुपालन के लिए एक अलग मंत्रालय गठित किया जाये और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में इसके योगदान के अनुपात में इसे धनराशि आवंटित की जाये।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रस्ताव पर यथाशीघ्र विचार करे ताकि मत्स्यपालन और पशुपालन क्षेत्र का सम्यक और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(आठ) सर्कस उद्योग को खेलकूद और मनोरंजन उद्योग के समान मानते हुए उसे प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): महोदय, मैं केरल की जिस कन्नानौर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह भारतीय सर्कस उद्योग का केन्द्र बिन्दु समझा जाता है।

सर्कस खेलकूद और मनोरंजन दोनों का एक सुमेल है- खेलकूद इसलिए क्योंकि सर्कस के कलाकार सीधे दर्शकों के सामने अपनी कलाबाजियां दिखाते हैं और मनोरंजन इसलिए क्योंकि यह रेडियो और टेलीविजन से स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है जिसे परिवार के बड़े-बूढ़ों से लेकर बच्चों तक के साथ देखा जा सकता है। इसके बावजूद इस उद्योग को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है और अब कई कारणों से यह लुप्तप्राय होता जा रहा है।

रूस और चीन की भांति इस उद्योग को राज्य संरक्षण प्राप्त नहीं है। इन देशों में सर्कस प्रशिक्षण अकादमी और संस्थाएं सरकार के संरक्षण में कार्य करती हैं। बाल सर्कस कलाकार इस उद्योग में दक्षता प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक कड़े अभ्यास और व्यायाम का प्रशिक्षण आरम्भ करते हैं। भारत के बाल श्रम कानून बच्चों को सर्कस उद्योग में प्रशिक्षण और प्रदर्शन को बढ़ावा देने से रोकते हैं। अत: इन कानूनों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

चूंकि सर्कस में लंबे समय से वन्य जीवों को पालतू बनाने और उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य होता रहा है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम के उपबन्ध सर्कस उद्योग के लिए इस दृष्टि से कुठाराघात साबित हुए हैं कि कि ये उपबन्ध वन्य जीवों को उनकी प्राकृतिक दशा में रहने से भी अधिक संरक्षण प्रदान करते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सर्कस उद्योग को खेलकूद और मनोरंजन उद्योग के समकक्ष मानते हुए इसे बढ़ावा दे।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश में हमीरपुर और कैमाहा राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों में बदलने और हमीरपुर-जोल्हुपुर, हमीरपुर-राठ और उरई होते हुए विलराया-पनवाड़ी राज्य राजमार्ग का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय राजमार्ग किये जाने की आवश्यकता

श्री राजनारायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर (उत्तर प्रदेश), सागर (मध्य प्रदेश) को मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से कैमाहा जनपद महोबा तक चार लाइनों में परिवर्तित करने की मांग जनता द्वारा की जा रही है। यह मार्ग बहुत व्यस्त रहता है और व्यस्तता के कारण दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। साथ ही राजमार्ग हमीरपुर से जौल्हुपुर जनपद जालौन तक तथा हमीरपुर से राठ तक एवं विलराया-पनवाड़ी राजमार्ग उरई से राठ होते हुए पनवाड़ी तक को राष्ट्रीय राजमार्ग में जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित किये जाने की तुरन्त आवश्यकता है।

अत:, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लाइनों में परिवर्तित करने एवं राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश पारित करने का कष्ट करें।

(दस) झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-75 पर गढ़ी, सिंगरा और पतमी गांव पर पुलिया का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री मनोज कुमार (पलामू): सभापति महोदय, झारखण्ड राज्य के पलामू जिले के राष्ट्रीय उच्च्व पथ संख्या-75 के पाटन प्रखण्ड के ग्राम गाड़ी, मेदनीनगर प्रखण्ड के ग्राम सिंगरा एवं लातेहार जिले के पतमी दोमुहान के पास पुलिया का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अत: सदन के माध्यम से भूतल परिवहन मंत्री से आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित स्थानों पर पुलिया के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाये।

[अनुवाद]

(ग्यारह) मजदूरी संदाय अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की अधिकतम सीमा 1600 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए किये जाने और इस बारे में राजपत्र अधिसूचना जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी संसदीय समिति के 23वें प्रतिवेदन की उन सिफारिशों को स्वीकार करने के संबंध में लिया गया निर्णय एक स्वागतयोग्य कदम है, जिन के द्वारा प्रत्येक बार संसद में एक संशोधन विधेयक लाने की बजाय एक राजपत्र-अधिसूचना द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर समय-समय पर मजदूरी की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए भारत सरकार को अधिकृत किया जाना है। तदनुसार, अधिकतम मजदूरी सीमा बढ़ाने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करने के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए था।

[श्री सी. कुप्पुसामी]

वर्तमान समय में, विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में किसी कर्मचारी या कामगार को अलग-अलग मानदंडों के साथ परिभाषित किया जाता है तथा वेतन या मजदूरी की निर्धारित सीमाएं भी अलग-अलग हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में कामगार के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा 1600 रुपये प्रति माह निर्धारित है जबकि बोनस संदाय अधिनियम में, 'कर्मचारी' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो 2500 रुपये प्रति माह से कम के वेतन या मजदूरी पर नियुक्त है। इसी प्रकार, उपदान संदाय अधिनियम में, बागान श्रम अधिनियम में, कर्मचारी के लिए वेतन की अधिकतम सीमा निर्धारित है। विभिन्न विधि-व्यवस्थाओं में कामगार के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में अलग-अलग मानदण्ड अपनाने के कारण किसी कानूनी विवाद की स्थिति में किसी कामगार के अपने हित लाभों से वंचित रह जाने की पूरी-पूरी संभावना होती है।

अतः, मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अन्य संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत कर्मचारी या कामगार को परिभाषित करने के उद्देश्य के लिए मजदूरी या वेतन के मानदंड के रूप में मजदूरी संदाय अधिनियम और बोनस संदाय अधिनियम में 6500 रुपये प्रति माह की प्रस्तावित अधिकतम मजदूरी स्वीकार करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें। मजदूरी संदाय अधिनियम में अधिकतम मजदूरी 1600 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 6500 रुपये प्रति माह करने के लिए शीघ्र से शीघ्र राजपत्र अधिसूचना जारी करने का भी उनसे अनुरोध है।

(बारह) पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में रेलवे भूमि से हटाये जाने वाले कुलियों के पुनर्वास की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर खण्ड द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियान के कारण खडगपुर शहर में अभी गंभीर खतरे की स्थिति है। लगभग एक सदी पुराने इस शहर में मुख्यतः देश के विभिन्न भागों से आए प्रवासी बसे हुए हैं। इसकी स्थापना से ही इस रेल जंक्शन शहर में हजारों कामकाजी लोग आकर बरसते रहे थे। वे लोग मुख्य रूप से रेल निर्माण और संबंधित कार्यों के लिए आए थे। अतः, उन्हें मिल-जुल कर रहने के लिए दशकों तक रेलवे की जमीन के अतिरिक्त कोई और जगह नहीं मिली। रेलवे के लाइसेंस प्राप्त प्रवासी कुलियों में से अधिकांश कुली बिहार से आए हुए हैं तथा वे पचास से भी अधिक वर्षों से कुली खोली में और साधारण रेलवे क्वार्टरों की अन्य जगहों में निवास कर रहे हैं। किन्तु, उन क्वार्टरों को निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया था। अब, बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किये या पुनर्वास के बिना, बेदखली अभियान और क्वार्टरों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है जिससे 275 कुलियों और उनके परिवार सदस्यों के लिए गंभीर असुरक्षा पैदा हो गई है। वैकल्पिक क्वार्टर देकर या घर बनाने के लिए रेलवे की खाली पड़ी जमीन उन्हें पट्टे पर देकर उन्हें आश्रय दिया जा सकता है।

मैं रेल मंत्री से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं ताकि खड़गपुर के गरीब कुलियों को निराश्रित न छोड़ दिया जाए।

(तेरह) कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक साथ गन्ना पेराई सीजन शुरू किये जाने के बारे में उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर): महोदय, यह महाराष्ट्र सरकार की एक नीति रही है कि महाराष्ट्र में स्थित चीनी मिलों के पेराई सत्र की शुरुआत की तिथि वह तय करे तथा यह निर्धारण मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। इस शुरुआती तिथि का राज्य की सभी चीनी मिलों द्वारा मामूली परिवर्तनों के साथ पालन किया जाता है।

गत दो वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में व्हाइट वूली एफिड (डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.) रोग के बढ़ने से राज्य में गन्ने की पैदावार में कमी आई है। इसलिए, मिलों को उपलब्ध होने वाले गन्ने की मात्रा में लगभग पचास प्रतिशत की कमी आई है।

मेरा संसदीय क्षेत्र कोल्हापुर कर्नाटक राज्य की सीमा से लगा हुआ है। कर्नाटक राज्य में सीमा पर कई निजी और सहकारी चीनी मिले हैं। चूंकि, ये चीनी मिलें अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं, अतः, पेराई सत्र की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत नहीं है। हालांकि, कर्नाटक राज्य की इन मिलों में पेराई सत्र की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य की मिलों से पहले होती है। महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्रों से बहुत बड़ी मात्रा में गन्ने उन मिलों में पहुंच जाते हैं, और इससे महाराष्ट्र में स्थित मिलों में गन्ने की भारी कमी हो जाती है। चूंकि दोनों ही राज्यों में मानसून के अंत का समय एक ही है, अतः, कर्नाटक में स्थित मिलों द्वारा पेराई सत्र पहले शुरू किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

मैं केन्द्र सरकार से एक समान पेराई सत्र की शुरुआत के लिए निदेशक (चीनी) द्वारा अनिवार्य दिशानिर्देश जारी करने हेतु संसद के माध्यम से चीनी नियंत्रण अधिनियम, 1966 और चीनी उपक्रम प्रबंध ग्रहण अधिनियम, 1978 को संशोधित करने का आग्रह करता हूं ताकि गन्ने के कच्चे पेड़ों की कटाई न हो।

[हिन्दी]

(चौदह) खेती को आकर्षक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को डीजल की खरीद पर सब्सिडी दिये जाने की आवश्यकता

श्रीमती अनुराधा चौधरी (कैराना): सभापति महोदय, उ.प्र. के किसानों को खेती करने के लिए सरकार द्वारा डीजल की कीमतों में वृद्धि करने के कारण किसान के द्वारा उत्पादित अनाज तथा गन्ना इत्यादि की उत्पादन लागत प्रभावित हुई है जिससे प्रदेश का किसान आज खेती करने से हटने को तैयार है क्योंकि उसे उसकी उपज का उचित मूल्य मिल नहीं रहा है।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि किसानों को डीजल की खरीद के लिए विशेष सब्सिडी दी जाए जिससे उसकी उत्पादित उपज का उचित लाभ प्राप्त हो सके और किसान आर्थिक स्थिति से उभर सके।

(पन्द्रह) छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव): सभापति महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव में स्थित डोंगरागढ़ विधान सभा जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा रिजर्व विधान सभा है। यहां प्रति वर्ष नवरात्रि मेला लगता है, लाखों लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रमुख तीर्थ स्थल है यहां पर रेलवे का काफी कार्य है। यहां पहले रेलवे विभाग द्वारा वाशिंग यार्ड बनाया हुआ है। केवल एक से दो करोड़ रुपये खर्च कर यहां सभी वे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं ताकि यहां से रेल गाड़ियां प्रारम्भ की जा सकें तथा नयी गाड़ियों का स्टापेज दिया जा सके।

अपराह्न 2.26 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकार की विदेश नीति—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब सरकार की विदेश नीति पर चर्चा करेगी। अब श्री नटवर सिंह बोलेंगे।

विदेश मंत्री (श्री के. नटवर सिंह): महोदय, कल सभा में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की विदेश नीति पर तीन घंटे पन्द्रह मिनट तक चर्चा हुई और मैं चर्चा में भाग लेने वाले तथा अमूल्य सुझाव देने वाले सभी बारह सदस्यों का आभारी हूं।

गत 57 वर्षों से भारत की विदेश नीति पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति रही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी विदेश नीति अपरिवर्तनीय या नीरस या समय के प्रतिकूल है। हमारी विदेश नीति निर्णय लेने की अपनी स्वतंत्रता और हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को किसी भी तरह त्यागे बिना बदलते विश्व परिदृष्य, बदलते विश्व एजेंडा को ध्यान में रखती है तथा अपने आपको उन स्थितियों के अनुरूप ढालती है।

लचीलेपन के साथ दृढ़ता को अपनाना हमारी विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहा है। और किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में, अपनी प्रकृति के अनुरूप ही विदेश नीति क्रमिक-विकासात्मक होती है, क्रांतिकारी नहीं। भारत की विदेश नीति की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में नहीं बल्कि उससे बहुत पहले 1927 में रखी थी जब उन्होंने उपनिवेशवाद के विरोध में हुए ब्रुसेल्स सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का प्रतिनिधित्व किया था। हमारी अर्थात् सं.प्र.ग. सरकार की विदेश नीति न्यूनतम साझा कार्यक्रम को व्यक्त करती है। सं.प्र.ग. सरकार ने छ: माह से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अत:, सरकार की विदेश नीति पर चर्चा करने तथा विदेश नीति के मामले में हमारी उपलब्धियों और आगे हमें क्या करना है के बारे में माननीय सदस्यों को बताने के लिए यहां मिले इस अवसर का मैं स्वागत करता हूं। भारत की विदेश नीति घटनान्मुखी दृष्टिकोण से परिपक्व होकर प्रक्रियान्मुखी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है। हमारी विदेश नीति नई शुरुआतों की घोषणा मात्र से संतुष्ट हो जाने के बजाए भारत के सम्मुख समकालीन चुनौतियों के ध्यानयुक्त अनुचिंतन सहित, हमारी उन क्षमताओं पर आधारित है जिसका उपयोग चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करने में किया जा सकता है। हमने क्रियाशील विचारों की बहुआयामी तथा परामर्शात्मक प्रक्रिया शुरू की है।

इस बात को स्वीकारते हुए कि घरेलू को विदेशी से तथा राजनीतिक को आर्थिक से अलग करती हुई रेखाएं लगातार अस्पष्ट होती जा रही हैं, हमारी विदेश नीति का आज स्पष्ट फोकस, परिपक्वता का भाव तथा प्रगतिशील चरित्र है। आज, यह सामान्य भावना है कि भारत का भाग्य दृढ़ हाथों द्वारा अनुभव और ज्ञान दोनों के सहयोग से ऐसे आत्मविश्वास के प्रदर्शन से जिसे हम दिखा सकते हैं, निश्चित किया जा रहा है।

महोदय, विश्व के प्रत्येक देश के नेताओं के यात्रा कार्यक्रमों में भारत का अनिवार्य यात्रा पड़ाव के रूप में उभरना डा. मनमोहन सिंह तथा इनके नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार की उच्च हैसियत तथा विश्वसनीयता को दर्शाती है।

[श्री के. नटवर सिंह]

सबको याद होगा कि हमारी सरकार ने जिन शुरुआती समस्याओं का सामना किया था उनमें से एक इराक में हमारे तीन नागरिकों का फिरौती के लिए अपहरण था। एक महीने से भी ज्यादा के धैर्य और नाजुक प्रयास के बाद हम अपने अपहृत लोगों का बिना अपने किसी सिद्धांत की बलि दिए सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में सफल हुए थे। यहां, मैं अपने सहयोगी राज्य मंत्री श्री ई. अहमद, जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, के प्रशंसनीय कार्यों का जिक्र करना चाहूंगा। इस समस्या के सफल और परिपक्व संचालन ने तेजी से बदलते और ज्यादा चुनौतियों से भरे भूमण्डलीय माहौल में हमारी विदेश नीति के पुनर्निर्धारण के लिए जमीन तैयार की।

यू.पी.ए. सरकार ने हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता देकर भारत की विदेश नीति को पुनर्केन्द्रित किया है। भारत का विदेश मंत्री बनने के बाद मैंने नेपाल को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुना। श्रीलंका के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की यात्राओं सहित कई उच्च स्तरीय यात्राएं हमारे पड़ोसी देशों की ओर से रखी गईं। नेपाल के प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री तथा वित्त मंत्री हाल में आए आगन्तुकों में शामिल हैं। हमने पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा महामहिम भूटान नरेश का भारत में स्वागत किया। अगले कुछ सप्ताह में महामहिम नेपाल नरेश तथा मालदीव के राष्ट्रपति की यहां आने की उम्मीद है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि पिछले महीने म्यांमार के राष्ट्र प्रमुख की दिल्ली यात्रा रही जो 26 वर्षों में ऐसी पहली यात्रा थी। इसके परिणाम यह रहे कि सीमा रेखा के पार की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की गई तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोह और आतंकवादी कार्रवाईयों को समन्वित कार्रवाई के जरिए रोकने पर चर्चा हुई। परन्तु, मैं, यहां यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ म्यांमार में हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए प्रयास जारी रखेंगे। हमारे मन में आंग सान सू की के प्रति बहुत आदर है। परन्तु यदि हम अपने निर्णयों और विचारों को उजागर करते हैं तो यह मददगार साबित नहीं होगा। बिना शोर-शराबा किए शांत राजनयिक तरीके से ऐसा करना उचित होगा।

हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध सिर्फ सरकार के स्तर पर सीमित नहीं हैं परन्तु इसने सचेतन रूप में समाज के विभिन्न वर्ग को शामिल कर लिया है तथा राजनीतिक परिदृश्य के पार चला गया है।

हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा सभी स्तरों पर लगातार और हमेशा संपर्क रहना चाहिए तथा व्यापक दायरे में चर्चा होनी चाहिए ताकि आपसी फायदे के सहयोग के लिए इसे आगे ले जाया जा सके और अवसरों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। साथ-साथ, इस सरकार ने ऐसे मामलों को सुलझाने में झिझक नहीं दिखायी है जहां पर मतभेद हो सकते हैं, परन्तु ऐसा मित्रता की भावना में और यथार्थ परक तथा आपस में स्वीकार्य निदानों के रचनात्मक खोज में किया है। आगामी सार्क सम्मेलन में जो अगले महीने ढाका में होने जा रहा है। हमारा दृष्टिकोण यही रहेगा। हम संपूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति और समृद्धि के सामूहिक भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं आज सुबह ही श्रीलंका के विदेश मंत्री से मिला हूं। हमारी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की तुलना में हमारे पड़ोसी भी हमारी कार्यसूची में हैं तथा इन्हें बिमस्टैक (भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड) में उचित ढंग से उठाया गया है। आतंकवाद विरोध के मुद्दों पर सहयोग करने के लिए बिमस्टैक के नेताओं द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, तथा संयुक्त कार्यकारी समूह की पहली बैठक दिल्ली में कल आयोजित होनी है।

अब, मैं पाकिस्तान पर आता हूं। पच्चीस वर्ष से भी पहले पाकिस्तान में भारत का उच्चायुक्त रहने के कारण मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है कि उत्तरी पड़ोसी देश के साथ हमारे अच्छे मैत्रीपूर्ण और स्नेहपूर्ण संबंध रहें। भारत-पाक संबंध दुर्घटना प्रवण हैं। इसलिए हमें इस मामले में बहुत सावधानी, विवेकपूर्ण तरीके से तथा धैर्यपूर्वक कार्य करना है। पाकिस्तान के साथ हमने प्रतिक्रियावादी नीति को पीछे छोड़ दिया है जो उल्लासोन्माद और निराशा के बीच लगातार डोलती रहती है।

हम लंबी चलने वाली और बोधशील बातचीत प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं यहां बता दूं कि यह प्रक्रिया 6 जनवरी, 2004 को शुरू हुई जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति मुशर्रफ ने घोषणा की कि उनके बीच सामासिक बातचीत होगी। इसके पूर्व, पाकिस्तान के संबंध में तत्कालीन सरकारों की नीति में उतार-चढ़ाव आते रहते थे। परन्तु मैं इस पर चर्चा में कोई समय व्यतीत नहीं करना चाहता; ऐसा विगत में हो चुका है।

जैसाकि मैंने कहा, हम लंबी चलने वाली और बोधशील बातचीत प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि भारत-पाक रिश्तों का भविष्य अब पीछे न रह जाए। हम सीमा पार के दूसरा ओर होने वाली क्षणिक घटनाओं और प्रायः दिए जाने वाले विरोधाभासी घोषणाओं से विचलित नहीं होंगे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हमारा विश्वास एकतरफा आधार सहित कई व्यापक परस्पर विश्वास कायम करने वाले उपायों में दिखाई पड़ा जिसे हमने सामने रखा। हमारे प्रधानमंत्री ने उन पैमानों को स्पष्टतः प्रतिज्ञापित किया है जिसके दायरे में हम पाकिस्तान के साथ शांति का प्रयास करेंगे।

कल यहां यह उल्लेख किया गया था कि हम कोई शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के सामने विचार करने के लिए

72 विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को रखा है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए शासकीय स्तर पर, मंत्रीस्तरीय स्तर पर और सरकार के प्रमुख के स्तर पर बातचीत के जरिए कई बैठकें आयोजित की गई हैं। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि समय-समय पर पाकिस्तान में प्रतिकूल टिप्पणी की जाती रही है, परन्तु हमें अपने कठिन प्रयास जारी रखने होंगे तथा व्यापक हित में निर्णय लेने होंगे। मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि दोनों देशों के बीच माहौल काफी बदला है तथा हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि यह कायम रहे।

मतभेद तो रहेंगे ही, जहां पिछले कई दशकों से जटिल मुद्दे हों, वहां इनके लिए कोई त्वरित तथा जादुई समाधान नहीं होते। मैं उनके साथ हमारे संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहूंगा, चाहे यह परिवहन, रेलवे, बसों, आसान वीजा प्रणाली, कराची में हमारे तथा मुंबई में उनके उच्चायोग के कार्यालय खोलना, और विद्वानों, विद्यार्थियों, पत्रकारों के बीच आदान-प्रदान तथा श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा का क्षेत्र हो। बातचीत जारी है; कुछ कठिनाइयां हैं, परन्तु हम शुरुआती दौर में विशेषज्ञ स्तर पर और उसके बाद, संभवतः मंत्री स्तर पर इनको सुलझाने की आशा करते हैं। परन्तु मैं ऐसी तस्वीर पेश नहीं करना चाहता कि सब कुछ सही है। ऐसा नहीं है। परन्तु हम ऐसे पहलुओं पर जोर दे रहे हैं जो सकारात्मक हैं तथा उन पहलुओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं जो नकारात्मक हैं।

छह महीने में, हमने चीन के साथ अपने संबंधों को प्रबल बनाने में सफलता पाई है। कुछ दिन पहले, हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह हाल ही में चीनी प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ से वियनतियान में एशियान शिखर वार्ता के दौरान मिले। चीनी नेता ने कहा कि वर्ष 2005 में सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी कार्यसूची में जो होगी वह उनकी मार्च महीने में प्रस्तावित भारत यात्रा होगी। सीमा के प्रश्न पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बैठक के दो दौर हो चुके हैं। इस संबंध की महत्ता का पता दो वरिष्ठ चीनी राष्ट्र पार्षदों की हाल की यात्रा से तथा तीन महीने में चीनी विदेश मंत्री के साथ मेरी चार बैठकों क्इंगताऊ, जकार्ता, न्यूयार्क और कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई बैठकों से भी चलता है। भारत की उनकी यात्रा के दौरान, राष्ट्र पार्षद तांग जिया जुआं ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत जो क्रियाशील भूमिका निभा सकता है उसे महसूस किया। मुझे इस बारे में कुछ और भी बताना होगा क्योंकि सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया है।

भारत के लिए अमरीका से संबंध विशेष मायने रखते हैं क्योंकि हम दोनों ही मजबूत लोकतंत्र हैं। हमारे संबंधों को बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह सितम्बर, 2004 में न्यूयार्क में राष्ट्रपति बुश से मिले थे जिससे हमारे दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी की पुनः जोरदार ढंग से पुष्टि हुई। रक्षा मंत्री श्री रम्सफेल्ड कल यहां होंगे। वह प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और मुझसे मिलेंगे। विशिष्ट मुद्दों पर हमारे पक्ष भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और उनसे नीतियों में मतभेद हो सकता है। उदाहरणार्थ, इराक की स्थिति के संबंध में हमारे अमरीका के साथ मतभेद हैं और हमने अपने विचारों से उन्हें अवगत करा दिया है। संसद की दोनों सदनों का एकमत संकल्प है जिसने इराक और वहां सेना न भेजने की हमारी नीति के बारे में हमारी राय स्पष्ट कर दी है।

तथापि, हमारे बीच स्थायी संबंध है क्योंकि लोग लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं और आज दोनों देशों के बीच विभिन्न मसलों पर इतनी व्यापक क्रियाएं हैं कि अमरीकी प्रशासन में परिवर्तन से कोई अनिश्चितता अथवा संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। भारत-अमरीका संबंध स्थायित्व और पूर्वानुमान के नए आयाम पर पहुंच रहे हैं। हम साझे विषयों पर एक साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं। हमारे दो मिलियन भारतवंशी हमारे संबंधों में प्रमुख कारक हैं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): वे हमारे विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं परन्तु हम उनके संबंध में कुछ नहीं कह सकते।

श्री के. नटवर सिंह: ऐसा आप सोचते हैं परन्तु यह सभा आपके विचारों से सहमत नहीं है।

दो मिलियन से अधिक भारतीय अमरीका में रहते हैं। मिसाइल रक्षा प्रणाली के संबंध में हमने अपनी भागीदारी के बारे में कोई वचन नहीं दिया। इस समय हमें अमरीका द्वारा मिसाइल रक्षा प्रणाली के संबंध में तकनीकी जानकारी और परिचय दिया जा रहा है। अमरीकी प्रशासन ने पाकिस्तान को सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट (निगरानी विमान) तथा टैंक रोधी मिसाइलें सहित हथियारों का पैकेज देने के लिए अमरीकी कांग्रेस से कहा है। सं.प्र.ग. सरकार ने अमरीकी सरकार के बहुत उच्च स्तर पर इस कदम के बारे में अपनी गम्भीर चिंता व्यक्त कर दी है। हमने कहा है कि ऐसे समय पर, जबकि भारत-पाकिस्तान के बीच वार्ता बहुत संवेदनशील स्तर पर है, पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमने भी बता दिया है कि पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की आपूर्ति से भारत में अमरीका के प्रति सद्भाव, विशेषकर एक समान लोकतंत्र के तौर पर, पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की संभावित आपूर्ति के बारे में अमरीकी सरकार ने कहा है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही इसकी अभी कोई निकट संभावना है। हमने अमरीका को ऐसे निर्णय के प्रति सावधान कर दिया है। मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की

[श्री के. नटवर सिंह]

आपूर्ति के मामले में सं.प्र.ग. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी रक्षा संबंधी तैयारियों से कोई समझौता न किया जाए, कदम उठाने से संकोच नहीं करेगी। इस समय खाड़ी में किसी भी भारतीय को बंधक नहीं बनाया गया है। हम क्षेत्र में भारत के प्रति जबर्दस्त सद्भावना और विश्वसनीयता के कारण ही इराक में बंधक बनाये गये तीन भारतीय नागरिकों को छुड़ाने में सफल रहे।

रूस के साथ हमारे संबंध सामरिक और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं जो कि परिवर्तनशील वैश्विक और क्षेत्रीय वातावरण की चुनौती पर खरे उतरे हैं। राष्ट्रपति पुतिन की हाल की भारत यात्रा ने हमें इन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर प्रदान किया है। अंतरिक्ष और ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलताओं के संबंधों की रणनीतिक प्रकृति को और मजबूती प्रदान की है। चार समझौतों और छः समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हमारे संबंधों के विस्तार का सूचक है। हमारे संबंधों में घोषणात्मक चरण ने हमारे सुप्रकाशित इरादों को मजबूत करने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। हम इसके लिए भी कृतज्ञ हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो के अधिकार सहित भारत के आवेदन का समर्थन किया।

उस रिपोर्ट से काफी गलतफहमी पैदा हो गई जो राष्ट्रपति पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के साथ किये गये संयुक्त प्रेस सम्मेलन के एक दिन पश्चात हमारे समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई। जब मैं उनसे मिला तो वह बंगलोर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। वहां पत्रकार उनसे मिले और उन्होंने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया कि उनके मन में क्या है। मैंने उन्हें बताया, ''राष्ट्रपति महोदय, मैं आपका आभारी हूं और हम सभी आभारी हैं।'' उन्होंने कहा, ''नहीं, मंत्री महोदय, मेरे लिए यह स्पष्टीकरण देना आवश्यक था क्योंकि मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहता था।''

अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत को अत्यावश्यक साझेदार के रूप में मान्यता दी जा रही है और यह इस तथ्य से प्रकट हो रहा है कि 25 सदस्यों वाला यूरोपीय संघ भारत के साथ सामरिक साझेदारी की मांग कर रहा है। यह हमारे प्रधानमंत्री की नवम्बर में हेग की यात्रा का उद्देश्य था। सामरिक साझेदारी के संबंध में घोषणा के पश्चात एक राजनैतिक घोषणा की जाएगी और अगले वर्ष अगले भारत-यूरोपीय संघ सम्मेलन में कार्य योजना को स्वीकार किया जाएगा। यह एक नया क्षेत्र प्रदान करेगा और हमारे पहले से ही यूरोपीय संघ के साथ व्यापक संबंधों को और मजबूत करेगा।

महोदय, भारत की ''लुक ईस्ट पॉलिसी'' जिसकी संकल्पना और अभिव्यक्ति कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी उसे सं.प्र.ग. सरकार द्वारा नया आयाम दिया गया है। हम आसियान देशों बीआईएमएसटीईसी और भारत-आसियान सम्मेलन वार्ता दोनों हमारे आर्थिक और सुरक्षा हितों, विशेषकर हमारे पूर्व तथा पूर्वोत्तर के लिए, के साथ समग्र रूप से जुड़े हुए हैं, के साथ अपनी साझेदारी पर ध्यान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने गुवाहाटी से पहली भारत-आसियान कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया जिसे आसियान देशों से और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से जबर्दस्त समर्थन मिला। 30 नवम्बर को भारत-आसियान सम्मेलन में ''शांति, प्रगति और सह-संपन्नता के लिए भारत-आसियान साझेदारी'' संबंधी दस्तावेज की स्वीकृति इस बात का प्रतीक है कि भारत अब शेष विश्व के साथ आसियान के राजनैतिक संबंधों में आंतरिक केन्द्र के देश के रूप में है।

भारत के हितों के संबंध में पश्चिम एशिया और खाड़ी के देशों की महत्ता पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता विशेषकर जब आप यह ध्यान रखते हैं कि हमारे तीन मिलियन से अधिक नागरिक इस क्षेत्र में रहते और कार्य करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्षेत्र के सभी प्रमुख देशों के साथ और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), जिसके साथ हमने आर्थिक सहयोग के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया है। क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए हमने हाल ही में सऊदी अरब में 24 घंटे का हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया है और इसका अन्य राजधानियों में भी विस्तार करेंगे। खाड़ी में हमारे सभी मिशन और पोस्ट हमारे नागरिकों को कोई सहायता प्राप्त करने के लिए बिना किसी पूर्वानुमति के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलाने के लिए माह में एक बार ''ओपन हाउस'' का आयोजन करते हैं। सं.प्र.ग. सरकार ने भारत से हज तीर्थयात्रियों की न केवल संख्या बढ़ाने का ही निर्णय नहीं लिया है बल्कि राजसहायता को भी बहाल कर दिया गया था। जिसे पूर्व सरकार द्वारा कम कर दिया गया था। मैं स्वयं इस माह के अंत में खाड़ी देशों की यात्रा करूंगा और मैं वहां पर अपने सभी राजदूतों के साथ बैठक करूंगा।

फिलीस्तीन लोगों के साथ हमारी पुरानी मित्रता और उनके उद्देश्य के लिए हमारे समर्थन की पुनः पुष्टि हुई जब मैंने फिलीस्तीन लोगों के सबसे आदरणीय नेता यासर अराफात की समृति को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु कैरो जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे श्री लालू प्रसाद यादव को अपने प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ सदस्य के रूप में ले जाने का सम्मान प्राप्त हुआ। सितम्बर में मेरे सहयोगी विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से फिलीस्तीन के लिए निर्बाध समर्थन को दोहराते हुए सद्भावना संदेश लेकर रामल्ला की यात्रा की थी जिसके स्वर्गीय राष्ट्रपति अराफात ने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा है हमारी सरकार ने इराक में अपनी सेना न भेजने की हमारी नीति का स्पष्ट निरूपण किया

है जिसकी संसद द्वारा पुष्टि की गई है। इसके साथ ही हमने इराक को मित्रवत लोगों के साथ अपने वचन को भी निभा है। इसने माननीय और पुनर्निर्माण सहायता का तथा हाल ही में इराक में आगामी चुनाव प्रक्रिया के लिए समर्थन का रूप ले लिया है। इराक में राजनैतिक स्थायित्व की बहाली जो कि हमारी ऊर्जा आपूर्ति के बड़े हिस्से के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर रहता है से सीधा संबंध है और क्योंकि हमारे 3.5 मिलियन नागरिक इस क्षेत्र में रहते और कार्य करते हैं।

संप्रग सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि है 'फोकस अफ्रीका पॉलिसी'। पिछले कुछ माह में, भारत-अफ्रीका संबंधों में, उच्च स्तरीय यात्राओं के अधिक आदान-प्रदान के संबंध में द्विपक्षीय और अफ्रीकी यूनियन के भीतर अधिक आर्थिक और तकनीकी सहयोग और अनेक अफ्रीकी देशों में शांति कायम रखने में भारत के योगदान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह बात हमारे राष्ट्रपति द्वारा सितम्बर, 2004 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान सभी 53 अफ्रीकी देशों को उपग्रह और फाइबर आप्टिक आधारित नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाने की घोषणा से स्पष्ट हो जाती है। यह टेली-मेडिसिन, दूरस्थ शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं जैसी सेवाओं की रीढ़ होगी। पिछले कुछ महीनों में मैं स्वयं बहुत से अफ्रीका नेताओं और अफ्रीकी विदेश मंत्रियों से मिला हूं और हमारी बातचीत काफी मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रही।

मध्य एशिया मात्र एक सामरिक क्षेत्र ही नहीं है बल्कि हमारा ऐसा प्रवर्धित पड़ोसी क्षेत्र है जिसके साथ हमारे दीर्घकालिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हम देखते हैं कि मध्य एशिया विशेषकर ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के मामले में हमारा एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है। उच्च स्तरीय यात्राओं, उन्नत संचार माध्यमों और बृहत्तर आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों के माध्यम से हम इस क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों को तेजी से सुधार रहे हैं। मैं अक्तूबर में स्वयं कजाकिस्तान गया था और उजबेकिस्तान के विदेश मंत्री का आतिथ्य भी किया था।

हमने लेटिन अमरीका तथा कैरिबियन देशों से द्विपक्षीय स्तर पर तथा क्षेत्रीय समूहों के साथ मिलकर विचार-विमर्श को बढ़ाया है। मैक्सिको, वेनेजुएला व सूरीनाम के विदेशमंत्रियों की भारत यात्रा तथा राज्य मंत्री श्री इन्द्रजीत सिंह राव की पनामा, कोलम्बिया, डोमिनीकन रिपब्लिक तथा अल साल्वाडोर की यात्राओं के माध्यम से इस क्षेत्र के देशों के साथ विचार-विमर्श कायम रखा है। ब्राजील के साथ हमारे संबंध लगातार गहन हुए हैं जैसाकि हमने सुरक्षा परिषद सुधार तथा विश्व व्यापार संगठन के मामलों में उनके साथ संयुक्त रूप से कार्य किया है। हम ब्राजील, अर्जेन्टीना, उरुग्वे तथा पराग्वे के साथ वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है तथा चिली के साथ इस विषय में विचार-विमर्श चल रहा है।

अब मैं संयुक्त राष्ट्र की बात करता हूं। संयुक्त राष्ट्र के समग्र सुधार के संदर्भ में सं.प्र.ग. सरकार के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि आज भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह बात प्रतिस्थापित की जा चुकी है। 'वीटो' शक्ति सहित संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए कोई भी मानदण्ड अपनाने पर भारत उसे पूरा करने में सक्षम है। यह हमारी गहन कूटनीति का परिणाम है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के अत्यधिक विश्वसनीय दावेदारों के लिए हम एक समान प्लेटफार्म सृजित करने में सक्षम रहे। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान एक दूसरे के बहुपक्षीय समर्थक हैं और अपने समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करने को सहमत हैं। हम स्थायी सदस्यता में अफ्रीकी प्रतिनिधित्व का भी समर्थन करते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के केवल दो या तीन देश ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं परन्तु इनका स्थायी सूची या सुरक्षा परिषद् में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा "खतरे चुनौतियां और परिवर्तन" (थ्रैट्स, चैलेन्जेज एण्ड चेन्ज") विषय पर एक पैनल नियुक्त किया गया था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना सहित संयुक्त राष्ट्र में संस्थागत परिवर्तनों के संबध में बहुत सी सिफारिशें दी हैं। हम इनका अध्ययन करेंगे और अन्य सदस्य देशों से विचार-विमर्श के बाद निर्णय करेंगे कि अगले वर्ष होने वाली सुधार प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए। इस बारे में गहन विचार-विमर्श जनवरी मध्य से लेकर मार्च अन्त तक किया जाएगा। अगले वर्ष संयुक्त राष्ट्र अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है और आशा की जाती है कि इस अवधि तक हम यह बताने की स्थिति में होंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र का विस्तार किया जाए तथा इसके सदस्य कौन-कौन होंगे।

जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि आज विदेश नीति को घरेलू राजनीति के उतार-चढ़ावों से पृथक नहीं किया जा सकता। विदेश नीति में एक व्यापक विचार-विमर्श का दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए मैंने अन्य मंत्रालयों, एजेंसियों के साथ-साथ राज्य सरकारों, विशेषकर हमारे सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक तंत्र बनाया है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों से भारत के लिए ऊर्जा की संपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अपनी कूटनीति का समन्वय कर रहे हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय, और भूतल परिवहन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के साथ मिलकर सीमापार हम अपने पड़ोसी देशों में अवसंरचनात्मक उन्नयन के एक प्रमुख कार्यक्रम में भी संलग्न हैं।

सभा में बहस के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं। मैंने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि भारत की विदेश नीति पारम्परिक रूप से राष्ट्रीय

[श्री के. नटवर सिंह]
सहमति पर आधारित है। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि हमारी मंशा इस सहमति को बनाए रखने और दृढ़ करने की है।

इस बात को समझते और मान्यता देते हुए कि विदेश मंत्रालय से बाहर भी बहुत से लोग इस विषय में अपनी पैठ रखते हैं मैंने एक विदेश नीति सलाहकार समूह का गठन किया है जो सरकार से बाहर के विशेषज्ञों और शिक्षाविदों से महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों पर उनकी राय प्राप्त कर सके। हमारी विदेश नीति के कार्यान्वयन हेतु विदेश मंत्रालय को एक प्रभावशाली माध्यम बनाने के लिए हम कड़ा प्रयास कर रहे हैं। आज भारतीय विदेश सेवा का मनोबल बढ़ा है और कार्य की सामूहिक शैली के परिणामस्वरूप हमारी कूटनीति में पर्याप्त सुधार आया है। निःसंदेह, यह प्रयास जारी रहेगा, हम इससे संतुष्ट नहीं हो सकते और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि कूटनीति समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जैसाकि श्री प्रभु ने भी जोर दिया है।

इसी तरह, विदेशों में हमारे राजदूत न केवल आर्थिक कूटनीति के संबंध में सक्रिय हो गये हैं परन्तु एक नए भारत के निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न होने के विचार से उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है। हमारे दूतावासों के शीर्ष अधिकारी अनिवार्यतः विदेशों में भारतीयों के हितों तथा सुरक्षा का कार्य भी देखते हैं। विदेश सेवा संस्थान द्वारा हमारे विदेश सेवा कर्मियों के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं। मैं इस तथ्य को भली प्रकार जानता हूं कि मेरे 1953 में विदेश सेवा में आने के बाद से यह विश्व काफी बदल गया है। उस समय हमें बताया जाता था कि हमें मीडिया से दूर रहना चाहिए। उन दिनों टेलीविजन (दूरदर्शन) नहीं था। राजदूत को बताया जाता था कि एक अच्छे राजदूत को कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोचना चाहिए। अब अगर उसका अभ्यास किया जाए तो आप घाटे में रहेंगे। यह इसलिए कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मीडिया का दखल जीवन का सत्य बन गया है। यह दखल अब हटाया नहीं जा सकता। अतः यह आवश्यक हो गया है कि हमारे राजनयिक यह सीखें कि मीडिया से किस प्रकार निपटें।

आप इस बात से सहमत होंगे कि छः महीने की अल्प अवधि में सं.प्र.ग. सरकार ने हमें एक उद्देश्यपूर्ण, परिणामोन्मुखी और अग्रलक्षी विदेश नीति दी है, इसके साथ ही सरकार का यह प्रयास रहा है कि विदेश नीति के मूल सिद्धान्तों, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही भारत को एक दिशा दी है, का पालन किया जाये। आज की चुनौतियों के प्रत्युत्तर में जहां आवश्यक हुआ वहीं इनका पुनः निर्माण व समायोजन किया गया है। दशकों पूर्व जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की विदेश नीति का जो व्यापक ढांचा तैयार किया गया था उसका कोई विकल्प नहीं है। आप यत्र-तत्र विवरणों में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन आधारभूत ढांचा कि हम गुट निरपेक्ष देश रहेंगे, एक ऐसा देश जो कि प्रत्येक मुद्दे की उसके गुणों, के आधार पर विवेचना करने के बाद कोई निर्णय लेगा यह कतई परिवर्तित नहीं हुआ है और उसी तरह कायम है।

यह संतोष की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थिरता, बहुलवादी एवं धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के आदर्श और एक आर्थिक शक्ति के रूप में भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बृहतर भूमिका निभाने वाले देश के रूप में भारत की एक अनन्य भूमिका है। हमें यह ज्ञात है कि बहुत सी कठिन चुनौतियां हमारे समक्ष है और हमारे संसाधन सीमित हैं। तथापि आज आश्वासन और विश्वास की बात यह है कि आज हम अपनी नियति की उस यात्रा को जारी रख पा रहे हैं जिसकी स्पष्ट योजना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने 1947 में बनायी थी। एक ऐसी नियति जिसमें भारत विश्व में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके तथा विश्व शान्ति और मानवता के कल्याण में अपना पूरा एवं इच्छित योगदान दे सके।" ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, कृपया एक मिनट रुकिए। आप बारी-बारी से अपना स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री मोहन सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब श्री स्वाईं अपना स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। कृपया संक्षेप में कहें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। मैं केवल स्पष्टीकरण मांगूंगा।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति के संबंध में सरकार की चिन्ता व्यक्त करने के लिए मैं सरकार तथा माननीय विदेश मंत्री का धन्यवाद करता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैं केवल स्पष्टीकरण की अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, नियमित रूप से चर्चा होती रही है ...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): इस पर पुनः वाद-विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ स्पष्टीकरण मांगने में क्या बुराई है।

श्री खारबेल स्वाईं: यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप भी वही कर रहे थे जब आप इधर थे ...*(व्यवधान)* मैं इस मुद्दे पर सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इसने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति किए जाने से संबंधित हमारी चिंताओं से अमरीकी अधिकारियों को अवगत कर दिया है। मैं इस बात से भी बहुत खुश हूं कि भारत अब आसियान देशों के महत्वपूर्ण देशों में से है तथा पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किये गये प्रयासों का यह परिणाम है।

मैं केवल दो या तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि भारत को वीटो का अधिकार ही दिया जाता है तो भी क्या भारत सुरक्षा परिषद की सदस्यता स्वीकार करेगा। यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि.... को विभाजित करने संबंधी औपचारिकता प्रस्ताव के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। नियम एकदम स्पष्ट है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पवन कुमार बंसल, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है जब सदस्यों ने स्पष्टीकरण की मांग की है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया संक्षेप में बोलिए। मैं आपको केवल एक स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति देता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं एक मिनट में बैठ गया होता। लेकिन इन्होंने तीन बार इसका विरोध किया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं ऐसा ही कर रहा हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

यदि पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर को पांच भागों में बांटने संबंधी प्रस्ताव दृढ़ता के साथ भेजा जाता है तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी?

तीसरा प्रश्न बंगलादेश से संबंधित है। बंगलादेश के बारे में सरकार का विचार क्या है जो पूर्वोत्तर के उल्फा तथा उस जैसे ही कुछ अन्य आतंकवादी समूहों को आश्रय दे रहा है? मेरा यही प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब श्री मोहन सिंह स्पष्टीकरण मांगें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया आप अपने स्थान पर बैठें। मैंने श्री मोहन सिंह का नाम पुकारा है।

श्री मोहन सिंह के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, आप कृपया अपने स्थान पर बैठें। श्री मोहन सिंह के वक्तव्य के अलावा और कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति जी, इराक के बारे में माननीय विदेश मंत्री जी ने बहुत विस्तार से अपनी बातें कही हैं। हम सिर्फ इतनी सफाई चाहेंगे कि जो इराक में चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों में कुछ देशों ने अपेक्षा की है कि भारत का चुनाव आयोग जाकर उसमें सहयोग करे और उस चुनाव को कंडक्ट कराने में भारत सरकार मदद करे। मैं साफ तौर पर माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इलैक्शन कमीशन की कोई टीम वहां भेजने पर अभी भी आप विचार कर रहे हैं? नेपाल के बारे में भी साफ बात नहीं कही गई कि वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार का क्या स्टैन्ड है।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): माननीय सभापति जी, माननीय विदेश मंत्री जी ने सदन में हुई चर्चा का विस्तार से उत्तर दिया है। हम नेपाल की सीमा पर रहने वाले लोग हैं और नेपाल में जो हलचल हुई हैं और जिस तरह से वहां की डैमोक्रेसी को समाप्त करने की साजिश हो रही है और जिस तरह से माओवादी इनसरजैन्सी का असर हमारे इलाके में और देश पर पड़ रहा है,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रघुनाथ झा]

क्या माननीय विदेश मंत्री जी मंत्री पद ग्रहण करने के बाद स्वयं नेपाल गए थे? उन्होंने कोई इस तरह की बातें की हैं? इधर अखबारों में आ रहा है कि बंकर बनाए हुए हैं जिनकी सीडी मेरे पास मौजूद है, जब कहेंगे मैं उनके सुपुर्द कर दूंगा। बंकर के मुंह को माओवादी इनसरजैन्सी नो मैन्स लैन्ड में लगाकर इंडिया की तरफ खड़े किये गये हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तिब्बत फिर से नहीं दोहराया जाए, क्या सरकार कोई कदम उठाएगी?

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, यह बहुत संवेदनशील मामला है। अब श्री सुरेश प्रभु पूछें।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, ऐसे कई सुझाव हैं जिन्हें चर्चा के दौरान मैंने दिये हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय ने उन पर ध्यान दिया होगा। मैंने सोचा कि वे कहेंगे कि वे उन सुझावों पर अमल करने जा रहे हैं जो उपयुक्त है। उन सुझावों में एक यह था। वस्तुत:, मैं उन बिन्दुओं का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।

एक बात जो मैंने कही वह यह थी। आप विकासशील देशों, जो पूर्व में निर्गुट आंदोलन के दौरान भारत के मित्र थे, से छात्रों को भारत में आने तथा कुछ और अधिक समय व्यतीत करने के लिए क्यों नहीं प्रोत्साहित करते हैं? जब वे वापस लौट जाते हैं तो वे भारतीय परंपराओं तथा अर्जित ज्ञान के साथ जायेंगे। यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है। हमने पहले ही इसके बारे में कहा है। हमने पाकिस्तान की ओर कुछ विश्वास पैदा करने वाले कदम बढ़ाने की पेशकश की है। मैं समझता हूं कि उन्होंने 72 उपायों का उल्लेख किया है। इसलिए विश्वास पैदा करने वाले 72 उपाय रखे गये हैं। मान लीजिए कि यह उनमें से एक है क्योंकि हम कुछ और अधिक हासिल करने के लिए विश्वास पैदा करना चाहते हैं। सरकार की दृष्टि में इस पाकिस्तान के साथ हमारी समस्या का अंतिम समाधान क्या है? विश्वास पैदा करने वाले कदमों पर वास्तविक रूप से अमल करते वक्त इसका क्या परिणाम होगा विश्वास पैदा करने वाले कदमों से हम क्या प्राप्त कर पायेंगे?

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सभापति महोदय, परसों जेद्दा में अमेरीकी दूतावास पर बमबारी की गई और उस घटना में सात भारतीय घायल हुए और वसीरुद्दीन नामक एक भारतीय, जो हैदराबाद का निवासी था, मारा गया। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि सऊदी अरब में काम करने वाले हमारे देश के लोगों, विशेषकर संवेदनशील दूतावासों में काम करने वाले लोगों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। जो भारतीय लोग घायल हो गए थे उनकी स्थिति कैसी है? यह घटना बहुत ही निंदनीय है।

महोदय, सऊदी अरब एक मित्र देश है, अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उन भारतीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। जो वहां अमेरीका तथा रूस के दूतावासों में काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय: श्री सी.के. चन्द्रप्पन—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति जी, दलाई लामा कई वर्षों से भारत देश में हैं। तिब्बत और चीन के सवाल पर दलाई लामा और चीन में कोई कंप्रोमाइज करने के लिए भारत सरकार को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल यह है कि बंग्लादेश से कई लोग वैस्ट बंगाल में भी हैं लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी जा रही है। उसके बारे में भी जिस तरह से भारत के लोग बाहर दूसरे देशों में जाते हैं और उनको नागरिकता मिलती है, तो भारत में जो लोग वैस्ट बंगाल में रह रहे हैं, कम से कम वे लोग जो शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, उनको नागरिकता देने के बारे में क्या सरकार कोई विचार कर रही है?

[अनुवाद]

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरुअनन्तपुरम): सभापति महोदय, यह चर्चा अति महत्वपूर्ण समय पर हो रही है क्योंकि मैं समझता हूं कि शायद संयुक्त राष्ट्र के रक्षा सचिव भारत में ही हैं। इसलिए, माननीय मंत्री संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और प्रेस में ऐसी सूचना है कि उनके दौरे के दौरान वे लोग रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। माननीय मंत्री ने आशा व्यक्त की थी कि संयुक्त राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में रक्षा आपूर्ति के मामले में एक समान नीति का पालन करेगा। क्या हम यह समझें कि जब माननीय मंत्री अमेरीकी रक्षा सचिव से मिलेंगे तो क्या वे पूरे मामले को दृढ़ता से उनके समक्ष रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): सभापति जी, मैं विदेश मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी जेलों में जो भारतीय बन्द हैं, उनके बारे में सरकार बताए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री अविनाश राय खन्ना जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री के. नटवर सिंहः सभापति महोदय, यदि मुझे लोक सभा के नियमों की सही जानकारी है, तब, कल के तीन घंटे और 15 मिनट के संपूर्ण वाद-विवाद तथा मेरे आज के समाविष्ट वक्तव्य के बाद आगे और कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, परन्तु आपने अपने विवेक से ऐसा करने का निर्णय लिया है। अतः मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

नेपाल के संबंध में, मैं बहुत ध्यानपूर्वक कहना चाहूंगा क्योंकि ये बड़े नाजुक और बहुत जटिल मसले हैं तथा इस बारे में अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम नेपाल में स्थिति की गंभीरता से भली-भांति अवगत हैं और हम इसे सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं।

इराक में चुनाव के संबंध में किसी भी भारतीय अधिकारी को वहां नहीं भेजा जा रहा है। इराक प्रशासन अपने लोगों को भारत में प्रशिक्षण के लिए भेज सकता है। हम किसी को भी वहां नहीं भेजेंगे।

श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि नाम (गुटनिरपेक्ष) देशों से युवा मित्रों को बुलाया जा सकता है। भारत में अभिनय कला, विज्ञान, राजनयिक विज्ञान आदि प्रत्येक विषय पढ़ने के लिए आई.सी.सी.आर. विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां देता है।

सऊदी अरब में मृत एक व्यक्ति के संबंध में मैं सूचित करना चाहूंगा कि वह अमरीकी दूतावास में काम करता था तथा एक और व्यक्ति था जो घायल हुआ था। वह अमरीकी दूतावास के साथ कार्यरत ठेकेदार था। अब सऊदी अरब सहित विश्व के किसी भी भाग में अमरीकी दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी देना भारत सरकार के लिए असंभव है। स्वाभाविक तौर पर, इस दुखद घटना में मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति हम सहानुभूति प्रकट करते हैं।

महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मामले सहित संयुक्त राज्य के साथ हमारे संबंधों के बारे में मैंने बहुत विस्तृत वक्तव्य दिया है तथा मैं आपका हस्तक्षेप चाहूंगा और निवेदन करता हूं कि कल अमरीकी रक्षा मंत्री से मिलने से पहले इस संबंध में और विस्तार में जाना उचित नहीं होगा।

बांग्लादेश के संबंध में भी हम उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। अगले महीने ढाका में सार्क शिखर बैठक होने वाली है, जहां न सिर्फ सार्क मामलों से जुड़े सभी विषयों पर बल्कि द्विपक्षीय विषयों पर भी चर्चा होगी क्योंकि राष्ट्राध्यक्षों, विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय बैठकें होंगी जहां बहुत ज्यादा कार्य होता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार ऐसी विदेश नीति के प्रति वचनबद्ध है जो भारत के हितों को आगे बढ़ाए, हमारे वृहद राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखे तथा मित्रता के हाथ को उन सभी देशों तक फैलाएं जिनके साथ हमारे संबंध हैं, मतलब विश्व के सभी देशों के साथ।

इसका मतलब यह न निकाला जाए कि कोई समस्याएं नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। मतभेद भी गंभीर हैं। परन्तु हम बैठकर इन पर चर्चा करते हैं तथा इन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं। कुछ मामले हैं जो आसानी से सुलझाए जा सकते हैं, कुछ मामले हैं जिन्हें कठिनाई के साथ सुलझाया जा सकता है, परन्तु ऐसे एक या दो प्रतिशत मामले हैं जिन्हें सुलझाना कठिन है। इनकी पृष्ठभूमि टेढ़ी है। कुछ जटिलताएं और कठिनाइयां हैं जो हमें और व्यापक तौर पर हमारे पड़ोसियों और समुदाय को प्रभावित करती है। इनका सामना हमें चतुराई, धैर्य और राजनयिक समझ से करना है क्योंकि जब हम अपने राष्ट्र के हितों की ओर देखते हैं तब हमें एक महान राष्ट्र की तरह अन्य राष्ट्रों के हितों का भी ध्यान रहता है जब तक कि वे हमारे हितों पर प्रहार न करें। अब, ऐसा करने के लिए, अपने राष्ट्र के हित की रक्षा तथा अन्य राष्ट्रों के हितों को नुकसान न पहुंचाना बड़े ही कौशल का कार्य है।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि भारतीय विदेश सेवा इसे पूरी मुस्तैदी से पूरा कर रही है तथा हम इसे इस सभा के आशीर्वाद से जारी रखेंगे।

अपराह्न 3.12 बजे

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) 2004-05

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब, सभा मद सं. 13, अनुपूरक अनुदान की मांगों (रेलवे) वर्ष 2004-05 पर चर्चा और मतदान करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि कार्य सूची के स्तम्भ-2 में मांग संख्या-16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी

[सभापति महोदय]

गयी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि (रु.)
16	परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1537,00,00,000
	रेलवे निधियां	10,000
	रेलवे संरक्षा निधि	5,000
	विशेष रेलवे संरक्षा निधि	1028,40,00,000
	जोड़	2565,40,15,000

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): सभापति महोदय, आज रेल विभाग की सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर बोलते हुए, डिमांड्स के समर्थन में मैं यहां खड़ा हुआ हूं। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि गत 6 माह हमारे माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में रेल विभाग की प्रतिष्ठा, जनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में बहुत इजाफा हुआ है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के भय के कारण रेल गाड़ियां समय पर चलने लगी हैं, क्योंकि पता नहीं ये किस दिन, किस स्टेशन पर आकर खड़े हो जाएं। रेलवे स्टेशन साफ-सुथरे लगने लगे हैं। रेल कर्मचारियों में जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ी है। आम यात्री को अब रेल में यात्रा करना सुरक्षित महसूस होता है। इन सब बातों के लिए मैं रेल मंत्री जी और उनके प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा। जिस बात को मजाक समझा जाता था, आपके नेतृत्व में इन छः महीनों में जीने का स्टैंडर्ड आ गया है। आज रेल में कुल्हड़ में चाय पीते समय हर आदमी श्री लालू जी को याद करता है। सबसे अच्छी बात यह है, आप मेरी बात को अतिशयोक्ति न समझें कि आज गांव के प्रजापतियों और कुम्हारों के घरों में भगवान की फोटो के नीचे लालू प्रसाद जी की फोटो लगा कर लोग पूजते हैं। घर-घर में गृह उद्योग चालू हो गया है।

महोदय, आज गांव के आम बुनकरों, खादी के कारीगरों में विश्वास जगा है, जब वे रेल के अंदर खादी के वस्त्र, खादी की चादर और खादी के तकिए का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। जिस चीज के बारे में कभी सोचा नहीं जाता था कि रेलवे स्टेशन पर लस्सी, मट्ठा और डेरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वे आज सब उपलब्ध होने लगे हैं। रेल विभाग का यह मंतव्य, कि सिर्फ लाइन कर्मचारियों को ही नौकरी नहीं मिलेगी, आम लोगों को भी उसमें सुविधा मिले, आज जो गांव-गांव में डेरी की कोआपरेटिव्स हैं, वे अपना दूध लेकर बड़ी कोआपरेटिव्स को भेज रही हैं। आज डेरी प्रोडक्ट्स रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। नये स्टाल खुल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपका जो कमिटमेंट था।

[अनुवाद]

यह संपूर्ण रूप से व्यापार, उद्योग तथा अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है जिसमें अप्रत्यक्ष नियोजन प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं।

[हिन्दी]

जो मट्ठे, डेयरी, खादी और कुल्हड़ के माध्यम से एम्पलायमेंट की आपने पोसीबिलिटीज जैनरेट की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में इस सरकार के कार्यकाल के दौरान रेलवे ट्रांसपोर्ट का एक उत्कृष्ट नमूना बनेगी। आपका गांव वालों के प्रति कमिटमेंट था कि आप 'विलेज ऑन व्हील' चालू करेंगे और 6 महीने के छोटे से समय में आपने वह कर दिखाया, इसकी शुरुआत हो गई? यह आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यू.पी.ए. गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आज जब आपने अनेकों रियायतें दीं, असंगठित कामगारों को, लाइसेंसधारी पोर्टर्स को, वेंडर्स को, फेरी वालों को, स्टाल वालों को, साइकिल स्टैंड वालों को, जो आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लेकर आये, यह एक बहुत प्रशंसनीय कदम रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस हाउस में और इण्टरव्यू के टाइम पर कमिट किया था कि बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क यात्रा करवाएंगे, आपने वह काम चालू किया। डाक्टर होने के नाते मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने डैफ, डम्ब, हैलीफीमिया, हार्ट और कैन्सर के पेशेण्ट्स के लिए रियायतें दी हैं। एक सैनिक क्षेत्र से आने के नाते जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में मारे गये हमारे सैनिकों की विधवाओं को आपने जो सुविधाएं दीं, मुझे खुशी है कि वे सिर्फ भाषण नहीं थे, वे सारे के सारे कार्य आज क्रियान्वित हो चुके हैं।

आपने अनेकों लम्बी दूरी की गाड़ियां चलवाई हैं, अनके गेज परिवर्तन किये हैं। राजस्थान में आप पिछले दिनों पधारे थे और आपने बांदीकुई से आगरा का गेज परिवर्तन का उद्घाटन करके नई ट्रेन की शुरुआत की थी। राजस्थान में अभी बहुत कुछ होना बाकी

है। राजस्थान में ट्रेनों की बहुत कमी है। राजस्थान की राजधानी के लिए जो सम्पर्क क्रांति गाड़ी चलानी चाहिए थी, उसे चलाना अभी शेष है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वे राजस्थान में सम्पर्क क्रान्ति ट्रेन को चालू करवायें। मैं विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब से लम्बी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेन बढ़ी हैं, जब से ब्रॉड गेज कन्वर्शन हुआ है, उससे लम्बी दूरी के यात्रियों को तो काफी लाभ मिला है, लेकिन जो शार्ट डिस्टेंस ट्रेवलर्स हैं, गांव के लोग हैं, छोटे स्टेशनों पर रहने वाले हैं, पैसेंजर ट्रेन जो आम यात्री को कम दूरी की यात्रा करने के लिए जो गाड़ियां हैं, उनकी कमी महसूस की जा रही है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आने वाले बजट में आप इन छोटी पैसेंजर ट्रेन्स को बढ़ायें। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली से जयपुर के बीच में कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है और ऐसे टाइम पर ट्रेन है कि लोगों को रात में चलना पड़े। दिल्ली से रिवाड़ी, अलवर, दौसा और बांदीकुई होते हुए एक पैसेंजर ट्रेन की मांग सदैव उठती रही है। मेरी मांग है कि आप एक पैसेंजर ट्रेन उस क्षेत्र में चालू करवायें।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी लाना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, जिनका हम प्रोपर यूटीलाइजेशन नहीं करते। दिल्ली से ट्रेन चलकर रिवाड़ी तक तो पैसेंजर आती है। दिल्ली से शाम को 6 बजे रवाना होकर 8-9 बजे रिवाड़ी पहुंचती है, उसके बाद सारी रात वह ट्रेन रेवाड़ी पर खड़ी रहती है। मेरी मांग है कि अगर उस रात आर.डी. गाड़ी को बढ़ाकर, जो दिल्ली जंक्शन से 6.30 बजे रवाना होकर 9 बजे रेवाड़ी पहुंचती है, इस गाड़ी को अगर रिवाड़ी से बढ़ाकर अलवर अथवा बांदीकुई तक बढ़ा दिया जाये तो पैसेंजर्स को भी आराम होगा और सुबह वापस वही गाड़ी रिवाड़ी होकर दिल्ली आ सकती है। ठीक इसी तरीके से एक अन्य गाड़ी एक आर.एच. है, जो हिसार से चलकर सुबह 10.30 बजे रिवाड़ी आकर खड़ी रहती है। सारा दिन वह गाड़ी रिवाड़ी में खड़ी रहती है। मेरा निवेदन है कि इस गाड़ी को अगर अलवर या बांदीकुई तक बढ़ा दें तो रेवाड़ी-जयपुर मार्ग के ऊपर पैसेंजर स्कोप काफी है, इससे लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ये ऐसी सुविधाएं हैं, जिनके लिए अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। ट्रेन वहां पर खड़ी है, सिर्फ प्रशासन को इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। आमतौर पर जब इस तरह की रिक्वैस्ट भेजी जाती है, तो एक ही बात कह देते हैं कि वहां रहने के लिए जगह नहीं है।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब आप अलवर पधारे थे तो आपके स्वागत में आपको अलवर जिले की जनता का अलग-अलग स्टेशन पर अभूतपूर्व ऐतिहासिक जमावड़ा देखने को मिला था। लोगों ने आपसे निवेदन किया था कि राजगढ़ स्टेशन और खैरथाल स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रैस को ठहराया जाए। प्रसासनिक अधिकारी सदा कहते रहेंगे कि यह लम्बी दूरी की यात्री गाड़ी है, लेकिन मेरा निवेदन है कि लोगों की सुविधाओं को देखते हुए इस गाड़ी को वहां ठहराने की कृपा करें।

मैंने भिवाड़ी से रेलवे लाइन जोड़ने की बात कही थी। रेल मंत्रालय ने मुझे जबाव दिया कि इसका माइनस 8.5 रिजल्ट आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भिवाड़ी बहुत बड़ा कस्बा है, बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल टाउन है, वहां एक हजार से अधिक उद्योग हैं, वहां इनलैंड कंटेनर डिपो स्वीकृत हुआ है। आप उसका पुनः सर्वे कराकर देखें। लालू जी, वह सिर्फ 25 किलोमीटर की छोटी सी लाइन है। अगर आपने वह लाइन दे दी तो मेरा क्षेत्र ही नहीं बल्कि समूचा राजस्थान और उस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

मैं समझता हूं कि मैंने जो थोड़े से सुझाव दिए हैं, उन पर आप अमल करेंगे और रेल विभाग ज्यादा आगे-आगे बढ़ता जाएगा। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय सभापति महोदय, हम रेल की सप्लीमैंट्री डिमांड्स पर बात कर रहे हैं। मैं कुछ प्रमुख बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। रेल बजट रखते समय, रेलवे का आधुनिकीकरण और रेल की सुरक्षा को प्रमुखता दी जाएगी, ऐसा कहा गया था। आज भी जो सप्लीमैंट्री डिमांड्स रखी गई है, उसमें कैपिटल मांग और साथ ही स्पैशल रेलवे सेफ्टी फंड की मांग ज्यादा प्रमुखता से रखी गई है। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि 5-7 मुद्दों पर प्रमुखता से ध्यान देना आवश्यक होता है जिसमें रेल की पटरी, कोचेज, ट्रैक सर्किटिंग, सिगनलिंग सिस्टम, ह्यूमन ऐरर भी एक बात है। स्टेशन पर निर्गम के ज्यादा से ज्यादा मार्ग, पुल-पुलियों का रख-रखाव, पैसेंजर्स की सुरक्षा और सुविधा और प्रोजैक्ट्स की ठीक ढंग से प्लानिंग-इन कुछ बातों पर प्रमुखता से ध्यान देना आवश्यक है। हम स्पैशल रेलवे सेफ्टी के लिए फंड की मांग कर रहे हैं। आज अगर देखें तो कुल रेल पटरी करीब 16,800 किलोमीटर है। उसमें से 5,000 किलोमीटर रेल पटरी जर्जर हालत में है। रेल बजट प्रस्तुत करते समय कहा गया था कि अब आप बेफिक्र होकर रेल यात्रा कीजिए। 5,000 किलोमीटर रेल पटरी जर्जर हालत में है और कहा गया कि बेफिक्र होकर यात्रा कीजिए। डबलिंग की प्लानिंग क्या है, पटरी की सुरक्षा की प्लानिंग क्या है, मालूम नहीं। अभी भी एक अखबार में यहां तक लिखा था कि जहां नई रेल पटरी बिछाई जा रही है, जब वह आपस में जुड़ती है तो उसमें डी-गैसीफिकेशन की बात होती है। वह नहीं होता जिसके कारण कई बार रेल पटरी कमजोर हो जाती है। स्टील इंडिया अथॉरिटी से उस ढंग से बात नहीं की गई। मुझे इसका टैक्नीकल ज्ञान कम है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): छः महीने में सब कुछ बदल गया। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजनः हर बात में टोकना आवश्यक नहीं होता। मैं किसी को आरोपित नहीं कर रही हूं, मैं बात सामने रख रही हूं और मुझे टोकना पसन्द नहीं है। मैं किसी को नहीं टोकती। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप चेयर को एड्रेस कीजिए। किसी की बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजनः सभापति महोदय, मैं आपको ही ऐड्रैस कर रही हूं।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदयः आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है क्योंकि आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजनः सभापति जी, दूसरी बात कोचेज के बारे में है। हम नयी गाड़ियां चलाने की बात करते हैं। हम लोगों को सुविधा देने की बात करते हैं। सेफ्टी के लिए अच्छे कोचेज भी एक आवश्यक बात होती है। हमारी जो दो कोच फैक्टरियां हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां सालाना तीन हजार का उत्पादन होता है। इस उत्पादन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मीटरगेज के कोचेज का निर्माण होना एक प्रकार से बंद ही हो गया है लेकिन इनका उत्पादन बढ़ाने की तरफ कोई भी प्लानिंग मुझे रेल मंत्रालय में नजर नहीं आती। इस कारण चाहे नयी गाड़ियां शुरू करनी हो या तात्कालिक गाड़ियां चलानी हों, उनके लिए कोचेज की कमी है। फिर जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं, उनमें कई बार इधर का कोच उधर लगाकर गाड़ियां स्टार्ट की जाती हैं, चलाई जाती हैं। वे कोचेज वापस नहीं आते और यदि आपको 17 डिब्बों की गाड़ी चलानी है तो कई बार कम डिब्बों से उसे चलाना पड़ता है। इस पर हमें जितना ध्यान देना चाहिए, प्लानिंग के साथ हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते।

सिगनलिंग सिस्टम और ट्रैक सर्किटिंग पर जिस प्लानिंग से पैसा देना चाहिए, आवंटन करना चाहिए, उतना आवंटन और खर्चा हमने नहीं किया है। अगर मैं गलत हूं तो उसका भी एक्सप्लेनेशन मुझे मिले तो अच्छा रहेगा। कई बार जब एक्सीडैंट होते हैं तो उस समय इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है मगर इंक्वायरी कमेटी के जो सजेशन्स होते हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स होती है, उसके अनुसार हमने कभी कुछ प्लानिंग की हो, ऐसी बात सामने नहीं आई।

ह्यूमन ऐरर की बात आती है, तो वह सहन नहीं की जाती। इसके लिए हम एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना चलाते हैं? कभी छठे-चैमासे में ट्रेनिंग दी तो वह ट्रेनिंग नहीं कही जा सकती। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम ह्यूमन ऐरर कम होने की दृष्टि से हम कितना चलाते हैं, कितने सजेशन्स पर हम ध्यान देते हैं, यह भी देखिए। बेफिक्र से यात्रा करो, यह कहने से यात्रा बेफिक्र से नहीं होती है। उसके लिए यह सब कुछ करना आवश्यक होता है।

पुल-पुलिया का रख-रखाव भी एक आवश्यक बात है। अगर हम देखें तो करीब-करीब एक लाख से ज्यादा रेलवे के पुल हैं जिनमें 51 हजार पुल 100 साल से ज्यादा पुराने हैं फिर भी ये कहते हैं कि बेफिक्र से यात्रा कीजिए। जब कभी एक्सीडैंट होता है और पुल टूटता है तब हम केवल उसकी तरफ ध्यान देंगे या उससे पहले भी ध्यान देंगे, यह एक सोचने लायक बात है।

सभापति जी, अभी छठ पूजा के समय दिल्ली स्टेशन पर स्टैम्पेड हुआ और कई लोग मारे गये। हमें मालूम नहीं कि कितने लोग यात्रा करेंगे, क्या संभावना होगी, उस दृष्टि से मैंने कहा कि सदन से भी बाहर निर्गम ज्यादा सुविधा से उपलब्ध हो। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः सुमित्रा जी, अब आप कन्क्लूड कीजिए क्योंकि आपके दल से और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजनः मुझे मालूम है। मैं अगर गलत बोल रही हूं, सब्जैक्ट के बाहर बोल रही हूं तो आप मुझे टोकिये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आपके दल के कई वरिष्ठ नेता बोलने वाले हैं। आपके दल से अभी 14 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजनः सभापति महोदय, मैं केवल सेफ्टी के प्वाइंट का उल्लेख कर रही हूं। छठ की पूजा में स्टैम्पेड होती है। छठ की पूजा में मंत्री फ्लाइट से जाते हैं। फ्लाइट से जाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनको सुविधा है लेकिन मैं फ्लाइट से जाऊं, उससे पहले मेरे जो सामान्य लोग जाने वाले हैं, उनके लिए कुछ सोच समझकर प्लानिंग होती है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.29 बजे

[श्री पवन कुमार बंसल *पीठासीन हुए*]

प्लानिंग की कमी हमें हर चीज में दिखती है। अगर पैसेंजर्स को सुरक्षा के नाम पर हम केवल कुल्हड़ दें और उनके लिए कुछ मट्ठे की सुविधा कर दें तो यह सुविधा नहीं होती। पैसेंजर्स की सुरक्षा भी अपने आप में एक बहुत आवश्यक बात है। इस पर मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि हम रोज ही पेपर में पढ़ रहे हैं, भुगत भी रहे हैं लेकिन आश्चर्य होता है कि बेफिक्र से यात्रा करो कहने के तुरंत बाद, माननीय सभापति जी, अकेले बिहार में डकैती की इतनी घटनाएं होती हैं—25 मई, 27 मई, 3 जून, 9 जून, 24 जून, 25 जून, समय नहीं है इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोल रही हूं। मुझे हंसी आती है, जब ये घटनाएं होती हैं तो पूछा जाता है तो हमारी भाभी जी, वहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि ऐसा तो दूसरे प्रदेशों में भी होता है। ऐसा होता है। लेकिन यहां होता है, उसका क्या? तो बोले भाई-भाई की भी तो लड़ाई नहीं मिटती तो डकैतियां कैसे मिटे? कौन सा हम किसको कहां जोड़ रहे हैं और इस प्रकार पैसेंजर की सुरक्षा न होना, कहीं डकैतियां बढ़ाना, इन सबसे मन में कभी-कभी यह भाव आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि "सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का।" कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। कहीं इसीलिए तो डकैतियां नहीं बढ़ रही हैं? इसलिए इन चीजों को देखना पड़ेगा।

एक बहुत छोटी सी बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अभी सप्लीमैंट्री डिमांड्स की फंडिंग ज्यादा मांग रहे हैं, यह आवश्यक है। लेकिन कई बार ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने की जो बात हुई थी, उससे पहले नीतीश जी के समय में स्टेट फंडिंग की बात हुई थी कि स्टेट्स को फंड अलॉट करने की कोई पॉलिसी बने। जो ऐसे पिछड़े राज्य हैं, जैसे उड़ीसा हैं, जहां पर वास्तव में रेल का विस्तार बहुत कम है या मध्य प्रदेश है जहां इलैक्ट्रीफिकेशन से लेकर और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की व्यवस्था बहुत कम हुई है तो ऐसे राज्यों के लिए पॉलिसी वाइज फंडिंग की बात हुई थी, वह भी हम कारगर सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन साथ-साथ ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता भी हमें देनी चाहिए। अब मैं इस बात पर आती हूं कि पैसे का दुरुपयोग कैसे होता है? कोई प्लानिंग, कोई प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं, अगर वह प्रोजेक्ट ठीक समय पर पूरा होता है तो उससे आय भी शुरू होती है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगी। उदाहरण तो बहुत हैं लेकिन एक मकसी-देवास-इंदौर-दाहोद, है। यह जो दाहौद है, इसमें ट्राईबल एरिया आता है। इसमें झाबुआ का एरिया आता है। हमारे झाबुआ के मंत्री यहां बैठे नहीं हैं। 1990 में यह प्रोजैक्ट शुरू हुआ था, तब 300 करोड़ रुपये इसकी लागत थी। थोड़ा पैसा देते-देते अभी तक आवंटन इतना कम हुआ है कि केवल मकसी-देवास का ट्रैक हो पाया है। आगे का पूरा काम अभी बाकी है। आबंटन कभी 15 करोड़ रुपये होता है तो कभी 25 करोड़ रुपये होता है। इस साल 15 करोड़ रुपये आबंटन हुआ था। वह कहीं न कहीं डाइवर्ट कर दिया गया। इसलिए आज 300 करोड़ रुपये का वह प्रोजेक्ट 1000 करोड़ रुपये तक चल गया है। यह किसकी गलती से चला गया? क्यों पॉलिसी चेंज होती है? क्यों नहीं ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाता है?

इतना ही नहीं, एक बात और भी मैं कहना चाहूंगी कि जो प्रोजेक्ट थोड़ा भी बन गया है, उसका उपयोग भी हम ठीक से नहीं करते हैं। मुझे सामने दिखता है, इसीलिए मैं बोल रही हूं। मैं एक गृहिणी हूं, इसीलिए एक-एक पाई का हिसाब रखती हूं। यदि मकसी-देवास अगर पूरा हो गया है तो उसका ही उपयोग करना शुरू करना चाहिए। इस रूट पर गाड़ी डाइवर्ट करके चलाना शुरू करना चाहिए, जिसकी हम मांग कर रहे हैं कि इंदौर-भोपाल की गाड़ी उस ट्रैक पर चलायी जाए। पटना गाड़ी अभी दूसरी शुरू हो गई है। सप्ताह में दो बार चलनी शुरू हुई है। इंदौर-पटना की बात हुई थी कि पहली गाड़ी बाया उज्जैन जाएगी तो दूसरी गाड़ी इंदौर-देवास-मकसी रूट पर जाती है तो रूट शॉर्ट भी पड़ेगा और उस रूट का उपयोग भी ज्यादा होगा। लेकिन गाड़ी शुरू करते समय कहीं कोई घोषणा नहीं हुई। इसलिए पहली गाड़ी खाली आती है और जाती है तो 40 यात्रियों को लेकर जाती है। ...*(व्यवधान)* मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि गाड़ी चली और पूरा खर्चा भी हुआ लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हो गया। इसलिए मेरा कहना है कि ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, आप कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: एक-दो मिनट में समाप्त कर रही हूं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि सुरक्षा पर कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये हैं। फ्रैट चार्जेज जो बढ़ा दिये गये हैं, जिसके कारण महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन सुरक्षा पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड्स अगर मांग रहे हैं और सेफ्टी की जो बातें हैं, मैं कहना चाहती हूं कि प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग ठीक ढंग से होनी चाहिए। ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स ठीक से चलें तथा हमारे यहां की कोच फैक्टरी ठीक से चलें। इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक था लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगी कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया टोका-टाकी न करें। सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजनः मैट्रो-रेल की जो योजनाएं हैं, यह तय किया गया कि तीस लाख की जहां पर आबादी होगी, वहां मैट्रो रेल योजना चालू होगी लेकिन अब इंदौर-देवास-प्रीतमपुर सब मिलाकर मैट्रो की तरफ बढ़ रही है। उसकी भी योजना बनाई जाए परंतु हमें आज से ही प्लानिंग करनी चाहिए क्योंकि आगे इतने बड़े शहर में हमारी योजनाओं को चालू करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पहले से ही यह सब होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। रेल विभाग इतना आसान विभाग नहीं है। स्कूटर पर गाय-भैंस ले जाना शायद आसान हो सकता है। यह तो फिर भी सोच सकते हैं। लेकिन रेल पर सवारी करेंगे, अगर थोड़ा सा पैर फिसल गया तो फिर शरीर कट जाता है, उसमें कहीं कोई बचाव नहीं है। इसलिए स्कूटर पर गाय-भैंस ले जाने जितनी आसान बात रेल विभाग चलाना नहीं है। मैं चाहूंगी कि अगर इन मैजर्स पर ध्यान दिया जाएगा, तभी यह सप्लीमैंट्री डिमांड्स को स्वीकृत करना का फायदा होगा।

सभापति महोदयः इससे पहले कि मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकारूं, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं। कोई भी सदस्य बोलते समय यह देख ले कि आसन पर अगर अध्यक्ष महोदय बैठे हैं तो अध्यक्ष महोदय सम्बोधन करें और अगर सभापति जी बैठे हैं तो सभापति महोदय सम्बोधन करे, जिसस रिकार्ड में गलत न जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास बोलने वाले सदस्यों की सूची में 40 नाम हैं और इस विषय पर चार घंटे का समय निर्धारित किया गया है। खासतौर पर तीन पार्टियों कांग्रेस बीजेपी और मार्क्सवादी कम्यनिस्ट पार्टी के सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे कम समय में अपनी बात कहें।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): मैं एक बात कहना चाहता हूं। सुमित्रा जी हमसे उम्र में बड़ी हैं और राबड़ी जी उनसे छोटी हैं, यह बड़ी हैं। इस लिहाज से वह इनकी भाभी लगेंगी। इसलिए जो इन्होंने कहा उसको या तो प्रोसिडिंग से निकाल दिया जाए या फिर उसमें सुधार किया जाए। ये हमारी बड़ी बहन हैं और वह छोटे भाई की बहू हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजनः हमें यहां केवल मुद्दे से मतलब है।

श्री लालू प्रसादः क्या आपकी भाभी नहीं लगेंगी। पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उनमें जो देवी हैं, वह राबड़ी देवी हैं। देवी के विषय में आप लोग क्या बोलते हैं, यह सबको मालूम है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मेरे पास पार्टी के हिसाब से लिस्ट है। कोशिश यह होगी कि जितने नाम हमारे पास आए हैं, सभी को बोलने का अवसर दिया जाए। लेकिन मैं आपसे सहयोग चाहूंगा कि कम समय में अपनी बात समाप्त करें।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): मेरा भी नाम है।

सभापति महोदयः आपको भी अवसर मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया आपस में बातें न करें, ताकि जो सदस्य बोल रहे हैं, उनकी बात ठीक से रिकार्ड में जा सके।

[अनुवाद]

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): सभापति महोदय, मैं वर्ष 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) का समर्थन करता हूं।

इस संबंध में, मैं एक महत्वपूर्ण पहलू रखना चाहूंगा। माननीय रेल मंत्री जी को सभा में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। तब ही मैं अपना मामला उनके सामने रख सकता हूं ...*(व्यवधान)*

वयनाड के रास्ते नीलांबुर से नंजनगुड तक के लिए एक नई रेल लाईन के निर्माण का एक प्रस्ताव था। यह तीन राज्यों को जोड़ रही है। इसका अध्ययन पूरा हो चुका है। परन्तु इसे व्यावहारिकता के प्रश्न पर स्थगित रखा गया है। अब, इस पर विचार किया जाना है।

कोचीन में पहले ही वेल्लरपटम टर्मिनल बन रहा है। कार्य भी शुरू हो चुका है। यात्रियों की सेवा के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए कोचीन टर्मिनल के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह मार्ग कर्नाटक से शुरू हो रहा है, वयनाड के रास्ते तमिलनाडु को जा रहा है और तब केरल में वापस आ रहा है। अतः, यात्रियों का आवागमन और माल यातायात काफी बढ़ चुका है। व्यावहारिकता का प्रश्न अब महत्वपूर्ण नहीं है। अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनः विचार किया जाए।

इसके अतिरिक्त रेलवे की सुविधाओं के संबंध में कुछ पहलुओं का जिक्र करना चाहूंगा। हमारी आबादी बढ़ी है परन्तु हमारी रेल सेवाएं संख्या या सुविधा में नहीं बढ़ी है। बढ़ी आबादी के अनुपात

में रेलवे सुविधा की प्रतिशतता नहीं बढ़ी है। अत:, ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि दोहरीकरण किया जाए। यह बहुत ही धीमी गति में हो रहा है। जहां कहीं भी दोहरीकरण हो चुका है। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि वहां दो प्लेटफार्मों की आवश्यकता होगी। नए बने प्लेटफार्मों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तथा अब तक वहां अपूर्ण प्लेटफार्म है। अत:, वहां कोई छत नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है और भी कोई सुविधा नहीं है। अत:, इसे पूरा किया जाना चाहिए।

ऐसे सुधार तुरंत किये जाने चाहिए। दूसरा अन्य पहलू जिसका उल्लेख मैं यहां करना चाहता हूं वह ऊपरि पुलों के निर्माण के बारे में है। प्रवृत्ति यह है कि चौकीदार वाले समपारों से बचा जाए। हमें तुरंत ऊपरि-पुलों के निर्माण का कार्य शुरू करना चाहिए। कालीकट और मंगलौर के बीच 12 ऊपरि पुल हैं जिनका निर्माण दो वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। मैं कारण तो नहीं जानता परंतु अब यह बंद हो चुका है। इन कार्यों को तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए। कल हमारी रेलवे बोर्ड के प्राधिकारियों के साथ चर्चा हुई तथा वे इन सभी मामलों पर विचार करने के लिए सहमत हुए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से ऐसे सुधारों के लिए तुरन्त कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

अंतत:, मैं डिब्बे में सुविधाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। डिब्बे काफी पुराने हो चुके हैं। अन्य स्थानों में स्थिति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है परन्तु दक्षिण भारत में, खासकर केरल में, ट्रेनें बहुत पुराने डिब्बों के साथ चल रही हैं। ऐसी ही स्थिति तमिलनाडु में है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम इन बहुत पुराने डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकते। प्लेटफार्मों की दशा को भी सुधारने की आवश्यकता है। वहां पानी की सुविधा नहीं है। उसी समय डिब्बों की सफाई नहीं की जाती है। यात्रा करने वाली जनता इन सभी कठिनाइयों का सामना कर रही है। अत:, माननीय रेल मंत्री जी कृपया इन मामलों पर ध्यान देकर विचार करें।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार पुन: अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, वर्ष 2004-2005 में रेलवे में केन्द्रीय सरकार के खर्च के लिए अनुदान की पूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। सभापति जी, 6 महीने पहले बजट पेश हुआ था और सही अर्थ में अनुपूरक मांगों की आवश्यकता की विवशता इसलिए आ जाती है कि कोई आकस्मिक आवश्यकता आ पड़े। जिन व्ययों की मांग की गयी है वह आकस्मिक नहीं है। ऐसा लगता है कि रेल का बजट बनाते समय आपको जो आला अफसरान हैं उन्होंने इसका सही लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया। कहां कमी रह गयी, उस पर विचार करने की जरूरत है। इसमें जो 2565.40 लाख रुपये का धन है उसमें से 1028.40 हजार रुपए स्पेशल संरक्षण निधि के लिए मांगा गया है, इस निधि का प्रयोग निर्माणाधीन परियोजनाओं और बिना बारी के अन्य निर्माणों फर खर्च किया जाएगा। माननीया सुमित्रा जी ने कहा था और मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि भारतीय रेल मार्गों पर 1.19 लाख पुल हैं और इनमें से 51340 पुल सौ साल से ज्यादा पुराने हैं। इनमें से 386 पुलों को रेल विभाग ने स्वयं खतरनाक बताया है। जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें यह रोना भी रोया जाता है कि पुलों के धंस जने की वजह से ये रेल दुर्घटनाएं हुई। हम जब रेल की गति को बढ़ाने की मांग करते हैं, तो जिन पटरियों को लम्बे समय से बदला नहीं गया है, उनके चलते रेल की गति में कैसे बढ़ोत्तरी हो सकती है। इस बात पर जरूर विचार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि रेल पटरियों की जर्जर अवस्था को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किये जाने की आवश्यकता है। रेल मंत्रालय यह मानता है कि अधिकांश जो दुर्घटनाएं होती हैं वह मानव चूक के कारण होती हैं। चूक का औसत 66.08 परसैंट है। रेलवे एक्सीडैंट्स में पिछले दस वर्षों में 12 हजार लोग मारे गये और 50 हजार लोग घायल हुए। 2003 में कोंकण रेल दुर्घटना हुई और उसमें 50 लोग मारे गये। अभी मत्स्यगंधा ट्रेन दुर्घटना में 26 लोग मारे गए। एक ही स्थान पर दो दुर्घटनाएं हुईं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम से कहां गलतियां हुई, कहां प्रयास ठीक नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि उस पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

रेलवे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पिछले वर्षों में देश में 15 आयोग बने और 15 आयोगों में से किसी आयोग की सिफारिश को रेलवे विभाग ने अमली जामा नहीं पहनाया। ये आयोग रेलवे की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए बनाए गए थे लेकिन उनकी सिफारिशों को अमली-जामा नहीं पहनाया गया जबकि इनको अमली-जामा पहनाया जाना चाहिए था। 1998 में पूर्व न्यायाधीश श्री हंसराज खन्ना ने सिफारिश की थी कि रेलवे सुरक्षा फंड बनाया जाए। जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो 17 हजार करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया गया। जब रेल मंत्री भाषण दें तो मैं ऐसा जरूर चाहूंगा कि देश के लोगों की सुरक्षा के नाम पर जो बेशुमार दौलत इकट्ठी करके रखी गई, उनमें से कितना खर्चा हुआ, वह इस पर प्रकाश डालने का काम जरूर करें।

देखने में आता है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो ज्यादातर दुर्घटनाओं की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त करते हैं लेकिन वह रेल

[श्री रामजीलाल सुमन]
विभाग के होते हैं। वह अपनी रपट विभाग को दे देते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई विश्वसनीय संस्था जिसकी अच्छी साख है, जो रेलवे के अलावा दूसरा कोई तंत्र हो, उसकी मार्फत इसकी जांच करायी जाए।

एक अजीब विरोधाभास है। रेलवे में लोगों की सुरक्षा का काम जी.आर.पी. के हवाले होता है। यह बात सही है कि राज्य सरकार को पैसा रेल मंत्रालय देता है और रेलवे सुरक्षा बल की जिम्मेदारी होती है कि वह रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा करे। यह अजीब विरोधाभास है। इस तंत्र को मजबूत बनाने की आवस्यकता है। 1990 के दशक में रेलवे में 20 लाख कर्मचारी काम करते थे। उन कर्मचारियों में कुछ लोग सेवानिर्वृत्त भी हुए। कुल मिलाकर रेलवे पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है क्योंकि कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जिस तरीके से रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई। मैं समझता हूं कि इस ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

लालू जी का अखबारों में दो-तीन बार बयान छपा है कि वह भविष्य में रेल को अव्वल बनाएंगे और यात्रियों की सुरक्षा करना उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। इस बात को नापने का सही मायने में जो पैमाना होता है वह आम आदमी का विश्वास और भावना होती है। खेत-खलिहानों और चौराहों में जो बात होती है, वहीं सरकार के किसी विभाग को नापने का सही पैमाना होता है। लालू प्रसाद जी के रेल मंत्री बनने के बाद, यही विश्वास अर्जित करना होगा लोगों को एक तुलनात्मक फर्क दिखायी देगा और उन्हें लगेगा कि रेल मंत्रालय अपना फर्ज पूरा कर रहा है।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय रेल मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। रेल मंत्री बनने के बाद और यूपीए सरकार बनने के बाद रेल विभाग ने सुधारात्मक काम किया, अपनी आदमनी को बिना टैक्स लगाए बढ़ाया और आम लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम किया। उन्होंने रेलवे में अनुशासन लाने का काम किया और रेलवे में एक्सीडेंट्स को कम से कम करने का काम किया। हम उनको इसके लिए हृदय से बधाई देते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया इस तरह मार्ग में न खड़े हों। कृपया मार्ग में खड़े होकर आपस में बात न करें।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, हम लोगों ने समाचार-पत्रों में पढ़ा और देखा है कि स्टेशनों पर जहां माल ढुलाई होती थी, अगर यह ढुलाई 15 टन होती थी तो उसे 10 टन दिखाया जाता था। इससे रेल विभाग को चूना लग रहा था। माननीय रेल मंत्री श्री लालू यादव ने उन जगहों पर खुद पहुंचकर उसकी जांच करने का काम किया और उन्हें पकड़ा। इससे रेल विभाग को फायदा तो हुआ लेकिन इसमें जो अधिकारी लिप्त थे, जिन्होंने रेल विभाग को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उनके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई? मैं इस सदन का पहले सदस्य रह चुका हूं। मैंने रेल माफिया राज के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि रेल में लूट होती है और रेल को माफिया द्वारा 5000 करोड़ रुपया दिया जाता है जिन्हें रेल मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। मैंने इस प्रकरण की जांच के लिये कहा और लिखा लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक भी प्रकरण की जांच नहीं की गई। श्री लालू जी ने आते ही उन सब की रीढ़ तोड़ने का काम किया। उस माफियातंत्र को मिटाने का काम किया। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उन्हें थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है और वे इस काम को करने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, बिहार में वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 32 रेल ओवरब्रिज बनने जा रहे हैं लेकिन जो छूटे हुए हैं, उनकी तरफ भी आने वाले वित्तीय वर्ष में ध्यान जाना चाहिए। इनमें नरकटियागंज, मोतिहारी, सुगौली, बेतिया और पूर्णिया प्रमुख हैं। मेरा निवेदन है कि पटना गंगा पुल और मुंगेर गंगा पुल के लिए फंड्स की व्यवस्था की जाये। चूंकि इन से उत्तर और दक्षिण बिहार के करोड़ों लोगों के आवागमन पर असर पड़ता है, इसलिए ये आवश्यक हैं।

सभापति महोदय, कप्तानगंज-सीवान-गोपालगंज होते हुए छपरा और नरकटियागंज-दरभंगा, दरभंगा-जयनगर तक बड़ी लाइन बन रही है। उसके कार्य की रफ्तार में धीमापन है। इन कार्यों में पैसे की कमी है। मैं चाहूंगा कि फेज-वाइज काम चालू किया जाये। इसी तरह एक नई रेल लाइन बहुत दिनों पहले सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर के बीच में बन रही है जिसकी लम्बाई 40-45 किलोमीटर है, इसे शीघ्र पूरा कराया जाये।

सभापति महोदय, पश्चिमी चम्पारण, वगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर के जितने सांसद हैं तथा आम जनता के लिए हाजीपुर-बगहा, बेतिया, मुजफ्फरपुर के लिए कोई ट्रेन नहीं है। अगर रेल मंत्री नई रेल लाइन नहीं दे सकते तो सप्तक्रान्ति एक्सप्रेस ट्रेन को सोनपुर तक बढ़ा दिया जाये और यह सोनपुर से 11 बजे चले जो मुजफ्फरपुर 12 बजे आ जाये। इससे हम लोगों का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इस गाड़ी में 16 डिब्बे हैं। मैंने इससे पूर्व इसके डिब्बों की संख्या 24 किये जाने के लिए लिखा है। इससे आम जनता का भी कल्याण हो सकेगा।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन अपनी बात कहकर चले गये हैं कि माननीय रेल मंत्री जी ने इस अनुपूरक बजट में 1137 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है। इसमें 900 करोड़ रुपया रेल संरक्षा के काम के लिए लगाया है। यह बात माननी होगी कि रेलवे लाइन और रेल के पुल कोई छः महीने में खराब नहीं हुए हैं। इसलिए उनके लिए 24 हजार करोड़ रुपये की मांग की गई है। अगर इतना पैसा हमें मिल जाए तो भारतीय रेल देश में एक नम्बर पर आ सकती है। ...*(व्यवधान)* इसके लिए 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा धन की आवश्यकता है। अगर यह धन हमें मिल जाता है तो इन कामों को आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह से आपने घोषणा की थी कि चरकिया-शिवहर होते हुए सीतामढ़ी तक सर्वे कराने और रेल लाइन बनाने की योजना है। इससे उस इलाके के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। हम चाहते हैं कि जिस तरह से आपने गरीबों की नब्ज पकड़ने का काम किया है, जिस तरह से आपने रेलवे में गरीबों के हक के लिए खादी पर विशेष ध्यान दिया है। ...*(व्यवधान)* आप लोगों के शासन में खादी मर गई थी। वही खादी और हैंडलूम आज पुनर्जीवित होने जा रही है। जिस तरह से आपने रेलों में कुल्हड़ शुरू किया है, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके में बहुत सी सब्जियां और फल होते हैं, वहां जो रेल लाइन जाती है, उसे जल्दी पूरा किया जाए।

इसके साथ ही हमारी एक अन्य मांग यह है कि भागलपुर और दिल्ली के बीच एक नई रेल चलाई जाए। मोकामा, मुजफ्फरपुर और जमालपुर के जो रेल के कारखाने बंद पड़े थे, उन्हें लालू प्रसाद जी ने चालू किया है, इन सभी कार्यों के लिए हम आपको बधाई देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: श्री ब्रजेश पाठक जी, आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): सर, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

सभापति महोदय: गोयल जी, ऐसा नहीं होगा। यहां पार्टीवाइज सबके नाम लिखे हुए हैं। मैं बीच में आपको नहीं बुला सकूंगा। अभी मैंने पाठक जी को बुलाया है, आप उन्हें बोलने दीजिए।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने रेलवे की अनुपूरक मांगों के बजट पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया। लालू जी ने सर्वमान्य जनहित तथा गरीबों से जुड़ा हुआ जो रेल बजट प्रस्तुत किया था, इस रेल बजट पर भाषण के समय हमने आपको हार्दिक बधाई दी थी तथा धन्यवाद ज्ञापित किया था। उस समय हमने आपसे अनुरोध किया था कि चाहे बिहार हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, गांव के किसान, गरीब मजदूर रेलों की छतों पर यात्रा करते हैं। आज तक जितने भी रेल बजट प्रस्तुत किये गये हैं, उन सब में इस सदन में गरीबों और दलितों की बातें की गई। लेकिन वे हिंदुस्तान के नागरिक आज रेलों की छतों पर यात्रा करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके बारे में भी आपको सोचना होगा। उनके लिए भी आपको बजट में अलग से व्यवस्था करनी होगी। जो समाज के दलित और पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए हमें ट्रेनों के अंदर कोई व्यवस्था करनी होगी। हिंदुस्तान में दो तरह के रीति-रिवाज नहीं चल सकते—जिसके पास पैसा है, वह रेलों के अंदर बैठेगा और जिसके पास पैसा नहीं हैं वह रेलों की छतों पर बैठकर धूल, धूप, हवा और दुर्घटनाओं का शिकार होगा।

हमारी दूसरी मुख्य मांग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में आज रेलवे की जितनी सम्पत्ति है, उसमें से काफी सम्पत्ति पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। गुंडे, माफिया लोग रेलवे की सम्पत्ति पर घरों और बंगलों पर कब्जा किये हुए हैं। यह सर्वविदित है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। रलवे की जमीन पर काम्पलैक्स और दुकानें बनाई गई हैं, आज उस जमीन पर दुकानें चल रही हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान लखनऊ की चारबाग रैस्ट कैम्प कालोनी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस कालोनी में विधिवत रूप से कोई भी आवंटी नहीं रहता है। सारी कालोनी माफिया और गुंडों के आतंक से त्रस्त है। वहां से सब लोग पलायन कर गये हैं। वहां सिर्फ किराये पर ही लोग रह रहे हैं। हमारी मांग यह है कि इसके लिए हमें बजट में कोई प्रावधान करना पड़ेगा तथा रेलवे की सम्पत्ति को बचाने के लिए हम कौन से उपाय करना चाहते हैं, यह सोचना होगा।

हमारी तीसरी प्रमुख मांग यह है कि रेलवे के जिन कारखानों से राख निकलती है, जिसे कबाड़ बोला जाता है। वह किसी अन्य उपयोग की नहीं होती है। आपने वह कबाड़ और राख देखी होगी। उस राख में बहुत सी ढेर सारी कीमती वस्तुएं जैसे पीतल, तांबा आदि छुपाकर ठेकेदार ले जा रहे हैं। यह सब गोरखपुर के कारखाने में हो रहा है, जो आपके पड़ौस में है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि रेलवे की सम्पत्ति को बचाने के लिए माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

आज एक महत्वपूर्ण खबर हिंदू अखबार में छपी है। वर्ष 2002 में एक भयंकर रेल दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। अन्य कमेटियों की तरह उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट कहीं बक्से में बंद होकर न रह

[श्री ब्रजेश पाठक]
जाए। वह दुर्घटना क्यों हुई थी, उसमें उसके कारणों को भी स्पष्ट किया गया है।

अपराह्न 4.00 बजे

उस दुर्घटना में दोषी लोगों को अगर बख्शा गया, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कमेटियों का वही हश्र होगा जैसा पूर्व में होता आया है।

सभापति महोदय, कहने के लिए ढेर सारी बातें हैं। इस बजट में जो मांगें रखी गई हैं, उनका मैं अपनी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि हिन्दुस्तान में जो जनोपयोगी बजट पेश किया गया है, उस ओर मजबूती के साथ कदम बढ़ाएंगे। पूरा सदन और पूरी बहुजन समाज पार्टी आपके साथ रहेगी।

[अनुवाद]

श्रीमती एम. एस. के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): माननीय सभापति महोदय, मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर देने के लिए आपकी आभारी हूं।

सबसे पहले मैं अपने सबसे आदरणीय राजनैतिक नेता और सलाहकार डा. के. करुणानिधि के प्रति अपना सम्मान और प्रशंसा दर्ज कराती हूं जिन्होंने राजनैतिक पटल पर अभूतपूर्व 100 प्रतिशत जीत के लिए जो उन्होंने अपनी बेजोड़ राजनैतिक कुशाग्रता और दूरदर्शिता के द्वारा प्राप्त की और जिसके द्वारा एक बड़ा सुगठित प्रगतिशील जन गठबंधन बनाया गया।

किसी देश के आर्थिक विकास के इतिहास में रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे देश के मामले में भी सच है। भारतीय रेल आज करीब पचास नियोजन वर्षों के पश्चात विश्व में सबसे बड़े रेल नेटवर्क के रूप में स्थापित है। निसंदेह रेलवे से तात्पर्य है आर्थिक विकास। रेलवे देश के पिछड़े तथा सम्पर्क विहीन भागों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर आर्थिक विकास में अग्रणी है। मैं हाल ही में सम्पूर्ण देश में रेल मंत्रालय द्वारा उठाये गये कदमों के लिए माननीय मंत्री श्री लालू प्रसाद जी की अध्यक्षता वाले रेल मंत्रालय की प्रशंसा करती हूं।

हालांकि, हमारे जैसे बड़े विकासशील देश, जो कि अगले 10 से 15 वर्षों में सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों में से एक होना चाहता है, मुझे सरकार को ध्यान दिलाना पड़ेगा कि देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। लम्बे समय से महसूस की जा रही बहुत सी आवश्यकताएं अभी लम्बित पड़ी हुई हैं। यद्यपि बहुत से क्षेत्रों में संतोष पैदा हुआ है परन्तु अभी भी ऐसे मामले हैं जिनमें असंतोष है जिन पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

मैं तमिलनाडु की विकासात्मक आवश्यकताओं विशेषकर अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रामनाथपुरम से संबंधित विकास संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में अपने विचार और टिप्पणियां सम्माननीय सभा के सामने रखना चाहती हूं।

रामनाथपुरम जिला बहुत वर्षों से आर्थिक रूप से पिछड़ा जिला रहा है। बहुत बड़ा क्षेत्र कम वर्षा के कारण बंजर रहता है। अभी तक लागू की गई शानदार पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी कोई औद्योगीकरण नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि रेलवे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर सकती है बशर्ते कि बड़ी लाइन रामेश्वरम तक बढ़ा दी जाए।

मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, विशेषकर रामेश्वरम, धनुषकोडी और पम्पन जैसे क्षेत्र हमारे देश के दक्षिण पूर्वी कोने में भूमि के अंतिम छोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह क्षेत्र हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के भी बहुत निकट है। इसलिए, इस क्षेत्र का बहुत सामरिक महत्व है। इस कोष से रेलवे के विकास और बड़ी लाइन का रामेश्वरम तक विस्तार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस संबंध में मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मदुरै और मनमदुरै के बीच कार्य तेज हो गया है। हालांकि, यह सुनिश्चित करके कि धन की कमी न हो इसकी प्रगति को और तीव्र किया जाना चाहिए। अत: मेरा माननीय रेल मंत्री और माननीय रेल राज्य मंत्री से अनुरोध है कि आवश्यक धन शीघ्रता से जारी किया जाए।

मेरा यह भी सुझाव है कि तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था को मजबूत करके बड़ी लाइन का रामेश्वर तक विस्तार संबंधी कार्य में तेजी लाने हेतु एक अतिरिक्त परियोजना दल अथवा विशेष कार्य बल का तुरंत गठन किया जाए।

जिला मुख्यालय होने के कारण रामनाथपुरम और रामेश्वरम में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन होना चाहिए। इस समय रामनाथपुरम, रामेश्वरम, परमाकुडी और मनमादुरै में रेलवे स्टेशनों को भारी यातायात और ग्राहक संतुष्टि का सामना करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किये जाने की बहुत आवश्यकता है।

सेतु समुद्रम परियोजना को तेजी से संगठित किया जा रहा है। इस परियोजना के परिणामस्वरूप हमारे क्षेत्र में व्यापार और यातायात

का प्रत्याशित विस्तार एक और कारण है कि रामेश्वरम तक बड़ी लाइन का विस्तार उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

अपराह्न 4.05 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन* **हुए]**

मंडपम में वर्तमान अस्पताल एक बिस्तर वाली संस्था है जिसमें बहुत कम सुविधाएं हैं। मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की पर्याप्त और पूर्ण स्वास्थ्य देखरेख की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने हेतु दक्षिण रेलवे द्वारा बहु-विशेषज्ञता वाला बड़ा अस्पताल बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार करें।

मछली पालन रामेश्वरम क्षेत्र में एक प्रमुख व्यवसाय है जिस पर हजारों परिवारों की जीविका निर्भर हैं। मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु आधुनिक विज्ञान की मदद से शीत संग्रहागार सुविधाएं विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की जाए। मैं रेल मंत्रालय से यह भी अनुरोध करती हूं कि मछली की खेपों को रियायती शुल्क पर भेजने के लिए बड़े मालडिब्बे की व्यवस्था की जाये।

इस संबंध में मैं यह बताना चाहती हूं कि मेरे आदरणीय नेता डा. कलईगनार करुणानिधि तमिलनाडु में विशेषकर मेरे क्षेत्र में मछुआरों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं। यदि रेल मंत्रालय समस्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर दे, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है, तो इससे मछुआरा समुदाय की आकांक्षाएं पूरा करने में पर्याप्त मदद मिलेगी।

रामेश्वरम, देवीपटनम, तिरूपलानी, तिरूत्तरमनगै, हरावडी इत्यादि जैसे अनेक महत्वपूर्ण विरासत स्थल हैं। देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पूरे वर्ष यहां आते हैं। मेरे क्षेत्र में सड़क, वायुमार्ग और रेलवे सहित चहुंमुखी विकास की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि रेल, सड़क और विद्युत का विकास करके साकल्यवादी तथा समग्र क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ समन्वय करके एक शीर्ष एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। सामान्य अर्थों में मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्रियों लालूजी, बालूजी और वेलूजी को रेल, सड़क और विद्युत को मजबूती प्रदान करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। बेहतर और अच्छी सड़कें और सुविकसित रेलवे एक दूसरे पर आपस में प्रबलित करने वाला प्रभाव छोड़ेंगे। रामेश्वरम में यात्री निवास का निर्माण किया जाना चाहिए।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है तो कुछ और बड़ी लाइन की परियोजनाएं यथाशीघ्र लागू की जानी चाहिए, उदाहरणार्थ मनमादुरै से विरुदुनगर और तिरुनेलवेली से तिरुचेंदूर तक जो कि एक तीर्थ स्थल है। रेल मंत्रालय को उपर्युक्त बड़ी लाइन परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। नई रेलवे लाइन का एक सबसे महत्वपूर्ण निर्माण है पुत्तूर से अतिपेट और गिंडी से श्रीपेरंबुदूर वाया पूनमल्ले। इसके अतिरिक्त चेन्नई सेंट्रल और पार्क स्टेशन को जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव लम्बे समय से लम्बित है जिसके लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया परन्तु धन की स्वीकृति अभी नहीं हुई है। इसलिए, रेल मंत्रालय को इस बड़ी लाइन परियोजना को और महत्व देना चाहिए।

हमारे देश में हमने हरित क्रान्ति, बाद में श्वेत क्रांति और नील क्रांति जिसे मत्स्यन कहा जाता है, देखे हैं। मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री बालू से अनुरोध करती हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए समन्वित प्रयासों और संस्थागत व्यवस्थाओं के द्वारा रेलवे और सड़कों को मजबूत बनाकर गतिशीलता क्रांति लेकर आएं।

माननीय सभापति और माननीय मंत्री जी मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूं। सम्पूर्ण राष्ट्र हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का बहुत सम्मान करता है। उस माननीय व्यक्ति का सम्मान करने के लिए गरीब लोगों में प्रिय श्री लालू प्रसाद को रामेश्वरम को प्राथमिकता देनी चाहिए जो कि हमारे साधारण और सबसे माननीय वैज्ञानिक हमारे राष्ट्रपति का जन्मस्थान है। महोदय, एक बार पुनः धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे बजट पर बहस के समय पूर्व से ऐसी व्यवस्था रही है और उदाहरण है कि जो माननीय सदस्य अपना भाषण लिखित में देना चाहें, वे लिखित में दे सकते हैं। उनका वह लिखित भाषण प्रोसीडिंग्स का पार्ट हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि इस प्रकार की घोषणा सदन में चेयर की ओर से कर दी जाए, तो जो माननीय सदस्य लिखित में अपना भाषण देना चाहें, वे दे सकते हैं और वह इस सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन जाएगा।

सभापति महोदय: यह ठीक है। कई बार यह हुआ है। जो माननीय सदस्य रेलवे के ऊपर लिखित में अपना भाषण देना चाहते हैं, वे मंत्री जी को दे दें।

श्री रघुनाथ झा: सभापति जी, मंत्री जी को नहीं, बल्कि सभा-पटल पर रखे जाते हैं, जो लोक सभा की कार्यवाही का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि मंत्री जी की बजाय सभा पटल पर लिखित भाषण रखे जाएं, यह घोषणा आप आसन से करें।

सभापति महोदय: ठीक है। जो माननीय सदस्य लिखकर अपना भाषण देना चाहते हैं, वे सदन के पटल पर अपना भाषण रख दें। यदि लम्बा भाषण हो, तो थोड़ा बोलें और शेष भाषण को लिखित में सदन के पटल पर रख दें।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। भारतीय रेल सारे हिन्दुस्तान में सब लोगों को, सारे समाज को जोड़ने का काम करती है। चाहे रेल बजट हो या सप्लीमेंट्री बजट हो, ज्यादातर सभी माननीय सदस्य रेलवे पर अपना भाषण यहां करते हैं, क्योंकि भारतीय रेल एक ऐसी रेल है, ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर भारतीय के दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें सारे मेम्बर्स बोलने के लिए बहुत ज्यादा इंटरस्टेड होते हैं।

माननीय सभापति जी, एक बात देखी गई है कि हर बार नये मंत्री आते हैं, नयी पालिसी बनती है, कुछ नये निर्णय लिये जाते हैं और जब नये निर्णय लिये जाते हैं तो पीछे के निर्णयों को छोड़ दिया जाता है। जब एनडीए की सरकार थी तो एक ऐसा निर्णय लिया गया था कि हम सबसे पहले ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहेंगे। रोज नई लाईन की मांग आती है, सदन में नये-नये सदस्य आते हैं और उस प्रकार से अलग-अलग मांग भी होती है। जिन रेलवे मार्गों की कई दिनों से मांग है और वे शुरू भी हो चुके हैं, मंत्री जी का यह काम है कि जिनके ऊपर भारतीय रेल ने पैसा खर्च किया है, वे रेल मार्ग पहले पूरे किये जाएं, बाद में बाकी रेल मार्ग लिए जाएं। लेकिन मैं देखता हूं कि कई रेल मार्ग बीच में ही छोड़ दिये जाते हैं। ऐसा ही एक अमरावती-नरखेड़ रेल मार्ग है। इसकी 1905 से मांग चल रही है, कई आंदोलन हुए, क्योंकि विदर्भ के लोगों को नागपुर से होते हुए दिल्ली आने के लिए रास्ता ठीक ढंग से नहीं मिलता, इसलिए जो ओरेंज बेल्ट है, वहां से अमरावती-नरखेड़ शुरू हो जाए। मैं 1996 में पहली बार एमपी बना तो हमने इस रेल को शुरू करने की मांग की और उसका काम भी शुरू हो गया। उस पर रेल बजट में राशि भी प्रदान हुई, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जो अमरावती-नरखेड़ रेल मार्ग था, 138 किलोमीटर की रेल लाईन थी, उसे बीच में ही काट कर 44 किलोमीटर कर दिया, लालू जी काटने का काम बहुत अच्छा करते हैं। अमरावती से नरखेड़ रेल लाईन 138 किलोमीटर थी, उसे केवल चंदूबाजार तक बनाना है, बाकी नहीं बनाना है। लोगों की अमरावती-नरखेड़ की मांग है, अमरावती, चन्दूबाजार की नहीं है, ये लोग कई दिनों से मांगकर रहे हैं। अगर केवल 44 किलोमीटर की लाईन बनाई तो इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं पुराने बजट में मांग कर रहा हूं कि लोगों की इच्छा और डिमांड का ध्यान रखा जाए। मैं मंत्री जी से विनती करता हूं कि अमरावती-नरखेड़ का काम पूरा करें।

सभापति महोदय, रेल मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है कि जहां तीन मिनट से कम रेल रुकती है, वहां गुड्स की बुकिंग नहीं होती या गुड्स की डिलीवरी नहीं होती। महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र है, ठाणे, कल्याण में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज है और मुंबई से सीएसटी, दादर, कुर्ला से निकलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, वे ठाणे और कुर्ला में दो-तीन मिनट रुकती हैं, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज ठाणे, कल्याण में हैं। यह निर्णय लेने की वजह से सारे गुड्स की बुकिंग कुर्ला, दादर और सीएसटी में करनी पड़ती है। अगर वहां बुकिंग होगी, वहां ले जाने का जो खर्चा पड़ता है, डिलीवरी होती है, मुंबई महानगर का ट्रेक अलग पड़ता है, ठाणे का अलग पड़ता है, कल्याण का अलग पड़ता है और सबसे बड़ी बात है कि इस वजह से कम से कम 400 कुली, 400 कामगार बेकार हो चुके हैं और रेलवे को भी काफी नुकसान इस वजह से हो रहा है। मेरी मांग है कि आप इसका निर्णय लें कि जहां भी बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया है, जहां गुड्स की ज्यादा बुकिंग होती है, वहां पर चाहे ठहराव 3 मिनट हो या दो मिनट हो, लेकिन वहां पर गुड्स की बुकिंग और डिलीवरी हो। ठाणे में भी यह बात शुरू की जाये।

आज रेलवे के सामने सबसे बड़ी दिक्कत कर्मचारियों की है। सारे देश में कर्मचारी कम हैं, एक समय था कि रेलवे के पास बहुत कर्मचारी थे, लेकिन ट्रेनें कम थीं। आज ट्रेनें बढ़ गई हैं, यात्री सुविधाएं बढ़ गई हैं, यात्री बढ़ गये हैं, लेकिन कर्मचारियों में दिनोंदिन कमी आ रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जहां सुविधा यात्रियों को मिलनी चाहिए, वह सुविधा नहीं मिलती है। ट्रेन के आने-जाने की, आवागमन की इन्फोर्मेशन स्टेशनों पर नहीं मिलती है। जहां पर गाड़ी की पोजीशन लेट चल रही है या जल्दी आ रही है, उसकी पोजीशन नहीं मिलती है, इसलिए मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर देश में बहुत बड़ा अनएम्पलायमेंट है, यहां बेरोजगार बहुत हैं, बहुत लोगों की मांग है और रेलवे मंत्रालय कई इश्तहार निकालता है, कई एडवरटाइजमेंट निकालता है, बड़ी मात्रा में परीक्षा ली जाती है। फरवरी 2003 में, मई 2003 में ली गई परीक्षा के नतीजे अभी तक रेलवे डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। 1-1 साल हो गया, डेढ़-डेढ़ साल हो गया, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं दी। जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन बेरोजगारों ने परीक्षा दी है, उनको नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है।

क्यों नहीं हम उनको रेलवे में भर्ती कराते हैं और क्यों नहीं हम यात्रियों को सुविधा दे पाते हैं। मेरी मांग है कि अगर यात्रियों को सुविधा देनी चाहिए तो कांट्रैक्ट बेसिस पर दीजिए। रेलवे के यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री सुविधा की मांग करते हैं।

आदरणीय मंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं कि हम कुल्हड़ देंगे, लेकिन हमारे यहां तो कुल्हड़ में चाय नहीं मिलती है। नागपुर बहुत बड़ा स्टेशन है, वहां कुल्हड़ नहीं मिलता है, न खादी का बैडरोल मिलता है। जो सुपरफास्ट ट्रेन हैं, उनमें अच्छे लोग, अच्छे व्यापारी, अच्छे सिटीजन ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, वहां की सुविधा भी 6 महीने में बहुत बेकार हो गई है। उनमें खाना अच्छा नहीं मिलता है, पेण्ट्री अच्छी नहीं है, राजधानी एक्सप्रैस में जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह ठीक ढंग से नहीं मिलती है। अगर कम्प्लेण्ट कराना चाहें तो कम्प्लेण्ट बुक नहीं मिलती है। कई बार आप उनको कहें कि सजेशन बुक दीजिए तो सजेशन बुक नहीं मिलती है। जो सुविधाएं राजधानी एक्सप्रैस में मिलनी चाहिए, वह दिनोंदिन कम होती जा रही हैं, जो बोगी में इन्फोर्मेशन मिलती थी, वह इन्फोर्मेशन मिलनी बन्द हो गई है। जो गाने बजते थे, वे गाने बजने बन्द हो गये हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हर बार पालिसी चेंज करने की जरूरत क्या है। अगर सही मायने में यात्रियों को आप सुविधा देना चाहते हैं, अगर हम खाना नहीं देना चाहते हैं तो टिकट में किराया कम कर दीजिए, खाना बन्द कर दीजिए, लेकिन अगर देना चाहते हैं तो ठीक तरह से यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उनका सम्मान हो, उनकी पूरी तस्ली हो कि इस प्रकार की सेवा रेलवे को देने की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो 5-6 महीने में बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं।

मैं ज्यादा मांग नहीं करूंगा, लेकिन जो रेलवे के लिए जरूरत है और जो हम कर सकते हैं, वह करना चाहिए। एक ध्यानेश्वरी एक्सप्रैस चलती है, जो हावड़ा से कुर्ला आती है। यह डीलक्स एक्सप्रैस है, पूरी गाड़ी ए.सी. है। मेरी छोटी सी मांग है कि इसको कुर्ला पर स्टाप न करते हुए सी.एस.टी. भेजा जाये। जो हावड़ा से चलकर कुर्ला पर रुकती है, उसे कुर्ला पर न रुकते हुए सी.एस.टी. भेजा जाये। वहां से बड़े व्यापारियों ने और पोलीटिशयंस ने इस ट्रेन की बहुत दिनों से मांग की है। सेगाव एक बड़ा स्टेशन है, वहां गजानन महाराज का बड़ा मंदिर है, सारे देश के लोग वहां पर आते हैं। तिरुपति में भी सारे देश के लोग जाते हैं तो तिरुपति सेगाव वाया शेगाव, अकोला, बडनेरा होते हुए जानी चाहिए या तिरुपति भुसावल यह नई ट्रेन शुरू की जाये तो मुझे लगता है कि सारे देश के लोगों की अच्छी मांग पूरी हो सकती है।

आपका धन्यवाद, समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आज हम रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांग पर बहस कर रहे हैं।

हमें सं.प्र.ग. नेता तथा सं.प्र.ग. सरकार में क्रियान्वयन समिति की सभापति श्रीमती सोनिया गांधी के सक्रिय नेतृत्व पर गर्व है। मैं प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, हमारे रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद, रेलवे राज्य मंत्री, और रेल मंत्रालय के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि वे इस देश में एक महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहे हैं।

रेलवे हमारे देश की जीवन रेखा है, बिना किसी जाति, धर्म या अन्य भेदभाव के हर कोई इसका उपयोग करता है। यह दक्षिण और उत्तर तथा पूर्व और पश्चिम के लोगों के बीच एक सम्पर्क का कार्य करता है। अमीर, गरीब ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के लोग इस परिवहन प्रणाली के यात्री हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी यातायात प्रणाली है।

इस रेलवे बजट में रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के विचार महत्वपूर्ण रहे, बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने समाज के सभी वर्गों को प्रसन्न रखा। अब उन्होंने एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है।

मैं तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां का नेतृत्व तमिलनाडु में सं.प्र.ग. सभापति डा. कलाईग्नर करते हैं। उनके नेतृत्व में इस सर्वोच्च संस्था और इस सरकार में 40 संसद सदस्य आये हैं। तमिलनाडु के नेताओं तथा तमिलनाडु के सांसदों की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में तमिलनाडु के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। 209 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है; इस सरकार में उस क्षेत्र की ओर से किये गये अंशदान व क्षेत्रफल की मात्रा की तुलना में यह अपर्याप्त है।

महोदय, नेता के रूप में आप समाज के पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और रेलवे के मामले में तमिलनाडु एक अति पिछड़ा हुआ राज्य है। तमिलनाडु के सांसदों ने दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस बारे में बार-बार आग्रह किया है। सं.प्र.ग. नेता डा. कलाईग्नर द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखे गए पत्र के माध्यम से हम सभी सांसदों ने मंत्री जी से पुरजोर अपील करके आग्रह किया है कि तमिलनाडु राज्य के कल्याण और विकास हेतु रेलवे द्वारा परियोजनाओं का शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन किया जाए। हमारा पहला और महत्वपूर्ण आग्रह सलेम रेलवे डिवीजन को स्वीकृति दिये जाने के काफी समय से लम्बित मुद्दे के बारे में है। यह तमिलनाडु के लोगों की पिछले 40 वर्षों से लम्बित आकांक्षाओं में से एक है।

[श्री के.वी. तंगबालु]

तमिलनाडु राज्य के लिए कोई अतिरिक्त डिवीजन नहीं दिया गया है। महोदय, सलेम रेलवे डिवीजन के अंतर्गत सेलम, इरोड, कोयम्बतुर, नामक्कल, धर्मापुरी, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम आदि दस जिले आते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी रेलवे डिवीजन नहीं है। हमें केरल के दूसरे सिरे पर पालघाट तक जाना पड़ता है। हमने व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर इस आवश्यकता पर आधारित रेलवे डिवीजन के विषय में बात की थी। पिछली सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन रेलवे मंत्री ने सात डिवीजन बनाये थे। अब हम पूरे तमिलनाडु के लिए एक डिवीजन दिये जाने का आग्रह कर रहे हैं। यह आग्रह हमारे नेता के साथ-साथ सभी सं.प्र.ग. नेताओं द्वारा भी किया जा रहा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे नेता के साथ किये गये वायदे को पूरा किया जाए और आज अपना जवाब देते समय इस डिवीजन के सृजन की घोषणा करें क्योंकि यह तमिलनाडु राज्य के लिए अति आवश्यक है।

सेलम-वृद्धाचलम क्षेत्र को आमान परिवर्तन के लिए चयनित किया गया था और इसके लिए 169 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जानी थी परन्तु बजट में केवल 25 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। यह राशि अपर्याप्त है। 169 करोड़ रुपये आवंटित करने के बजाय, पिछले दो-तीन वर्षों से इसके लिए बहुत कम राशि दी जा रही है। शेष बचे क्षेत्र को पूरा करने में कितना समय लगेगा? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगले बजट में सलेम-वृद्धाचलम बड़ी रेलवे लाईन बिछाने का कार्य एक बार में ही पूरा किया जाए।

महोदय, दूसरी बात यह है कि विल्लुपुरम-कुम्भकोणम, तंजावुर-तिरुवरूर-नागोर (नागोर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है), तूतीकोरिन-तिरुनेलवेली-तेनकासी, मदुरै-दिण्डीगुल-पलानी-पोल्लाची-कोयम्बतूर-पोल्लाची-पालघाट, मदुरै-बोडी, तिरुनेलवेली-तिरूचेन्दुर और कराक्कल-नागोर रेलवे लाइन इस राज्य के लिए तुरंत आवश्यक है। जहां तक आमान-परिवर्तन का संबंध है हमने बार-बार इसके लिए आग्रह किया है। हमारे राज्य को इसका पूरा कोटा नहीं दिया गया है। यद्यपि, श्री वेलु हमारे क्षेत्र से राज्य मंत्री हैं। मैं लालू जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें पूरा महत्व और संरक्षण दें ताकि तमिलनाडु राज्य को रेल मंत्रालय में उचित महत्व दिया जा सके।

तमिलनाडु में नई रेलवे लाइनों के संबंध में आपको एक ज्ञापन दिया था। सलेम-नामक्कल-करूर परियोजनाओं में धन की कमी तथा दिशा-निर्देशों के अभाव में देरी की जा रही है। अधिकारियों ने इससे संबंधित फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी हैं। वे इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस क्षेत्र के बहुत से मामले न्यायालय में लम्बित हैं और वे इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिन किसानों की भूमि रेलवे बोर्ड द्वारा अधिग्रहीत की गयी है उन्हें उसके मुआवजा का भुगतान शीघ्र नहीं मिल पा रहा है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं तमिलनाडु के 40 सांसदों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं अपने दल की ओर से बोल रहा हूं।

दिण्डीगुल-सबरीमलाई रेलवे लाईन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तमिलनाडु से काफी तीर्थयात्री सबरीमलाई जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण रेलवे लाईन हैं-पलानी-समराज नगर वाया धरापुरम, सत्यमंगलम, तारामणि-मामल्लापुरम-पांडिचेरी-कुड्डालोर, टिंडीवनम-अरकोट-अरणि, गुडीचट्टम-पेरनमपेट-वी कोट्टा-कोलार-बंगलोर (यह तमिलनाडु से बंगलौर के लिए अतिरिक्त सम्पर्क मार्ग है), धर्मपुरी-मोरप्पूर, धर्मपुरी-कृष्णागिरी, जोलरपेट-सेनगम-तिरुवन्नामलाई-टिण्डीवनम, तंजावूर-अरियालूर, बंगलौर-सत्यमंगलम, बोडीनलकन्नूर-कोट्टायम (इस भाग से केरल तक अन्य रेलवे लाईन) तथा मदुरै-तूतीकोरिन (वाया अरुप्पाकोट्टई)। ये नई रेलवे लाइनें हमने मांगी है और इसके लिए आपका समर्थन आवश्यक है।

महोदय, मैं रेलवे के उपरिपुलों तथा निचले पुलों के बारे में बताना चाहता हूं। तमिलनाडु से हम 40 सांसदों ने 13 परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। विशेषकर मैं मुतमपट्टी (वलापेडी)-अयोद्यापट्टीनव-शिवतापुरम और मुल्लुवाडी गेट, सेलम में रेलवे के ऊपरि पुलों के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल मंत्रालय के सहयोग से ओमलूर में भारत सरकार द्वारा एक ऊपरिपुल बनाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने दो साल पहले इसका ठेका एक ऐसे ठेकेदार को दिया था जोकि अब भाग गया है। वह काम करने का इच्छुक नहीं है और रेलवे बोर्ड से और धन ऐंठना चाहता है। हमने इस बारे में रेलवे बोर्ड से अपील की थी परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय के अधिकारियों और ठेकेदार के बीच कोई सांठगांठ है। मैं इस परियोजना के अधिकारियों और ठेकेदार के बीच सांठगांठ का आरोप लगाता हूं जो कि पिछले दो वर्षों से इसे लटका रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस मामले की जांच करें और उस ठेकेदार को मंत्रालय द्वारा ठेकेदारों की स्वीकृत सूची में से निलम्बित करे या हटा दे तथा किसी अन्य ठेकेदार से इस परियोजना का कार्यान्वयन करायें।

महोदय, मैं तमिलनाडु में कार्यान्वयन के लिए लम्बित ऊपरिपुलों की परियोजनाओं के बारे में बताना चाहता हूं:

1. रेलवे गेट 1-8-3436, एल.सी. 2-9/2426 विल्लीवक्कम के निकट।
2. रोयापुरम में एल.सी. 5/पी.पी. 7-9 पर स्टेनले अस्पताल और आर.एस.आर.एम. अस्पताल को जोड़ने के लिए ऊपरिपुल।
3. जोलरपेट में उपरिपुल।

4. पुराने बस स्टैंड के पास इरोड में उपरिपुल।

5. तंजावूर-नागापट्टिनम मार्ग तथा तंजावूर-पुदुट्टुकोट्टई में उपरिपुल

6. वंडालूर-सिंगापेरुमलकोइल-चेंगलपट-मदुरंडागम-कांचीपुरम में उपरिपुल

7. कट्पडी-तिरुवलम-रानीपेट रोड पर उपरिपुल

8. कोयम्बतूर जिले में कुरिची-विलनकुरिची-अवरमपालयम-पीलामेदु पर उपरिपुल।

9. मदुरै एलिस नगर (पेरियर बस स्टैंड) पर उपरिपुल।

महोदय, हमने इन उपरिपुलों के लिए आग्रह किया है। मंत्री महोदय ने इरोकाम्यम में एक उपरिपुल के लिए सहमति देने का अनुग्रह किया है। प्रत्येक अवसर पर रेलवे मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा उपरिपुल के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत लागत जमा करने का आग्रह करता है। बजट पर बहस के दौरान माननीय रेल मंत्री ने राज्य सरकारों के इस वित्तीय भार को कम करने का अनुग्रह किया है।

मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप राज्य सरकार द्वारा रेलवे को ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु वित्तीय समर्थन प्रदान करने की इस वर्तमान व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा केवल तमिलनाडु राज्य के लिए ही नहीं किया जाना चाहिए अपितु इसे पूरे देश में लागू करने हेतु एक नीति बना दी जानी चाहिए।

सभापति महोदयः आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री के.वी. तंगबालुः महोदय, मैं बी.जी. लाइनों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा।

सभापति महोदयः माननीय रेल मंत्री जी सब कुछ तमिलनाडु में ही तो नहीं दे सकते।

श्री के.वी. तंगबालुः महोदय, मैंने निम्नलिखित मार्गों के लिए बी.जी. लाइनों हेतु अनुरोध किया था:

1. चेन्नै-त्रिची-मदुरै-तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी

2. कोयम्बटूर-इरुगूर

3. तिरुवेल्लूर-आरकोणम चौथी लाइन।

4. अतीपट्टू-गुम्मिडिपूडि तीसरी लाइन।

5. सेलम-बंगलौर दूसरी बी.जी. लाइन।

रेल मार्गों के विस्तार के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे जोलारपेट-इरोड यात्री रेलगाड़ी को तिरुपति तक बढ़ाया जाए और चेन्नै-हैदराबाद-चेन्नै-जोधपुर और त्रिची-हावड़ा को मदुरै, सेलम-हेतुर तक बढ़ाया जाए।

हमने कोयम्बतूर स्थित वेस्ट कोस्ट एक्सप्रैस के तिरुपुर और तिरुमलुर (वेल्लौर) में ठहराव दिये जाने का भी अनुरोध किया था। यह उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने यह कर दिया है।

महोदय, हमने कटपाड़ी में रेलवे मैटेलिक स्टील स्क्रैप री-रोलिंग मिल स्थापित किये जाने की मांग भी की थी। इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत आवश्यक है।

मैं अगली बात रेल विभाग में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा उत्पादित कपड़े के बारे में कहना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी को रेलवे में खादी का उपयोग किये जाने संबंधी आदेश दिये जाने पर बधाई देना चाहूंगा। आपने गांधीवादी विचारों को कार्यान्वित किया है। एक कांग्रेसी होने के नाते तथा तमिलनाडु के लोगों की ओर से मैं पुनः इस पर आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं आपसे यह अनुरोध भी करना चाहूंगा कि आप कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के निकट एन.टी.सी. की 40 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने पर भी विचार करना चाहिए जिससे उसका उपयोग रेलवे स्टेशन के विस्तार हेतु किया जाए।

अन्ततः, मैं आपसे तिरुपुर रेलवे स्टेशन का उन्नयन कर उसे एक आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का अनुरोध करूंगा।

अन्ततः, मैं आपसे तमिलनाडु के इस्पात शहर सेलम को एक आदर्श स्टेशन बनाए जाने का अनुरोध करता हूं। अभी इसकी समुचित रूप से देखरेख नहीं हो रही है। यदि इसे एक आदर्श स्टेशन बनाया जाता है तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

मैं तमिलनाडु के सभी 40 संसद सदस्यों की ओर से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे द्वारा तमिलनाडु के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेता, डा. करुणानिधि की ओर से दिये गये प्रस्तावों को शीघ्रतापूर्वक प्रक्रिया आरंभ करें और तमिलनाडु के दावों को समर्पण प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः सभापति महोदय, मेरा एक अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और अपने सुझाव देना चाहते हैं, उनकी संख्या काफी है। हम उनकी बातों को सुनना चाहते हैं इसलिए इस पर जवाब देने के लिए रात को 10 बजे का समय

[श्री लालू प्रसाद]

तय कर दिया जाए। इस बीच में हमारी केबिनेट की मीटिंग भी है, वहां भी मुझे जाना है। इसलिए सदन की राय ले ली जाए कि उसके पहले जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वे बोल लें। वैसे मैं रात को 11 बजे या 12 बजे भी जवाब देने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदयः नौ बजे के दरमियान सभी सदस्य अपना-अपना भाषण समाप्त कर लें, फिर उसके बाद जवाब हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना समय लगेगा।

श्री लालू प्रसादः नौ बजे का समय तय कर लें। लेकिन ऐसा न हो कि सदस्य बोलें और फिर चले जाएं। बाद में अकेले हम ही रह जाएं।

सभापति महोदयः यह भी सही बात है। जो माननीय सदस्य हाउस में रहेंगे उनकी मांगों को रेल मंत्री जी ध्यान में रखेंगे इसलिए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे हाउस में रहें।

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): अगर हाउस देर रात तक चलेगा तो फिर भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदयः भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

श्री लालू प्रसादः जो माननीय सदस्य देश के लिए और अपने क्षेत्र के लिए सुझाव दे रहे हैं, हम उनको भूखे नहीं रखना चाहेंगे इसलिए भोजन की भी व्यवस्था कराएंगे।

सभापति महोदयः माननीय सदस्य लक्ष्मण सेठ जी ने अपना भाषण सदन के पटल पर रखा है और उसे पार्ट आफ प्रोसीडिंग माना जाएगा। उसके बाद माननीय सदस्य इलियास आजमी जी ने भी अपना भाषण सदन के पटल पर रखा है और उसे पार्ट आफ प्रोसीडिंग माना जाएगा।

[अनुवाद]

***श्री लक्ष्मण सेठ** (तामलुक): महोदय, मैं आज आपका ध्यान लोक महत्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा तथा इस पर आपकी ओर से सकारात्मक विचार किये जाने की इच्छा रखूंगा।

तामलुक से पंसकुरा हल्दिया रेल लाइन का दोहरीकरण किये जाने के स्थान पर नंदकुमार से तामलुक दीघा लाइन से हल्दिया तक नई लाइन बिछाई जाए। मेरे द्वारा प्रस्तावित नई लाइन की लम्बाई मात्र 25 किलोमीटर है जबकि तामलुक से पंसकुरा से हल्दिया तक लाइन के दोहरीकरण की लम्बाई 45 किलोमीटर होगी।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

पहले मेचेदा स्टेशन पंसकुरा और हावड़ा स्टेशन से सीधे गंतव्य स्थलों के लिए पान के पत्तों की बुकिंग होती थी। लेकिन रेल बोर्ड ने हाल ही में बीच में पड़ने वाले स्टेशनों से भी पुनः बुकिंग की व्यवस्था आरम्भ की है जिसके परिणामस्वरूप पान के पत्ते की उत्पादकों पर दोहरे शुल्क का अत्यधिक भार पड़ा है।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तामलुक में लगभग 5 लाख किसान अपनी आजीविका के लिए पान के पत्तों की खेती पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड ने माल पर भाड़े में वृद्धि कर दी है।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शीघ्रतापूर्वक पुनः बुकिंग व्यवस्था को समाप्त किया जाए।

मेचेदा स्टेशन नव-सर्जित पूर्वा-मेदिनीपुर के तामलुक जिला मुख्यालय का निकटतम स्टेशन है। मेचेदा हमारे देश के अग्रणी औद्योगिक केन्द्र हल्दिया का प्रवेश द्वार है। दक्षिण पूर्व रेलवे को अपने राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत भाग हल्दिया से प्राप्त होता है।

दक्षिण पूर्व रेलवे ने मुझे सूचित किया है कि एक्सप्रैस रेलों को मेचेदा स्टेशन पर रोकना संभव नहीं है क्योंकि इसका प्लेटफार्म एक्सप्रैस रेलों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस रुकावट को प्लेटफार्म तथा सिग्नल प्रणाली का विस्तार करके दूर किया जा सकता है।

अतः, मैं उक्त के लिए आपकी ओर से सकारात्मक रुख की अपेक्षा रखता हूं।

हल्दिया और हावड़ा के बीच स्थानीय रैलें केवल दो बार चलती हैं। मैं आपसे हल्दिया और हावड़ा के बीच स्थानीय रेलों की संख्या में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं।

हल्दिया में अधिकाधिक उद्योग आ रहे हैं। लेकिन वहां का रेल यार्ड अपर्याप्त है। कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें।

[हिन्दी]

***श्री इलियास आजमी** (शाहाबाद): महोदय, मैं रेल की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए चंद बातें रखना चाहता हूं।

रेल बजट के भाषण में माननीय रेल मंत्री ने कहा था कि गोला गोकरण नाथ से मोहम्मदी होकर शाहजहांपुर तक नयी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण अद्यतन किये जा रहे हैं।

महोदय, मुझे विश्वास है कि लालू जी ने संसद में कह दिया तो उपरोक्त सर्वेक्षण हो रहा होगा, परन्तु अभी तक मौके पर सर्वे करने वाले नहीं पहुंचे हैं।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

मेरा रेल मंत्री महोदय जी से विशेष अनुरोध है कि सर्वेक्षण टीम मौके पर जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें ताकि जनता, जो आपकी घोषणा से आस लगाये बैठी है, उसे भी लगे कि हमारे लालू जी पूरी ताकत से जनता के हितों के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं।

मेरा यह भी अनुरोध है कि सियालदा जम्मू तवी एक्सप्रेस जो आझी शाहाबाद में डाउन साइड ही रुकती है, अप साइड की सियालदा नहीं रुकती, आझी शाहाबाद में डाउन की भांति अप सियालदा भी रोकने का आदेश दिया जाये ताकि जनता को सुविधा हो सके।

[अनुवाद]

***श्री प्रकाश परांजपे** (ठाणे): महोदय, रेल बोर्ड ने एकतरफा रूप से यह निर्णय लिया है कि वह ऐसी किसी भी रेल के लिए पार्सलों की बुकिंग नहीं करेगा जो किसी भी स्टेशन पर 3 मिनट से अधिक नहीं रुकती है।

इस निर्णय से रेलवे को राजस्व की भारी हानि हुई है और इस निर्णय ने सारे व्यवसायिक समुदाय को इस बात के लिए बाध्य किया है कि वह सड़क परिवहन का सहारा ले जिससे उन्हें अधिक व्यय उठाना पड़ रहा है तथा विभिन्न स्थानों के लिए सामान की आपूर्ति में भी विलम्ब हो रहा है।

इस निर्णय ने पूरे देश में इससे संबंधित लोगों या व्यावसायियों को प्रभावित किया है।

इस संबंध में मैंने दिनांक 2 सितम्बर को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने कृषक समुदाय को इसके परिणामस्वरूप हुई हानि और उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्यय का ब्योरा दिया है।

मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (महाराष्ट्र में ठाणे) हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है तथा इसमें एशिया के सर्वाधिक लघु उद्योग स्थापित हैं। महोदय, इस एकतरफा निर्णय से महाराष्ट्र में कल्याण और ठाणे से कोई पार्सल बुक नहीं हो रहे हैं और सभी को महाराष्ट्र में कुर्ला या दादर से अपने पार्सल बुक कराने पड़ते हैं। महोदय, कुर्ला और दादर स्टेशन मुम्बई निगम के अंतर्गत आ रहे हैं। अतः महोदय, जब वहां से पार्सलों का वितरण किया जाता है तो मुम्बई निगम वहां इन पार्सलों पर चुंगी लगाता है। जब व्यवसायी इन पार्सलों को कुर्ला या दादर से ठाणे या कल्याण लाते हैं तो दोनों के निगम क्षेत्र होने के कारण लोगों को इन दोनों निगमों को चुंगी शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इससे उसी सामान पर लोगों को दोहरा कर देना पड़ रहा है जिससे इन लोगों पर व्यय का अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

पार्सलों की बुकिंग रोकने से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जहां तक शीघ्र खराब हो जाने वाले माल का संबंध है, ताजी सब्जियां और दुग्ध उत्पाद जो कि शीघ्रता से खराब होते हैं, उपयोगिता संबंधी समयावधि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। रेलवे बोर्ड के इस निर्णय से स्टेशनों पर बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है। आज रेलवे के इस एकतरफा निर्णय से माल लाइनें और चढ़ाने वाले 200 से अधिक श्रमिक अपना रोजगार खो चुके हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से इस पर तुरंत कार्यवाही करने और रेल बोर्ड को उसके द्वारा लिए गए इस एकतरफा निर्णय को वापस लेने का निदेश देने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, रेलवे की 2004-2005 की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं। भारतीय रेलवे पर हमें निश्चित ही गौरव की अनुभूति होती है। कुछ समय पहले हमने भारतीय रेलवे की 150वीं जयंती मनाई थी। उस वर्ष इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने के लिए इसी सदन के माध्यम से एक संकल्प भी लिया गया था। उस समय भी जो सबसे बड़ी चिंता हमारे सामने थी वह रेलवे के क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा था।

दुर्भाग्य का विषय है कि जिस भारतीय रेल को हम भारतीय जीवन पद्धति की लाइफ लाइन कहते हैं, उस लाइफ लाइन को पिछले कुछ समय से आजादी के बाद से अक्सर हमने देखा है कि जिस क्षेत्र विशेष का रेल मंत्री बनता है, उस क्षेत्र में ही रेलवे की अधिकांश परियोजनाएं गईं। आज उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश के अंदर रेलवे के क्षेत्र में विकास का जो समानुपात होना चाहिए, उसकी जगह क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है।

पिछली बार जब रेलवे बजट पर चर्चा करने के लिए हम एकत्र हुए थे, उस समय मैंने कहा था कि रेल मंत्री जी ने जो रेल बजट प्रस्तुत किया था, उसमें पूरी तरह से राजनीतिक संकीर्णता देखने को मिली थी।

महोदय, भारतीय रेल ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत को जोड़ने का कार्य किया था और वह समता और एकात्मकता का प्रतीक बन चुकी है। सम्भवतः लालू जी के रेल मंत्री बनने के बाद उस समता और समरसता में कमी आई है। आज भारतीय रेल, भारतीय रेल न रहकर लालू मेल बनकर रह गयी है। ...*(व्यवधान)*

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वह अब एक ब्रांड बन रहे हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: सभापति जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो सप्लीमेंटरी डिमांड यहां प्रस्तुत की गयी हैं उसमें जो चैप्टर रेलवे संरक्षा और सुरक्षा का है, उसका अनुपात जो यहां दिखाया गया है, उस पर आप एक बार नजर डालें तो ऐसा लगता है कि माननीय रेल मंत्री भारत के रेल मंत्री न रहकर मात्र बिहार के और माननीया राबड़ी देवी के रेल मंत्री बनकर रह गये हैं। ...*(व्यवधान)* अधिकतर उन्होंने बिहार की योजनाओं को ही इसमें लिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उनके तो हैं ही, आपको क्या आपत्ति है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: स्वामी जैसी बात करें, अच्छा लगेगा।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): महोदय इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: चिंता मत करें, हम इसकी जांच करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: इसके कारण बिहार के बारे में सोच में कमी आई है। बिहार की लड़कियां उत्तर प्रदेश में ब्याही जाती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के हित के बारे में माननीय रेल मंत्री जी कभी नहीं सोचते हैं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इनकी राजनैतिक वैमनस्यता होगी, राजनैतिक दुश्मनी होगी लेकिन हम लोगों से किस बात की वैमनस्यता है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली का सफर रेल से पूरा करना हो तो उत्तर प्रदेश को इग्नोर नहीं किया जा सकता है लेकिन माननीय रेल मंत्री जी बार-बार यही त्रुटि किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक भी योजना इस सप्लीमेंटरी डिमांड में नहीं आई है जबकि इस देश की जनसंख्या का पांचवां भाग उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से उपेक्षा हो रही है और माननीय रेल मंत्री जी भारत के रेल मंत्री न रहकर केवल कूप मंडूक बनकर रह गये हैं, बिहार के बनकर रह गये हैं और हमें उस पर आपत्ति है और हमारी आपत्तियों को यहां पर दर्ज किया जाए।

पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था और आज फिर कहते हैं कि माननीय रेल मंत्री जी विकास के प्रति कितने गंभीर हैं, यह बात पिछले 6 महीने की रेल दुर्घटनाओं से और रेलवे की संरक्षा और सुरक्षा में लापरवाही से साफ नजर आती है। जितनी डकैतियां रेलवे में पड़ी हैं, रेल मंत्री जी यात्रियों की सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर है, और जो सुविधाएं रेल यात्रियों को दी जानी चाहिए, उन्हें देखने से उसका साफ पता चलता है। यह बात दर्शाती है कि भारतीय जीवन-पद्धति और भारत की लाइफ लाइन इस रेल को हम कहां ले जा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद महोदय, जिन्होंने अनुदान की मांगों पर बहस प्रारम्भ की थी उनकी बातों को सुनकर मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के भाइयों को लालू जी इतने ही पसंद हैं तो क्यों नहीं लालू जी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। ...*(व्यवधान)* जैसे रेलवे को लालू जी लालू मेल बनाकर चला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। इसमें गलत क्या है?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कांग्रेस इसके बारे में तय करेगी। यू.पी.ए. इसका निर्णय लेगी। आप इस बारे में चिंतित क्यों हैं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उनकी तुलना कांचीपुरम से मत कीजिए। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अगर मैं डिमोशन कर रहा था, इनको परेशानी हो रही थी, अब प्रमोशन कर रहा हूं तो इनको परेशानी है। अगर मैंने गाड़ियों को बिहार तक ले जाने की बात कही तो इनको बुरा लगा। अगर मैं कहता हूं कि इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो भी इनको बुरा लगा।

अभी संसद सत्र प्रारम्भ होने से पहले माननीय रेल मंत्री जी ने बार-बार कहा था कि माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं होगी लेकिन संसद सत्र प्रारम्भ होने से कुछ दिन पूर्व माल-भाड़े में अचानक काफी वृद्धि की गई जिस का असर देश के किस वर्ग पर पड़ेगा? देश में महंगाई बढ़ेगी। रेल माल भाड़े में वृद्धि होने से महंगाई पर असर पड़ेगा और निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग इससे बुरी तरह प्रभावित होने वाला है।

कल ही देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर जितने भी कुली काम करते हैं, उन सब ने अपनी मांगों के लिए आन्दोलन किया था। रेल मंत्री बनने के बाद लालू जी ने कहा था कि हम उस तबके के बारे में सोचेंगे। क्या 6 महीने में यही सोच थी? आज उन कुलियों को भी आन्दोलन करके सड़कों पर उतरना पड़ा। उनकी वाणिज्यिक मांगों के बारे में 6 महीने में कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार क्या रेल मंत्री या रेल मंत्रालय द्वारा नहीं हुआ?

इसके अतिरिक्त छठ पूजा के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो दुर्घटना हुई, वह बहुत दुखद थी। एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हम किस हद तक फैसले करते हैं, यह उसकी जीता-जागता उदाहरण है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में उस दौरान जो भगदड़ मची, उसके बाद जो निर्दोष लोग मारे गये, उनकी कौन भरपाई करेगा, किसकी जवाबदेही तय करेंगे? पिछली बार यह तय हुआ था कि रेलवे की फालतू भूमि का वाणिज्यिक उपयोग किया जाएगा। वाणिज्यिक उपयोग के क्षेत्र में कितना काम अब तक हुआ है, मैं समझता हूं कि उस दिशा में कोई सोच पैदा नहीं की गई। बहुत सी जगहों में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा है। स्थानीय नगर निगम, नगरपालिका या स्थानीय पालिकाओं या राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ इस बारे में बातचीत हो तो रेलवे से जुड़ी भूमि का बेहतर उपयोग होगा और बहुत से लोगों को रोजगार देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे रेलवे की इनकम बढ़ेगी और उस भूमि का बेहतर उपयोग किया जा सकता है लेकिन उस दिशा में कोई सोच अब तक पैदा नहीं की गई है।

देखने को मिला है कि पूर्वोत्तर रेलवे की कई ट्रेनें समय पर नहीं आ रही हैं। वे 10-12 घंटे लेट आती हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप और कितना समय लेंगे। यहां कई और बोलने वाले हैं। आप पहले ही 10 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: सभापति महोदय, मैंने अभी भाषण शुरू किया है।

सभापति महोदय: आपको बोलते हुए दस मिनट हो गए हैं। आपकी पार्टी के बाकी लोग बोल नहीं पाएंगे।

योगी आदित्यनाथ: मैं कह रहा था कि वे अधिकतर लेट चलती हैं। मेरे दो सुझाव हैं। एक व्यक्ति किराया दे रहा है तो रेलवे उसे सीट क्यों नहीं देता है? अगर सीट नहीं दे सकता तो उस व्यक्ति से किराया वसूल न किया जए। अगर आप किराया लेकर समय पर यात्रियों को पहुंचाने का वायदा कर रहे हैं और उतने घंटे में यात्रा को सम्पन्न करने का दावा करते हैं तो अपने उस दावे के अनुसार वायदे को पूरा करने का प्रयास रेलवे को करना चाहिए। अगर रेलवे नहीं करता तो कम से कम उसी मात्रा में रेलवे को अपने किराए को भी कम करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त रेल बजट पेश करने के बाद मैंने अपने भाषण में पूर्वोत्तर रेलवे से जुड़ी बातों को रखा था। मैंने उस समय भी माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध किया था कि केवल एक क्षेत्र या प्रदेश विशेष का विकास करके रेलवे के विकास के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। सम्पूर्ण भारत में रेलवे का विकास करने के लिए, विभिन्न योजनाओं को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, जनसंख्या के अनुपात में और क्षेत्र के अनुपात में लागू किया जाना चाहिए।

दूसरे, उस मामले में यह बात तय हुई थी कि जो योजनायें लाभकारी हैं या जो योजनायें चालू हैं, उन्हें पहले पूरा किया जाये। राजनैतिक लाभ के लिए या मात्र राजनैतिक स्वार्थ के लिए नई योजनायें बना लेना और फिर कोई नया रेल मंत्री आ जाये, उन योजनाओं को अधूरा छोड़ दिया जाये, यह रेलवे के हित में नहीं है। पुरानी राजनैतिक कारणों से लम्बित ढेर सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। उसका परिणाम यह होगा कि कोई भी योजना पूरी नहीं हो पायेगी और न जनोपयोगी कार्य हो सकेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे की जितनी योजनायें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मंत्रालय को ईमानदारी से सोचना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप पहले से ही 15 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: सभापति महोदय, पूर्वोत्तर रेलवे का बंटवारा पूर्व में हो चुका है। वहां के उप-महाप्रबंधक का पद रेल मंत्री जी के आने के बाद हाजीपुर स्थानान्तरित किया जा चुका है और

[योगी आदित्यनाथ]
मंडल कार्यालय को भी हटाने का प्रयास चल रहा है। गोरखपुर मंडल के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वह न किया जाये। जो योजनाएं पूर्वोत्तर रेलवे की पड़ी हुई हैं, जैसे गोंडा-बलरामपुर-नौतनवां-गोरखपुर लूप लाइन का आमान परिवर्तन करने का काम 1999-2002 में लिया गया, इसके लिए धन भी आवंटित किया गया था और कार्य भी प्रारम्भ हुआ था ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: सभापति जी, क्या इनको इतना समय दिया जायेगा? क्या हमें चांस नहीं मिलेगा?

सभापति महोदय: यह उनकी पार्टी के सदस्यों का समय है।

योगी आदित्यनाथ: सभापति जी, अगर हमें नहीं बोलने देंगे, तो हम भी ऐसा ही करेंगे।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: माननीय सदस्य विषय से क्यों भटक रहे हैं?

श्री खारबेल स्वाईं: जब आप चेयर पर बैठेंगे तो कहियेगा।

सभापति महोदय: आप अपने सदस्य को अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

योगी आदित्यनाथ: सभापति जी, पहले आप उन्हें बैठाइए। जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो इन लोगों को आपत्ति होने लगती है और ये लोग बीच में फिर खड़े हो गये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, आप खड़े होकर व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं जब आपकी पार्टी के ही एक सदस्य बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: वह विपक्ष के सदस्य हैं। वह सरकार की आलोचना तो करेंगे ही इसमें समस्या क्या है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: स्वाईं जी, आप शान्ति रखिए।

योगी आदित्यनाथ: सभापति जी, गोरखपुर पूर्वोत्तर का मुख्यालय है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाये।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: सभापति जी, लखनऊ से गोरखपुर तक रेल लाइन के विद्युतीकरण और रेल लाइन को दोहरा किये जाने के लिए एक प्रस्ताव रेल विभाग को भेजा गया है। इस कार्य से रेल विभाग को 17 प्रतिशत राजस्व में बचत होगी। इसके अतिरिक्त नेपाल के अंदर माओवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं जिसका असर हमारे देश पर भी दिखाई दे रहा है। आनन्द नगर से लेकर जनपद महाराजगंज मुख्यालय के घुघली तक रेल लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव भेजा गया था। रेल विभाग द्वारा कुछ कार्यवाही प्रारम्भ भी हुई है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें। आप पहले ही 20 मिनट ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: सभापति जी, मेरे 2-3 प्रस्ताव हैं, इन लोगों ने मेरा समय ले लिया अन्यथा, मैं अपना भाषण खत्म कर देता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया सहयोग करें। अन्यथा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें। कृपया अपने सुझाव मंत्री जी को लिखित में दें।

[हिन्दी]

आपको जो सुझाव देने हैं, लिख कर दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

योगी आदित्यनाथ: मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। गोरखपुर ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: सर, मैं अपनी पार्टी की ओर से दूसरा सदस्य बोल रहा हूं। अभी कई अन्य सदस्य आधा-आधा घंटे बोले

हैं। इसके बाद जो नाम आयेगा, उसका बोलना तय होगा, वह बाद की बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपकी पार्टी से 15 नाम दिये गये हैं। इसलिए हम इतना समय नहीं दे सकते। इसलिए कृपया अब बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: इधर के लोगों को भी चांस मिलेगा और उधर के लोगों को भी चांस मिलेगा। अब तक मैं अपनी बात समाप्त कर चुका होता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया बैठ जायें। आप पहले ही 25 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि नेशनल हाइवे पर कूड़ाघाट तथा चार फाटक रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण, गोरखधाम एक्सप्रैस की आवर्ती बढ़ाना, समय में संशोधन करना तथा गोरखपुर में राम जन्मभूमि अयोध्या होते हुए लखनऊ के लिए गाड़ी की व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके अलावा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप लिखित में दीजिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

@श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): महोदय, रेल विभाग के आज के अनुपूरक बजट पर निम्नलिखित सुझाव कार्यवाही में सम्मिलित करने की कृपा करें।

अयोध्या फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में सरजू नदी पर एक अरब से बने पुल पर से अभी तक कोई ट्रेन नहीं चलायी जा रही है। पूर्व घोषणा तथा सुझावों का पालन नहीं किया गया है।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश से नयी दिल्ली के लिए एक नयी ट्रेन चलाने की घोषणा का अभी तक पालन नहीं किया जा रहा है।

फैजाबाद में 120 सम्बल पर प्रस्तावित रेल ओवर ब्रिज उपरगामी पुल अभी तक बनाने का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश से वाया इलाहाबाद बाम्बे एक्सप्रेस को तो दो दिन के स्थान पर हफ्ते में तीन दिन चलाने की कृपा की जाये।

उत्तर प्रदेश, अयोध्या घाघरा में बने पुल पर बिहार से वाया गोरखपुर आने वाली ट्रेनों को अयोध्या से पुल से गुजरने की अनुमति प्रदान की जाये।

@श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं अपना लिखित भाषण रेलवे अनुदान की पूरक मांगें 2004-05 के संबंध में दे रहा हूं।

महोदय, यूपीए सरकार का जब रेल बजट आया था तो देश के रेल यात्रियों को विश्वास दिलाया गया था कि आपकी सुरक्षा होगी लेकिन ठीक उसके विपरीत ट्रेनों में लगातार लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज हो रही हैं। इन घटनाओं को रोक पाने में रेल प्रशासन अक्षम साबित हुआ है। देश के हजारों पुल अपनी समयावधि पूरी कर चुके हैं, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि आउट डेटेड डिब्बे पुरानी पटरियों में दौड़ रहे हैं। कहीं तो शीशा नहीं तो किसी का छत टूटा है तो कहीं कुछ गायब है, सीट टूटी हुई है, जिससे असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। हम में से सभी लोग रेल यात्रा करते हैं। रोज अनियमितताओं की शिकायतें लिखाई जा रही हैं। रेलवे की सुविधाओं में परंपरागत रूप से आज भी रैकेट काबिज हैं, जिसके रोज उदाहरण सामने देखे जा रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुदान मागों में एक निम्नलिखित सुझाव को जोड़ने की मांग करता हूं।

रेल बजट में मध्य प्रदेश की व्यापक उपेक्षा की गयी थी, जबकि प्रदेश में रेलवे के विकास के जो कार्य पहले से चल रहे थे उनको भी पर्याप्त धनराशि नहीं दी गयी, जिससे सभी कार्य कछुआ चाल से चल रहे हैं। पहली बार रेल मंत्री जी ने पूर्व के रेल मंत्रियों की घोषणाओं को बदलने का कार्य किया है।

ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का कार्य बहुत धीमा है। यही स्थिति रही तो 20 सालों में उक्त योजना को पूरा नहीं कर पायेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
@भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री गणेश सिंह]
कटनी से सतना मानिकपुर इलाहाबाद तथा रीवा मानिकपुर से झांसी रेल मार्ग में आज तक विद्युतीकरण एवं दोहरी रेल लाइन का कार्य नहीं हो पाया।

मैहर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की लम्बे समय से मांग हो रही है जिसे तत्काल स्वीकृत किया जाये, सतना से उचेहरा रेल मार्ग के बीचोंबीच मरस्त मोड के पास रेलवे क्रास फाटक लगाया जाये।

रीवा से भोपाल जाने वाली रेवांचल गाड़ी जबलपुर डिवीजन की सबसे ज्यादा आय देने वाली गाड़ी है, जिसमें सभी कोठियों की बागियां बढ़ाया जाना आवश्यक है।

रीवा से दिल्ली चलने वाली गाड़ी का समय परिवर्तित किया जाना आवश्यक है।

मैहर तथा चित्रकूट दोनों तीर्थस्थल हैं। साल भर में करोड़ों लोग आते हैं। रेल लाइन से तो दोनों तीर्थस्थल जुड़े हैं लेकिन यात्री गाड़ी से सीधे नहीं जुड़े। कृपया एक सवारी गाड़ी चलायी जाये।

दिल्ली से चित्रकूट के लिए घोषित सम्पर्क क्रांति गाड़ी को तत्काल चलाया जाये।

सतना रेलवे स्टेशन में वांशिंग पिट बनाने हेतु राशि प्रदान की जाये।

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा प्रस्तुत अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल) का समर्थन करता हूं।

जहां तक रेलवे के काम का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि यह कुल मिलाकर संतोषजनक है। अभी ऐसा समय नहीं आया है कि रेल मंत्रालय के समग्र कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की जाये। रेलवे मंत्रालय विगत कुछ वर्षों से बहुत ही बुरी दशा में है। लालूजी चाहे जिस विभाग में रहें, यद्यपि अभी वह रेल मंत्री हैं, वह सदैव देश के पद-दलितों के प्रतिनिधि समझे जाते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वह उनका ध्यान रखेंगे। यद्यपि मैं उनकी पार्टी से संबद्ध नहीं हूं, फिर भी मैं देश के एक महत्वपूर्ण धमनिरपेक्षा नेता के रूप में उन्हें बधाई देता हूं। रेलवे देश में धर्मनिरपेक्ष की भावना का प्रतिनिधित्व भी करती है। मैं मानता हूं कि लालूजी अपने कार्यकाल में आम लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे।

मैं अपना भाषण ऐसे दो-तीन बिंदुओं तक ही सीमित रखूंगा जिनका उत्तर, मेरी समझ से लालू जी वाद-विवाद के अंत में अवश्य देंगे या कम से कम उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। मैं नहीं समझता कि रातों-रात हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। मैं पूरे देश के लिए बोलना चाहता हूं केवल अपने राज्य पश्चिम बंगाल के लिए नहीं।

कुछ दिन पूर्व, हमारे कुछ संसद सदस्य त्रिपुरा गये थे। वहां हम त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री माणिक सरकार से मिले। उन्होंने वहां हमें बताया कि आजादी के 57 वर्षों के बाद भी, त्रिपुरा की अत्यधिक अवहेलना की जा रही है। वहां रेलवे लाइनें केवल कुछ किलोमीटर ही हैं। यदि हम कोलकाता से अगरतला की हवाई यात्रा करें तो केवल 35 मिनट लगते हैं और यदि ट्रेन या बस से यात्रा करें तो 36 घंटे से अधिक समय लगता है। त्रिपुरा का विकास गंभीर रूप से बाधित रहा है। इसके प्राकृतिक संसाधन, वन और दूसरी वस्तुओं का पूरे देश में विपणन किया जा सकता है ...*(व्यवधान)* यदि वहां शीघ्रातिशीघ्र रेल लाइन बिछा दी जाती है।

सभापति महोदय: श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, कृपया अपने स्थान पर वापस जायें। अधिकारी गैलरी में अधिकारियों से बात करना ठीक नहीं है।

श्री सांताश्री चटर्जी: इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय रेल मंत्री त्रिपुरा को अधिक निधियों के साथ-साथ उस ओर अधिक ध्यान भी दें ताकि यह राज्य हमारे राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में आ सके।

दूसरी बात यह कि आवंटित अनुदानों के अध्ययन से पता चलता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटित धनराशि बिलकुल संतोषजनक नहीं है। मैं समझता हूं कि निधियों की कमी है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों हेतु, हमें राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखकर विचार करना होगा।

अपराह्न 5.00 बजे

उग्रवाद की समस्या—चाहे जिस किसी रूप में हो—असमानता, सामाजिक अन्याय और दीर्घकालीन उपेक्षा से पैदा होती है। मैं समझता हूं रेल परियोजनाओं का विस्तार करने, नयी परियोजनाएं लागू करने से यहां के लोगों को सहायता प्राप्त होगी। उद्योग और कृषि का विकास होगा और पूर्वोत्तर राज्यों के लोग राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होंगे और इससे वास्तविक अर्थों में एक धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र तथा एकीकृत भारत की तस्वीर हमारे सामने आयेगी।

[हिन्दी]

लालू जी से हमारा विनीत निवेदन है कि थोड़ी मेहरबानी करके नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए सोचिये। हिन्दुस्तान की आम जनता के लिए हमारी अपील है।

[अनुवाद]

मैं केवल अपनी पार्टी की ओर से ही नहीं बोल रहा हूं अपितु पूरे देश की भलाई के लिए कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि वंचित और पददलित लोगों के नेता के रूप में वह त्रिपुरा के लोगों की ओर असम के लोगों की ओर, मणिपुर के लोगों की ओर और संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों की ओर उचित ध्यान देंगे।

अब मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल की बात करना चाहूंगा। तमिलनाडु के एक माननीय सदस्य ने यहां पर एक बात कही है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मैं जानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने माननीय रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है। मैंने सभा में इस बात का उल्लेख किया था कि पश्चिम बंगाल में नौ सड़क उपरि पुल परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, या अभी आरम्भ होनी है और लालू जी ने उसका उत्तर भी दिया था। मैं जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनधित्व करता हूं डांकुनी उसी क्षेत्र में आती है। यह बिहार से जुड़ी है। यह डांकुनी उपरिपुल लंबे समय से उपेक्षित रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि सड़क उपरि पुल के लिए आधी-आधी राशि के योगदान पर पुन: विचार किया जाये और यह केवल पश्चिम बंगाल के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए नीतिगत मामला है। किसी एक विशिष्ट राज्य में जब हम सड़क उपरिपुल (आरओबी) का निर्माण करते हैं तो हमें इसके लिए अधिग्रहीत की गई भूमि हेतु मुआवजा देना पड़ता है। विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए मुआवजा देना पड़ता है और उसके बाद हमें उस पर आने वाली लागत को वह न करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि लालूजी इस पर विचार करेंगे और एक ऐसी राष्ट्रीय नीति विकसित करेंगे जिससे यह स्पष्ट हो सके। इसमें राज्यों का अंश कितना होगा और रेलवे का अंश कितना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एक बार पुन: उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वह डांकुनी सड़क उपरि पुल के निर्माण पर विशेष ध्यान दें क्योंकि यहां से लंबी दूरी की बहुत सी रेलगाड़ियां जाती हैं। ऐसा करने से यहां के लोगों की अकथनीय परेशानियों का समाधान हो सकेगा। मेरा लालू जी की ओर से अनुरोध है कि वह इस मामले पर विचार करें।

अब मैं हावड़ा-आमरा परियोजना और दक्षिण-पूर्व रेलवे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधन के दु:साहस पर आश्चर्य होता है। मुझे अनाधिकारिक रूप से यह सूचित किया गया कि पूर्ण की गई परियोजना का उद्घाटन लालू जी करेंगे। इस परियोजना की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब तक बार हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों ने बिना समय लिये उनसे मिलने गये। पश्चिम बंगाल विधान सभा का एक सर्वदलीय सम्मेलन लंबे समय तक उनसे मिलने का इंतजार करता रहा। काफी दौड़ धूप के बाद यह परियोजना पूरी हो पायी। लेकिन रेल मंत्रालय ने इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी। इस परियोजना क्षेत्र के एक छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं और एक भाग का प्रतिनिधित्व हमारे मित्र श्री हन्नान मोल्लाह करते हैं। महाप्रबंधक महोदय में इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि वह हमें इस बारे में सूचित करते। जब हमने उनसे इस मुद्दे पर मिलने का प्रयास किया तो किसी न किसी बहाने से उन्होंने साफ मना कर दिया। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगें और उन्हें बतायें कि संसद दस्यों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते वे किस तरह के व्यवहार के पात्र हैं।

इस हावड़ा-आमरा परियोजना में कुछ कमियां हैं। इसके एक तरफ गांव वाले रहते हैं और दूसरी तरफ खेती होती है। यहां पर कोई लेवल क्रासिंग नहीं है और न ही एक ओर से दूसरी ओर जाने का कोई रास्ता है जिससे ग्रामवासी गुजर सकें और अपने उत्पाद को बाजार तक ले जा सकें। मैंने दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मेरा लालू जी से भी अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान दें। इस संबंध में मैंने दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक को जो आवश्यक कागजात दिये हैं, मैं वे कागजात लालू जी को भी दूंगा।

महोदय, अब मैं तमलुक-दीघा परियोजना पर आता हूं। इस परियोजना पर कार्य जारी है और इसे शीघ्र पूरा किया जायेगा जिससे कि अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जाये और पर्यटन विकास में सहायता होगी। तारकेश्वर जो एक तीर्थस्थल है, पर पटरियों के दोहरीकरण का कार्य आरम्भ हो चुका है। इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर लिया जाये।

बलूरघाट-एकलाखी रेल परियोजना को उचित समय में पूरा किया जायेगा।

अपराह्न 5.05 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

पश्चिम बंगाल में कई अन्य परियोजनाएं हैं। मुझे खेद है कि कांग्रेस और एन.डी.ए. सरकार के दौर में पश्चिम बंगाल की पूरी तरह से अनदेखी की गयी। अब समय आ गया है कि इस राज्य

[श्री सांताश्री चटर्जी]

में विकास हो और माननीय रेल मंत्री से राज्य के लिए उचित हिस्से की आशा करते हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि पश्चिम बंगाल एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द का वास्तविक प्रतीक है।

हावड़ा और सियालदाह के मध्य रेल से सफर करने वाले उपनगरीय मुसाफिरों की समस्याएं कई गुना बढ़ गयी हैं। मैंने माननीय रेल मंत्री को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे। लालू जी को इसका पर्याप्त अनुभव है और ये कोलकाता की अधिकतर यात्रा करते हैं। वे हावड़ा और सियालदाह के उपनगरीय रेल यात्रियों की दशा के बारे में जानते हैं कुछ नई परियोजनाएं आरम्भ की जानी चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों का चयन किया जाये और यात्री सुविधाओं को सुधारने का हर सम्भव प्रयास किया जाये।

रेल बजट पेश करने के बाद लालू जी ने पूर्वी रेल मुख्यालय का दौरा किया। हमारे नेता, श्री बसुदेव आचार्य अपने सहयोगी, संसद सदस्यों तथा रेलवे हॉकर्स यूनियन के नेता माननीय रेल मंत्री से मिले और उनका ध्यान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा फेरी वालों के विरुद्ध किये गये अमानवीय तथा बर्बर व्यवहार की ओर दिलाया गया। उनकी रोजी-रोटी उनसे छीन ली गयी है। लालू जी ने अधिकारियों से कहा "जब आप बहुत सारे बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दे सकते तो आप उनका रोजगार क्यों छीन रहे हो?" लालू जी ने आश्वासन दिया था कि भविष्य में रेलवे के फेरी वालों के विरुद्ध कोई हमला, प्रताड़ना तथा भयभीत करने जैसी घटनाएं नहीं होगी। परन्तु मुझे खेद है कि यह अब भी जारी है और पहले से अधिक हो रहा है। रेल मंत्री के आदेश की अवज्ञा की जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? जब तक आप अपने अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं करते, हम संसद सदस्य, अपने हॉकर भाइयों के साथ खड़े रहेंगे और स्थिति का सामना करेंगे। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो हम इसे सहन नहीं करेंगे। यदि यही स्थिति जारी रही तो पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे रेलवे फेरी वाले बेरोजगार हो जायेंगे। मैं लालू जी से आग्रह करता हूं कि वे इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि फेरी वालों को क्यों प्रताड़ित और गिरफ्तार किया जाता है, इन्हें दंड तथा जुर्माना क्यों लगाया जाता है। इस स्थिति को लम्बे समय तक सहन नहीं किया जा सकता। मैं लालू जी से आग्रह करता हूं कि वे रेल फेरी-वालों के लिए कुछ करे।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, मैंने अधिक समय नहीं लिया है। मैं सीमित समय में ही बोल रहा हूं।

उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अनेक सुविधाएं हैं। मैं सामान्य मध्य वर्ग परिवार से हूं। मैं राजधानी एक्सप्रेस अथवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने में समर्थ नहीं हूं। परन्तु अब मेरे पास रेल पास है जिससे मैं यात्रा कर सकता हूं। जब मैं विधान सभा सदस्य था तब भी मैं यात्रा करता था। हमें स्लीपर श्रेणी में यात्रा करने वालों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शौचालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। रेल डिब्बों में क्षमता से अधिक लोग भरे रहते हैं। वहां न तो पानी है और न ही बिजली। लालू जी ने निर्णय लिया था कि वे शौचालय प्रणाली को सुधारेंगे। हमें स्लीपर श्रेणी के यात्रियों की ओर विशेष ध्यान अवश्य देना चाहिए।

अंत में, मैं एक बात का उल्लेख करना भूल गया। लालू जी इस पर विचार अवश्य करेंगे। मेरा मानना है कि रेल हॉकरों को लाइसेंस जारी किये जाए जिससे कि वे अपना कार्य कानूनी रूप से जारी रख सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री भंवर सिंह डांगावास** (नागौर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री का ध्यान मेरे द्वारा बजट सत्र व पूर्व सत्र में रेल विभाग के संबंध में विचार रखे थे, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

महोदय, वित्तीय वर्ष 2004-05 के करीब नौ महीने समाप्त होने जा रहे हैं। मैंने रेल मंत्री महोदय को मेड़ता शहर से अजमेर (पुष्कर) तक रेल मार्ग स्वीकृत करने, डेगाना से रतनगढ़ तक रेल मार्ग का गेज परिवर्तन करने व कई जगह भिन्न-भिन्न रेलों के ठहराव स्वीकृत करने आदि का आवेदन किया था।

उनमें से किसी भी कार्य की स्वीकृति नहीं हुई है। इस प्रकार राजस्थान के पश्चिमी व मध्य क्षेत्र में कोई कार्य नया स्वीकृत नहीं हुआ है।

मैं पुनः आग्रह करूंगा कि मेड़ता शहर से अजमेर (पुष्कर) रेल मार्ग का कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करें। सिर्फ सर्वे करने का बार-बार आश्वासन देना पर्याप्त नहीं है। जबकि कई बार सर्वे हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, रेल के संबंध में केन्द्र सरकार के रेल व्यय के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

उड़ीसा राज्य में रेलों के विस्तार में कुछ कहने से पूर्व मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान उड़ीसा तथा बिहार राज्यों के राजनीतिक और धार्मिक संबंधों की ओर दिलाना चाहूंगा। जैसाकि वे इस बात से अवगत हैं कि आधुनिक उड़ीसा के निर्माता स्वर्गीय मधुसूदन दास बिहार-उड़ीसा प्रांत के मंत्री थे। माननीय रेल मंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के बड़े प्रशंसक हैं जो कि उड़ीसा के उत्कृष्ट पुत्र तथा राष्ट्रीय ख्याति के महान देश भक्त थे। मैं उड़ीसा राज्य से बीजू जनता दल का प्रतिनिधित्व करता हूं। परन्तु निरपवाद रूप से देखा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति से राष्ट्रीय मुख्य धारा में रहने के बावजूद रेलों के संबंध में उड़ीसा राज्य की हमेशा से ही अनदेखी की जा रही है तथा इसके कारण अब भी रहस्यपूर्ण हैं। मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा सभा में 6 जुलाई, 2004 को वर्ष 2004-05 के बजट भाषण के दौरान कही गयी कुछ पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा।

जैसाकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लेख किया गया है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने रेल अवसंरचना के विकास और विस्तार को सर्वोच्च्व प्राथमिकता देती है। देश की मुख्य परिवहन व्यवस्था के रूप में एक ही प्रबंधन के अंतर्गत काम करने वाली भारतीय रेल को दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। देश की प्रगति में इसके योगदान को मापा नहीं जा सकता और इसे वाणिज्यिक संगठन के साथ-साथ सामान्य तौर पर समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली संस्था की दोहरी भूमिका भी निभानी पड़ती है।"

महोदय मैं उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि भारतीय मानचित्र पर पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है यद्यपि मेरा राज्य प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। हमें गर्व है कि उड़ीसा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में एशिया उप-महाद्वीप का दूसरा सम्पन्न राज्य है। माननीय रेल मंत्री इस बात से अवगत हैं कि विभाजन से पूर्व उड़ीसा बिहार का पड़ोसी राज्य था। रेल के मामले में उड़ीसा के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के 57 वर्षों के पश्चात् भी भेदभाव किया जा रहा है। उड़ीसा खनिज भण्डारों, वन, बड़े पैमाने पर उपजाऊ भूमि और भूमिगत जल संसाधनों, लम्बी तटीय रेखा जैसे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है तथा यहां अनेक दर्शनीय पर्यटक स्थल भी हैं। यह मानव संसाधन के क्षेत्र में भी धनी हैं परन्तु भौगोलिक प्राकृतिक और मानव संसाधन के क्षेत्र में धनी होने के बावजूद उड़ीसा आज देश का अत्यंत पिछड़ा राज्य है।

उड़ीसा राज्य में 2,340 कि.मी. लम्बी रेल लाइन है जिसका अधिकांश भाग इसकी परिधि से होकर गुजरता है। यद्यपि तटीय जिलों से महत्वपूर्ण शहरों जैसे दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई के लिए सीधी रेल सेवा है, किंतु राज्य के अंदरूनी और सुदूर जिलों में रेल सम्पर्क नहीं है। मुझे अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फुलबनी जोकि एक जनजातीय जिला है तथा मल्काना गिरि जहां नक्सलवाद की आवाजें उठ रही हैं, में अब तक रेल की पटरी नहीं है। उचित सम्पर्क न होने के कारण सांस्कृतिक तथा सामाजिक संबंधों के अभाव के कारण, राज्य के पिछड़े जिलों की स्थिति अब दयनीय है।

मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि जो कि दलितों, गरीबों और पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए हमेशा ही आवाज उठाते रहे हैं यह उनका कर्त्तव्य है कि वे देखें कि राष्ट्रीय विकास के संबंध में उड़ीसा के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह रेल मंत्री का कर्त्तव्य है कि वे सभी राज्यों को समान महत्व दें।

हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सभी राज्यों को उनकी मांगों का वाजिब हिस्सा मिले। रेलों के संबंध में भी राज्यों का विकास हो परन्तु ठीक इन्हीं परिस्थितियों में उड़ीसा की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त नेतृत्व के अभाव में हम इस माननीय सभा में अपनी आवाज उठाने में सफल नहीं रहे हैं।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि श्री नवीन पटनायक के गतिशील नेतृत्व में उड़ीसा में अब विभिन्न नये इस्पात संयंत्र तथा अन्य उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होने जा रहे हैं। लेकिन उचित संपर्क साधनों के अभाव के कारण उन इस्पात संयंत्रों और अन्य परियोजनाओं जो उड़ीसा में चल रही हैं, में कुछ बाधाएं आ सकती हैं।

इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, मैं उन बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिसके बारे में इस सम्माननीय सभा सम्मानित वरिष्ठ सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य की अध्यक्षता में वाली स्थायी समिति ने रेल मंत्रालय को सिफारिशें की थी। मैं उसको उद्धृत करता हूं।

योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा समिति को इससे अवगत कराया गया कि चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन मुहैया कराने में कोई समस्या नहीं थी बशर्ते रेलवे इस बात का आश्वासन दे कि वह अंतिम मील परियोजनाओं तक को महत्व देते हुए यथार्थपरक प्राथमिकता के साथ परियोजनाओं का परिणाम हासिल करेगी। इसलिए, समिति ने "वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के परामर्श से तीन महीने के अंदर परियोजना-वार प्राथमिकता तैयार करने के लिए एक कारगर रणनीति बनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने प्राकृतिक आपदा तथा धन के अभाव की स्थिति को छोड़कर अन्य मामलों में विलम्ब के कारणों के लिए परियोजना के लिए कार्यकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी/ जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया था।

[श्री ब्रह्मानंद पंडा]

मैं उन विशिष्ट कारणों को भी जानना चाहूंगा जिसके चलते मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। पूरे विषय के संदर्भ में समिति को इस बात की सिफारिश करने में संकोच था कि रेलवे को तत्काल परियोजनाओं की प्राथमिकता को पुनः तय करने संबंधी मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। ताकि विरल और मूल्यवान संसाधनों का उत्पादक कार्यों में उपयोग हो सके।"

मैं अपने राज्य में रेल के विस्तार की मांग के संदर्भ में भी कुछ कहना चाहूंगा। इसी दौरान उड़ीसा में रेल के विकास और विस्तार के लिए माननीय प्रधानमंत्री को 26 अक्तूबर, 2004 को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें दल के सभी सदस्य जिसमें उड़ीसा विधान सभा के अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता तथा संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्य भी सम्मिलित थे, वहां उपस्थित थे।

माननीय रेल राज्य मंत्री ने मेरे राज्य का दौरा किया है। उन्होंने राज्य में रेलवे की दयनीय स्थिति को भी देखा है। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण राज्य की वास्तविक प्रगति बाधित हुई है और राज्य आर्थिक मामलों में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इस संबंध में, मैं यहां उस ज्ञापन की कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा जिसे माननीय प्रधान मंत्री को सौंपा गया था:

> "स्वीकृत बी.जी. रेल संपर्क परियोजना का समापन: रेल मंत्रालय द्वारा एक दशक पूर्व में छः रेल परियोजनाएं तथा दो आमान परिवर्तन परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी। तथापि, निधियों के अपर्याप्त आवंटन के कारण इन परियोजनाओं के समापन में विलम्ब हुआ। जिससे लागत में वृद्धि हुई। रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि वह पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत सभी परियोजनाओं, नई लाइनों और आमान परिवर्तन के कार्य को शुरू करे। यह भी आवश्यक है कि रेल मंत्रालय निम्नलिखित परियोजना के समापन को भी प्राथमिकता दे।"

सभापति महोदय: श्री ब्रह्मानंद पंडा, कृपया अब अपनी बात खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ब्रह्मानंद पंडा: महोदय, मैं पांच मिनट में समाप्त कर लूंगा *...(व्यवधान)*

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी): महोदय, बी.जे.डी. की ओर से वे एकमात्र वक्ता हैं। वे ही केवल चर्चा के दौरान बोलेंगे *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री ब्रह्मानन्द पंडा, आप पहले ही 10 मिनट तक बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: सभापति महोदय, मैं नम्रतापूर्वक आपसे अपील करता हूं। मैं एक नया सदस्य हूं। मैं पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

श्री सुग्रीव सिंह: महोदय, बी.जे.डी. की ओर से वे एकमात्र वक्ता हैं। कृपया उनको अनुमति दी जाए।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: आपको धन्यवाद।

जहां तक दैतारी-बन्सपानी रेल संपर्क परियोजना का संबंध है, दूरी केवल 155 कि.मी. है। यह 1992-93 में स्वीकृत हुई थी और वर्ष 2004-2005 के लिए आवंटन 83 करोड़ रुपये की थी। यह बहुत कम है। दुबरी क्षेत्र में शीघ्र ही शुरू किये जाने वाले उद्योगों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस लाइन का निर्माण कार्य 2005 तक पूरा कर लेना चाहिए। रेल मंत्रालय से निधि आवंटन को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये करने का अनुरोध है।

हरीदासपुर-पारादीप परियोजना के संबंध में, दूरी 78 किलोमीटर है और यह 1996-97 में स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2004-2005 में छः करोड़ रुपये की राशि इस परियोजना के लिए आवंटित की गई। कच्चे तथा तैयार माल के आयात-निर्यात के लिए पर्याप्त क्षमता हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि इस बड़ी लाइन रेल संपर्क परियोजना में दो वर्षों के भीतर तेजी लाई जाए। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। इसलिए, रेल मंत्रालय से वर्ष 2004-05 के दौरान आवंटन को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने का अनुरोध है।

लांजीगढ़ रोज-जूनागढ़ परियोजना के संबंध में दूरी मात्र 54 किलोमीटर है। यह परियोजना 1993-94 में स्वीकृत की गई थी और वर्ष 2004-2005 के लिए आवंटन आठ करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए आवंटित राशि बहुत ही अपर्याप्त थी। लांजीगढ़ से भवानीपटन के बीच भूमि अधिग्रहण के कार्य को पूरा कर लिया गया है। रेल मंत्रालय से आवंटन की राशि को बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये करने का अनुरोध है।

इसी प्रकार खुर्दा रोड-बोलांगीर परियोजना के मामले में दूरी 289 किलोमीटर है। स्वीकृति का वर्ष 1994-95 था और 2004-2005 के लिए आवंटन राशि 15.38 करोड़ रुपये है। भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। रेल मंत्रालय से 2004-2005 के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये करने का अनुरोध है।

अंगुल-दुबरी-सुकिंदा परियोजना के अंतर्गत, दूरी 90 किलोमीटर है। स्वीकृति का वर्ष 1997-98 था और 2004-2005 के लिए

आवंटन मात्र दो करोड़ रुपये था। यद्यपि, इस लाइन की स्वीकृति वर्ष 1997-98 में प्राप्त हुई थी फिर भी भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई कार्य नहीं हुआ है, अंतिम स्थल सर्वेक्षण रिपोर्ट का अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस लाइन से दुबरी क्षेत्र में सभी उद्योगों को कोयला की आपूर्ति आसान हो जाएगी। इसलिए, रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि वह 2004-2005 के लिए आवंटन बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करे।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: महोदय, कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

तालचर-गोपालपुर नई लाइन से संबंधित दूरी 245 किलोमीटर है और तालचर-गोपालपुर बड़ी रेल संपर्क लाइन की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपी गयी वह एक अनुकूल प्रगति का सूचक है। इस्पात, विद्युत और अल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना के साथ हाल में औद्योगीकरण पर जो जोर है इसके लिए समर्पित रेल संपर्क की आवश्यकता है।

117 कि.मी. की जयपुर-मलकानगिरी, पुरी-कोणार्क की 35 किलोमीटर तथा आमान परिवर्तन नौपाडा-गुनपुर बड़ी लाइन का तिरुवली तक 79 कि.मी. का तक विस्तार जैसी अन्य योजनाएं भी हैं।

महोदय, ये राज्य के आंतरिक क्षेत्र हैं। दूसरी योजना बारगढ़-नौपाडा बारास्ता पदमपुर लाइन है, जो 120 किलोमीटर लंबी है। सम्बलपुर-तालचर बड़ी लाइन दोहरीकरण का कार्य शुरू होने वाला है ...*(व्यवधान)* महानदी पर रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य में अनावश्यक रूप से विलम्ब हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप पारादीप पत्तन की प्रगति काफी बाधित हुई है। माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि पारादीप के चतुर्दिक विकास के लिए महानदी पर बने इस रेल पुल के दोहरीकरण के कार्य की यथाशीघ्र पूरा किया जाए जो कि एक राष्ट्रीय महत्व का पत्तन है और जिसने देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान की है।

सभापति महोदय: श्री पंडा, आप पहले ही 15 मिनट तक बोल चुके हैं। कृपया अब भाषण समाप्त कीजिए। मैं अगले वक्ता का नाम पुकार रहा हूं। कृपया आप बैठिए।

श्री ब्रह्मानंद पंडा: महोदय, सिर्फ एक मिनट। 282 किलोमीटर लंबी गोपालपुर-रायगढ़ लाइन, 40 किलोमीटर लंबी जलेश्वर-दीघा, 30 किलोमीटर लंबी जयपुर-क्योंझर रोड-जयपुर, 35 किलोमीटर लंबी गुरुमहिषनी से बुढ़ामास तथा बड़मपहाड़ से क्योंझर के बीच 70 किलोमीटर रेल लाइन कार्य से संबंधित नये सर्वेक्षण कार्य भी हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अब श्री प्रबोध पंडा बोलेंगे।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: जी हां। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध और अपील करता हूं कि ये समस्याएं उड़ीसा राज्य की उचित मांगें है और मैं उम्मीद करता हूं कि इन परियोजनाओं को पूरा करने पर मंत्री महोदय गंभीरता से सोचेंगे।

सभापति महोदय: श्री प्रबोध पंडा जी बोलें। श्री प्रबोध पंडा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री ब्रहमानन्द पंडा: महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

****प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर): महोदय, अजमेर-पुष्कर रेलवे लाइन कार्य की स्वीकृति हुए दो तीन वर्ष हो गये परन्तु खेद है कि सभी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। कृपया इसे शीघ्र प्रारंभ करायें तथा पुष्कर से मेड़ता को भी रेल से जोड़ने की योजना बनायी जाये।

मान्यवर, ब्यावर एक लाख से ऊपर की आबादी वाला बड़ा शहर और व्यापार की मण्डी है। कपड़े उद्योग का केन्द्र है। यहां दक्षिण भारत जाने वाले, व्यापार धंधा करने वाले लोगों की बहुलता रहती है। आसपास के क्षेत्र के हजारों लोग फौज में इसी स्टेशन से आते जाते हैं। अत: ब्यावर स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस (सुपरफास्ट) गाड़ी का स्टापेज दो मिनट के लिए किया जाये।

महोदय, अजमेर-जयपुर होकर अहमदाबाद-आगराफोर्ट गाड़ी चलायी जाये। मीटर गेज के समय यह गाड़ी बहुत लोकप्रिय थी। खेद है कि ब्राडगेज बनने के बाद यह गाड़ी बंद कर दी गयी थी। परन्तु, अब बांदीकुई-भरतपुर-आगराफोर्ट गेज परिवर्तन का कार्य पूरा होने वाला है। अत: अहमदाबाद-आगराफार्ट गाड़ी वाया अजमेर-जयपुर चलायी जाये।

महोदय, देश में पर्यटन को महत्व देने के लिए अजमेर चित्तौड़-उदयपुर मीटर गेज को युद्धस्तर पर ब्राडगेज में बदले जाने की आवश्यकता है। अजमेर-भीलवाड़ा-उदयपुर मीटरगेज को ब्राडगेज में बदलने की परियोजना स्वीकार हुए कई वर्ष हो गये हैं पर कार्य धीमा चल रहा है। अधिक बजट स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री रासा सिंह रावत]

अजमेर पर्यटन, इतिहास, शिक्षा, संस्कृति, धर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र है। अतः इसे आदर्श स्टेशन के रूप में तथा अधिक गाड़ियों के आने जाने के अनुरूप आधारभूत ढांचे एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है। रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर यात्रियों के लिए एक विशाल यात्री विश्रामगृह बनाये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, अजमेर-दिल्ली के मध्य छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली साधारण यात्री गाड़ी चलाया जाना व्यापक जनहित में है। अजमेर को लोको एवं कैरीज कारखानों को ब्राडगेज के अनुरूप अधिक कार्य दिये जाने की प्रबल आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): सभापति महोदय मैं 25,65,40,15,000 रुपये की रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। यह चर्चा अनुपूरक मांग से संबंधित है इसलिए इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए, मैं इस समय किसी नई परियोजना का प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं। जिससे कि माननीय रेल मंत्री आने वाले रेल बजट में इसकी चर्चा कर सकें और उसी समय सभी नई परियोजनाओं के लिए नए प्रस्ताव लाए जा सकेंगे।

महोदय, सर्वप्रथम मैं रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने भारतीय रेल को पुनर्जीवित करने हेतु बड़ी सक्रियता के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने यह नारा भी दिया है कि भारतीय रेल का स्थान विश्व में प्रथम होना चाहिए। इसकी सराहना करता हूं। यह बिल्कुल सही है। मैं रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद और रेल मंत्रालय और रेल राज्य मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं-की इस बात के लिए बहुत प्रशंसा करता हूं कि वे रेलवे में स्वदेशी प्रणाली को लाने के पक्षधर हैं। यही कारण है कि उन्होंने कई नई चीजें शुरु की हैं।

महोदय, इस संदर्भ में मैं रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अपने देश में होम्योपैथी तथा एलोपैथी चिकित्सीय उपचार के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और ये स्वदेशी है, लेकिन रेलवे के औषधालयों में केवल एलोपैथी के डाक्टर ही नियमित किये गये हैं और न तो होम्योपैथी और न ही आयुर्वेदिक डाक्टरों को नियमित किया गया है। न्यायालयों के निर्णय के बावजूद रेलवे उनके निर्णयों को क्रियान्वित नहीं कर रहा है। यही कारण है कि पूरे देश में 250 होम्योपैथी तथा आयुर्वेद के डाक्टर बेकार बैठे हैं। इसलिए मंत्री महोदय से मैं अपील करता हूं कि वे इस पर सोचें, इस पर विचार करें और होम्योपैथी और आयुर्वेद के उन डाक्टरों को नियमित करें जो रेलवे के औषधालयों में कार्यरत हैं।

इसके अलावा, पान के पत्ते, पान के उत्पादकों से संबंधित समस्याएं भी हैं। हमारे मंत्री जी पान के बड़े शौकीन हैं। वे पान खाते हैं। हाल के जारी परिपत्रों के कारण पान-पत्ता के उत्पादक पत्तों को विभिन्न भागों में न तो स्टेशनों पर लाद सकते हैं न उतार सकते हैं, क्योंकि इस परिपत्र में कहा गया है कि जिस स्टेशन पर गाड़ी 5 मिनट से कम समय के लिए ठहरती है वहां पान के पत्तों की लदाई और उतराई की अनुमति नहीं होगी। मैं समझता हूं कि उन्हें इस आदेश को वापस ले लेना चाहिए जिससे पान-पत्ता उत्पादक इन सुविधाओं का लाभ उठा सके।

जहां तक इस अनुदान की मांग का संबंध है। इसमें इस बात का पता नहीं चलता कि यात्री सुविधाओं के लिए धनराशि का प्रस्ताव किस प्रकार किया जाता है। देश के बहुत से हिस्सों में यात्री सुविधाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया है। इसलिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। जहां तक यात्री सुविधाओं का संबंध है कुछ यात्री गाड़ियों, ई.एम.यू. तथा डी.एम.यू. में शौचालय का प्रावधान नहीं है। कुछ यात्री गाड़ियां प्रारंभिक स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक पहुंचने में 4 से 6 घंटे का समय लेती हैं। जबकि उनमें किसी प्रकार के शौचालय का प्रावधान नहीं है। उनमें किस प्रकार की यात्री सुविधाएं हैं? इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि रेल मंत्री और रेल मंत्रालय को इस पर सोचना चाहिए।

रेल सुरक्षा के बारे में बहुत बातें की जाती है। पुलों की स्थिति क्या है? बहुत से रेल पुल बुरी हालत में हैं। वे अच्छी हालत में नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में कसावती नदी पर एक मात्र रेल पुल है। उरु पुल से होकर 65 से अधिक यात्री गाड़ियां यहां तक कि राजधानी एक्सप्रेस और अन्य द्रुतगामी एक्सप्रेस गाड़ियां भी गुजरती है। लेकिन उस पुल के दोहरीकरण की कोई परियोजना नहीं है। मैं समझता हूं कि आने वाले रेल बजट में कम से कम कनसाईनदी के रेल पुल के दोहरीकरण का परियोजना पर कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

महोदय, दोहरीकरण का कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। पिछले रेल बजट में कई जगहों पर दोहरीकरण के कार्य के सर्वेक्षण के बारे में कहा गया था। मेरे चुनाव क्षेत्र में खडगपुर से मिदनापुर बारास्ता गिरि मैदान के दोहरीकरण संबंधी सर्वेक्षण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है। उनको शुरू किया जाना चाहिए थे। दूसरी समस्या बंडेल से कटवा के बीच दोहरीकरण में आ रही हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए और धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

खडगपुर से बालासोर, खडगपुर से भुवनेश्वर, कटवा से अजिमगढ़ के बीच विद्युतीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें शीघ्रता करनी चाहिए।

जहां तक रेल उपरिपुलों का संबंध है, पश्चिम बंगाल से मेरे साथी ने इसका उल्लेख किया है और मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि इससे संबंधित जो वर्तमान सिद्धांत है उसे बदला जाना चाहिए। वर्तमान सिद्धांत लागत में 50 : 50 की भागीदारी पर आधारित है अर्थात 50 प्रतिशत का योगदान राज्य का होगा जबकि शेष 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का योगदान है। मैं समझता हूं कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। 50 : 50 लागत अनुपात के बदले इसे राज्य का 25 प्रतिशत तथा केन्द्र का 75 प्रतिशत का योगदान किया जाना चाहिए। अन्यथा, रेल उपरिपुल का निर्माण संभव नहीं है और इसके क्रियान्वयन में देरी होगी। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है वे तो गंभीर वित्तीय संकट में हैं। इसलिए मौजूदा फार्मूले के बदले में यह सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए।

महोदय, हम सुधारों की चर्चा कर रहे हैं और राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट में भी यही बात है। हमें आशंका है कि रेलवे के कई क्षेत्र निजी हाथों में जाने वाले थे। मैं समझता हूं कि अब, वर्तमान मंत्री का विचार बदल गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सभी रेलवे कैंटीन या अधिकांश रेलवे कैंटीन किसी एक कम्पनी को दी जा रही है जिसका एकाधिकार हो जाएगा। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि राजग सरकार के शासनकाल में हमने ऐसा देखा है। यदि ऐसा है और यह हो रहा है तो इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इस मुद्दे से संबंधित पूर्व निर्णय को बदला जाना चाहिए क्योंकि यह ठीक नहीं था।

दूसरी बात, मैं भर्ती नीति के मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। भर्ती नीति क्या है? राजग के काल में भर्ती नीति का सर्वनाश हो गया था। रेल को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक समझा जाता है लेकिन समूह 'घ' संवर्ग के एक साक्षात्कार के दौरान हिंसा भड़क गई। ये दंगे आसाम और देश के विभिन्न भागों में हुए। जहां तक समूह 'घ' और समूह 'ग' की भर्तियों का संबंध है, मेरा प्रस्ताव है कि, प्रभागीय रेल प्रबंधक स्तर पर यह होनी चाहिए और समूह 'घ' और समूह 'ग' की भर्ती करने की अनुमति होनी चाहिए। रेलवे के कई क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों से समूह 'घ' के किसी भी कर्मचारी की कोई भर्ती नहीं हुई है। रेल में कर्मचारियों की संख्या धीरे-धीरे घट रही है और इतना ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में समूह 'घ' के कर्मचारियों का अनुपात घट रहा है चाहे यह भिन्न जोन हों या भिन्न प्रभाग।

महोदय, खड़गपुर प्रभाग जो दक्षिण पूर्व रेल के अंतर्गत आता है, में 1,500 गैंगमैन अभी भी नियमितीकरण के इंतजार में हैं। इस विषय पर न्यायालय का भी निर्णय है लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है।

यह देश के कई भागों में हो रहा है। इसलिए भर्ती नीति को बदला जाना चाहिए। सुधार सही है, लेकिन इस सुधार में मानवीय पहलू का ध्यान रखा जाना चाहिए।

मैं दूसरे क्षेत्र अर्थात भूमि प्रबंधन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। देश के विभिन्न भागों में रेलवे के भूमि खंड है। जहां तक खड़गपुर का संबंध है यह मूलतः रेलवे शहर है और अधिकांश भूमि रेलवे की है। यह एक शताब्दी पुराना जंक्शन है और इसके प्रारंभ या निर्माण के समय से ही देश के विभिन्न भागों के बहुत से लोग यहां आकर बस गए। चूंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था वे रेलवे की भूमि पर ही रह रहे थे। अब, रेलवे ने उन लोगों से जमीन को खाली कराने की नीति बनाई है। वहां अधिकतर गरीब लोग बसे हुए हैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि रेलवे की अप्रयुक्त भूमि या ऐसी भूमि जिनका रेलवे उपयोग नहीं कर रहा है, को ऐसे लोगों को जो पहले से वहां रह रहे हैं, पट्टे पर दे देना चाहिए। भूमि को पट्टा पर देकर रेलवे राजस्व भी प्राप्त कर सकता है।

दूसरी बात जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है वह फेरी वालों के बारे में है। मैं जो कहने जा रहा हूं वह मेरा प्रस्ताव नहीं है और फेरी वालों का संघ भी इस प्रस्ताव के विरोध में नहीं है। यह कोई नहीं कह रहा है कि फेरी वालों को बिना टिकट गाड़ियों में सामान बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। आप उनको मासिक टिकट जारी कर सकते हैं। यदि उनको मासिक टिकट मिल जाता है तो उन्हें कम से कम यात्री गाड़ियों या स्थानीय यात्रियों में सामान बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। वे भी बेरोजगार युवा हैं और वे कहां जायेंगे?

रेलवे को इन बातों पर विचार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विनियोग विधेयक तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। माननीय रेल मंत्री इन बातों पर गौर करेंगे और अपना जवाब देते समय यहां उठाई गई समस्याओं के हल के बारे में बताने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

***श्रीमती रूपाताई डी. पाटील** (लातूर): मैं माननीय महोदय का ध्यान महाराष्ट्र में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट्स की ओर दिलाना चाहूंगी। रेलवे का राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह विकास का व रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है।

महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठवाड़ा क्षेत्र विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके पिछड़ेपन को दूर करना जरूरी है। रेलवे का इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुझे खेद के साथ कहना

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[श्रीमती रूपाताई डी. पाटील]
पड़ रहा है कि रेलवे की कई योजनायें इस क्षेत्र में कछुए की चाल से चल रही है। मैं चाहती हूं कि इसमें गति आये।

महोदय, लातूर-कुर्डवाडी-आमान परिवर्तन प्रोजेक्ट को पर्याप्त धन नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर मिरज-लातूर प्रोजेक्ट जो 1994-95 में मंजूर हुआ था उसको पर्याप्त धन देने का आग्रह किया है। 515 करोड़ रुपये के इस गेज परिवर्तन के प्रोजेक्ट पर अब तक 160 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। कुर्डवाडी-लातूर (152 किलोमीटर) गेज परिवर्तन बहुत धीमी गति से चल रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रोजेक्ट को अधिक धन दिया जाये।

[अनुवाद]

***श्री सुग्रीव सिंह** (फूलबनी): महोदय, मैं रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि मुझे बहुत थोड़ा समय दिया गया है अत: मैं अपने भाषण को मेरे राज्य उड़ीसा में रेलवे के विकास की अति आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने तक ही सीमित रखूंगा।

महोदय, राज्य सरकार तथा उड़ीसा के सांसदों द्वारा लगातार मांग किये जाने के परिणामस्वरूप अंतत: हम एक नया रेलवे जोन अर्थात पूर्वी तटीय रेलवे जोन प्राप्त कर पाये हैं। परन्तु खेद की बात यह है कि रेल मंत्रालय ने पूरे राज्य को इस नये सृजित जोन के अंतर्गत नहीं रखा है। बल्कि इस राज्य के विभिन्न भागों को कई रेलवे जोनों के अंतर्गत बांटा गया है। बालासोर जिले के रानीताल से जलेसर क्षेत्र तक, मयूरगंज जिले के बादामपहाड़-गोरूमहिसानी-बारीपेडा, क्योंझर जिले के बारबिल, जोडा, बासपानी, किरिबुरु क्षेत्र, सुन्दरगढ़ जिले के राऊरकेला, बंधमुंडा, बिमलागढ़ तथा झारसुगुडा जिले की कुछ रेलवे लाइनों को दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत रखा गया है। ब्रजराज नगर, ईब, आदि को दक्षिण पूर्व मध्य जोन के अंतर्गत लाया गया है। इस प्रकार केवल 50 प्रतिशत राज्य को ही पूर्वी तटीय रेलवे के अंतर्गत रखा गया है। मैं मांग करता हूं कि पूरे राज्य को पूर्वी तटीय रेलवे के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाए।

महोदय, यदि मैं सरकार का ध्यान मेरे जिले में रेलवे लाइन के निर्माण की ओर नहीं दिलाऊंगा तो मैं अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करूंगा। सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वतंत्रता के 58 वर्षों के बाद भी उस जिले के लोगों ने अपने क्षेत्र में अभी तक रेलवे लाइन नहीं देखी है। मेरा संसदीय क्षेत्र फूलबनी, जिसके अंतर्गत विधान सभा के सात क्षेत्र नामत: भंजनगर, गुदयगिरी, फूलबनी, बल्लीगुडा, बोध, सोनपुर और बिंका आते हैं, में अभी तक एक किलोमीटर रेलवे लाइन भी नहीं बिछायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा बार-बार मांग किये जाने पर खुर्दा रोड-बोलंगीर रेलवे लाईन के निर्माण को स्वीकृति मिल गयी है। इस रेलवे लाईन का निर्माण पूरा होने पर उपरोक्त विधान सभा क्षेत्रों तथा पश्चिमी उड़ीसा के बोलंगीर जिले को सम्पर्क मार्ग मिल जाएगा। इससे तटीय उड़ीसा और आदिवासी बहुल पश्चिम उड़ीसा को भावनात्मक सम्पर्क मिल जाएगा। इस रेलवे लाइन से एक पिछड़े संसदीय क्षेत्र का काफी लाभ होगा क्योंकि यह फूलबनी के विभिन्न भागों तथा सोनपुर जिले से होकर गुजरेगी। इस रेलवे लाईन के पूरा होने में लगभग 700 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। परन्तु खेद की बात यह है कि अब तक इस रेलवे लाईन के लिए मात्र 15 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। प्रतिवर्ष इस दर से धन का आवंटन होने पर यह रेलवे लाईन अगले पांच दशकों तक पूर्ण नहीं हो पाएगी। अत: मैं मांग करता हूं कि इस पिछड़े जिले के विकास के लिए इस क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास की अत्यावश्यकता के मद्देनजर धनराशि के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए ताकि इस रेलवे लाईन का कार्य दसवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा हो सके।

महोदय, बरहामपुर और फूलबनी के बीच रेलवे लाईन के निर्माण की आवश्यकता है। इस रेल लाईन का निर्माण हो जाने पर मेरे संसदीय क्षेत्र फूलबनी का दक्षिणी उड़ीसा के मुख्यालय, बरहामपुर से सम्पर्क स्थापित हो जाएगा। मेरे जिले से सैकड़ों विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बरहामपुर जाते हैं। इसके अलावा, इन दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच सम्पर्कता का लाभ किसानों, व्यापारियों तथा पर्यटकों को भी मिलेगा। अत: मैं मांग करता हूं कि बरहामपुर और फूलबनी के बीच एक रेल लाईन बिछायी जाए।

महोदय, उड़ीसा में रेलवे नेटवर्क की लम्बाई 2340 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय औसत के 19 किलोमीटर की तुलना में 14.04 कि.मी. प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों में यह क्रमश: 30 कि.मी. और 43 कि.मी. प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। अतएव, उड़ीसा में रेलवे लाईन के विस्तार की आवश्यकता है। ऐसा करते समय अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति बहुल जनसंख्या वाले फूलबनी जैसे पिछड़े क्षेत्र, जहां अभी तक रेल लाईन नहीं बिछायी गई है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अंत में मैं नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच राजधानी एक्सप्रैस के बीच बारम्बारता में वृद्धि की मांग करता हूं। बंगलौर से भुवनेश्वर के बीच किसी सीधी रेलगाड़ी का कोई सम्पर्क नहीं है। रेल मंत्री जी द्वारा भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच एक सीधी रेल सेवा को स्वीकृति दी जानी चाहिए।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

महोदय, अंत में मुझे इस बहस में भाग लेने की अनुमति दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री नन्द कुमार साय** (सरगुजा): महोदय, छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है जो रेल की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जो वनों एवं पहाड़ों से भरा हुआ है, जहां रेल की सुविधा नहीं है। इन क्षेत्रों सरगुजा, बस्तर तथा जशपुर प्रमुख हैं। सरगुजा में अभी कुछ दिनों में अम्बिकापुर तक रेल लाइन पहुंचने वाली है।

महोदय, मैं चाहता हूं कि अम्बिकापुर से आगे बतौली सीतापुर, पत्थलगांव धेतिया सीमाजोर होते हुए आरसुवाडा जंक्शन में जोडा जाये। इसी तरह से अम्बिकापुर को टर्मिनल भी बनाया जाये। अभी चिरमिरी से रीवा रेल चलती है, उसमें जोड़ने के लिए विश्रामपुर में बोगी लगाया जाये। महोदय, इस समय छत्तीसगढ़ के लिए राजधानी एक्सप्रेस नयी दिल्ली से बिलासपुर बुधवार एवं गुरुवार को चलती है, इसे गुरुवार एवं शुक्रवार किया जाये तथा छूटने का समय 8.40 रात्रि को है, इसके छूटने का समय और पहले किया जाये। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे उपरोक्त लिखित मेरी सभी मांगों को पूरा करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): आदरणीय महोदय, आज रेलवे की वर्ष 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों संबंधी बहस में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रारम्भ में, मैं सभा का ध्यान योजना परिव्यय में रेलवे के हिस्से की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। 1950-51 में योजनाबद्ध विकास का युग शुरू होने से अब तक रेलवे ने वार्षिक योजनाओं के अलावा आठ पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की हैं। योजनाओं के माध्यम से रेलवे के यात्रियों और माल ढुलाई यातायात में लगातार वृद्धि हुई है। रेलवे योजना का मुख्य उद्देश्य अनुमानित यातायात के लिए यातायात अवसंरचना का विकास करना तथा देश के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तथापि, योजना परिव्यय में रेलवे का हिस्सा घटता जा रहा है। पहली योजना के परिव्यय में यह 11.1 प्रतिशत था जबकि दसवीं योजना में यह घटकर 6.8 प्रतिशत हो गया है। पांचवीं योजना में यह 5.3 प्रतिशत मात्र था। इसी तरह नौवीं योजना में भी यह 5.3 प्रतिशत मात्र था। रेलवे नेटवर्क के समस्याग्रस्त क्षेत्रों की क्षमता संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए रेल अवसंरचना में निवेश की गति बढ़ाना प्रमुख उपायों में से एक है। इसीलिए पांच वर्षों की अवधि में 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश से ''राष्ट्रीय रेल विकास योजना शुरू की गई थी। गैर-बजटीय निवेश उपाय की इस योजना की विशेषता थी कि इससे स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्ण क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण पत्तनों की रेल सम्पर्कता, पत्तनों को जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों (मल्टी मॉडल कारीडोर) का विकास, आन्तरिक प्रदेशों को जोड़ना तथा बड़े पुलों का निर्माण किया जाना था।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

मैं रेल मंत्री जी का ध्यान कटक में सामने आयी प्रमुख समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं जहां कि चेन्नई-कोलकाता और तालचेर-पारादीप रेलवे लाईनें एक-दूसरे को काटती हैं। कार्य की धीमी गति के कारण रेलवे लाईन के दोहरीकरण के कार्य में देरी हो रही है तथा महानदी, काठजोड़ी और कुआरवाई पर दूसरे रेलवे पुल का निर्माण लम्बित पड़ा है। जब तक इन तीन प्रमुख रेलवे पुलों का निर्माण नहीं किया जाता, इस क्षेत्र की कठिनाइयों और भीड़-भाड़ को कम नहीं किया जा सकता। अतः मैं मांग करता हूं कि महानदी काठजोड़ी और कुआरवाई पर दूसरे पुल के शीघ्र निर्माण के लिए अधिक धनराशि के आबंटन के लिए शीघ्र कदम उठाये जाएं।

वर्ष 2004-2005 की वार्षिक योजना में नई लाईनें बिछाने, दोहरीकरण तथा यातायात सुविधाओं तथा यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। परन्तु पूर्वी तटीय जोन के चालू होने के बाद भी इस संबंध में उड़ीसा में बहुत कम कार्य शुरू किया गया है। माल ढुलाई के माध्यम से पूर्वी तटीय जोन अधिकतम राजस्व का अंशदान देता है। भीड़भाड़ तथा खराब रेलवे लाइनों के कारण पूर्वी तटीय रेलवे में मालगाड़ियों की आवाजाही सुगम नहीं है। इस्पात में तेजी के कारण बड़े उद्योग उड़ीसा की ओर आकृष्ट हुए हैं, मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे व्यक्तिगत रुचि दिखाकर इसके लिए पर्याप्त आवंटन दें, इससे भारतीय रेलवे को और अधिक राजस्व अर्जित करने में मदद के साथ-साथ देश के पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अब मैं सभा का ध्यान एक अन्य प्रमुख समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा जो कि भारतीय रेलवे को प्रभावित कर रही है और यह किराये के ढाचें को तर्कसम्मत बनाने के संबंध में है। वर्ष 1999-2000 में यात्री सेवाओं का अनुमानित आकलन कुल यातायात का 59 प्रतिशत था परन्तु राजस्व में इसका अंशदान मात्र 30 प्रतिशत था। दूसरी ओर, माल ढुलाई सेवाओं का योगदान मात्र 41 प्रतिशत था और इससे शेष 70 प्रतिशत का राजस्व अर्जित किया गया। यातायात नीति को तर्कसम्मत बनाना एक चिन्ता का विषय रहा है और इस योजना अवधि के शेष दो वर्षों में इसका चरणबद्ध समायोजन काफी कठिन है। क्या माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि इस गड़बड़ी को कब और कैसे ठीक किया जाएगा?

[श्री भर्तृहरि महताब]

यह भी नोट किया गया है कि पिछले वर्षों में माल ढुलाई और यात्रियों के यातायात के मामले में सड़कों की तुलना में रेलवे का हिस्सा कम हुआ है। सड़कों से होने वाली प्रतिस्पर्धा से भारतीय रेलवे के बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम सभी जानते हैं कि सड़क यातायात की तुलना में रेल यातायात ऊर्जा और लागत की दृष्टि से अधिक किफायती है। अत: यह तर्कसम्मत बात है कि यातायात के अन्य साधनों की तुलना में रेलवे का हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि वे महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान दे, विशेषकर आधारभूत अवसंरचना को पूरा करें तथा मालढुलाई क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को पूरा करें।

इसीलिए, खान क्षेत्र के समुद्री पत्तन तक सम्पर्क को पूरी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उड़ीसा में, दैतारी बांसपानी रेल लाइन की तुरंत पूरा किया जाए। इसी तरह सुकिंडा रोड को बरास्ता भद्रक धरमा से जोड़ा जाए और तालचेर-गोपालपुर रेल लाइन जो नरसिंहपुर, खांडपाड़ा, नयागढ़, बानपुर से गोपालपुर होकर गुजरती है को शुरू किया जाए। इसी तरह खुर्दा रोड से बोलंगीर रेल लाइन का कार्य तेजी से किया जाए। उड़ीसा निर्माणाधीन रेल संपर्कों विशेषकर राज्य के औद्योगिक विकास केन्द्रों और पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने वालों को पूरा किये जाने की मांग करता रहा है। आज उड़ीसा राज्य के विभिन्न भागों में बन रहे बहुत से इस्पात संयंत्रों, अल्युमिनियम संयंत्रों, ताप संयंत्रों के साथ प्रमुख औद्योगिक परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। इसलिए, रेल परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

रेलवे द्वारा उड़ीसा में रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी किये जाने की जरूरत है। इसके साथ ही मेरी मांग है कि भुवनेश्वर-बंगलोर एक्सप्रेस, भुवनेश्वर-कुर्ला एक्सप्रेस तथा पुरी-तिरुपति एक्सप्रेस के लिए रसोईयान की व्यवस्था की जाए।

इसके साथ ही मैं कटक रेलवे स्टेशन को दूसरी बार खोले जाने की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जिसने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। धन स्वीकृत हो गया है परन्तु कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मैं मंत्रीजी से इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

अंत में, मैं रेलवे के लिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने के संबंध में रेल स्थायी समिति की टिप्पणी की ओर इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने बताया है कि निधियां प्रदान करने में समस्या नहीं है परन्तु रेलवे को अंतिम मील को महत्व देते हुए परियोजनाओं की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए गए बल्कि इस प्रस्ताव को पूरी रह भुला दिया गया। इसे परियोजनाओं की प्राथमिकताएं पुन: तय करने के मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ताकि अल्प और कीमती संसाधनों को उत्पादक तरीके से उपयोग किया जा सके।

मैं इस सम्माननीय सभा में अपने विचार रखने की अनुमति देने के लिए पुन: आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी अपनी रियासत जम्मू-कश्मीर के बारे में आपसे कुछ कहना चाहूंगा। आप सबको मालूम है कि 1970 में हमारे यहां रेल आई थीं और शुरू हुई थी। अगर आप उस स्टेशन पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि पता नहीं किस आदिवासी गांव में स्टेशन खुला है। हमारे यहां कठुआ का जिला मुख्यालय है। उधमपुर तक रेल लाइन बिछाने का काम 25-26 साल पहले शुरू हुआ था। जम्मू से यह दूरी करीब 60 किलोमीटर है। 30 बरस पहले जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने यहां शिलान्यास किया था, तो लोगों में बड़ी उम्मीद जगी थी कि यह स्टेशन जल्दी पूरा होगा और आने-जाने का सिलसिला शुरू होगा। हमारे यहां नार्दर्न कमांड है और वहां आर्मी रहती है। उनको भी इससे बड़ी उम्मीद थी। कई लोग रिटायर हो गए और कई वहां से चले गए। इस बात को 30 बरस हो गए, इस दरमियान कई सरकारें आईं। सबने अपने-अपने तरीके से मेहनत की और यह रेल लाइन बन गई। आज उसको बने हुए छ: महीने हो गए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

चौधरी लाल सिंह: छ: महीने हो गए मुझे वहां से सांसद चुने हुए। लोगों ने आस लगाई कि यह स्टेशन अब चालू हो जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपने गरीबों के हित में भी काफी काम किए हैं इसलिए मैं आपकी सपोर्ट करता हूं और इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स का भी मैं समर्थन करता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि जो क्रैडिट आपको लेना है वह लें और जिसे आप इंसाफ कह सकते हो, वह करें। लेकिन जो इंसाफ लेट मिले, उसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता। वहां पर पटरियां, स्टेशन सब कुछ बन चुका है, केवल उसका इनोगरेशन बाकी है। इससे वहां के लोगों को फायदा होगा और पहली बार वहां के लोग रेल देखेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चीजों को टाइम-बाउंड होना चाहिए और टाइम से ही चीजों को करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब अपना भाषण करेंगे तो हमें बताएंगे कि वह कौन सी तारीख होगी जिस दिन उधमपुर रेलवे स्टेशन काम

करना शुरू करेगा और वहां रेल चलेगी। इससे वहां के लोग हिंदुस्तान के साथ जुड़ेंगे। जिन लोगों की जमीनें गयी हैं और जो इसके कारण प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को नौकरियां चाहिए। मेरी प्रार्थना माननीय मंत्री जी से होगी कि हमारे यहां एग्रीकल्चर बर्बाद हो चुका है, हम टर्मोइल में हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारी बहुत मदद की है और हमारे लिए बहुत सारे पैकेज एनाउंस किये हैं। लेकिन आपकी जो रिक्रूटमेंट पालिसी है उसमें बाहर के लोग वहां आकर काम करेंगे, सर्विस करेंगे तो कौन सी मदद आपके विभाग की ओर से हमारी होगी, यह बताएं। आपकी कुछ एजेंसियां वहां काम करती हैं और पता नहीं कहां से लोग उनमें आ गये हैं। जितने फंड वहां खर्च होते हैं, उतना आउट-पुट वहां नहीं होता है। टेंडर लेने वाला आदमी टेंडर को सबलेट करता है जिससे उसको भी फायदा होता है और दूसरे आदमी को भी फायदा होता है। रेल कम बनती है और लूट ज्यादा होती है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे इलाके में सामंतशाही नहीं है, वहां जमीनें बांट दी गयी हैं और गरीबों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीनें बची हुई हैं और वह भी आपकी रेल लाइन में चली जाएगी और उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो यह बेइंसाफी होगी। आपकी जो कैंटीन्स हैं, शॉपिंग कम्पलैक्स हैं, उनमें उनको नौकरियां नहीं दिलवाएंगे तो बेइंसाफी होगी। इस रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन माननीय इंदिरा जी के हाथों से रखा गया था। मैं चाहता हूं कि उनका वहां स्टेचू लगे और उन्हीं के नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा जाए।

हमारे कुछ मसले हैं। जहां से हमारी रियासत शुरू होती है और जहां तक रेल जाती है, वहां तक मेरी कांस्टीट्यूएंसी है, टनल तक मेरा संसदीय क्षेत्र है। बनिहाल में एक महीने तक किसान और मजदूर हड़ताल पर बैठे। उनको गैंती और बेलछी आप चलाने नहीं दे रहे हैं। जो लोग बंदूकें और हथियार छोड़ बैठे हैं अगर उनको आप गैंती और बेलछी भी नहीं चलाने देंगे और उनके हाथों से गैंती और बेलछी छीन लेगें तो आपसे क्या तवक्को की जाएगी। डोडा जिला डैन है जहां कम से कम एक हजार मिलिटेंट्स हैं जो विदेशी मिलिटेंट्स हैं। यह तो सारी बेकार की बातें हैं कि वहां क्या-क्या किया जाता है। लोगों की भेड़ें और बड़े जानवर तक वे खा गये हैं और उनके घरों में खाने के लिए रोटी तक नहीं है। बारिश न होने की वजह से एग्रीकल्चर तबाह हो गया है। अगर आप उनकी जमीनें छीन लेंगे, गैंती और बेलछी छीन लेंगे तो वे कहां जाएंगे। जब मैंने उनकी हड़ताल खत्म करवाई तो उनसे कहा था कि मुझे पार्लियामेंट में जाने दो, मैं आपकी बात को उठाऊंगा। वहां पर लोग गरीबों की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने ईद भी घर से बाहर मनाई और दिवाली भी घर से बाहर मनाई। लेकिन अफसोस है कि वह कौन सी ईद होगी, कौन सी दीपावली होगी जिन के साथ ऐसा हुआ है। बनिहाल, भाखड़ी और दूसरे एरियाज के लोगों की जमीनें आई हैं। हमारे यहां स्टेशन और रेलवे क्रॉसिंग बहुत कम हैं। लखनपुर गेट वे ऑफ जम्मू-कश्मीर है। आप इसका क्रॉसिंग देखें। वहां कम से कम सौ डेढ़ सौ से ज्यादा लोग मर गए और कट गए। यहां से अक्सर लोग गुजरते हैं। लखनपुर क्रॉसिंग में ओवर ब्रिज बनाइए। इसके अलावा जगतपुर, जंगलोट, लोगेट, बरवास, बुद्धि, गाटी, मीरपुर, छनरोडया, दयालाचख, छनखतरां, घघवाल और जतवाल में रेलवे क्रॉसिंग बना दें। रेलवे क्रासिंग न बनने से काफी लोग प्रभावित होते हैं और रेल के नीचे आकर मर जाते हैं जो बेइंसाफी है।

सभापति महोदय: अब आप खत्म कीजिए।

चौधरी लाल सिंह: आप एक बात ध्यान रखें कि एक-आध आदमी जम्मू-कश्मीर से बोलते हैं लेकिन आप उनको भी बोलने नहीं देते हैं।

सभापति महोदय: आपको इसलिए टोका नहीं गया लेकिन अब टोका जाएगा। आप समय सीमा के अन्दर बोलिए।

चौधरी लाल सिंह: आप जब भी पटरी बिछाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि क्रॉसिंग पहले से बीच में रखा जाए। क्रॉसिंग न बनने से लोग बाद में धरना, हड़ताल करते हैं इसलिए इन्हें पहले से बना देना चाहिए।

सभापति महोदय: आप एक ही प्वाइंट का बार-बार जिक्र कर रहे हैं।

चौधरी लाल सिंह: हमारे यहां से शताब्दी अभी तक नहीं चली है। हॉलिडे एक्सप्रेस रैगुलराइज कर दें और डेली चला दें। राजधानी भी रैगुलराइज कर दें। मैंने इसका स्टॉपेज हैड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट कठुआ करने के बारे में पहले भी बोला है। हैड क्वार्टर्स पर ये गाड़ियां रुकनी चाहिए।

महोदय, पूजा एक्सप्रेस में मैं भी सफर करता हूं। इसमें मैम्बर ऑफ पार्लियेंट और हजबैंड-वाइफ ट्रैवल करते हैं। वहां बनी-ठनी राजस्थान की जो किशनगढ़ की एक तस्वीर लगी है, इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। बाकी आप देखें कि किराया फर्स्ट एसी का लेते हैं और लोक सभा के खाते से पैसा जाता है। उसमें वर्स्ट डिब्बे लगे हैं जिस में मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट बैठते हैं। जो ऑनरेबल है, उसी के साथ ऑनरेबल लगता है और किसी के साथ नहीं लगता है। उसी ऑनरेबल को कोने में बैठकर चलना पड़ता है। इसका ध्यान रखा जाए। हमारे यहां के मुलाजिम एक रियासत का स्टेशन मांग रहे हैं। गगवाल में एक स्टॉपिज होना चाहिए।

इससे पहली प्रदेश की सरकार के समय मैं जब एमएलए था, मिनिस्टर था, उसके पहले रेलवे कोच फैक्ट्री बनाने का वायदा

[चौधरी लाल सिंह]

किया गया था जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। यह काम अभी तक नहीं हुआ। मेरी रिक्वैस्ट है कि आप इस पर गौर फरमाएं।

मैं खत्म कर रहा हूं। मैं एक चीज नोट कराना चाहता हूं कि हमारे यहां एक चिन्तपूर्णी इंडस्ट्री है। वह रेलवे के कांटे वगैरह बनाती है। जम्मू के 500 लोग वहां काम करते हैं। उसे दूसरी इंडस्ट्रीज के मुकाबले में कम्पीटिशन करने की इजाजत ही नहीं है। कहा जाता है कि रियासत जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री खोलो। मेरी रिकवैस्ट है कि उनको कम्पीटिशन करने की इजाजत मिले।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो मसले आपके सामने रखे हैं उस पर ध्यान देकर पूरा करवाएं। उधमपुर का स्टेशन चलने पर इन्हें इस बात का पता लगेगा और उन्हें रेल दिखायी देगी तथा फायदा मिलेगा। कुछ एंटी पार्टी लोग जुलूस, जलसे निकाल रहे हैं, डैमॉनस्ट्रेशन कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि रेल न चले। मैं कहता हूं कि उनका मुंह बंद किया जाए।

***श्री रघुराज सिंह शाक्य** (इटावा): महोदय, अवगत कराते हुए निवेदन है कि रेलवे में अनुपूरक मांगों में निम्न सुझावों को शामिल करने का कष्ट करें।

लखनऊ गोतमी एक्सप्रेस जो दिन-प्रतिदिन समय से चार से आठ घंटे विलम्ब से चलना। अतः इसको समय से चलाया जाये।

रेलवे पर 131 नं. टेलीफोन का जवाब कभी जल्दी नहीं मिलता है। अतः 131 नं. टेलीफोन पर दो लोगों की नियुक्ति की जाये एवं इसमें सुधार किया जाये। हमारे संसदीय क्षेत्र इटावा में टेलीफोन 131 नं. पर दो लोगों की ड्यूटी लगायी जाये।

ग्वालियर, गुना, इटावा रेल मार्ग की प्रकृति बहुत धीमी है। इसका कार्य जल्दी पूरा कराया जाये।

इटावा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के अतिथि गृह नहीं हैं। अतिथि गृह प्राथमिकता देकर बनवाया जाये।

इटावा संसदीय क्षेत्र जसवंत नगर रेलवे स्टेशन पर ऊंचाहार एक्सप्रेस को अप व डाउन दोनों ट्रेनों को रोका जाना चाहिए।

जसवंत नगर रेलवे स्टेशन पर मुर्री एक्सप्रेस को रोका जाये। कोई मेल ट्रेन नहीं रुकती है।

इटावा व जसवंत नगर रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जाये।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

अतः उपरोक्त मांगों को जनहित में प्राथमिकता देकर शामिल करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

***श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम): महोदय इस सम्माननीय सभा में मैं तमिलनाडु रेल परियोजनाएं पूर्ण करने के लिए पर्याप्त निधियां स्वीकृत करने के लिए द्रमुक पार्टी की ओर से रेल मंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, तिरूचि-तंजोर-नागोर खंड में केवल तिरुनलि और तंजावुर के बीच का खंड पूरा हुआ है। अगला भाग तंजावुर-नागोर बड़ी लाइन का भाग अभी भी पूरा होना शेष है। इस खंड पर कार्य धीमा हो रहा है और मेरा मंत्री से अनुरोध है कि कार्य में तेजी लाई जाए।

इसके साथ ही सिक्काल सिंगारावेलर मंदिर, नागूर दरगाह तथा वेलंकान्नी गिरिजाघर इस खंड में पड़ते हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष का अद्वितीय उदाहरण है। कृपया कार्य में तेजी लाएं ताकि इन पूज्य स्थलों के कारण अंतरर्राष्ट्रीय पर्यटन बढ़े।

वेलंकान्नी गिरिजाघर के प्रबंधन ने पहले ही नागापट्टिनम से वेलंकान्नी तक रेल मार्ग के विस्तार हेतु 2 करोड़ रुपए की पेशकश की है। वे इस लाइन के लिए और धन देने को उत्सुक हैं। मैं पुनः आपसे कार्य में तेजी लाने का अनुरोध कर रहा हूं।

पहले विल्लुपुरम-कुडलूर-मयिलादुतुरई-तिरूवरूर को जोड़ने वाली मीटर गेज मुख्य लाइन थी। यात्रियों की सुविधा हेतु उस मार्ग पर बहुत सी रेलगाड़ियां चल रही थीं। अब आमान परिवर्तन के पश्चात इसे रोक दिया गया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को उठायें और आमान परिवर्तन के लिए प्रयास करें।

तिरुतुरैंपूडी स्टेशन के नवीकरण की बहुत पुरानी मांग है। मेरा आपसे अनुरोध है कि नवीकरण कार्य को तेजी से किया जाए।

मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गत छह माह से दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक की नियुक्ति नहीं की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस मामले पर ध्यान दें।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय मैं 2004-05 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेलवे) के बारे में बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं कि यदि रेलवे अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं के प्रबंधन के बारे में गम्भीर है तो रेलवे को सरकार से बजटीय सहायता पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे आकर

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

अनुदान की अनुपूरक मांग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री वी.के. अग्रवाल द्वारा यह टिप्पणी दी गई थी और मैं उद्धृत करता हूं:

"रेलवे की बाजार में हिस्सेदारी धीरे-धीरे घटकर माल यातायात में 89 प्रतिशत से 40 प्रतिशत और यात्री यातायात में 68 से प्रतिशत से 20 प्रतिशत रह गयी है। इसने रेलवे पर ही प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है बल्कि रेलवे पांच से छः गुणा कम ईंधन का प्रयोग करती है, इसलिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। यदि रेलवे की माल यातायात के लिए बाजार में हिस्सेदारी 40 प्रतिशत के बजाय लगभग 60 प्रतिशत होती तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष 7,500 करोड़ रुपये का डीजल बचाया जा सकता था।"

लगभग सभी संसद सदस्यों ने माननीय रेल मंत्री को बधाई दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने मालभाड़े तथा यात्री किरायों में किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया। इसलिए, उनकी पूरी प्रशंसा की गई। परन्तु उसके पश्चात क्या हुआ? वस्तुओं, विशेषकर कोयले के मूल्यों में पिछले दरवाजे से भारी वृद्धि कर दी गई है। इसका क्या प्रभाव होगा? प्रभाव यह होगा कि उन सभी राज्यों में जहां राज्य विद्युत बोर्ड कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन कर रहे हैं वहां लोगों के लिए बिजली महंगी हो जाएगी। मैं गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड का उदाहरण दे सकता हूं। मेरे राज्य में, इसे 112 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा। एक ओर तो गुजरात में बिजली की भारी कमी है और दूसरी ओर इससे लोगों की समस्याओं में और अधिक वृद्धि होगी। इसका लोगों पर अप्रत्यक्ष भार पड़ेगा। यह पिछले दरवाजे से प्रवेश का परिणाम है। मेरा माननीय रेल मंत्री से विनम्र निवेदन है कि इस वृद्धि को वापस लिया जाए। इस वृद्धि, विशेषकर कोयले पर वृद्धि, का वापस लिया जाना चाहिए अथवा रेलवे को राज्य विद्युत बोर्डों, जो कि कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, को छूट देनी चाहिए।

मैं माननीय रेल मंत्री को कुछ और सुझाव देना चाहता हूं। यदि रेलवे अपनी सम्पत्ति का ठीक ढंग से प्रबंधन करता है तो वे अधिक धन अर्जित कर सकते हैं। उन्हें भारत सरकार से कोई सहायता लेने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र भुज में एक बहुत बड़ा भू-भाग था। क्योंकि नए रेलवे स्टेशन को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था इसलिए पुराने रेलवे स्टेशन का यह भू-भाग मानव रहित भूमि बन गया है। इसकी देखभाल करने के लिए वहां कोई नहीं है। यह सम्पत्ति 200 करोड़ रुपये से अधिक की है। यदि उन्हें इस सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें इसे सरकार को वापस कर देना चाहिए। वे इस भू-भाग को बेच भी सकते हैं। यह केवल एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से ऐसे स्थान हैं। यदि वे अपनी सम्पत्ति का उचित प्रबंधन कर सकते हैं तो वे धनार्जन भी कर सकते हैं। यदि रेलवे अपनी परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का प्रबंधन करने के लिए गम्भीर है तो वह अधिक धनार्जन कर सकता है। प्रश्न यह है कि उनमें अपनी सम्पत्तियों का समुचित प्रबंधन करने की इच्छा होनी चाहिए।

कुछ मार्ग ऐसे हैं जिनसे रेलवे की अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। दो दैनिक रेलगाड़ियां हैं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से मुम्बई जाती हैं। एक और रेलगाड़ी की सम्भावना है। यदि आप मुम्बई के लिए एक और रेलगाड़ी शुरू कर सकते हैं तो इससे रेलवे को और धन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए, मेरा माननीय रेल मंत्री, जो कि यहां उपस्थित हैं, से अनुरोध है कि एक अतिरिक्त एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलवायें क्योंकि एक वर्ष में मुम्बई और भुज के बीच 200 से 300 से ज्यादा अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलती हैं। यह हमारे क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग रही है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हजारों लोग उत्तर भारत और रक्षा सेवाओं के हैं जो यहां रह रहे हैं। उनकी भुज और दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा की बहुत पुरानी मांग रही है। उन्होंने एक रेलगाड़ी शुरू की है-आला हजरत एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो बरेली से आती है। इसे भुज तक बढ़ा दिया गया है। किंतु यह सप्ताह में केवल चार दिन ही चलती है। मेरा माननीय रेल मंत्री से विनम्र निवेदन है कि इस रेलागड़ी की आवृती सप्ताह में चार दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन करने की कृपा करें। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि यह पूरे उत्तर भारत को जोड़ सकती है। इसलिए, जहां तक उत्तरी भारत अर्थात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों के विकास का संबंध है तो इसे किये जाने की आवश्यकता है।

उत्तर भारतीय राज्यों के और विकास के लिए कच्छ बहुत महत्वपूर्ण है। कच्छ में दो बड़े बंदरगाह हैं। एक कांडला बंदरगाह है और दूसरा तेजी से विकसित होता बंदरगाह मुंदरा बंदरगाह है। यदि हम कांडला और मुंदरा बंदरगाहों से वस्तुओं का निर्यात करते हैं तब इससे निश्चित तौर पर दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी क्योंकि मुंबई उत्तर भारतीय राज्यों से काफी दूर है। अतः, उत्तरी भारत के विकास के लिए खासकर ये दो बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि पालनपुर और समखियाली के बीच आमान परिवर्तन का जो कार्य चल रहा है उसे निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। यह उन चार बड़ी परियोजनाओं में से एक है जिनकी स्वीकृति हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दी गई थी। इसलिए, पालमपुर और समखियाली के बीच आमान परिवर्तन कार्य में कृपया तेजी लाई जाए। इसके पूर्ण होने के बाद रेलवे के लिए यह अवश्य ही ज्यादा आय देने वाला साबित होगा।

महोदय, मैंने माननीय रेल मंत्री के पास कुछ अनुरोध रखे हैं। एक कुछ रेलगाड़ियों की आवृत्ति बढ़ाने के बारे में है जिसके बारे

[श्री पी.एस. गढ़वी]

में मैं अभी बता सकता हूं। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच एक रेलगाड़ी सं. 2917 और 2918 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। यह सप्ताह में मात्र तीन दिन चलती है। परन्तु इसे प्रतिदिन चलाने की आवश्यकता है।

इसके बाद एक दूसरी रेलगाड़ी सं. 6335 और 6336 गांधीधाम-नागरकोइल एक्सप्रेस है जो केरल और कर्नाटक सहित समूचे दक्षिण भारत को जोड़ती है। यह रेलगाड़ी सप्ताह में मात्र एक दिन चलती है तथा इसे सप्ताह में तीन या चार दिन चलाने की आवश्यकता है। इसी तरह, एक रेलगाड़ी सं. 6505 और 6506 गांधीधाम-बंगलौर एक्सप्रेस है। मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि इस रेलगाड़ी की आवृत्ति भी सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर चार दिन की जाए।

महोदय, इसी तरह, गाड़ी सं. 1091 और 1092, भुज-पुणे एक्सप्रेस को भी सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर चार दिन चलाने की अनुमति दी जाए।

महोदय, लोगों की खासकर हमारे देश के दक्षिणी भाग अर्थात चेन्नई और हैदराबाद के लोगों की बहुत दिनों से मांग है कि एक रेलगाड़ी भुज से हैदराबाद या भुज से चेन्नई के लिए चलाई जाए। हैदराबाद और चेन्नई के हजारों लोग मेरे संसदीय क्षेत्र में रह रहे हैं तथा मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों लोग हैदराबाद और चेन्नई में रह रहे हैं। इसलिए, भुज से हैदराबाद या भुज से चेन्नई के लिए सीधे एक रेलगाड़ी के लिए बहुत दिनों से मांग की जा रही है। यह एक स्वाभाविक मांग है और मेरा अनुरोध हूं कि माननीय रेल मंत्री जी द्वारा इस पर विचार किया जाए।

महोदय, भुज रेलवे स्टेशन जिससे सचमुच रेलवे को बहुत अधिक आय हो रहा है उसका दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे कृपया जल्द से जल्द किया जाए।

महोदय, पश्चिमी सीमा की ओर, नलिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुसेना स्टेशन है। इसी तरह, खावड़ा में भी हमारे सैन्य बल के लोग हैं। मैं वहां आमान परिवर्तन के कार्य के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा यह अनुरोध है कि कम से कम, भुज से खावड़ा मार्ग के आमान परिवर्तन तथा भुज से नलिया मार्ग के लिए बड़ी लाइन आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण किया जाए।

महोदय, जैसा कि माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी द्वारा सही कहा गया कि विकारी पदार्थों खासकर फलों और सब्जियों की ढुलाई के संबंध में सुदूर क्षेत्रों के किसानों को फायदा मिलेगा क्योंकि उन्हें उनके विकारी पदार्थों के उत्पाद के लिए पर्याप्त मूल्य नहीं प्राप्त होता, जैसे हम दूध की ढुलाई करते हैं, इसे भी इन्सुलेट करके या वातानुकूलित रेलगाड़ियों के जरिए किया जा सकता है। यदि यह विकारी पदार्थों के मामले में किया जाए तब इससे सुदूर क्षेत्रों के किसानों को सही मायने में मदद मिलेगी। वास्तव में बड़े नगरों के किसानों को ही अपनी फसलों का लाभ मिलता है और सुदूर क्षेत्रों के किसानों को नहीं। मेरे संसदीय क्षेत्र में हमारे यहां एक फसल है खरेक जो विकारी वस्तु है। इसे मात्र 15 दिनों के अंदर बेचा जा सकता है, इसके बाद यह विकारी हो जाता है। अतः, मेरा यह अनुरोध है कि विकारी वस्तुओं की ढुलाई कुछ इंसुलेट किये हुए या वातानुकूलित रेलगाड़ियों के जरिए की जाए। तब ही, हम सुदूर क्षेत्रों के किसानों की सही मायने में मदद कर पाएंगे।

अंततः, महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने चालू रेल परियोजनाओं की एक सूची माननीय सदस्यों को उनके संसदीय क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं के बारे में भेजी है। मुझे भी एक ऐसी सूची प्राप्त हुई है। इस सूची में गांधीधाम-पालनपुर आमान परिवर्तन का उल्लेख है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान वस्तुस्थिति क्या है तथा इसे कब तक पूरा किया जाएगा।

इसी तरह, भिल्डी-समदरी मार्ग के बारे में मांग है जो राजस्थान के क्षेत्रों को जोड़ेगी तथा एक मांग भिल्डी-वैरमगम मार्ग की है। इसलिए, पुनः मेरा विनम्र अनुरोध है कि इन सभी मार्गों का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए।

महोदय, मुझे अपने बाकी बचे भाषण को सभा पटल पर रखने की अनुमति भी दी जाए।

सभापति महोदय: ठीक है, इसे आप सभा पटल पर रख सकते हैं।

***श्री पी.एस. गढ़वी:** महोदय, जैसाकि 50 वर्षों से भी अधिक समय से चेन्नई, आंध्र प्रदेश के 25,000 से भी ज्यादा लोग कच्छ यानि कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बसे हुए हैं और इनमें से ज्यादातर लोग कांडला बंदरगाह पर मजदूरी कर रहे हैं तथा इसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों लोग आंध्र प्रदेश और चेन्नई में बसे हुए हैं, अतः, भुज से चेन्नई और हैदराबाद तक के लिए सीधी रेलगाड़ी की बहुत पुरानी मांग पड़ी हुई है। अतः, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी इस पुरानी मांग पर विचार करें तथा (क) भुज-हैदराबाद और (ख) भुज-चेन्नई के बीच सीधी रेलगाड़ियों को स्वीकृति दें।

भुज रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाएं क्योंकि इस स्टेशन से आय दिनोंदिन बढ़ रही है।

कृपया भुज से नलिया तक के आमान परिवर्तन कार्य को स्वीकृति प्रदान करें क्योंकि रेल मार्ग का यह खण्ड नलिया में

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

हमारे वायुसेना अड्डे के लिए काफी उपयोगी है तथा रक्षा कार्यों के लिए आमान परिवर्तन के कार्य का महत्व काफी बढ़ गया है।

कृपया भुज से खावड़ा तक नई बड़ी लाईन रेल मार्ग के सर्वेक्षण और बिछाने के कार्य को मंजूरी प्रदान करें क्योंकि यह नया रेल मार्ग हमारी रक्षा इकाइयों के लिए काफी उपयोगी होगा तथा यह आर्थिक रूप से अति पिछड़े सीमावर्ती क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

यहां नमक आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं क्योंकि खावड़ा के नजदीक कच्छ के रन में अखाद्य नमक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

5000 वर्ष पुराने विश्व प्रसिद्ध हररमन संस्कृति स्थल धौलावीरा को भी रेल मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता है तथा, इसलिए अदेसर से धौलावीरा या चित्रोड से धौलावीरा वाया रपेर के बीच रेल मार्ग का सर्वेक्षण किया जाए और इसे बिछाया जाए।

कृपया मांडवी बंदरगाह को भुज से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जाए, इसलिए इस मार्ग का सर्वेक्षण कराया जाए और इसे मंजूरी दी जाए।

चूंकि मुम्बई और भुज के बीच यातायात दिनोंदिन बढ़ रहा है और भुज से सीधे मुंबई की दो रेलगाड़ियों में हमेशा अधिक भीड़ होती है, अत: भुज से मुम्बई के बीच एक और एक्सप्रेस रेलगाड़ी को कृपया स्वीकृति प्रदान करें।

[अनुवाद]

***श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** (कराड): महोदय, मैं आपको मुझे मेरे लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कराड से रेलवे संबंधी अनुपूरक मांगों को सभा पटल पर रखने का अवसर प्रदान करने पर धन्यवाद देता हूं। मैं निम्नलिखित समस्याओं को सामने लाना चाहता हूं:

1. मध्य रेलवे के पुणे-मिराज खण्ड के दोहरीकरण के कार्य को वरीयता के आधार पर किया जाए।
2. मध्य रेलवे के पुणे-मिराज खण्ड स्थित कराड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाई जाए।
3. कोल्हापुर से लखनऊ और कोल्हापुर से द्वारका के लिए नई रेलें आरम्भ की जायें क्योंकि इन स्थानों को जाने के लिए पश्चिम महाराष्ट्र के यात्रियों को मुम्बई जाना पड़ता है।
4. पुणे-मिराज खण्ड के कराड़ तहसील में खराड़े, कोनेगांव और वीरावाड़े स्थित रेल फाटकों को रात में खुला रखा जाना चाहिए।
5. पुणे-मिराज खंड पर सांगली जिले की वालवा तहसील में भवानीनगर में नया रेल क्रासिंग बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।
6. बंगलौर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रैस को सप्ताह में एक बार हुबली होकर चलाया जाए।
7. कराड़ जिला: सतारा और इस्लामपुर जिला: सांगली में शहर बुकिंग कार्यालय वरीयता के आधार पर शुरू किया जाए।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी** (रीवा): महोदय, रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग रेल विधेयक के माध्यम से रु. 2565,40,15,000 अतिरिक्त राशि की मांग भारत के कन्सालिडेटेड फण्ड से की गयी है। लेकिन रेलवे के इतने भारी भरकम बजट के बावजूद मेरा संसदीय क्षेत्र रीवा उपेक्षित ही रहा है। मैं संक्षेप में मांग करता हूं कि

ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए अधिक से अधिक राशि आबंटित कर उस रेल लाइन को यथाशीघ्र पूरा करायें।

रीवा से जबलपुर तक एक फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रात: रीवा से चलायी जाये जो रात्रि उसी दिन जबलपुर से रीवा वापस लौटे। जबलपुर से मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट अवस्थित है और वहां पर बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध है।

रीवा से मुबई तक एक ट्रेन चलायी जाये। जब तक नयी ट्रेन नहीं चले कामायनी 4.5 कम्पार्टमेंट रीवा से रेवांचल एक्सप्रेस से ले आकर सतना में जोड़ दिया जाये।

रेवांचल एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास का एक कम्पार्टमेंट जोड़ा जाये। क्योंकि इसी ट्रेन से रीवा संभाग के चारों जिले के मंत्री विधायक इसी ट्रेन से यात्रा करते हैं।

विंध्यांचल एक्सप्रेस का समय रीवा और दिल्ली पहुंचने का बहुत असुविधाजनक है। पूरा एक दिन बरबाद हो जाता है। कृपया उसका समय इस प्रकार निर्धारित किया जाये कि एक दिन की बरबादी बच सके।

डमौरा रेलवे स्टेशन जो रीवा जिला के सबसे दूर एवं व्यापारिक कस्बे में स्थित है, में क्षिप्रा और महानगरी एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था की जाये।

डमौरा रेलवे स्टेशन में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था यथाशीघ्र की जाये।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

सायं 6.00 बजे

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, आज रेल मंत्रालय की पूरक मांगों पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने प्रदेशों और क्षेत्रों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की। माननीय रेल मंत्री जी द्वारा जो 256540 लाख रुपये की मांगें प्रस्तुत की गई हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं।

मैं इसलिए इन मांगों को सपोर्ट करता हूं क्योंकि पिछले छः -सात महीनों में जो नयी सरकार बनी, उस सरकार में माननीय लालू प्रसाद जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, एक ऐतिहासिक फैसला किया जिससे पूरे राष्ट्र के सभी प्रदेशों में बसने वाले गरीबों के मन में खुशी की लहर दौड़ी। साथ ही जो खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े हुए लोग थे, चाहे दस्तकारया दूसरे कारीगर थे, उनके परिवारों में भी खुशहाली आई है।

सायं 6.01 बजे

[**श्रीमती सुमित्रा महाजन** *पीठासीन* हुए]

इसके साथ-साथ पूरे राष्ट्र में जो रेल से यात्रा करने वाले लोग थे, चाहे वे गरीब हों या मध्यम वर्ग के लोग हों या धनी वर्ग के लोग हों, तमाम लोगों ने ऐसा विश्वास जताया कि पहली बार रेल बजट में रेल भाड़ा बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया जो एक ऐतिहासिक कदम है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि यहां बात होती है रेलवे सुरक्षा की। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पहले जो घटनाएं घटती थीं, रेल पटरी खराब होने से या और कारणों से जो दुर्घटनाएं होती थीं, पिछले छः-सात महीने के पहले की स्थिति देखें, तो ऐसी घटनाओं का अनुपात आज बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा जो अनुशासन का पालन नहीं किया जाता था कि समय से कार्यालय नहीं जाना, समय से काम नहीं करना, माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद जी के कड़े अनुशासन और कार्रवाई से वे भी अनुशासन में पक्के हो गए हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि रेलगाड़ियों के परिचालन में भी सुधार हुआ है और गाड़ियां अब समय पर चल रही हैं। रेल के इंजन बनाने वाले जो कल-कारखाने थे, रेल के डिब्बे बनाने वाले जो कारखाने थे, उन कारखानों को भी पुनर्जीवित करने का काम माननीय रेल मंत्री जी ने किया है।

महोदया, इन मांगों में धन की आवश्यकता है। धन क्यों चाहिए? पैसा चाहिए रेल की पटरी बिछाने के लिए, नई रेलगाड़ियां चलाने के लिए, यात्री सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए। करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें यह कमी है या वह कमी है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं, जो अभी यहां उपस्थित नहीं है, माननीय रेल राज्य मंत्री जी हैं, मैं चाहता हूं कि चाहे किसी भी प्रदेश का प्लेटफार्म, स्टेशन या हाल्ट हो, जहां से यात्री चढ़ते और उतरते हैं, उन सभी जगहों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कम से कम शौचालय और पानी का प्रबंध तो होना ही चाहिए। लोग कल्पना करते हैं कि उनके यहां तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी होगी, कल्पना करते हैं कि काफी लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी चले, मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता है और इस दिशा में माननीय रेल मंत्री जी और रेल विभाग काफी आगे बढ़कर काम करने वाले हैं। इन बातों को छोड़कर मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें बताना चाहता हूं।

महोदया, मैं बिहार के जहानाबाद क्षेत्र से आता हूं। जहानाबाद क्षेत्र पूरे बिहार झारखंड और देश में भी काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछड़ा होने के साथ-साथ यह उग्रवाद से काफी ज्यादा प्रभावित क्षेत्र भी है। मेरे क्षेत्र से एक रेल पटना-गया रेल खंड लाइन निकलती है। पिछले बजट सत्र से मैंने मांग की थी कि इस क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ा जाए क्योंकि इस क्षेत्र में तीन-तीन, चार-चार जिले पड़ते हैं। इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए बिहटा से अनुग्रह नारायणा रोड औरंगाबाद तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना स्वीकृत की जाए। अपने जवाब में माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि बिहटा से अनुग्रह नारायणा रोड तक नई रेल लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। मैं पुनः आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि हमारे माननीय रेल मंत्री जी उस योजना का कार्यान्वयन, उसकी स्वीकृति निश्चित करवाने का काम करेंगे।

दूसरी एक योजना थी कि फतुहा से इसलामपुर को जोड़ने के लिए तो रेल लाइन बनी हुई है लेकिन इसलामपुर से गया को जोड़ने के लिए कोई रेलवे लाइन नहीं है। उसके बीच में काफी आबादी है। नालंदा, जहानाबाद, गया और नवादा तीन जिलों को वह लाइन जोड़ने का काम करेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इसलामपुर से गया तक नई रेल लाइन जोड़ने का काम शुरू किया जाए।

मैं एक और मांग करना चाहता हूं कि जहानाबाद अरवल मोड से एक रोड अरवल तक जाती है। उसके बीच में रेलवे लाइन है। वहां पर सौ वर्ष पुराना एक पुल है और वह पुल बहुत ज्यादा छोटा है। उसके बीच से जब कोई बस निकलती है या कोई सवारी निकलती है तो निकलते समय उनका आपस में टकराव हो जाता है। वहां पर काफी दुर्घटनाएं होती हैं। महोदया, इसलिए मैं

आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जहानाबाद अरवल मोड़ से अरवल जिले तक जाने वाली रोड पर जो रेल लाइन का पुल है उसके ऊपर एक ऊपरीपुल पथ बनाने की कार्यवाही करें।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से एक और मांग करना चाहता हूं। पटना बिहार की राजधानी है। पटना से लगभग डेढ़ दो सौ किलोमीटर के अंदर में प्रायः गरीब मजदूर, सब्जी बेचने वाले, चावल-दाल बेचने वाले, दही-दूध बेचने वाले लोग आवागमन करते हैं। उनके पास आने का कोई साधन नहीं है। आने वालों की काफी भीड़ होती है। चाहे वे मोकामा से पटना आने वाले हों, चाहे वे बक्सर से पटना आने वाले हों, चाहे गया से पटना आने वाले हों, चाहे नालंदा से पटना आने वाले हों। माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव और मांग है कि उनकी सुविधा के लिए, बढ़ती हुई आबादी के बढ़ते हुए भार को देखते हुए पटना को उप-महानगरीय रेल सेवा घोषित करने का काम करें और उसमें स्थानीय ट्रेन, लोकल ट्रेन जैसे चलती है उसको चला कर यात्री भार कम यात्रियों को सुविधा देने का काम करेंगे। साथ ही पटना-गया रेल खंड के परसा स्टेशन पुनपुन, पोठी, नदवा, तारेगना, जहानाबाद इन तमाम स्टेशनों पर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान की जाए और साथ ही उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार देने के लिए वहां पर आरपीएफ का एक ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किया जाए।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन** (भटिंडा): सभापति महोदया, सर्वप्रथम मुझे यह अवसर प्रदान करने पर मैं आपको धन्यवाद देती हूं। महोदया, मैं आपके माध्यम से रेलवे से संबंधित कुछ मांगें रेल मंत्री जी के सामने रखना चाहती हूं।

मैं पंजाब के लोगों की ओर से यह दुख प्रकट करती हूं कि रेल बजट में पंजाब की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। पंजाब में कोई नई रेल लाइनें नहीं बिछाई गई हैं। पंजाब से कोई नई रेलें नहीं चलाई गई हैं। पंजाब में कोई नए बुकिंग केन्द्र नहीं खोले गए हैं और न ही पंजाब के लिए कोई नई रेल सुविधाएं ही आरंभ की गई हैं।

पंजाब में बहुत से बिना चौकीदार वाली रेलवे क्रासिंग है। इन बिना चौकीदार वाली रेलवे क्रासिंगों के कारण बहुत से बच्चे व अन्य लोग विभिन्न दुर्घटनाओं में अपने प्राण गंवा चुके हैं। देर रात्रि तथा सुबह-सुबह इन तीव्र गति से चलने वाली रेलों को न देख पाने के कारण किसान तथा खेतिहर मजदूर इनके नीचे आ जाते हैं। अतः सभी बिना चौकीदार वाली क्रासिंगों पर चौकीदार तैनात किये जाने चाहिए। इन क्रासिंगों पर फाटक लगाए जाने चाहिएं।

पूर्ववर्ती सरकार ने 'आदर्श स्टेशनों' के संबंध में एक घोषणा की थी। लेकिन इस मामले में कोई घोषणा नहीं हुई है। किन-किन स्टेशनों को 'आदर्श स्टेशन' घोषित किया जाएगा उसके संबंध में भी कोई घोषणा नहीं हुई है। ऊपरी-पुलों के निर्माण के संबंध में भी बहुत से प्रस्ताव स्वीकार किये गये थे। लेकिन उनका निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। बजट में इस कार्य हेतु करोड़ों रुपये आवंटित किये गये थे। लेकिन, चूंकि संबंधित राज्य सरकारें अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है, अतः ये ऊपरी-पुल वास्तविकता में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में मानसा जिले में बहुत पहले एक ऊपरी पुल के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। मोरिंडा और खुराली में भी ऊपरी पुलों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। ये ऊपरी पुल समय की मांग है। इन्हें पूरा हो जाना चाहिए। जिन राज्यों में राज्य सरकारें अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही हैं वहां केन्द्र सरकार को सारा पैसा देकर इन परियोजनाओं के कार्यों को पूरा करना चाहिए। जालंधर जिले में, लोहिया नगर में एक छोटा सा पुल है जिसका निर्माण 1935-36 में किया गया था। इस छोटे से पुल पर एक ओर का यातायात रोका जाता है जिससे कि दूसरी ओर का यातायात सुचारु रूप से चल सके। लोगों को इस पुल को पार करने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यहां बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं। जहां तक मैं जानती हूं यह पुल असुरक्षित है। रेलवे के पास यह प्रस्ताव बहुत समय से लंबित है और वे इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। यह पुराना पुल असुरक्षित है। ये किसी भी दिन ढह सकता है और एक त्रासदी हो सकती है। अतः इस पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाना चाहिए।

चंडीगढ़ से मोहाली होते हुए लुधियाना तक के बीच एक नई रेल लाइन का प्रस्ताव रेलवे प्राधिकारियों के पास लंबित है। यह पूरा नहीं हो रहा है। इसी प्रकार, तरन-तारन-गोंइंदवाल रेलवे लाइन का काम भी शुरू नहीं हुआ है। पुराने पुलों के रखरखाव तथा नवीकरण का कार्य भी नहीं हो रहा है। पंजाब में बहुत से रेल पुल असुरक्षित हैं। लेकिन रेलवे विभाग इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। इन असुरक्षित रेल पुलों पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कुछ रेलों को कुछ स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव दिया गया है। इन ठहरावों को स्थायी बना दिया जाना चाहिए जिससे कि यात्रियों को बेहतर सुविधायें मिल सकें।

रेलवे में भर्ती में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये भर्तियां जिला स्तर पर होनी चाहिए क्योंकि गरीब लोगों के पास साक्षात्कार और भर्ती के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाने हेतु धन नहीं होता एक संसद

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्रीमती परमजीत कौर गुलशन]

सदस्य को भी भर्ती प्रक्रिया से संबद्ध किया जाना चाहिए जिससे कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो सके।

बहुत से माननीय सदस्यों ने रेलवे स्टेशनों पर सफाई के मुद्दे को उठाया है। यद्यपि, रेल मंत्री जी ने इस कार्य हेतु बहुत से निदेश दिए हैं तथापि इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यहां तक कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी बड़े-बड़े चूहे हैं। प्रत्येक चूहे का वजन 1 किलो होगा। इस तरह के वातावरण से बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: सभापति महोदय, यहां एक भी केबिनेट मिनिस्टर नहीं है, क्या यह ठीक है? रेलवे मिनिस्टर यहां से चले गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं *...(व्यवधान)* जब ये लोग इधर बैठते थे तो बार-बार बोलते थे कि उधर कोई मिनिस्टर नहीं बैठा है, हमें कोई इम्पोरटेंस नहीं दी जा रही है। *...(व्यवधान)* अब हम यहां बोलते हैं तो हमें ये बोलने नहीं देते हैं। *...(व्यवधान)* यहां एक भी केबिनेट मिनिस्टर नहीं बैठा है। *...(व्यवधान)* महोदया, यह इस संसद का अपमान है कि मंत्री जी सभा में उपस्थित नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: हम एक-एक बात को नोट कर रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग चल रही है, उसमें मंत्री जी का जाना बहुत जरूरी था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदया, यह सही नहीं है। यह हमारी संसद का अपमान है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

10-15 मिनट के लिए गए हैं तो ठीक है, लेकिन एक घंटे के लिए चले गए और उसके बाद अभी तक नहीं आए, यह ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: केबिनेट मीटिंग चल रही है, क्या वे केबिनेट मीटिंग में न जाएं? *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आप प्रधान मंत्री जी को बोलिए कि आपको केबिनेट मिनिस्टर बना दें। *...(व्यवधान)* **ये हमेशा खड़े हो** जाते हैं और किसी को बोलने नहीं देते। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मुझे मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं है। *...(व्यवधान)* मैं यह कह रहा था कि वे केबिनेट मीटिंग में गए हैं, यहां आपकी एक-एक बात को नोट किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: वे केबिनेट मीटिंग में गए हैं और बता कर गए हैं, इसलिए बार-बार इस बात को न उठाएं। वे अभी यहां आएंगे। स्टेट मिनिस्टर सब बात नोट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदया, यह कोई आधार नहीं है। *...(व्यवधान)* जिसका विषय केबिनेट में न हो, उन्हें यहां रहना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: ये फिजूल की बातें उठाते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यहां दो मंत्री उपस्थित हैं और वे कैबिनेट के सदस्य हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मिनिस्टर नोट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत: सभापति महोदया, किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर को यहां रहना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मैंने एक बार उधर बैठ कर प्वाइंट आउट किया था। उस समय उधर एक भी मंत्री नहीं थे। *...(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत: सदन की अवमानना करने की आदत छोड़िए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: गेहलोत जी, आप बैठ जाइए। श्रीमती परमजीत, आप कंक्लुड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इस बात को नोट करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदया, मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। मंत्री महोदय बैठक के समाप्त होते ही यहां आएंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: बंसल जी, आपको मंत्री कोई नहीं बना रहा है, आप क्यों रिप्लाई दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आठवले जी, आप क्यों बोल रहे हैं, आपने इतना कहा कि मुझे मंत्री बना दो, लेकिन नहीं बनाया। ...*(व्यवधान)* ऐसे खड़े होकर बोलने से कोई मंत्री नहीं बनता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपका प्वाइंट नोट हो गया है, बता दिया है कोई न कोई मिनिस्टर आएंगे। आठवले जी, आप बैठिए। बंसल जी, हर चीज का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। परमजीत कौर जी, आप कंक्लुड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: बस हो गया, एक सेकिण्ड की जगह दो मिनट हो गये।

[अनुवाद]

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: कम्प्यूटरीकृत बुकिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। बहुत से रेल कर्मचारी मादक पदार्थों का सेवन करके या शराब पीकर रेलगाड़ियों में चढ़ते हैं। कुछ दिनों पूर्व, मैं रात में पंजाब मेल में यात्रा कर रही थी। शराब के नशे में धुत्त एक रेल कर्मचारी रेलगाड़ी में चढ़ा। मेरे सुरक्षाकर्मी ने जब उस नशेड़ी को रेलगाड़ी में चढ़ने से रोकने की कोशिश की, तब वह मेरे सुरक्षाकर्मी से लड़ पड़ा। कोच के प्रभारी ने उसे रेलगाड़ी से उतरने के लिए नहीं कहा। अत:, ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। महिलाएं रेलगाड़ियों में यात्रा करती हैं और ऐसी घटनाओं के कारण महिलाओं के लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पंजाब में रेलवे स्टेशनों पर दी जाने वाली सूचनाओं की घोषणा पंजाबी में की जानी चाहिए क्योंकि काफी अशिक्षित लोग भी रेलगाड़ियों से यात्रा करते हैं। रेलगाड़ियों में स्पष्ट अक्षरों में यह लिखा होता है कि ''धूम्रपान निषेध है''। किन्तु इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है तथा लोग निर्भय होकर धूम्रपान कर रहे हैं। रेलवे की लापरवाही के कारण बहुत-सी दुर्घटनाएं घटती हैं। जिन लोगों को इससे क्षति पहुंचती हैं, उन्हें या तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है या मुआवजा देने में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मुझे बहुत सारी मांगें करनी हैं किन्तु हमारे पास समय की बेहद कमी है।

अंत में, मैं एक महत्वपूर्ण मांग करना चाहती हूं। हम सब ने सरहिन्द शहर के बारे में सुना है। यह एक ऐतिहासिक शहर है। यहां, गुरू गोविंद सिंह के दो पुत्रों को दीवार में जिन्दा ही चुन दिया गया था। उस समय एक साहिबजादे की उम्र 7 वर्ष थी तथा दूसरे की उम्र 9 वर्ष थी। हम लोग 17 से 26 दिसम्बर तक इस घटना का शताब्दी-समारोह मना रहे हैं। सरहिन्द में एक प्राचीन जैन मन्दिर भी है। मुस्लिम धर्म में सरहिन्द को छोटा-मक्का भी माना जाता है। अत:, जब हम उनके शताब्दी-समारोह के अवसर पर साहिबजादों को याद कर रहे होंगे, तब सचखंड एक्सप्रेस का एक ठहराव सरहिन्द शहर में भी दिया जाना चाहिए। यह रेलगाड़ी अमृतसर से नांदेड़ साहिब तक चलती है। मैं रेल मंत्री से सरहिन्द में सचखंड एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने के लिए सभा में घोषणा करने का अनुरोध करती हूं। यह गुरू गोविंद सिंह के शहीद पुत्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन होगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदया, आपने मुझे रेलवे की वर्ष 2004-2005 की अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के संसदीय क्षेत्र चायल से चुनकर आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र की लम्बाई 120 किलोमीटर है। इसके एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ यमुना नदी है, बीच के क्षेत्र को दोआबा कहते हैं। मुगलसराय से लेकर गाजियाबाद-दिल्ली तक यह प्रमुख रेलमार्ग भी है। दूसरी बात यह है कि मुख्य जी.टी. रोड भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की रेलवे से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जिन्हें मैं रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगों पर बहस में भाग लेते हुए रखना चाहूंगा।

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत मेरे यहां एक फ्लाईओवर की अनुमति प्लानिंग कमीशन से हो गई है, जिसमें 9 करोड़ रुपये का खर्च हो रहा है। केवल रोही गांव गांव है, उसके दक्षिणी तरफ रेलवे ट्रैक है, जिसके ऊपर फ्लाईओवर बनवाना है। हमारे रेल राज्यमंत्री यहां बैठे हैं और रेल बोर्ड के सम्बन्धित अधिकारी भी बैठे हैं। मैं उनसे चाहूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय सम विकास योजना का पैसा जिले के विकास के लिए मिलता है और जिले के विकास में, चूंकि कौशाम्बी नवसृजित जनपद है, जिले के विकास में अगर

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो वह रेलमार्ग है। वहां रेलवे फाटक पर घण्टों ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे जी.टी. रोड प्लस रेलवे से जिन लोगों को मुख्यालय से, कौशाम्बी से आवागमन रहता है, उनको घण्टों इन्तजार करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि रेलवे उनकी अनुमति दे और उसके ऊपर जो खर्च आता है, उसे रेलवे विभाग दे, क्योंकि 9 करोड़ रुपये तो राष्ट्रीय सम विकास योजना से मिल रहे हैं और शेष धनराशि एक या दो करोड़ रुपये की बात है, उसे रेल मंत्रालय दे।

दूसरी बात, एन.सी.आर. का रेलवे का आफिस इलाहाबाद में बनने जा रहा है और पुरानी बिल्डिंग में काम भी कर रहा है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में ही है। वहां नया आफिस बनना है। लेकिन मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वह कहीं अन्यत्र बनने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसे मेरे ही क्षेत्र में बनने दिया जाये, क्योंकि मेरा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, वहां का विकास एनसीआर आफिस बनने से ही होगा। दूसरी बात जो है मुख्यालय कौशाम्बी से दस किलोमीटर भरवारी रेलवे जंक्शन स्टेशन है। मैं चाहूंगा कि उस लाइन को मुख्यालय तक जोड़ दे ताकि जंक्शन स्टेशन भरवारी बने और नवसर्जित जनपद कौशाम्बी का विकास हो सके। भरवारी में ही जंक्शन रेलवे स्टेशन बना कर कंप्यूटरीकृत रेल टिकट आरक्षण केन्द्र की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि जनपद के मुख्यालय के नजदीक वह रेलवे स्टेशन है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर जो मुख्य ट्रेनें हैं, उनका ठहराव बहुत कम है। चूंकि जनपद के विकास की बात हो रही है तो मुख्य गाड़ियों का ठहराव भी भरवारी जंक्शन स्टेशन पर होना चाहिए। एक समस्या हमारे क्षेत्र में और है कि एनसीआर का आफिस या आवास जहां बनेगा, वहां एक गांव पड़ता है मुंडेरा, और उससे जो पानी निकलेगा, वह एनसीआर के पुंगहट नाले में गिरेगा। जब आफिस या आवास की दीवार बन जाएगी तो उससे मुंडेरा गांव का पानी अवरुद्ध होगा। उससे पूरा गांव डूब जाएगा। मैं मांग करता हूं कि गांव के पानी को पुंगहट नाले में जो सीवर होल है, उसमें डाल दिया जाए ताकि वह गांव भी बच जाए। खागा, सिराथू, मनोरी, सूबेदारगंज मेरे संसदीय क्षेत्र में मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। वहां पर यात्रियों का आवागमन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि वहां पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था हो। एक तरफ आपके इंडस्ट्रीयल डिस्ट्रिक्ट कानपुर, इलाहाबाद और बनारस पड़ते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से कौशाम्बी बौद्ध और जैनियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। वहां पर इंडोनेशिया, चीन, जापान और बाहर से भी तमाम लोग आते हैं इसलिए इस जनपद को संवारने के लिए वहां पर अच्छी-अच्छी गाड़ियों का ठहराव और कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अक्सर रेल दुर्घटना की बात आती है। दुर्घटना का मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या और यात्रियों की बढ़ती संख्या। इसके लिए रेल विभाग को यात्रियों की सुविधा के लिए कोई कारगर नीति बनानी चाहिए ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही साथ मुख्य बात जो रेल विभाग में है कि आज ज्यादातर रेल संपत्तियों पर माफिया लोगों का कब्जा है। चूंकि रेल मंत्री जी पिछड़े इलाके से भी हैं और गरीबों, दुखियों का दर्द समझते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वे इसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को बीच में दे ताकि उनकी भी सहभागिता हो और उनको भी रोजगार मिल सके। एक समस्या हमारे माननीय सदस्य ने बताई है कि नम्बर 131 जो की रेलवे इनक्वायरी नंबर है, उसे आप मिलाते रहिए लेकिन वह नंबर कभी कोई उठाता नहीं है। 131 नंबर की जगह पर एक-दो और टेलीफोन नम्बरों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि एक आदमी नोट करे और दूसरा आदमी आपको उसकी इन्फोर्मेशन दे। सम्मानित सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं वह भी जानते होंगे कि कभी-कभी 131 नम्बर आप मिलाते रहिए लेकिन वह नम्बर मिलता नहीं है।

एक अन्य बात गोमती एक्सप्रैस के संबंध में है। दिल्ली और लखनऊ दोनों राजधानियां हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आठ-आठ घंटे तक गोमती ट्रेन लेट रहती है। यह एक वीआईपी ट्रेन है। इसकी व्यवस्था सुदृढ़ करने की जरूरत है। चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रांत है। इसलिए यहां पर इस गाड़ी को चलाने की बेहतर व्यवस्था हो। राजधानी एक्सप्रैस 2424 जो रोज नहीं चल रही है, उसे रोज चलाया जाए ताकि इलाहाबाद और दिल्ली की दूरी को हम आसानी से तय कर सकें।

आदरणीय सभापति महोदया, मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहूंगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड को सक्रिय किया जाए। अभी-अभी रेलवे विभाग की एक परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने की शिकायत अक्सर आती है, इसे दूर करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारे जो तमाम बेरोजगार शिक्षित लोग हैं, जो अपना समय निकाल कर, पढ़ाई करके, मेहनत करके आते हैं, वे जब परीक्षा में बैठते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वह पेपर लीक हो गया और उसे पोस्टपोंड कर दिया गया। इससे यह होता है कि जिनकी आयु सीमा निर्धारित है और जो ओवरऐज हो रहे हैं, वे तमाम बेरोजगार उससे वंचित रह जाते हैं। उनको रोजगार नहीं मिल पाता इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एन.एस.वी. चित्तन** (डिंडीगुल): मदुराई और डिंडीगुल के बीच का रेल ट्रैक लगभग 160 प्रतिशत तक व्यस्त रहता है। इस क्षेत्र में और ज्यादा रेलगाड़ियों को शुरू किए जाने की बहुत अच्छी संभावना और क्षमता है। अत:, कन्याकुमारी और चेन्नई के बीच बड़ी लाइन के दोहरीकरण की लोगों की मांग के एक भाग के रूप में, मदुराई और डिंडीगुल के बीच बड़ी लाइन के दोहरीकरण की योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। किन्तु अब तक बहुत ही कम राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2003-04 के रेल बजट में, अम्बातुरई और कोडाई रोड के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 0.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2004-2005 के रेल बजट में इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए मात्र 3.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस परियोजना के लिए शेष पूरी राशि शीघ्र से शीघ्र आवंटित की जानी चाहिए तथा परियोजना को मार्च 2006 से पहले अवश्य ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।

इस योजना के पूरा होने से इस मार्ग में 10 अतिरिक्त रेलगाड़ियां शुरू की जा सकेंगी। यदि योजना पर शीघ्रता से कार्य किया जाए और निर्धारित अवधि से पहले इसे पूरा कर लिया जाए, तो तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में रहने वाले लोग काफी लाभान्वित होंगे। रेलवे को प्राप्त होने वाले राजस्व में भी काफी वृद्धि होगी। इस क्षेत्र में अधिक यातायात के कारण सप्ताह में दो बार चलने वाली मदुराई-दिल्ली (निजामुद्दीन) तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी साप्ताहिक रेलगाड़ी बना दिया गया।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दक्षिण-तमिलनाडु में इस अति महत्वपूर्ण रेल योजना को मार्च 2006 से पहले पूरा किए जाने के लिए शेष आवश्यक निधि एक ही बार में आवंटित कर प्रभावकारी अनुवर्ती उपाय किए जाने चाहिए। धीरे-धीरे, कन्याकुमारी-मदुराई-चेन्नई के बीच संपूर्ण बड़ी लाइन के दोहरीकरण का कार्य किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): महोदया, भारतीय रेल सचमुच ही भारत की जीवन रेखा है। इसके द्वारा रोजाना लाखों लोग अपने-अपने गंतव्य पर जाते हैं और भारतीय रेल ही रोजाना देश के कोने-कोने में रोजमर्रा की जरूरत का सामान पहुंचाती है। पिछले पचास वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था में भारतीय रेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस हिसाब से हम तेजी के साथ, तेज कदम लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भारतीय रेल का बहुत बड़ा योगदान होना है। हमें इस बात की खुशी है कि आज से 8-10 वर्ष पहले रेल की रफ्तार बढ़ाने के लिए दिल्ली से विभिन्न प्रान्तों की राजधानियों को जोड़ने के लिए ज्यादा राजधानी चलाई गई और शताब्दी एक्सप्रैस की शुरुआत हुई। लेकिन आज आगे जब और भी ज्यादा लक्ष्य है, हमें खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अतीत की बात नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने इस बात को अहमियत देते हुए इसके लिए अच्छे प्रोग्राम तय किए हुए हैं। समय की कमी के कारण मैं कम बात कहना चाहूंगा। लेकिन एक-दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं। दुनिया में तीन तरह के लोग रहते हैं-एक वे जो खुद भी चलते हैं और औरों को भी चलाते हैं ट्रेन के इंजन की तरह, एक वे जो खुद नहीं चल पाते लेकिन अगर कोई धकेल दे या खींच ले तो साथ चल पड़ते हैं रेल के डिब्बे की तरह और एक वे होते हैं जो न खुद चलते हैं और न किसी को चलने देते हैं ट्रेन की ब्रेक की तरह। यूपीए की सरकार इंजन है। हम इसके लिए सभी से सहयोग चाहते हैं जो न खुद चलते हैं और किसी को चलने देते हैं ट्रेन की ब्रेक की तरह। यूपीए की सरकार इंजन है। राष्ट्रीय एकोनामी को बढ़ाने के लिए बतौर एक इंजन काम कर रही है, खुद आगे बढ़ रही है और सभी को साथ लेकर जाना चाहती है। हम इसके लिए सभी से सहयोग चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि वह सहयोग जो देश की जनता ने दिया है, इस हाउस से भी लेकर हम आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे।

मुझे एक बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज की सरकार ने आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। इस बात को लोग जैसे मर्जी कहते रहे लेकिन इसके लिए भी आज के रेल मंत्री की ही जरूरत थी। उन्होंने, जिस बात का मखौल उड़ाया जाता है, सिर्फ कुल्हड़ की ही बात नहीं की बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धान्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें आज के दिन, रेलवे में जो प्रसाधन हैं, उनके लिए भी कुछ करना है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि रेलवे स्टेशन पर जब गाड़ियां खड़ी होती हैं तो लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। इससे वहां कितनी गंदगी फैलती है, शायद हम उसे दूर नहीं कर पाए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि आम जनता जो ट्रेन से जाती है, उनके लिए भी ऐसे ही टायलैट्स हों जैसे हवाई जहाज में होते हैं। यह बात हिन्दुस्तान में हो रही है, शायद और देशों में बहुत जगह ऐसा नहीं है।

आज की सप्लीमैंट्री डिमान्ड्स फार ग्रांट्स में रेलवे संरक्षा पर जोर दिया गया है। हमें इस बात का अफसोस है क्योंकि अभी सब जगह क्रासिंग पर रेलवे फाटक नहीं लगे हुए हैं। इससे अक्सर

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री पवन कुमार बंसल]

भयानक एक्सीडैंट्स हो जाते हैं। इसलिए सुरक्षा के और जो कदम उठाने हैं, उनके साथ-साथ सब जगह इसे एकदम अनिवार्य करने की जरूरत है कि जितने भी रेलवे क्रासिंग हैं, वहां चौकीदार हो, रेलवे फाटक लगे हों। इस बात को प्राथमिकता देने की जरूरत है और मैं सरकार से इस बात की उम्मीद करूंगा।

मैंने आधुनिकीकरण के साथ सुन्दरता का मामूली जिक्र किया। प्रोजैक्ट बनाया गया है, रेलवे स्टेशन को अच्छा बनाना है। समय की कमी के कारण मैं सिर्फ अपनी बात पर आता हूं।

चंडीगढ़ देश का एक आधुनिकी प्लैन्ड शहर है। इसको अगर एक लघु भारत कहें तो सही बात होगी। देश के कोने-कोने से लोगों ने यहां अपने घर बनाये हुए हैं, वे यहां रहते हैं लेकिन उनके लिए वहां उतनी सहूलियतें मुहैया नहीं की गयी हैं। वे कभी न कभी अपनी जगह पर जाना चाहते हैं। चंडीगढ़ से रांची के लिए ट्रेन की जरूरत है लेकिन अभी तक वह ट्रेन नहीं चलाई गयी। चंडीगढ़ से चेन्नई के लिए हफ्ते में एक दिन ट्रेन चलती है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। तिरुअनंतपुरम वगैरह के लिए भी वहां से ट्रेन चलाई जानी चाहिए।

जैसा मैंने कहा कि सभी जगह से लोग वहां आकर बसे हैं। अगर हम सचमुच देश को एक माला में पिरो देना चाहते हैं तो उनके लिए ये सुविधाएं भी मुहैया कराना उतना ही अनिवार्य है जिससे कोई भी आदमी बिना किसी मुसीबत के अपनी जगह पर जा सके। रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद कि चंडीगढ़ एक मार्डर्न शहर है, जिस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। मुझसे पहले एक माननीय सदस्या ने ठीक फरमाया कि चंडीगढ़ से लुधियाना के लिए रेल लाइन बनाने में विलम्ब हुआ है। उसके सर्वे वगैरह में मुद्दतें लग गयीं। अब फैसला हुआ है। अब भी शायद कछुवे की चाल से उस पर काम चल रहा है। अगर एक बात के लिए हमने फैसला कर लिया कि यह बनाना है तो क्यों नहीं आपने जो समय तय किया है, उसके हिसाब से उसे बनायें। आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? हमारे यहां एक गांव फैंदा है। वहां के लोगों ने उसे माना। इसके लिए उनकी दुकानें टूट गयीं, मंदिर गुरुद्वारा भी उसमें आ गये लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। केवल मामूली सा जिक्र किया लेकिन उसका भी मुआवजा उनको ठीक नहीं दिया गया। मुआवजा तो छोड़ दीजिए, रेलवे लाइन जरूर ऊंची बनाई गयी लेकिन उनको दूसरी तरफ सड़क पार करने के लिए जगह भी नहीं दी गयी। इसको एक मानवता के नाम पर, इंसानियत के तौर पर उन लोगों की जो जरूरतें हैं, उसके लिए तो सोच लेना चाहिए था लेकिन वह भी सोचा नहीं गया।

वहां अफसरान तो एक बार जाकर दौरा कर लेते हैं। 20 लोगों का काफिला उनके साथ है। वे समझते हैं कि एक छोटा सा पुल अगर नीचे से बनाकर दे दिया तो उन लोगों का काम चल जायेगा। हम आपने आपको उनकी स्थिति में क्यों नहीं रखते? उनके लिए सोचें और देखें कि उनकी जरूरतें क्या हैं और जितने लोग जो उस तरफ रहते हैं, उनके लिए क्या करना है? राम दरबार इंडस्ट्रियल एरिया फेज टू का एक इलाका है जहां रेल लाइन ऊंची उठायी गयी है। इसके लिए हमने मांग की थी। लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत नहीं थी कारखानों में पानी भर जाता है। इसके लिए वे किससे फरियाद करें?

मैं इस बात के लिए आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जब आप कोई परियोजना बनाते हैं, उसके साथ-साथ जो उनके साथ संबंधित बातें होती हैं, उन बातों पर भी गौर करना चाहिए और वे जरूरतें उनको मिलनी चाहिए।

चंडीगढ़ से शिमला रेल लाइन एक ऐतिहासिक लाइन है बल्कि उसको हेरीटेज लाइन कहा जाता है। पूरे के पूरे उस तरफ के लिए इलाके के चंडीगढ़ एक गेटवे है। उससे आपको कोई राजस्व नहीं मिल सकता। लेकिन चंडीगढ़ से शिमला के साथ पहाड़ों के बीच घूमती हुई रेलवे लाइन जाती है। क्या आपको नहीं चाहिए कि आप उसका किराया कम करें। इसके लिए भी वही किराया है, बल्कि पहाड़ों में ज्यादा किराया रखा गया है। अगर हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं किराया कम करते। क्यों नहीं देखते कि लोग पूरे जोर से उस ट्रेन का इस्तेमाल करें। पूरे हिन्दुस्तान से लोग आएं और आगे शिमला पहुंचे। हम क्यों नहीं उनके लिए किराया कम करते? मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि इसके लिए किराया कम किया जाए।

पश्चिम एक्सप्रैस ट्रेन दिल्ली-चंडीगढ़ से मुम्बई तक हम लोगों के आग्रह पर चलायी गयी। लेकिन उसका कनेक्शन चंडीगढ़ से है। वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। जैसा हम दिल्ली के लिए मानते हैं कि बसें चलती हैं, वैसे ट्रेनें चला दें तब भी भरी होंगी। मैं उसको इस वक्त नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम एक्सप्रैस मैं आपने थ्री टीयर ए.सी. लगा रखा है। आप रोजाना देखते हैं कि उसमें कितनी भीड़ रहती है। क्यों नहीं आप इसका एक और डिब्बा लगा देते। मैं फर्स्ट ए.सी. और सैकिंड ए.सी. का जिक्र नहीं कर रहा। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो लोग आगे मुम्बई तक जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)*

आपके आदेश की कद्र करते हुए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि पंचकुला की दूसरी तरफ से रेलवे प्लैटफार्म बनाया गया है, वहां पंजाब और हरियाणा से लोग नौकरी के लिए चंडीगढ़ आते हैं। उनके लिए कवर्ड पार्किंग की जगह नहीं है। बहुत लोग स्कूटर से वहां आते हैं और स्कूटर वहां खड़ा करके आगे काम पर चले

जाते हैं। बहुत से लोग साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए पंचकुला की तरफ कवर्ड पार्किंग की जरूरत है। पार्किंग के संबंध में अगर हम मेन चंडीगढ़ की तरफ से हालत देखें तो वह हमारे सामने कोई अच्छी ऐसी तस्वीर पेश नहीं कर सके, जब हम चंडीगढ़ पहुंचे। इसलिए चंडीगढ़ को सुंदर बनाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। वहां की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। उस व्यवस्था को अच्छा बनाने की जरूरत है ताकि लोग आराम से वहां आ सकें और ठीक से अपना वाहन पार्क कर सकें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रख दिया है।

सभापति महोदया: ठीक है, हो गया।

***श्री राकेश सिंह** (जबलपुर): महोदया 2004-2005 की अनुदान मांग पर मेरे लोक सभा क्षेत्र जबलपुर तथा मध्य प्रदेश से संबंधित प्रस्तावों को चर्चा में शामिल करने की कृपा करें।

माननीय महोदया अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से यू.पी.ए. की सरकार इस देश में बनी है, रेल की गति को ब्रेक लग गया है। रेल के विकास से संबंधित सभी योजनायें अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही दम तोड़ती दिखायी दे रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि एन.डी.ए. सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रितत्व काल में रेल से संबंधित जितनी भी घोषणायें हुयीं थीं या विकास से संबंधित कार्य प्रारंभ हुए थे या तो उन घोषणाओं पर अभी अमल ही नहीं हुआ या उन कार्यों की जो स्थिति तत्कालीन सरकार के समय थी वह यथावत है।

माननीय महोदया वर्तमान में यू.पी.ए. सरकार के रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, में माननीय रेल मंत्री जी का पक्षपातपूर्ण रवैया स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। इसका प्रमाण है मेरे लोक सभा क्षेत्र से संबंधित वे परियोजनायें व घोषणायें, जो पूर्णतः की प्रतीक्षा में है।

महोदया पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जबलपुर से गोंदिया के बीच गेज परिवर्तन के बहुप्रतीक्षित व महत्वकांक्षी, बहुउद्देशीय कार्य को प्रारंभ किया था, उनके कार्यकाल में ही गोंदिया से बालाघाट के बीच गेज परिवर्तन का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका था तथा जबलपुर से बालाघाट के बीच के शेष कार्य को प्रारंभ किया जाना था, किंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यूपीए सरकार ने जबलपुर से बालाघाट के बीच के इस कार्य को पूरा करने में कोई रुचि नहीं दिखायी। बल्कि बालाघाट से गोंदिया के बीच के लगभग पूर्ण हो चुके कार्य को ही बजट में शामिल किया जबकि अपेक्षा यह थी कि बालाघाट से जबलपुर के बीच के कार्य को प्रारंभ करने के लिए बजट में शामिल किया जाता।

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूर्व में भी मैंने मांग की थी कि गेज परिवर्तन के इस कार्य को, जिसे अभी दक्षिण पूर्व मध्य रेल के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसका मुख्यालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में है, के स्थान पर पश्चिम मध्य रेल, जिसका मुख्यालय जबलपुर में घोषित हो चुका है, के माध्यम से कराया जाये ताकि कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके।

माननीय महोदया, पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही जबलपुर से दिल्ली के बीच सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस की घोषणा हुयी थी, जिसके संबंध में यूपीए सरकार के गठन के बाद माननीय लालू यादव जी ने भी घोषणा की थी, किंतु अभी तक भी इसे प्रारंभ करने के संबंध में कोई समय सीमा का निर्धारण रेल मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है। अतः इसे शीघ्र प्रारंभ करने एवं समय सीमा निर्धारित की जाये।

माननीय महोदया, जबलपुर से जम्मू अथवा पठानकोट, जबलपुर से पूना वाया मुम्बई, जबलपुर से बंगलौर (सीधी ट्रेन) जबलपुर से भोपाल (रात्रिकालीन), जबलपुर से हैदराबाद, जबलपुर से तिरुअनंतपुरम के बीच फास्ट रेल गाड़ियां शुरू करने हेतु विचार किया जाये।

माननीय महोदया, आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल जोन के मुख्यालय की घोषणा हो चुकी है, किंतु इसके भवन के निर्माण हेतु कोई समय सीमा तय नहीं है। इसके लिये समय सीमा का निर्धारण हो। मदनमहल स्टेशन के विस्तार की गति तीव्र की जाये। कछपुरा में नये स्टेशन के निर्माण हेतु शीघ्र निर्णय किया जाये। जबलपुर लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत कटनी देश का एक प्रमुख जंक्शन है। किंतु, इतने महत्वपूर्ण जंक्शन का स्टेशन जिस स्तर का होना चाहिए, जिस तरह की सुविधायें वहां होना चाहिए, उनका अभाव है। अतः कटना स्टेशन का नवीनीकरण किया जाना चाहिये, साथ ही कटनी की बहुप्रतीक्षित मांग ओवर ब्रिज को शीघ्र बनाया जाये क्योंकि रेल फाटक बंद रहने के कारण कटनी वासियों को 24 घंटे में से 20 घंटे परेशान होना पड़ता है।

माननीय महोदया, मैं ऐसा मानता हूं कि रेल मंत्री महोदय पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़कर इन प्रस्तावों को बजट में शामिल करने का कष्ट करेंगे।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

श्री जी. करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी): महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र बेल्लारी में कुछ लम्बित पड़ी हुई रेल परियोजनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी रेलवे द्वारा काफी उपेक्षा की गई है।

कोटटूर-हरिहरा रेल लाइन परियोजना काफी समय से लम्बित पड़ी है इसकी लम्बाई 65 कि.मी. है जिसमें 50 कि.मी. पर काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। इस लाइन पर भूमि अधिग्रहण कार्य कर्नाटक सरकार द्वारा काफी विलम्ब से चल रहा है और किसानों को क्षतिपूर्ति करने में सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा विलम्ब किया जा रहा है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कोटटूर-हरिहरा रेलवे लाइन कार्य के लिए शेष राशि उपलब्ध कराकर इस कार्य को तेजी से पूरा कराने का प्रबन्ध करे।

होसपेट से कोट्टूर रेलवे लाइन पहले मीटर गेज लाइन थी इसे 8 वर्ष पहले बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया था लेकिन घटिया किस्म का काम होने के कारण इस लाइन पर कोई गाड़ी नहीं चलाई गई है। अत: मैं इस सम्बन्ध में जांच कराए जाने की मांग करता हूं और दोषी को दण्ड दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि घटिया किस्म के काम में सुधार किया जाए। मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोभ करना चाहूंगा कि गूंटावाल से कोट्टूर तक वाया वेल्लारी और होसपेट नगरों से होकर गाड़ी चलाई जाये जोकि कोटटूर के लोगों की बहुत पुरानी मांग है।

इस वर्ष के आरम्भ में, तत्कालीन रेल मंत्री ने बेल्लारी शहर में रेल निचला पुल (आर यू बी) की नींव रखी थी जिसका पूर्व में रेल उपरिपुल (आर ओ बी) के रूप में आंकलन किया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वहां रेल उपरि पुल ही बनाया जाए जोकि अत्यन्त सुविधाजनक है और व्यवहार्य भी है। इस कार्य को अविलम्ब शुरू किया जाना चाहिए। बार-बार फाटक बन्द होने के कारण लोगों को काफी तकलीफ होती है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुम्बई से चैन्नई और चैन्नई से मुम्बई वारास्ता बेल्लारी तक नई रेलगाड़ियां चलाई जाए जहां काफी व्यावहारिक गतिविधियां चल रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिलेसिलाए वस्त्रों की फैक्टरियां है और मेरे निर्वान क्षेत्र में प्रचूर लोहा अयस्क संबंधी गतिविधियां चल रही है।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हम्पी एक्सप्रेस में बेल्लारी जिले के यात्रियों की सुविधा के लिए एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा और पांच दूसरी श्रेणी के डिब्बे जोड़े जाएं जहां हम्पी नामक विश्व विरासत केन्द्र है। इस महान स्थल 'हम्पी' में हमारे देश से पर्यटक और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं।

महोदय, 1 दिसम्बर को बेल्लारी, हुबली और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के कई भागों में यह मांग करते हुए, प्रदर्शन और-'रेल रोको' आंदोलन चलाया गया था कि दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के लोगों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए क्योंकि इस जोन के लिए हाल की नियुक्तियां करने में रेल मंत्रालय द्वारा पूर्णत: नजरअन्दाज किया गया था।

मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कनाबी वीरभद्र स्वामी मन्दिर के निकट एक उपरिपुल बनाए जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 से होकर रेल लाइन गुजरती है। वहां पर मालगाड़ियों के द्वारा अयस्क के लाने ले जाने के कारण काफी रेल यातायात होता है। इस स्थान पर बार-बार फाटक बन्द होने के कारण घन्टों गाड़ियों का जाम हो जाता है।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह 'हम्पी' तक 'पैलेस आन व्हील' रेलगाड़ी चलाने को स्वीकृति प्रदान करे जिसका प्रस्ताव काफी लम्बे समय से रेल मंत्रालय के पास लम्बित पड़ा हुआ है।

***श्री मंजुनाथ कुन्नुर** (धारवाड़ दक्षिण): सभापति महोदया, अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे) पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ मुद्दे रखूंगा।

सर्वप्रथम, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि कर्नाटक में हवेरी जिला मुख्यालय के निकट निचला पुल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की काफी पुरानी मांग और अनुरोध है। वर्षा के मौसम के दौरान यहां पानी एकत्र हो जाता है जिसमें हासपेट और बेल्लारी से आने वाले 35 टन लोहा अयस्क और अन्य सामग्रियों से लदे हुए वाहनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां पक्की सड़क भी नहीं है। इसके अतिरिक्त इसके दूसरी ओर कृषि उत्पादक विपणन समिति यार्ड स्थित है। किसानों के लिए बरसाती मौसम में विशेषकर और अन्य मौसमों में खाद्यान्नों और अन्य सामग्रियों को लाने-ले जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की मांग है कि निचला पुल की तत्काल मरम्मत की जाए अथवा हवेरी रेलवे स्टेशन के निकट यातायात को सुगम बनाने के लिए एक नया फ्लाईओवर बनाया जाए। हवेरी की

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

जनता और संसद सदयों और विधायकों जैसे कई महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों और जिला परिषद ने यह मुद्दा उठाया है लेकिन आज तक उनकी मांग पर सकारात्मक रूप से विचार नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद कर्नाटक के हवेरी जिले की चिरकलिक मांग को अविलम्ब पूरा करेंगे।

दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे कि इन्टर सिटी एक्सप्रेस गाड़ी 2627 को कर्नाटक में स्वानुर ताल्लुक में चालविंग रेलवे स्टेशन पर इस तथ्य पर ध्यान रखते हुए रोका जाए कि यावाविग रेलवे स्टेशन राज्य राजमार्ग पर स्थित है और गाडग जिला मुख्यालय के निकट है। यह हवेरी और धारवाड़ और गाडग जिलों के बिल्कुल बीचोंबीच स्थित है। यह जनता के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है। इसलिए इसका ठहराव अतिआवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी सही मांग पर ध्यान देंगे जिससे मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा।

तीसरी बात, मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि गाड़ी सं. 2627-सिटी एक्सप्रेस और गाड़ी सं. 2080 जनशताब्दी की बयाडगी कर्नाटक स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित किया जाए। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बयाडगी कर्नाटक के हवेरी जिला में स्थित तालुका मुख्यालय है, बयाडगी में उपर्युक्त गाड़ियों के ठहराव के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे। बयाडगी को इसके अंतर्राष्ट्रीय लाल मिर्च के लिए भी जाना जाता है। यहां की लाल मिर्च बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की होती है। यहां की चिली न केवल कर्नाटक में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इन गाड़ियों में बहुत से व्यापारी यात्रा करते हैं। इसलिए एक ठहराव जरूरी है।

ऐसी परिस्थितियों में बयाडगी, कर्नाटक के लोगों की लम्बे समय से लम्बित मांग को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाए।

रेल मंत्रालय के समक्ष पूरे देश की आवश्यकता को पूरा करने का एक कठिन कार्य है। मैं इसे समझता हूं। एक रेल मंत्री कर्नाटक से हैं। इसके बावजूद हमारे राज्य में रेल के नेटवर्क में बहुत सुधार नहीं हुआ। रेल मंत्रालय के समक्ष एक बड़ा कार्य है जिसे वह पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

रेल हमारे देश की सबसे बहुत महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। यह गरीबों और दलितों के लिए महत्वपूर्ण सवारी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा रेल तंत्र विश्व के सबसे बड़ा तंत्र है।

जैसा कि सभी इस बात को जानते हैं कि ऐसी बहुत सी लम्बित परियोजनाएं है जिनकी शुरुआत बहुत ही तड़क-भड़क के साथ हुई थी लेकिन उन पर कार्य कभी भी शुरू नहीं हुआ। ऐसी परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है और इस पर बहुत बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है। लेकिन इन्हें बीच में ही छोड़ दिया गया। हर व्यक्ति इस प्रकार की परियोजनाओं से अवगत है जो पूरे देश में फैली हुई है जैसे हुबली से अंकोला परियोजना। मैं रेल मंत्री महोदय से पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि वे इस बात पर ध्यान दें कि ऐसी परियोजनाएं जो वास्तव में जरूरतमंद लोगों को फायदा पहुचाती है और जिनसे वास्तव में लोगों की समस्याओं का हल करने में मदद मिलती है उनको शुरू किया जाए, उनके लिए आवंटन किया जाए और इनके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए एक समय-सीमा तय की जाए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हुबली से अंकोला जैसी परियोजनाओं को अपने पूर्ववर्ती उत्तराधिकारियों के झांसे में पड़े बिना सफलतापूर्वक क्रियान्वित करें। दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली में रेलकर्मी बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।

मैं कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। यात्री संख्या और क्षेत्र के मद्देनजर कर्नाटक को दी गई राशि अपर्याप्त है।

मेरे राज्य कर्नाटक में ऐसे कई पिछड़े क्षेत्र है जहां रेलवे नेटवर्क पहुचाना अति-आवश्यक है। यदि मंत्री महोदय वास्तव में गरीबों और समाज के उपेक्षित वर्ग की मदद करने को इच्छुक है तो उन्हें रेल तन्त्र का न केवल विशेष रूप से मेरे राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी सब जगह विस्तार करना चाहिए।

मैं इस आशा के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि माननीय रेल मंत्री उन समस्याओं को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे जिनका उल्लेख मैंने अपने भाषण में किया है क्योंकि यह मेरे क्षेत्र की लोगों की उचित मांग से सम्बंधित लम्बित मामला है और वे यथाशीघ्र इसे क्रियान्वित करेंगे। एक बार पुनः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सायं 6.44 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सायं 6.45 बजे

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2004-05—*जारी*

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): सभापति महोदया, अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) 2004-05 पर चर्चा में भाग लेने के लिए यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) के तहत मांगी गई अधिकांश निधियों का परिसम्पत्तियों, अधिग्रहण, निर्माण, प्रतिस्थापना और पूंजीगत व्यय पर न होकर सुरक्षा और विशेष रेल सुरक्षा उपायों के लिए है।

भारत में आम आदमी के लिए रेल सबसे सस्ता सामान्य परिवहन साधन है। पूरे देश में करोड़ों लोग रेल में प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इसलिए किसी भी सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह उन यात्रियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराए और इस बात का भी ध्यान रखे कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो और सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचे। इसे पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पुराने रेल पुलों और मानवरहित रेल समपारों पर बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाते समय पैदल उपरिपुलों पर भी घटनाएं हो रही है।

यह प्रशंसनीय है कि मांगी गई यह बजट उपरि रेल पुल सड़क, पुल के नीचे की सड़क, पैदल रेल पुल तथा आपस में जोड़ने वाली प्रणाली के लिए है। रेल उपरिपुल सड़क, पुल के नीचे की सड़क तथा अच्छी संकेत प्रणाली के निर्माण से दुर्घटनाओं की संख्या में सदा कमी होती है जिससे मानव जीवन, पशु और अन्य चीजों की क्षति में कमी आती है। मानवरहित फाटकों पर बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जिनसे बचा जा सके। पर इसलिए माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि वे देखें कि मानवरहित फाटकों को युद्धस्तर पर मानवयुक्त किया जाए:

जहां तक यात्री सुविधा की बात है मेरे कई साथी इस सम्बंध में बोल चुके है। मैं उन सभी की चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मरकार को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पेयजल सुविधा, स्वच्छ शौचालय, और प्रतीक्षालय, रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की मूलभूत जरूरतें हैं। यहां तक रेल सम्बंधी स्थायी समिति ने भी कुछ समय पूर्व यात्री सुविधाओं तथा सुरक्षा उपायों के बारे में टिप्पणी की थी क्योंकि यह रेलवे का कर्तव्य है कि वह यात्रियों को सुरक्षा के साथ-साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

सभापति महोदया, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने में रेल मंत्री द्वारा रुचि लेने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वे स्वयं स्टेशनों पर जा रहे है, काम का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। यह वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है। इससे दुर्घटनाओं की संख्या निश्चित रूप से घटेगी। रेल में कुल्हड़ तथा खादी का उपयोग शुरू करके उन्होंने रोजगार के लिए तरस रहे ग्रामीण कारीगरों को भी सहायता पहुंचायी है।

माल भाड़ा और अन्य बातों की हम चर्चा करें तो वैगनों की भारी कमी है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यदि वैगनों की संख्या पर्याप्त हो तो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढ़ोने में तेजी आएगी।

अब हम आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं की चर्चा करे तो नई लाइनों, लाइनों के दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, यातायात सुविधाओं, सड़क सुरक्षा के मामले में बजटीय आवंटन बहुत ही कम है। इस मामले में आंध्र प्रदेश के साथ भारी अन्याय हुआ है। रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि बजट आवंटन को बढ़ाया जाए तथा इसे दुगना किया जाए।

अपने चुनाव क्षेत्र की चर्चा करते हुए मैं एक वाक्य में कहना चाहता हूं। कई बार सर्वेक्षण किया गया। यह आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों को कर्नाटक में रायचूर से जोड़ता है। यह तेलंगाना अर्थात नालगोंडा और महबूब नगर के पिछड़े जिलों से होकर गुजरता है। ये दोनों जिले बुरी तरह से नक्सल प्रभावित जिले हैं।

यह लगभग 292 किलोमीटर की परियोजना है। इस सदन में बार-बार सरकार से पूछने पर इस परियोजना को तीन खण्डों में विभक्त किया गया है। पहले तत्कालीन माननीय मंत्री ने यह कहते हुए, कि गड़वाल और रायचूर की बीच के हिस्से को मंजूरी दी गयी थी, आश्वास्त किया था कि मचेरला और गड़वाल के बीच के शेष हिस्से पर नियत समय में कार्यवाही की जाएगी। यह लाइन मचेरला से रायचूर जाती है। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि मचरेला से नालगोंडा के हिस्से को मंजूरी दे दी गई थी और बजटीय आवंटन भी बहुत अल्प था।

जब कभी भी प्रश्न पूछा जाता है अथवा मंत्री महोदय को पत्र लिखा जाता है तो यही जवाब मिलता है कि अन्तिम अखंडन किया जा रहा है। जब परियोजना लागत 100 करोड़ रुपये की है तो मात्र 5 करोड़ रुपये देने से यह परियोजना पूरी की जाएगी। श्री पवन कुमार मंडल लुधियाना खण्ड के बारे में बता रहे थे कि यह धीमी गति से चल रही है। यदि यही गति रही तो मैं नहीं समझता कि हमारे जीवनकाल में हम इस स्थिति में यह देखने के लिए होंगे कि ये परियोजमाएं पूरी हो गई है।

अब बात करते हैं आर ओ बी और आर यू बी की। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जड़चेरला एक बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है। यहां कारोबार बहुत अच्छा है। रेलवे स्टेशन के निकट एक गेट है जो पुराने शहर और नए शहर को विभक्त करता है। जब रेल गाड़ियां वहां से गुजरती है अथवा वहां खड़ी होती है तो वहां रुकावट होती है। मैंने रेल उपरिपुल बनाने के लिए बार-बार अनुरोध किया है लेकिन शुरू नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह देखने के लिए अनुरोध करता हूं कि जड़चेरला पर एक रेलवे निचला पुल और चेनूगोंडा रेलवे गेट पर एक रेलवे उपरि पुल, जोकि महबूबनगर-डाडचेरा खण्ड पर है, और गडवाल रेलवे स्टेशन पर जोकि एक महत्वपूर्ण स्टेशन है एक रेलवे उपरिपुल का निर्माण किया जाए।

कुछ स्थानीय गाड़ियां फल्लकनुमा पर समाप्त हो जाती है और वे दो तीन घन्टे वहां रोक दी जाती हैं। हाल ही में यातायात में काफी वृद्धि हुई है क्योंकि वहां शादनगर नामक स्टेशन है जो हैदराबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर है यहां कई उद्योग स्थापित किए गए है। ये पूरे हैदराबाद शहर से लगभग जुड़े हुए है। अतः, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित कराए कि फल्लाकनुम्मा स्टेशन पर खत्म होने वाले स्थानीय गाड़ियों को महबूबनगर जिले में शादनगर तक बढ़ाया जाए। हाल ही में रेल यातायात में भी वृद्धि हुई है। गाड़ियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। यद्यपि उस स्टेशन से होकर कई गाड़ियां गुजरती है अधिकतर एक्सप्रेस गाड़ियां है। वे इन स्टेशनों पर नहीं रुकती हैं। विद्यार्थी, उद्योगपति और व्यापारी प्रतिदिन महबूबनगर-जड़चेरला से हैदराबाद आते जाते है और अतः आवाजाही के लिए अधिक गाड़ियों की आवश्यकता है।

एम एम टी एस प्रणाली को फल्लकनुमा रेलवे स्टेशन तक बढ़ाया गया था, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसे शादनगर तक बढ़ाया जाए। फल्लकनुमा से शादनगर के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि एम एम टी एस को शादनगर तक बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

डा. एम. जगन्नाथ: अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सिकन्दराबाद और पुट्टापारथी के बीच चल रही धर्मावरम एक्सप्रेस गाड़ी को महबूबनगर और जडचेरला क्षेत्रों में रोकने के आदेश दे क्योंकि वहां साईं बाबा के कई भक्त हैं। बार-बार वे धर्मावरम एक्सप्रेस को रोकने के लिए अनुरोध कर रहे हैं ताकि इससे उन्हें पुटटापारथी जाने की सुविधा मिलेगी। और वे साईं बाबा के दर्शन कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेलवे की सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर बोलने का मौका दिया। मैं महाराष्ट्र के जिस मराठवाड़ा क्षेत्र से आता हूं, वह अत्यंत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस संसद में पिछले 50 साल से ज्यादा समय से जो बजट वहां गया, वह यहां की कई सरकारों, एनडीए और यूपीए की सरकारों के माध्यम से गया है और जा रहा है। लेकिन हमारे मराठवाड़ा में एक किलोमीटर भी नई रेल लाइन नहीं बनी है। आंध्र प्रदेश के गठन से पहले मराठवाड़ा का क्षेत्र निजाम के तहत था। आजादी के बाद करीब 13 महीने के आंदोलन के बाद हमारा क्षेत्र आजाद हुआ बाद से महाराष्ट्र में शामिल हुआ। मैं आपके सामने अपने मराठवाड़ा क्षेत्र की समस्याओं को रख रहा हूं।

माननीय राज्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि मराठवाड़ा में नये प्रोजैक्ट्स बनाने की बात हुई थी, उसमें मुदखेड़-आदिलाबाद 167 किलोमीटर की लाइन है और 109 करोड़ रुपये की राशि इस लाइन को पूरी करने के लिए चाहिए। सिकन्दराबाद-मुदखेड़-जनकमपेट-बोधन 269 किलोमीटर है। हमारी जो पुरानी लाइन है मुम्बई-मनमाड़ कांचीगुड़-एक्सप्रेस वहां तक जाएगी। भोलाराम से निजामाबाद तक यह लाइन आ गयी तो हमारा यह रुट चालू हो जाएगा। इसके लिए 46 करोड़ रुपये की हमारी डिमांड है ताकि पहले का हमारा रूट चालू हो जाए।

दूसरा, अकोलापूर्ण मराठवाड़ा और विदर्भ को जोड़नेवाली 210 किलोमीटर की लाइन है जिसमें 205 करोड़ रुपये की राशि चाहिए। अगर यह राशि मिल गयी तो सारा मराठवाड़ा और विदर्भ जोड़ा जाएगा। धीरे-धीरे पैसा मिल रहा है। मिरज-लातूर माननीय गृह मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय आठवले जी का भी क्षेत्र उसमें आता है। इसको भी अगर 111 करोड़ रुपये मिल गये तो इसका कार्य भी पूरा हो जाएगा। आज के सप्लीमेंटरी बजट में कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए और कुछ सेफ्टी के लिए पैसा मांगा गया है। हम अपनी डिमांड रख रहे हैं ताकि आने वाला वर्ष 2005 का जो रेलवे बजट रहेगा, उसमें सारे मुद्दे आ जाएंगे। अधिकारियों से भी मेरी विनती है कि वे भी इस पर विचार करें। मराठवाड़ा के जो 4 प्रोजैक्ट्स हैं वे पुराने प्रोजैक्ट्स हैं। नये प्रोजैक्ट्स हैं। नये प्रोजैक्ट्स अहमदनगर-बीड-परलीबैजनाथ हैं।

सभापति जी, हमारे यहां बीड जिला ऐसा है जिसमें माननीय प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी, शिरसागर जी काकू आदि

[श्री चन्द्रकांत खैरे]

सबके एरियाज हैं लेकिन अभी तक वहां रेल नहीं है। परली एक देवस्थान भी है, उसके लिए धीरे-धीरे पैसे मिल रहे हैं। उसमें अभी 120 करोड़ रुपये मिले थे। उसके पहले 301 करोड़ रुपये सभी प्रोजेक्टस को मिले थे। अभी तक उसमें 421 करोड़ रुपये मिले हैं लेकिन हमें कुल 795 करोड़ रुपये चाहिए ताकि मराठवाड़ा के सारे प्रोजैक्ट्स पूरे हों। इसके लिए हमने एजीटेशन भी किए हैं। माननीय गोविंद भाई श्राफ जोकि स्वतंत्रता सेनानी थे, शंकर रावजी ने भी इसके लिए एजीटेशन किया था। मराठवाड़ा विभाग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अगर 795 करोड़ रुपये हमें मिल गये तो हमारे मराठवाड़ा के पांचों प्रोजैक्ट्स पूरे हो सकते हैं।

सभापति जी, मेरा विभाग साउथ-सेंट्रल रेलवे में है और मराठवाड़ा साउथ-सेंट्रल रेलवे नादेड़ डिविजन में है। हमें यह नहीं चाहिए। हमें जो मराठी स्पीकिंग एरिया सेंट्रल रेलवे है वह जोड़ना चाहिए। उसके लिए कई वर्षों से हमारी मांग है। हमने माननीय ममता जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को भी बोला था। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कैबिनेट में प्रस्ताव रखेंगे। बिहार में वहां जोन का झगड़ा चल रहा था। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि झगड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए यह मत करिये। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि साउथ सेंट्रल-रेलवे में से निकालकर मराठी स्पीकिंग को सेंट्रल रेलवे में करिये क्योंकि सेंट्रल रेलवे का मध्यवर्ती कार्यालय मुम्बई में है और मुम्बई से सारे कांटैक्ट्स रहते हैं। इसलिए कई वर्षों से हमारी मांग है कि उसमें आप ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिए।

दूसरी बात यह है कि नादेड़ डिविजन होने के बाद वहां जो 20 हजार लोगों की रिक्रूटमेंट होने वाली है और इंटरव्यू सिकंदराबाद में होने वाला है उसको सारे पेपर्स में छपवा दिया, ऐसी में झगड़ा होने के लिए दे दिया। मराठवाड़ा के लोग भूमिपुत्र हैं, मराठी-स्पीकिंग लोग हैं, क्या उनको नौकरी चांस नहीं मिलेगा? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए भी रेलवे में जगह होनी चाहिए। शिवसेना का नाम उसमें घसीटा गया।

सायं 7.00 बजे

माननीय ठाकरे जी ने भी इस बात से इंकार किया था कि हमने बिहारी पर हमला नहीं किया लेकिन मराठी भूमि पुत्रों को रेलवे में नौकरी मिलनी चाहिए।

हमारे यहां नई रेल चलाने की भी बात है। मनमाड से तिरुपति नई रेलगाड़ी चलाने की मांग है। वहां के डीआरएम और जी.एम. ने कहा था कि 2-3 महीने में यह काम हो जाएगा। हमारे यहां के मंत्री ने भी कह दिया था कि यह काम हो जाएगा लेकिन काम नहीं हुआ। नई ट्रेन नांदेड़ से अहमदाबाद तक चालू करने की बात थी। 2008 में बहुत बड़ा सिख समुदाय का सम्मेलन मराठवाड़ा इलाके के नांदेड़ में होने वाला है। सचखंडे एक्सप्रेस जहां से शुरू होती है वहां यह सममेलन होने जा रहा है। नांदेड से पटना साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए एक ट्रेन होनी चाहिए। यदि लालू जी यहां होते तो अच्छा होता। इस सम्मेलन में पूरे विश्व के सिख आने वाले हैं। वहां बहुत अच्छा धार्मिक उत्सव होने वाला है। केन्द्र सरकार ने भी इस काम के लिए सौ करोड़ रुपए दिए हैं। मैं वहां से नई रेलगाड़ी चलाने की मांग करता हूं। हमारे यहां से शताब्दी एक्सप्रेस चलाने की बहुत मांग है। सम्भाजी नगर और औरंगाबाद जो मेरा क्षेत्र है। वहां से मुम्बई के लिए शताब्दी एक्सप्रेस चालू की जाए। सचखंडे एक्सप्रेस दिल्ली तक आती है। उसमें हम लोग आते हैं लेकिन वह केवल पांच दिन चलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय अटवाल जी हमारे यहां नांदेड़ आए थे। वह सम्भाजी, नगर औरंगाबाद भी आए थे। सभी लोगों ने उनसे कहा था कि संचखंड़े एक्सप्रेस जो पांच दिन चलती है, उसे सात दिन किया जाए। लाटूर-मुम्बई जो होम मिनिस्टर का एरिया है वहां से भी ट्रेन सात दिन चलनी चाहिए। उसमें एसी टू टायर का डिब्बा होना चाहिए। ऐसे में हम कैसे यात्रा करेंगे?

मेरे यहां मुकंदवाड़ी स्टेशन नया बना है। इसे हमारी सरकार ने मंजूर किया लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है। वहां पूरी सुविधाएं प्रदान की जाए। वहां दो लाइनें डालने की बात है। इसके लिए कई वर्षों से आन्दोलन चल रहा है। शोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद, बीड, पैठन, सम्भाजी नगर, सिलौड, अजन्ता, जलगांव में भी नई लाइनें बिछाने का बात है। शोला पुर से जलगांव लाइन बिछाने के बारे में 50 सालों से मांग है। आप इसका सर्वे करें और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें।

मैं रोटेगांव, पुनतांवा, शिरडी की बात भी कहना चाहता हूं। हैदराबाद से जितने लोग शिरड़ी के लिए आते हैं, वह इससे सीधे जा सकते हैं। इसके साथ ही जालना, खामगांव की भी बात है। आप उस काम को भी करें। मैं यहां की लाइन का इलैक्ट्रिफिकेशन करने की बात कहना चाहता हूं। आप सप्लीमैंटरी डिमांड्स में मनमाड से नांदेड़ का इलैक्ट्रीफिकेशन जल्दी करिए। इसके साथ ही मनमाड से नांदेड़ का रास्ता टू-वे करिए। अभी हाल ही में वहां बहुत बड़ा एक्सीडैंट हुआ था जिससे दो दिन तक रेलें बंद रहीं। भगवान की अच्छी कृपा से सब लोग बच गए लेकिन रेलवे का काफी नुकसान हुआ। हमने मांग की थी कि वह टू-वे होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने इनके लिए पैसा भी दिया था। मैं लालू जी और दोनों राज्य मंत्रियों को कहना चाहता हूं कि मराठवाड़ा एक पिछड़ा इलाका है। वे वहां का विकास करें। वहां के लोग आपका नाम हमेशा लेते रहेंगे।

[अनुवाद]

***श्री अब्दुल्लाकुट्टी** (कन्नानौर): आदरणीय महोदया, निम्नलिखित मद को चर्चा में सम्मिलित किया जाए। एफ सी आई गोदाम के लिए बैगनों की व्यवस्था करना।

हाल ही में रेलवे बोर्ड ने निर्णय किया है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के लिए रेक की पूरी क्षमता होने पर ही बैगनों को दिया जाएगा। इस निर्णय के पश्चात् भा.खा.नि. के अनेक गोदामों की गतिविधियां रुक गयी है। महोदय केरल में पूरी रेक सुविधा 22 गोदामों में से केवल 5 में ही उपलब्ध है।

महोदया, इस मुद्दे पर तुरन्त पुनः विचार किया जाना चाहिए कोई भारतीय खाद्य निगम हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक प्रमुख पद्धति है। महोदय, रेलवे बोर्ड का निर्णय लाभकारी उद्देश्य से लिया गया है।

महोदया, भा.खा.नि. गरीब लोगों को दिए जाने वाले खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस जनविरोधी निर्णय को वापस ले।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): माननीय सभापति महोदय, रेलवे अनुदान मांगों पर इस समय बहस चल रही है और मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, रेलवे यातायात किसी भी देश की व्यवस्था का दर्पण होता है। भारत जैसे विशाल देश में रेलवे अनेकता में एकता स्थापित करती है। रेल हमारे देश की पूंजी है। वर्तमान बजट में झारखंड प्रदेश को एक भी रेल लाइन देने का प्रस्ताव नहीं है। कोई आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण, फेरों में वृद्धि की भी योजना झारखंड प्रदेश की रेल योजना में नहीं है। निश्चित रूप से रेल मंत्री का काम करने का अंदाज अलग है और हमें भरोसा है कि निवर्तमान सरकार की तरह इसे घोषणाओं का मंत्रालय नहीं कहा जाएगा। मुझे विश्वास है बिहार से हम लोग झारखंड प्रदेश में अलग हुए, हम लोगों का यह संबंध बड़े भाई और छोटे भाई की तरह रहेगा। चूंकि हमारे माननीय मंत्री श्री लालू जी रेलवे मंत्रालय संभाल रहे हैं, वे उस प्रदेश के बारे में भली-भांति जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले बजट भाषण में मैंने दस मांगें वहां के लिए दी थीं। उन मांगों को रेल विभाग को उच्चाधिकारियों के अवलोकनार्थ मैंने प्रस्तुत किया था और जनहितों के सवालों को लेकर मैं तीन बार उनसे मिला था। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम जनप्रतिनिधि जनता के कार्यों को लेकर उच्चाधिकारियों के पास जाते हैं, यदि उसका उत्तर लिखित रूप में नहीं मिलता है तो बड़ा दुःख होता है। क्या यह कार्य संसदीय लोकतंत्र की सेहत के प्रतिकूल नहीं है? इसीलिए मैंने पिछले प्रस्ताव में बहुत बड़ी मांग नहीं की। झारखंड प्रदेश निर्माण के बाद उत्तर गंगा नदी से रांची मुख्यालय, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वहां तक जाने के लिए मात्र एक गाड़ी वनांचल एक्सप्रैस है। वनांचल एक्सप्रैस सप्ताह में तीन दिन चलती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साढ़े पांच सौ किलोमीटर के क्षेत्र के लोगों को रांची मुख्यालय जाने के लिए कितनी तकलीफ और कष्ट उठाने पड़ते हैं। मैंने यही कहा था कि कम से कम उस फेरे को प्रतिदिन किया जाए और रांची से उस गाड़ी के डिपार्चर का समय संध्या पांच या छः बजे कर दिया जाए। इससे उस इलाके के लोगों को काफी लाभ होगा। परंतु छः महीने बीतने के बाद भी उस फेरे में परिवर्तन और प्रतिदिन करने की बात तो दूर रही, उस आवेदन पर क्या हुआ, इसकी भी कहीं कोई सुध नहीं ली गई। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इतने दंबग मंत्री के मंत्रालय में यह हालत है तो जनप्रतिनिधियों का क्या होगा। मैं कहना चाहूंगा कि उस प्रदेश में जो वनांचल एक्सप्रैस है, वह पूरे उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं को जोड़ने वाली गाड़ी है। वह बिहार प्रांत के चार-पांच जिलों को भी उस प्रदेश में जोड़ रही है। अगर इतना मुख्य गाड़ी को भी प्रतिदिन नहीं किया गया तो हमें लगता है कि हम लोग जनता के साथ अन्याय करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि वनांचल एक्सप्रैस गाड़ी का नाग-1855 में उस इलाके में सिद्दोह कान्हू जैसे नायक के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था और वहां कम से कम दस हजार से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे-परिवर्तित कर सिद्दोह कान्हू कर दिया जाए अन्यथा उनके जन्मस्थल भोगनाडीह के नाम से कर दिया जाए। भागलपुर जो बिहार में आता है, वहां से जाने के लिए जो लूपलाईन है, वह गुवाहाटी और कोलकाता को जाती है।

भागलपुर-बड़हरा के बीच अंग्रेजों के समय पटरी बिछाई गई थी जो आज भी है, उसके दोहरीकरण किये जाने की आवश्यकता है। चूंकि इस रेल खंड पर काफी गाड़ियां चलती है, इसलिये मैंने इसके दोहरीकरण किये जाने की मांग की है।

सभापति महोदया अभी राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा कह रहे थे कि भागलपुर से दिल्ली के लिये एक गाड़ी कर दी जाये। हमारी मांग है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस को साहेबगंज से जोड़ा जाये ताकि जो इलाका उपेक्षित है, उसके जुड़ जाने से सभी यात्रियों को लाभ होगा। साहेबगंज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है लेकिन आज उजड़ चुका है। साहेबगंज और राजमहल की धरोहर ध्वस्त हो रही है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये।

सभापति महोदया 'आन गोईंग स्कीम्स' के अंतर्गत भागलपुर-रामपुर-जसीडीह-दुमका रेल मार्ग का निर्माण कार्य बहुत ही मंथर

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्री हेमलाल मुर्मू]

गति से चल रहा है। इस कार्य में गति लाने की आवश्यकता हैं। माननीय रेल मंत्री जी बैठे हुये हैं। उनसे आग्रह है कि वह इस संबंध में निश्चित रूप से सोचें। चूंकि झारखंड में गोड्डा जिले के अंतर्गत रेल लाइन नहीं है, इसलिये पीरपैंती से जसीडीह को रेल लाइन से जोड़े जाने की कृपा की जाये।

सभापति महोदया आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एम मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर): मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात तुमकुर, कर्नाटक में शुरू किए जाने वाले रेल कार्यों के सम्बन्ध में सभा का ध्यान नीचे दी गई सूची की ओर दिलाना चाहता हूं:

1. तुमकुर से दावनगेर (अर्थात तुमकुर-सीरा-हीरीचूर-चित्रदुर्ग-देवेनगेर) के बीच सीधी रेल लाईन की अविलम्ब आवश्यकता है। विद्यमान रेल लाइन मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के यात्रियों के लिए अत्यन्त लम्बी यात्रा है। अतः तुमकुर से दावनगेरे के बीच सीधी रेल लाइन का निर्माण किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है इससे विद्यमान रेलवे लाइन से लगभग 50 कि.मी. की कम यात्रा करनी पड़ेगी।

2. प्रस्तावित दोहरी रेलवे लाइन कार्य प्रक्रियाधीन है। पिछले 10 वर्षों (अर्थात जब जाकर शरीफ, रेल मंत्री थे) में उसे मंजूरी दी गई थी इसे पूरा किया जाना शेष है। बंगलौर से तुमकुरीन सीधी लाइन का दोहरीकरण किये जाने का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित है कि निम्नलिखित स्टेशनों अर्थात (1) बानावारा (2) डोड्डाबेली (3) निंडू बंदादा (4) भालामंदरा (5) जुब्ली (6) नित्तरू (7) सेम्पेज (8) बाणसन्द्र (9) तिप्तूर (10) कोहासंदरा (11) हीराहेली पर प्रतीक्षालयों में समुचित आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं अर्थात पेयजल, शौचालय आदि भी नहीं है। इन स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इन स्टेशनों पर प्रतिदिन हजारों यात्री आते है और उन्हें इन स्टेशनों पर घंटों इन्तजार करना पड़ता है जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह प्रस्तावित है कि कठिनाईयों की गम्भीरता का पता लगाया जाए और उपरोक्त बनाए गए रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकृत करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं।

4. नितूर-रामपुर के सेम्पेज के बीच नया रेलवे स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है। नितूर से रामपुर 6 कि.मी. की दूरी पर है और रामपुर से सेम्पेज 6 कि.मी. पर है अतः यह प्रस्तावित है कि रामपुर पर एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जाए। इस क्षेत्र के लोगों के पास यातायात की कोई सुविधा नहीं है इस क्षेत्र में बस सुविधा नहीं है। अतः एक नए रेलवे स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया जाता है जहां इस क्षेत्र के लोगों के प्रयोग के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो।

5. क्यातसन्द्र रेलवे स्टेशन बहुत छोटा स्टेशन है और लोगों को दिन-प्रतिदिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। क्यातसन्द्र रेलवे स्टेशन पर पांच मिनट गाड़ियों को रोकने का प्रस्ताव है। इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा। यहां पर सिद्धगंगा मठ स्थित है अतः प्रस्ताव किया जाता है कि क्यातसन्द्र रेलवे स्टेशन पर पांच मिनट ठहराव का समय दिया जाए।

श्री अनवर हुसैन (धूबरी): धन्यवाद महोदया, मैं श्री लालू प्रसाद जी को रेल मंत्री के रूप में पिछले छः माह के कार्यकाल के दौरान उनके कार्य प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस बात का संकेत किया है कि वे हमारी नेता, श्रीमती सोनिया गांधी के भारतीय रेल को विश्व में प्रथम स्थान पर लाने के सपने को साकार करेंगे। मैं अनुदान कि अनुपूरक मांगों (रेलवे) का समर्थन करता हूं और अब मैं विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहूंगा।

इन अनुपूरक अनुदान मांगों में सामान्यतः यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा पर बल दिया गया है। स्मरणीय है कि कुछ माह पूर्व बिहार में कुछ बिना टिकट यात्रियों ने असम की कुछ महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ छेड़छाड़ की। असम में इसको लेकर काफी शोर-शराबा हुआ और इस घटना के विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन हुए।

मैं मंत्रालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि जब कभी पूर्वोत्तर क्षेत्र के यात्री बिहार में जाते हैं, तो इस तरह के शरारती तत्व उन पर अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं। आरक्षण तथा उचित टिकट होने के बावजूद भी इन लोगों से बलपूर्वक रेलगाड़ियां अथवा सीटें खाली करवायी जाती हैं। इस तरह की घटनाएं वहां पर निरंतर जारी है चूंकि संरक्षा और सुरक्षा को सर्वाधिक बल दिया गया है, मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि आगे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के यात्रियों को प्रताड़ित न किया जाये अथवा उन्हें गाड़ियों से बाहर न निकाला जायें।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

महोदया, मैं अभी मुख्य विषय पर नहीं आया हूं। दूसरा विषय बेरोजगारी के संबंध में हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे युवक और युवतियों को झाड़ूदार, सफाई वाला, खल्लासी, चपरासी और यहां तक की चौकीदार जैसे पदों पर भी नौकरियों के योग्य भी नहीं समझा जाता इन पदों पर भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों को नियुक्त किया जाता है। इस संबंध में वहां पर व्यापक असंतोष है।

अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क की सुविधा सबसे कम है और जम्मू कश्मीर पर भी यही बात लागू होती है। अविकसित क्षेत्र होने के कारण ही वहां आतंकवाद पनपा है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि नौकरियां देने के संबंध में ही उपेक्षा बरती गयी तथा रेल के संबंध में भी अनदेखी की गयी है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कुछ सामाजिक समस्याओं के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर और अन्य स्थानों पर विद्रोह पनपा है मैं आपके माध्यम से मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे यह देखें कि वर्ग 'ग' और 'घ' के पदों पर होने वाली नियुक्तियां मंडलवार की जायें न कि जोन-वार।

हम यह भी मांग करते हैं कि वर्ग 'ग' और 'घ' में नियुक्तियां पूर्वोत्तर क्षेत्र से ही की जायें, यदि वहां पद रिक्त हैं तो सभी पदों पर उस क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को आरक्षण दिया जायें।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय जिसे 1998 से कई बार दोहराया गया है, वह यह है कि कुल बजट आबंटन की 10 प्रतिशत राशि पूर्वोत्तर को दी जानी है। यह 1998 से यह एक सांत्वना मात्र रहा है। जबकि रेलवे ने अपने कुल बजट आवंटन का 10 प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र को आज तक नहीं दिया है, जबकि हमारे माननीय राष्ट्रपति ने दोनों सभा के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि क्षेत्रीय असंतुलन ऐतिहासिक अनदेखी के कारण पैदा हुआ है। 1998 में तत्कालीन एन.डी.ए. सरकार ने आश्वासन दिया था कि कुल बजट आवंटन की 10 प्रतिशत राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र को जायेगी। यद्यपि यह समय इस विषय को उठाने का नहीं है क्योंकि बजट अधिवेशन आने वाला है। मैं रेल मंत्री से आग्रह करुंगा कि वे इस आश्वासन का कड़ाई से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत राशि आवंटित की जाएगी।

महोदया, गुवाहाटी आठ पड़ोसी राज्यों का मुख्य प्रवेश-द्वार है। यह आठ अन्य राज्यों का दूसरा मुख्यालय है। मैं यह मांग करता हूं कि गुवाहाटी में एक नया जोन मुख्यालय स्थापित किया जाये। यद्यपि रेल मंत्री ने ऐसा करने के लिए कुछ मानदंडों की बात कही है, वे मानदंड क्या हैं?

आवश्यकता अनुसार इन मानदंडों में परिवर्तन होता है। मैं मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वो इन मानदंडों में फेर-बदल करें और गुवाहाटी को यथाशीघ्र जोन मुख्यालय घोषित किया जाए।

मैनागौरी और जोगीघोपा नई रेल लाइन के निर्माण का कार्य जारी है। गोलकगंज और कनूरी को जोड़ने वाली इन रेल लाइन पर गंगाधर नदी के ऊपर एक पुल है। कुछ वर्षों पूर्व आयी बाढ़ से इस पुल को नुकसान पहुंचा था जिसके कारण यह बेकार हो गया था। इन दोनों स्थानों का शेष भारत से कोई सम्पर्क नहीं है। रेल विभाग ने इसे हटाने और नीलाम करने का निर्णय लिया है। लोग न्यायालय में गये। न्यायालय ने इस वर्ष 21 अप्रैल को अपने आदेश में इस संबंध में कहा कि पुल को विखंडित नहीं किया जायेगा, इसे हटाया नहीं जायेगा, इसकी नीलामी नहीं की जायेगी बल्कि पुल रेल और सड़क दोनों सुविधाओं के साथ इसका पुनर्निर्माण किया जायेगा।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान न्यायालय के आदेश की ओर दिलाना चाहता हूं और यह मांग करता हूं कि पुल का सड़क तथा रेल दोनों सुविधाओं के साथ पुनर्निमाण किया जाये जिससे कि न्यायालय की अवमानना से बचा जा सके।

[हिन्दी]

***श्री हरिभाऊ राठौड़** (यवतमाल): महोदया, रेलवे पर केन्द्रीय सरकार के खर्च के लिए अनुदान की पूरक मांगें रखी गयी हैं। सर, आपके माध्यम से मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं और रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज रेलवे का मतलब "विकास"। अगर रेलवे नहीं है तो विकास के चान्सेस बहुत कम नजर आते हैं। मेरा क्षेत्र, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश इस चार ही राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी रेलवे से जोड़ने का काम आज तक नहीं हुआ है। अगर मूर्तिजापुर और नांदेड़ के बीच एक नयी रेल लाइन बिछायी जाती है और इसी तरह वर्धा से नांदेड़ वाया यवतमाल अगर ये जोड़ा जाता है तो भविष्य में यवतमाल का एक जंक्शन बन सकता है और ये चारों राज्यों को जोड़ने वाला स्टेशन साबित हो सकता है। सबसे पहले रेलवे मंत्री जी माननीय लालू प्रसाद यादव जी, इनका मैं आभारी हूं, जिन्होंने इस अनुदान की पूरक मांगों द्वारा मेरे चुनाव क्षेत्र का काम शुरू करवाया। वणी और पिम्पलखुटी में पैनल इंटरलोकिंग यात्री सेवायें शुरू करने के लिए दूरसंचार सिंग्नल और दूरसंचार सेवायें इनके लिए भी उचित धनराशि का प्रावधान कर दिया गया। मुझे खुशी हो रही है, इस प्रावधान से मांजरी, आदिलाबाद सेक्सन को यात्री सेवाओं के लिए उपयुक्त बनाने में किया जा रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब भी कोई रेलवे स्टेशन या गांव का नाम सरकारी दस्तावेज में लिखा जाता है तो हिन्दी में सही ट्रांसलेसन

---

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री हरिभाऊ राठौड़]

होता नहीं। आज के इस पूरक मांगों में पेज नं. 4 का मुदखेड़ आदिलाबाद को मुडखेड़ आदिलाबाद ऐसा दर्शाया गया है। इस लोकेशन का अंग्रेजी में नहीं देखा गया तो लोकेशन या गांव स्टेशन के नाम समझने के बाहर हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। अनेक देशवासियों को नाम की वजह से कठिनाई महसूस होती है। मेरा आग्रह है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दें और देशभर में जहां कहीं नाम की कठिनाई पैदा हुयी है वो दुरुस्त करें।

माननीय रेल मंत्री जी इनके एक वक्तव्य मैंने सुनी थी कि पूरे वर्ल्ड में रेल को भारतीय रेल में नम्बर एक पर ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेरे जैसे चुनाव क्षेत्र में अनेक लोगों ने अभी तक रेल ही नहीं देखी। ऐसे पूरे देश में बहुत सारे डिस्ट्रिक हैं, जहां रेल अभी पहुंची नहीं। अगर हम वर्ल्ड में भारतीय रेल को नम्बर एक पर देखना चाहते हैं तो मेरा आग्रह रहेगा कि जहां अभी तक रेल पहुंच नहीं सकी, वहां रेल पहुंचाने का काम कीजिए। मेरे क्षेत्र में ब्रिटिश के जमाने से एक छोटी सी नेरोगेज रेल चलती आ रही है, उसका नाम लोगों ने शकुन्तला रखा है, लेकिन इस शकुन्तला पर किसी का ध्यान ही नहीं है। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी लालू यादव जी से मांग करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चलने वाली शकुन्तला का ब्राडगेज करें।

मुम्बई में चलने वाली लोकल ट्रेन मुम्बई की रक्तवाहिनी है और इसी मुम्बई में ट्रेन में सफर करने वाले हमारे भाई बहन बहुत परेशानी से सफर करते हैं। ट्रेन की आवागमन बढ़ाकर मुम्बई की लाखों जनता को होने वाली तकलीफ को दूर करिये।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि लोक ट्रेनों में पहले दर्जा के डिब्बे में महिलाओं के लिए 14 सीटों का आरक्षण रखा है। वास्तव में इस डिब्बों से 14 सीटों के अलावा 200 महिलायें एक डिब्बे में एक साथ प्रवास करती हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए आरक्षित सैकेंड क्लास के डिब्बों में भी पर्याप्त सीटें उपलब्ध नहीं हैं। उस पर भी सरकार ध्यान दें।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): माननीय सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे याद है कि जब मैं रेल बजट पर बोल रहा था तो काफी देर रात को बोलने के लिए समय मिला था। मैंने उस समय भी ऐसी दो-तीन मांगें रखी थी जिन पर रेल मंत्रालय का कोई खर्च न आए, लेकिन छः महीने बीत जाने के बाद भी कोई मांग पूरी नहीं की गई।

महोदय, मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब से होने के नाते मुझे खुशी हुई जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री बने और लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने क्योंकि बिहार से बहुत से लोग लेबर के रूप में काम करने के लिए पंजाब में आते हैं। लेकिन इन दोनों ने ही पंजाब का कोई ख्याल नहीं रखा। जब रेल मंत्री ने यह बात कही कि धार्मिक स्थानों को जोड़ा जाएगा, तब भी हमें आशा बंधी थी कि पंजाब के श्री अमृतसर और श्री आनंदपुर साहिब जो बहुत धार्मिक स्थान हैं, जहां पर दुनिया अपना सिर झुकाती हैं उनको जोड़ा जाएगा, लेकिन वह भी अभी तक नहीं जोड़ा गया है। पंजाब में रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। वहां रेल के डिब्बे बनते हैं जो पंजाब सभी प्रदेशों को देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि मैंने उस समय एक मांग रखी थी कि मेरा गांव जेजों एक पिछड़ा हुआ इलाका है जो होशियारपुर में है, जिसको कभी मिनी लाहौर कहा जाता था, लेकिन समय के साथ वह गांव उजड़ गया है। आज भी आर्मी में बहुत से लोग उस गांव से हैं। यह गांव हिमाचल और पंजाब के बार्डर पर बसा हुआ है। वहां से एक डीएमयू जेजों से जालन्धर चलती है। अगर एक डिब्बा दिल्ली के लिए उसके साथ लगा दिया जाए तो हिमाचल और पंजाब दोनों को फायदा हो सकता है। रास्ते में बड़े स्टेशन भी आते हैं जैसे नवांशहर, बंगा, फगवाड़ा, जहां से काफी सवारियां उस डिब्बे के लिए मिल सकती हैं। वहां के लोग काफी धार्मिक ख्यालों के हैं और हरिद्वार जाते रहते हैं। होशियारपुर से एक डीएमयू जालन्धर के लिए चलती है और एक डिब्बा दिल्ली के लिए चलता है। अगर एक डिब्बा उसमें हरिद्वार के लिए लग जाए तो सरकार का इसमें कोई खर्च नहीं आने वाला है लेकिन लोगों को इससे सुविधा होगी और सरकार का रेवेन्यू काफी बढ़ सकता है।

मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में दसुआ एक रेलवे स्टेशन है। वहां से दो गाड़ियां स्वराज एक्सप्रैस और जम्मू-तवी एक्सप्रैस निकलती हैं।

सभापति महोदया, वह बड़ा स्टेशन है। वहां बिना रुके वे गाड़ियां आगे चली जाती हैं। वहां आमी का एक सेंटर भी है। आर्मी के काफी लोग उस स्टेशन को यूज करते हैं, लेकिन इन गाड़ियों को पकड़ने के लिए उन्हें तथा आम जनता को वहां से 35 किलोमीटर दूर जालंधर या 20 किलोमीटर दूर मुकेरियां जाना पड़ता है। अगर उन गाड़ियों का थोड़ा सा ठहराव दसुआ में हो जाए, तो इससे वहां के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी।

महोदया, वहां एक फाटक है-सी 87 वह फाटक शाम को 6.00 बजे बन्द कर दिया जाता है और जो फाटक के मालिक हैं, सुबह जब उनकी मर्जी होती है, तब उसे खोलते हैं। उसके कारण लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि यदि वह

फाटक चौबीसों घंटे खुला रखा जाए। ऐसा होने से दसुआ के लोगों को बहुत सुविधा होगी।

महोदया, इसी प्रकार से आनन्दपुर साहब के निकट खटेटां नामक स्थान पर एक रेलवे फाटक है। वह सिर्फ वी.आई.पी. लोगों या वहां जो बी.बी.एम.बी. के लोग हैं, उनके लिए खोला जाता है। जिन वी.आई.पी. लोगों की गाड़ी पर लाल बत्ती लगी होती है, वह फाटक उन्हीं के लिए खोला जाता है। बाकी लोगों के लिए नहीं खोला जाता है। उस फाटक को आम आदमियों के आने-जाने हेतु खोलने के लिए मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा था। उनका उत्तर भी आया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वह फाटक नहीं खोला जा रहा है। उस फाटक से 15 गांवों के बच्चे स्कूल जाते हैं। इतने गांवों के किसानों को अपनी फसल लेकर बाजार जाने के लिए काफी बड़ा चक्कर काटना पड़ता है। उन्हें लगभग 15 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। अगर यह फाटक आम जनता के लिए भी खुल जाए, तो लोगों को बहुत सुविधा हो सकती है।

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): यह रेलवे फाटक कहां है?

श्री अविनाश राय खन्ना: यह फाटक आनंदपुर साहब के पास डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में है।

सभापति महोदया: खन्ना जी, अब आप समाप्त करिए। आपने अपने पाइंट्स के बारे में बोल दिया है।

श्री अविनाश राय खन्ना: सभापति महोदया, मैं केवल पाइंट ही रख रहा हूं।

इसी तरह मेरी एक रिक्वैस्ट है कि स्वर्ण शताब्दी दिल्ली से अमृतसर के लिए चलती है और दूसरी एक शताब्दी चलती है। हम चार-पांच सासंद उस गाड़ी में जाते हैं, लेकिन वह गाड़ी फगवाड़ा नहीं रुकती। हमें उन गाड़ियों को पकड़ने के लिए जालंधर जाना पड़ता है। वह हमारी कांस्टीट्यूएंसी का महत्वपूर्ण स्टेशन है, लेकिन वहां भी वे गाडियां नहीं रुकती हैं।

महोदया, मैं रेलवे से खर्चा नहीं कराने की बात कर रहा हूं। रेलवे को थोड़ा सा अपनी गाड़ियों के परिचालन समय में बदलाव करने से बहुत लोगों को रेलों की बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाएगी। अगर इन दोनों शताब्दियों का ठहराव फगवाड़ा में कर दिया जाए, तो उससे लोगों को बहुत फायदा हो सकता है।

महोदया, मैं एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा। अब मैं रेलों में सप्लाई किए जाने वाले खाने के बारे में कहना चाहता हूं। शताब्दी रेलगाड़ियों में जो खाना दिया जाता है, वह ठीक नहीं होता है। इसमें जो घटना मेरे साथ घटी, मैं उसके बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं संभवतः दिनांक 10-11-2004 को शताब्दी में यात्रा कर रहा था। सुबह 7.20 बजे की बात है। जब वह गाड़ी चली, तो इसमें जो नाश्ता दिया गया, उसमें एक फारेन आब्जैक्ट था, एक स्टोन था। मैं देखा कि उस दिन उस गाड़ी में काफी फारेन टूरिस्ट थे। इसलिए मैंने उस समय वहां कुछ कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि उससे हमारी रेलवे की ही बदनामी होती, लेकिन मैंने टी.टी.ई. को दिखाकर पूछा कि यह क्या है, तो उसने भी बताया कि सर, यह स्टोन है। मेरा आग्रह है कि इस केस की जांच कराई जाए। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं दुबारा न हों और इस प्रकार से रेलवे की बदनामी न हो। इन गाड़ियों में बहुत महंगी यात्रा होती है। काफी पैसे उन्हें टिकट के रूप में देने पड़ते हैं और यदि उन्हें इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा या उन्हें खाना ठीक प्रकार का नहीं दिया जाएगा, तो इससे रेलवे की बदनामी होगी।

महोदया, मेरी एक अंतिम डिमांड और है। मैं जिस जिले में सांसद हूं उससे केवल चार सांसद हैं, जिनमें से तीन राज्य सभा में हैं और मैं अकेला लोक सभा में हूं, लेकिन एक भी गाड़ी दिल्ली से वहां नहीं जाती। वहां ट्रैक बना हुआ है। रेलवे को ट्रैक भी नहीं बनाना पड़ेगा। यदि होशियारपुर से जालंधर का ट्रैक यूज कर के एक गाड़ी वहां के लिए दे दी जाए, तो उससे रेलवे को बहुत फायदा होगा और स्थानीय लोगों को बहुत सुविधा मिलेगा। वहां बहुत इंडस्ट्रीज हैं। इसलिए उस गाड़ी में काफी रश रहेगा। मेरा निवेदन यह है कि यदि एक गाड़ी वहां से दिल्ली के लिए लगा दें, तो उससे बहुत बड़ा काम वहां के लिए हो जाएगा और रेलवे की बहुत बड़ी सुविधा वहां के लोगों को मिल जाएगी।

महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई** (शिवकाशी): सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं शिवकाशी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे इस माननीय सभा में चुनकर भेजा है और निश्चित रूप से हमारे नेता वाइको जिन्होंने मेरे लिए इसे सम्भव किया है। अब मैं सभा के समक्ष रेल मंत्रालय की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में चर्चा पर अपना पहला भाषण देना चाहता हूं। मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

---

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई]

मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू और वेलु द्वारा किए गये जा रहे उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण कार्यों की इस सभा में भरपूर सराहना करना चाहूंगा। मैं उनकी सराहनीय उपलब्धियों के दो उदाहरण देता हूं और उसके पश्चात् मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की मांगें आपके समक्ष रखूंगा।

चेन्नई से ताम्बारम के मध्य मीटर गेज रेल खंड और विद्युत रेल सेवा जिसे 73 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने आरम्भ किया था, यात्रियों को बिना कष्ट दिये 120 दिनों के भीतर ही इसे ब्राड गेज में परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने अपने वायदे को पूरा किया और सार्वजनिक रूप से की गयी घोषणा को निश्चित समय सीमा में पूरा कर दिया है। रेल देश का सरकारी क्षेत्र का विशाल उपक्रम है और इन्होंने अपनी प्रचालन क्षमता को निजी क्षेत्र जहां लक्ष्य को हमेशा ही समय सीमा में प्राप्त करना महत्वपूर्ण माना जाता है, के समक्ष लाने का प्रयास किया है। माननीय रेल मंत्री ने समर्पण भावना से रेलों की कार्यकुशलता में सुधार हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया है।

दोनों नेताओं ने निम्नतम स्तर पर लोगों की मांग को महसूस किया है इसीलिए उन्होंने ''पैलेस आन व्हील'' के समनुरूप सम्पन्न तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ''विलेज आन व्हील'' नामक एक विशेष अन्तर्देशीय पर्यटन रेलगाड़ी की घोषणा की है। अब एक आम आदमी भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है और वह देश के उन महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों जिनका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व है तथा इस देश की सांस्कृतिक परम्परा तथा महान सभ्यता के प्रतीक है, उन सभी की यात्रा करते हुए देश के कोने-कोने में जा सकता है।

अब वे इन स्थानों को 9 दिन की चक्रावर्ती यात्रा के लिए 4500 रुपए की किफायती कीमत में देख सकते हैं। यह बताना जरूरी नहीं है कि हमारे माननीय मंत्रीगण समझदार और जिम्मेदार हैं जो जनता की जरूरतों को समझ सकते हैं। इसलिए इस सरकार को तमिलनाडु के मतदाताओं द्वारा दिए गए 40 संसद सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में मैं अपने लोगों की जरूरतों को सामने रखना चाहता हूं।

मैं शिवकाशी निर्वाचन क्षेत्र से हूं जिसका हमारे सक्रिय नेता वैको द्वारा अच्छी तरह और सक्षमता पूर्वक पोषण और प्रतिनिधित्व किया गया था और यह स्वाभाविक है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोग उम्मीद करते हैं कि मैं भी उसी प्रकार कार्य कराऊं जिसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए, मैं अब रेलवे से कुछ चीजों की व्यवस्था करने हेतु कह रहा हूं। 'मांगों और तुझको दिया जाएगा' बाइबिल की एक सूक्ति है जिसका मुझे ध्यान आ रहा है। यह हमारी सरकार है। किंतु हमारी आवश्यकताओं और प्रक्षिप्त मांगों को अभी तक माननीय मंत्री के पास नहीं पहुंचाया गया है। आपका ध्यान आकृष्ट करना हमारा कर्त्तव्य है ताकि आप अपने कर्त्तव्यों के एक भाग के रूप में उन पर सकारात्मक रूप से विचार कर सकें।

विरुद्धनगर-मनमदुरै खंड पर रेल लाइन के कार्य को अन्य चालू परियोजनाओं के साथ ही कराया जाना चाहिए और पूरा किया जाना चाहिए।

दस कि.मी. से भी छोटे शेंकोवा और तनकाशी खंड के बीच रेल लाइन के लम्बित कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

चैन्नई और तनकाशी के बीच चलने वाली साप्ताहिक गाड़ी पोदिगै एक्सप्रेस का दर्जा बढ़ाकर दैनिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी करने की कृपा करें।

विरुद्धनगर के समीप आलमपट्टी समपार को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है और मेरा आपसे आग्रह है कि इसे जारी रखने के लिए आपसे आग्रह है कि इसे जारी रखने के लिए समुचित आदेश जारी करें ताकि जनता इसका भरपूर लाभ उठाती रहे।

रेलवे और रेल यात्री दोनों ही इन दिनों सुरक्षा और संरक्षा को अधिक महत्व दे रहे हैं। इस दृष्टि से हम मदुरै-डिंडिगुल रेल लाइन पर ध्यान दें जो कि अभी तक एकहरी लाइन है। उस खंड का उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा अथवा 100 प्रतिशत तक उपयोग किया जा रहा है और इसलिए संरक्षा, सुरक्षा और परिचालनीय दक्षता में वृद्धि करने के लिए दोहरी लाइन बनाये जाने का आवश्यकता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मदुरै और डिंडिगुल के बीच इस दोहरी लाइन की परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए।

तमिलनाडु में दक्षिणी जिले बहुत उपेक्षित रहे और इतने लम्बे समय के बाद भी अधिकांश खंड में इकहरी लाइन बनी हुई है। मैं केंद्रीय रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि दक्षिणी तमिलनाडु में उन खंडों पर आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए दोहरी लाइन का निर्माण जाए। ऐसे समय जब भूतल परिवहन मंत्रालय 4 लेन वाले राजमार्ग बना रहा है रेलवे को भी जाग जाना चाहिए। कन्याकुमारी-चेंगलपट खंड पर सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए दोहरी लाइन अवश्य बिछाई जानी चाहिए। इसी प्रकार तमिलनाडु के दक्षिण भागों में विद्युतीकरण की भी विरलता ही है। उस पर भी ध्यान देने की कृपा करें। रेलवे विल्लुपुरम और कन्याकुमारी के बीच खंड का विद्युतीकरण कर सकता है।

मदुरै और कोविलपट्टी जैसे कृषि वाणिज्यिक केंद्रों को पुश-पुल रेलगाड़ी से जोड़ा जाना चाहिए। ये दिन के समय वाली

डीजल रेलगाड़ियां इस मार्ग पर जनता के लिए लाभकारी हो सकती हैं और यह सेवा व्यावसायिक रूप से भी लाभकारी हो सकती है।

हमारे चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर हैं। परन्तु शीघ्र निपटारे का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों को देर तक लम्बी पंक्तियों में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उदाहरणार्थ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोविलपट्टी तथा शिवकाशी स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र हैं जो कि रेलवे की राजस्व आय में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं उन आरक्षण केन्द्रों पर और कर्मचारियों की आवश्यकता है। भीड़ कम करने और लम्बी प्रतीक्षा समाप्त करने के लिए यह जरूरी है। इसलिए, वहां पर अधिक कर्मचारियों की तैयारी की जाए। मैं माननीय रेल मंत्री से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

इसके साथ ही मैं रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने हेतु अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं तीनों माननीय रेल मंत्रियों का भारतीय रेल की सेवाओं में सुधार के लिए उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद करता हूं। महोदया, स्वतंत्रता के समय से अब तक कर्नाटक से पांच व्यक्ति केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। फिर भी कर्नाटक राज्य में रेल सेवा में कोई विशेष सुधार नहीं रहा।

मैसूर और चामराजनगर के बीच मैसूर के महाराजा द्वारा 75 वर्ष पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। आज भी उसी रेलवे लाइन का उपयोग किया जा रहा है। इस पुरानी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की लगातार मांग की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेरे पूर्ववर्ती श्री वी. श्रीनिवासप्रसाद ने हर मामले में ईमानदारी से प्रयास किए थे। वास्तव में पूर्व में इस प्रयोजनार्थ लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। अब चालू रेल बजट (2004-05) के दौरान 44 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। परन्तु आज तक जैसे तैसे इस उद्देश्य के लिए धनराशि नहीं दी गयी है। मैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादवजी से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र ही यह राशि जारी करें।

इसी तरह चामराजनगर और मेट्टुपालयम के बीच रेल लाइन गत कई दशकों से लम्बित है। यदि यह पूर्ण हो जाती है तो सभी 3 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि केंद्र चामराजनगर के लोगों के इस स्वप्न को हकीकत में बदलेगा।

*मूलत: कन्नड में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदया, मैसूर भारत का एक सबसे सुन्दर शहर है। कृष्ण राजा सागर, चामुंडी मंदिर, मैसूर चिड़ियाघर देखने लायक हैं और हर रोज यहां यात्री आते रहते हैं। बंगलोर भारत का बगीचों का शहर कहलाता है और यह भारत का सिलिकान शहर भी है। कई बार लोग इस शहर की सिंगापुर से तुलना करते हैं। हजारों लोग रोज इन दो शहरों के बीच यात्रा करते हैं। विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में इन दो शहरों की नियमित रूप से यात्रा करते हैं। अत: यह बहुत जरूरी है कि इन दो शहरों के बीच दोहरी लाइन की व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त यात्रियों को दोनों शहरों की यात्रा करवाने के लिए विद्युतीकरण भी पूरा किया जाना चाहिए।

महोदया अंत में, मैं यही कहूंगा कि दिल्ली मेट्रो की भांति बंगलोर मेट्रो रेल का कार्य और विलम्ब किए बिना शुरू किया जाना चाहिए। इस संबंध में कर्नाटक राज्य बार-बार केंद्र से अनुरोध कर रहा है। परन्तु दुर्भाग्य से केंद्र द्वारा इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। बंगलोर एशिया में तेजी से विकसित होने वाला नगर है। यहां साफ्टवेयर निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। सड़कें बहुत सकरी है और इसके बारे में सैकड़ों शिकायतें हैं। लगभग हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। अत: मेरा माननीय मंत्री श्री लालूजी श्री वेलू जी और श्री रठवा जी से अनुरोध है कि बंगलोर में तुरंत मेट्रो रेल का कार्य शुरू करने के लिए इस मामले को गम्भीरता से उठायेंगे।

सायं 7.35 बजे

[श्री पवन कुमार बंसल *पीठासीन* हुए]

महोदय, मैं रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ए.वी. बल्लारमिन (नागरकोइल): सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

इस सम्माननीय सभा में नया सदस्य होने के नाते - यह मेरा प्रथम अवसर है - मैं माननीय मंत्री श्री लालू जी को पिछले सत्र के दौरान एक जनवादी बजट प्रस्तुत करने तथा यह घोषणा करने के लिए, कि रेलवे सदैव एक सरकारी उपक्रम रहेगा, बधाई देता हूं। यह बजट कर्मचारियों के भी अनुकूल है। अत: मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अभिपुष्टि की प्रतीक्षा में 'शिशु अधिनियम' की पुष्टि के संबंध में आदेश पारित करायेंगे।

मुझे वह समय याद है जब माननीय राज्य मंत्री श्री वेलु ने मेरे जिले का दौरा किया और वहां रेलवे प्रणाली का संचालन देखा। मैं इसके लिए उनका कृतज्ञ हूं।

[श्री ए.वी. बल्लारमिन]

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आते हुए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि निम्नलिखित अत्यावश्यक मांगों को इसमें सम्मिलित किया जाए। मुझे इसे मुद्देवार बताने दें।

नागरकोइल-कन्याकुमारी रेलवे लाइन पर पुथेरी में एक सड़क ऊपरि पुल की अत्यधिक आवश्यकता है मैं इसे सम्मिलित किये जाने का आग्रह करता हूं। नागरकोइल-त्रिवेन्द्रम रेल लाईन पर कंदनविलय, पलियादी और विचक्करी में सड़क सम्पर्क पुलों की अत्यावश्यकता है। नागरकोइल-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन पर मारथंडम रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरि पुल की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि वहां से बहुत सी दुर्घटनाओं की सूचनाएं मिली है। कन्याकुमारी जिले में नागरकोइल रेलवे स्टेशन पर केवल एक ही बुकिंग केन्द्र एवं टिकटघर है। वहां यह एक आम बात है कि लोग टिकट लेने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं और रेलगाड़ी चली जाती है। अतः इस स्टेशन पर अतिरिक्त बुकिंग केंद्रों तथा टिकटघरों की आवश्यकता है।

इसी तरह मारथंडम स्टेशन पर एक कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण केन्द्र को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसे औपचारिक स्वीकृति तो पहले ही मिल चुकी है परन्तु इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। इरेनिल स्टेशन पर भी एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र को स्थापित किये जाने को इसमें सम्मिलित किया जाए। पार्वतीपुरम में रेलवे स्टेशन की हमारी मांग भी काफी समय से लंबित है और इसके लिए औपचारिक सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह अत्यावश्यक है। नागरकोइल से कोयम्बतूर के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। कोट्टायम-नागरकोइल के बीच चल रही रेलगाड़ी बंद कर दी गयी, इसके परिणामस्वरूप सभी यात्रियों, विशेषकर निर्माण कार्य में लगे मजदूर और कुली जो काम पर जाने के लिए पूरी तरह इसी रेलगाड़ी पर निर्भर थे, को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा आग्रह है कि कोट्टायम से नागरकोइल के बीच चल रही इस रेलगाड़ी को फिर से शुरू किया जाए और पहले की तरह चलाया जाए।

लगभग सभी रेलगाड़ियां अब त्रिवेन्द्रम और मदुरै रूकती है। मेरा आग्रह है कि इन्हें कन्याकुमारी तक बढ़ाया जाए क्योंकि यह केवल रेलवे की ही सीमा नहीं बल्कि भारतीय भूमि की भी सीमा है। अतः मेरा अनुरोध है कि सभी गाड़ियों के लिए अंतिम ठहराव कन्याकुमारी होना चाहिए। आरक्षण कोटा के साथ-साथ आकस्मिक कोटा को भी बढ़ाया जाना चाहिये। नागरकोइल रेलवे स्टेशन को आकस्मिक कोटा की पुष्टि का अधिकार दिया जाना चाहिये। संपूर्ण चेन्नई-कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन काफी सघन है। मेरा आग्रह है कि दोनों तरफ से इसके दोहरीकरण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।

मेरा आग्रह है और ये आशा भी है कि माननीय मंत्री जी मेरे क्षेत्र की उपरोक्त अत्यंत आवश्यक मांगों पर विचार करेंगे और इन्हें अनुपूरक अनुदानों की मांगों में सम्मिलित करेंगे। इसके साथ ही मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन): महोदय, मेरे लोक सभा में एट से कोंच एक शटल ट्रेन चलती है जो उत्तर मध्य रेलवे के जोन इलाहाबाद के मण्डल झांसी के अंतर्गत आता है। इस शटल का समय बदल दिया गया है, जिसके कारण न तो यात्रियों को शटल की सुविधा प्राप्त हो पा रही है न ही रेलवे विभाग को आय होगी क्योंकि जो सवारी कोच से बैठकर मुम्बई जाना चाहते हैं, समय बदलने से यात्रियों को करीब 5 घंटे एक स्टेशन पर रूकना पड़ता है एवं जब यह शटल कोंच से चलकर एट जंक्शन पर आती है तो पता चलता है कि आ 10 मिनट पहले छपरा मेल निकल गया।

माननीय महोदय, आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जो एट जंक्शन से कोच शटल चलती है, उसका समय एट जंक्शन पर आने वाली गाड़ियों के अनुकूल करना चाहिये, जिससे क्षेत्रीय जनता को शटल का लाभ मिल सके तथा रेलवे विभाग को भी अच्छी आमदनी हो सके। माननीय मंत्री जी इससे पहले मैंने यह सुझाव दिया था कि इसका भरपूर लाभ मिल सके। इसका प्रस्ताव भी तैयार हो गया था। डी.आर.एम. झांसी मण्डल के स्तर पर यह फाईल कहीं गुम हो गयी है। झांसी मण्डल के डी.आर.एम. को निर्देश दे कि इस शटल को आनन्द नगर एवं सतोह पर रोका जाये तथा उरई तथा झांसी तक बढ़ाया जाये। माननीय मंत्री जी कोच जो स्टेशन है, वह करीब 100 साल पुराना स्टेशन है। कभी-कभी रेलवे विभाग इस शटल को घाटे में दिखाकर बंद करने का प्रयास करती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि कोच स्टेशन को झांसी कानपुर मेल लाइन पर लाने की व्यवस्था कर दें तो जो हानि वाली बात हमेशा उठती रहती है, वह बात हमेशा के लिए खत्म हो जायेगी। क्योंकि कोंच को मेल लाइन पर लाने हेतु रेलवे विभाग का ज्यादा खर्च भी नहीं होगा और जो शटल चलती है वह बंद करने का कभी-कभी प्रयास होता है, वह समस्या का भी निदान हो जायेगा।

माननीय मंत्री जी मेरे लोक सभा क्षेत्र से एक नयी इंटरसिटी ट्रेन झांसी से कानपुर तक चलाी गयी। मेरा सुझाव है कि इसको मोंठ स्टेशन एवं एट तथा कालपी स्टेशन पर रोक दिया जाये तो निश्चित ही रेल विभाग को लाभ होगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

माननीय रेल मंत्री जी मेरी तीसरी मांग है कि झांसी के कानपुर यह सिंगल लाइन है जबकि कानपुर से चल कर अधिकांश गाड़ी दक्षिण भारत की ओर जाती हैं। मुम्बई, चैन्नई, बंगलौर, इन्दौर अन्य स्टेशन के लिए गाड़ी निकलती हैं। सिंगल लाइन होने की वजह से इस 200 कि.मी. की यात्रा में कम से कम 5 घंटे से लेकर 7 घंटे तक लगते हैं। यह इस लाइन को डबल लाइन बनवाने के साथ इस लाइन का विद्युतीकरण करवाने का कष्ट करें।

माननीय मंत्री जी मेरे लोक सभा क्षेत्र के वासियों को इलाहाबाद तथा दिल्ली जाने हेतु कोई भी गाड़ी नहीं है। अभी दिल्ली से रीवा को एक गाड़ी चलायी गयी है, जो दिल्ली से चलकर कानपुर तथा बांदा होती हुयी रीवा को चलती है। मेरी मांग है कि गाड़ी को दिल्ली से कानपुर तथा झांसी एवं बांदा होकर रीवा तक चलायी जाये, जिससे रीवां से वापिसी में आते समय यह गाड़ी करीब 200 कि.मी. के रास्ते में जितने भी यात्री मिलेंगे, वह सीधे दिल्ली आ सकेंगे। इसी तरह से झांसी का जोन इलाहाबाद है तथा हाईकोर्ट भी उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है। अत: मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि झांसी कानपुर के बीच कोई ऐसी ट्रेन चलाने का कष्ट करें, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

माननीय मंत्री जी कानुपर से झांसी लाइन के बीच में उरई स्टेशन है, जिसके पास में राठ रोड रेलवे क्रासिंग हैं। उस पर ओवर पुल बनाने का कष्ट करें क्योंकि यहां सैकड़ों की संख्या में वाहन इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे घंटो जाम लगा रहता है। माननीय मंत्री जी उरई स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे तथा तीसरे प्लेटफार्म जाने हेतु का ब्रिज है, जो सीधा एक नम्बर प्लेटफार्म पर खुलता है क्योंकि स्टेशन के दोनों तरफ बस्ती है। क्षेत्रवासियों को जब दो या तीन नम्बर प्लेटफार्म की ओर बस्ती में जाना होता है तो नगरवासियों को एक नम्बर प्लेटफार्म से होकर जाना पड़ता है। अत: मेरा अनुरोध है कि इस ब्रिज को प्लेटफार्म से न होकर बाहर स्टेशन के बनाया जाये, जिससे क्षेत्रवासी स्टेशन पर न जाकर सीधे दोनों बस्ती से जुड़ सकते हैं।

श्री फुरकान अंसारी (गोड्डा): महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अनुपूरक बजट जो रेल मंत्री श्री लालू यादव जी ने पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि इस देश में कई रेल मंत्री हुए। बाबू जगजीवन राम, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री लाल बहादुर शास्त्री श्री एल.एन. मिश्रा, श्री माधव राव सिंधिया जैसे महान पुरुष रेल मंत्री हुए तो लोगों ने महसूस किया कि ये पूरे भारत वर्ष रेल मंत्री हैं। उन्होंने रेल का विकास करीब-करीब हर राज्य में बराबर करने की कोशिश की। इससे लोगों को लगा कि वे भारत वर्ष के रेल मंत्री है। दुर्भाग्य से पिछले आठ वर्षों से लगातार बिहार से ही रेल मंत्री होते रहे हैं। श्री राम विलास पासवान जी जब रेल मंत्री हुए। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): आप इसे सौभाग्य मानिये। ...*(व्यवधान)*

श्री फुरकान अंसारी: उस समय पूरे देश के लोग यह महसूस करने लगे कि उनके कार्यकाल के समय में ये बिहार में खासकर हाजीपुर में कनफाइन कर गये। वे हाजीपुर से आगे बढ़े ही नहीं। उसके बाद श्री नीतिश कुमार जी रेल मंत्री हुए। वे मोकाना, बाढ़, फतुहा, राजगीर और बख्तियारपुर से आगे बढ़ ही नहीं। ...*(व्यवधान)* वे सहनोत चले गये। पूरे देश के लोगों ने यह महसूस किया कि ये मंत्री सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए हैं। ये भारत वर्ष रेल मंत्री है ही नहीं। ठीक उसी तरह श्री दिग्विजय सिंह कुछ दिन के लिए रेल राज्य मंत्री बनें। वे भी बिहार के हैं। उन्होंने भी अपने स्टेशनों को छोड़कर भारतवर्ष के कहीं किसी हिस्से में कोई विकास का काम नहीं किया।

बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यू.पी.ए. सरकार का जब यहां गठन हुआ और इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत लालू जी रेल मंत्री हुए और लोगों ने यह महसूस किया कि इस तरह से बिहार की छवि इन मंत्रियों ने बिगाड़ी है। पूर्व में बिहार के जो रेल मंत्री हुए हैं, उन्होंने पूरे बिहार को बदनाम करने की कोशिश की। कभी भी भारतवर्ष के रेल मंत्री बनने की कोशिश नहीं की। लालू जी भारतवर्ष के मंत्री के रूप में उभरकर आएंगे और कुछ काम करेंगे और इस काम को करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, और बिहार की छवि को भी सुधारेंगे काम चल रहा है तथा विगत 6 महीने में कुछ काम देखने को भी हमें मिला। ...*(व्यवधान)* ऐसा हमें विश्वास है। मैं ज्यादा भूमिकाओं में जाना नहीं चाहता। मुझे जो बोलना था, वह मैंने कह दिया है।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। झारखंड में कई परियोजनाएं चल रही हैं। लेकिन पिछले चार-पांच महीने से बंद पड़ी हैं, उनमें काम बंद है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा कराएं क्योंकि झारखंड ऐसा राज्य है जो रेलवे को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। वहां कोयला है, लोहा है, अभरक है और सारी चीजें वहां पर हैं। सबसे ज्यादा हम रेवेन्यू रेलवे को देते हैं और अगर हमारे राज्य का विकास रेलवे नहीं करता है तो हम लोगों के लिए यह दुर्भाग्य की बात होगी, हमारे ऊपर यह अन्याय होगा। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो परियोजनाएं हैं, जो हमारे क्षेत्र के लिए मंजूर की गई हैं, उनमें काम तेजी से कराएं जिससे काम समय पर हो जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोड्डा में सर्वे हुआ था और बजट पेश किया गया था तथा गोड्डा को जिला मुख्यालय से जोड़ने की बात

[श्री फुरकान अंसारी]

हुई थी; लेकिन जब बनना आरम्भ हुआ तो इस वक्त दिग्विजय सिंह जी मंत्री थे, वे उसे काटकर अपने क्षेत्र में उस लाइन को ले गये और गोड्डा जिला मुख्यालय को वंचित रखा। इसलिए मैंने लालू जी से परामर्शदात्री समिति की बैठक में आग्रह किया था और उन्होंने पत्र भी दिया था। उन्होंने कहा था मैं सर्वे कर रहा हूं। हमें चिट्ठी भी मिली है लेकिन सर्वे का काम जल्दी से जल्दी आरम्भ कराया जाए, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

श्री लालू प्रसाद: ठंड का समय आ गया है, इसलिए इसमें थोड़ी सी डिले हो रही है।

श्री फुरकान अंसारी: ठंड में ही तो ज्यादा काम होता है। गर्मी के दिनों में काम कैसे होगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से लालू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपका पत्र हम लोगों के पास रखा ही रह जाए और वह खाली आश्वासन ही रह जाए। इसलिए आपसे निवेदन है काम जल्दी शुरू करवा दीजिए, सर्वे करा दीजिए। हमारा एक स्टेशन है, वैद्यनाथ-देवघर को, जो इस जोन का, ईस्टर्न रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है लेकिन आज तक जसीडीह प्लेटफार्म का, जस्सीदेवर का आधुनिकीकरण एवं विस्तार नहीं हो सका है। हम आय देते हैं। हमारे यहां काम नहीं होगा तो और विकास का काम करने का क्या मापदण्ड है? यह हम आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से और रेल मंत्रालय से जानना चाहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि उस स्टेशन का आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया जाए। जसीडीह से रांची जो हमारे राज्य का मुख्यालय है, जनशताब्दी एक्सप्रैस भी चलाया जाए, इसकी मैं आपसे मांग करता हूं। वहां पर एक ट्रेन चलायी जाए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। जसीडीह से धनबाद कोल माइन्स का इलाका है। उसे जोड़ने के लिए ई.एम.यू. ट्रेन चलाने की मंजूरी दें। इस इलाके में बहुत अधिक संख्या में मजदूर कोइलरी में काम करते हैं। उनको इस ट्रेन के चलने से आने जाने में सुविधा मिलेगी।

हावड़ा से दिल्ली आने के लिए दो राजधानी चलती हैं। एक सियालदेह-दिल्ली और एक हावड़ा-दिल्ली। इस तरह से दो राजधानी चलती हैं। वह धनबाद होकर आती हैं, मेरा एरिया पड़ता है, मेन लाइन में पड़ता है। हमारे क्षेत्र में मधुपुर में जसीडीह से एक राजधानी चलती है। हावड़ा टू दिल्ली सप्ताह में दो दिन चलती थी पिछले मंत्री नीतीश कुमार जी ने एक दिन आफ कर दिया और अब यह सप्ताह में एक ही दिन चलती है। हावड़ा से मधुपुर-जसीडीह-पटना होकर चलती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लालू जी से मांग करता हूं कि इसे दो दिन चलाया जाए और अगर नहीं तो पूर्वा एक्सप्रैस को प्रतिदिन कर दिया जाए ताकि उस इलाके के लोगों को आने-जाने में सुविधा हो और यह पटना होकर चलनी आरम्भ होगी, यह हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। आपने हमें बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर दो टेलीफोन बूथ खोले गये हैं ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यह सब कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया विषय से न हटें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री थावरचन्द गेहलोत के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

****श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): आदरणीय महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बहस में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

पूरे विश्व में भारतीय रेलवे के मार्गों की लम्बाई सबसे अधिक है और ये उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम को जोड़ती है। हमें भारतीय रेल प्रणाली में बहुत से सुधार करने हैं।

माननीया सोनिया जी की अध्यक्षता में सं.प्र.ग. सरकार और हमारे माननीय रेल मंत्री लालूजी ने इसमें सुधार के लिए कई कदम उठाये हैं।

मैं तमिलनाडु के पलानी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह एक तीर्थस्थान और भगवान कार्तिकेय जी का स्थल है। आंध्र प्रदेश का तिरूपति बालाजी मन्दिर, केरल का भगवान सबरीमलाई अयप्पन मन्दिर और पलानी कार्तिकेय मन्दिर दक्षिण के प्रसिद्ध मन्दिर है। बड़ी संख्या में भक्तगण नियमित रूप से इन मन्दिरों में आते हैं। बालाजी मन्दिर की यात्रा के बाद लोग रेलगाड़ी से इरोड पहुंचकर कारों, बसों या वैनों से पलानी और सबरीमलाई जाते हैं। प्रतिवर्ष कई भक्तगण दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

चेन्नीमलाई, कांगायम और धारापुरम होते हुए इरोड और पलानी को रेल मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए। धारापुरम एक ऐतिहासिक शहर है। महाभारत में पांडव एक वर्ष के लिए विरदपुरम के 'अगनाना वसम' में रहे थे। अब, विरदपुरम को धारापुरम कहा जाता है। विरदहाजा के प्राचीन किले और मन्दिर धर्मपुर में मिलते हैं। कांगायम मक्खन, घी और वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। सेन्नीमलाई हथकरघा और विद्युतकरघा के लिए प्रसिद्ध है। यहां से काफी मात्रा में वस्त्र बाहर भेजे जाते हैं। कांगायम से मक्खन और घी निर्यात किया जाता है। इन शहरों से राज्य और केन्द्र काफी आय अर्जित करते हैं। अत: इरोड और पलानी को रेलमार्ग से जोड़ा जाना चाहिए। इससे रेल विभाग को काफी आय होगी। दिण्डीगुल-पलानी-उडुमालपेट, पोल्लाची, पालघाट और कोयम्बतूर के बीच बड़ी रेल लाईन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और बजट में इसकी घोषणा धन का आबंटन नहीं किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा इस योजना के लिए पर्याप्त धन आबंटित किया जाना चाहिए।

समरस नगर से पलानी के बीच रेलमार्ग के निर्माण की योजना भी काफी समय से लम्बित है। यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका सर्वेक्षण अंग्रेजों के समय में किया गया था परन्तु अभी तक इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। अत: मेरा संप्रग सरकार से आग्रह है कि इस योजना के कार्यान्वयन हेतु धनराशि का आबंटन किया जाए।

मैं बड़े खेद से मदुरै स्थित रेलवे प्राधिकारियों के बारे में बताना चाहता हूं। पलानी में प्राचीनतम रेलवे स्टेशन है। यहां डीजल वर्कशाप और 'क्रयू बुकिंग' भी है। हाल ही में रेल विभाग ने 'क्रयू बूकिंग' को पलानी से पोल्लाची स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। मुझे इसकी सूचना दी गयी थी। रेलवे यूनियन के कुछ लोगों ने यह तथ्य मुझे बताये थे। मैंने तुरन्त डी.आर.एम.-मदुरै से टेलीफोन पर बात की और उन्हें पत्र भी लिखा। उन्होंने भी तुरन्त एक पत्र लिखा। उन्होंने रेल कर्मचारियों को एक पत्र भेजा किसी सांसद या विधायक के पास नहीं जाया जाए और कर्मचारियों से इस संबंध में आश्वासन भी ले लिया गया। उन्होंने सभी कर्मचारियों से हस्ताक्षर लिए। यदि कोई कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए किसी राजनेता, विधायक या सांसद के पास जाता है तो यह गैर-कानूनी है परन्तु जनहित में ऐसा करने में क्या बुराई है? मैं समझता हूं कि यह सांसदों का अपमान है। इस संबंध में मैंने माननीय लालूजी माननीय वेलु जी और सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों को एक पत्र लिखा, परन्तु अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मेरा माननीय लालूजी से आग्रह है कि वे डी.आर.एम., मदुरै के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करें और रेल कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र को रद्द करें। मैं यह भी आग्रह करता हूं कि पलानी में क्रयू बुकिंग बहाल की जाये।

रेलवे अधिकारियों ने अचानक आइलैंड एक्सप्रैस (कन्याकुमारी से बंगलौर) तथा इग्मोर एक्सप्रैस (इरोड से इग्मोर चेन्नई) के समय में परिवर्तन कर दिया है। इन परिवर्तनों से यात्रियों के लिए अनावश्यक कठिनाईयां पैदा हो गयी है। उपरोक्त रेलगाड़ियों का पुराना समय बहाल करें।

कांगायम ताल्लुक में 'एन्नीयूर' रेलवे स्टेशन है। इसके लिए रेल ऊपरि पुल को स्वीकृति दी गयी थी, धनराशि आबंटित की गयी तथा निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। ठेकेदार ने कार्य शुरू किया और उसे पूरा किये बिना ही भाग गया। यह कुछ महीने पहले ही हुआ है। मुझे इसमें ठेकेदार और रेल अधिकारियों की सांठगांठ का संदेह है। मैं रेल मंत्री जी से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच आरंभ करने और इस कार्य में शीघ्रतापूर्वक आरंभ करके समाप्त किए जाने का अनुरोध करता हूं। इरोड जाने वाले लोग बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

पेरूनदुरै सिपकोट (एस.आई.पी.सी.ओ.टी.) चेन्नामलाई खण्ड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सिपकोट के निकट एक रेल लाइन है। सिपकोट में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। वे सभी निकट के गांवों से आते हैं। अत: इंजीचूर-विजयामंगलम (रेलवे किलोमीटर 415/4 और 415/10) के बीच एक रेल समपार बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

तिरूपुर कुमारन चेन्नामलाई में पैदा हुए थे और तिरूपुर में उनका देहावसान हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं, पहले ही तिरूपुर रेलवे स्टेशन का नाम 'तिरूपुर कुमारन रेलवे स्टेशन' रखे जाने का अनुरोध कर चुका हूं। सौभाग्यवश यह 100वां वर्ष है। हमने सेन्नीमाला में 4.10.04 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था।

तमिलनाडु के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 'श्री थियागी धीरन चिन्नामलाई' थे। उनका जन्म मेलापल्लायम में हुआ था और वे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे तथा उन्हें पलानी क्षेत्र की करूमलाई पहाड़ियों में हिरासत में लेकर संकागिरी में फांसी दी गई थी। संकागिरी जिले में एक रेलवे स्टेशन है। संकागिरी किले का नाम 'श्री थियागी धीरन चिन्नामलाई' के नाम पर रखा जाना चाहिए।

इरोड से इगमोर के बीच चलने वाली रेल का नाम श्री धीरन चिन्नामलाई के नाम पर ''थियागी धीरन चिन्नामलाई एक्सप्रैस'' रखा जाना चाहिए। यह एक महान योद्धा और प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सच्ची श्रद्धांजली होगी।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

मेरा निर्वाचन क्षेत्र ओडानचतारम सब्जियों, मक्खन और घी के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश में केवल यहीं से सब्जियों का निर्यात हो रहा है। ओडानचतारम से गुजरने वाली प्रत्येक रेल को यहां रूकना चाहिए। इससे रेलवे को अच्छी आय होगी। डिंडिगुल से या डिंडिगुल होकर मद्रास या अन्य स्थानों को जाने वाली प्रत्येक रेल में ओडानचतारम के लिए भी टिकटों का कोटा होना चाहिए। इससे ओडानचतारम से जाने वाले यात्रियों को मदद मिलेगी।

अत: मैं अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री आलोक कुमार मेहता** (समस्तीपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से पिछले छ: महीने में रेलवे में माननीय मंत्री श्री लालू प्रसाद की पहल और उनके प्रयास से हुए बहुआयामी सुधार की सराहना करता हूं और विश्वास करता हूं कि 2004-05 वार्षिक रेल बजट में जितने भी ऐतिहासिक फैसले किए गए, जिसके लिए आर्थिक अनुदान अनुपूरक मांग की गयी है, का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कर लिया जायेगा। अत: अनुदान के अनुपूरक मांग का समर्थन करता हूं।

साथ ही, मैं अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले समस्तीपुर रेलवे वर्क्स शाप की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि यह शाप 19वीं शताब्दि में निर्मित शाप है, जो पिछले कई सालों में सामान्य वैगन बनाने के साथ-साथ टैंक ढोने वाले वैगनों का निर्माण करता हुआ व्यवहारिक रूप से कारखाने के स्वरूप में बदल चुका है। यहां स्थायी और अस्थायी कर्मियों को मिलाकर लगभग 3500 कर्मी काम करते हैं।

बावजूद इसके, इस शाप को कारखाना का दर्जा नहीं मिल पाया है। इस व्यवहारिक कारखाने को रेलवे का पर्याप्त आर्डर नहीं दिया जा रहा है। अत: हमारी मांगें हैं कि:-

1. इसे कारखाने का दर्जा दिया जाये।
2. इसका विस्तारिकरण किया जाये (रेलवे के पास जमीन है)।
3. इसका आधुनिकीकरण किया जाये तथा इसे पर्याप्त आर्डर दिया जाये।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पश्चिम रेलवे मंडल रतलाम के अंतर्गत उज्जैन, जो एक धार्मिक स्थान है, से आगरा तक के लिए पहले रेल-लाइन थी। उस रेल-लाइन को आपातकाल में उखाड़ लिया गया। पिछली सरकार ने उसका सर्वे कराया था, लेकिन वर्ष 2004 से वह सर्वे पड़ा हुआ है। उस पर निर्णय होना अभी बाकी है। मैंने आपसे निवेदन किया तो आपने वर्ष 2004 के बजट में अद्यतन सर्वे कराने का आदेश दिया है और उस सर्वे की कार्रवाई चल रही है। मेरा निवेदन है कि यह सर्वे कार्य पूरा हो जाए तो नई रेल-लाइन मंजूर कर दें।

इसी प्रकार से इन्दौर-दाहौद की रेल-लाइन बहुत पहले से स्वीकृत है, लेकिन उस पर काम की गति बहुत धीमी है। अगर उसको तेज कर देंगे और बजट प्रावधान बढ़ा देंगे तो कृपा होगी। फिर उज्जैन, देवास, इन्दौर और मक्सीगुना सिंगल रेल-लाइन है और वहां विद्युतीकरण भी नहीं हुआ है, जबकि आस-पास सब रेल-लाइनें डबल और विद्युतीकृत हैं। परन्तु इस लाइन पर विद्युतीकरण न होने के कारण हर बार इंजन बदलना पड़ता है और इधर-उधर से क्रॉसिंग में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे रेलवे को भी नुकसान होता है और जनता को भी हानि होती है। यदि दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने की कृपा करेंगे तो अच्छा होगा। इसी प्रकार शुजालपुर रेलवे स्टेशन पर साल भर पहले से पी.आर.एस. सुविधा सैंक्शन है। अधिकारियों ने वहां जाकर जगह आदि भी देख ली है लेकिन काम अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है, वह भी करा दें तो अच्छा होगा। बेरछा और कालापीपल रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए नटपाथ और ब्रिज की आवश्यकता है। साल भर पहले से ही इनकी स्वीकृति हो चुकी है लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा है, उसको भी प्रारम्भ करवा दें तो अच्छा होगा। फिर इन्दौर से मक्शी तक एक पैसेंजर ट्रेन चलती है। वह चार-पांच घण्टे तक मक्शी में खड़ी रहती है। अच्छा होगा कि उसको मक्शी से गुना या बीना तक कहीं बढ़ा दिया जाए। मैं ये जो मांगे आपके सामने यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, उनके संबंध में मैंने पहले ही आपके पास पत्र भेज रखे हैं और वे प्रक्रिया में हैं। उन सब पत्रों पर विचार करके कार्रवाई करने का कष्ट करें। फिर इन्दौर-ग्वालियर इन्टरसिटी की बात है, उसके फेरे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से देहरादून एक्सप्रेस जो इन्दौर और उज्जैन से चलकर देहरादून तक जाती है, वे साप्ताहिक नहीं है, उसको पूरे सप्ताह चलाया जाए तो अच्छा रहेगा। रतलाम से भोपाल और रतलाम से कोटा के बीच ई.एम.यू. या डी.एम.यू. चलाने की आवश्यकता है। साथ ही 7.30 बजे के बाद रतलाम से कोटा की तरफ कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है। इधर देहरादून एक्सप्रेस के पहले सुबह से लेकर बारह-एक बजे तक कोई ट्रेन नहीं है, इससे यात्रियों को तकलीफ होती है। मेरे संसदीय

क्षेत्र के अंतर्गत जो भी रेलवे स्टेशन हैं, उनके प्लेटफार्मों की लंबाई कम है, जबकि रेलगाड़ियां 22-24 डिब्बों तक की चलती हैं और उनके तीन-चार डिब्बे प्लेटफार्म से बाहर ही रहते हैं। इसलिए प्लेटफार्मों की लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता है। शुजालपुर में रेलवे बाउण्ड्री से लगी हुई कालोनी है। आवागमन और मलवा हटाने की दृष्टि से वहां मार्ग की आवश्यकता है। आपने सहमति दी है, उसको पूर्ण सहमति में परिवर्तित करने की कृपा करेंगे तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय, नीमच से रतलाम के बीच में आमान परिवर्तन का काम चल रहा है, परन्तु वह बहुत धीमी गति से चल रहा है। अगर उसको तेज कर दिया जाए और रतलाम से खण्डवा के बीच में भी आमान परिवर्तन की कार्रवाई कर दी जाए तो यह जो मीटरगेज का छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, यह भी ब्राडगेज से जुड़ा जाएगा। इससे आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर ग्रेड-ए के स्टेशनों पर ट्रेनों का स्टापेज केवल दो-दो मिनट दिया गया है, जैसे अवन्तिका एक्सप्रेस इन्दौर से बम्बई जाती है नागदा एक ग्रेड-ए स्टेशन है, वहां इसे दो मिनट का स्टापेज दिया है जबकि इसे पांच मिनट का होना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनके स्टापेज दो-दो मिनट कर दिया है, वह ग्रेड-ए स्टेशनों पर पांच मिनट का होना जरूरी है। फिर कुछ ऐसे समपार हैं, जहां सिगनलमैन है जो सुबह आठ-नौ बजे से फाटक खोलता है और शाम को पांच बजे बन्द करके चला जाता है, जबकि वहां आवागमन का घनत्व बहुत अधिक है, जैसे झोकर और मक्शी के बीच में फाटक संख्या 52 है।

रात्रि 8.00 बजे

जैसे झोकर और मक्सी के बीच में फाटक नम्बर, 52, 61, 68 और 70 हैं। देवास शहर में एक ऐसा स्थान है, जहां से लोग आते-जाते हैं। लेकिन वहां फाटक नहीं है इसलिए दुर्घटनाएं होती हैं। उसका नवम्बर 29 है। अगर वहां अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति देंगे तो बहुत अच्छा होगा।

मैंने जो ये मांगें मंत्री जी के सामने रखी हैं, इस संबंध में पत्र लिख कर मैं पहले भी उनसे निवेदन कर चुका हूं। इनकी स्वीकृति के लिए मैं पुन: रेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके स्वीकृति प्रदान करें। रेलवे और जनहित के लिए इन सारी योजनाओं को आप कार्यान्वित करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री नवीन जिन्दल। यह उनका पहला भाषण है।

श्री नवीन जिन्दल (कुरूक्षेत्र): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

भारतीय रेल ने हमारे देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। हम सभी को इस पर बड़ा गर्व है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के सत्ता में आने के बाद भारतीय रेल की कार्यकुशलता बेहतर हुई है। इसके साथ-साथ भारतीय रेल का कार्यनिष्पादन भी बेहतर हुआ है। श्री लालू प्रसाद यादव के सक्रिय नेतृत्व में दुर्घटनाओं की दर में बहुत कमी आई है। यात्री एक बार फिर रेलों में यात्रा करते समय स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा। ऐसा इनके रवैये के कारण हो पाया है। वे स्थलों का दौरा करते हैं तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। इसीलिए यह हो पाया है। मेरे विचार से उन्हें भगवान विश्वकर्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे विचार से उनके कार्यालय रेल भवन में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति की स्थापना किए जाने के पश्चात् हम सभी के भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यह भी सत्य है कि इससे भारतीय रेल का कार्यनिष्पादन भी बहुत बेहतर हुआ है।

हमारे देश के विकास के लिए रेलवे का विकास होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। विश्वभर में परिवहन का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश की नदियां उतनी उपयोगी नहीं है और हमारे पास दूसरे विकल्प के रूप में केवल रेलवे बचता है। इसे वास्तव में रेलवे के विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। इसका कारण यह है कि आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि रेलवे सड़क परिवहन की तुलना में ऊर्जा का केवल पांचवां हिस्सा ही उपयोग में लाता है। यह सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल परिवहन का साधन है। थोक में सामान की ढुलाई करने का यह सर्वेक्षण उपाय है। यह भारतीय ईंधन पर चलता है। हम हमेशा ही जल से या कोयले से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सड़क मार्ग से परिवहन का उपाय अपनाते हैं तो यह अधिकांशत: आयातित ईंधन पर आधारित है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक देश के रूप में हमें रेलवे के विकास पर जोर देना पड़ेगा। अमरीका में वास्तव में कभी भी रेल का विकास हुआ ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमरीका में आटोमोबाइल लाबी बहुत सशक्त है। वे हमेशा सड़क परिवहन पर ही बहुत जोर देते हैं। लेकिन भारत एक गरीब देश है। हमारे पास तेल के भंडार बहुत कम हैं। हम अधिकांशत: तेल का आयात करते हैं। अत: हमारे परिप्रेक्ष्य में रेलवे के विकास पर बहुत जोर देना अत्यन्त आवश्यक है।

[श्री नवीन जिन्दल]

मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कई वर्षों की उपेक्षा के पश्चात् सं.प्र.ग. सरकार के सत्ता में आने के बाद सारा ध्यान रेलवे के विकास पर लगा हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद की उच्च दर तथा उच्च औद्योगिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए रेलवे का विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है। आज रेल नेटवर्क अपनी सीमाओं तक पहुंच रहा है। यदि हमें सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर हासिल करनी है तो हमें भारतीय रेल का आधुनिकीकरण और विस्तार करने की आवश्यकता है। जब हमने श्री लालू प्रसाद यादव के ऊर्जावान नेतृत्व में रेल मंत्रालय की देश में उच्च गति वाली रेलें चलाने जैसे दूरदर्शी विचारों के बारे में सुना तो मुझे लगा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं माननीय मंत्री जी को उनकी इस पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं।

माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय रेल मंत्री जी ने 24,000 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण संबंधी योजना की घोषणा की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस आधुनिकीकरण योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे शीघ्रतापूर्वक किया जाए जिससे कि पूरे देश को इससे लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य कि ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यमुनानगर से रादौर, लाडवा, कुरूक्षेत्र, केथल, गुल्हा चीका होते हुए पटियाला तक रेल लाइन बिछाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इस लाइन के निर्माण से न केवल मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, जो कि ऐतिहासिक स्थल कुरूक्षेत्र है, की आकांक्षाओं की ही पूर्ति होगी अपितु कई पहलुओं से इस क्षेत्र का विकास भी होगा।

यह क्षेत्र चावल, गेहूं, चीनी आदि के उत्पादन के लिए भी विख्यात है और इस लाइन के निर्माण से इस क्षेत्र से शेष देश में खाद्यान्नों का तीव्र परिवहन संभव होने से यह सरकार के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। इससे पेट्रोलियम पदार्थों की भी बचत होगी।

यहां इसका उल्लेख करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि वर्ष 2004-05 के रेल बजट में 9.25 करोड़ रुपये चल रहे सर्वेक्षणों के लिए रखे गये हैं और अन्य 2.90 करोड़ रुपये उत्तर रेलवे में नए सर्वेक्षणों के लिए रखे गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हरियाणा के लिए कोई सर्वेक्षण कराने हेतु धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

महोदय, मैं इन परिस्थितियों में आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अनुपूरक बजट में ही इस लाइन के लिए प्राथमिक अभियांत्रिकी-सह-यातायात सर्वेक्षण हेतु प्रावधान करें।

अन्ततः, महोदय मैं आपके माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से हेमकुंड एक्सप्रैस को यमुनानगर-जगादरी रेलवे स्टेशन पर भी रोके जाने की मांग का भी उल्लेख करना चाहूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे रेल अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पहले तो मुझे लगा कि मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय रेल मंत्री जी अपने अन्य कामों को निपटाने के बाद अब सदन में मौजूद है और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है।

जनता के लिए बहुत ही सरल और सुलभ यात्रा का साधन माना जाता है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश की आबादी 35 करोड़ के लगभग थी और आज देश की आबादी 1 अरब 5 करोड़ के लगभग है। आजादी के पहले से ही रेल जनता की सेवा कर रही है। जो उम्मीद रेल से जनता को थी, यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी नहीं हुई लेकिन जनता का जो विश्वास था उसमें कुछ रूकावट आ गयी है। रेल से आज हम लोगों की सस्ती और सरल सेवा नहीं पा रहे हैं। यह ठीक है कि 57 साल की आजादी में रेल ने काफी विकास किया है लेकिन पूरे देश में उसका एक-समान विकास नहीं हो सका है। उसके कारण रहे होंगे और मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। देश के अंदर कुछ राष्ट्रीय मार्ग हैं और उन मार्गों से होकर जो सड़कें निकलती हैं उन पर कोर रेल लाइनें जाती हैं। उनके ऊपर आजादी के 57 साल बाद भी कोई ओवरब्रिज नहीं बना है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही वित्तीय घाटा भी सहना पड़ता है। वहां पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी चर्चा करूंगा। लखनऊ से बनारस तक 9 रेलवे क्रासिंग हैं। इन पर जब हम चलते हैं तो उन गाड़ियों के आवागमन की वजह से एक-एक घंटा क्रासिंग पर लग जाता है। मेरा कहना है कि अगर हर मार्ग पर ओवरब्रिज न बन सके तो मेरे संसदीय क्षेत्र जौनपुर में जहां दो रेल लाइनें काटती हैं, वहां पर ओवरब्रिज बन जाए तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी और लोगों को भी सुविधा होगी तथा वित्तीय घाटा भी नहीं होगा। उसके लिए कई बार मांग की गयी है।

उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और वहां की 80 प्रतिशत आबादी अपनी रोजी-रोटी के लिए मुम्बई, कोलकाता या दूसरे महानगरों में जाती है। राजधानी होने के नाते यह मार्ग दिल्ली और लखनऊ से भी जुड़ा है।

कई बार पूर्व में इसकी मांग हुई और हमने भी माननीय मंत्री जी से पत्र लिख करके अनुरोध किया कि मुम्बई से एक सीधी फास्ट रेलगाड़ी चलायी जाए जो जौनपुर से होकर जाए। बीच में 12वीं लोक सभा में मैं जब इस सदन का सदस्य था। तब भी मैंने मांग की थी। तत्कालीन रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था लेकिन जौनपुर से इलाहाबाद होकर मुम्बई जाने का जो मार्ग था। वह पैसेंजर गाड़ी के लिए इलाहाबाद से जौनपुर तक था। वह इलाहाबाद से जौनपुर तक चलने वाली पैसेंजर गाड़ी के लिए रेल लाइन बनायी गई थी। इसके उत्तर में माननीय रेल मंत्री और रेल विभाग के अधिकारियों ने मुझे पत्र लिखा था कि जौनपुर से इलाहाबाद के बीच का जफराबाद और जंघई रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक बना है, रेल लाइन बनी है, उसका सुदृढ़ीकरण नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा कि जो केवल पैसेंजर ट्रेन के लिए रेल लाइन बिछायी गई है, उसका जब तक सुदृढ़ीकरण नहीं होगा तब तक वहां फास्ट ट्रेन चलायी नहीं जा सकती है। दुर्भाग्य से 13 महीने में सरकार चली गई। पुनः सरकार आई लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम अब बड़ी उम्मीद के साथ माननीय रेल मंत्री से उम्मीद करते हैं, देश और गरीब जनता करती है। हमे बड़ी उम्मीद के साथ रेल बजट प्रस्तुत करते समय मांग की थी और इस बारे में पत्र भी लिखा था। इन्होंने वायदा भी किया कि उसका केवल सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया। बीच में पिछला लोक सभा का चुनाव हुआ तो किन्हीं कारणों से गोदान एक्सप्रैस के नाम से गाड़ी गोरखपुर से जौनपुर होकर मुम्बई के लिए चलायी गई। उसी ट्रैक पर, उसी रेल लाइन पर जिस का उत्तर दिया गया था कि जब तक इसका सुदृढ़ीकरण नहीं होगा, तब तक इस पर फास्ट ट्रेन नहीं चलाएंगे, उस पर फास्ट ट्रेन गोदान के नाम से हफ्ते में तीन दिन चलायी जा रही है लेकिन पैसेंजर ट्रेन से भी उसकी हालत खराब रहती है। आए दिन दुर्घटना का संकट बना हुआ है। वहां कभी भी घटना घट सकती है। उसका सुदृढ़ीकरण होना चाहिए।

मेरी मांग है कि मुम्बई में 80 प्रतिशत जौनपुर के आसपास के लोग रहते हैं। जौनपुर से एक सीधी ट्रेन चलाने की कृपा करें। हमारे यहां दो स्टेशन हैं - एक जौनपुर सिटी के नाम से और दूसरा जौनपुर के नाम से जाना जाता है। जौनपुर सिटी से जितनी फास्ट ट्रेनें हैं, जो लखनऊ होकर दिल्ली आती हैं, उन ट्रेनों का ठहराव न होने के कारण वही हालत हुई जैसे पूर्व में विद्युतीकरण के नाम से हुई। जिस गांव या क्षेत्र से खम्भा चला जाए तो लोग मान लेते थे कि इस गांव का विद्युतीकरण हो गया, चाहे बल्ब जले या न जले। बिहार, कोलकाता, पटना और मुगलसराय से गाड़ियां निकलेंगी और हमारे लोग बनारस या इलाहाबाद उसे पकड़ने के लिए जाएंगे। मेरा अनुरोध है कि उन गाड़ियों का ठहराव करें। मैंने जिन गाड़ियों के बारे में लिख कर दिया है, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करके अनुरोध करूंगा कि तीन-चार ऐसी गाड़ियों का यदि ठहराव हो जाएगा तो बड़ी कृपा होगा। 9314 अप जो इन्दौर से पटना शुक्रवार को चलती है इसका ठहराव जौनपुर सिटी स्टेशन पर हो जाए। 9313 डाउन पटना-इन्दौर जो बृहस्पतिवार को चलती है, 3013 अप, हावड़ा-देहरादून जो बुधवार को चलती है। उसके ठहराव के लिए मेरी मांग है। गोदान एक्सप्रेस जो मुम्बई के लिए तीन दिन चलती है, जब तक नई ट्रेन नहीं चलाएंगे तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि उसे पूरे हफ्ते प्रतिदिन चला दें। प्रतिदिन ऐसे चले जैसे अभी चल रही है। उसमें एक स्टेशन बरसती है, उस पर दो मिनट का ठहराव कर दें। लोगों को उसे पकड़ने के लिए जौनपुर जाना पड़ता है। जौनपुर से उसकी 45 किलोमीटर की दूरी है। आपसे विशेष अनुरोध होगा कि दो मिनट का ठहराव बरसती स्टेशन पर करवा दें। इसी के बीच कटवार स्टेशन पड़ता है जो दोनों स्टेशनों के बीच में जरौना और बरसती के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है, उसमें एक हाल्ट स्टेशन कटवार के नाम से करवा दें तो जनता का हित होगा यह मेरी विशेष गुजारिश है।

लखनऊ से बनारस तक जौनपुर सिटी से डबल लाइन हो रही है, और उस दोहरी लाइन पर आवागमन चालू है। जौनपुर सिटी की साइड की जमी पर गैर-मुनासिब लोग कब्जा कर रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा कि इसे जनहित में देखते हुये जांच कराई जाये। वह रास्ता जनता के आने-जाने के लिये है, उन्हें दिक्कत न हो, इसलिये सरकार कार्यवाही करे।

सभापति महोदय, अंत में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह जौनपुर से मुम्बई के लिये एक खास गाड़ी चलवा दें तो उनकी कृपा होगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री बीर सिंह महतो। वे अनुपस्थित हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वडोदरा की ओर दिलाना चाहूंगी। वडोदरा में मेरे गांव के पास एक अति व्यस्त रेल फाटक है, जहां से प्रतिदिन 78-80 रेल कंटेनर रैक्स गुजरते हैं। उस फाटक के इर्द-गिर्द गुजरात रिफायनरी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर लि. आदि यूनिट्स हैं। इस फाटक के खुलने की इंतजार में 25 मिनट लग जाते हैं क्योंकि लगातार रेल कंटेनर्स गुजरते रहते हैं, और फाटक बंद रहता है। लोगों के लिये बहुत ही कष्टकारी है। आज हम रेल की संरक्षा की मांगों पर विचार कर उसे पारित करने जा रहे हैं तो टम्परी और उस फाटक पर टू-व्हीलर्स वाले जैसे-तैसे निकल जाते है। इस ढंग से कई

[श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर]

लोगों की जानें जा चुकी हैं। मैं रेल मंत्री जी से गुजारिश करूंगी कि चूंकि उस फाटक पर रेल ओवरब्रिज बनाने की गुंजाइश तो नहीं है लेकिन एक अंडर पास बनाये जाने के लिये माननीय मंत्री जी चिन्ता कर सकते हैं। यदि इस वर्ष उसकी शुरूआत करें तो उचित रहेगा। यह एक अति महत्वपूर्ण कार्य है जिसे कार्यान्वित करने में सहयोग करें।

सभापति महोदय, सियाजी नगरी में सियाजीराव के नाम से एक एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जा रही है जिससे वडोदरा-सूरत-बलसाड़ के कर्मचारियों को अपने स्थान पर पहुंचने के लिये बहुत सुविधाजनक रहती है। जब गांधीधाम एक्सप्रेस चलनी शुरू हो तो मुश्किलात पैदा होनी शुरू हुई। गांधीधाम से लोगों से इतनी भर जाती है कि वडोदरा के कर्मचारियों के लिये उसमें चढ़ने की जगह ही नहीं रहती। वडोदरा के यात्रियों के लिये जो पहले सुविधा थी, उसमें कटौती कर दी गई है। मेरा अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार किया जाये। अहमदाबाद से आने वाले यात्रियों के लिये जिस प्रकार से कमी करना चाहें, वह करें और वडोदरा से उस गाड़ी में चार बोगियां और लगाई जायें ताकि जो सुविधा पहले थी, वह बरकरार रहे।

सभापति महोदय, हमारे रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने खादी ग्रामोद्योग की बात कहकर एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। यह बात गांधी जी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आजकल खादी का चलन बहुत ही कम हो गया था और उसमें काम करने वाले लोग मृतप्राय: स्थिति में चले गये थे। इस विचार को सिर्फ विचार न रखते हुए इस क्रांतिकारी कदम का कार्यान्वयन करने के लिए बहुत शक्ति से इसमें जुटे रहे। इसमें हम सभी लोगों का आपको सहकार रहेगा और इसके तहत जो काम-काज हाथों को मिलेगा, वह भी एक विशेष बात होगी।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर दो गाड़ियां चलाने की बात यहां कहना उचित समझती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बिहार के काम-काज करने वाले मूल निवासी अन्यान्य कारणों से बड़ौदा में रहते हैं। बिहार सांस्कृतिक मंडल के नाम से वे बहुत अच्छे कार्यक्रम भी करते हैं। जयप्रकाश नारायण नाम का एक बड़ा मंच भी वहां स्थित है। जिसमें बिहार के 30-35 हजार भाई-बहन इससे जुड़े हुए हैं। लालू जी मैं उन लोगों की एक मांग की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। बड़ौदा से पटना वाया अहमदाबाद एक रेल की उनकी मांग बहुत समय से लम्बित है, मुझे आशा है कि इसे पूरा करने में आप जरूर मदद करेंगे।

दूसरी बात यह है कि हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे पर हर सम्प्रदाय के आश्रम और मन्दिर स्थित हैं। यज्ञ, ध्यान, दान, तप और योग साधना के लिए बड़ी संख्या में लोग बड़ौदा से हरिद्वार जाते हैं। हमारी मांग है कि एक गाड़ी बड़ौदा से हरिद्वार के लिए चलाई जाए, ताकि आम आदमी अपनी पाकेट के धन के अनुरूप वहां जा सकें। इसलिए हमारा अनुरोध है कि हरिद्वार से एक सीधी ट्रेन बड़ौदा के लिए चलाने की कृपा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले-अनपुस्थित।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज-अनुपस्थित।

श्री अवतार सिंह भडाना-अनुपस्थित।

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): सभापति महोदय, रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं अपनी समस्याएं रखने से पहले माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने पुर्बा चालू करके समाज के आखिरी व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सैदपुर क्षेत्र से चुनकर आता हूं। मैं जो समस्या आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस समस्या को मैंने 13वीं लोक सभा में भी कई बार रखा है। औरियार से जौनपुर मीटर गेट की लाइन आज भी लम्बित पड़ी हुई है, जिसके संबंध में मैंने कई बार अपनी बातें सदन में कहीं। इसके बाद मैंने पेटीशन दाखिल की। पेटीशन कमेटी ने भी उक्त मीटर गेज को ब्रोड गेज में परिवर्तित करने के लिए इंडीकेट किया गया तथा कहा कि यह जनहित में अति आवश्यक है। जबकि औरियार से मऊ मीटर गेज को ब्रोड गेज में परिवर्तित कर दिया गया है और औरियार से बलिया मीटर गेज को ब्रोड गेज में परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन औरियार से जौनपुर इससे आज भी वंचित है। चुनाव के ठीक दस दिन पहले तत्कालीन रेल मंत्री, माननीय नीतीश कुमार जी ने उसका शिलान्यास भी किया था। बड़ी आशा थी कि वर्ष 2004-2005 की जो कार्य योजना होगी, उसके अंतर्गत उक्त मीटर गेज को ब्रोड गेज में परिवर्तित करने के लिए सम्मिलित किया जायेगा। लेकिन जब मैंने कार्य योजना देखी तो उसके अंदर वह लाइन छोड़ दी गई थी। माननीय मंत्री यह अति पिछड़ा क्षेत्र है। यह 65 किलोमीटर का मार्ग है। इस मार्ग पर रोडवेज का आवागमन नहीं है। यहां रोडवेज नहीं चलती है। जौनपुर से औरियार जाने के लिए लोगों को दो-दो, तीन-तीन छोटे जीपों का सहारा लेकर जाना पड़ता है। बार-बार गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। विशेष तौर पर तब बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब शादियों में गाड़ियां बुक हो जाती हैं। उस रोड पर कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती है। ऐसे समय में आम जनता को अपने गंतव्य पर जाने में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह

समस्या वहीं की है। आप उस स्थान भीतरी बाबा मकदूम की दरगाह पर गए हुए हैं। उस इलाके के लोगों की यह समस्या है। जब आप रेल मंत्री बने तो लोगों में आशा जगी कि मीटर गेज का जो बीच का टुकड़ा बचा हुआ है जिसको बना देने से औरियार जौनपुर होते हुए इलाहाबाद तक सीधा रूट मिल जाएगा, गाजीपुर से बलिया तक के लोगों को हाई कोर्ट में जाने के लिए घूमकर बनारस से जाना पड़ता है। जब मीटर गेज ब्राड गेज में परिवर्तित हो जाएगा तो बलिया मऊ के लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट आने जाने के लिए सीधा रूट मिलेगा।

दूसरी मुख्य समस्या है वाराणसी से लखनऊ रेल मार्ग पर त्रिलोचन महादेव से जौनपुर के बीच एक अनमैन्ड रेलवे क्रासिंग की। वह इतनी पुरानी समस्या है कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से वह क्रासिंग बनी हुई है और आज तक वह मैन्ड नहीं हो पाई। वह रास्ता बहुत चालू है और स्टेशन के करीब वह क्रासिंग है। 40 साल से ज्यादा हो गए, उसको बने हुए, लेकिन वह आज तक मैन्ड नहीं की गई। आये दिन वहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि उक्त क्रासिंग को अनमैन्ड से मैन्ड किया जाए।

तीसरा बात यह है कि माननीय कल्पनाथ जी जब मऊ से आते थे और रेल मंत्री थे तो लिछवी एक्सप्रैस में फर्स्ट एसी का डिब्बा जोड़ा जाता था। वह अब हटा दिया गया है। मऊ से कई सांसद चुनकर आते हैं। यह उनकी भी समस्या है और जनता की भी मांग है कि लिछवी एक्सप्रैस में फर्स्ट एसी का डिब्बा जोड़ा जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए माननीय रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि कि मीटर गेज से ब्राड गेज और भीतरी की समस्या पर ध्यान दें जो बहुत समय से लंबित पड़ी है और कई बार मैंने इसको उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली कार्य योजना में आप उसे समायोजित करेंगे।

***श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): सभापति महोदय, रेलवे पर केन्द्रीय सरकार के खर्च के लिए अनुदान की पूरक मांगें रखी गयी हैं। मैं, आपके माध्यम से कुछ सुझाव यहां रखना चाहता हूं।

भारतीय रेल आम जनता की भलाई के लिए है। इसका चेहरा धर्मनिरपेक्षता का द्योतक है। इसमें और ज्यादा निखार लाने की आवश्यकता है।

मालभाड़े में रेलवे को 700 करोड़ से अधिक और प्रवासी भाड़ा में 660 करोड़ रुपये की आमदनी होती है। इस पैसे को रेलवे की सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

स्काय बस को कोकण से नयी दिल्ली-राजासम के लिए चलाया जाना चाहिए। बुलेट ट्रेन को मुम्बई-अहमदाबाद और मुम्बई-दिल्ली तक चलाया जाना बहुत उपयोगी है।

मोहोल से भिगवज तक डबल लाइन बिछाया जाना चाहिए। लातूर-कुर्डवाडी-पंढरपुर-मिरज तक ब्राडगेज का काम शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

कुडूवाडी में नरोगेज का वर्कशाप है, उसे ब्राडगेज वर्कशाप में परिवर्तित किया जाये। चिकूटिल में आर.पी.एफ. का ट्रेनिंग सेंटर है उसे नासिक में स्थानांतरित नहीं किया जाये।

कुडूवाडी में के.के. एक्सप्रेस का स्टापेज दिया जाये। पंढरपुर से मुम्बई चंद्रभागा एक्सप्रेस को दो दिन के बजाय पूरे सातों दिन चलाया जाये।

पंढरपुर से नागपुर और पंढरपुर से वाराणसी के लिए एक नयी ट्रेन चलायी जाये। लेनिद से पंढरपुर तक नयी रेल लाइन बिछाया जाना अति आवश्यक है।

सफाई मजदूरों की संख्या में बढ़ोत्तरी किया जाना चाहिए। स्टेशन की सफाइ, रेल की सफाई और साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह साफ सुथरा होना अतिआवश्यक है। इस ओर व्यापक ध्यान देने की जरूरत है।

डबल डेकर ट्रेन की योजना कारगर सिद्ध होगी। मुम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को डा. बाबा. साहेब अंबेडकर का नाम दिया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब माननीय रेल मंत्री। इससे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: हमने फैसला किया है कि हम दागी मंत्रियों को नहीं सुनेंगे, इसलिए हम सदन से वाक आउट करके जा रहे हैं।

रात्रि 08.27 बजे

(इस समय श्री खारबेल स्वाईं और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुझे एक घोषणा करनी है। माननीय सदस्यों तथा अधिकारियों के लिए कमरा संख्या 70 में रात्रि भोजन का प्रबंध होगा।

अब, माननीय रेल मंत्री।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): सभापति महोदय, रेलवे के सप्लीमैंट्री बजट पर लगभग 34 माननीय सदस्यों ने इनक्लूडिंग एनडीए भाजपा के लोगों ने सदन को संबोधित किया और अपने इलाके की रेल से संबंधित समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

अधिकांश माननीय सदस्यों ने रेलवे में यूपीए सरकार के छः महीने के कार्यकाल के दौरान जो कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं, उसकी जोर-शोर से प्रशंसा की। विगत बजट भाषण में मैंने राष्ट्र को बताया था कि विगत एनडीए गवर्नमैंट में भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसमें रेलवे की हालत खस्ता हुई है। आये दिन भाजपा के राज में लगातार दुर्घटनाओं का सिलसिला चला और ट्रेन्स का प्रचालन भी सही समय पर नहीं हुआ। भाजपा के शासन में गई गाड़ियां 12 से 18 घंटे तक देर से चलती थीं।

देश की जनता ने मिलीजुली सरकार बनाने का, धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने का मैनडेट दिया है। हाथी का दांत दिखाने के लिए नहीं है। देश की जनता के सामने कामन मिनिमम प्रोग्राम में जो हमने वायदा किया है उस वायदे को हम मात्र छह महीने में एक-एक करके पूरा करते जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यह सरकार जिसमें विभिन्न दलों का समर्थन है, लगातार अलग विचारधाराओं के रहते हुए भी चलो गांव की ओर, किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब दलित पिछड़ा वर्ग की उन्नति के लिए कार्य कर रही है और एक-एक करके कामन मिनिमम प्रोग्राम में हमने जो वायदा किया है उस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। भाजपा के लोग आज नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं। जब मैं यहां खड़ा हुआ, आप रिकार्ड निकाल कर देख लीजिए, इनके मंत्रियों ने भी प्रशंसा की, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे हैरानी है कि ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दागी मंत्रियों की बात करते हैं। दुनिया ने जिनको आंख से नोट गिनते देखा, श्री बंगारू लक्ष्मण को बच्चों ने देखा, महिलाओं ने देखा, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मनमोहन सिंह, श्री शरद पवार, श्री प्रणव बाबू ने ही नहीं, सीपीएम और सीपीआई के लोगों ने ही नहीं, बल्कि मीडिया के लोगों ने भी देखा कि किस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनका क्या मुंह है, इनका चेहरा क्या है? महोदय, लोग हमको कहते हैं कि आप मंत्री बन गए हैं इसलिए आपको शांत रहना है, लेकिन शांत रहने की भी कोई सीमा होती है। श्री चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि जिस नेता का व्यक्तिगत चरित्र ठीक नहीं है उसका सार्वजनिक चरित्र ठीक नहीं हो सकता है। तहलका डाट काम में मीडिया ने यह बताने का काम किया, बताने का क्या दिखाने का काम किया कि किस तरह से एनडीए के रक्षा मंत्री के घर में, सरकारी निवास में, रक्षा के बिचौलियों ने देश की सरहद पर लड़ने वाले हमारे देश के सैनिकों के साजो-समान में किस तरह से पैसे के लेनदेन की बात दलालों से हो रही है। अगर मेरी बात झूठ होगी, अगर बातचीत का टेप झूठा है, महोदय, मुझे यह इसलिए बोलना पड़ा है कि कल बंगलौर में आज तक टीवी में जार्ज फर्नांडिस को तिलमिलाते हुए हमने देखा, वह क्यों बेहोश हो गए, जब सीबीआई ने जांच करनी शुरू कर दी कि जांच में फलां-फलां आएगा। किस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ किया। कहीं घाव और कहीं पांव इसलिए इनकी कोई सूरत या शक्ल नहीं है। सभी के सामने इस पर बहस हो जाए कि टीवी पर श्री बंगारू लक्ष्मण को नोट गिनते हुए देखा है, बीजेपी के अध्यक्ष को नोट गिनते देखा है। श्रीमती जया जेटली को मैंने देखा, टीवी पर देखा, रक्षा के दलाल के साथ बात करते हुए। श्रीमती जया जेटली बोलते हुए दिखाई गई कि ''नहीं मेरा दल एक लोकतांत्रिक दल है। बैंगलोर में समता पार्टी का सम्मेलन है, और उस सम्मेलन के लिए पैसे की आवश्यकता है।''

महोदय, कहा कि पार्टी की कान्फ्रेंस है, उसके लिए पैसा चाहिए। जब ये सारी बातें उजागर हुईं, तब संसद नहीं चली। यह हाउस नहीं चला, अपर हाउस नहीं चलने दिया गया। देश भर में धूम मची। फूकन साहब का आयोग बना। जांच की या नहीं की, मैं उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। दस्तावेज के आधार पर अब जब सी.बी.आई. जांच कर रही है, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। वह, आदमी, श्री जार्ज फर्नांडीज, श्रीमती सोनिया गांधी को गाली देता है। उन्होंने सोनिया गांधी जी को गाली दी, क्या गाली दी, उसे दुनिया ने देखा, कितने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

महोदय, हम लोगों पर जो एलीगेशन है, वह न्यायपालिका के सामने है। न्यायपालिका का जो फैसला होगा, वह सबको मानना पड़ता है। ये कैसे-कैसे लोगों का बचाव कर रहे हैं। ये हिन्दू धर्म का चोगा पहन कर किस प्रकार के काम कर रहे हैं, यह अब जनता को पता लग गया है। ...*(व्यवधान)*

अब मैं रेलवे पर ही आता हूं। मेरे पास जितने भी मामले हैं, वे सारे रेल से ही संबंधित हैं।

महोदय, कांचीपुरम मठ के आदि शंकराचार्य हैं। वह मठ हिन्दू भाइयों का माना हुआ मठ है। क्या शंकराचार्य पर श्रीमती सोनिया गांधी ने मुकदमा चलाया, क्या शंकराचार्य पर श्री मनमोहन सिंह ने मुकदमा चलाया, क्या शंकराचार्य पर केन्द्र सरकार ने मुकदमा चलाया? जयललिता जी तो भा.ज.पा. के साथ रहीं, एन.डी.ए. के साथ रहीं। मैं कहता हूं कि जयललिता जी ने जो काम किया, वह ठीक किया, बहुत बहादुरी का काम किया। उनके सामने लाया गया कि वह आदमी, जो मठ का प्रधान है, जो देशभर में भभूति बांटता था, उसने ऐसा काम किया। इसलिए उन्होंने पुलिस को अपना काम करने की इजाजत दी। वह और चन्द्रास्वामी दोनों ही भभूति बांटते थे। इन लोगों की भेंट साधारण सांसदों से नहीं होती थी। वहां वी.वी.आई.पी. लोग जाते थे और वह सबको भभूति देता था, सबको प्रधान मंत्री बना देता था। ...*(व्यवधान)* अरे, महिला ठीक कर रही है। हिन्दू धर्म का नाश कर दिया। ये अधर्मी लोग रेल से नहीं जाते, प्लेन से जाते हैं।

महोदय, इन लोगों ने मेरे खिलाफ तंत्र-मंत्र और षड्यंत्र किया। प्रणब बाबू जी आप सुन और समझ लीजिए। इन लोगों ने टोटका कराया कि लालू यादव को किसी तरह से मार दो। लालू यादव को मारने वाला खुद मर जाता है। ईश्वर ऐसा करता है कि वह अपने आप समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को जिन्हें न्यायपालिका में कोई भरोसा नहीं है, ऐसे फासिस्टी लोगों को न्यायपालिका में कोई भरोसा नहीं है और देशभर में वे अपनी गिरी हुई दीवार को उठाने के लिए, उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया कि हिन्दू धर्म के महान आदमी पर अन्याय हो गया, रिहा करो। इन लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगा रखे हैं। शंकराचार्य जी का सब-जुडिस मामला है। हाई कोर्ट ने आज दुबारा शंकराचार्य जी की जमानत रद्द कर दी। ये लोग बोलते रहे कि मांग स्वीकार करो। कहां हैं आडवाणी जी, कहां हैं वाजपेयी जी, आप लोग धरने पर बैठ गए, क्यों बैठे? ये लोग आन्दोलन करना चाहते थे। देश इनका नोटिस नहीं ले रहा है। आसाराम बापू जी को हम अच्छा सन्त समझते थे। आसाराम बापू एक ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लालू प्रसाद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग सदन के सदस्य नहीं होते, उनका सदन में नाम नहीं लिया जाता।

श्री लालू प्रसाद: ठीक है, छोड़िए। मैं नाम नहीं लूंगा। नाम को हटाइए। ये लोग जिनकी मदद करते हैं, वे गलत आदमी की संगत करते हैं, ईमानदार बनते हैं।

महोदय, अब मैं रेल पर आता हूं। इसमें 34 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: सर, मैं अकेला ऐसा सदस्य रह गया हूं, जो रेल पर हुए भाषण में नहीं बोला।

श्री लालू प्रसाद: ठीक है, आप अकेले रह गए हैं, तो बैठिए और भोजन कर के जाइए।

माननीय सदस्य, जो भाषण कर के चले गए, वे अपनी समस्याएं बताकर, अपनी समस्याओं के बारे में बोलकर चले गए, अब वे यहां उपस्थित नहीं हैं। भा.ज.पा. के लोग जो बोलकर चले गए, वे भी यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 46 हजार करोड़ रुपए की मुख्य परियोजनाएं, आनगोइंग प्रोजैक्ट स्वीकृत किए गए हैं। माननीय सदस्य बोलते हैं कि बिहार में रेलों पर ज्यादा खर्चा होता है। मैं देशभर का रेल मंत्री हूं, अकेले बिहार का नहीं हूं। बिहार के साथ भेदभाव हुआ।

महोदय, 46 हजार करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट जो पहले ही लिए गए थे, उनके बारे में मैं आपकी सेवा में, माननीय सदस्यों और देश की जनता के लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि किस-किस प्रोजैक्ट को कितना-कितना पैसा दिया गया है। यहां जो खर्चा हुआ है और पैसे का बंटवारा हुआ है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि वह एक फार्मूले पर आधारित होता है। आंध्र प्रदेश में कोटी पल्ली-नरसापुर में नई रेल लाइन बनाने पर रु. 330 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश में ही महबूब नगर में मुरीदाबाद हेतु नई रेल लाइन सैंक्शन हुई है जिस पर काम हो रहा है।

नई रेल लाईनों पर पैसे से काम होता है। असम में बोगीबिल, ब्रह्मपुत्र के ऊपर 1767 करोड़ रुपए सैंक्शन हैं और वहां काम शुरू है। जिरिबाम-इम्फाल नई लाईन 727 करोड़ रुपए, कुमारघाट-अगरतला नई लाईन 880 करोड़ रुपए सैंक्शन, सेवन सिस्टर्स स्टेट और बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ईस्टर्न यूपी, हर क्षेत्र में आधारभूत संरचना और इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में लगातार भेदभाव होता रहा और किसी ने ध्यान नहीं दिया। लमडिंग-सिल्चर गेज कंवर्शन का काम 1,496 करोड़ रुपए सैंक्शन। बिहार में देवघर झारखंड में चला गया। देवघर-सुल्तानगंज नई लाईन 312 करोड़ रुपए सैंक्शन, हाजीपुर-सुगौली नई लाईन 325 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, हरकुंडा डबलिंग 227 करोड़ रुपए, दलीराजहरा-जगदलपुर नई लाईन 370 करोड़ रुपए, गुजरात में भिलदी-समदरी गेज कंवर्शन 245 करोड़ रुपए, गांधीधाम-पालनपुर गेज कंवर्शन 345 करोड़ रुपए, हरियाणा फुलेरा-मरवाड़, अहमदाबाद गेज कंवर्शन 625 करोड़ रुपए, रेवारी-सदुलपुर गेज कंवर्शन 268 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश,

[श्री लालू प्रसाद यादव]

जालंधर, पठानकोट डबलिंग 409 करोड़ रुपए, नांगल डेम तलवारा नई लाईन 210 करोड़ रुपए, जम्मू-कश्मीर, जम्मू-उधमपुर, श्रीनगर बारामूला नई लाईन 5500 करोड़ रुपए, झारखंड, कोडरमा, रांची नई लाईन 1033 करोड़ रुपए, गिरीडीह-कोडरमा नई लाईन 371 करोड़ रुपए, कर्नाटक हुबली-अंकोला नई लाईन 998 करोड़ रुपए, बंगलौर 740 करोड़ रुपए, केरल-कालीकट-मंगलौर डबलिंग 583 करोड़ रुपए, अंगमाली-सबरीमल नई लाईन 550 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र-अहमदनगर-बीड़ नई लाईन 353 करोड़ रुपए, अमरावती-नरखेड़ नई लाईन 284 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश-गुना-इटावा नई लाईन 423 करोड़ रुपए, रामगंज-मंडी-भोपाल 727 करोड़ रुपए नई लाईन, उड़ीसा-देतारी-बांसपानी नई लाईन 590 करोड़ रुपए, खुर्दा रोड-बोलांगीर नई लाईन 700 करोड़ रुपए, पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना नई लाईन 378 करोड़ रुपए, जालंधर पठानकोट डबलिंग 408 करोड़ रुपए, राजस्थान, अजमेर, उदयपुर गेज, कंवर्शन 455 करोड़ रुपए, लूनी, बाड़मेर गेज कंवर्शन 284 करोड़ रुपए, तमिलनाडु-कडेलूर-सेलम गेज कंवर्शन 261 करोड़ रुपए, क्यूलोन-तिरूनेलवेली गेज कंवर्शन 462 करोड़ रुपए, उत्तरांचल-किंच्वा-खामिता नई लाईन 186 करोड़ रुपए, बरेली लालकुंआ गेज कंवर्शन 698 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश, आगरा, इटावा नई लाईन 215 करोड़ रुपए, इटावा मैनपुरी नई लाईन 130 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल न्यू मयनागुड़ी-जोगीघोपा 733 करोड़ रुपए, न्यू जलपायगुड़ी-न्यू बोंगाइगांव गेज कंवर्शन 400, महोदय, ये आन गौइंग प्रोजेक्ट पर 46,000 करोड़ रुपए आलरेडी सैंक्शंड हैं।

मुझे विगत भाषण में आश्वस्त किया गया था कि जो अनकवर्ड इलाके हैं, हमारे सांसद देश के हरेक कोने से आते हैं, जो 46,000 करोड़ रुपए का काम है, यह पहले का बना हुआ एस्टीमेंट है और धीरे-धीरे इसका रेट बढ़ता जाता है, इसलिए हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है।

हमने इसे कबूला है, हमने इसे माना है, हमने इसे स्वीकार किया है कि जो ओन गोइंग प्रोजैक्ट्स हैं, उनको हम पूरा करेंगे। इसमें पैसा आकर हर्डल बनता है। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और रेलवे के पदाधिकारियों को, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर इस देश में रेलवे में खर्च नहीं होगा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और दूसरा कहां खर्चा होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जहां भारतीय रेल दुनिया में तीसरे स्थान पर है, भारतीय रेल को हम दुनिया में एक नम्बर रेल बनाना चाहते हैं। इस आशय के लिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी। पैसे का प्रबन्ध हो रहा है, प्लानिंग कमीशन से बात हो रही है और हम लोगों ने तत्काल, जिसमें ओन गोइंग प्रोजैक्ट्स भी हैं, हम लोगों ने माडल बनाकर प्लानिंग कमीशन में प्रस्तुत किया है। हम इस देश की रेलवे की सुरक्षा के क्षेत्र में, माडर्नाइजेशन के क्षेत्र में और सेफ्टी के क्षेत्र में दुनिया में नवम्बर एक बनाने की दिशा में हमारी सरकार ने जो क्रान्तिकारी कदम उठाया है, शायद ही विगत दिनों में जो एन.डी.ए. की सरकार थी, उनको रेल से मतलब क्या था। ये तो जय श्री राम का नारा देकर देश की जनता को आग में जलाने के काम में लगे थे। रेल में कोई डर के मारे इनके शासन में बैठना नहीं चाहता था। अभी सुमित्रा महाजन जी नहीं हैं।

विशेष सुरक्षा निधि के अंतर्गत 16,538 किलोमीटर रेल पटरी को 2007 तक बदलना था, लेकिन 1.4.2004 तक 8938 किलोमीटर का लक्ष्य से अधिक कार्य पूरा कर लिया गया है। 31.3.2007 से पहले ही यह काम कर लिया जायेगा। जो पुराने पुल हैं, उन्हें विशेष रूप से निरीक्षण करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि वे सुरक्षित रहें। पुराने पुलों को सुरक्षा निधि से बनाया जा रहा है। यह कार्य 31.3.2007 तक पूरा कर लिया जायेगा। मक्शी देवास कार्य पूरा कर लिया गया है। देवास इंदौर दाहोद योजना का इवोल्यूशन किया जा रहा है। इस साल रेल दुर्घटनाएं पिछले साल के मुकाबले बहुत कम हुई हैं। दुर्घटना का मतलब दुर्घटना जो रेल में बैठने वाले लोग कहीं हमारी रेल एक्सीडेंट कर जाये, वह बात नहीं है। इसमें 3 दुर्घटनाएं हमारे 6 महीने के शासन में हुई हैं। एक तो नेचुरल है, प्रकृति की कृपा से कोंकण रेलवे में हुई। दूसरी अभी तत्काल भोपाल के आगे हुई, जिससे हमारी थ्रू एक्सप्रैस गाड़ी आ रही थी और लोग रनओवर हो गये। रनओवर हुए लोगों के लिए रेलवे में मुआवजे का प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारे राज्य मंत्री वहां गये। हमने देखा कि लापरवाही उनकी रही, रेलवे लाइन को क्रास कर रहे हैं, स्टेशन पर बैठे हुए हैं, वहां एक्सप्रैस गाड़ी आ गई तो उसे रोका नहीं जा सकता। व्हिसिल बज रही है, सिगनल है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसमें लोग मारे गये। उसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं है, लेकिन हमने यहां से एक फैसला लिया, उसमें कोई न कोई नागरिक होगा, गरीब लोग होंगे, इसलिए उनके लिए 1-1 लाख रुपये का मुआवजा रेल मंत्रालय से दिया, हमारे राज्य मंत्री को हमने भेजकर मुआयना कराने का भी काम किया।

3 अप्रैल से 3 नवम्बर तक उनके शासन में 235 दुर्घटनाएं हुई थीं, लेकिन अप्रैल 2004 से नवम्बर 2004 तक मात्र एक दुर्घटना घटकर 156 रही। दुर्घटना का मतलब कोई रनओवर हो गया, वह भी है। हमारे यहां 20 हजार अनमेण्ड गेट हैं, गुमटी हैं, हिदायत के बावजूद भी लोग जानते हैं कि रेल के आने-जाने का रास्ता है, फिर भी लोग रेलवे लाइन क्रास करते हैं। अनमेण्ड गेट्स पर दुर्घटनाएं हुई हैं। भाजपा के राज में जो इजाफा हुआ था, दुर्घटनाओं का तांता लगा हुआ था, रेल में कोई बैठना नहीं चाहता था, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो इतने लोग रेल में बैठने के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं।

हमने दिल्ली में छठ के अवसर पर, ईद के अवसर पर और दीपावली के अवसर पर 130 विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंधन किया। उसमें काफी बड़े पैमाने पर लोग जुट गए जिससे आपा-धापी में स्टैम्पिड से एक बूढ़ी मां गिर गई। मैं उसे देखने गया था। हमने उसकी जांच की तो पता चला कि रेल के कारण नहीं बल्कि भीड़ पर भीड़ चढ़ जाने से पांच लोगों की मृत्यु हो गई। हमने फिर भी मुआवजा दिया और उनके लिए व्यवस्था की। हमने हिदायत दी है कि इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए भविष्य में और बेहतर ढंग से कार्य करें। पिछले साल के मुकाबले इस साल रेल दुर्घटनाएं नगण्य हैं। हम सुरक्षा के मामले में इस साल जो काम कर रहे हैं, एक-एक माननीय सदस्य, जिन्होंने कहा कि हमारा यह काम नहीं हुआ, मदुरई से माना मदुरई बड़ी लाइन का कार्य संतोषपूर्ण ढंग से चल रहा है और उसे मार्च, 2005 तक पूरा कर लिया जाएगा। माना-मदुरई से मंडपम का कार्य दिसम्बर, 2005 तक पूरा हो जाएगा। रामेश्वरम तक जाने के लिए पामन पुल के कार्य के डिजाइन का काम प्रगति पर है। अमरावती-नारखेड़ मार्ग का कार्य पूरी प्रगति पर है। चंदूर बाजार तक कार्य मार्च, 2005 तक पूरा हो जाएगा। नारखेड़ का काम भी चल रहा है। इस वर्ष उसमें 16 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। कैबिनेट ने आज ही निर्णय लिया है। डिफैंस के बाद रेलवे दूसरे स्थान पर है। रेलवे में काफी सम्पत्ति है जिसका कोई कमर्शियल यूज नहीं हो रहा था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक अथारिटी बनाकर इसका कैसे वाणिज्यिक उपयोग किया जाए ताकि जमीन का सही ढंग से इस्तेमाल हो सके।

कुलियों के लिए शेड, श्री आदित्यनाथ, जो गोरखपुर के माननीय सदस्य हैं, बोल रहे थे कि कुली आन्दोलन कर रहे हैं। पता नहीं वे किन कुलियों से आन्दोलन करवा रहे हैं। कुलियों को कोई पूछने वाला नहीं था। यूपीए सरकार ने कुली भाइयों के लिए जो वायदा किया था, वह उस काम को पूरा कर रही है। उनके लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें उनके लिए शेड, बैठने के लिए जगह, पीने का पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था है। अगर कोई कुली कोलकाता में काम करता है और उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश या बिहार में रहती है तो वह उसके पास नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता था। हमारी सरकार ने उसके दुख-दर्द को समझा और कुली भाइयों की पत्नियों के लिए रेलवे के फ्री-पास का प्रावधान किया है। हम जो बात बोल चुके हैं, उसे दोहराना नहीं चाहते।

गांव में कुम्हार भाई रहने वाले हैं और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उस मिट्टी के बर्तन में देवी-देवता का प्रसाद चढ़ता है। हमने प्लास्टिक की जगह कुल्हड़ इंट्रोड्यूस किया। जहां-जहां कुल्हड़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम उसका सर्वेक्षण करवाकर कार्यवाही करेंगे। गांधी बाबा ने कहा था, मैंने सदन में कहा था, खादी आजादी की वर्दी है, फ्रीडम मूवमैंट की यूनीफार्म है। चरखा चलाने का काम, हमारी सरकार ने एक क्रान्तिकारी फैसला लिया है हम खादी के कपड़ों को लेंगे। हमारे कारखाने बंद पड़े हुए थे। इस फैसले से गांवों में आशा का संचार हुआ है।

करोड़ों लोगों के मन में जो उदासी थी, खादी और कुल्हड़ लाने से जो हैंडलूम हैं, बुनकर हैं, जो जुलाहा है, जो आदमी हाथ से कपड़ा बुनने का काम करता है, उस काम को कोई नहीं देखता। देश के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए हमने वायदा किया था कि यदि उनके पास पैसा नहीं है, सैंट्रल गवर्नमैंट की नौकरी के लिए इंटरव्यू में बार-बार जाना पड़ता है और उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने निर्णय लिया और उसकी अधिसूचना निकाली कि बेरोजगार नवयुवक और नवयुवतियों को देश भर में, जहां भी सरकारी नौकरी के इंटरव्यू के लिए पत्र आता है, वे रेलवे स्टेशन पर इंटरव्यू का कार्ड दिखाकर देश के किसी भी भाग में फ्री आ-जा सकते हैं। यह हमारी सरकार की इच्छाशक्ति है। हाथी के दांत दिखाने के नहीं हैं। लेकिन विरोधी पक्ष के लोग देश की मूल समस्या से लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए हमेशा अयोध्या की याद करते हैं। अभी गोरखपुर के माननीय सांसद आदित्यनाथ जी यहां नहीं हैं। वह नासमझी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी को प्रधान मंत्री बना देना चाहिए। आदित्यनाथ जी, यहां वैकेन्सी खाली नहीं है। वैकेन्सी तो कांचीपुरम में हुई है। आप वहां जाकर ज्वाइन करिये। आपकी जगह वहां है। ...*(व्यवधान)* ये लोग सब जानते हैं, इसलिए ये लोग फेस नहीं करते और भाग जाते हैं। अभी हमने कुल्हड़, बेरोजगार, युवक, विकलांग, असहाय, मट्ठा कोला, लस्सी कोला तमाम के बारे में कहा। कई माननीय सदस्यों ने आशंका जताई। श्री रघुनाथ झा ने कहा कि माल ढुलाई में जो चोरी होती है, उसके लिए क्या किया? हमने चोरी पकड़ी, काम किया और आमदनी बढ़ाई। ...*(व्यवधान)* हमारा जो विजिलेंस का अधिकारी था, उसको हमने बाहर किया। हमने सैंकड़ों कर्मचारियों को बाहर किया। माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि 15 टन होता था लेकिन 10 टन दिखाया जाता था। हम वीविंग मशीन लगा रहे हैं। चारों तरफ मालगाड़ी की ढुलाई जहां भी होगी, उसका भाड़ा नहीं बढ़ाया है। मैं आगे आपको बताता हूं कि विगत चार महीने में क्या इजाफा हुआ है। इंटरनेट बुकिंग शुरू हो गयी है। हल्के वैगनों का ट्रायल शुरू हो गया है। एसआरएस, स्पेशल सेफ्टी फंड का कार्य प्रगति पर है।

अभी बीजेपी वाले बार-बाल बोलते हैं कि बिहार में रेलवे में अपराध ज्यादा होता है। ये लोग बाकी किसी जगह की चर्चा नहीं करते। इसी हाउस में हमने कहा था कि देश भर के माफिया, जो कांट्रैक्टर है, हमारे रेल के सामान का कचरे के भाव में

[श्री लालू प्रसाद]

आक्शन होता था। इसके लिए खून-खराबा होता था। मैं देश भर के रेलवे माफिया और क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं। इसलिए हमने कहा था कि हम रेल के सामान को आक्शन में कचरे के भाव में नहीं बिकने देंगे। रेल के लोहे से लोहा बनायेंगे। लोहा हम बनायेंगे क्योंकि दुनिया में लोहा महंगा हो रहा है। लोहे का खेल अलग है। हम अपना लोहा महंगा खरीदते हैं और हमारा लोहा कचरे के भाव जाता है। लोग कहते हैं कि बिहार में अपराध बहुत होते है। मेरे पास भारत सरकार का डाटा है। हमने राज्य सभा में यह डाटा दिया था कि इसमें कौन सा स्टेट फर्स्ट नम्बर पर है। हमारे बगल में श्री शरद पवार जी बैठे हैं। रेलवे में अपराध के मामले में महाराष्ट्र एक नम्बर पर है। उड़ीसा दूसरे नम्बर पर है और बिहार तीसरे नवम्बर पर है। लेकिन जो तीसरे नम्बर पर रहते हैं इनको ये लोग फर्स्ट नम्बर पर कर देते हैं। इसे मैं सभा पटल पर रख देता हूं ताकि जब लोग इसका अवलोकन करेंगे तो उनको जानकारी होगी। वे बिहार के खिलाफ बेवजह, अगर कोई ऐसी घटना हो जाती तो उसे फैन गिलास की तरह दिन भर न घुमाते रहें।

रात्रि 9.00 बजे

दिन भर घुमाते रहते हैं। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। अभी हमको आना पड़ा। हाउस में रेगुलर बजट तो आएगा। बहुत सारे आपके सुझाव आए हैं, उन सबको हम रेगुलर बजट में लाने का प्रयास करेंगे। अभी जो बजट हुआ है *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: नरकटियागंज-पुणे बड़ी रेलवे लाइन बन रही है। मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-गोपालगंज-छपरा इन तीनों के बारे में मैंने कहा था। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: उसमें आपने जो बोला है, वह सब हो रहा है। मैं आश्वस्त करता हूं कि वह सब काम किया जाएगा। गोड्डा का भी किया जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर): जो मैंने भी कहा है, कृ:या उसे भी करने की कृपा करें। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के एक-एक काम को हम समय-सीमा के अंदर पूरा करेंगे और पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। कई माननीय सदस्यों ने नई रेलों की बात की। कुछ माननीय सदस्यों ने रेल के हाल्ट की, रेल को रोकने की बात की तो कुछ माननीय सदस्यों ने कैटरिंग की बात की। इसलिए मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि हमने क्या व्यवस्था की है। माननीय सदस्यों ने नयी कैटरिंग पालिसी के बारे में *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: टाइम 9 बजे तक तय हुआ था। इसलिए आपकी इजाजत से जब तक मंत्री जी का जवाब पूरा नहीं हो जाता, उस वक्त तक हाउस का समय बढ़ाया जाता है।

श्री लालू प्रसाद: नयी कैटरिंग पालिसी के विषय में बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। माननीय सोनिया गांधी जी ने भी मुझे पत्र लिखा कि हमने क्या व्यवस्था की है और माननीय सदस्यों ने भी बहुत तरह की चिंता व्यक्त की है। माननीय सदस्यों ने नयी कैटरिंग पालिसी के बारे में बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। हमने डी और एफ श्रेणी में लगभग 7100 स्टेशनों पर स्थित कैटरिंग इकाइयों को खुली निविदा प्रणाली से बाहर रखा है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों और रेल कर्मचारियों की विधवाओं एवं अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 49.5 प्रतिशत किया है। 7100 स्टेशनों पर जो आलरेडी लोग हैं, ठेले के साथ जो छोटे-छोटे स्टाल्स हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा।

जो इस कैटेगरी में आते हैं, फाइनल पालिसी तो नहीं बनी है लेकिन इसका सारा समावेश हमने किया है। पालिसी की समीक्षा की जाएगी। माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा एवं ए, बी और सी श्रेणी के लगभग 935 स्टेशनों पर स्थित छोटी कैटरिंग इकाइयों के आबंटन में उक्त वर्गों के लिए समुचित आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। समाज के कुछ कमजोर वर्गों, जैसे शहीद एवं रेल कर्मचारियों की विधवाओं, स्वतंत्रता सेनानियों एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित लोगों को, ए, बी एवं सी श्रेणी में स्टेशन पर स्थित छोटी इकाइयों के आबंटन में खुली निविदा प्रणाली से बाहर रखने पर एवं पालिसी पर निर्धारित अर्हता एवं वित्तीय मापदंडों में छूट प्रदान करने हेतु समीक्षा की जा रही है। इसका पूरा ख्याल करने की हमारी पालिसी है। यह हमारी धारा है, यह हमारी राजनीति है और हमारा सोशल कमिटमेंट है। इसलिए इन वर्गों और तबकों के हितों की उपेक्षा करके कोई दूसरी बात नहीं चलने दी जाएगी, यह मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं। जो बजट आएगा, 2004-05 में खर्च के लिए अनुदान की पूरक मांगों को तथा संबंधित विनियोग विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। पूरक मांगों में सरकार के द्वारा बजट के उपरांत दी गई 1537 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजटीय सहायता सम्मिलित है।

जो योजना आयोग से हमें मिला है, उसमें से उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला नई लाइन परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शेष 1137 करोड़ रुपए के खर्च का विवरण भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर हम खर्च करने जा रहे हैं और जिसके लिए हम आपके पास सहमति मांगने के लिए आए हैं। रेल नवीकरण के लिए 428 करोड़ रुपए, रोलिंग

स्टाक के लिए 349 करोड़ रुपए, सिग्नल एवं दूरसंचार पर 150 करोड़ रुपए, पुलों संबंधी कार्यों पर 72 करोड़ रुपए, दोहरीकरण पर 45 करोड़ रुपए, इसी वित्त वर्ष में खर्च करने हैं। इसी तरह से यातायात सुविधा पर 25 करोड़ रुपए अन्य पर 68 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 1137 करोड़ रुपए जो हमें सप्लीमेंट्री बजट में योजना आयोग से मिली, इनकी मंजूरी के लिए हम यहां आए हैं।

इसके अलावा पूरक मागों में दो नए कार्य भी इसमें शामिल हैं और उनमें संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। जिसमें सुल्तानगंज-बरियापुर-विजयवाड़ा में आरओबी, छपरा में अतिरिक्त यात्री सुविधा और गुडूर-विजयवाड़ा में रेल नवीकरण इत्यादि कार्य शामिल हैं।

महोदय, हमने वादा किया था कि चालू वर्ष में हमने क्या-क्या काम किए हैं, क्या हमारी उपलब्धियां हैं, वह हम बताएंगे। हम रेलवे को सही पटरी पर लाने के लिए लगातार जंग और क्रांति के रास्ते पर हैं। मैं आपकी सेवा में वे उपलब्धियां रखना चाहता हूं।

भारतीय रेल के चालू वित्त वर्ष के प्रथम चरण में उपलब्धि संतोषजनक रही है। रेलवे ने चालू वित्त वर्ष के अक्तूबर के अंत तक 335.20 मिलियन टन का लदान किया है, जो लक्ष्य से 7.5 मिलियन टन ज्यादा है। पिछले वर्ष की इसी अवधि से 23.92 मिलियन टन ज्यादा है। परिणामस्वरूप माल भाड़ा आमदनी निर्धारित लक्ष्य से लगभग 700 करोड़ रुपए अधिक हुई है, जो कि निर्धारित लक्ष्य के 104 प्रतिशत के बराबर है एवम् पिछले वर्ष से लगभग दस प्रतिशत ज्यादा है। रघुनाथ झा जी पूछ रहे थे कि क्या काम किया, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमने रेलवे के वैगनों में सुधार किया, फिजूलखर्ची को रोका। अभी चैकिंग पर भी जोर रहे हैं। हमारी ट्रेनों में खासकर ए.सी. क्लास मे इधर-उधर के कई लोग मिलीभगत करके जितनी हमारी आमदनी होनी चाहिए, उसमें कमी ला रहे हैं। इसके लिए भी हमने एक कार्यक्रम बनाया है। हम ऐसे लोगों को जो दोषी पाए जाएंगे, चाहे हमारे रेलकर्मी हों या पदाधिकारी, एंटी बायोटिक दवाएं दी जाएंगी, जो कि गोपनीय है। हम इसमें लगे हुए हैं। एक व्यापारी एक बरस खरीदता था, फिर दूसरे बरस दूसरा निकाल लेता था और तीसरे बरस तीसरा निकाल लेता था। इसको रोका जा रहा है।

भारतीय रेल सोने की चिड़िया है। यह रेल सबके लिए है। यह सबसे बड़ा सम्पर्क का साधन है। हमने सिर्फ माल के लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं किया, अपितु यात्रियों का किराया भी नहीं बढ़ाया। लोग बोलते थे कि लालू पैसा कहां से लाएगा। यात्रियों की संख्या में पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यात्रियों से होन वाली आमदनी भी पांच प्रतिशत बढ़ी है, जो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि रेल की अक्तूबर तक हुई कुल आमदनी 660 करोड़ रुपए ज्यादा है, जो निर्धारित लक्ष्य के 103 प्रतिशत के बराबर है। पिछले वर्ष इस अवधि से यह आमदनी आठ प्रतिशत ज्यादा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वित्तीय वर्ष न केवल निर्धारित फ्रेट, लोडिंग और कुल अर्निंग के निर्धारित लक्ष्य को हम पूरा करेंगे, बल्कि इससे भी अधिक उपलब्धि हासिल करेंगे।

महोदय, मैंने शुरू से ही रेलवे के खर्च पर कड़ाई से नियंत्रण लगाने का आदेश दिया है। रेलवे संचालन के बजट व्यय में संकुचित वृद्धि की है, जिसका रेलवे में कड़ाई से पालन हो रहा है। परंतु कुछ ऐसे बजटोपरांत कारक हुए हैं, जिन पर रेलवे का नियंत्रण नहीं है। मसलन पेट्रोलियम उत्पादों में बार-बार वृद्धि हुई है। रेल के संचालन व्यय का एक बहुत बड़ा भाग ईंधन पर खर्च किया जाता है, जैसे डीजल, कैरोसीन इसका प्रमुख हिस्सा है। रेलवे में 205 करोड़ लीटर डीजल तेल की प्रतिवर्ष खपत होती है। अभी तक डीजल तेल की कीमतों में तीन बार वृद्धि हो चुकी है, जिसके कारण 904 करोड़ रुपये का भार रेलवे पर पड़ेगा। चालू वर्ष में 500 करोड़ रुपये अनुमानित है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भारतीय रेलवे को विश्व की सर्वोच्च रेलवे विकसित करने का निर्णय किया है। इस आदेश के अनुपालन में हमने 24 हजार करोड़ रुपये की लागत से रेलवे में एक प्रोजैक्ट दिया है और डीजल में हमने थोड़ी सी वृद्धि की है। यह जो हमारा लौह-अयस्क जा रहा है उसे हमने थोड़ा सा बढ़ाया है जिससे हमारा घाटा पूरा हो सके। गरीब आदमी चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, वह धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाना चाहता है। हम "विलेज आन व्हील" तथा "भारत दर्शन" ट्रेन चलाना चाहते हैं। ऐसी पहली ट्रेन पाटलीपुत्र पटना से बनारस-वैष्णोदैवी-हरिद्वार-जम्मू और अमृतसर होते हुए मात्र साढ़े चार हजार रुपये में 9 दिनों का टूर कराएगी। सारे परिवार के साथ लोग उसमें बैठ रहे हैं। उसका हमने विज्ञापन दिया है। साढ़े चार हजार रुपये में दो भोजन फ्री, रात का और दिन का भोजन फ्री, दो नाश्ते फ्री, दो चाय फ्री, बस और गाड़ी से घुमाने के लिए और रेल में बैठाने के लिए बस फ्री, दवा फ्री। इसके बाद ट्रेन कलकत्ता, भुवनेश्वर, रामेश्वर, तिरूपति होते हुए पूरे भारत का दर्शन हम 6 महीने में करवाने का रेल द्वारा प्रबंध कर रहे हैं। ये राम का नाम लेने वाले लोग, धर्म का नाम लेने वाले लोग अधर्म का काम करते रहे हैं, धर्म से इनका कोई लेना-देना नहीं है। इनका यह विभाग भी हमने इनसे छीन लिया है और इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। लगातार इधर-उधर छिप रहे हैं, छिपने से काम चलने वाला नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रेल आपकी प्रापर्टी है। हमारे माननीय सदस्य चाहे किसी भी पार्टी के क्यों न हों, हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप गरीब, मजदूर-किसान के वोट से जीतकर यहां आये हैं, इसलिए प्रत्येक माननीय सदस्य के संसदीय क्षेत्र में हम रेल की बेहतर सेवा उपलब्ध करवाएंगे। चाहे कोई भी कठिनाई हो, चाहे आरओबी

[श्री लालू प्रसाद]

बनाने की बात हो, हम उस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। आज हो क्या रहा है कि आधा पैसा राज्य सरकार देती है आधा रेल देती है। अगर राज्य सरकार ने नहीं दिया तो रेल विभाग कैसे उसे बनाएगा? इसलिए हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि जितने भी ओवरब्रिज हर राज्य में आप मांग रहे हैं, रेलवे ही उन्हें बनाएगी और हम उसके लिए पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन एक ही शर्त रहेगी कि हर राज्य सरकार लिखकर दे दे कि जो हम जीआरपी लेते हैं उसका पैसा जो हम रेलवे से राज्य को देते हैं, उस पैसे में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सब काम हो जाएगा।

एनएच का काम करने के लिए बालू भाई बैठे हैं। जहां लालू और बालू हैं, वहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने यहां के खर्चों को भी पूरा कराएंगे। वह उन्हें क्लीयरेंस दे दें। हम रेलवे ओवर ब्रिज धड़ाधड़ बनाना शुरू कर देंगे। अभी हमें 6 महीने हुए हैं। अब हम लोग यहां बैठ गए हैं। माननीय श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बन गई है। आप सब भ्रम में मत रहना कि कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है। हमें इस लड़ाई-झगड़े में आपकी जरूरत नहीं है। आप अपना घर देखो, हमारे घर की चिन्ता मत करो। हम यहां बैठ गए हैं और अब उठने वाले नहीं हैं। यह बात बीजेपी और एनडीए के लोग सुन लो कि हमारी सरकारी ठोक-ठाक कर पांच साल चलेगी और पांच साल में न जाने कितना लंका दहन हो जाएगा? कोई रहेगा, कोई नहीं रहेगा? कोई इधर भाग रहा है, कोई साधु बन रहा है कोई बैरागी बन रहा है। आज हमने देखा कि एक साध्वी बोल रही थी कि अब मैं जोगन बन जाऊंगी। जोगन बन जाओगी तो बन जाओ, हमें क्या बता रही हो?

मैं देश की महान जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रेल की सुरक्षा, फास्ट ट्रेन, सफाई और पूरी तरह से बेहतर भोजन, साफ-सुथरा भोजन देने का प्रबन्ध कर लेंगे। हमने सभी जगहों के लिए सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रेस शुरू कर दी है। इसके लिए सभी जगह काम हो रहा है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर के क्षेत्र में वे सब काम होने जा रहे हैं जो कभी नहीं हुए थे। कोलकाता के लोग कहते थे कि बिहार में काम होता है। अब इतना कोलकाता में भी होगा। कोलकाता हमारा पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश भी है। ये सब लोग हैं। जहां-जहां भेदभाव हुआ था, जिस इलाके में रेल की सेवा नहीं मिली, मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं उसे सब जगह उपलब्ध कराऊंगा। सभी माननीय सदस्यों ने नई रेल चलाने के बारे में कहा है। हम सब का सर्वेक्षण करा रहे हैं और सर्वेक्षण करा कर उसे प्लानिंग कमीशन में भेज कर, प्रोसैस करके निश्चित रूप से यह काम शुरू करेंगे। इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इससे सस्ता रेट यात्रा करने का और क्या हो सकता है, इसलिए हम इस काम को पूरा करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि आप इसे पास करेंगे। अगली बार जब फिर मिलेंगे तो नए उत्साह के साथ, एक मन के साथ आपकी सभी भावनाओं का समावेश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) वर्ष 2004-2005 को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं:-

मांग संख्या 16."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 9.18 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री जी विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-05 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-05 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, दिनांक 8.12.2004 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: मंत्री जी अब विधेयक पुर:स्थापित** करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री जी विधेयक पर विचार के लिए अब प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-05 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2004-05 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब यह सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: मंत्री जी अब विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा कल दिनांक 9 दिसंबर, 2004 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 9 दिसंबर, 2004/18 अग्रहायण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री पी. राजेन्द्रन	101
2.	श्री वाई.जी. महाजन श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	102
3.	श्री अवतार सिंह भडाना	103
4.	श्री के.एस. राव श्री रायापति सांबासिवा राव	104
5.	डा. एम. जगन्नाथ श्री किन्जरपु येरननायडु	105
6.	श्री वरकला राधाकृष्णन	106
7.	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी श्री मोहन रावले	107
8.	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव श्री आलोक कुमार मेहता	108
9.	श्री जुएल ओराम	109
10.	श्रीमती करूणा शुक्ला श्री मंजुनाथ कुन्नुर	110
11.	श्री मनोरंजन भक्त श्री भर्तृहरि महताब	111
12.	श्री प्रबोध पाण्डा	112
13.	श्री किरिप चालिहा श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल	113
14.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	114
15.	प्रो. चन्द्र कुमार श्री सुरेश चन्देल	115
16.	श्री निखिल कुमार श्री अधीर चौधरी	116
17.	श्री तूफानी सरोज	117
18.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री रमाकान्त यादव	118
19.	श्री निखिल कुमार चौधरी	119
20.	डा. अरूण कुमार शर्मा	120

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1207
2.	आदित्यनाथ, योगी	1212
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1173, 1254, 1277, 1282
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1175, 1332
5.	अंगडि, श्री सुरेश	1153, 1208, 1286
6.	अंसारी, श्री फुरकान	1248
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	1232
8.	आठवले, श्री रामदास	1212, 1234, 1315, 1343, 1367
9.	आजमी, श्री इलियास	1212, 1353
10.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	1170, 1244
11.	बैठा, श्री कैलाश	1169, 1262
12.	बंसल, श्री पवन कुमार	1212, 1294, 1351
13.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	1242, 1279, 1306, 1324, 1373
14.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	1180
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1272
16.	भक्त, श्री मनोरंजन	1278, 1342
17.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1166, 1311, 1365
18.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1199
19.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1255
20.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1212, 1225, 1305, 1363
21.	चालिहा, श्री किरिप	1280, 1343
22.	चंदेल, श्री सुरेश	1307
23.	चन्द्र कुमार, प्रो.	1307
24.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1209, 1213, 1295

1	2	3
25.	चिन्ता मोहन, डा.	1194, 1228
26.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	1227, 1310
27.	चौधरी, श्री पकंज	1212, 1223
28.	चौधरी, श्री अधीर	1286 1306
29.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	1156
30.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	1179, 1286
31.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1171, 1328
32.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1230, 1312, 1366
33.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1215
34.	गांधी, श्रीमती मेनका	1220, 1304
35.	गंगवार, श्री संतोष	1196, 1211
36.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1204, 1301
37.	गोहेन, श्री राजेन	1199, 1287, 1346
38.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	1184, 1269, 1353
39.	हसन, श्री मुनव्वर	1245, 1329, 1348
40.	जगन्नाथ, डा. एम.	1265, 1338
41.	जटिया, डा. सत्यनारायण	1236
42.	झा, श्री रघुनाथ	1252, 1343
43.	जोगी, श्री अजीत	1331, 1375
44.	जोशी, श्री प्रहलाद	1243, 1325
45.	कलमाडी, श्री सुरेश	1185, 1214, 1358
46.	कामत, श्री गुरूदास	1286
47.	करूणाकरन, श्री पी.	1202, 1288, 1347
48.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1277
49.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	1218
50.	खन्ना, श्री अनिवाश राय	1240
51.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1352

1	2	3
52.	कृष्ण, श्री विजय	1177, 1286, 1346
53.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	1283, 1345
54.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	1189, 1212, 1279, 1300, 1359
55.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1224
56.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1193
57.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1191
58.	महाजन, श्री वाई.जी.	1260
59.	महतो, श्री बीर सिंह	1212, 1355
60.	महतो, श्री सुनिल कुमार	1212, 1251
61.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1273, 1337, 1378
62.	महताब, श्री भर्तृहरि	1296, 1348, 1354
63.	महतो, श्री टेक लाल	1241
64.	माझी, श्री परसुराम	1172, 1263, 1356
65.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1218, 1251, 1286
66.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	1244
67.	मनोज कुमार, श्री	1195
68.	मेघवाल, श्री कैलाश	1163, 1302, 1330, 1360
69.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1327, 1374
70.	मैन्या, डा. टोकचोम	1235
71.	मिश्रा, डा. राजेश	1184, 1210
72.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	1184
73.	मोदी, श्री सुशील कुमार	1239, 1319, 1343, 1353
74.	मुकीम, मो.	1198, 1211, 1238, 1317
75.	मोल्लाह, श्री हन्नान	1155
76.	मुन्शी राम, श्री	1187, 1246, 1270, 1333, 1376

1	2	3
77.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1150, 1268, 1287, 1356, 1372
78.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	1208
79.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	1167
80.	नायक, श्री अनन्त	1160, 1202, 1316, 1323, 1371
81.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	1200
82.	निखिल कुमार, श्री	1282, 1286
83.	नीतीश कुमार, श्री	1194
84.	ओराम, श्री जुएल	1259, 1340, 1379
85.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	1284
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1279, 1286
87.	पाण्डेय, श्री लक्ष्मीनारायण	1211
88.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1229, 1286, 1327
89.	पासवान, श्री राम चन्द्र	1267
90.	पासवान, श्री वीरचन्द्र	1222
91.	पाठक, श्री ब्रजेश	1186, 1292, 1350
92.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1233, 1272, 1314
93.	पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	1309, 1364
94.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1218, 1247
95.	पिंगले, श्री देविदास	1182, 1320, 1348, 1370
96.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1212, 1214, 1297, 1355
97.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1276, 1328, 1339
98.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1271, 1275
99.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1271, 1336, 1377
100.	रामदास, प्रो. एम.	1176, 1266, 1271
101.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	1231, 1313, 1355

1	2	3
102.	राणा, श्री काशीराम	1162, 1214, 1286
103.	राव, श्री के.एस.	1273, 1337, 1378
104.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1277, 1303, 1362
105.	राव, श्री डी. विट्टल	1353
106.	राठौड़, श्री हरिभाई	1255, 1316
107.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1221, 1305
108.	रावत, प्रो. रासा सिंह	1151, 1257, 1334
109.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1281, 1344
110.	रेड्डी श्री मधुसूदन	1253, 1353
111.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1353
112.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1192
113.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1212, 1286
114.	रिजीजू, श्री खीरेन	1196
115.	साई प्रताप, श्री ए.	1249
116.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1217, 1277, 1299, 1339, 1357
117.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	1285
118.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1183
119.	सेन, श्रीमती मिनाती	1187, 1339
120.	सेठी, श्री अर्जुन	1201
121.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1168, 1261, 1335
127.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1203
123.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1158, 1159
124.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम	1307
125.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1282
126.	शिवन्ना, श्री एम.	1208, 1293
127.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1174, 1182, 1270, 1320, 1326

1	2	3
128.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	1277, 1341
129.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1197
130.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1205, 1271, 1290, 1349
131.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1216, 1298
132.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1206, 1291
133.	सिंह, चौधरी लाल	1249
134.	सिंह, श्री दुष्यंत	1286, 1316
135.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	1219, 1286, 1342
136.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1177, 1178, 1286
137.	सिंह, श्री मोहन	1187, 1270
138.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1152, 1222, 1309, 1318, 1369
139.	सिंह, श्री सीताराम	1165, 1190, 1321
140.	सिंह श्री सुग्रीव	1256, 1272
141.	सिंह, श्री सूरज	1226
142.	सिंह, श्री उदय	1270, 1286
143.	सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह	1193, 1202
144.	सुब्बा, श्री एम.के.	1286, 1353

1	2	3
145.	सुब्बारायण, श्री के.	1198
146.	सुमन, श्री रामजीलाल	1224, 1228
147.	सुरेन्द्र, श्री चेंगरा	1198, 1208, 1213, 1295, 1352
148.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1161, 1258
149.	थामस, श्री पी.सी.	1250, 1330
150.	दुम्मर, श्री वी.के.	1184, 1193
151.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1237, 1316, 1368
152.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1193, 1274
153.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	1188, 1322
154.	विनोद कुमार, श्री बी.	1154, 1271, 1293, 1301
155.	यादव, श्री बालेश्वर	1284
156.	यादव, श्री गिरिधारी	1164
157.	यादव, श्री पारसनाथ	1203, 1289, 1348
158.	यादव, श्री राम कृपाल	1181, 1286
159.	यादव, श्री रमाकान्त	1267, 1361
160.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1192, 1264, 1348
161.	जाहेदी, श्री महबूब	1157

अनुबंध *II*

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	103, 108
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	104, 115, 116, 119
विदेश	:	111, 112, 117
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	101, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 114
खान	:	
महासागर विकास	:	
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	118, 120
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	
लघु उद्योग	:	
अन्तरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	1213, 1237, 1300, 1307, 1308, 1320, 1331, 1335, 1375, 1377, 1378
परमाणु ऊर्जा	:	1180, 1234, 1338
कोयला	:	1195, 1207, 1241, 1314, 1323, 1356
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1151, 1162, 1164, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1177, 1178, 1181, 1190, 1194, 1197, 1200, 1204, 1212, 1224, 1226, 1236, 1238, 1240, 1242, 1246, 1253, 1257, 1261, 1279, 1280, 1281, 1288, 1289, 1295, 1301, 1315, 1317, 1322, 1326, 1346, 1348, 1351, 1363, 1370, 1379
विदेश	:	1165, 1183, 1191, 1225, 1230, 1255, 1264, 1265, 1273, 1276, 1284, 1286, 1290, 1302, 1337, 1359, 1361
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1150, 1153, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1163, 1167, 1169, 1174, 1182, 1186, 1187, 1188, 1189, 1192, 1196, 1198, 1203, 1206, 1210, 1211, 1214, 1216, 1220, 1221, 1222, 1227, 1229, 1232, 1233, 1235, 1245, 1247, 1248, 1252, 1256, 1258, 1259, 1260, 1268, 1272, 1275, 1277, 1278, 1282, 1283, 1287, 1293, 1294, 1298, 1304, 1309, 1310, 1311, 1312, 1324, 1327, 1332, 1333, 1339, 1340, 1341, 1342, 1344, 1345, 1347, 1352, 1360, 1364, 1365, 1369, 1372, 1374

खान	:	1179, 1249, 1263, 1306, 1325
महासागर विकास	:	1185, 1269, 1368, 1376
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1313, 1328, 1330
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1152, 1223, 1262, 1267, 1270, 1296, 1305, 1350, 1354, 1355, 1367
योजना	:	1201, 1208, 1228, 1239, 1266, 1297, 1316, 1349
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	1193, 1202, 1209, 1215, 1274, 1357, 1358
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	1154, 1155, 1160, 1199, 1205, 1217, 1218, 1231, 1243, 1244, 1250, 1251, 1271, 1285, 1291, 1292, 1299, 1303, 1318, 1319, 1329, 1334, 1336, 1340, 1343, 1353, 1362, 1366, 1371, 1373
लघु उद्योग	:	1219, 1254, 1321
अन्तरिक्ष	:	1166
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	1176

पी.एल.एस.–48/5/6/2004 (एन०)
251

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।